सत्यमेव जयते

केंन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निर्माण कार्य की गतिविधियों पर निष्पादन लेखा परीक्षा






भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

गृह मंत्रालय

2015 की प्रतिवेदन सं. 35

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निर्माण गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा (सी.ए.पी.एफ.)

संघ सरकार (सिविल)

गृह मंत्रालय

2015 की प्रतिवेदन सं. 35

(निष्पादन लेखापरीक्षा)



विषय सूची

विषय सूची		पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सारांश	v - xiii
अध्याय - I	प्रस्तावना	1-10
अध्याय - II	योजना एवं बजटीकरण	11-22
अध्याय - III	भूमि अधिग्रहण	23-38
अध्याय - IV	निर्माण गतिविधियां (विषय वार)	39-86
अध्याय - V	कार्यकारी एजेंसियां-एक तुलनात्मक अध्ययन	87-98
अध्याय - VI	परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता आश्वासन, मॉनीटरिंग, उपयोगिता एवं अनुरक्षण	99-114
अध्याय - VII	वित्तीय अनियमितताएं	115-128
अध्याय - VIII	निर्माण गतिविधियां-बल वार	129-140
अध्याय - IX	निष्कर्ष	141-144
	अनुबंध	147-349
	शब्दावली	350-353



प्राक्कथन

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) कर्मियों को उचित कार्यालय तथा आवासीय सुविधाओं का बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हैं क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में लंबे समय के लिए कार्य करते हैं। लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा कार्यालय तथा आवासीय व्यवस्था के लिए अवसरंचना के सृजन के लिए प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद, वास्तविकता चिंताजनक है। गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने इकाइयों के उत्थापन को संस्वीकृत करते समय कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए पर्याप्त संस्वीकृति से नहीं जोड़ा, जिसके कारणवश सी.ए.पी.एफ. के लिए कार्यालय तथा रिहायशी इकाइयों में कमी हुई थी। निर्माण योजना एवं गतिविधियों के लिए रूपरेखा को भी एम.एच.ए. द्वारा उत्तरोत्तर रूप से संशोधित भी किया गया था, परंतु परिणाम उत्साहजनक नहीं थे, जो सी.ए.पी.एफ. में मौजूदा निम्न आवासीय संतुष्टि स्तर से स्पष्ट है।

यह अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा सी.ए.पी.एफ. में निर्माण गतिविधियों की स्थिति का आकलन करता है तथा उन कारणों का विश्लेषण करता है कि क्यों सरकार इस महत्वपूर्ण कल्याण संकेतक पर पीछे रह रही थी। राज्य सरकारों से सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि के अधिग्रहण में विलंब, कार्यकारी एजेंसियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, निर्माण परियोजनाओं में अधिक लागत एवं अधिक समय, कार्यकारी एजेंसियों तथा सी.ए.पी.एफ. के बीच समन्वय की कमी तथा सी.ए.पी.एफ. एवं कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निर्माण परियोजनाओं की खराब मॉनीटरिंग जैसे मुख्य विषयों को सुलझा पाना शेष था। यदि सरकार समय पर सी.ए.पी.एफ. को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने में सफल होना चाहती है तो इन कमियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

हमे उम्मीद है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु बनाया गया यह प्रतिवेदन सीमाओं की रक्षा कर रहे तथा आतंकवाद एवं नक्सलवाद से हमें आतंरिक सुरक्षा प्रदान कर रहे जवानों के लिए अत्यंत महत्व के इस कार्य में शामिल सरकार के आयोजकों एवं प्रशासकों को कुछ संकेत देगा।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानदंडो के अनुसार संचालित किया गया है।



कार्यकारी सारांश

हमने लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को क्यों चुना?

गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा मुख्य है, जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) का प्रबंधन शामिल है। संघ सरकार के सात सशस्त्र पुलिस बल एम.एच.ए. के प्राधिकारी नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। सी.ए.पी.एफ. सीमा की सुरक्षा करने तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित कार्यालय भवन तथा काम करने का वातावरण प्रदान करने में कमियां इन बलों के कार्य करने में बाधा डालती है। सी.ए.पी.एफ. कर्मियों को आवासीय सुविधाओं का प्रावधान बल के मनोबल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह दूर-दराज के इलाकों एवं अत्यंत कठिन मौसम परिस्थितियों में काफी घंटों तक कार्य करते हैं।

उनके मुख्यालय तथा फील्ड कार्यालयों समेत सी.ए.पी.एफ. की लेखापरीक्षा के हमारे पूर्व अनुभव से पता चला कि भूमि के अधिग्रहण तथा निर्माण गतिविधियों के समापन में विलंब के कारण परिणाम न केवल अधिक लागत एवं अधिक समय में हुआ बल्कि निर्माण गतिविधियों के सामयिक लाभों को मिलने से प्राप्तकर्ताओं को भी वंचित रखा था। इस पृष्ठभूमि में, हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने का निर्णय लिया। निर्माण गतिविधियों के कुल पर्यवेक्षण के संदर्भ में कार्यकारी एजेंसियों एवं एम.एच.ए., सी.ए.पी.एफ., की भूमिका की लेखापरीक्षा करने के अलावा, हमने परियोजनाओं में विलंब के लिए कारणों पर भी ध्यान केंद्रित किया जिसके कारण अधिक लागत एवं अधिक समय लगा था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के कवरेज की अवधि 2008-09 से 2013-14 तक की थी। 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹12483.7 करोड़ के आवंटन के प्रति, सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों समेत मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹12043.90 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था।

हमारी लेखापरीक्षा के क्या उद्देश्य थे?

निष्पादन लेखापरीक्षा की शुरुआत यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त भूमि को लागत प्रभावी रूप में समय पर प्राप्त किया गया था तथा निर्माण हेतु उपलब्ध करवाई गई थी।

- संबंधित एजेंसियों ने निर्माण गतिविधि के दौरान वित्तीय औचित्य रखा था।
- निर्माण गतिविधियों को प्रासंगिक सरकारी नियम एवं अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा तथा लागत में किया गया था।
- भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण के पीछे अभिप्रेत उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया था।
- कार्यकारी एजेंसियों के साथ एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. ने उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मॉनीटरिंग तंत्र का अनुसरण किया था।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा ने क्या प्रकट किया?

अध्याय-I में सी.ए.पी.एफ. की पृष्ठभूमि सूचना तथा हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली प्रदान की गई है। अध्याय-II में सी.ए.पी.एफ. के लिए कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के लिए योजना एवं बजटीकरण आवश्यकता प्रदान की गई हैं। अध्याय-III और IV में क्रमशः भूमि अधिग्रहण मामलों तथा मुद्दा-वार निर्माण गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान किए गए है। अध्याय-V योजना एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन में शामिल मुद्दों से संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के तुलनात्मक मामलों के बारे में प्रदान करता है। अध्याय-VI गुणवत्ता आश्वासन, मॉनीटरिंग पहलुओं, सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग एवं अनुरक्षण से संबंधित मुद्दों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रदान करता है। अध्याय-VII निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। अध्याय-VIII में बल-वार निर्माण गतिविधियों का तुलनात्मक विश्लेषण शामिल है। अध्याय-IX में पूर्व अध्यायों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्ष का प्रतिपादन करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः

1. निर्माण गतिविधियों के लिए योजना बनाना

- एम.एच.ए. ने इकाईयों की प्रस्तुती को संस्वीकृत करते समय कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए पर्याप्त संस्वीकृतियों को जोड़ा नहीं था।

(पैरा 2.2.1)

- एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. कार्यालय इमारतों के साथ सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए थे। ₹2.99 लाख रिहायशी इकाइयों की प्राधिकृत आवश्यकता के प्रति, सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के लिए

केवल ₹1.54 लाख रिहायशी इकाइयां उपलब्ध थीं तथा 5113 कार्यालय इमारतों की आवश्यकता के प्रति केवल 2041 उपलब्ध थीं।

(पैरा 2.2.1 & 2.2.2)

- सी.ए.पी.एफ. में आवासीय सुविधा प्रदान करने में संतुष्टि स्तर कम था जो कि लक्षित 25 प्रतिशत संतुष्टि स्तर के प्रति मार्च 2014 तक 2.96 प्रतिशत से 22.48 प्रतिशत के बीच था।

(पैरा 2.2.2.1)

- लोक निर्माण कार्य संगठन (पी.डब्ल्यू.ओ.) को सी.ए.पी.एफ. द्वारा केवल नामांकन आधार पर चयन किया गया था। सी.ए.पी.एफ. पी.डब्ल्यू.ओ. के चयन मानदण्ड में न तो प्रतियोगितात्मक वातावरण था न ही पारदर्शिता थी केवल धन के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेयों में भी जैसे समय एवं गुणवत्ता का पालन तथा सौंपे जाने के बाद अनुरक्षण मुद्दों के संदर्भ में।

(पैरा 2.5)

2. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

- ₹236.05 करोड़ की कीमत के 132 चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में से 56 मामलों में, मूल स्थान योजना के अनुमोदन की तिथि से अधिग्रहण भूमि में भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने में 5 माह से 9.7 वर्षों तक का निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंब था। इसके अतिरिक्त, चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में 31 मामलों (23 प्रतिशत) में सी.ए.पी.एफ. ने संबंधित राज्य सरकार के पास लागत को जमा करने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया था।

(पैरा 3.1)

- 23 मामलों में, प्राधिकरण से अधिक भूमि अधिग्रहण किया गया था जिसके कारण ₹29.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

(पैरा 3.1)

- पट्टा आधार पर केरल में भूमि अधिग्रहण के पांच मामलों में, पट्टे विलेख में समाप्ति के पश्चात इसमें विस्तार हेतु कोई खंड शामिल नहीं था, जोकि एम.एच.ए. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। पट्टा अनुबंधों में दी गई शर्तें बल के हित के लिए हानिकारक थी।

(पैरा 3.2.2)

- भूमि अधिग्रहण के 18 मामलों में, बिक्री विलेख/परिवर्तन को सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था जोकि एम.एच.ए. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

(पैरा 3.2.4)

3. निर्माण गतिविधियां - मुद्दा-वार

- कार्यकारी एजेंसियों द्वारा गलत प्रारंभिक अनुमानों (पी.ई.) के कारण ₹14.22 करोड़ तक अधिक पी.ई. हुए थे।

(पैरा 4.1.4)

- पी.ई. को अंतिम रूप देने के लिए न तो एम.एच.ए. न ही पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा कोई मानदंड/समय सीमाएं निर्धारित की गई थी। इससे बाद के लक्ष्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण कई महीनों तक परियोजना विलंबित हुई थी।

(पैरा 4.1.6)

- सा.वि.नि. के नियम 130 के उल्लंघन में उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन से बचने के लिए संबंधित सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. के सभी डी.जी. द्वारा ₹206.62 करोड़ की राशि के निर्माण कार्यों को 2 से 8 निर्माण कार्यों में बांट दिया गया था।

(पैरा 4.2.1)

- प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (ए.ए./ई.एस.) को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. द्वारा कोई मानदंड/समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 197 निर्माण कार्यों में, एम.एच.ए./सी.ए.पी.एफ. ने ए.ए. एवं ई.एस. को स्वीकृति देने में पांच माह से अधिक (लिया गया औसत समय) का समय लिया था।

(पैरा 4.2.2)

- ₹1161.10 करोड़ के 240 निर्माण कार्यों में, निविदा में संस्वीकृति की तिथि से 90 माह तक का विलंब हुआ था।

(पैरा 4.3.1)

- मदों में -100 प्रतिशत से लेकर +10469 प्रतिशत तक के अनुमत सीमा से अधिक की विचलन थी जो दर्शाता है कि विस्तृत अनुमानों में उल्लेखित निर्माण कार्यों के मदों की संख्या वास्तविक नहीं थी तथा फील्ड सर्वेक्षण तथा स्थल परिस्थितियों पर आधारित थी। ऐसे मदों की कुल राशि ₹82.88 करोड़ थी।

(पैरा 4.5.2)

- 305 निर्माण कार्यों में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा ₹30.16 करोड़ की कीमत के अतिरिक्त मद निष्पादित किए गए थे। 132 निर्माण कार्यों में, ₹10.80 करोड़ के लिए प्रतिस्थापित मदों (1 से लेकर 24 मदों तक) को निष्पादित किया गया था।

(पैरा 4.5.3 & 4.5.4)

- 129 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में, ₹63.02 करोड़ की अधिक लागत हुई थी। इस के अतिरिक्त, निर्माण कार्य जोकि कार्याधीन थे तथा अपूर्ण थे, उसमें दिसम्बर 2014 तक ₹85.03 करोड़ तक की अतिरिक्त लागत थी। इस प्रकार, कुल ₹148.05 करोड़ की अधिक लागत हुई थी।

(पैरा 4.5.5.1)

- विभाग द्वारा प्लिंथ क्षेत्रफल की गलत गणना, ड्राइंग में संशोधन, अनुमान में संशोधन तथा स्थल परिस्थितियों आदि के कारण 189 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में ₹289.08 करोड़ की बचतें थी।

(पैरा 4.5.5.1)

4. कार्यकारी एजेंसियॉ - एक तुलनात्मक विश्लेषण

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने पी.डब्ल्यू.ओ. की तुलना में निर्माण कार्यों की निविदा में अधिक समय लिया था। निर्माणकार्य देने में विलंब के कारणवश उनके पूर्ण होने में विलंब हुआ जिसके कारण अधिक लागत हुई थी।

(पैरा 5.2)

- सभी कार्यकारी एजेंसियां अर्थात् सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.ओ. तथा सी.ए.पी.एफ. के अपने अभियांत्रिकी स्कंध होते हुए लगभग सभी निर्माण कार्यों में एन.आई.टी को जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदन नहीं लिया था।

(पैरा 5.3)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. के निर्माण कार्यों के बाद विभागीय निर्माण कार्यों तथा पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में अधिक विचलन थे। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि विस्तृत अनुमानों में उल्लेखित निर्माण कार्य के मदों की संख्या वास्तविक नहीं थी तथा विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित थी तथा स्थल परिस्थितियों के अनुसार थी।

(पैरा 5.4)

- जांच किये गये 710 निर्माण कार्यों में से, 405 निर्माण कार्यों में 1 से लेकर 66 महीनों तक का विलंब हुआ था। सभी एजेंसियां निर्माण कार्य को पूरा करने में विलंब में लगभग समान स्तर पर थे। कार्य के पूर्ण होने में विलंब के परिणामस्वरूप लागत सूचकांक के बढ़ने के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई तथा परिहार्य वित्तीय भार उत्पन्न हुआ।

(पैरा 5.5)

- सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में काफी बचतें हुई थीं। सी.पी.डब्ल्यू.डी. में ₹172.85 करोड़ की कीमत के 129 निर्माण कार्यों तथा एन.बी.सी.सी. में ₹71.71 करोड़ के 13 निर्माण कार्यों में काफी बचतें पाई गई थी। यह बजटीकरण एवं व्यय संस्वीकृति में खराब वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(पैरा 5.7)

5. गुणवत्ता आश्वासन, मॉनीटरिंग, परिसंपत्तियों का उपयोग एवं अनुरक्षण

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. के गुणवत्ता आश्वासन स्कंध द्वारा निरीक्षण का कोई अभ्यास नहीं था। इसके अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.ओ. अर्थात् एन.बी.सी.सी., एन.पी.सी.सी. एक ई.पी.आई.एल., एच.पी.एल. आदि में गुणवत्ता आश्वासन स्कंध नहीं थे। इसकी अनुपस्थिति में, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा इमारत की गुणवत्ता पर दिया गया आश्वासन संदेहास्पद था।

(पैरा 6.1.1)

- गुणवत्ता जांच चूकें अर्थात् पदार्थ एवं जल की जांच न होना, वास्तविक रूप से इस्तेमाल किए गए, के अलावा ब्रैंड की टेस्टिंग, असंस्वीकृत ब्रैंड का उपयोग आदि सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में पाए गए थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा साइट दौरे/भौतिक जांच के दौरान खराब गुणवत्ता के निर्माण कार्य अर्थात् क्वार्टरों में दीवारों में दरारें, दीवारों से प्लास्टर का उतरना, सड़कों में दरारें, रिहायशी क्वार्टरों में रिसाव आदि पाए गए थे।

(पैरा 6.1.2)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. के 98 प्रतिशत निर्माण कार्यों मे सी.ए.पी.एफ. तथा पी.डब्ल्यू.ओ के 100 प्रतिशत निर्माण कार्य (84 प्रतिशत निर्माण कार्यों के साथ एन.बी.सी.सी. को छोड़कर) तथा सी.ए.पी.एफ. के विभागीय निर्माण कार्यों के बीच तीसरे दल द्वारा निरीक्षण हेतु एम.ओ.यू. में प्रावधान नहीं बनाया गया था।

(पैरा 6.1.5)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास वेब आधारित परियोजना प्रणाली थी परंतु डाटा न तो सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सी.ए.पी.एफ. को प्रदान किया गया था और न ही सी.ए.पी.एफ. ने इसके लिए कहा था।

(पैरा 6.2.1.6)

- विद्युत आपूर्ति के लिए बिना किसी प्रावधान, सक्रिय करने में विलंब आदि जैसी कमियों के कारण कई मामलों में विभिन्न आवासीय एवं कार्यालय इमारतें प्रदान नहीं की जा सकी तथा इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सका था। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित इमारतों को कई मामलों में अपेक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था।

(पैरा 6.3.1 एवं 6.3.2)

- सी.ए.पी.एफ. के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का रखरखाव पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि इमारत के रखरखाव के लिए कोई प्रावधान उनके एम.ओ.यू. में शामिल नहीं था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. इन इमारतों का रखरखाव करने के लिए इस तथ्य पर तैयार नहीं था कि यह इमारतें उनके द्वारा निर्मित नहीं थीं। पी.डब्ल्यू.ओ. जिसने इनका निर्माण किया था, वह रखरखाव के लिए अत्यधिक प्रभार अर्थात् अभिकरण प्रभार के रूप में निर्माण की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत तक की मांग कर रहा था।

(पैरा 6.4)

6. वित्तीय अनियमितताएं

- 20 चयनित निर्माण कार्यों में, सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को ₹87.64 करोड़ तक की राशि के लामबंदी अग्रिम दिए गए थे, परंतु कार्यकारी एजेंसियों द्वारा लामबंदी अग्रिम के लिए कोई अलग परियोजना खाता नहीं रखा गया था।

(पैरा 7.1)

- यद्यपि निर्माण कार्यों को पूरा करने में 56 महीनों तक के विलंब थे, ठेकेदारों पर ₹19.86 करोड़ के क्षतिपूर्ति/परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) प्रभार नहीं लगाए गए थे।

(पैरा 7.2)

- ठेकेदारों/पी.डब्ल्यू.ओ. को संविदात्मक शर्त से अधिक के ₹6.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। मूल्य सूचकांक की गलत गणना, श्रमिक दरों, सीमेंट एवं इस्पात दरों आदि की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से अतिरिक्त भुगतान हुए थे।

(पैरा 7.3)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. ठेकेदारों से ₹4.26 करोड़ की राशि वैधानिक वसूलियों अर्थात् निर्माणकर्ता अनुबंध कर, श्रमिक उपकर, स्रोत पर काटा गया आयकर (टी.डी.एस.), मूल्यवर्धित कर (वैट) तथा रॉयल्टी की वसूली करने में विफल रहे थे।

(पैरा 7.5)

7. निर्माण गतिविधियों में बल-वार तुलना

- असम राइफल (ए.आर.) ने अपने निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नामांकन आधार पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा अन्य चयनित पी.डब्ल्यू.ओ. (100 प्रतिशत) को निर्माण कार्य प्रदान नहीं किया था, जबकि बी.एस.एफ. (21 प्रतिशत) तथा सी.आर.पी.एफ. (20 प्रतिशत) ने पी.डब्ल्यू.ओ. को प्राथमिकता दी थी, अन्य बलों ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को प्राथमिकता दी थी।

(पैरा 8.1)

- एस.एस.बी. में 45 प्रतिशत तथा सी.आर.पी.एफ. में 44 प्रतिशत चयनित निर्माण कार्यों ने प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (ए.ए.एवं ई.एस.) देने में विलंब किया था।

(पैरा 8.3)

- एन.एस.जी. के 57 प्रतिशत निर्माण कार्य तथा आई.टी.बी.पी. के 47 प्रतिशत निर्माण कार्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा 6 महीनों के पश्चात प्रदान किया गया था। उसी प्रकार, सारे सी.ए.पी.एफ. में लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया था। यह सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा समन्वय की कमी तथा प्रभावी रूप से समय सीमाएं न लगाने को दर्शाता है।

(पैरा 8.5)

- वित्तीय अनियमितताएं अर्थात् वैधानिक वसूलियों की वसूली न होना, परिनिर्धारित क्षतियों, लामबंदी अग्रिम का गैर समायोजन तथा कार्यकारी एजेंसियों/ठेकेदारों से उस पर ब्याज सी.आर.पी.एफ. में सुस्पष्ट थे जिसका अनुसरण सी.आई.एस.एफ. तथा ए.आर. द्वारा किया गया था।

(पैरा 8.6)

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

- एम.एच.ए./सरकार को पी.डब्ल्यू.ओ. के चयन के लिए वर्तमान प्रणाली में सुधार करना चाहिए ताकि पी.डब्ल्यू.ओ. में प्रतियोगिता की भावना आए और गुणवत्ता एवं निष्पादन में सुधार के साथ निर्माण की लागत भी कम हो जाए।
- एम.एच.ए. उचित स्तरों पर नियमित बैठकों के संरचनाबद्ध तंत्र की शुरूआत के माध्यम से राज्यों के साथ प्रशासनिक मुद्दों का निपटान करके सामयिक आधार पर भूमि का अधिग्रहण करने में सी.ए.पी.एफ. के लिए सरल बना सकता है।
- एम.एच.ए. को सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु एक वर्ष एवं सात दिनों की समय सीमा को पुनः बनाना चाहिए क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा छानबीन किए गए किसी भी मामले में ऐसा नहीं पाया गया था। सर्वेक्षण के दौरान सी.ए.पी.एफ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि भूमि सभी ऋणभार से मुक्त हो।
- सी.ए.पी.एफ. को पी.ई. प्रस्तुत करने तथा ए.ए. एवं ई.एस. प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह बाद के स्तरों के दौरान समय में बढ़ोत्तरी को कम करने में मदद कर सकता है।
- सी.ए.पी.एफ. को विभागीय रूप से निर्माण कार्य करवाने के लिए मानकों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि योजना बनाने एवं निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. की तुलना में यह बेहतर नहीं था।
- सी.ए.पी.एफ. को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण कार्यों की जांच पी.डब्ल्यू.ओ. के गुणवत्ता आश्वासन स्कंध द्वारा की जाती हो। अन्य पक्ष निरीक्षण खंडों को गुणवत्ता आश्वासन स्तरों में बढ़ोत्तरी के लिए एम.ओ.यू. में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- सी.ए.पी.एफ. को सार्थक परिणामों को लाने के लिए मौजूदा मॉनीटरिंग तंत्र का व्यवहारिक उपयोग करना चाहिए।
- सी.ए.पी.एफ. ने अपने प्राथमिकता आकलन को केवल निर्माण गतिविधियों के पश्चात् ही शुरू किया था ताकि अभिप्रेत उद्देश्य के लिए इमारतों को तुरंत उपयोग में लाया जा सके।
- सी.ए.पी.एफ. को अपने रखरखाव के लिए एम.ओ.यू. में इमारतों के अनुरक्षण के लिए प्रावधान सम्मिलित करना चाहिए। इंजीनियरिंग स्कंधों वाले सी.ए.पी.एफ. को इस प्रक्रिया को आंतरिक रूप से शुरू करना चाहिए।



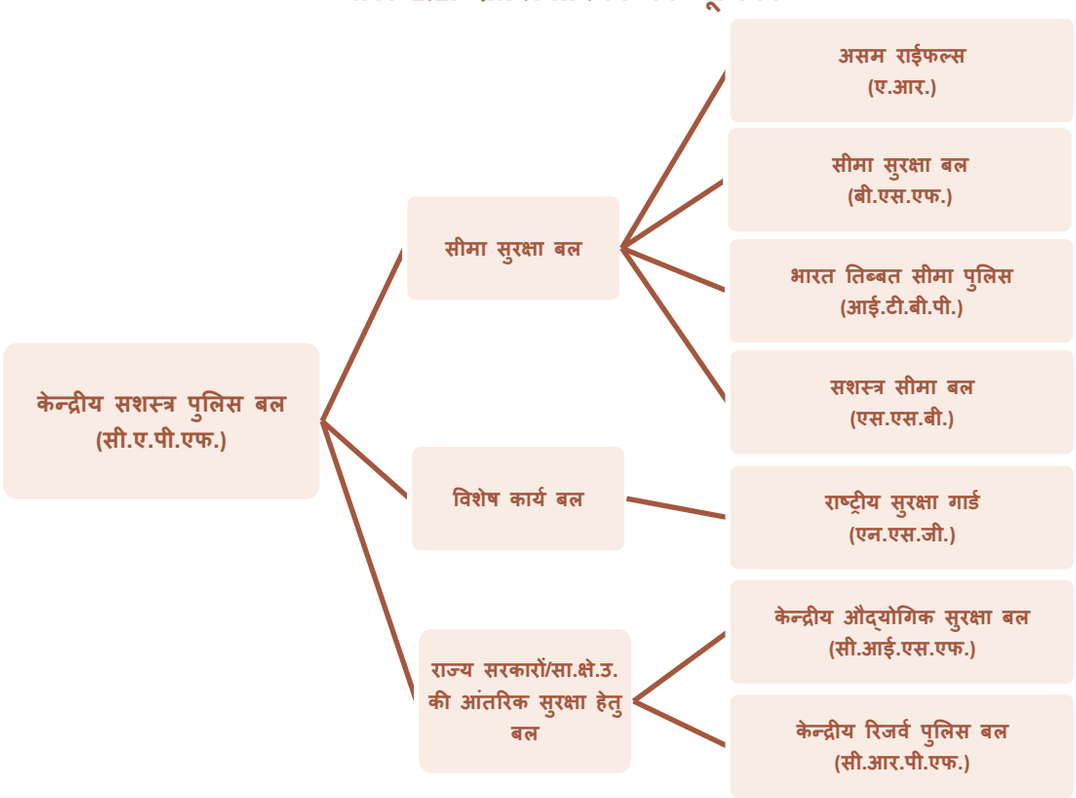
अध्याय – I

प्रस्तावना

1.1 लेखापरीक्षा के संबंध में सामान्य सूचना

गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के पास, देश की आंतरिक सुरक्षा प्राथमिक होने से, उत्तरदायित्वों का एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.)[1] का प्रबंधन शामिल है। भारत के संघ के सात सशस्त्र पुलिस बल एम.एच.ए. के आधिकारिक नियंत्रण के अधीन हैं। इन सी.ए.पी.एफ. का उनकी भूमिकाओं के साथ अवलोकन का नीचे विवरण दिया गया है:

चार्ट: 1.1: सी.ए.पी.एफ. की भूमिका

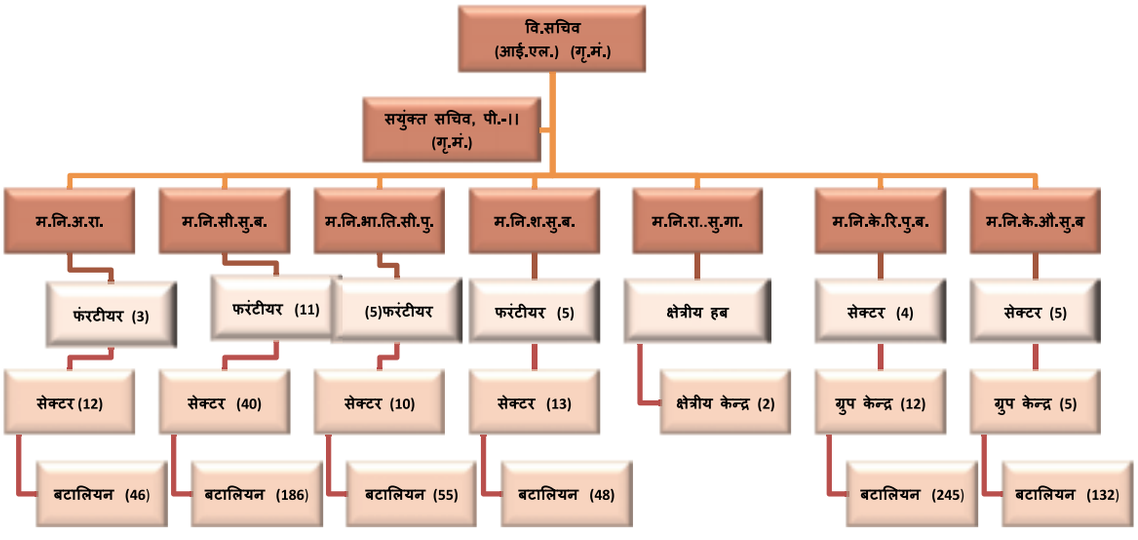


[1] मार्च 2011 से, जबकि अन्य सभी बलों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) के रूप में पुन: नामित किया गया है फिर भी असम राइफल्स एक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल (सी.पी.एम.एफ.) है तथापि, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु सी.ए.पी.एफ., असम राईफल को भी इसमें शामिल किया गया है।

इनमें से, ए.आर., बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. तथा एस.एस.बी.[2] "सीमा की सुरक्षा करने वाले बल" हैं जबकि सी.आर.पी.एफ. लोक आदेश के अनुरक्षण से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को सहायता प्रदान करता है। सी.आई.एस.एफ. मुख्य प्रतिस्थापनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.), हवाई अड्डों, औद्योगिक इकाइयों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करता है। एन.एस.जी. आतंकवाद का मुकाबला करने तथा अपहरण विरूद्ध संक्रियाओं हेतु एक विशिष्ट बल है तथा उसे अ.वि.व्य. की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा गया है।

1.2 बलों का आर्गेनोग्राम

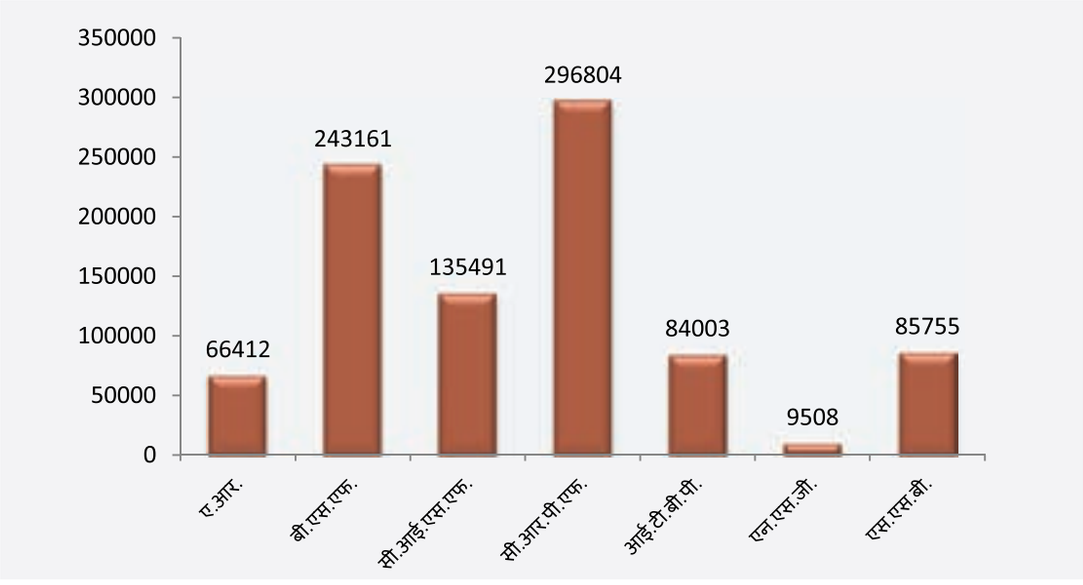
चार्ट -1.2: सी.ए.पी.एफ. का संगठानात्मक चार्ट



एम.एच.ए. की अध्यक्षता गृह सचिव द्वारा की जाती है जिसे विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एस.एस. (आई.एस.) के अंतर्गत एम.एच.ए. का पुलिस ।। प्रभाग जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है, सभी सी.ए.पी.एफ. के निर्माण कार्यों के संबंध में मामलों को संसाधित करने हेतु उत्तरदायी है। असम राईफल्स, जिसका मुख्यालय शिलांग, मेघालय में है, के सिवाय प्रत्येक सी.ए.पी.एफ. की अध्यक्षता दिल्ली में मुख्यालय सहित महानिदेशक द्वारा की जाती है। इन सी.ए.पी.एफ. की बटालियनों की संख्या सहित संस्वीकृत कार्यबल को नीचे दर्शाया गया है:

[2] असम राईफल हेतु ए.आर. जैसी शब्दावलियों का इस दस्तावेज में उपयोग किया गया है।

चार्ट - 1.3: सी.ए.पी.एफ. का संस्वीकृत कार्यबल



सी.ए.पी.एफ. पूरे देश मे फैले हुए हैं जिनमें से अधिकांश दूरवर्ती/सीमा क्षेत्रों में हैं। प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु इन बलों को कार्यालय परिसरों, प्रशिक्षण केन्द्रों, आवासीय भवनों (बैरेक सहित) तथा सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु बोर्डर आउट पोस्टों (बो.आ.पो.) की आवश्यकता है।

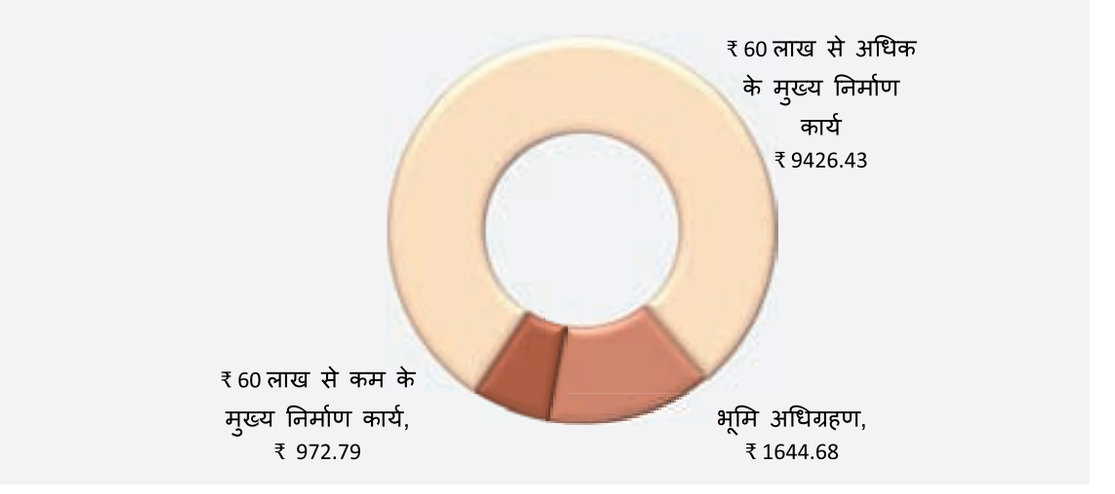
निर्माण कार्यों हेतु सी.ए.पी.एफ. राज्य सरकारों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करते हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) जैसे सरकारी कार्यकारी अधिकरणों तथा अन्य लोक निर्माण संगठनों (पी.डब्ल्यू.ओ.) जैसे कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (ई.पी.आई.एल.) तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (रा.प.नि.नि.लि.), हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड (हि.प्री.लि.) आदि के माध्यम से कार्यों को पूरा करते हैं। सी.ए.पी.एफ. अर्थात् बी.एस.एफ., एस.एस.बी., ए.आर., आई.टी.बी.पी. तथा एन.एस.जी. में अपने स्वयं के अभियांत्रिकी स्कंध हैं जो मरम्मत तथा नवीकरण कार्यों के अतिरिक्त ₹60 लाख की अनुमानित लागत तक निर्माण कार्यों का निष्पादन भी करते हैं।

1.3 मंत्रालय द्वारा बजटीकरण

भूमि के अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यों हेतु एम.एच.ए. इन सी.ए.पी.एफ. को पूंजीगत (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत बजट का आबंटन करता है। मुख्य निर्माण कार्यों में बजट तीन उप शीर्षों अर्थात् कार्यालय भवन (ओ.बी.), आवासीय भवन (आर.बी.) तथा बोर्डर आउट पोस्ट (बी.ओ.पी.) के अंतर्गत आवंटित किया जाता है। 2008-09 से 2013-14 के दौरान मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत बल-वार बजट तथा व्यय को **अनुबंध -1.1**

में प्रस्तुत किया गया है। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों सहित मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 12043.90 करोड़ था जैसा नीचे दिया गया है:

चार्ट 1.4: 2008-09 से 2013-14 के दौरान सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण सहित निर्माण कार्यों पर (₹ करोड़ में)



1.4 इस विषय का चयन करने का मूलाधार

एम.एच.ए. की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि एम.एच.ए. के योजनागत व्यय का एक बड़ा भाग सी.ए.पी.एफ. ने निर्माण कार्यों हेतु चिन्हित किया गया था। सी.ए.पी.एफ. को उनके मुख्यालयों तथा फील्ड कार्यालयों सहित सी.ए.पी.एफ. की हमारी लेखापरीक्षा के पिछले अनुभव ने प्रकट किया कि भूमि के अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब का परिणाम न केवल लागत एवं समय की वृद्धि में हुआ परंतु इसने प्राप्तकर्ताओं को निर्माण कार्यों के सामयिक लाभ प्राप्त करने से भी वंचित किया। चूंकि सी.ए.पी.एफ. में निर्माण कार्यों पर अब तक कोई निष्पादन लेखापरीक्षा नहीं की गई इसलिए इस मामले को लेने का निर्णय किया गया था। चूंकि यह प्रतिवेदन भूमि अधिग्रहण, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निर्माण कार्यों, सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण तथा उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देती है इसलिए यह कार्यकारी अभिकरणों सहित एम.एच.ए., सी.ए.पी.एफ. हेतु उपयोगी होगा।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

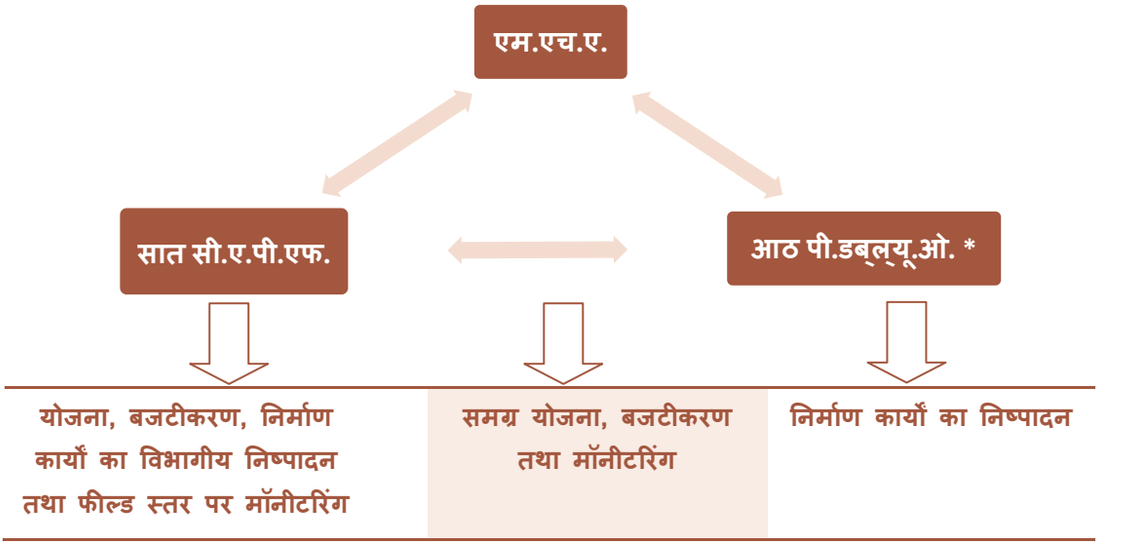
निष्पादन लेखापरीक्षा सी.ए.पी.एफ. में निर्माण कार्यों में मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता को जांच करने की दृष्टि से की गई थी। विशिष्ट लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. क्या निधारित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त भूमि का समय पर लागत प्रभावी प्रकार से अधिग्रहण किया था तथा निर्माण हतु उपलब्ध कराया गया था।
2. क्या संबंधित अभिकरणों ने निर्माण कार्य के दौरान वित्तीय औचित्य का अनुपालन किया था।
3. क्या निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा तथा लागत के भीतर सुसंगत सरकारी नियमों तथा विनियमों के अनुसार किया गया था।
4. क्या भूमि अधिग्रहण तथा किए गए निर्माण के पीछे प्रत्याशित उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया था।
5. क्या कार्यकारी अभिकरणों सहित एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. ने उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्थ मॉनीटरिंग प्रक्रिया का अनुपालन किया था।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विस्तार

निष्पादित लेखापरीक्षा स्वंय सी.ए.पी.एफ. द्वारा अथवा विभिन्न पी.डब्ल्यू.ओ. के माध्यम से किए गए ₹ 10 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों तक सीमित थी। मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत उन कार्यों, जिन्हें पी.डब्ल्यू.ओ. के साथ-साथ सी.ए.पी.एफ. के आभियांत्रिकी स्कंध द्वारा निष्पादित किया गया था, का यादृच्छिक नमूना के माध्यम से चयन किया गया था। मुख्य कार्यों तथा लेखापरीक्षित आभिकरणों को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र



आठ पी.डब्ल्यू.ओ. : राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन.बी.सी.सी.), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (इ.पी.आई.एल.), राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.सी.एल.), हिन्दुस्तान प्रोफेव लिमिटेड (एच.पी.एल.), दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.), जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (जे.के.पी.सी.सी.), विद्युत बोर्ड मणिपुर (ई.सी.बी.), उत्तर प्रदेश जल निगम (यू.पी.जे.एन.),

लेखापरीक्षा क्षेत्र ने 2008-09 से 2013-14 की अवधि को शामिल किया; परंतु भूमि अधिग्रहण मामलों तथा लेखापरीक्षा अवधि से पहले संस्वीकृत निर्माण कार्य जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान चल रहे थे, को भी शामिल किया गया था। फील्ड लेखापरीक्षा सभी राज्यों में निर्माण कार्यों को शामिल करते हुए पूरे देश में स्थित नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा कार्यालयों के माध्यम से की गई थी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को शामिल नहीं किया गया है:

- ₹ 10 लाख से नीचे के मुख्य निर्माण कार्य तथा सी.ए.पी.एफ. द्वारा किए गए लघु निर्माण कार्य
- एम.एच.ए. के सीमा प्रबंधन प्रभाग के माध्यम से वित्तपोषित बोर्डर आउट पोस्टों (बी.ओ.पी.), की परियोजनाएं

1.7 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत

सी.ए.पी.एफ. द्वारा किए गए निर्माण कार्यों, मंत्रालय तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के निष्पादन को निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर मूल्यांकित किया गया था:

i) सी.पी.डब्ल्यू.डी. की नियम पुस्तिका

ii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता

iii) सामान्य वित्तीय नियमावली

iv) निर्माण कार्य संविदा हेतु नीतियों तथा प्रक्रियाओं की नियमपुस्तिका

v) केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा निर्माण संविदा हेतु जारी दिशानिर्देश

vi) एम.एच.ए. द्वारा सी.ए.पी.एफ. को भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यों के संबंध में जारी दिशानिर्देश

vii) संबंधित लोक निर्माण संगठनों की नियमपुस्तिका तथा नीतियां (सी.पी.डब्ल्यू.डी. से अलग)

viii) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1.1.2014 से संशोधित),

ix) अन्य सुसंगत सरकारी नियम तथा विनियम

1.8 लेखापरीक्षा नमूना

भूमि अधिग्रहण मामलों तथा निर्माण कार्यों हेतु बल-वार नमूना का चयन लेखापरीक्षा समष्टि में एक विशेष बल से संबंधित मामलों की संख्या के अनुपात में इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था। नमूना आकार की गणना के पश्चात उन मामलों हेतु डाटा जहां पिछले 6 वर्षों में संस्वीकृतियां प्रदान की गई थीं, को क्रमबद्ध किया गया था। बहु-स्तरीय नमूना को निर्माण कार्यों से संबंधित मुख्य निर्माण कार्यों हेतु अपनाया गया था। वैज्ञानिक यादृच्छिक नमूना हेतु निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए गए थे:

तालिका-1.1; ₹ 60 लाख से अधिक की भूमि/निर्माण कार्यों के नमूना हेतु मापदण्ड

निर्माण कार्यों का विवरण	लेखापरीक्षा हेतु चयन की प्रतिशतता	कुल संख्या
भूमि अधिग्रहण मामले	20	132
₹ 5.00 करोड़ से अधिक लागत वाले निर्माण कार्य	33	418
₹ 60 लाख से ₹ 5 करोड़ तक की अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य	25	

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणियों में नमूने का चयन अनुवर्ती पैराग्राफों में प्रदत्त कार्य ढांचे के अनुसार संबंधित डी.जी./पी.डी. केन्द्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया गया है :

तालिका 1.2: चालू निर्माण कार्यों/भूमि मामलों तथा ₹ 60 लाख से कम के निर्माण कार्यों के नमूना हेतु मापदण्ड

निर्माण कार्य का विवरण	लेखा परीक्षा के लिए चयन का प्रतिशत
₹ 60 लाख से कम अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य	20 प्रतिशत (प्रत्यके बल से अधिकतम 5 निर्माण कार्यों के तहत)
01.04.2008 से पूर्व संस्वीकृत चालू निर्माण कार्य	100 प्रतिशत (अधिकतम 20 के तहत)
1 अप्रैल 2008 से पूर्व संस्वीकृत लंबित भूमि अधिग्रहण मामले	100 प्रतिशत (अधिकतम 20 के तहत)

इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान भूमि मामलों तथा निर्माण कार्यों में चयनित परिणामी कुल नमूने निम्नानुसार है:

तालिका -1.3: कार्य तथा भूमि मामलों के बल-वार चयन के ब्यौरे

		ए.आर.	बी.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आर.पी.एफ.	आई.टी.बी.पी.	एन.एस.जी.	एस.एस.बी.	कुल
भूमि मामले	कुल	11	156	12	62	33	7	333	**614**
	चयनित	5	35	6	13	8	3	62	**132**
₹60 लाख से अधिक के निर्माण कार्य	कुल	448	470	86	164	240	32	214	**1654**
	चयनित	115	105	21	51	65	08	53	**418**
₹10 से ₹ 60 लाख तक निर्माण कार्य	कुल	896	1242	154	277	105	42	109	**2825**
	चयनित	05	46	29	55	31	05	19	**190**
चालू	कुल	27	4	12	72	10	1	3	**129**
	चयनित	12	04	11	65	06	01	03	**102**
कुल भूमि मामले		5	35	6	13	8	3	62	**132**
कुल निर्माण कार्य		132	155	57	166	102	14	75	**710**

उपर्युक्त 132 भूमि अधिग्रहण मामलों तथा 710 निर्माण कार्यों की सूची क्रमश: **अनुबंध 1.2** तथा **अनुबंध 1.3** में प्रस्तुत की गई है।

1.9 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में प्रवेश सम्मेलन, एम.एच.ए. सी.ए.पी.एफ. तथा विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों/दस्तावेजों की संवीक्षा, संबंधित अधिकारियों के साथ मुलाकात तथा फोटो प्रमाण के संग्रहण सहित स्थलों के भौतिक निरीक्षण शामिल है।

प्रवेश सम्मेलन का महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) द्वारा एम.एच.ए. के संयुक्त सचिव सहित सी.ए.पी.एफ. के सभी प्रतिनिधियों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को स्पष्ट करने हेतु 12 जून 2014 को आयोजन किया गया था। फील्ड लेखापरीक्षा जून तथा दिसम्बर 2014 के बीच की गई थी। सभी फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों ने भी लेखापरीक्षा आरम्भ किए जाने से पहले अपने संबंधित लेखापरीक्षा क्षेत्र में लेखापरीक्षिति संगठनों के साथ प्रवेश सम्मेलनों का आयोजन किया था।

सी.ए.पी.एफ. की फील्ड इकाईयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों को उनके उत्तरों हेतु जनवरी-मार्च 2015 में ड्राफ्ट अभिकरण-विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सूचित की गई थीं। सम्मेलन का आयोजन उपयुक्त स्तरों पर सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के केन्द्रीय कार्यालय में किया गया था। एक निर्गम सम्मेलन, जो विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) तथा महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) की सह-अध्यक्षता में हुआ, का आयोजन एम.एच.ए., सी.ए.पी.एफ. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. से प्रतिनिधियों के साथ एम.एच.ए. में 29 मई 2015 को किया गया था। विभिन्न स्तरों पर इन अभिकरणों के उत्तरों की जांच की गई है तथा उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। निर्गम सम्मेलन में एम.एच.ए. से प्रतिक्रियाओं तथा उनके उत्तरों को भी इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते हुए ध्यान रखा गया है।

1.10 कार्य क्षेत्र की सीमा

हमारे उत्तम प्रयासों तथा बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद कुछ अभिलेख तथा सूचना, जैसा **अनुबंध 1.4** में ब्यौरा दिया गया है, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

1.11 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग एम.एच.ए. तथा सात सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सहायता का आभार प्रकट करता है। लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना तथा अभिलेख प्रदान करने में कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सहायता का भी हम आभार प्रकट करते है।



अध्याय – II

योजना एवं बजटीकरण

2.1 निर्माण गतिविधियों की योजना

सी.ए.पी.एफ. में निर्माण हेतु योजना में कार्य के निम्नलिखित दो स्ट्रीम शामिल हैं:

(i) एम.एच.ए. के युद्धनीतिक निर्णयों के भाग के रूप में प्रस्तुत नई बटालियनों/ सेक्टरों का निर्माण

(ii) नियमित निर्माण कार्य जो नए निर्माण अथवा बड़ी मरम्मत हो सकती है।

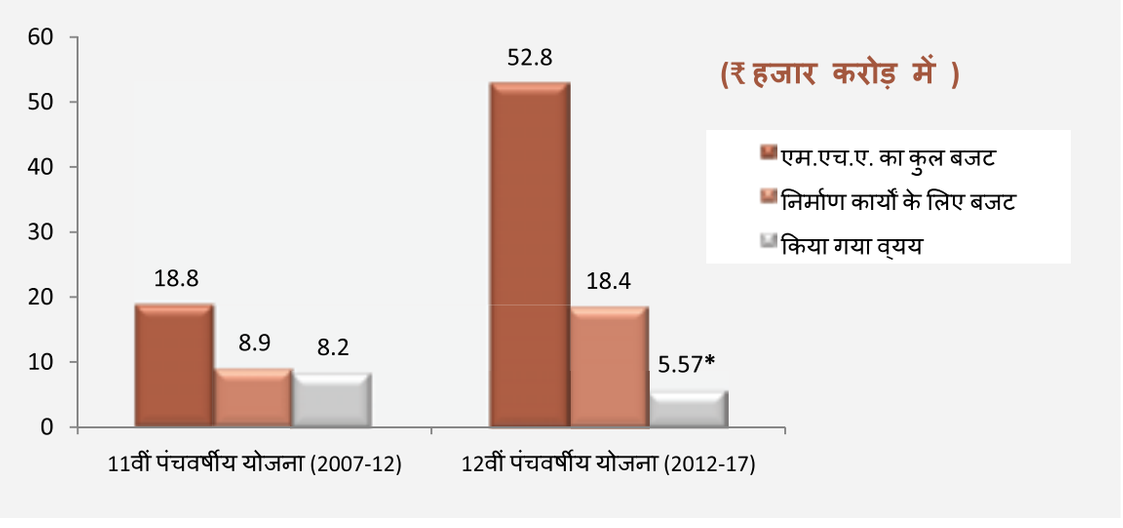
एम.एच.ए. सुरक्षा आवश्यकताओं तथा विभिन्न सुरक्षा एवं खुफिया अभिकरणों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के पश्चात सीमा की सुरक्षा कर रहे बलों तथा एन.एस.जी.. की बटालियनों को बढ़ाने का निर्णय करता है। सी.आई.एस.एफ. के सिवाय अन्य सी.ए.पी.एफ. हेतु एम.एच.ए. समय-समय पर संख्या की समीक्षा करता है तथा तदनुसार उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बटालियनों, सेक्टर, फ्रंटीयर कार्यालयों आदि जैसी इकाईयों की संख्या बढ़ाता है। सी.आई.एस.एफ. में इकाईयों को पी.एस.यू. आदि जैसी स्थापनाओं, जिनके लिए सी.आई.एस.एफ. इकाईयों को तैनात करने का निर्णय लेता है, की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ायी जाती है। कार्यालय बिल्डिंगों तथा आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता तब होती है जब बटालियनों तथा अन्य कार्यालयों को एम.एच.ए. द्वारा संस्वीकृत किया गया हो। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. में निम्नलिखित इकाईयों की स्थापना को संस्वीकृत किया:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सी.ए.पी.एफ. में संस्वीकृत तथा बढ़ाए जाने वाली इकाईयों के ब्यौरे

बल का नाम	डी.जी. कार्यालय		डी.आई.जी. कार्यालय		बटालियन	
	संस्वीकृत	बढ़ाए गए	संस्वीकृत	बढ़ाए गए	संस्वीकृत	बढ़ाए गए
ए.आर.	1	1	3	3	5	5
बी.एस.एफ.	3	3	7	7	29	29
सी.आई.एस.एफ.	0	0	0	0	4	0
सी.आर.पी.एफ.	6	6	4	4	31	31
आई.टी.बी.पी.	1	1	4	4	16	16
एन.एस.जी.	4 हब	4 हब	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
एस.एस.बी.	3	2	9	7	32	26
कुल	**14+(4 हब)**	**13+(4 हब)**	**27**	**25**	**117**	**107**

ऊपर वर्णित सूचनाओं से, बल एक परिप्रेक्ष्य पंचवर्षीय निर्माण योजना तैयार करते हैं। प्रत्येक सी.ए.पी.एफ. के महानिदेशक (डी.जी.) की स्वीकृति के पश्चात् इन्हें एम.एच.ए. को प्रेषित किया जाता है। यह योजनाएं अंतिम रूप रेखा हैं जिसके आधार पर सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु बजटीय आवश्यकता तैयार की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजनागत कार्यों को बलों द्वारा 2011-12 में एम.एच.ए. को प्रस्तुत किया गया था। 2010-11 तक एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. को निर्माण कार्यों हेतु बजट का दोनों योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत आबंटन किया था। तथापि, 2011-12 से एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. को निर्माण गतिविधियों हेतु बजट का केवल योजनागत शीर्ष के अंतर्गत आबंटन करना प्रारम्भ कर दिया था। 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति नीचे दर्शाई गई के अनुसार है:

चार्ट-2.1: 11वीं तथा 12वी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण कार्यों का बजट तथा व्यय



12वीं पंचवर्षीय योजना - व्यय आंकड़े को 2013-14 तक दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ए.पी.एफ. की बिल्डिंगों तथा अन्य सम्बद्ध अवसंरचनाओं के विकास हेतु एक निर्धारित नियोजित प्रणाली थी। सभी सी.ए.पी.एफ. ने निर्माण गतिविधियों हेतु पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थी तथा 2008-09 से 2013-14 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उनकी अनुपालना की।

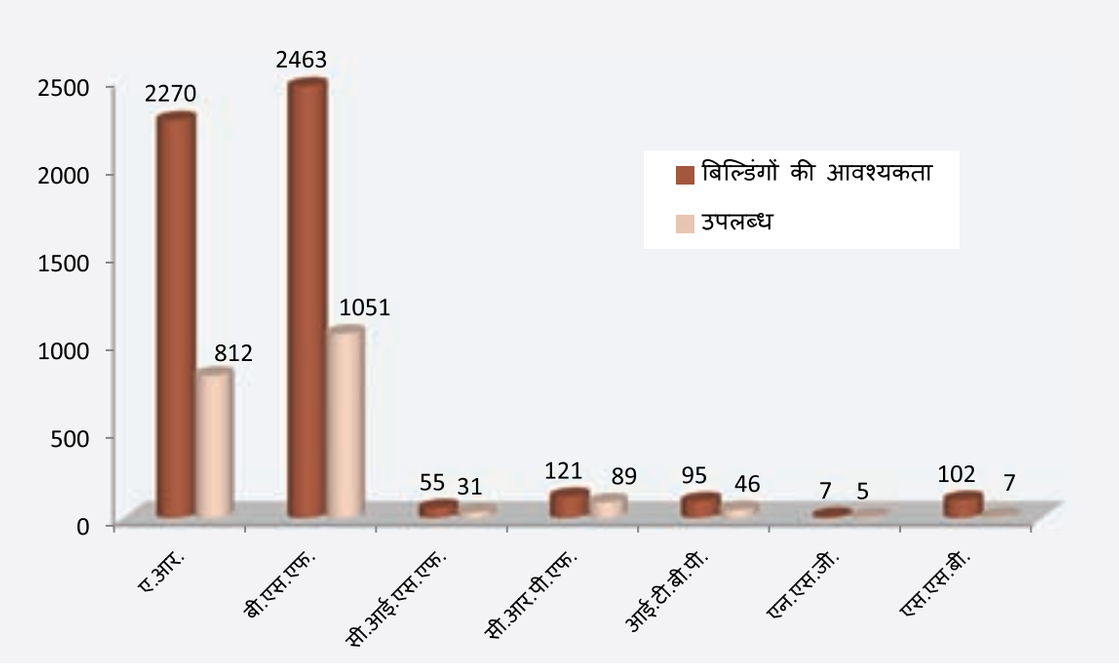
2.2 कार्यालय एवं आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता

कार्यालयों तथा आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता सी.ए.पी.एफ. के आभियंत्रिकी स्कंध द्वारा निर्धारित की जाती है जो फील्ड से सूचनाओं अथवा नई इकाईयों हेतु जैसा एम.एच.ए. द्वारा निर्णय पर आधारित होती है। यह संस्वीकृत बल तथा कार्यालयों एवं मकानों के लिए स्थान की आवश्यकता पर आधारित है। लेखापरीक्षा ने 31.3.2014 को

कार्यालय तथा आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता, जैसा अनुवर्ती पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है; पर सी.ए.पी.एफ. तथा एम.एच.ए. से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया गया था।

2.2.1 कार्यालय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता

चार्ट-2.2: सी.ए.पी.एफ. में कार्यालय बिल्डिंगों की स्थिति

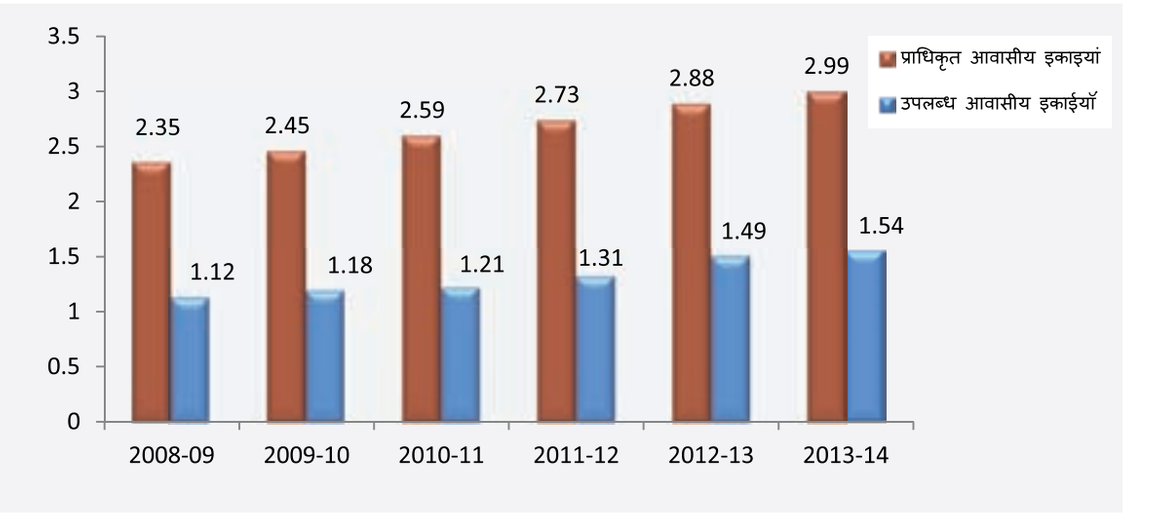


यह डाटा सी.ए.पी.एफ. में निर्माण कार्यों की योजना का आधार बनता है जो पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक बजटीय आवश्यकता में परिणत होता है। यह पाया गया था कि 5113 कार्यालय बिल्डिंगों की आवश्यकता के प्रति केवल 2041 उपलब्ध थीं। सी.ए.पी.एफ. में कार्यालय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता में बड़ा अंतर था जो मार्च 2014 को ऊपर बताई गई स्थिति से सुस्पष्ट है। लेखापरीक्षा ने अनुभव किया कि इकाईयों तथा बटालियनों को बढ़ाने को संस्वीकृत करते समय कार्यालय तथा आवासीय बिल्डिंगों के निर्माण हेतु पर्याप्त संस्वीकृतियों को जोड़ा नहीं गया था। कमी, जो उपयुक्त कार्यालय बिल्डिंगों तथा कार्य करने का वातावरण प्रदान करने में एस.एस.बी. के मामले में अधिक सुस्पष्ट थी, बलों के कार्य करने में बाधा डालेगी।

2.2.2 आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता

सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों हेतु आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का बलों के मनोबल पर एक महत्वपूर्ण भार है क्योंकि वह दूरवर्ती क्षेत्रों में लम्बे समय तक कार्य करते हैं तथा टेंटों एवं बैरकों में रहते हैं। 2008-09 की अवधि के दौरान सी.ए.पी.एफ. की वर्ष-वार प्राधिकृत तथा उपलब्ध आवासीय इकाईयां निम्नानुसार थीं:

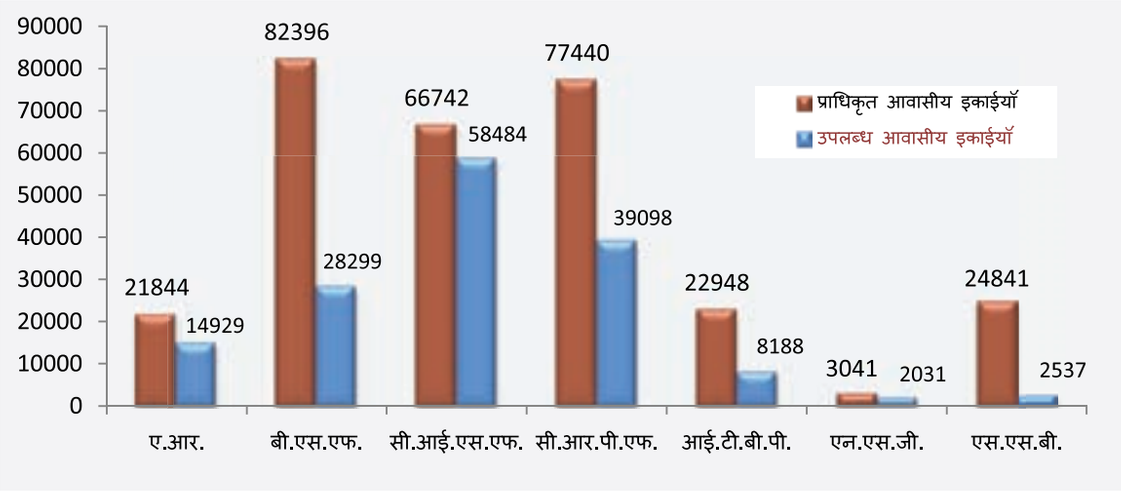
चार्ट-2.3: सी.ए.पी.एफ. हेतु वर्ष-वार प्राधिकृत तथा उपलब्ध आवासीय इकाईयॉ (लाख में)



उपरोक्त से यह सुस्पष्ट था कि सी.ए.पी.एफ. की प्राधिकृत आवासीय इकाईयों में 2008-09 से 2013-14 के दौरान 2.35 लाख से 2.99 लाख तक वृद्धि हुई परंतु सी.ए.पी.एफ. हेतु उपलब्ध आवासीय इकाईयों में उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 1.12 लाख से 1.54 लाख तक बढ़ी। सी.ए.पी.एफ. हेतु आवासीय इकाईयों में कमी 1.23 लाख से 1.45 लाख के बीच थी जो सी.ए.पी.एफ. हेतु आवासीय इकाईयों के प्राधिकरण तथा उपलब्धता के बीच किसी तुल्यकालन को नहीं दर्शाती थी।

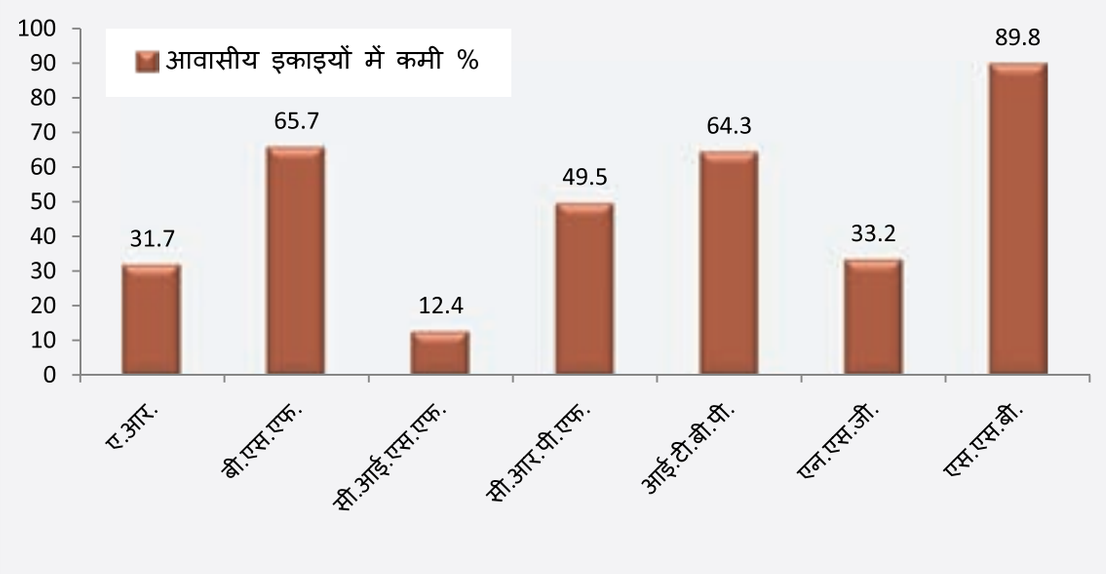
2013-14 के दौरान आवासीय स्थानों के प्राधिकरण तथा उपलब्धता की बल-वार स्थिति नीचे दर्शाई गई के अनुसार थी:

चार्ट-2.4 : प्राधिकृत एवं उपलब्ध आसवासीय इकाईयों की वर्ष-वार स्थिति



मार्च 2014 को सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों हेतु प्राधिकृत की तुलना में उपलब्ध आवासीय इकाईयों का 50 प्रतिशत से अधिक होने से, विशेष रूप से एस.एस.बी., बी.एस.एफ. तथा आई.टी.बी.पी. हेतु, बल-वार स्थिति बड़ा अंतर दर्शाती है।

चार्ट-2.5 : आवासीय इकाईयों की कमी प्रतिशत में



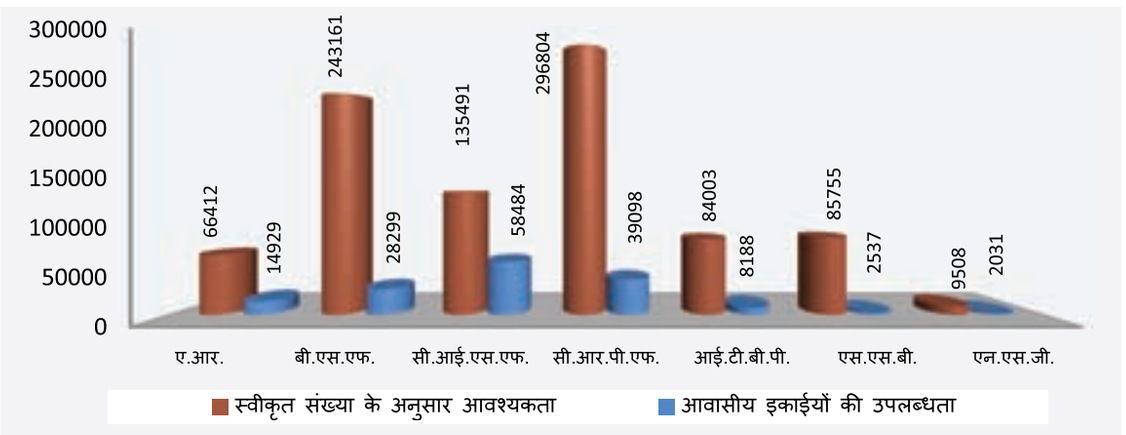
12.4 प्रतिशत की न्यूनतम कमी सी.आई.एस.एफ. के मामले में थी क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों (सा.क्षे.इ.) में तैनात सी.आई.एस.एफ. टुकड़ियों हेतु आवास स्थान ग्राहक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) द्वारा प्रदान किया जाना था। उपर्युक्त स्थिति ने दर्शाया कि एम.एच.ए. सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों हेतु प्राधिकृत आवासीय स्थान (अर्थात् एम.एच.ए. द्वारा संस्वीकृत) भी प्रदान करने में समर्थ नहीं था।

2.2.2.1 सी.ए.पी.एफ. में आवास संतुष्टि स्तर

सी.ए.पी.एफ. हेतु संस्वीकृत बल तथा उपलब्ध आवासीय इकाईयों के संबंध में संतुष्टि स्तर 2010-11 तक 14 प्रतिशत था। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के सुधार पर मंत्रियों के समूह ने 2010-11 के दौरान सी.ए.पी.एफ. में अन्य पदों हेतु संतुष्टि स्तर को 14 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी।

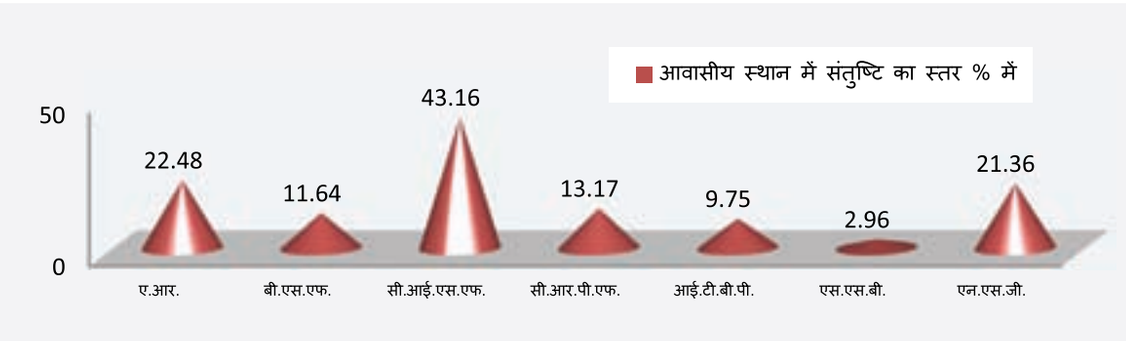
एम.एच.ए. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच ने प्रकट किया कि सी.ए.पी.एफ. में संतुष्टि स्तर को एम.एच.ए. द्वारा प्रत्येक बल में संस्वीकृत संख्या तथा आवासीय इकाईयों की उपलब्धता के आधार पर परिकलित किया गया था। 2013-14 के दौरान संस्वीकृत संख्या तथा आवासीय स्थानों की उपलब्धता के अनुसार बल-वार आवश्यकता की स्थिति निम्नानुसार थी:

चार्ट - 2.6: आवासीय इकाईयों की आवश्यकता तथा उपलब्धता की बल-वार स्थिति



प्रत्येक बल में संस्वीकृत संख्या तथा आवासीय इकाईयों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यकता के आधार पर मार्च 2014 को संतुष्टि स्तर परिकलित किया गया तथा नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट-2.7: सी.ए.पी.एफ. में आवासीय स्थान का संतुष्टि स्तर



* उपरोक्त डाटा अधिकारियों तथा अन्य पदों के बीच बिना अंतर के समग्र रूप में बलों से संबंधित है।

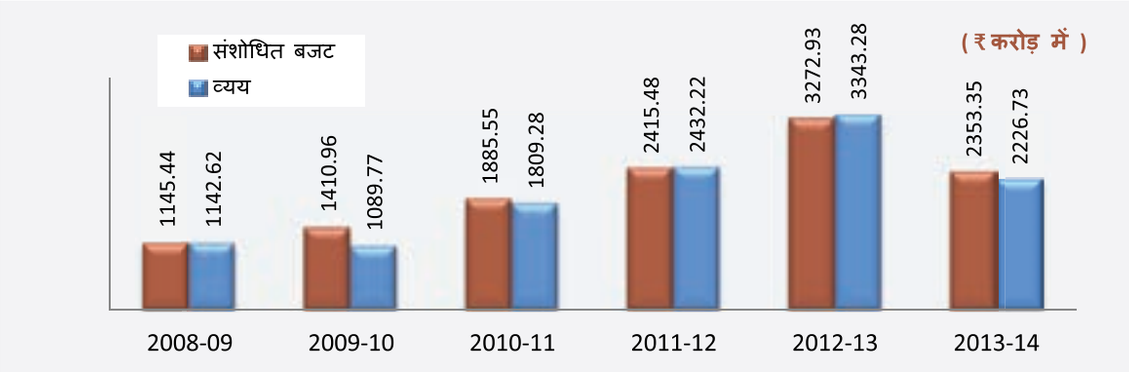
लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ए.पी.एफ. में आवासीय स्थान प्रदान करने में संतुष्टि स्तर निम्न था जो मार्च 2014 को 2.96 प्रतिशत से 22.48 प्रतिशत के बीच था। ए.आर. तथा एन.एस.जी. में संतुष्टि स्तर अधिक था जबकि सी.आई.एस.एफ. में यह अधिकतम था। यह इस तथ्य के कारण था कि सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों (पी.एस.यू.) में तैनात सी.आई.एस.एफ. इकाईयों हेतु आवास पी.एस.यू. द्वारा प्रदान किया जाना था तथा पी.एस.यू. आमतौर पर आवास प्रदान करने में समर्थ थीं। यह पाया गया था कि सी.आई.एस.एफ. की गैर-पी.एस.यू. इकाईयों हेतु संतुष्टि स्तर 13.61 प्रतिशत था क्योंकि इन इकाईयों हेतु आवास प्रदान करने का उत्तरदायित्व सी.आई.एस.एफ. तथा एम.एच.ए. का रहता है। शेष बलों में, संतुष्टि स्तर की स्थिति निम्न थी। एम.एच.ए. में अन्य पदों में संतुष्टि स्तर को सत्यापित करने हेतु, जैसे मंत्रियों के समूह द्वारा सिफारिश की गई थी, ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे क्योंकि डाटा अनुरक्षण अधिकारियों तथा अन्य पदों के बीच बिना किसी अंतर के किया गया था।

इस प्रकार, यह सुस्पष्ट था कि आवासीय इकाईयों की तुलना में प्राधिकृत आवासीय इकाईयों सी.ए.पी.एफ. में संस्वीकृत संख्या में वृद्धि के साथ बराबरी नहीं रख सकी थी।

2.3 बजटीकरण

एम.एच.ए. सभी बलों की कुल आवश्यकता को संकलित करता है तथा फिर उसे वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है जो एम.एच.ए. को बजट का आवंटन करता है जो बदले में उपलब्धता के अनुसार सी.ए.पी.एफ. में इसका संवितरण करता है। इस प्रकार सी.ए.पी.एफ. उनके पास बजट की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। 2008-09 से 2013-14 के दौरान मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत बल-वार बजट तथा व्यय को **अनुबंध 1.1** में प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मुख्य निर्माण कार्यों के बजट तथा व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

चार्ट - 2.8: भूमि अधिग्रहण मामलों सहित मुख्य निर्माण कार्यों हेतु संशोधित बजट तथा व्यय



उपर्युक्त व्यय सी.ए.पी.एफ. द्वारा 2008-09 से 2013-14 के दौरान मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यों पर किया गया था। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों सहित मुख्य निर्माण कार्यों पर कुल व्यय ₹12043.90 करोड़ था। जब बजटीय प्रतिबंध थे तो बलों को अति आवश्यक कार्यों हेतु उपलब्ध संसाधनों का आबंटन किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवश्यकता तथा आबंटित बजट के बीच अंतर सामान्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई आम कटौती का परिणाम था।

2.4 निर्माण गतिविधियों हेतु स्वीकृति प्रक्रिया

नई स्थापनाओं हेतु निर्माण कार्यों की प्रक्रिया बटालियनों/सेक्टर कार्यालय की स्वीकृति से आरम्भ होती है जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

चार्ट -2.9: निर्माण कार्यों हेतु संस्वीकृति प्रक्रिया के ब्यौरे



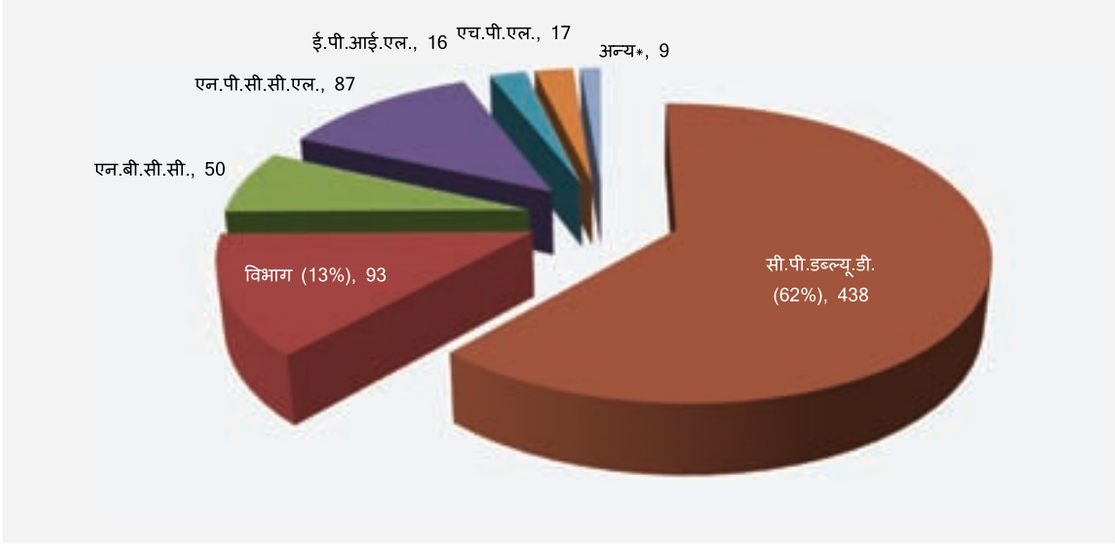
2.5 कार्यकारी अभिकरण का चयन

आवश्यक स्वीकृतियों के पश्चात, कार्यकारी अभिकरण के चयन के साथ निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है। कार्यकारी अभिकरण प्रारम्भिक अनुमान तैयार करती है जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की जाती है। सी.ए.पी.एफ. से प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्यकारी अभिकरण निविदा प्रक्रिया के माध्यम से योग्य ठेकेदार को कार्य प्रदान करते हैं तथा उनसे कार्य करवाते हैं।

जी.एफ.आर. का नियम 126 (2) बताता है कि एक मंत्रालय अथवा विभाग अपने स्वनिर्णय पर किसी भी मूल्य के मूल निर्माण कार्यों को किसी भी लोक निर्माण संगठनों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.), राज्य लोक निर्माण प्रभागों अथवा अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन जो सिविल अथवा इलेक्ट्रिक कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत है जैसे कि मिलीट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एम.ई.एस.), सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.), सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी संगठन पी.एस.यू. जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उनकी वित्तीय क्षमता तथा तकनीकी योग्यता के मूल्यांकन के पश्चात अधिसूचित किया गया है को सौंप सकता है। नियम 126(3) बताता है कि एक मंत्रालय अथवा विभाग शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श के पश्चात पी.डब्ल्यू.ओ. जैसा नियम 126(2) में परिभाषित है, के अलावा एक सुविख्यात तथा तकनीकी रूप से योग्य संगठन के माध्यम से भी निर्माण कार्य को निष्पादित कर सकता है।

लेखापरीक्षा हेतु नमूना किए गए 710 निर्माण कार्यों में से निर्माण कार्यों के कार्यकारी अभिकरण-वार चयन को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट -2.10: कार्यकारी अभिकरण वार चयनित निर्माण कार्य



अन्य *: डी.एम.आर.सी.-I, जे.के.पी.सी.सी.-I, ई.सी.बी.-I, यू.पी.जे.एन.-6

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. का एक सरकारी अभिकरण होने से नित्यक्रम के मामले के रूप में कार्यकारी अभिकरण के रूप में चयन किया गया था। अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. जब चुने गए, का चयन नामांकन आधार पर किया गया था। असम राईफल्स (ए.आर.), जिसने सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अलावा पी.डब्ल्यू.ओ. को

अपने सभी निर्माण कार्य सौंपे थे, के मामले को छोड़कर इन कार्यकारी अभिकरणों के चयन के संबंध में अभिलेख पर कोई कारण अथवा चयन मापदण्ड नहीं पाया गया था। इन पी.डब्ल्यू.ओ. को कार्य सौंपते समय ए.आर. द्वारा बताया गया मुख्य कारण सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब जिसका परिणाम लागत वृद्धि में होता है, था।

लेखापरीक्षा का तर्क है कि अपरिवर्तनीय प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में सी.पी.डब्ल्यू.डी. पर अधिभावी निर्भरता की वर्तमान प्रणाली तथा गैर-सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यकारी अभिकरणों द्वारा भी उनकी दरों की सूची का उपयोग दक्षता हेतु अनुकूल नहीं था। जब तक सामरिक महत्वों द्वारा प्रेरित नहीं किया गया था तब तक कोई कारण नहीं था कि लोक धन का उत्तम उपयोगिता प्राप्त करने हेतु अधिक प्रतियोगितात्मक वातावरण स्थापित नहीं किया जा सका था। सरकार को केवल नामांकन आधार पर कार्य सौंपने की बजाए उपयुक्त प्रशासनिक परिवर्तनों के माध्यम से पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच कुछ प्रतियोगिता लाने पर विचार करना चाहिए।

एम.एच.ए. ने यह बताते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि जी.एफ.आर. 126(2) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि मंत्रालय अथवा विभाग, अपने स्वनिर्णय पर, किसी भी लोक निर्माण संगठन, जैसे कि सी.पी.डब्ल्यू.डी., राज्य लोक निर्माण प्रभाग, सिविल अथवा इलेक्ट्रिक कार्य करने हेतु प्राधिकृत अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों, को निर्माण कार्य सौंप सकता है। उसने बाद में बताया कि मंत्रालय उनके चयन की प्रक्रिया को आगे सरल और कारगर बनाने हेतु जी.एफ.आर. योग्य पी.डब्ल्यू.ओ./पी.एस.यू. को कर्य सौंपने के मामले की जांच कर रहा है।

2.5.1 कार्यकारी अभिकरण द्वारा व्यय

सी.ए.पी.एफ. निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति के पश्चात सी.पी.डब्ल्यू.डी. को प्राधिकरण प्रदान करता है। प्राधिकरण सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सी.ए.पी.एफ को प्रस्तुत आवश्यकता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। यह पाया गया था कि सी.ए.पी.एफ. सी.पी.डब्ल्यूडी. को निधियां प्रदान करने में इस प्रकार के मापदण्ड का अनुपालन नहीं कर रहा था। सी.आर.पी.एफ.

अच्छा कार्य

सी.आर.पी.एफ. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी को प्राधिकरण प्रदान करने से पूर्व निर्माण कार्य की स्थिति तथा अनुवर्ती वर्ष हेतु उनकी कार्य-वार आवश्यकता की जांच की। कार्य-वार आवश्यकता के आधार पर सी.आर.पी.एफ. ने निधियों का आबंटन किया तथा तदनुसार वर्ष की समाप्ति पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. से कार्य-वार व्यय विवरणियां प्राप्त की जो अच्छे बजट तथा निधि प्रबंधन का कारण बना।

को छोड़कर सी.ए.पी.एफ. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निधियां प्रदान करते समय कार्य-वार आवश्यकता की जांच नहीं की थी। इसके अभाव में, एक विशेष निर्माण कार्य पर किए गए व्यय तथा बचत, यदि कोई है, के ब्यौरे सी.ए.पी.एफ. का पता नहीं थे। तथापि, सी.आर.पी.एफ. ने एक अलग प्रणाली को अपनाया जो अन्य बलों से काफी अच्छी थी।

अनुशंसा:

एम.एच.ए./सरकार को निर्माण की लागत को कम करने तथा गुणवत्ता एवं निष्पादन को सुधारने हेतु पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच प्रतियोगिता लाने के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. के प्रचलन में प्रणाली को सुधारने पर विचार करना चाहिए।



2.5.2 व्यापक नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व केन्द्र

एम.एच.ए., नोडल मंत्रालय होने से यह सुनिश्चित करने हेतु कि आबंटन बजट का सामयिक प्रकार से उसी उद्देश्य हेतु जिसके लिए यह संस्वीकृत किया गया था, मित्तव्ययी रूप तथा कुशलता से व्यय किया गया था, संपूर्ण मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी है। एम.एच.ए. संबंधित सी.ए.पी.एफ. के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. के साथ मॉनीटरिंग बैठकों द्वारा विलंबित निर्माण कार्यों को मॉनीटर करता है। यह पाया गया था कि निर्माण कार्यों के निष्पादन का मुख्य रूप से कार्यकारी अभिकरणों के उत्तरदायित्व होना माना गया था। यह पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में अधिक सुस्पष्ट था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अलावा पी.डब्ल्यू.ओ. के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य के संबंध में सी.ए.पी.एफ. द्वारा मानीटरिंग न्यूनतम तथा बेपरवाह थी। गलतियों की गणना करने हेतु कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत बिलो की जांच ही केवल मानीटरिंग थी मानीटरिंग प्रणाली पर **अध्याय–VI** में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.6 निष्कर्ष

यह देखा गया था कि बलों की आवश्यकता, दोनों कार्यालय तथा आवासीय स्थान हेतु, का पूरी तरह से निपटान नहीं किया गया था। निर्माण कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरण का चयन किसी भी मापदण्ड पर आधारित नहीं था तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच प्रतियोगिता की कमी थी। अपरिवर्तनीय प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में, सी.पी.डब्ल्यू.डी. पर

अधिभावी निर्भरता की वर्तमान प्रणाली तथा गैर-सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भी उनकी दरों की सूची का उपयोग दक्षता हेतु अनुकूल नहीं था। सरकार को केवल नामांकन आधार पर कार्य सौंपने के बजाए उपयुक्त प्रशासनिक परिवर्तनों के माध्यम से पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच कुछ प्रतियोगिता लाने पर विचार करना चाहिए। सी.ए.पी.एफ. द्वारा निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण का लगभग अभाव एक स्पष्ट चित्र नहीं दर्शाता तथा इंजीनियरिंग स्कंध का अभाव एक वैध कारण नहीं था। बजटीय प्रणाली यद्यपि स्थापित थी, फिर भी विशेष रूप से भुगतानों को जारी करने के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता थी।

अध्याय – III

भूमि अधिग्रहण

भूमि को सी.ए.पी.एफ. संरचनाओ की सामयिक स्थापना में एक मुख्य संसाधन होने से, लेखापरीक्षा में भूमि उपलब्धता की पर्याप्तता, भूमि अधिग्रहण में प्रतिबंधो, अधिग्रहण में लिए गए समय तथा भूमि के उपयोग का पता लगाने हेतु एक प्रयास किया गया था।

एक नई इकाई के निर्माण हेतु जब कभी भूमि की आवश्यकता उजागर होती है तो एम.एच.ए. से इकाई की मुख्य स्थान योजना (के.एल.पी.) की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। के.एल.पी. वह स्थान है जहां नई फील्ड संरचना को स्थापित किया जा सकता है तथा यह एक सामरिक निर्णय है। इसके पश्चात, सी.ए.पी.एफ. द्वारा एक स्थल चयन समिति का गठन किया जाता है जो विशिष्ट स्थल की पहचान तथा निर्धारण करती है। एम.एच.ए. की स्वीकृति के पश्चात, सी.ए.पी.एफ. को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1.1.2014 से संशोधित), भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता के अधिकार, तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अधिनियम (जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों के माध्यम से भूमि अधिग्रहित करनी होती है। एम.एच.ए. ने मार्च 2009 में समयबद्ध प्रकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु लिए जाने वाले समय को अपने 2¼ वर्षों के पूर्व स्तर को 1 वर्ष 7 दिनों तक कर दिया।

मार्च 2009 में एम.एच.ए. द्वारा सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में जारी दिशानिर्देशों ने उल्लिखित किया कि:

- एम.एच.ए. से इकाई की मुख्य स्थान योजना (के.एल.पी.) की स्वीकृति भूमि अधिग्रहण कारवाईयों के प्रारम्भ करने से पहले प्राप्त किया जाना है।
- भूमि राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए न कि भूमि स्वामियों से सीधे बात-चीत के माध्यम से।
- प्रस्तावित भूमि अवैध कब्जे से मुक्त होनी चाहिए तथा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए।
- भूमि दस्तावेजों अर्थात् राजपत्र अधिसूचना की प्रति, स्टाम्प लगी हुई रसीद, बिक्रीनामा (निजी भूमि हेतु) तथा भूमि अधिकार प्रमाणपत्र जिलाधीश या संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त किया जाना चाहिए।

- उचित रूप से सी.ए.पी.एफ. के नाम पर संशोधित तथा भूमि अभिलेखों/राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित भूमि की डैग सं./प्लाट सं. सहित पट्टा/छिटास दर्शाने वाला भूमि का सर्वेक्षण नक्शा प्राप्त किया जाना चाहिए।
- बाउंडरी पिलरो को खड़ा करके तथा भूमि की घेराबन्दी, जहां सम्भव हो, करके भूमि का उपयुक्त सीमांकन किया जाना चाहिए।
- प्रस्तावित भूमि से कोई हाईटेंशन (एच.टी.) पावर लाईन नहीं गुजरनी चाहिए तथा यदि एच.टी. लाईन अपरिहार्य है तो बल को अतिरिक्त भूमि खरीदनी चाहिए।

पट्टे की वैधता 99 वर्ष होनी चाहिए। अगर प्रारम्भिक पट्टा अवधि 99 वर्षों से कम है तो पट्टेनामे में आगे के विस्तार की धारा अवश्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी चरण पर भूमि खाली करने की घटना में सी.ए.पी.एफ. द्वारा सृजित भवनों तथा अन्य परिसम्पत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति का दावा करने का प्रावधान भी पट्टेनामे में शामिल किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट पट्टेनामे को निष्पादन से पूर्व पुनर्निरीक्षण/स्वीकृति हेतु बल मुख्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

3.1 भूमि अधिग्रहण में विचलन

लेखापरीक्षा ने सी.ए.पी.एफ. में ₹415 करोड़ की कीमत के 14320 एकड़ वाले भूमि अधिग्रहण के 132 मामलों की संवीक्षा की। यह पाया गया था कि भूमि अधिग्रहण में समग्र निष्पादन संतोषजनक नहीं था। भूमि अधिग्रहण मामलों जिन्होने विपथन दर्शाया, का नीचे तालिका में परिणाम दिया गया है तथा इसके पश्चात उल्लेख किया गया है।

तालिका 3.1: सी.ए.पी.एफ. में भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा विचलन का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विचलन के मामले	मामलो की सं.	धनराशि
भूमि का विलम्बित गैर अधिग्रहण (अनुबंध-1.2)		
अधिग्रहण में विलम्ब	56	236.05
भूमि का गैर-अधिग्रहण	31	147.85
अधिग्रहण में विचलन (अनुबंध-3.4)		
- अधिक अधिग्रहण	23	134.58 (29.21)*
- कम अधिग्रहण	44	

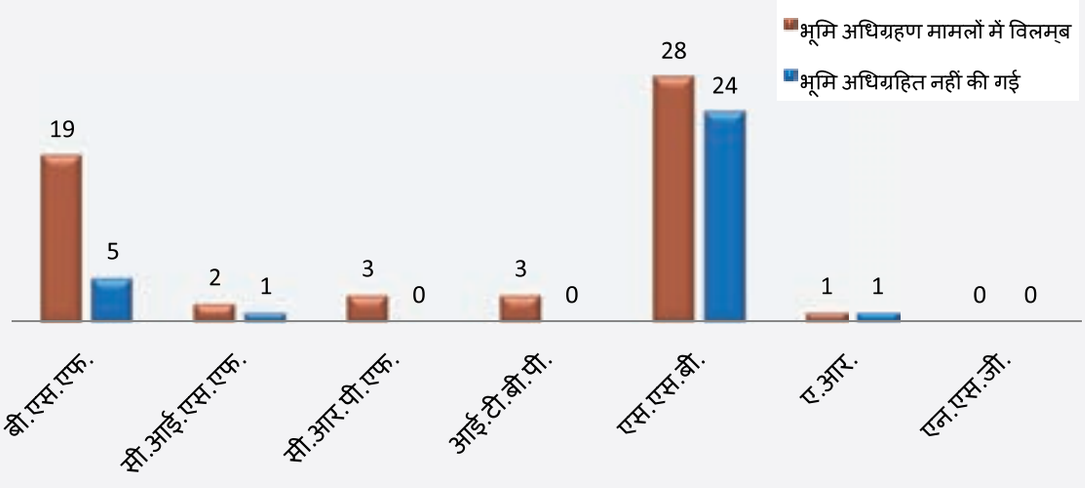
* भूमि के अधिक अधिग्रहण पर अधिक व्यय

भूमि के अधिग्रहण हेतु एम.एच.ए. द्वारा निर्धारित समय अवधि को 2¼ वर्षों से 1 वर्ष 7 दिनों तक घटा दिया गया था जिससे कि भूमि का उपयोग जल्द से जल्द किया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि 132 चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में से 87 मामलों (66%) में काफी विलम्ब था जो के.एल.पी. की स्वीकृति से भूमि का अधिकार प्राप्त करने तक भूमि अधिग्रहण में 5 महीनों से 9.7 वर्षों के बीच था। (**अनुबंध-1.2, क्र.सं. 1 से 87**) ।

इनमें से, ₹147.85 करोड़ की संस्वीकृत लागत वाले 877.57 एकड़ के भूमि अधिग्रहण के 31 मामलों (23%) में, सी.ए.पी.एफ. में संबंधित राज्य सरकार को लागत जमा कराने के पश्चात भी दिसंबर 2014 तक भूमि प्राप्त नहीं की थी। 23 मामलों में, सी.ए.पी.एफ ने प्राधिकरण से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया था जिसके कारण ₹29.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। भूमि के गैर-अधिग्रहण के मुख्य कारण राज्य सरकार के साथ उपयुक्त समन्वय तथा उपयुक्त स्तर तक मामले को आगे बढ़ाने हेतु सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्रयासो की कमी थे। इसके अतिरिक्त, राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस.एल.ए.ओ.) को अपेक्षित दस्तावेजों का गैर-प्रस्तुतीकरण, त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण, भूमि की खरीद का निर्णय लेने में विलम्ब तथा एस.एल.ए.ओ. से अनुमान प्राप्त करने में लिया गया असाधारण समय विलम्ब के अन्य कारण थे। कई मामलों में सी.ए.पी.एफ. राज्य तथा एम.एच.ए. के बीच लम्बे पत्राचार ने भूमि अधिग्रहण मामलों को कार्यान्वित करने में लम्बा समय लिया।

भूमि का विलम्बित तथा गैर अधिग्रहण के बल-वार मामले नीचे दर्शाये गए हैं:-

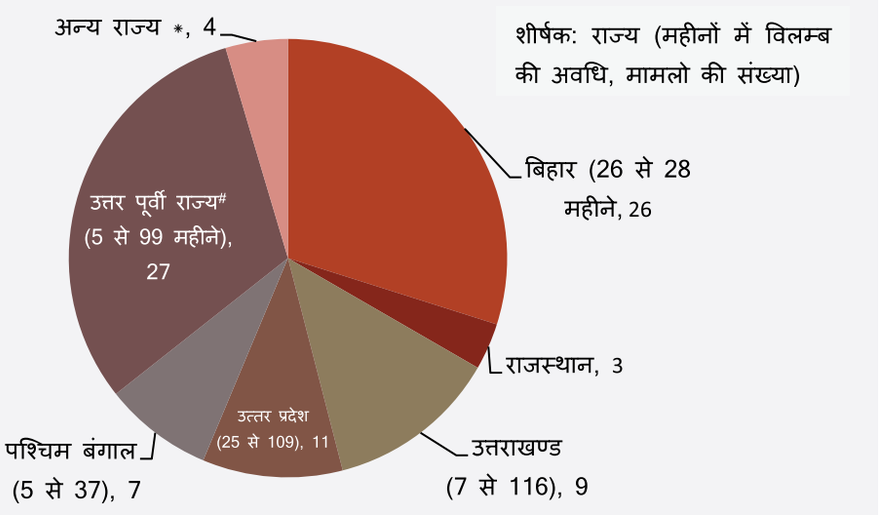
चार्ट - 3.1: भूमि अधिग्रहण मामलों में विलम्ब की बल-वार स्थिति



सी.ए.पी.एफ. ने विलम्ब को स्वीकार किया तथा इसे राज्य सरकारों की ओर से विलम्ब पर आरोपित किया।

लेखापरीक्षा ने बाद में भूमि अधिग्रहण में राज्य वार विलम्बो का विश्लेषण किया जिसकी स्थिति नीचे आरेख में दर्शाई गई थी:

चार्ट 3.2: भूमि अधिग्रहण में विलम्ब की राज्य वार स्थिति



*तेलंगाना, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र प्रत्येक से एक मामला शामिल है
असम-11, अरूणाचल प्रदेश-1, मिजोरम-2, सिक्किम-3, त्रिपुरा-8, मेघालय-2 शामिल है

यह पाया गया था कि भूमि अधिग्रहण मामलों की स्थिति बिहार में सबसे खराब थी जहां 26 मामलें 26 से 82 महीनों के बीच तक विलम्बित थे तथा जिसमे से 17 मामले अभी भी दिसंबर 2014 तक लंबित थे।

एम.एच.ए. ने अपने उत्तर (जूलाई 2015) में यह बताते हुए अभ्युक्तियों/अनुशंसाओ को स्वीकार किया कि उन्होने भूमि अधिग्रहण तथा कार्य के निष्पादन के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर जून 2015 में सभी सी.ए.पी.एफ. को एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

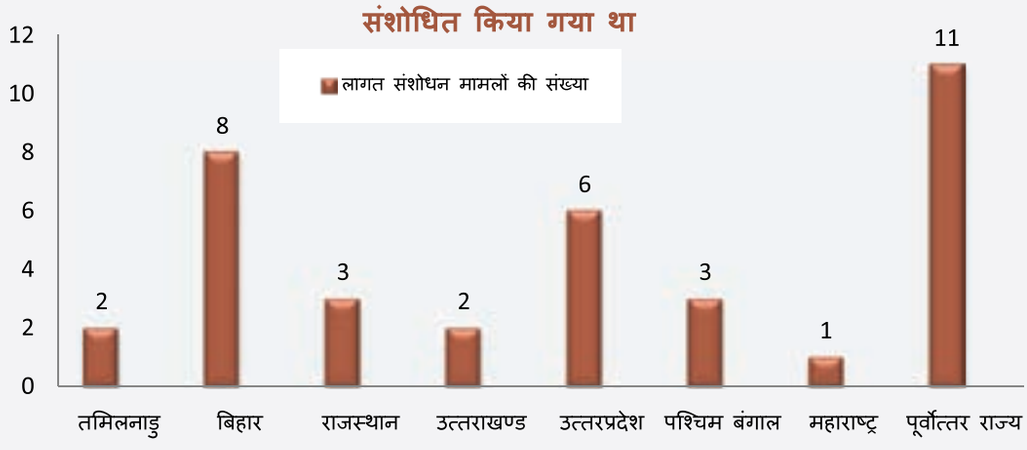
एम.एच.ए. ने आगे बताया कि सी.ए.पी.एफ. द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, जब कभी भूमि अधिग्रहण में सामना किए गए भारी विलम्ब/कठिनाई के किसी मामले को सी.ए.पी.एफ. द्वारा सूचित किया गया है तो एम.एच.ए. द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब का कारण बन रहे मामलों को निपटाने हेतु इसे उच्चतर स्तर पर संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकारो की ओर से भूमि अधिग्रहण मामलों में भारी विलम्ब दर्शाते है कि एम.एच.ए. द्वारा हस्तक्षेप उपयुक्त स्तर

पर नहीं था जिसके कारण सी.ए.पी.एफ. तथा राज्य सरकारो के बीच भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दो को समय पर नहीं सुलझाया गया था।

3.1.1 भूमि अधिग्रहण मामलों में कीमत का संशोधन

चूंकि राज्य सरकारों को सी.ए.पी.एफ. द्वारा अदा की जाने वाली भूमि की कीमत का निर्णय किया जाना था इसलिए यह पाया गया था कि समय-समय पर उन्होने भूमि की कीमत को बढ़ाना जारी रखा। 132 चयनित मामलों में से 36 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्यों द्वारा भूमि की कीमत को ₹105.10 करोड़ से ₹223.57 करोड़ तक संशोधित किया गया था (**अनुबंध 3.1**)। कीमत के राज्य-वार संशोधन का ब्यौरा चार्ट 3.3 में दिया गया है।

चार्ट 3.3: भूमि मामले जिनमें राज्य सरकारों द्वारा भूमि कीमत को संशोधित किया गया था



सात मामलों में कीमत का संशोधन एक से अधिक बार हुआ। दो मामलों में यह पाया गया था कि वृद्धि भूमि की मूल कीमत से 1000% अधिक थी।

अनुशंसा:

एम.एच.ए. को उपयुक्त स्तरों पर नियमित पारस्परिक विचार विमर्शों के एक संरचित क्रियाविधि स्थापित करके राज्यो के साथ प्रशासनिक मामलो का समाधान करके सामयिक आधार पर भूमि प्राप्त करने हेतु सी.ए.पी.एफ. को सुविधा प्रदान करनी चाहिए।



भूमि अधिग्रहण में अध्ययन किए गए कुछ मामलों का नीचे ब्यौरा दिया गया है:

मामला अध्ययन – 3.1

शंगशाक, उखरूल, मणिपुर में ए.आर. की एक बटालियन के पास 1991 से 445.23 एकड़ भूमि थी। इसके अतिरिक्त, उन्होने 13.051 एकड़ की पास की निजी भूमि को भी कब्जा रखा था। अक्टूबर 1996 में मणिपुर राज्य सरकार ने इस निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹7.00 लाख की कीमत निर्धारित की थी। इसे ए.आर. द्वारा नहीं किया गया था। बाद में 2003 में भूमि मालिक ने गुवाहटी उच्च न्यायालय की इम्फाल बेंच को सिफारिश की जिसने ए.आर. को क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश दिया। तद्नुसार, अगस्त 2012 में ए.आर. ने ₹30.54 लाख की क्षतिपूर्ति अदा की। एक केन्द्र सरकार संगठन होने के बावजूद ए.आर. ने 1991 से निजी भूमि को अपने पास रखा। इसके अतिरिक्त, उन्होने ₹7.00 लाख की कीमत पर भूमि को कानूनी तौर पर तब भी प्राप्त नहीं किया था जब राज्य द्वारा 1996 में प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार, उन्होने न केवल कानून का उल्लंघन किया था बल्कि ₹23.54 लाख की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी अदा की थी।

असम राईफल्स ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि एम.एच.ए. के प्राधिकरण से अधिक प्राप्त की गई भूमि का भविष्य में उपयोग किया जाएगा।

मामला अध्ययन – 3.2

ए.आर. ने 80 एकड़ के प्राधिकरण के प्रति नवम्बर 2008 में असम राज्य सरकार से जोहराट, असम में एक बटालियन मुख्यालय को स्थापित करने हेतु एक निजी भूमि मालिक से संबंधित 150 एकड़ का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया था। यद्यपि ए.आर. भूमि पर अतिक्रमण से अवगत थी फिर भी उसने यह सुनिश्चित किए बिना कि भूमि को राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा, सितंबर 2011 में राज्य सरकार के पास भूमि की ₹7.09 करोड़ की कीमत जमा कराई थी। इसके कारण, केवल 149 एकड़ माप की अतिक्रमण मुक्त भूमि को दिसंबर 2013 में अर्थात् राज्य सरकार के पास धन जमा कराने की तिथि से 2 वर्षों से अधिक के पश्चात, प्राप्त किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण मापदण्डों से अधिक भूमि के अधिग्रहण के कारण ₹3.28 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था।

मामला अध्ययन – 3.3

एम.एच.ए. ने गुवाहटी, असम में बी.एस.एफ. की एक इकाई स्थापित करने हेतु के.एल.पी. को स्वीकृत (नवम्बर 2004) किया। बी.एस.एफ. बोर्ड की कार्रवाई के अनुसार 125 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। परंतु बी.एस.एफ. ने मार्च 2006 में पियाबरी, असम में 85 एकड़ माप की निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु असम सरकार की सिफारिश की। उन्होने बाद में (सितंबर 2006) में 40 एकड़ माप के भूमि के एक अन्य टुकड़े हेतु अनुरोध किया। एम.एच.ए. ने अगस्त 2007 में 85 एकड़ भूमि की कीमत के प्रति ₹5.77 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। राज्य में आम जनता की अशांति के कारण असम सरकार ने 6 वर्षों (जून 2013) के पश्चात पानबाड़ी कहे

जाने वाले एक अन्य स्थान पर ₹33.05 एकड़ माप के भूमि के टूकड़े (कीमत ₹3.76 करोड़) को सूपूर्द किया। इस प्रकार, नवम्बर 2004 में अभिकल्पित इकाई की स्थापना को प्रत्याशित स्थल पर अभी भी मूर्त रूप दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, ₹2.01 करोड़ की शेष राशि अगस्त 2007 से राज्य सरकार के पास पड़ी थी।

डी.जी., बी.एस.एफ. ने यह बताते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार किया कि भूमि का अधिग्रहण उपलब्धता तथा युद्धनिति/सुरक्षा आवश्यकताओं पर निर्भर था। इसलिए, कुछ मामलों में, भूमि का क्षेत्र प्राधिकरण से अधिक अथवा कम हो सकता है।

मामला अध्ययन – 3.4

बी.एस.एफ. की दो बटालियन तथा एक सेक्टर मुख्यालय रोशनबाग, पश्चिम बंगाल में एक स्थान से कार्य कर रहे थे। परिसर का क्षेत्र (75.52 एकड़) एक बटालियन हेतु एम.एच.ए. द्वारा निर्धारित क्षेत्र (77.19 एकड़) से भी कम था। बी.एस.एफ. ने अपनी एक बटालियन को स्थानांतरित करने हेतु 43.53 एकड़ माप की पास की एक भूमि अभिमुक्त करने हेतु 2003 में बंगाल राज्य सरकार से कहा था। तदनुसार राज्य सरकार ने जुलाई 2003 में बी.एस.एफ. ₹77.86 लाख जमा कराने को कहा अगस्त 2003 में उन्होंने बी.एस.एफ. को सावधान भी किया कि 11 दिसंबर 2003 तक धन जमा कराने में विफलता के मामले में अनुमान अमान्य हो जाएगा। इसके बावजूद, बी.एस.एफ. ने केवल 22 दिसंबर 2003 को अंतिम तिथि के पश्चात राशि को जमा कराया हालांकि एम.एच.ए. ने 5 दिसंबर 2003 को स्वीकृति प्रदान की थी। बाद में अक्टूबर 2004 में, राज्य सरकार ने बी.एस.एफ. को अतिरिक्त ₹41.10 लाख जमा कराने को कहा क्योंकि पहले की भूमि अधिग्रहण कार्रवाई कीमत के संशोधन के कारण समाप्त हो गई थी। भूमि को बाद में भी प्राप्त नहीं किया जा सका था क्योंकि भूमि मालिको ने राज्य सरकार पर क्षतिपूर्ति राशि को स्वीकार नहीं किया मजबूरन राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि का संशोधन ₹5.22 करोड़ किया जिसे बी.एस.एफ. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बलरामपुर, पश्चिम बंगाल में 75.72 एकड़ माप की अन्य भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹22.41 करोड़ की अनुमानित कीमत के संबंध में बी.एस.एफ. को सूचित (मार्च 2013) किया। तथापि, इसे अभी भी कार्यान्वित किया जाना था क्योंकि राज्य सरकार ने सितंबर 2013 में केवल 30 एकड़ प्रति बटालियन का आबंटन करने का निर्णय लिया था। इस कारण जून 2014 में एम.एच.ए. की स्वीकृति के बावजूद 2003 से पहले प्रारम्भ भूमि अधिग्रहण अनिर्णायक रहा तथा दो बटालियनो तथा सेक्टर मुख्यालय ने आज तक उसी स्थान से कार्य करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने उच्चतर स्तर पर राज्य सरकार के साथ प्रतिपादन का कोई प्रमाण नही पाया था जबकि भूमि अधिग्रहण मामला पिछले 11 वर्षों से अनिर्णित रहा।

बी.एस.एफ. ने बताया कि राज्य सरकार विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण को भूमि मालिकों द्वारा क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग तथा मुकदमे में परिणीत होने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। बी.एस.एफ. ने अधिक क्षतिपूर्ति अदा न करने का विचारशील निर्णय लिया। उत्तर

स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बी.एस.एफ. द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने अभी तक मामले का समाधान नहीं किया था।

मामला अध्ययन – 3.5

खाप्रैल, पश्चिम बंगाल में एस.एस.बी. बटालियन मुख्यालय की स्थापना करने हेतु एम.एच.ए. ने जनवरी 2007 में के.एल.पी. को स्वीकृत किया। खाप्रैल, पश्चिम बंगाल में 74.49 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु एस.एस.बी. के अनुरोध पर राज्य सरकार ने जूलाई 2008 एस.एस.बी. को कुल ₹8.04 करोड़ की भूमि की अंतरिम कीमत जमा कराने को कहा। एम.एच.ए. की स्वीकृति से (अगस्त 2009) एस.एस.बी. ने राशि जमा कराई (नवम्बर 2009)। राज्य सरकार ने नवम्बर 2010 में फिर से एस.एस.बी. को ₹8.07 करोड़ भूमि की शेष राशि को जमा करने को कहा क्योंकि कीमत ₹16.11 करोड़ थी। यद्यपि एम.एच.ए. ने जुलाई 2011 में शेष राशि स्वीकृत की थी फिर भी एस.एस.बी ने यह जानते हुए कि भूमि की कीमत को जमा करने हेतु एक वर्ष की समय सीमा 19 अगस्त 2011 को समाप्त हो गई थी, केवल सितंबर 2011 में जाकर ही राज्य सरकार के पास राशि जमा कराई थी। परिणामस्वरूप, एस.एस.बी. को नया मांग प्रस्तुत करना पड़ा (दिसंबर 2011) तथा भूमि प्रक्रिया नए सिरे से प्रारम्भ हुई। सितंबर 2013 में, राज्य सरकार ने एक बटालियन की स्थापना करने हेतु केवल 30 एकड़ भूमि का आबंटन करने के अपना निर्णय सूचित किया। यद्यपि एस.एस.बी. ने एम.एच.ए. की स्वीकृति के बिना अपनी सहमति व्यक्त की थी फिर भी भूमि का अभी भी आबंटन किया जाना था तथा बटालियन ने किराए के स्थान से कार्य करना जारी रखा। एस.एस.बी. ने अप्रैल 2008 से मार्च 2014 तक ₹58.82 लाख का किराया अदा किया था। इसके अतिरिक्त, एस.एस.बी. द्वारा अदा की गई ₹9.62 करोड़ की अनुपाती अधिक कीमत 13 महीनो (सितंबर 2013 से अक्टूबर 2014) तक राज्य सरकार के पास रही।

एस.एस.बी. ने बताया कि जुलाई 2011 में एम.एच.ए. की संस्वीकृति के पश्चात निधि का आबंटन प्राप्त करने तथा धन के आहरण की प्रक्रिया ने समय लिया था। तथापि, एम.एच.ए. की संस्वीकृति प्राप्त करने में लिए गए 9 महीनों का कोई औचित्य नही था जबकि राज्य सरकार ने नवम्बर 2010 में स्वंय समय सीमा को सूचित किया था जिसके भीतर राशि को जमा कराया जाना था।

मामला अध्ययन – 3.6

तमिलनाडु सरकार (जी.ओ.टी.एन.) से सी.आई.एस.एफ. हेतु सिवांगगई जिले में 100 एकड़ भूमि के लिए ए 1 अधिसूचना[1] (फरवरी 2009) में जारी की थी। इसने अप्रैल 2012 में ₹10.03 करोड़ पर कीमत को निर्धारित किया जिसे सी.आई.एस.एफ. द्वारा फरवरी 2013 में अदा किया

[1] अधिसूचना: जब कभी उपयुक्त सरकार को यह प्रकट होता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु किसी स्थान में भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की संभावना है तो उस संबंध में एक अधिसूचना को सरकारी राजपत्र तथा दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा तत्पश्चात जिलाधीश ऐसी अधिसूचना के विषय का सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा तथा ऐसी सार्वजनिक सूचना देगा तथा तत्पश्चात प्रकाशन की जो कि सूचना की तिथि को संदर्भित करेगा (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 तथा 2013 की धारा 4(I))

गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिसूचना कि तिथि को राजस्व अभिलेखों के अनुसार क्षेत्र में तथा आसपास के क्षेत्र में कीमत केवल ₹52,000/- प्रति एकड़ थी जिसका तहसीलदार, कराईकुडी द्वारा समर्थन किया गया था। तदनुसार भूमि की कीमत ₹0.60 करोड़ होनी चाहिए थी। सी.आई.एस.एफ. राज्य सरकार को अधिसूचना को जारी करने के समय प्रचलित दर पर मूल्य का निर्धारण करने का अनुपालन कराने में विफल रहा जिसका परिणाम ₹9.43 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ। भुगतान के बावजूद भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार द्वारा अभी भी बदला जाना था।

सी.आई.एस.एफ. ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ₹9.73 करोड़ का शेष मुख्यालय से सहमति प्राप्त करने के पश्चात अदा किया गया था क्योंकि जी.ओ.टी.एन. ने दर को 2010 में प्रचलित ₹23 प्रति वर्ग मीटर पर निर्धारित किया। सी.आई.एस.एफ. ने यह भी कहा कि तहसीलदार, कराईकुड़ी ने जिलाधीश की जानकारी के बिना भूमि की कुल कीमत को ₹0.60 करोड़ के रूप में उल्लेखित किया था तथा वह भूमि की कीमत निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत नहीं था क्योंकि यह जिलाधीश की सीमा में था। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सी.आई.एस.एफ. राज्य सरकार को अधिसूचना को जारी करने के समय प्रचलित दरों पर कीमत का निर्धारण कराने में विफल रहा था।

3.2 भूमि अधिग्रहण में अन्य अनियमितताएं

भूमि अधिग्रहण मामलों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा विभिन्न अनियमितताएं, अर्थात् के.एल.पी. की स्वीकृति, स्थल चयन समिति के गठन के बिना भूमि अधिग्रहण, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अनुपयुक्त सर्वेक्षण, अतिक्रमित भूमि का अधिग्रहण, पाई थीं। इन अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

3.2.1 प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अनुपयुक्त सर्वेक्षण

- एस.एस.बी. द्वारा लखिमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में 83.5 एकड़ के भूमि अधिग्रहण हेतु जनवरी 2005 में गठित स्थल चयन समिति (एस.एस.सी.) ₹938.42 लाख की कीमत के स्थल के भीतर गैर-अधिग्रहीत भूमि के भागो को सूचित करने में विफल रही।

  एस.एस.बी. ने अपने उत्तर (जून 2015) में बताया कि वास्तविक कब्जे के समय विसंगति पाई गई है। चूंकि अंतराल भागों का अधिग्रहण अपरिहार्य था इसलिए उनके अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा एम.एच.ए. को संस्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

- एम.एच.ए. ने एस.एस.बी. को महाराजगंज (यू.पी.) में 2.21 एकड़ माप की भूमि प्राप्त करने हेतु 2008 में ₹16.08 लाख संस्वीकृत किए। बाद में यह पाया गया था कि

भूमि को किसानों द्वारा लिए गए कर्जे की एवज में बैंक के पास गिरवी रखा गया था तथा इसलिए प्राप्त नही किया जा सकता। यह सुस्पष्ट था कि भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व एस.एस.बी. द्वारा उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

एस.एस.बी. ने अपने उत्तर (जून 2015) में बताया कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान विसंगति पर ध्यान नहीं दिया जा सका था तथा शीघ्र ही भूमि के नए टुकड़े हेतु नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

- एन.एस.जी. ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) से आई.जी.आई. हवाई अड्डे में पट्टे आधार पर 2009 में ₹29.75 लाख की 5 एकड़ भूमि का अधिकार लिया था जो एक गहरा क्षेत्र था तथा ₹12.25 लाख की लागत का प्रारम्भिक कार्य करवाया। तथापि, एन.एस.जी. ने फरवरी 2009 में इस भूमि के स्थान पर भूमि के अन्य टुकड़े का आबंटन करने हेतु ए.ए.आई. के अनुरोध किया। ए.ए.आई. ने अप्रैल 2009 में 5 एकड़ भूमि के अन्य टुकड़े को प्रस्तावित किया। इस प्रकार, सर्वेक्षण किए बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने ने न केवल अधिग्रहण को विलम्बित किया बल्कि इसका परिणाम ₹12.25 लाख के व्यर्थ व्यय में भी हुआ। एन.एस.जी. (अक्टूबर 2014) ने उत्तर दिया कि भूमि के पहले टुकड़े पर किए गए ₹12.25 लाख के व्यय में से ₹2.33 लाख की कीमत की मदों को बचा लिया गया था तथा उनका अन्य स्थान पर उपयोग किया गया था। यह सुस्पष्ट था कि कुल ₹9.22 लाख का शेष व्यय व्यर्थ हो गया था।

- एस.एस.बी. ने सर्वेक्षण के बिना डी.डी.ए. से ₹57.59 लाख की कुल लागत पर अप्रैल 2007 में महिपालपुर, दिल्ली में 0.7 एकड़ भूमि प्राप्त की थी। जब डी.डी.ए. ने एस.एस.बी. को भूमि का अधिकार लेने को कहा तो एस.एस.बी. ने भूमि का निरीक्षण किया तथा पाया कि कथित भूमि सामान्य तल स्तर से लगभग 15 मीटर से अधिक नीचे थी तथा उन्होने डी.डी.ए. को भूमि के अन्य टुकड़े का आबंटन करने का अनुरोध किया। लम्बे पत्राचार के पश्चात, डी.डी.ए. ने दिसबंर 2010 में भूमि के दूसरे टुकड़े का आबंटन किया जिसका परिणाम तीन वर्षो के विलम्ब में हुआ।

- एस.एस.बी. ने बताया कि डी.डी.ए. ने उनकी उपयुक्तता तथा उपलब्धता के अनुसार भूमि का आबंटन किया था परंतु जब यह देखा गया था कि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त नहीं थी तो एक वैकल्पिक भूमि का आबंटन किया गया था। उत्तर तर्कसगंत नहीं था क्योंकि एस.एस.बी. को अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले भूमि का निरीक्षण करना अपेक्षित था। यह उल्लेख करने योग्य है कि इस मामले में उससे एक अलग भूमि को प्राप्त किया गया था जिसे बल द्वारा प्रारम्भ में अंतिम रूप दिया गया था।

- एन.एस.जी. ने मुबंई में क्षेत्रीय हब की स्थापना हेतु 23 एकड़ भूमि प्राप्त की थी। यह पाया गया था कि वहां न केवल अतिक्रमण था बल्कि प्राप्त की गई भूमि के ऊपर से हाई टेंशन तार भी जा रही थी। एन.एस.जी. को हाई टेंशन तार को दूसरी जगह ले जाना था जिसमें ₹3.74 करोड़ की अतिरिक्त राशि लगेगी।

  एम.एच.ए. ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में यह बताते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार किया कि मुंबई में क्षेत्रीय हब की स्थापना हेतु भूमि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की गई थी।

3.2.2 अनुपयुक्त पट्टानामा

केरल में पट्टा आधार पर प्राप्त भूमि के संबंध में बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. तथा सी.आर.पी.एफ. के पांच मामलों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि पट्टानामे में समाप्ति के पश्चात इसके विस्तार हेतु किसी शर्त को शामिल नहीं किया गया था जो एम.एच.ए. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। केरल सरकार द्वारा बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. तथा सी.आर.पी.एफ. को पट्टा किराया आधार पर उनकी इकाईयों की स्थापना हेतु पट्टे पर दी गई भूमि के विवरणों का ब्यौरा निम्नानुसार था:

तालिका 3.2: सी.ए.पी.एफ. में पट्टा किराया आधार पर भूमि के ब्यौरे

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे	बल	पट्टा किराया	पट्टा अवधि	पट्टानामा की तिथि	स्थिति
1.	बी.एस.एफ. हेतु एक सेक्टर मुख्यालय की स्थापना हेतु तिरूअनंतपुरम जिले में मुठाथार गांव में 15 एकड़ भूमि	बी.एस.एफ.	₹1000/ एकड़/वर्ष	30 वर्ष	20.9.2011	भूमि बी.एस.एफ. के अधिकार में
2.	नादापूरम में बी.एस.एफ. बटालियन की स्थापना हेतु कोझीकोड़ जिले में वटाकरा में तालूका छेकियाद गांव में 55 एकड़ भूमि	बी.एस.एफ	₹100 / एकड़/वर्ष	30 वर्ष	5.1.2012	भूमि बी.एस.एफ के अधिकार में
3.	एक बी.एस.एफ. बटालियन की स्थापना हेतु त्रिशुर जिले में काईनूर में 60 एकड़ भूमि	बी.एस.एफ	₹100/ एकड़/वर्ष	50 वर्ष	13.7.2010	भूमि बी.एस.एफ के अधिकार में

4.	एक आई.टी.बी.पी. बटालियन की स्थापना हेतु अलपूझा जिले में नूरान्द में 50 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया था	आई.टी.बी.पी.	₹100/ एकड़/वर्ष	30 वर्ष	25.9.2013	भूमि आई.टी.बी.पी. के अधिकार में
5.	एक सी.आर.पी.एफ. बटालियन की स्थापना हेतु कोझीकोड जिले में छकितपारा में 40 एकड़ भूमि	सी.आर.पी.एफ.	₹100/ एकड़/वर्ष	30 वर्ष	10.7.2013	भूमि सी.आर.पी.एफ. के अधिकार में

इसके अतिरिक्त, पट्टानामा 'गैर-सांस्कृतिक उद्देश्यों हेतु अस्थायी अधिकार के लिए राज्य की भूमि का अनुमति आदेश' के रूप में था। केरल सरकार द्वारा सी.ए.पी.एफ. को पट्टे पर प्रदान की गई भूमि का बलों द्वारा अधिकार लिया गया था तथा इन भूमियों पर करोड़ो रूपयों की लागत के नए निर्माण किए जा रहे थे। इसलिए पट्टा करारों में शर्तों को बल के हित में अहितकर थी किया गया था।

एम.एच.ए. ने बताया (जुलाई 2015) कि इसकी पहले के दिशानिर्देश में पट्टे की वैधता 99 वर्ष थी। विभिन्न राज्यों ने अपने स्वंय के पट्टे करार निर्धारित किए हैं। इस प्रकार सभी राज्यों के लिए एक मानक पट्टा करार को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, भूमि पट्टा करार का सबंधित राज्य सरकारों के साथ सी.ए.पी.एफ. के हस्ताक्षर करने से पहले विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पुनर्निरिक्षण किया जाता है जिससे कि सी.ए.पी.एफ. के हित को सुरक्षित रखा जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2014 तक निष्पादित किए गए पहले के पट्टेनामों का विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा एम.एच.ए. द्वारा पुनर्निरिक्षण नहीं किया गया था। एम.एच.ए. ने केवल हाल में (जुलाई 2015) सभी सी.ए.पी.एफ. को निर्देश दिया है कि पट्टेनामों को विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा एम.एच.ए. से पुनर्निरीक्षण के पश्चात निष्पादित किया जाना चाहिए।

3.2.3 चारदीवारी का निर्माण न होना

यह पाया गया था कि 15 भूमि अधिग्रहण मामलों में चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया था जो एम.एच.ए. के दिशानिर्देशों के उल्लघंन में था। एम.एच.ए. के दिशानिर्देशों के उल्लघंन में चारदीवारी का निर्माण न किए जाने के कारण भिलाई में हुए सी.आर.पी.एफ. की भूमि के अतिक्रमण के एक दिलचस्प मामले की नीचे मामला अध्ययन के रूप में चर्चा की गई है:

मामला अध्ययन - 3.7

सी.आर.पी.एफ. ने 1970 में भिलाई में एक ग्रुप केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई थी तथा 250 एकड़ भूमि की खरीद हेतु फरवरी 1971 में भिलई इस्पात सयंत्र को ₹2.19 लाख अदा किए थे परंतु सी.आर.पी.एफ. को अप्रैल 1972 में वास्तव में केवल 232.02 एकड़ भूमि सूपूर्द हुई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.आर.पी.एफ. द्वारा सीमा स्तंभो को खड़ा करके भूमि का उचित सीमांकन नहीं किया गया था तथा भूमि को राजस्व अभिलेखों में भिलाई इस्पात संयंत्र से ग्रुप केन्द्र, सी.आर.पी.एफ. भिलाई के नाम हस्तांतरित नहीं किया गया था। बाद में, सी.आर.पी.एफ. ने उत्तर-पूर्व में विद्रोह-विरोधी कार्य हेतु कुछ समय तक अपने कार्मिकों को हटाया था। इसके पश्चात् सी.आर.पी.एफ. ने असुरक्षित भूमि को भू-अतिक्रमकों की दया पर छोड़ दिया। बाद में अक्टूबर 2012 में सी.आर.पी.एफ. ने छत्तीसगढ़ में तैनात टुकड़ियों का प्रबन्ध के लिए भिलाई में कैम्पिंग साइट/ग्रुप केन्द्र बटालियन की स्थापना करने का निर्णय किया। भौतिक सर्वेक्षण पर यह पाया गया था कि कुछ अभिकरणों द्वारा लगभग पूर्ण भूमि को प्लॉटों में विभाजित कर दिया गया था तथा बेचा गया था। सीमा स्तंभ खड़े करके भूमि के उचित सीमांकन की कमी, 1977 से भूमि के अधिकार क्षेत्र की गैर-मॉनीटरिंग तथा चारदीवारी का निर्माण न करने का परिणाम भारी अतिक्रमण तथा किसी अभिकरण द्वारा भूमि को बेचे जाने में हुआ। इस प्रकार, एम.एच.ए. के दिशानिर्देशों के उल्लघंन में सी.आर.पी.एफ. के गैर-जिम्मेदाराना कार्य का परिणाम मूल्यवान भूमि के निर्वासन में हुआ।

सी.आर.पी.एफ. ने बताया (जुलाई 2014) की राज्य सरकार को सत्य को स्थापित करने/अभिकरण जिसने भूमि को विभाजित किया था का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण करने तथा इस सबंध में जांच कराने हेतु सिफारिश की जा रही थी। सी.आर.पी.एफ. ने आगे बताया (जून 2015) कि सबंधित अभिकरणों से दस्तावेजी प्रमाण की मांग की गई है तथा प्राप्ति पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3.2.4 अनुचित प्रलेखन

18 मामलों (**अनुबंध-3.2**) में यह पाया गया था कि बिक्रीनामा/दाखिल खारीज को निष्पादित नहीं किया गया था जो एम.एच.ए. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। ये सभी भूमि आगे निर्माण कार्यों के लिए थीं जिनका आरम्भ पूर्ण प्रलेखन तथा भूमि के हस्तांतरण के पश्चात किया जा सकता था तथा अनुचित प्रलेखन निर्माण कार्यों में बाधा डालेगा। एम.एच.ए. ने अपने तर्क प्रस्तुत नहीं किए।

3.2.5 भूमि का गैर-अधिकार

- ग्राम मौजपुर (अलवर), राजस्थान में स्थल दौरे के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि आबंटित भूमि में 11 खसरों[2] का एस.एस.बी. को हस्तांतरण नहीं किया गया था जबकि इन खसरों की स्थिति स्थल के भीतर थीं। यह भविष्य में विवाद उत्पन्न करेंगें तथा इन खसरों को सुरक्षा कारणों से भी अधिग्रहण के बाहर नहीं छोड़ जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति प्राप्त क्षेत्र के भीतर है।

  एस.एस.बी. ने स्वीकार (जून 2015) किया कि ऐसी विसंगति पर प्रस्ताव के प्रारम्भिक चरण पर ध्यान नहीं दिया जा सका था जब प्रारम्भिक चरण पर सभी विस्तृत राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं थे तथा इसलिए यह पूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया से गुजरता है। पहले की अधिग्रहण प्रक्रिया में छूटे खसरों के प्रस्ताव अब प्रक्रिया में हैं।

एम.एच.ए. ने अपने उत्तर (जुलाई 2015) में अभियुक्तियों/अनुशंसाओं को यह बताते हुए स्वीकार किया कि उन्होने भूमि अधिग्रहण के उपर्युक्त मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर जून 2015 में सभी सी.ए.पी.एफ. द्वारा अनुपालन किए जाने वाले व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3.3 प्राप्त भूमि का अनुपयोग

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार व्यय किए गए सरकारी धन को प्रत्याशित उद्देश्य, जिसके लिए राशि संस्वीकृत की गई थी, को पूरा करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 मामलों में ₹49.11 करोड़ की कीमत की भूमि को उपयोग में नहीं लाया गया था (**अनुबंध-3.3**)। इन मामलों में सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्राप्त भूमि विभिन्न प्रकार की स्थापनाओं के निर्माण के लिए थी परंतु भूमि का आज तक प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था। सी.ए.पी.एफ. ने बताया (जून 2015) कि उपयोग न करने का एक कारण अदालती मामले तथा मुकदमेबाजी है।

3.4 राज्य प्राधिकरणों को अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित मामलों में सी.ए.पी.एफ. ने भूमि अधिग्रहण में ₹21.65 लाख का अधिक व्यय किया था। विवरण तालिका में दिए गए हैं।

[2] राज्य सरकार के भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज विशिष्ट स्वामित्व सहित भूमि पहचान संख्या

तालिका 3.3: सी.ए.पी.एफ. द्वारा राज्यों को भूमि के लिए किए गए अधिक भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

बल	प्राप्त भूमि के विवरण	अदा की गई अधिक राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
एस.एस.बी.	भूमि का अधिग्रहण, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड	12.65	एस.एस.बी. ने 3.17 एकड़ भूमि के लिए जिला प्राधिकरणों को ₹15.15 लाख जमा किए थे। प्रस्ताव को एस.एस.बी. द्वारा रद्द कर दिया गया था तथा ₹2.50 लाख की कीमत की 1.24 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु एक नया प्रस्ताव मई 2014 में स्वीकृत किया गया था। ₹12.65 लाख का शेष अभी भी राज्य सरकार के पास पड़ा था। एस.एस.बी. में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले को जिला/राज्य प्राधिकरण के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
बी.एस.एफ.	लखनऊ में 65.343 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	9.00	बी.एस.एफ. ने जिला राज्य प्राधिकरणों के पास ₹2.99 करोड़ जमा किए। क्षतिपूर्तियो, दण्डों के भुगतान तथा अन्य बकायों के समायोजन के पश्चात् ₹9.00 लाख की राशि जूलाई 2012 से जिलाधीश के पास पड़ी थी। इस राशि की वापसी हेतु कोई प्रयास नहीं किए हैं। बी.एस.एफ. ने अपने उत्तर (जून 2015) में बताया कि जिला एल.ए. प्राधिकरण को वापसी हेतु कहा गया था।
कुल		**21.65**	

3.5 निष्कर्ष

यह देखा गया था कि सी.ए.पी.एफ. में भूमि के अधिग्रहण की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। लेखापरीक्षा ने न तो एम.एच.ए. और न ही सी.ए.पी.एफ. में किसी प्रभावी भूमि अधिग्रहण मॉनीटरिंग प्रणाली को पाया जिसका परिणाम राज्य सरकार के पास भूमि की कीमत को जमा कराने के पश्चात् भी अधिग्रहण में विलम्ब/गैर अधिग्रहण में हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब का कारण बन रहे मामलों का समाधान करने हेतु सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. के तथा राज्य राजस्व विभाग उच्च प्राधिकारियों के बीच किसी सरंचित बातचीत का अभाव था। लेखापरीक्षा जांच ने पाया कि 66 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण मामलों में असाधारण विलम्ब थे जो सबसे खराब मामले में नौ वर्षों तक था। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण के दौरान एम.एच.ए. के दिशानिर्देशों/मापदण्डों के उल्लंघन, प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व अपर्याप्त सर्वेक्षण आदि के कुछ उदाहरण थे।

अनुशंसा:

एम.एच.ए. को सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित एक वर्ष तथा सात दिनों की समय सीमा को फिर से देखना चाहिए क्योंकि इसे लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा किए गए किसी भी मामले में पूरा नहीं किया गया था। सी.ए.पी.एफ. को सर्वेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त थी।



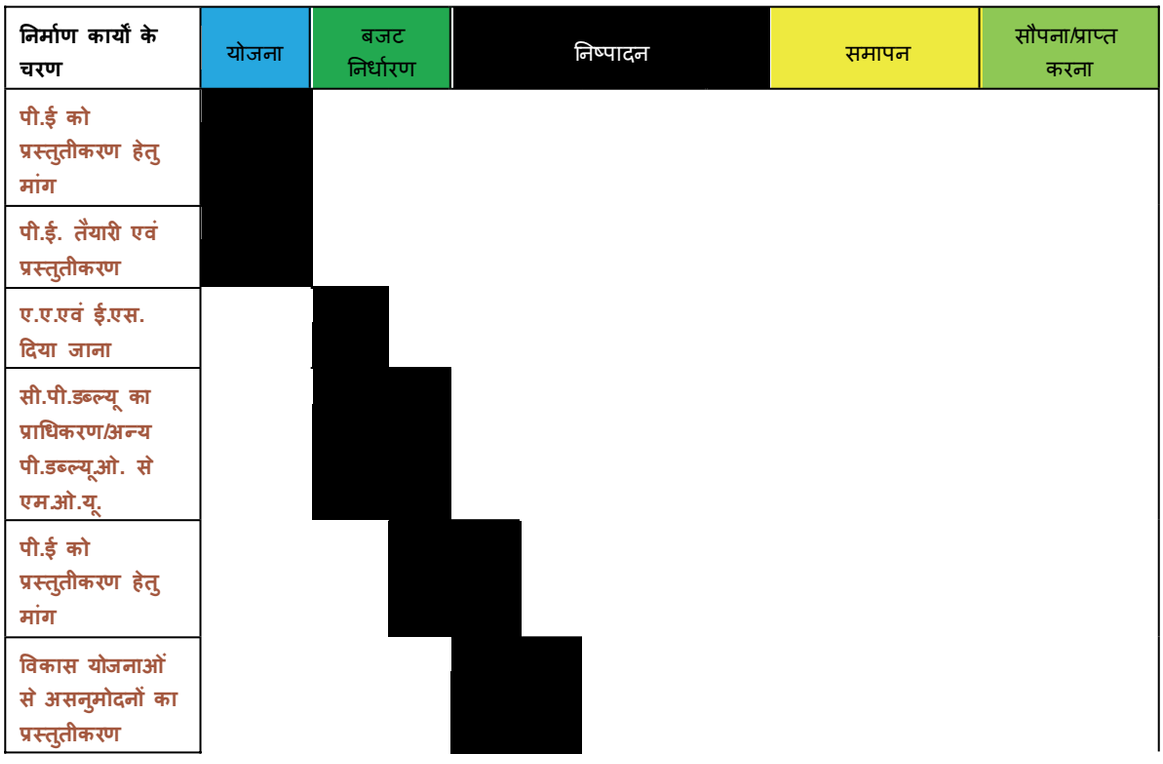
अध्याय – IV

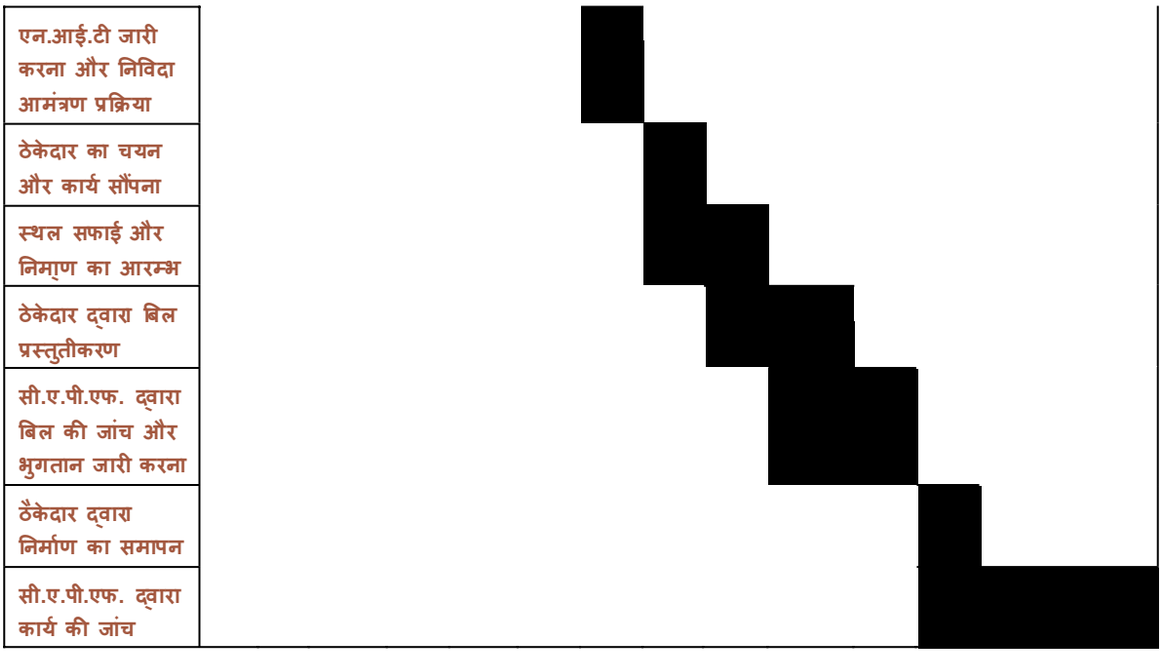
निर्माण गतिविधियां (विषय वार)

कार्यात्मकता और वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना तैयार करने के उद्देश्य में निर्माण गतिविधियों के आरम्भ से समाप्ति तक परियोजना की सम्पूर्ण योजना, समन्वय और नियंत्रण शामिल होते हैं। इस अध्याय में ₹3257.37 करोड़ की राशि के 710 संस्वीकृत कार्यों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। निर्माण परियोजना के सभी चरणों में कमियों को स्पष्ट करने का एक प्रयास किया गया था जो इस अध्याय में उसी क्रम में वर्णित हैं। ये कार्य कार्यकारी एजेसियों द्वारा किए गए थे और उल्लेखित अधिकांश कमियों का दायित्व कार्यान्वयन एजेंसियों पर है। इस अध्याय में दिये गये आपत्तियों का सम्पूर्ण चित्र और समष्टि विश्लेषण पी.डब्ल्यू.ओ. वार (अध्याय V) और बल वार (अध्याय-VIII) में भी दर्शाए गए हैं।

निर्माण कार्यों की प्रक्रिया निर्माण के बाद स्थल को सौंपने/प्राप्त करने के आवश्यक अनुमोदनों के बाद निष्पादन एजेंसी के चयन से आरम्भ होती है जैसा नीचे प्रदर्शक चार्ट में चिन्हित किया गया है। निमार्ण कार्य से संबंधित मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष में बाद में स्पष्ट किए गए हैं।

चार्ट 4.1: निर्माण कार्यों की प्रक्रिया*





4.1 कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्राथमिक अनुमानों का प्रस्तुतीकरण

4.1.1 प्राथमिक अनुमान (पी.ई.) तैयार करते समय आवश्यकता का आकलन

लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामलों में आवश्कता का उचित आकलन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹40.82 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ:

- एम.एच.ए. ने सी.आई.एस.एफ. के लिए ₹15.35 करोड़ की अनुमानित लागत पर मार्च 2010 में सी.आई.एस.एफ कैम्पस ग्रेटर नोयडा, यू.पी. में 12 टाइप V सहित 108 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य संस्वीकृत किया, तथापि जिसे एन.बी.सी.सी. द्वारा निष्पादित किया जाना था। सी.आई.एस.एफ. ने मई 2010 में केवल 2 टाईप V क्वाटरों के निर्माण की संस्वीकृति एन.बी.सी.सी. को सूचित की। जून 2010 में सी.आई.एस.एफ. ने टाइप V क्वार्टरों की संस्वीकृति 2 से 5 में संशोधित कर दी थी। फरवरी 2011 में सी.आई.एस.एफ. ने टाइप V क्वार्टरों के निर्माण की संस्वीकृति फिर पुन: 5 से 12 में संशोधित कर दी जैसा एम.एच.ए. द्वारा मूलत: संस्वीकृत किया था। एन.बी.सी.सी. ने उसी दर पर अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण से इनकार कर दिया और कहा कि उनके लिए अलग कार्य सौंपा जाना था। तदनुसार 7 टाईप-V क्वार्टरों का निर्माण कार्य ₹2.31 करोड़ पर फरवरी 2012 में दिया गया जो उस अवधि के दौरान प्रभावी लागत सूची सूचकांक से 49% अधिक था। अनेक बार टाईप V क्वाटरों की संख्या बदलने के लिए फाइलों में कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹68.88 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

- सी.आई.एस.एफ. ने बताया (जून 2015) कि 12 टाईप V क्वार्टस विशेष सुरक्षा समूह (ए.ए.ए.ए.जी.) एवं सरकारी भवन सुरक्षा (जी.सी.ए.ए.) समूह के लिए परिकल्पित किए गए थे तथा निधियों की उपलब्धता एवं प्राप्तकर्ता यूनिटों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर चरण वार निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.एच.ए. ने 108 क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹15.35 करोड़ मूलत: संस्वीकृत किए थे जिसमें सी.आई.एस.एफ. की प्राप्तकर्ता यूनिटों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार 12 टाईप-V क्वार्टर शामिल थे।

- असम राइफल्स (ए.आर.) ने ₹4.50 से अपनी वार्षिक कार्य योजना 2003-04 में एम.एच.ए. को दिल्ली में टाईप II, III और IV क्वार्टरों (संख्या में कुल 64) की आवश्यकता करोड़ के अनुमान सहित प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ए.आर. की दिल्ली में कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है। एम.एच.ए. द्वारा दिल्ली में परिवार क्वार्टरों के औचित्य के लिए डी.जी.ए.आर. से पूछा गया था परन्तु ए.आर; द्वारा कोई उत्तर नहीं भेजा गया था। तथापि एम.एच.ए. ने दिल्ली में ₹33.30 करोड़ से आवासीय क्वार्टरों का निर्माण अनुमोदित किया। निर्माण 2008-09 में आरम्भ किया गया परन्तु अभी भी पूर्ण किया जाना था।

  ए.आर. ने बताया (जून 2015) कि ए.आर. के कार्मिक देश के विभिन्न भागों से थे इसलिए पूर्वोत्तर में ए.आर. के परिवार आवास के प्राधिकण से कुछ आवास दिल्ली में शाखा के रूप में क्षतिपूर्ति करने का निर्माण लिया गया और एम.एच.ए. से संस्वीकृति प्राप्त की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं किहै क्योंकि ए.आर. को मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीमा सुरक्षा बल के रूप में लगाया गया था और दिल्ली में कोई, यूनिट तैनात/पदस्थ नहीं की गई थी इसलिए दिल्ली में ए.आर.के लिए आवासीय आवास का निर्माण उचित नहीं था।

- डी.जी. आई.टी.बी.पी. ने अप्रैल 2013 में जलुकबारी, गुवाहाटी में ट्रांजिट कैम्प के लिए ₹76.52 लाख से छ: कार्यों का अनुमोदन किया। छ: भिन्न उपकार्यों में से तीन कार्य रोक दिए गए थे और इसके बजाए लापरवाही और मनमाना ढंग दर्शाते हुए अतिरिक्त कमरों के सेट के निमार्ण का अन्य कार्य आरम्भ किया गया था जिसमें अनुमान बनाए गये थे।

- हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच.पी.एल.) ने अप्रैल 2010 में 13.87 करोड़ की लागत पर सुखोवी, नागालैण्ड में पुल सहित 7 किलोमीटर लम्बी मूल सड़क का निर्माण आरम्भ किया। पुल के दोनों ओर सड़क कार्य पूरा करने के बाद एच.पी.एल. ने पुल के निर्माण करने के द्वारा सड़क को जोड़ने के लिए ₹1.42 करोड़ की अतिरिक्त निधि की मांग (मार्च 2014) की। कार्य की लागत में यह वृद्धि पुल की बढ़ी

प्राथमिक अनुमानों (पी.ई.) में परिकल्पित लम्बाई से बढ़ जाने के कारण थी जो की गई थी। तथापि ए.आर. ने ₹6.06 करोड़ खर्च करने के बाद इस असम्बद्ध सड़क को अपूर्ण छोड़ने का निर्माण किया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि उसकी आवश्यकता केवल 8 से 10 वर्षों के बाद ही होगी। अभिलेखों से पता चला कि वर्षा के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा आगे मोटर वाहन चलाने योग्य नहीं रह गई थी जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

चित्र 4.1: नागालैण्ड के सुखोवी में अपूर्ण पुल और जोड़ी न गई सड़क



असम रायफल्स ने बताया (अप्रैल 2015) कि उक्त कार्य 12वीं पंच वर्षीय योजना में संस्वीकृत की जाने वाली अतिरिक्त प्रशिक्षण बटालियन की प्रत्याशा में आरंभ किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि सड़क 3-5 वर्षों के समय बाद क्षेत्र में बनने वाली अपेक्षित प्रशिक्षण बटालियन को पहुँच प्रदान करेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बटालियन अभी भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी थी।

4.1.2 निर्माण पूर्व सर्वेक्षण में विफलता

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित कार्यों में ग्राहक तथा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उचित योजना अपूर्ण थी:

तालिका 4.1: अपूर्ण निर्माण पूर्व चरण सर्वेक्षण वाले कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनियमितता
1.	₹ 29.78 लाख की अनुमानित लागत से सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जी.सी. सी.आर.पी.एफ. में मैगजीन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने ड्राइंग में हाई ऐंशन तार के बारे में उल्लेख नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उसे हटाने के लिए ₹ 23.11 लाख का अधिक व्यय हुआ।
2.	₹ 1281.41 लाख से सी.पी;डब्ल्यू.डी. द्वारा सी.आर.पी.एफ. के लिए भोपाल में 50 विस्तर अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू. द्वारा योजना चरण के दौरान सुरक्षा प्रावधान, विद्युत बैकअप प्रणाली, फादर अलार्म, अग्नि शमन प्रणाली, मुरदाघर के लिए रैफ्रीजरेटर, जैवरसायन अपशिष्टका निपटान आदि शामिल नहीं किए गए थे। इन कार्यों की संस्वीकृति के लिए सी;पी;डब्ल्यू.डी. द्वारा ₹1.98 करोड़ की राशि का अलग प्राथमिक अनुमान तैयार किया गया है। अपनी उत्तर में सी.आर.पी.एफ. ने बताया कि संस्वीकृति दी जा रही थी और भविष्य में प्राथमिकत अनुमान में सभी आवश्यक प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थीं।

4.1.3 स्थानीय प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन

सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियम पुस्तक की धारा 2.7 के अनुसार प्रत्येक स्थापना के संबंध में विन्यास योजना (एल.सी.पी.) और ड्राइंग उपयुक्तता/प्रतिमानों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए तथा उपभोक्ता (सी.ए.पी.एफ.) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने चाहिए। एन.आई.टी./कार्य आरम्भ करने से पूर्व आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा नगरपालिका/स्थानीय निकाय/ विकास प्राधिकरण से सम्पर्क किया जाना था। इसके अलावा एल.ओ.पी. तथा ड्राइंग में कोई बाद के परिवर्तन के लिए भी इन प्राधिकरणों से अनुमोदन की आश्यकता थी।

463[1] कार्यों में यह देखा गया कि 341 कार्यों (73.6 प्रतिशत) में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकरण से ड्राइंग, विन्यास योजनाओं आदि के अनुमोदन नहीं लिए गए थे। इसके अतिरिक्त 234 कार्यों में (68.6 प्रतिशत) में

[1] कुल चयनित 710 कार्यों में से 463 कार्य। शेष कार्यों में प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कार्य नए कार्य नहीं थे और मुख्यतया मरम्म्त और पुनरूद्वार कार्यों से संबंधित थे।

अनुमोदन लिए बिना ठेकेदारों को ठेके सौंपे गए थे **(अनुबंध 1.3)**। एल.ओ.पी. के लिए स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन 66 कार्यों में उनके समापन के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया था।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी अपनी स्वीकार कर ली और बताया (अप्रैल 2015) कि भवनों की डिजाइन और ड्राइंग सी.पी.डब्ल्यू.डी. की वरिष्ठ वास्तुकार द्वारा तैयार किए गए थे तथा स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों द्वारा निर्धारत प्रतिमानों के अनुरूप थे। जहॉ क्षेत्र नगरपालिका के भीतर पड़ता है। जहां क्षेत्र नगरपालिका के भीतर पड़ता है वहॉ भवनों की डिजाइन तथा ड्राइंग के अनुमोदनों हेतु आवेदन स्थानीय प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए गए थे उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य नियम पुस्तक के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त एल.ओ.पी. के अनुमोदन के अभाव में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बाद में पूर्ण निर्माण को अप्राधिकृत घोषित करने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सी.पी.डब्ल्यू.डी. को छोडकर किसी अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कीं थीं।

तीन उदाहण नीचे दिए गए हैं जिनमें स्थानीय प्राधिकरणों से समय पर अनुमोदन सुनिश्चित नहीं किए गए थे।

मामला अध्ययन - 4.1

असम राइफल्स ने जुलाई 2003 में द्वारका, नई दिल्ली में 32 क्वार्टरों और हास्टलों का कार्य ई.पी.आई.एल. को दिया। लागत सूचकांक और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण दिसम्बर 2005 में अनुमानित लागत ₹4.50 करोड़ से ₹7.30 करोड़ संशोधित की गई थी। यद्यपि ई.पी.आई.एल. ने स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त नहीं किए थे परंतु जून 2006 में ठेकेदार को कार्य सौंप दिया। ठेकेदार ने चार दीवारी का निर्माण आरम्भ कर दिया और कार्य आरम्भ करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के अनुमोदनों की मांग की। ई.पी.आई.एल. समय पर अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहा। स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन जुलाई 2007 में प्राप्त हुए और उस समय तक ठेकेदार ने जून 2006 में उद्धरित दरों पर कार्य करना अस्वीकार कर दिया। एम.एच.ए. को उसी कार्य के लिए फरवरी 2009 में ₹16.85 करोड़ की संशोधित स्वीकृति देनी पड़ी। इस प्रकार खराब योजना के परिणामस्वरूप ₹12.35 करोड़ की मूल्य वृद्धि हुई तथा मूलत: सितम्बर 2007 में समापन हेतु निर्धारित कार्य ई.पी.आई.एल. द्वारा जून 2015 तक सौंपा नहीं जा सका था।

मामला अध्ययन - 4.2

सीपी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित ₹4.77 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के ज्वालामुखी स्थित ए.ए.ए.ए.बी.[2] के कार्यों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्य का निष्पादन नगर पंचायत से भवन योजना का अनिवार्य अनुमोदन तथा एन.एच.ए.आई. से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना आरम्भ किया गया। छः माह के पश्चात् कार्य समयपूर्व रोक दिए गये। फरवरी 2014 में ₹6.54 करोड़ के संशोधित अनुमान तैयार किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹1.77 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

कार्यकारी एजेंसी ने स्वीकार किया कि प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब से लागत वृद्धि हुई। ए.ए.ए.ए.बी. ने अपने उत्तर में कहा कि एन.एच.ए.आई. से अनुमोदन नवम्बर 2010 में प्राप्त हुआ तथा तत्पश्चात् स्थानीय निकाय द्वारा योजनाओं तथा एल.ओ.पी. का अनुमोदन सूचित किया गया।

मामला अध्ययन - 4.3

चूंकि स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लगता है, सी.पी.डब्ल्यू.डी. को जुलाई 2002 में प्राधिकरणों से साथ-साथ संकल्पनात्मक अनुमोदन प्राप्त करने के अनुरोध सहित, समालखा कैम्प, नई दिल्ली में कार्यालय तथा आवासीय परिसर के निर्माण का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रतिक्रिया में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अक्तूबर 2002 में एन.ए.ए.जी. को ₹10.76 करोड़ का प्राथमिक अनुमान (पी.ई.) प्रस्तुत किया। पी.ई. चार मंजिला (भूतल+3) संरचना और भवन कार्यों के लिए था। यह देखा गया कि मुख्यतः एम.सी.डी. से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा छः बार पी.ई. संशोधित किया गया था। अंततः मार्च 2011 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने ₹47.42 करोड़ का संशोधित पी.ई. प्रस्तुत किया जो जुलाई 2011 में संस्वीकृत हुआ। भूतल+4 वाले भवन के निर्माण के अनुमोदन अभी भी लम्बित थे और कार्य अभी भी अपूर्ण था (जून 2015)। इस प्रकार एम.सी.डी. का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण भवन की अनुमानित लागत ₹10.76 करोड़ से ₹47.42 करोड़ तक बढ़ गई और जुलाई 2002 में आरम्भ की गई परियोजना 13 वर्ष बाद भी अपूर्ण रही।

एन.ए.ए.जी. ने अपने उत्तर में यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार कर ली कि कार्य स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन के अभाव में आरम्भ नहीं किया जा सका था। उसने आगे कहा कि स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना उपभोक्ता नहीं बल्कि कार्यकारी एजेंसी का दायित्व था।

[2] चार दीवारी, आन्तरिक सड़के, भूमिगत जल टैंक तथा अन्य विकास कार्यों का निर्माण, ज्वालामुखी में टाईप IV /4 क्वार्टरों (दो मंजिला) का निर्माण, ज्वालीमुखी में टाईप III/8 (चार मंजिला) क्वाटरों का निर्माण तथा टाईप II/20 क्वार्टरों का निर्माण

4.1.4 गलत प्राथमिक अनुमान तैयार करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राथमिक अनुमान (पी.ई.) तैयार करने में अनेक कमियों का पता चला। सी.ए.पी.एफ. भी प्रशासिनिक अनुमोदन देने से पूर्व पी.ई. के विश्लेषण में उचित नियंत्रण प्रक्रिया नहीं अपना रहे थे। निम्नलिखित उदाहरण पी.ई. की तैयारी में पाई गई अनियमिताएं प्रदर्शित करते हैं:

तालिका 4.2: कार्यों के ब्यौरे जहॉ गलत पी.ई. तैयार किए गए थे

अनियमितता	लेखापरीक्षा आपत्ति
एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा गलत दर अपनाना	दिल्ली प्लिन्थ एरिया रेट (डीपी.ए.आर.) में विभिन्न प्रकार के भवनों, जैसे स्कूल, हास्टल और आवासीय के लिए अलग दरों का प्रावधान किया गया है। इसमें 'उच्च विनिर्देशन मदों' और 'सामान्य विनिर्देशन मदों' के लिए दो दरों का प्रावधान है। असम राफल्स के भवन सामान्य विनिर्देशन मदों के अधीन आते हैं। परन्तु पी.ई. में एन.पी.सी.सी.एल. ने मनमाने ढंग से कुछ मदों को 'उच्च विनिर्देशन मदें' मान लिया। इसके कारण पी.ई. ₹94.84 लाख तक बढ़ गए थे **(अनुबंध 4.1)** एन.पी.सी.सी.एल. ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की।
निर्माण कार्य संविदा कर की उच्च दर अपनाना	मणिपुर में निष्पादित एक कार्य[3] में एन.पी.सी.सी.एल. ने मणिपुर राज्य में 5.6 प्रतिशत की अभिभावी दर के स्थान पर 12.5 प्रतिशत की 'निर्माण कार्य संविदा कर' (डब्ल्यू.सी.टी.) का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹23.26 लाख तक पी.ई. बढ़ गया। उत्तर में असम राइफल्स ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली कि डब्ल्यू.सी.टी कटौती में अंतर का कारण डब्ल्यू.सी.टी. अधिसूचना को संबंधित राज्यों से विलंब से प्राप्त होना था।

[3] 21 ए.आर. के 6 एन.सी.ओ. के लिए 3 एकल व्यक्ति बैरक के 1 ब्लाक तथा 60 क्वार्टर (जी+II) और 1 प्रशासनिक ब्लाक (जी+I) का निर्माण।

अनियमितता	लेखापरीक्षा आपत्ति
भिन्न लागत सूचकांक का प्रयोग	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच.पी.एल.) ने मणिपुर में ए.आर; के दो कार्यों[4] के निर्माण के लिए पी.ई. बनाते समय भिन्न लागत सूचकांक का प्रयोग किया यद्यपि दोनों कार्य एक ही समय पर निष्पादित किए गए थे। इसके कारण कार्य की अनुमानित लागत ₹21.66 लाख तक बढ़ गई। एच.पी.एल. ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कीं।
सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा कुरसी क्षेत्र की गलत संगणना	कादरपुर, गुडगांव में सी.आर.पी.एफ. के लिए ग्रुप सेंटर और अकादमी के लिए प्रशासनिक और प्रशिक्षण ब्लाक के निर्माण कार्य में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अक्तूबर 2002 में वरिष्ठ वास्तुकार सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा तैयार संकल्पनात्मक वास्तु शिल्पीय ड्राइंग के आधार पर 8771 वर्ग मीटर (व.मी.) कुरसी क्षेत्र को हिसाब में लेकर दिसम्बर 2002 में ₹13.10 करोड़ का पी.ई. अनुमोदित किया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य ₹9.28 करोड़ **की निविदागत लागत पर** ठेकेदार को दिया गया था। मार्च 2007 में कार्य अस्थाई रूप से निलम्बित कर दिया गया क्योंकि निविदागत निधि समाप्त हो गई थी। अगस्त 2008 में करार समाप्त कर दिया गया। अन्तिम कार्यचालन ड्राइंग 12322 व.मी; मानकर ₹24.62 करोड़ का संशोधित पी.ई. जनवरी 2007 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सी.आर.पी.एफ. को प्रस्तुत किया गया। अनुमान तैयार करने में कुरसी क्षेत्र की गलत संगणना पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर अपने उत्तर में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने बताया कि संकल्पनात्मक ड्राइंग में दर्शाए गए फर्श क्षेत्र की संगणना में अनजाने में कुछ त्रुटि हुई थी जिसे सी.आर.पी.एफ. द्वारा अनुमोदित किया गया था। आगे यह बताया गया कि ₹13.10 करोड़ की राशि का पी.ई. 12322 व.मी. के वास्तविक क्षेत्र के स्थान पर 8771 व.मी. क्षेत्र मानकर तैयार किया गया था। संशोधित ए.ए./ई.एस. प्राप्त होने के बाद शेष कार्य एक अन्य एजेंसी को ₹4.14 करोड़ की निविदागत लागत पर दिया गया (अगस्त 2009) जिसके प्रति ₹6.20 करोड़ का भुगतान किया गया है और कार्य अक्तूबर 2010 में पूर्ण हो गया था।

[4] कांगवाई मणिपुर में आवास यूनिटों की ए.आर. हाउसिंग परियोजना के लिए 1.5 कि.मी. आंतरिक सड़क भाग ए.आर. हेतु कांगवाई मणिपुर में पांच आवासीय यूनिटों टाईप- v क्वार्टरों का निर्माण

अनियमितता	लेखापरीक्षा आपत्ति
	अपने उत्तर में सी.आर.पी.एफ ने आपत्ति स्वीकार कर ली (जून 2015) और सी.आर;पी;एफ. तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. के दोषी अधिकारियों का परामर्श जारी करने का निर्णय लिया।
पी.एम.सी. पर सेवा कर का गलत समावेश	13 मामलों (**अनुबंध- 4.2**) में पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा लगाए गए प्रबंधन प्रभारों पर सेवा कर के गलत समावेशन के कारण पी.ई. में ₹1.30 करोड़ के बजट का अधिक प्रावधान किया गया था क्योंकि पी.डब्ल्यू.ओ. जुलाई 2012 से सेवा कर से मुक्त थे। एन.बी.सी.सी. ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कीं।

4.1.5 अनुमानों में मदें शामिल न करना

निर्माण कार्यों के पी.ई. की संवीक्षा से पता चला कि कुछ मामलों में महत्वपूर्ण मदें पी.ई. में शामिल नहीं की गई थीं

तालिका 4.3: पी.ई. में मदों को शामिल न करने वाले कार्यों के ब्यौरे

अनियमितता	लेखापरीक्षा आपत्ति
सुविदा मदों के प्रावधान की कमी	2013-14 के दौरान ए.आर. द्वारा दिए गए ₹7.00 करोड़ वाले पांच कार्य नवम्बर 2014 तक आरम्भ नहीं हुए थे यद्यपि कार्यों के समापन की निर्धारित अवधियॉ 60-70 प्रतिशत तक समाप्त हो चुकीं थी। यह पी.ई. समुचित रूप से बनाये जाने के कारण था क्योंकि पहुँच मार्ग, पुराने भवन को गिराने और स्थल निर्बाधन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था (**अनुबंध -4.3**)। असम रायफल्स ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (मार्च 2015) के वे प्राथमिक अनुमान में आवश्यक प्रावधान उपलब्ध करने में पूरी सावधानी बरतेंगे।
ऊर्जाकरण के प्रावधान की कमी	एक मामले में एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा निर्मित ₹825.69 लाख मूल्य के 18 क्वार्टरों (जोरहाट, असम) का जुलाई 2012 में उनके निर्माण के 1½ वर्ष बाद भी ए.आर. द्वारा कब्जा लिया नहीं जा सका था क्योंकि 350 के.वी.ए. ट्रांसफार्मरों के ऊर्जाकरण का कोई प्रावधान पी.ई. में रखा नहीं गया था।

	असम रायफल्स ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली मार्च 2015 कि वे सभी आवश्यक सेवाओं के लिए प्रावधानों के समावेशन द्वारा पी.ई. तैयार करने में पूरी सावधानी बरतेंगे।
जल एकत्रीकरण की कमी	लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि पी.डब्ल्यू.ओ. जिन्हें ए.आर. ने अपने कार्य सौंपे, ने जल एकत्रीकरण हेतु अनुमान में प्रावधान करने के ए.आर. के मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया था। यह कमी ए.आर. के लेखापरीक्षित 100 प्रतिशत भवन कार्यों में देखी गई (**अनुबंध -1.3**)।

अपने उत्तर में सी.ए.पी.एफ. ने बताया कि एम.एच.ए. द्वारा डी.पी.ए.आर. अनुमानों के 16.6 प्रतिशत की कटौती आवासीय कार्य पर तथा 18.5 प्रतिशत कार्यालय निर्माण पर लगाये जाने के कारण स्थल आवश्यकतानुसार अपेक्षित कुछ विकास संबंधी मदें हटा दी/शामिल नहीं की गयीं थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विकास संबंधी मदों की या तो आवश्यकता नहीं थी अथवा इन्हें पी.ई. अनावश्यक रूप से बढ़ाने हेतु शामिल किया गया था जिसे बाद में एम.एच.ए. द्वारा बिना कारण बताये काट लिया गया था।

4.1.6 प्राथमिक अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में देरी

पी.ई. के अन्तिमीकरण के लिए न तो एम.एच.ए. द्वारा और न ही पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा कोई प्रतिमान/समय सीमाएं निर्धारित की गई थीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सी.ए.पी.एफ. को कार्यासन्वयन एजेंसियों द्वारा पी.ई. के प्रस्तुतीकरण में औसतन पांच महीने लिए गए थे। तथापि 651 मामलों[5] में से ₹831.26 करोड़ की कुल संस्वीकृत राशि के 173 (26.5 प्रतिशत) (**अनुबंध 1.3**) में सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. तथा सी.ए.पी.एफ. ने पी.ई. के प्रस्तुतीकरण/अन्तिमीकरण के लिए पांच माह से अधिक समय लिया। इसका बाद के नियोजित लक्ष्यों पर उत्तरोत्तर प्रभाव पड़ा था जिससे परियोजना अनेक माह तक पीछे चली गई। एजेंसी वार लिए गए समय की स्थिति निम्नवत थी:

[5] 710 कार्यों में से 59 मामलों में डाटा उपलब्ध नहीं था

तालिका 4.4: प्राथमिक अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में देरी वाले कार्यों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

पी.डब्ल्यू.ओ. का नाम	मामलों की संख्या जहॉ औसत अर्थात पांच माह से अधिक समय लिया	बल का नाम	राशि
विभागीय	133	बी.एस.एफ.-30,सी.आई.एस.एफ.-16,सी.आर.पी.एफ.-39,आई.टी.बी.पी.-18,एन.ए.ए.जी.-2,ए.ए.ए.ए.बी.-28	515.25
एन.बी.सी.सी.	4	ए.आर.-1,बी.एस.एफ.-1,आई.टी.बी.पी.-1,एन.ए.ए.जी.-1	0.95
एन.पी.सी.सी.एल.	12	सी.आइ.ए.ए.एफ.-1,सी.आर.पी.एफ -10,ए.ए.ए.ए.बी.-1	220.44
एन.पी.सी.सी.एल.	20	ए.आर.-20	59.92
ई.सी.बी.	1	ए.आर. -1	0.72
ई.पी.आई.एल.	3	ए.आर. -3	33.98
जोड़	**173**		**831.26**

सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थीं। तथापि सी.ए.पी.एफ. ने यह कह कर तथ्य स्वीकार कर लिया (जून 2015) कि समय से पी.ई. का प्रस्तुतीकरण कार्यान्वयन एजेंसियों का उत्तरदायित्व है। असम रायफल्स ने अपने उत्तर में बताया कि वे पी.ई. प्रस्तुत करने हेतु पी.डब्ल्यू.ओ. के लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित करेंगे।

बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. और आई.टी.बी.पी. के संबंध में पी.ई. के प्रस्तुतीकरण में देरी के कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दर्शाए गए हैं।

मामला अध्ययन 4.4:

सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा महाराजगंज में ए.ए.ए.ए.बी. के लिए बार्डर आउट पोस्ट के निर्माण के लिए ₹421.82 लाख की राशि के लिए प्रसाशनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति जारी की गई थी (मार्च 2012) मृदा परीक्षण अक्तूबर 2012 में किया गया। मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विसरण सहित मृदा परीक्षण को बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बी.एच.यू.) से टिप्पणियों के साथ किए जाने की आवश्यकता है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा फरवरी 2013 में मृदा परीक्षण की नई योजना प्रस्तुत की गई परन्तु 28 माह बीत जाने के बाद भी ए.ए.ए.ए.बी. द्वारा संशोधित प्रस्ताव के लिए संस्वीकृति नहीं दी गई थी।

अपने उत्तर (जून 2015) में ए.ए.ए.ए.बी. ने तथ्य स्वीकार कर लिया और बताया कि खराब मृदा स्थिति के कारण नींव की डिजाइन में परिवर्तन के कारण संशोधित संस्वीकृति अपेक्षित थी परन्तु व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) की सीमा के कारण संशोधित संस्वीकृति नहीं दी जा सकी।

मामला अध्ययन- 4.5

पटगांव, असम में प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण आरम्भ करने के लिए बी.एस;एफ. ने जनवरी 2009 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. से अनुरोध करते समय ब्यौरे नहीं भेजे थे। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अपनी ओर से फरवरी 2011 तक बी.एस.एफ. को स्मरण नहीं कराया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ड्राइंग देने में बी.एस.एफ. द्वारा दो वर्ष से अधिक का समय लिया गया जिसका कटिंगे बी.एस.एफ. द्वारा उसे अन्तिम रूप न दिया जाना बताया गया था इस बीच की अवधि में लागत सूचकांक 28 प्रतिशत बढ़ गया जिससे कार्य की अनुमानित लागत में ₹2.28 करोड़ की वृद्धि हो गई नियमानुसार औपचारिकताओं का अनुपालन न करने के अतिरिक्त यह तथ्य, कि बी.एस.एफ. द्वारा लगभग 2 वर्षों तक सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्राथमिक अनुमान तैयार करने का कारण सुनिश्चित न किया जाना बी.एस.एफ. अधिकारयों द्वारा निगरानी की कमी का परिचायक था।

बी.एस.एफ. ने अपनी ओर से हुई देरी को अपने उत्तर (जून 2015) में स्वीकार कर लिया और बताया कि पी.ई. के शीघ्र प्रस्तुतीकरण के लिए प्रयास किये जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि उठाए गए मामले में देरी मृदा परीक्षण के अन्तीमीकरण के कारण थी।

मामला अध्ययन - 4.6

रानीनगर तथा बैकुंठपुर, पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक संयुक्त ड्रिल शेड के निर्माण के लिए बी.एस.एफ. ने प्राप्ति की तारीख के क्रमश: 20 माह और 17 माह के बाद संशोधन हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. को पी.ई. वापस किए। इसका कारण स्वयं बी.एस.एफ. द्वारा तैयार ड्राइंग में संशोधन बताया गया था। इसे मध्यवर्ती अवधि (पी.ई. के आरम्भिक प्रस्तुतीकरण

और बाद के संशोधन के बीच) में 33 से 34 प्रतिशत तक लागत सूचकांक के उर्ध्व संशोधन के कारण कार्यों की अनुमानित लागत में ₹1.50 करोड़ तक की वृद्धि हो गई थी।

मामला अध्ययन - 4.7

लोहितपुर, अरूणाचल प्रदेश में डब्ल्यू.बी.एम. के निर्माण और सड़क की रीकार्पेटिंग के लिए आई.टी.बी.पी. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को मार्च 2007 में और पुन: जनवरी 2008 में पी.ई. प्रस्तुत करने हेतु कहा। अप्रैल 2007 के लागत सूचकांक के आधार पर जुलाई 2008 में तैयार ₹1.93 करोड़ का अनुमान जून 2009 में संस्वीकृत किया गया था। अप्रैल 2009 के लागत सूचकांक के आधार पर अनुमान ₹2.36 करोड़ तक संशोधित करना पड़ा क्योंकि न्यूनतम बोलीकर्ता की प्रस्तावित राशि संस्वीकृति राशि से अधिक थी। ₹2.36 करोड़ तक संशोधित करना पड़ा था। अन्तिम पी.ई. अगस्त 2009 में आई.टी.बी.पी. को भेजा गया। इन घटनाओं से परियोजना में दो वर्ष से अधिक विलम्ब हुआ और कार्य की लागत को 22.27 प्रतिशत से बढ़ा गई।

मामला अध्ययन- 4.8 :

अटारी बार्डर (वाघा) में दर्शक दीर्घा के विस्तार और विभिन्न सुख सुविधाओं के प्रावधान का प्रस्ताव बी.एस.एफ. से जून 2008 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को प्राप्त हुआ था। तथापि यह देखा गया था कि कुल पांच प्राथमिक अनुमान तैयार किए गए थे और आखिरकार एम;एच.ए. ने अक्तूबर 2013 में ₹23.98 करोड़ की संस्वीकृति जारी की। मई 2014 में सी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ₹16.12 करोड़ की तकनीकी संस्वीकृति जारी की गई। बी.एस;एफ. द्वारा प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के छ: वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका था।

बी.एस.एफ. ने आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (जून 2015) कि समुचित प्रतिक्रिया न मिलने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ था और अब कार्य प्रदान किया जा चुका है।

सिफारिश :

सी.ए.पी.एफ. पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा पी.ई. भेजने के लिए समय सारणी निर्धारित करें। इसके बाद के चरणों के दौरान समय आधिक्य को कम करने में सहायता मिलेगी।



4.2 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति

प्रशासनिक अनुमोदन (ए.ए.) प्रस्तावों की औपचारिक स्वीकृति है जबकि व्यय संस्वीकृति (ई.एस.) व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति है। जी.एफ.आर. के नियम 129 के अनुसार अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (ए.ए. एवं ई.एस.) प्राप्त किए बिना कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिन्हे कार्यान्वित एजेंसी द्वारा तैयार पी.ई. के आधार पर प्रदान किया जाता है। ए.ए. एवं ई.एस. देने के लिए एम.एच.ए. द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा जांच में कमियों का पता चला जैसे

(i) कार्य टुकड़ों में खण्डित करना
(ii) ए.ए. एवं ई.एस. की संस्वीकृति में विलम्ब
(iii) संशोधित व्यय संस्वीकृति प्राप्त न करना, जैसा निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

4.2.1 मुख्य कार्यों को टुकड़ों में विभाजित करना

जी.एफ.आर. का नियम 130 और सी.वी.सी. मार्गनिर्देश प्रावधान करते हैं कि कार्यों का समूह जिन्हें मिलाकर एक परियोजना बनती है, को एक कार्य माना जाएगा। ऐसे कार्य समूह से निर्मित परियोजना कार्य के ऐसे समूह बनती है, का उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन अथवा संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता इस कारण नहीं टाली जानी चाहिए कि परियोजना के प्रत्येक कार्य विशेष की लागत निम्न अधिकारी की ऐसे अनुमोदन अथवा संस्वीकृति की शक्तियों के भीतर है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन एक निश्चित सीमा तक निर्माण गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं संस्वीकृत करने के लिए डी.जी. एवं संबंधित बलों के अन्य अधिकारियों जैसे ए.ए.डी.जी., ए.डी.जी. और आई.जी. को प्राधिकृत करता है। ब्यौरे निम्नवत हैं:

तालिका 4.5: निर्माण कार्यों के लिए सी.ए.पी.एफ; में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

कार्य के ब्योरे	एम.एच.ए.	डी.जी.	स्पे. डी.जी.	ए.डीजी.
सी.पी.डब्ल्यू.डी. अथवा पी.डब्ल्यू.ओ. के माध्यम से प्रमुख कार्य	₹ 5 करोड से ₹ 20 करोड़	₹ 2 करोड़ से ₹ 5 करोड़	₹ 1.5 करोड़ से ₹2 करोड़	₹ 1 करोड़ से ₹1.5 करोड़
विभागीय रूप से प्रमुख कार्य (जहॉ बल में इंजीनियरी शाखा है) (प्रत्येक मामले में तक)	-	₹ 60.00 लाख*	₹ 40.00 लाख	₹25.00 लाख

विभागीय रूप से प्रमुख कार्य (जहॉ बल में इंजीनियरी शाखा नहीं है) (प्रत्येक मामले में तक)	-	₹ 10.00 लाख	₹ 8.00 लाख	₹ 5.00 लाख

*** ₹60 लाख से अधिक के कार्य पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।**

**** मंत्रियों का समूह ₹150 करोड़ और अधिक परन्तु ₹300 करोड़ से कम**

यह देखा गया था कि परियोजना के लिए एक अनुमान बनाने के स्थान पर इसे उच्च अधिकारियों से ए.ए. एवं ई.एस. प्राप्त करने से बचने के उद्देश्य से डी.जी./एम.एच.ए. की प्रत्यायोजित शक्ति की सीमा के अन्दर प्रत्येक कार्य की लागत रखने के लिए 2 से 8 कार्यों में विभक्त किया गया था।

उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन टालने के उद्देश्य से संबंधित सी.ए.पी.एफ. के डी.जी./एम.एच.ए. द्वारा निम्नलिखित कार्य विभक्त किए गए थे:

तालिका 4.6: उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदन से बचने के लिए विभक्त कार्यों के ब्यौरे

(₹ करोड में)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	संस्वीकृति की राशि	संस्वीकृति की तारीख
1. (i)	एन ए.ए.जी. गैरीसन, मानेसर में क्वार्टरों का उन्नयन	0.39	28.05.2008
(ii)	-वही-	0.40	26.05.2008
2. (i)	मानेसर में शोचालय ब्लाकों का निर्माण	0.07	04.02.2010
(ii)	-वही-	0.60	04.02.2010
3. (i)	एन ए.ए.जी. गैरीसन, मानेसर में ऑक्यूपैंसी परिवर्तन के दौरान क्वार्टरों का उन्नयन	0.47	02.02.2012
(ii)	-वही-	0.48	22.03.2012
4.	बहालगढ़, सोनीपत में सी.आर.पी.एफ. के लिए ग्रुप सेंटर का निर्माण (7 कार्यों में विभक्त)	166.00	24.09.2011
5.	मथुरा, यूपी में बी.एस.एफ. के लिए बटालियन मुख्यालय की स्थापना (8 कार्यों में विभक्त)	38.21	09.05.2013 to 24.09.2013
कुल		**206.62**	

बहालगढ़, सोनीपत में सी.आर.पी.एफ. के नए ग्रुप सेंटर के निर्माण (ऊपर क्र.सं. 5) के मामले में संरचनात्मक डिजाइन बनाने के लिए एन.बी.सी.सी द्वारा लगाए गए सलाहकार ने इसे एक कार्य के रूप में माना। बाद में यह कार्य समान तरह के 7 कार्यों में विभक्त किया गया। जिसके लिए उच्च प्राधिकर्ता, अर्थात् मंत्रियों के समूह का अनुमोदन टालने के उद्देश्य से एम.एच.ए. से 7 संस्वीकृतियां प्राप्त की गई थीं।

एन.ए.ए.जी. ने क्र.सं. 1 से 3 के कार्यों के लिए अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी। सी.आर.पी.एफ. (क्र.सं. 4 के कार्य के लिए) ने बताया (जून 2015) कि निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अनेक/विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता/तत्कालिकता के अनुसार परियोजना संस्वीकृत की जाती है। तदनुसार अलग-अलग भवनों के लिए अलग-अलग सक्षम प्राधिकारी/एम.एच.ए. द्वारा संस्वीकृतियां दी जा रही हैं। एन.बी.सी.सी. ने बताया कि सी.आर.पी.एफ. ने चरणों में अनुमानों की संस्वीकृति सूचित की और तदनुसार सी.आर.पी.एफ. के साथ प्रत्येक संस्वीकृत कार्य के लिए पृथक अनुबंध निष्पादित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रियों के समूह ने एकल परियोजना के रूप में कार्य संस्वीकृत किया परंतु एम.एच.ए. ने उच्च प्राधिकर्ता से अनुमोदन टालने के उद्देश्य से कार्यों को विभक्त कर अनुमोदन प्रदान किया।

बी.एस.एफ. (ऊपर क्र.सं. 5 के कार्य के लिए) ने बाताया (जून 2015) कि प्रत्येक संघटक के लिए संस्वीकृति प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता केा ध्यान में रखकर दी गई थी। कोई कार्य-विखण्डन नहीं हुआ है क्योंकि प्रत्येक कार्य को अलग संस्वीकृति जारी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि आठ कार्यों से एक ही परियोजना बनती थी और एकल कार्य के विभाजन से जी.एफ.आर. के नियम 130 का उल्लंघन हुआ।

4.2.2 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति जारी करने में देरी

ए.ए./ई.एस. की संस्वीकृति देने के लिए सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. द्वारा कोई प्रतिमान/समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 710 कार्यों की हमारी संवीक्षा से पता चला कि कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा पी.ई. के प्रस्तुतीकरण की तारीख से सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. द्वारा ए.ए./ई.एस. की संस्वीकृति देने के लिए औसतन पांच माह लिए गए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 710 कार्यों में से ₹1392.82 करोड़ की कुल संस्वीकृति राशि वाले 197 मामलों (26.76 प्रतिशत) में सी.ए.पी.एफ. ने ए.ए./ई.एस. की संस्वीकृति देने में पांच माह से अधिक (76 माह तक) का समय लिया (**अनुबंध 1.3**)। ए.ए./ई.एस. का अनुमोदन देने में इतना लम्बा समय लेने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। लिए गए समय की बल वार स्थिति निम्नवत है:

तालिका 4.8: ए एवं.ए.ई.एस. की संस्वीकृति में देरी वाले कार्यों के ब्यौरे

बल का नाम	मामलों की कुल संख्या	मामलों की संख्या जहॉ लिया गया समय औसत अर्थात पांच माह से अधिक था	औसत से अधिक समय वाले मामलों की अपेक्षा अधिक के लिए अन्तर्ग्रस्त राशि (रूकरोड़ में)
ए.आर.	132	12	173.77
बी.एस.एफ.	155	42	158.01
सी.आई.एस.एफ.	61	14	140.11
सी.आर.पी.एफ.	171	75	626.58
आई.टी.बी.पी.	102	17	69.57
एन.ए.ए.जी.	14	3	51.88
ए.ए.ए.ए.बी.	75	34	172.90
कुल	**710**	**197**	**1392.82**

यद्यपि पी.ई. प्रस्तुतीकरण के बाद ए.ए. एवं ई.एस. दिये जाने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है परन्तु ए.ए. एवं ई.एस. देने में अनुचित देरी के कारण विस्तृत अनुमान की लागत में वृद्धि हो सकती है जिससे ए.ए. एवं ई.एस. निरर्थक हो सकते हैं। इसे बलों द्वारा सुधारा जा सकता है क्योंकि यह सीधे बलों के प्रभाव के अन्तर्गत आता है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. और सी.ए.पी.एफ. ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार कर ली कि देरी मुख्यत: एम.एच.ए./डी.जी. कार्यालय से व्यय संस्वीकृति की प्राप्ति में देरी लगाने के कारण थी एवं लिए जा रहे समय को कम करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा रहा है।

सिफारिश:

सी.ए.पी.एफ. निर्माण गतिविधियों पर ए.ए. एवं ई.एस. देने के लिए समय ढांचा निधारित करे क्योंकि यह प्रक्रिया किसी बाहरी प्रभाव रहित एवं उनके पूर्ण नियंत्रण के भीतर है।



4.2.3 संशोधित व्यय संस्वीकृति प्राप्त न करना

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक का पैरा 2.3.5, 2.4.2 एवं 2.16.2 तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी संहिता का पैरा 71 अनुबंध करते हैं कि यदि वास्तविक व्यय ए.ए. एवं ई.एस. के 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तब इस प्रकार बढ़ी लगात के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी से संशोधित ए.ए. एवं ई.एस. अवश्य प्राप्त की जानी है।

लेखापरीक्षा में पाया कि 33 कार्यों के संबंध में यद्यपि कार्यों पर कुछ व्यय ए.ए. एवं ई.एस. के 10 प्रतिशत से अधिक हो गया, जो 10.16 से 114.07 प्रतिशत के बीच था, परन्तु सक्षम प्राधिकारियों से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था (**अनुबंध 4.4**)

बी.एस.एफ. तथा ए.आर. को छोड़कर सी.ए.पी;एफ. ने अपने उत्तर में बताया कि कुल व्यय निधियों का निर्गम ए.ए. एवं ई.एस. की राशि के 10 प्रतिशत के अन्दर है जबकि बी.एस.एफ. ने बताया कि मामला सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ उठाया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह देखा गया था कि अन्तिम व्यय आंकड़े ए.ए. एवं ई.एस. की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक थीं।

एक उदाहरण स्वरूप मामला अध्ययन नीचे दी जाती है:

मामला अध्ययन 4.9 :

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि श्रीनगर में बी.एस.एफ. के हेलीकाप्टर हैंगर के प्रावधान के साथ एयरबेस के निर्माण के लिए ₹689.21 लाख की राशि के लिए संशोधित व्यय संस्वीकृति जून 2012 में ग्राहक विभाग द्वारा प्राप्त की गई थी। संशोधित संस्वीकृति के प्रति ग्राहक अथवा सी.पी.डब्ल्यू.डी. दोनों द्वारा कोई संस्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य पर कार्यकारी एजेंसी द्वारा ₹873.48 लाख का व्यय किया गया था इस प्रकार संस्वीकृति राशि से अधिक ₹183.67 लाख का व्यय किया गया था।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने बताया कि ए.ए. एवं ई.एस. के लिए संशोधित अनुमान ग्राहक विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे थे। उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि परियोजना में निधियॉ उपलब्ध नहीं थी और संस्वीकृत लागत से अधिक व्यय करने से पूर्व कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

4.3 निविदा आमंत्रण प्रक्रिया

लेखापरीक्षा जांच में निष्पादन एजेंसी द्वारा निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में कमी, जैसे कार्य सौंपने में विलम्ब, निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता की कमी, ठेकागत दस्तावेजों की

अपूर्णता, बोलीदाताओं का अनुचित चयन आदि का पता चला जैसा अनुवर्ती पैराओं में स्पष्ट किया गया है:

4.3.1 निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब

सी.पी.डब्ल्यू सामान्यतया कार्य सौंपने के लिए 3 से 6 माह (ए.ए./ई.एस. की तारीख से) की समय सीमा लेता है। इसमें (i) निविदा आमंत्रण पूर्व कार्य जैसे डिजाइन, ड्राइंग तथा विस्तृत अनुमान आदि तैयार करने और आवश्यक संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए समय और (ii) निविदा आमंत्रण जैसे निविदा मंगाना, बातचीत और कार्य सौंपने आदि के लिए समय शामिल होते है। चूंकि इस संबंध में कोई मानदण्ड उपलब्ध नहीं था इसलिए लेखापरीक्षा में सामान्यतया स्वीकृत प्रथा के रूप में 6 माह की उच्च सीमा अपनाई गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया कि जांचित 710 निर्माण कार्यों में से 681 कार्य ठेकेदारों को दिए गए थे और शेष 29 कार्यों[6] के लिए ए.ए. एवं ई.एस. की संस्वीकृति के बाद दिसम्बर 2014 तक निविदाएं भी आमंत्रित नहीं की गई थीं। 681 कार्यों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ₹1161.10 करोड़ वाले 240 कार्यों (33.8 प्रतिशत) में निविदा आमंत्रण प्रक्रिया आरम्भ करने में ए.ए./ई.एस. की संस्वीकृति की तारीख से 7 से 90 माह के बीच विलम्ब हुआ था **(अनुबंध -1.3)**। एजेंसी वार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.9: निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब वाले कार्यों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

पी.डब्ल्यू.ओ.	ठेका देने में 6 माह से अधिक विलम्ब के कार्यों की संख्या	अर्न्तग्रस्त राशि
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	912.61
विभागीय	26	9.99
डी.एम.आर.सी.	1	3.06
इ.पी.आई.एल.	5	102.36
एच.पी.एल.	1	1.55
एन.बी.सी.सी.	8	77.76
एन.पी.सी.सी.एल.	7	39.76
यू.पी.जे.एन.	5	14.01
कुल	**240**	**1161.10**

[6] 29 कार्य अनुबंध - 1.3 में मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।

कार्यों को सौंपने मे विलम्ब एल.ओ.पी. में परिवर्तनों के लिए निर्णय/अनुमोदन की विलम्बित प्राप्ति, ड्राइंग तथा डिजाइन/विस्तृत अनुमान की विलम्बित तैयारी, निधियों की अनुपलब्धता और पुनर्निविदा आमंत्रण आदि को आरोपित किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू..डी. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ने अपनी टिप्पणियों नहीं भेजी थीं।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य सौंपने में विलम्ब का एक रूचिकर मामला मामला अध्ययन नीचे मामला अध्ययन के रूप में दिया गया है:

मामला अध्ययन 4.10:

नालका, राजस्थान में बी.एस.एफ. की सीमा चौकी (बी.ओ.पी.) का निर्माण कार्य ढ़ाई वर्ष के विलम्ब के बाद निविदा आमंत्रण के 10 दौर में सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा सौंपा गया था। पहले दौर में (अगस्त 2011) निम्नतम बोली ₹35.17 लाख थी परन्तु औचित्य के अन्दर दर प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे रद्द किया गया था क्योंकि अनुमानित लागत ₹20.57 लाख थी। दूसरे से पांचवे दौर तक या तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी अथवा मात्र एक उद्धरण प्राप्त हुआ था जिसके कारण इसे रद्द किया गया था। छठवें दौर (फरवरी 2012) में दरें औचित्य के अन्दर थीं, परन्तु बोली वैधता अवधि अर्थात 90 दिनों में सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा निविदा पर निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने औचित्य तैयार करने और दरों के विश्लेक्षण में अधिक समय लिया। 7 से 9 वें दौर में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अन्ततः कार्य 10 वें दोर में ₹51.32 लाख की निविदागत लागत पर सौंपा गया था परिणामस्वरूप ₹16.15 लाख (मूल प्रस्ताव का 46 %) की लागत वृद्धि हुई।

बी.एस.एफ. ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में बताया कि पहली बोली इस आशा में रद्द की गई थी कि दूसरी में दर औचित्य के अन्दर प्राप्त हो जाएं और 6वीं बोली रद्द की गई थी क्योंकि नए सूचीबद्ध कनिष्ठ अभियंता ने दरों के विश्लेषण और औचित्य तैयार करने में अधिक समय लिया।

4.3.2 कार्य का अनियमित सौंपा जाना

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक का पैरा 15.1 (8) अनुबंध करता है कि संयुक्त निविदा आमंत्रण के मुख्यांश में न तो आने वाले किसी कार्य के लिए विद्युतीय तथा भवन कार्यों (सैनिटरी और जल आपूर्ति कार्यों सहित) की निविदाएं समवर्ती रूप से अथवा उचित चरण पर आमंत्रित की जानी चाहिए जब वे आरम्भ किए जाने को अपेक्षित हों। सी.पी.डब्ल्यू.डी. संहिता की धारा 95 के साथ पठित सी.पी.डब्ल्यू.डी निर्माण कार्य

नियम पुस्तक के पैरा 15.1 के अनुसार निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के अनुमोदन से पूर्व निर्बाध स्थल की उपलब्धता वांछनीय है। इसके अलावा पुनर्निविदा आमंत्रण के लिए कार्यकारी अभियन्ता के निर्देश के खंड 15 के अनुसार कार्यकारी अभियन्ता को केवल भूमि का अधिकार लेने और जब निर्माण हेतु स्थल मुक्त हो, के बाद निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ₹65.60 करोड़ की व्यय संस्वीकृति वाले 10 निर्माण कार्यों में निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विभिन्न अनियमितताएं जैसे दरों का अनुमानित औचित्य, नियत तिथि के बाद निविदा की प्राप्ति/बिक्री आदि पाई गई थीं **(अनुबंध-4.5)**। एक सुपष्ट उदाहरण निम्नवत है:

₹11.28 करोड़ की अनुमानित लागत से चाइस्वेमा, नागालैण्ड में ए.आर. के लिए 102 क्वार्टरों के निर्माण के लिए एल.पी.सी.सी.एल. ने अप्रैल 2008 में दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की। अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान 4 पहली 4 बोली आमंत्रण में बोलियां प्राप्त न होने के कारण एन.पी.सी.सी.एल. को अगस्त 2008 में 5 वीं बार निविदा आमंत्रित करनी पड़ी थी, छः स्थानीय ठेकेदारों (एन.पी.सी.सी.एल. के पास सभी पंजीकृत) ने संस्वीकृत अनुमान (₹11.28 करोड़) में निर्दिष्ट दर की तुलना में अत्यधिक दर उद्धरित की। 5 वें बोली आमंत्रण में प्राप्त ₹14.80 करोड़ की निम्नतम प्रस्ताव जुलाई 2008 से प्रभावी संशोधित लागत सूचंकाक के आधार पर उचित पाया गया था। उसके कारण कार्य ऐसी लागत पर दिया गया था जो मूल संस्वीकृत अनुमान/ निविदा में व्यक्त राशि की अपेक्षा ₹3.52 करोड़ अधिक थी।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि समाचार पत्र विज्ञापनों के अनुसार पात्रता मानदण्ड और निविदा के अन्य ब्यौरे दो वेब साइटों (www.Assamrifes.com और www_npccindia.com) पर उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि वेबसाइट npccindia.com निजी एजेंसी (बहामास में स्थित) से समबद्ध थी और अन्य वेबसाइट 'www.Assamrifes.com' किंचित विद्यमान नहीं थी। तीसरी बार निविदा आमंत्रण (जून 2008) के बाद एन.पी.सी.सी.एल. ने शुद्धि पत्र जारी करने के द्वारा 'www_npccindia.com' के स्थान पर सही वेबसाइट पता www.npcc.gov.in दिया परन्तु उन्होने अविद्यमान वेबसाइट पता 'www_Assamrifes.com' को परिवर्तित नहीं किया था। उस रूप में ठेकेदार (स्थानीय ठेकेदारों के अतिरिक्त) निविदा आमंत्रण में भाग लेने में असमर्थ थे।

यह देखा गया था कि एन.पी.सी.सी.एल. ने किसी अन्य मामले में गलत वेब पते से निविदा आमंत्रित नहीं की थी। स्थानीय ठेकेदारों से प्रस्ताव केवल अगस्त 2008 अर्थात जुलाई 2008 में लागत सूचकांक के संशोधन बाद सबसे पहले निविदा आमंत्रण में

आयोजित पांचवीं बार निविदा आमंत्रण में प्राप्त हुए थे और ठेकेदारों द्वारा उद्धरित उच्च दरें जुलाई 2008 के संशोधित लागत सूचकांक के आधार पर एन.पी.सी.सी.एल/ए.आर. द्वारा उचित पाए गए थे।

4.4 विस्तृत अनुमान (डी.ई.) और तकनीकी संस्वीकृति (टी.ए.ए.)

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) का नियम 129 (I)(IV) अनुबंध करता है कि कोई कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा अथवा देयता नहीं उठाई जाएगी जब तक विभिन्न मदों के विस्तृत विनिर्देशन और मात्राओं वाला अनुमान तैयार नहीं किया जाता है जिसके आधार पर निष्पादित कार्य की मात्रा में अन्तर न हो, विस्तृत अनुमान विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन से समर्पित होने चाहिए। इसके अलावा डी.ई., ड्राइंग तथा डिजाइन तैयार करने से पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी को सभी बाधाओं से मुक्त स्थल की उपलब्धता के बारे में ग्राहक विभाग से आश्वासन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी संस्वीकृति (टी.ए.ए.) देनी है कि अनुमान में दर्शाए गए डिजाइन, ड्राइंग तथा विनिर्देशन तकनीकी रूप से मजबूत हैं। सी.पी.डब्ल्यू.डी नियम पुस्तक की धारा 2.5.1 (क) के अनुसार ड्राइंग तथा डिजाइन द्वारा समर्थित डी.ई. टी.एस. के लिए तैयार किए जाने अपेक्षित हैं। इसके अलावा, टी.एस. में अप्रावधानित किसी अतिरिक्त मद के निष्पादन के लिए इसकी उचितता सुनिश्चित करने के लिए पहले किसी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा जांच में जी.ई. तैयार करने में अपूर्णता के मामले पाए गए जिसके कारण कार्यों के निष्पादन के दौरान मात्राओं में विशाल उत्तर , टी.ए.ए. की कमी, संस्वीकृति बिना अतिरिक्त मदों का निष्पादन, तकनीकी दोष हुए जैसे नीचे चर्चा की गई:

4.4.1 विस्तृत अनुमानों और तकनीकी संस्वीकृति की कमी

सी.पी.डब्ल्यू.डी, जिसको एम.एच.ए./सी.ए.पी.एफ. अपने भवन कार्य सौंपते हैं, के अतिरिक्त किसी भी पी.डब्ल्यू.ओ. ने जी.एफ.आर. में यथा अपेक्षित उचित प्रकार डी.ई. तैयार नहीं किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.डब्ल्यू.ओ. ने अपनी मात्रा तथा दर बिना निष्पादित की जाने वाली विभिन्न मदों की मात्र संख्या का उल्लेख किया। एम.एच.ए. ने इस कमी का सुधार किया और मई 2011 में जारी एम.ओ.यू. के संशोधित प्रपत्र में उसका प्रावधान शामिल किया। एम.एच.ए. के निर्देश के बावजूद कमी बनी हुई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पी.डब्ल्यू.ओ. अर्थात् एन.पी.सी.सी.एल., एच.पी.एल. ई.पी.आई.एल. और एन.बी.सी.सी. के माध्यम से निष्पादित सी.ए.पी.एफ. के ₹381.37 करोड़ के लागत वाले 107 कार्यों में (**अनुबंध -4.6**) डी.ई. तैयार नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि एन.बी.सी.सी. ने अपने कार्यों के विस्तृत ड्राइंग तथा डिजाइनों बिना मात्रा (निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मदें और लागत) का बिल बनाया और मदों की लागत संस्वीकृत व्यय की सीमा के अन्दर रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप कार्यों की अनुमानित मात्रा और वास्तविक निष्पादन की उनकी लागत के बीच महत्वपूर्ण अन्तर हुए। इसी प्रकार 10 मामलों (**अनुबंध -4.7**) में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने डी.ई. तैयार किए जो विस्तृत ड्राइंग तथा डिजाइन से समर्थित नहीं थे। परिणामत: कार्य 39 दिनों से 222 दिनों तक रोके गए थे।

यह भी देखा गया था कि ए.आर. ने 33 पूर्ण कार्यों में डी.ई. तैयार करने के लिए ₹38.58 लाख के विभागीय प्रभारों (डी.सी.) के भाग का भुगतान किया था जबकि डी.ई. वास्तव में बनाए नहीं गए थे। इसके अलावा इस बावत ए.आर. तथा बी.एस.एफ. के चालू 74 कार्यों के संबंध में ₹56.76 लाख की देयता होगी।

असम रायफल्स, बी.एस.एफ. और मुख्य अभियंता, एन.ई.जेड-I, सी.पी.डब्ल्यू.डी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करली कि इन प्रभारों को वसूल करने के प्रयत्न किए जाएंगे और वास्तविक विस्तृत अनुमान तैयार करने में सावधानी बरती जाएगी।

चूंकि किसी भी पी.डब्ल्यू.ओ. ने 107 कार्यों में डी.ई. तैयार नहीं किए इसलिए लेखापरीक्षा के पास यह प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि क्या इन ₹381.37 करोड़ वाले 107 कार्यों में तकनीकी संस्वीकृतियां दी गई थीं (**अनुबंध -4.6**)।

असम रायफल्स में इसे कार्यकारी एजेंसियों को आरोपित करते हुए आपत्ति स्वीकार कर ली। कार्याकारी एजेंसियां यथा एन.पी.सी.सी.एल., ई.पी.आई.एल. तथा एच.पी.एल, अपनी ओर से भविष्य में लेखापरीक्षा आपत्ति का अनुपालन करने को सहमत हो गई। एन.बी.सी.सी. ने बताया कि तकनीकी संस्वीकृति देने के लिए निविदा संवीक्षा समिति को शक्तियां थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा संवीक्षा निविदाओं की संवीक्षा करने के लिए जबकि तकनीकी संस्वीकृति नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई थी।

4.4.2 तकनीकी संस्वीकृति बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 कार्यों **(अनुबंध 4.8)** में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियम पुस्तक 2007 की धारा 23.2.3 के उल्लंघन में ₹2.13 करोड़ की अतिरिक्त मदों के निष्पादन से पूर्व तकनीकी संस्वीकृति प्राधिकारी की सहमति प्राप्त नहीं की थी।

सी.आर.पी.एफ. ने बताया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. बाद में विस्तृत अनुमान तैयार करते हैं और उसके द्वारा तकनीकी संस्वीकृतियां अपने सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त मामलों में सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी संस्वीकृति बिना अतिरक्त मदें निष्पादित की गई थीं।

4.4.3 तकनीकी संस्वीकृति का संशोधन न करना

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक के पैरा 2.5.2 के अनुसार तकनीकी संस्वीकृति के 10 प्रतिशत तक निष्पादित की जा सकती है जिससे अधिक को संशोधित तकनीकी संस्वीकृति आवश्यक होगी।

सी.पीडब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित सात कार्यों **(अनुबंध -4.9)** में यह देखा गया था कि यद्यपि किया गया व्यय तकनीकी संस्वीकृति के 10 प्रतिशत से अधिक था परंतु उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में सक्षम प्राधिकारी से संशोधित तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थीं। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने उत्तर में आपत्ति स्वीकार कर ली।

4.4.4 दोषपूर्ण डिजाइन बनाना

खत्खाती, असम में सी.आर.पी.एफ. कार्य में भवन के निर्माण के लिए दोषपूर्ण डिजाइन बनाना देखा गया था जिसे नीचे मामला अध्ययन के रूप में स्पष्ट किया गया है:

मामला अध्ययन 4.11:

सी.आर.पी.एफ ने खटखटी, असम में 180 बैरकों (3 मंजिला वाली प्रत्येक संख्या में 3) के निर्माण का कार्य एन.पी.सी.सी.एल. को दिया। कार्य ₹8.59 करोड़ की निविदागत लागत पर दिसम्बर 2006 में एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा एक ठेकेदार को सौंपा गया था। तथापि, ठेकेदार ने स्थानीय विद्रोह, बाद भारी वारिश आदि के कारण नवम्बर 2007 से कार्य निलम्बित कर दिया और बाद में मार्च 2008 में एन.पी.सी.सी;एल द्वारा ठेका समाप्त कर दिया गया था। ठेकेदार ने ₹92.87 लाख मूल्य का कार्य निष्पादित किया और सी.आर.पी.एफ. ने 7 प्रतिशत विभागीय प्रभारों सहित ₹99.38 लाख के एन.पी.सी.सी.एल. के कुल दावे के प्रति एन.पी.सी.सी.एल. को ₹76.05 लाख का भुगतान किया था। एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा आरंम्भ में बनाई गई ड्राइंग और पहले ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों की अपयुक्तता के बारे में सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्रुष्टि प्राप्त करने के आधार पर बकाया कार्य नवम्बर 2009 में ₹22.98 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर सी.पी.डब्ल्यू.डी को सौंपा गया था। बकाया कार्य दूसरें ठेकेदार को दिया गया था (नवम्बर 2010)। तथापि, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अप्रैल 2011 में सी.आर.पी.एफ. को सूचित किया कि

3 मंजिलों का भार उठाने के लिए नींव संरचनात्मक रूप से असुरक्षित थी क्योंकि भूकम्प प्रभाव को सहने के आवश्यक प्रावधान के बिना एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा निर्मित की गई थी। अन्ततः भवन का निर्माण 2 मंजिल तक सीमित करने का निर्णय लिया गया और एक 3 मंजिला भवन अतिरिक्त रूप से आरम्भ करना पड़ा था। प्रस्ताव जुलाई 2011 में एम.एच.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था दूसरे ठेकेदार ने अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करने से इनकार कर दिया (अक्तूबर 2012) और उसे एक तीसरे ठेकेदार को अप्रैल 2013 में दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि

- कार्य के परित्याग के कारण एम.एच.ए. ने बल को एन.पी.सी.सी.एल. से ₹86.35 लाख के मुआवजे के उदग्रहण और वसूली के निर्देश दिए थे। न तो ₹86.35 लाख वसूल किए गए थे और न ही पहले ठेकेदार से एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा पहले ही वसूली गई ₹28.45 लाख की राशि का सी.आर.पी.एफ. को प्रतिदाय किया गया था।
- एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा तैयार डिजाइन तथा ड्राइंग में तकनीकी दोषों और पूर्व निर्धारण बिना सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इसकी मजबूती की पुष्टि के कारण प्लिंथ स्तर तक पहले ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य बाद में संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया था जिसके कारण सी.आर.पी.एफ. को ₹2.09 करोड़ (लगभग)[7] का अतिरिक्ति व्यय करना पड़ेगा।
- अक्तूबर 2014 तक ₹10.94 करोड़ का व्यय करने के बावजूद तकनीकी दोषों के कारण समापन की निर्धारित तारीख (मार्च 2008) से 6 वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका।

  अपने उत्तर (जून 2015) में सी.आर.पी.एफ. ने बताया कि खटखटी में बैरक का 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था और ₹86.35 लाख की एल.डी. की वसूली का मामला एन.पी.सी.सी.एल. के साथ पत्राचाराधीन था।

ऊपर उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष वास्तविक निष्पादन के आरम्भ से पूर्व प्रारम्भिक कार्य शामिल करते है। निर्माण का वास्तविक कार्य पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा तीसरी पाटी को ठेका देने और गुणवत्ता के लिए इसकी गहन निगरानी तथा बजट के अन्दर समय से समापन द्वारा किया गया है।

[7] प्लिंथ (आरम्भ जी+2) सहित तीन भवनों की प्रदत्त लागत =₹15.21 करोड़ इसलिए एक भवन की प्रदत्त लागत ₹15.21/3 अर्थात् ₹5.07 करोड़। प्लिंथ (जी+2) सहित अतिरिक्त भवन की प्रदत्त लागत = ₹7.16 करोड़। इसलिए अतिरिक्त भवन के निर्माण के कारण अतिरिक्त व्यय=₹2.09 करोड़ (₹7.16 ₹5.07) करोड़

यह देखा जा सकता है कि सभी चरणों पर कमियां हुई थीं जबकि समस्याओं के प्रमुख कारण विलम्ब थे जैसा नीचे संक्षिप्त किया गया है:

पी.ई.	ए.ए. एवं ई.एस.	डी.ई. एवं टी.एस.	निविदा आमंत्रण	निष्पादन
•अपर्याप्त पी.ई. •गलत पी.ई. •स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया •संस्वीकृति में विलंब	•कार्य का विभाजन •संस्वीकृति में विलम्ब •संस्वीकृति प्राप्त करना	•अपर्याप्त डी.ई. •डी.ई. की कमी •दोषपूर्ण डी.ई. •संस्वीकृति में विलम्ब	•निविदा आमंत्रण में विलम्ब •कार्यों का अनियमित प्रदान	•आरम्भ और समन्वय में विलम्ब •समापन में विलम्ब •विचलन/अतिरिक्त स्थानापन्न मदें •लागत एवं समय का बढ़ना

4.5 कार्य का निष्पादन

लेखापरीक्षा में कार्यों के निष्पादन में विभिन्न कमियां यथा नियमों तथा ठेकागत प्रावधानों का अनुपालन न करना, अपूर्ण/दोषपूर्ण ठेकागत प्रावधान, कार्यों के समापन में विलम्ब तथा इस कारण वृद्धि के भुगतान, दस्तावेजों का अनुरक्षण न करना/अनुचित अनुरक्षण आदि देखी गई। ब्यौरे अनुवर्ती पैराओं में स्पष्ट किए गए है:

4.5.1 कार्य के आरम्भ में विलम्ब

- ₹53.69 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत (सितम्बर 2013) और निष्पादन हेतु एन.बी.सी.सी. को प्रदत्त येल्की जिला हिंगोली (महाराष्ट्र) में अवसंरचना के ए.ए.ए.ए.बी. कार्य की जांच में पता चला कि दिसम्बर 2014 तक स्थल का चयन न होने के कारण यह अभी आरम्भ नहीं हुआ था।

  अपने उत्तर (जून 2015) में एस.एस.बी. ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया कि स्थल का सौंपा जाना कभी भी समस्या नहीं थी एवं इसे एन.बी.सी.सी. द्वारा गलती से उद्धरित किया गया था। उन्होंने बताया की एन.बी.सी.सी. द्वारा कार्य के निविदा आमंत्रण में देरी हुई थी जो आखिरकार नवम्बर 2014 में दिया गया था और कार्य जनवरी 2015 में आरम्भ हुआ था।

- ₹5.31 करोड़ के तीन कार्य ₹4.62 करोड़ **(अनुबंध -4.10)** के कुल निविदागत मूल्य पर अक्तूबर 2013 से दिसम्बर 2013 तक के दौरान सौंपे गए थे। ये कार्य नवम्बर 2014 तक अभी आरम्भ किए जाने थे यद्यपि इसके समापन के लिए

निर्धारित समय का 67 से 80 प्रतिशत पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके अलावा लेखापरीक्षा अध्ययन में पता चला कि ये कार्य उन ठेकेदारों को दिए गए थे जो पूर्व अवसरों पर उनकों प्रदत्त कार्यो को पूरा नहीं कर सके थे। इस प्रकार ए.आर. ने कार्य सौंपने से पहले ठेकेदारों को विगत निष्पादन का सत्यापन नहीं किया था।

असम रायफल्स ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2015) कि वे या तो संसाधनों के जुटाव के लिए ठेकेदार को लगे रहने अथवा ठेका रद्द करने के बाद पुनर्निविदा आमंत्रण के लिए आगे बढ़ने का कार्यकारी एजेंसी को निर्देश करेंगे।

4.5.2 विचलित मदें

विचलन का अर्थ मदों की मात्राओं में अन्तर से है अर्थात जहॉ अनुबंध में कार्य की मदों की मात्राओं में वृद्धि अथवा कमी है। 'ठेका की सामान्य शर्तों' के खण्ड 12.2 और 12.3 विचलन सीमा का प्रावधान करता है जिससे आगे दर सामग्री तथा श्रम के लिए बाजार दर अपनाने के द्वारा निकाली जानी चाहिए। ठेका की अुनसूची-एक में यथा निर्दिष्ट सीमाएं भवन कार्य के मामले में 30 प्रतिशत और नींव कार्य के मामले में 100 प्रतिशत है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक के पैरा 24.1.2(2) के अनुसार +10 प्रतिशत की सीमा से आगे व्यक्तिगत मद की मात्राओं में विचलन परन्तु ठेका के खण्ड 12 के अन्तर्गत यथा निर्दिष्ट सीमा के अन्दर विचलन को तकनीकी संस्वीकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा परन्तु कुल विचलन (आरम्भिक+10% सहित) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकारियों द्वारा संस्वीकृत किया जाएगा।

यह पाया गया था कि 241 कार्यों **(अनुबंध -1.3)** के संबंध में स्वीकार्य सीमा से 100 प्रतिशत से 10469 प्रतिशत के बीच अधिक मदों में विचलन हुए थे जिसने दर्शाया कि विस्तृत अनुमानों में उल्लिखित कार्य की मद्दों की मात्राएं क्षेत्र सर्वेक्षण और स्थल दशाओं के आधार पर यर्थात रूप में अनुमानित नहीं थीं। ऐसी मदों की कुल राशि ₹82.88 करोड़ थी। ड्राइंग तथा ग्राहक द्वारा क्षेत्र में परिवर्तन के अनुसार स्थल स्थिति संरचनात्मक आवश्यकता के कारण विचलन हुए।

सी.पी.डब्ल्यू.डी ने बताया कि विचलन वित्तीय सीमा के अन्दर था। उत्तर प्रत्यायक नहीं है क्योंकि मात्रा में विचलन की सीमा का पालन नहीं किया गया था।

एन.बी.सी.सी. ने बताया कि विस्तृत अनुमान में बी.ओ.क्यू. से अधिक अतिरिक्त मदों के निष्पादन के परिहार के लिए और सक्षम प्राधिकारी के बाद के अनुमोदन का परिहार करने के लिए कार्य में किए जाने की प्रत्याशा में कुछ मदों का प्रावधान किया गया था और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्माण किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत अनुमान वास्तविक आवश्यकता के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। सी.ए.पी.एफ. ने अपने उत्तर में आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि स्वीकार्य सीमाओं से अधिक विचलन स्थल आवश्कता में परिवर्तनों के कारण थे।

कार्यों, जिनमें विचलन पाए गए थे, की संख्या के साथ कार्यकारी एजेंसियों के साथ साथ विचलन मदों के बल वार ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 4.12: कार्यों के ब्यौरे जहॉ विचलन स्वीकार्य सीमा से अधिक था

(₹ करोड़ में)

कार्यकारी एजेंसी	कार्यों की कुल सं. जिनमें विचलन पाया गया	कार्यों की कुल सं. के प्रति कार्यों की प्रतिशतता	विचलन की राशि	मदों की संख्या जहां बी .ओ.क्यू. के प्रति विचलन 30 % और 100% से अधिक था (ऊपर और नीचे दोनों)	विचलन की श्रेणी (प्रतिशतता में)	
					निम्नतम (-)	अधिकतम (+)
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	43	64.42	1 से 320	(-) 100	(+)10469
विभागीय	20	22	1.17	1 से 64	(-) 100	(+) 2650
ई.पी.आई.एल.	2	12	7.27	4 से 18	(-) 100	832
एच.पी.एल.	3	18	0.53	2 से 6	(-) 100	(+) 976
एन.बी.सी.सी.	7	14	2.47	2 से 181	(-) 100	(+)352
एन.पी.सी.सी.एल.	22	25	7.02	1 से 18	(-) 100	(+) 3900
कुल	**241**		**82.88**			

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा विभागीय रूप से सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित कार्यों में पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित कार्यों की अपेक्षा उनके कार्यों में प्रयुक्त मदों में अधिक विचलन हुए थे।

कुछ निर्देशा मामला अध्ययन नीचे दिए गए है:

मामला अध्ययन 4.12:

एम.एच.ए. ने अक्तूबर 2007 में अगरतला में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप सेंटर के लिए चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹3.25 करोड़ संस्वीकृत किए। डी.ई. से -100 प्रतिशत से +761 प्रतिशत के बीच विशाल विचलन के कारण सी.पी.डब्ल्यू.डी ने दिसम्बर 2008 में ₹3.07 करोड़ व्यय करने के बाद अपूर्ण कार्य को समाप्त घोषित कर दिया क्योंकि निधियां भी खर्च हो गई थीं। लेखापरीक्षा में पाया कि अनुबंध में पहचानी गई 87 मदों में से -70 बिल्कुल निष्पादित नहीं की गई थीं। दिसम्बर 2008 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने ₹7.54 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया और सी.ए.पी.एफ/एम.एच.ए. ने ₹6.54 करोड़ की संस्वीकृति देने (जुलाई 2010) में 1½ वर्ष लगाए। शेष कार्य अप्रैल 2011 में सौंपा गया था और मई 2013 में पूर्ण हुआ था। यदि पहला अनुमान उचित प्रकार से तैयार किया गया होता, तो ₹48.46 लाख की बचत की जा सकती थी। इसके अलावा, अक्तूबर 2007 में काल्पित कार्य को पूर्ण होने में 5¾ वर्ष लगे।

असम रायफल्स ने बताया कि विचलन स्थल/प्रयोक्ता आवश्यकता के कारण हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी.ई. अपेक्षित ड्राइंग द्वारा समर्पित नहीं था।

मामला अध्ययन 4.13:

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.आई.एस.एफ. और ए.ए.ए.ए.बी. के दो कार्यों **(अनुबंध-4.11)** में, ठेकेदारों को अनुबंध में यथा निर्दिष्ट सीमा से अधिक विचलन के कारण सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुबंध दर की अपेक्षा उच्च दर (बाजार दर) भुगतान किया गया था जिसके कारण इन कार्यों के प्रति ₹43.53 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। पी.डब्ल्यू.ओ. ने अपनी टिप्पणियां नहीं दीं थी।

4.5.3 अतिरिक्त मदें

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक की धारा 24.2.3 (1) और 24.2.3 (3) के अनुसार कोई अतिरक्त मद प्राधिकारी, जिसने तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की, द्वारा आवश्यकता की पूर्व सहमति बिना निष्पादित अथवा अनुमोदित नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, वृद्धि/परिवर्तन का कोई कार्य, जिसमें आवासीय भवनों में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं अथवा बाह्य अग्रभाग का सौन्दर्य परिवर्तित होता है, संबंधित वास्तुकार के अनुमोदन के अतिरिक्त किया नहीं जाएगा। सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक 2012 के पैरा 24.1.2. (4) के अनुसार प्रतिस्थापित/अतिरिक्त मदों/पहले

ही संस्वीकृत किसी मद की मात्रा में विचलन की मात्राओं में हुए विचलनों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से संशोधित संस्वीकृति ली जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया कि ₹30.16 करोड़ की अतिरिक्त मदों (1 से 186 मदों के बीच) वाले 305 कार्य कार्यकारी एजेंसियों **(अनुबंध-1.3)** द्वारा निष्पादित किए गए थे। अतिरिक्त मदों के बल वार ब्यौरों के साथ कार्यों, जिनमें अतिरिक्त मदें प्रयोग की गई थी, संख्या के साथ कार्यकारी एजेंसियों निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 4.13: कार्यों के ब्यौरे जहां अतिरिक्त मदें प्रयोग की गईं

(₹ करोड में)

कार्यकारी एजेंसी	कार्यों की संख्या जहॉ कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अतिरक्त मदों का प्रयोग किया	कार्यों की बल-वार संख्या जहॉ अतिरिक्त मदों का प्रयोग किया	अतिरिक्त मदों की राशि	अतिरिक्त मदों की संख्या
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	235 (53%)	बी.एस.एफ.-44, सी.आई.एस.एफ.-32, एन.एस.जी.-07 सी.आर.पी.एफ.-90, आई.टी.बी.पी.-36, ए.ए.ए.ए.बी.-26 कुल **-235**	23.62	1 से 186
विभागीय	42 (45%)	ए.आर.-1,बी.एस.एफ.-24, एन.ए.ए.जी.-3, आई.टी.बी.पी. -5, ए.ए.ए.ए.बी.-9 कुल**-42**	0.97	1 से 30
डी.एम.आर.सी.	01 (100%)	सी.आई.एस.एफ. -01	0.22	22
ई.पी.आई.एल.	01 (6%)	ए.आर. -1	0.03	1
एच.पी.एल.	02 (12%)	ए.आर. -2	0.28	1
एन.बी.सी.सी.	11 (22%)	बी.एस.एफ.-1, सी.आई.एस.एफ. -3, सी.आर.पी.एफ. 7 कुल **-11**	2.54	2 से 52
एन.पी.सी.सी.एल	13 (15%)	ए.आर. -13	2.50	1 से 26
कुल	**305**	**305**	**30.16**	

उपर्युक्त से यह स्पष्ट था कि पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित कार्यों की अपेक्षा सी.पी.डब्ल्यू.डी. और विभगीय रूप से सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित कार्यों में अधिक अतिरिक्त मदें प्रयोग की गई थीं। अतिरिक्त मदों के निष्पादन के कारण मुख्यतया स्थल स्थितियों, से कभी-कभी मदें अनुबंध में शामिल नहीं की गई थीं अथवा संरचनात्मक आवश्यकता के कारण से संबंधित थे। सी.ए.पी.एफ. ने यह कहते हुए अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जून 2015) कि अतिरिक्त मदें स्थल आवश्यकता और ग्राहक विभाग की मांग के अनुसार निष्पादित की गई थीं। जो बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थीं।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तक 2012 के पैरा 3.6 तथा 4.7 प्रावधान करते हैं कि कार्य का क्षेत्र ग्राहक की लिखित अनुमति बिना परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया कि 20 कार्यों **(अनुबंध -4.12)** जहॉ ₹159.33 लाख की अतिरिक्त मदें प्रयोग की गई थीं, में कार्यकारी एजेंसी ने कार्य का क्षेत्र परिवर्तित किया था परंतु ग्राहक/सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

मुख्य अभियंता (सी.जेड.) सी.पी.डब्ल्यू.डी. भोपाल ने बताया (फरवरी 2015) कि तात्कालिक प्रकृति तथा अन्तर संबंध मदों के कारण भी मदों के निष्पादन से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका था, तथापि मौखिक अनुमोदन के अनुसार मदें निष्पादित की गई थीं और ये मदें बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत की गई हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तकनीकी संस्वीकृति बिना कार्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन ऊपर बताए गए प्रावधान का उल्लंघन था। इसके अलावा बकाया कार्यों की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2015)।

4.5.4 प्रतिस्थापित मदें

₹10.80 करोड़ की प्रतिस्थापित मदों (1 से 24 मदों के बीच) वाले 132 कार्य **(अनुबंध-1.3)** कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए गए थे। प्रतिस्थापित मदों से निष्पादन के कारण मुख्यतया स्थल आवश्यकताएं, बाजार में तथा ग्राहक आवश्यकता के अनुसार मदों की अनुपालना आदि थे। प्रतिस्थापित मदों के बल वार ब्यौरे के साथ कार्यों, जिनमें प्रतिस्थापित मदें प्रयोग की गई, की संख्या के साथ कार्यकारी एजेंसियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:

तालिका 4.14: कार्यों के ब्यौरे जहॉ प्रतिस्थापित मदें प्रयोग की गई

(₹ करोड़ में)

कार्यकारी एजेंसी	कार्यों की संख्या जहॉ कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रतिस्थापित मदों का प्रयोग किया गया	कार्यों की बल-वार संख्या जहॉ प्रतिस्थापित मदें प्रयोग की गई	प्रतिस्थापित मदों की राशि	प्रतिस्थापित मदों की संख्या
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	109 (25%)	बी.एस.एफ.-18सी.आई.एस.एफ. -19, सी.आर.पी.एफ.-51, आई.टी.बी.पी-13, एन.ए.ए.जी.-2, ए.ए.ए.ए.बी.-6	10.19	1 से 24
विभागीय	17 (18%)	ए.आर.-1, बी.एस.एफ.-11, आईटी.बी.पी.-2, ए.ए.ए.ए.बी. -2	0.34	1 से 16
एन.पी.सी.सी.एल.	1 (1%)	ए.आर.-1	0.03	1
एन.बी.सी.सी.	5 (10%)	सी.आर.पी.एफ.-5	0.24	2 से 9
कुल	**132**	**132**	**10.80**	

पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित कार्यों की अपेक्षा सी.पी.डब्ल्यू.डी. और विभागीय रूप से सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित कार्यों में अधिक प्रतिस्थापित मदें प्रयोग की गई थीं।

सी.ए.पी.एफ. ने यह कहते हुए अभ्युक्ति स्वीकार कर ली कि प्रतिस्थापित मदें स्थल आवश्यकता और ग्राहक विभाग की मांग के अनुसार निष्पादित की गई थीं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद में अनुमोदित की गई थीं।

मुख्य अभियंता (सी.जेड.) सी.पी.डब्ल्यू.डी., भोपाल ने बताया (फरवरी 2015) कि तात्कालिक प्रकृति तथा अन्तसंबंद्ध मदों के कारण मदों के निष्पादन से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका था तथापि मौखिक अनुमोदन के अनुसार प्रतिस्थापित मदें निष्पादित की गई थीं और ये मदें बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत की गई हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी संस्वीकृति बिना कार्य की प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन उपर बताए प्रावधान का उल्लंघन था। इसके अलावा बकाया कार्यों की प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2015)।

4.5.5 लागत एवं अधिक समय

4.5.5.1 विलम्बित निष्पादन के कारण लागत अधिधाव

लेखापरीक्षा मे देखा कि ₹335.88 करोड़ की आरम्भिक संस्वीकृत लागत जो ₹398.90 करोड़ तक संशोधित की गई थीं, वाले 129 पूर्ण कार्यों **(अनुबंध-4.13)** में ₹63.02 करोड़ की लागत वृद्धि हुई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि ₹130.41 करोड़ की आरम्भिक संस्वीकृति लागत वाले 32 कार्यों **(अनुबंध-4.14)** जो चालू अथवा अपूर्ण थे, में लागत ₹215.44 करोड़ तक संशोधित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2014 तक ₹85.03 करोड़ की अधिक लागत हुई। इस प्रकार दिसम्बर 2014 तक कुल 161 कार्यों में ₹148.05 करोड़ की कुल लागत बढ़ी ए.ए. एवं ई.एस. तथा लागत बढ़ोतरी के ऐसे संशोधन के कारण श्रम तथा सामग्री की लागत में वृद्धि, अतरिक्त/विचलित प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन, कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन आदि थे।

लेखापरीक्षा में ₹766.83 करोड़ की आरम्भिक संस्वीकृत लागत वाले 184 पूर्ण कार्यों में बचतें भी पाई गई, परंतु इन कार्यों पर किया गया वास्तविक खर्च ₹477.75 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹289.08 करोड़ (अनुबंध-4.13) की बचत हुई। बचतें विभाग द्वारा प्लिंथ क्षेत्र की गलत गणना, ड्राइंग का परिवर्तन, प्लिंथ क्षेत्र में वृद्धि, अनुमानों का संशोधन और स्थल स्थितियां आदि के कारण थीं। यद्यपि सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों के समापन में विलम्ब हुए थे परन्तु कार्य के समापन के बाद बचतें हुई थीं। यह इस तथ्य का संकेत था कि या तो कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अनुमान बढ़ाए गए थे अथवा परिमाण पत्र (बी.ओ.क्यू) में गई मदें निष्पादित नहीं की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप बचतें हुई। एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. ने भी उचित सत्यापनों के बिना अतिकथित अनुमान अनुमोदित किए जो बजट निर्धारण और व्यय संस्वीकृतियों में खराब वित्तीय नियंत्रक को दर्शाते हैं।

सी.ए.पी.एफ. ने अपने उत्तर में अभ्युक्तियॉ स्वीकार कर लीं और बताया कि निष्पादन में विलंब के कारण किसी वृद्धि का परिहार करने के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। लागत बढ़ोतरी के कुछ रूचिकर मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

तालिका 4.15: लागत बढ़ोत्तरी के रूचिकर मामलों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य कारी एजेंसी	ए.ए. एवं ईए.ए. राशि	संशोधित ए.ए. एवं ई.एस./वास्तविक व्यय	लागत बढ़ोतरी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	ग्रुप सेंटर सी.आर.पी.एफ., नीमच (म.प्र.) में चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	302.91 सितम्बर 2007	496.78 अगस्त 2010	193.87	सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने में 22 माह के विलम्ब के कारण निर्माण सामग्री की लागत असामान्य रूप से बढ़ गई परिणामस्वरूप कार्य की लागत की बढ़ोतरी ₹193.87 लाख तक हुआ।
2.	कोयम्बटूर में सी.आर.पी.एफ., मनोरंजन हाल का निमाण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	95.42 जनवरी 2008	129.35 नवम्बर 2010	37.13	अनुमान दिसम्बर 2007 में बनाया गया था परंतु ड्राइंग अनुमोदित करने में लगभग 20 माह के विलम्ब के कारण लागत सूचकांक अन्तर के कारण लागत में ₹37.13 लाख तक वृद्धि हुई।
3.	हैदराबाद में सी.आर.पी.एफ. के लिए परिवार क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1323.0 सितम्बर 2004	1948.0 मार्च 2009/ 1668.00 मार्च 2010	345.0	स्थल सौपने में विलम्ब और अनुवर्ती कार्रवाई कमी के परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन में 3 वर्ष से अधिक असामान्य विलम्ब हुआ जिसके कारण ₹345 लाख की लागत बढ़ोतरी हुई।
4.	केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज II, सी.आर.पी.एफ. कोयम्बटूर के लिए अधिग्रहित 400 एकड़ दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	95.88 सितम्बर 1995	127.08/ जनवरी 2005/ 209.44 दिसम्बर 2009	82.36	जनवरी 1996 में ₹95.88 लाख से दिया गया। ₹112.56 लाख की लागत पर 378 एकड़ भूमि वन विभाग के साथ विचाराधीन थी

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य कारी एजेंसी	ए.ए. एवं ईए.ए. राशि	संशोधित ए.ए. एवं ई.एस./वास्तविक व्यय	लागत बढ़ोतरी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
						और इसकी जुलाई 1997 में राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई थी। 20 एकड़ पर चारदीवारी का निर्माण ₹31.20 लाख की अनुमानित लागत पर जनवरी 2005 में सात वर्ष की समाप्ति के बाद आरम्भ किया गया था परंतु दोबारा निष्पादित नहीं की जा सकी क्योंकि पत्थर फिर गायब पाए गए थे। 2008 में पुन: सर्वेक्षण के बाद कार्य जनवरी 2009 में आरम्भ हुआ था और ₹96.88 लाख की लागत पर पूरा हुआ था (दिसम्बर 2009) इसके परिणामस्वरूप ₹82.36 लाख की अधिक लागत हुई।
5.	सी.आर.पी.एफ. केम्पस पल्लीपुरम तिरूवन्तपुरम में भूमिगत केबिल द्वारा ऊपरी विद्युतीयकरण बदलना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	69.54 दिसम्बर 2005	93.78 जून 2010/ 94.49 दिसम्बर 2012 परंतु अन्तिम बिल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ।	24.24	ए.ए. एवं ई.एस. संस्वीकृति कराने में तीन वर्ष से अधिक और कार्य के निविदा आमंत्रण में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था।
6.	ग्रुप सेंटर सी.आर.पी.एफ. पल्लीपुरम तिरूलनन्तपुरम में 192 क्वार्टरों में विद्युतीय	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	57.87 मार्च 2004	95.66 मई 2009 (संस्वीकृति प्रतीक्षित)/	122.66	ए.ए. एवं ई.एस. देने में 18 माह, कार्य सौंपने में 12 माह और कार्यों के समापन में 49 माह

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य कारी एजेंसी	ए.ए. एवं ईए.ए. राशि	संशोधित ए.ए. एवं ई.एस./वास्त विक व्यय	लागत बढ़ोतरी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
	प्रतिष्ठापन का नवीकरण			शेष 72 क्वार्टरों के लिए 84.87 अक्तूबर 2014 (संस्वीकृति प्रतीक्षित)/वा स्तविक व्यय 61.52 कार्य पूरा नहीं		का विलम्ब और समय से निधियां जारी करने में सी.आर.पी;एफ. की विफलता के परिणामस्वरूप 10 वर्षों के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त क्वार्टर अभी तक उपयोग में नहीं लाए जा सके।

4.5.5.2 ₹7.52 करोड़ का निष्फल व्यय

कार्यों के निष्पादन के दौरान ऐसे उदाहरण देखे गए थे जहॉ किया गया व्यय/ठेकेदार को किए गए भुगतान निष्फल थे। ऐसे कुछ रूचिकर मामलों के ब्यौरों पर नीचे चर्चा की गई है:

तालिका 4.16: कार्यों के ब्यौरे जहॉ व्यय निष्फल था।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	समापन की निर्धारित/ वास्तविक तारीख	वास्तविक व्यय	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	ए.ए.ए.ए.बी. टीसी. साराहन के लिए भण्डारण टैंक का निर्माण और जल आपूर्ति योजनाओं के लिए स्थल का विकास	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	मार्च 2010/ दिसम्बर 2014	124.00	कार्य 5 वर्ष के विलम्ब के बाद पूरा हुआ था परंतु जल आपूर्ति योजना निष्क्रिय थी परिणामस्वरूप ₹124 लाख का व्यय निष्फल हो गया

2	ए.ए.एच.क्यू., बी.एस.एफ., फिरोजपुर के अधीन बी.एस.एफ. कैम्पस, 80 बटालियन, बी.ए.ए.एफ खेमकरण के लिए दरवाजों तथा संतरी चौकी सहित 1450 मी. चारदीवारी का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	27-11-12 /4-12-13	128.00	सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने एक वर्ष के विलम्ब के बाद कुल 1450 मीटर चारदीवारी में से केवल 1266 मीटर का निर्माण पूरा किया कार्य के अपूर्ण निष्पादन के कारण पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का चारदीवारी का प्रयोजन प्राप्त नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹128 लाख का निष्फल व्यय हुआ।
3	ग्रुप सेंटर सी.आर.पी.एफ. नींमच (एम.पी.) के चारदीवारी का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	अगस्त 2009/मार्च 2010	500.17	सी.पी.डब्ल्यू.डी से सी.आर.पी.एफ. द्वारा अधिकार लेने से पूर्व वर्षा के कारण (अगस्त 2010 तथा अगस्त 2011) 485 मीटर चारदीवारी गिर गई। इसका पुनर्निर्माण कराए बिना ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किया गया था। प्रयोजन जिसके लिए ₹500.17 लाख का व्यय किया गया अप्राप्त तथा निष्फल रहा। सी.आर.पी.एफ. ने अभ्युक्ति स्वीकार करली और बताया कि संशोधित संस्वीकृति दी गई थी परंतु गिरी चार दीवार अभी तक ठेकेदार के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों द्वारा पूर्ण/पुनर्निमित नहीं की गई थी क्योंकि यह सौंपने से पूर्व गिर गई थी और कमी देयता अवधि के अधीन थी।
		कुल		752.17	

4.5.6 कार्य के समापन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 710 कार्यों में से 29 कार्य दिसम्बर 2014 तक ठेकेदारों को दिए नहीं गए थे शेष 681 कार्यों में से ₹1723.25 करोड़ वाले 405 कार्यों (59 प्रतिशत) में निर्धारित अवधि के बाद कार्यों के समापन में औसतन 14 माह का विलम्ब (1 माह से 66 माह के बीच) हुआ था **(अनुबंध-4.13)** तथापि ₹847.52 करोड़ वाले 150 मामलों (37.4 प्रतिशत) में विलम्ब 14 माह से अधिक था। निष्पादन में विलम्ब का एजेंसी वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.17: कार्यों के समापन में विलम्ब के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कार्यकारी एजेंसी	विलम्बित कार्यों की संख्या	बल-वार विलम्बित कार्यों की संख्या	विलम्ब की श्रेणी(माह में)	विलम्ब के मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि	कार्यों की संख्या जहाँ विलम्ब औसत से अधिक था	विलम्ब के औसत से अधिक मामलों के लिए अन्तर्ग्रस्त राशि
सी.पी.डब्ल्यू.डी	254 (58%)	बी.एस.एफ. -45, सी.आई.एस.एफ. -36 सी.आर.पी.एफ. -96, आई.टी.बी.पी.-36 ए.ए.ए.ए.बी.-33, एन.ए.ए.जी.-8 **कुल-254**	1 से 66	932.20	82 (19%)	362.58
विभागीय	61 (66%)	बी.एस.एफ.**-28,** आई.टी.बी.पी.**-12** एन.ए.ए.जी.**-05,** ए.ए.ए.ए.बी.**-13** ए.आर.**-03** **कुल -61**	1 से 31	22.13	16 (17%)	4.98
ई.पी.आई.एल.	5 (31%)	ए.आर.-05	1 से 51	31.28	4 (25%)	24.53
एच.पी.एल.	5 (29%)	ए.आर.-05	1 से 52	26.87	05 (29%)	26.87
एन.बी.सी.सी.	32 (64%)	बी.एस.एफ.-13, सी.आर.पी.एफ. -12 आई.टी.बी.पी. -01, सी.आई.एस.एफ. -04 ए.ए.ए.ए.बी.-2, **कुल -32**	1 से 64	473.23	13 (26%)	273.48
एन.पी.सी.सी.एल.	44 (51%)	ए.आर.-44	1 से 45	213.10	27 (31%)	143.57
यू.पी.जे.एन.	2 (33%)	ए.आर.-02	1 से 22	8.45	2 (33%)	8.45
डी.एम.आर.सी.	1(100%)	सी.आर.पी.एफ. -01	29	3.06	1 (100%)	3.06
जे.के.पी.सी.सी.	1 (100%)	बी.एस.एफ.-01	4	12.93	-	-
जोड़	**405**	**405**		**1723.25**	**150**	**847.52**

यह स्पष्ट है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. और विभागीय रूप से सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित कार्य अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित कार्यों की अपेक्षा अधिक विलम्बित थे। निष्पादन में विलम्ब मुख्यतया स्थल सौंपने में विलम्ब/अन्तिम न करने, पहुँच योग्य स्थल की अनुपलब्धता, ड्राइंग तथा भवन योजना में परिवर्तन/तैयार न करना, विन्यास योजना में परिवर्तन, भारी वर्षा, बारम्बार बन्द, स्थल की दूरस्थता, श्रम संकट, अन्य राज्यों से स्थानांतरित श्रमिकों पर प्रतिबंध और ठेकेदारों की विफलता आदि को आरोपित था। सी.ए.पी.एफ. ने आगे बताया कि पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा बताए गए तथ्यों का सत्यापन करने के बाद उन्होंने समय वृद्धि दी थी। एस.एस.बी. तथा बी.एस.एफ. ने भी बताया कि जहॉ कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से विलम्ब हुआ था वहॉ वे ठेकागत खण्ड के अनुसार दण्डित किए गए थे। अधिकांश मामलों में, बाधाएं उचित थीं इसलिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियम पुस्तक खण्ड के अनुसार समय वृद्धि दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलम्ब या तो सी.ए.पी.एफ. अथवा पी.डब्ल्यू.ओ. की ओर से हुआ था।

विलम्ब से संबंधित कुछ रूचिकर मामले निम्न है:

तालिका 4.18: कार्यों के विलम्ब के कुछ रूचिकर मामलों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	समापन की निर्धारित तिथि	वास्तविक व्यय	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आई.टी.बी.पी. कैम्पस पटियाला में मलजल संसाधन संयंत्र (ए.ए.टी.पी.) का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29-1-2010/ दिसम्बर 2014 को अपूर्ण	26.61	कार्य जो जनवरी 2010 में पूरा हो जाना था लेखापरीरक्षा की तारीख (नवम्बर 2014) तक अपूर्ण रहा। एस.टी.पी. पर किया गया व्यय अपव्यय था क्योंकि आई.टी.बी.पी. कैम्पस में सैनीटेशन सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।
2.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ. भुवनेश्वर में आवासीय और अनिवासीय भवनों का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी	अगस्त 2012/ अपूर्ण	39.00	कार्य सौंपने के दो वर्ष बाद भी सी.पी.डब्ल्यू.डी. को सी.आर.पी.एफ. द्वारा निधियों का आबंटन न करने के कारण यह पूरा नहीं हुआ था।

4.5.7 अपूर्ण कार्य ले लेना/कार्यों को सौंपने में विलम्ब

निर्माण कार्य के समापन के बाद स्थल सौंपने से पूर्व विनिर्देशनों और आवश्यकताओं के अनुसार पूर्णतया जांच करने के लिए अधिकारियों का बोर्ड नियुक्त करने की सीए.पी.एफ. से अपेक्षा की गई थी। तथापि स्थलों को सौंपने/लेने में निम्नलिखित उदाहरण देखे गए थे जहॉ सभी प्रकार से कार्य पूर्ण होने से पूर्व सी.ए.पी.एफ. द्वारा परिसम्पत्तियां अधिकार में ली गई थी।

तालिका 4.19: कार्य समापन से पूर्व सी.ए.पी.एफ. द्वारा परिसम्पत्तियां अधिकार में लेने के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	संस्वीकृत राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
ए.आर. के पांच कार्य **(i)** क्वार्टरों, सहायक सेवाओं का निर्माण और कैथल गंबी में ए.आर. के लिए विकास कार्य **(ii)** काव्याचिंग, मणिपुर में मैनजीन भवन का निर्माण और विकास कार्य **(iii)** ए.आर. के लिए विकास कार्य सहित एकल जे.सी.ओ. आवास, एकल आदमी बैरक प्रशासन ब्लाक आफीसर्स मैस का निर्माण (iv) ए.आर. के लिए पहुॅच मार्ग सहित एकल आदमी बैरक का निर्माण **(V)** काकचिंग, मणिपुर में ए.आर. के लिए विकास कार्य सहित एकल जे.सी.ओ. आवास, एकल आदती बैरक, प्रशासन ब्लाक, आफीसर्स मैस का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	33.88	मणिपुर में 3.96 कि.मी. बिटूमेनी सड़क को सडक पर 'साइड बीम' प्रदान किए जाने थे, एन.पी.सी;सी.एल. द्वारा उसे निर्मित किए बिना ए.आर. द्वारा ले लिया गया था। सड़क के साथ चल रही जल आपूर्ति के लिए 3.20 कि.मी. जी.आई. पाइप लाइन अपेक्षित जंग रोधी पेंट लेप किए बिना किया। इसे ए.आर. को एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा सौंपा गया था। ए.आर. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली थी।

कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	संस्वीकृत राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
सी.आर.पी.एफ. के लिए नवीं मुम्बई में बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.60	कार्य जो न्यायलय मामलों और कानूनी मामलों के कारण बन्द किया गया था, अक्तूबर 2009 के दौरान बल द्वारा ले लिया गया था परंतु अभिप्रेत उपयोग में नहीं लाया जा सका था परिणामस्वष्प कमियों को सुधारने के लिए ₹60.02 लाख की अतिरिक्त ₹59.38 लाख का निष्फल व्यय हुआ।
करहल्ली, बैंगलुरु ग्रामीण सी.पी.डब्ल्यू.डी. जिला में बी.एस.एफ. के लिए आन्तरिक सड़क, पुलिया आदि प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.20	लगभग 200 मीटर की लम्बाई के दो बितानों में सड़क कार्य अभी निष्पादित किया जाना था क्योंकि इस बितान में पुलियों का निर्माण आवश्यक था। यद्यपि मूल पी.ई. में ₹20.30 लाख की लागत पर 10 पुलियों के निर्माण और अनुसूची कार्यों का प्रावधान किया गया परंतु कथित मद निविदा में शामिल नहीं की गई थीं 200मीटर के अपूर्ण सड़क कार्य के बावजूद सी.पी.डब्ल्यू.डी. में एजेंसी को समापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया। उत्तर में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने बताया कि पुलियों के निर्माण कार्य की मदें भूल के कारण संशोधित पी.ई. में छूट गई थीं। एक अलग अनुमान अब संस्वीकृत कराया गया था।
ग्रेटर नोएडा यू.पी. में सी.आर.पी.एफ. की बैरकों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	14.48	एन.बी.सी.सी. ने मूल सुविधाओं जैसे विद्युत तथा सीवेज का कार्य किए बिना ग्रेटर नोएडा में सी.आर.पी.एफ. को बैरकों का निर्माण सौंप दिया। इन मूल सुविधाओं की ₹4.22 लाख के व्यय से एन.बी.सी.सी. द्वारा अस्थाई रूप से व्यवस्था की गई थी।
सी.आर.पी.एफ., पुणे के लिए परिवार क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	92.99	फरवरी 2010 में एल.बी.सी.सी. द्वारा आंशिक कार्य पूरा किया गया था और 33-37 माह बीत जाने के बाद नवम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के बीच सी.आर.पी.एफ. को सौंप दिया गया था और 14 माह के विलम्ब से दिसम्बर

कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	संस्वीकृत राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
			2012 में पूर्ण ₹25.72 करोड़ के व्यय वाले शेष कार्य दिसम्बर 2014 तक ग्राहक विभाग को सौंपे नहीं गए थे। अपने उत्तर में सी.आर.पी.एफ; ने अभ्यूक्ति स्वीकार कर ली और बताया कि इंगित कमियां शीघ्रता से पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा सुधारी नहीं जा रही थीं।

मामला अध्ययन के रूप में दो रूचिकर मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

मामला अध्ययन 4.14 :

₹ 2.96 करोड़ का निष्फल व्यय



₹ 9.90 करोड़ के ए.ए. एवं ई.एस. से सी.आर.पी.एफ. चन्द्रयानगुत्ता, हैदराबाद के लिए परिवार क्वार्टरों का कार्य अप्रैल 2007 की समापन की निर्धारित तारीख के साथ ₹7.39 करोड़ की निविदागत लागत पर अप्रैल 2006 में एक ठेकेदार को दिया गया था। धीमी प्रगति के कारण कार्य जनवरी 2007 में निरस्त किया गया था और ₹8.41 करोड़ की निविदागत लागत पर दूसरे ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार ने ₹8.22 करोड़ मूल्य के 128 क्वार्टर पूर्ण कर दिए और दिसम्बर 2014 को विभिन्न स्तरों पर 64 क्वार्टरों का शेष कार्य अपूर्ण छोड़कर सितम्बर 2013 तक सी.आर.पी.एफ. को इन्हें सौंप दिया। बाद में, मूल कार्य का क्षेत्र 180 से 192 क्वार्टरों तक बढ़ गया था और अनुमान ₹14.90 करोड़ तक संशोधित किया गया था (सितम्बर 2013)। इस अनुमान में कार्य के पूर्ण भाग की ₹68.37 लाख की राशि शामिल की गई जो ताजा निविदाएं आमंत्रित करते समय निकाली नहीं गई थीं। आज की तारीख (जून 2015) को शेष 64 क्वार्टरों (192-

128) पूर्ण नहीं थे और ₹2.96 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि सी.आर.पी;एप. स्टाफ समापन की अनुमानित तारीख (अप्रैल 2007) से 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने क्वार्टरों में जा नहीं सके। इसके अलावा विभाग लम्बित कार्यों के समापन के लिए ₹5 करोड़ से अधिक की आवश्यकता के बन्धन में ही गया था और पहले ठेकेदार द्वारा मध्यस्थ मामला दायर किया गया था।

सी.आर.पी.एफ. ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जून 2015) और बताया कि उसी परियोजना के लिए पिछले ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त धन की मांग की जा रही है और संवीक्षाधीन है।

मामला अध्ययन 4.15:

कमियों का सुधार किए बिना ए.आर. क्वार्टरों का अधिकार लेना

ए.आर. ने जोरहाट, असम में 12 टाइप-।।। क्वार्टरों और 48 टाईप-।। क्वार्टरों का निर्माण कार्य ई.पी.आई.एल को सौंपा। ई.पी.आई.एल. ने उसे 4 पैकेजों में विभक्त कर दिया और 16 टाईप -।। क्वार्टरों का एक पैकेज मई 2006 में एक ठेकेदार को सौंप दिया। इन क्वार्टरों का ₹91.58 लाख की लागत पर निर्माण किया गया था। और मई 2011 में ए.आर. को सौंप दिए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सौंपने की तारीख से 9 माह बाद ए.आर. द्वारा उनकी कमियों अर्थात किसी भी क्वार्टर में छत संसाधन की कमी, प्लास्टर, दस्वाजों तथा खिड़कियों की खराब गुणवत्ता और अव-मानक फ्लाई प्रूफिंग खोजी गई थीं। (मार्च 2012) परिणामस्वरूप दो क्वार्टर खाली रहे (अक्तूबर 2014)। इस प्रकार, बल द्वारा उचित मॉनीटरिंग और गुणवत्ता जांच की कमी के कारण उपर्युक्त कमियां देखने में नहीं आई थीं, 02 क्वार्टर अभी तक अधिभोग में नहीं लाए जा सके और अन्य क्वार्टरों में कमियां अभी भी दूर की जानी थी।

अपने उत्तर में असम रायफल्स इन अनियमितताओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

4.6 अन्य अनियमिताएं

4.6.1 कार्य आदेश/अनुबंध बिना कार्य का आरम्भ

कार्यों के प्रबंधन की नीतियों तथा प्रक्रिया की नियम पुस्तक (2002 में सी.वी.सी. निर्देश) के पैरा 1.2.2 (Vii) के अधीन वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कोई कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कार्य आदेश जारी नहीं किया गया हो। लेखापरीक्षा ने पाया

कि एन.पी.सी.सी.एल. ने ए.आर. के 27 कार्यों **(अनुबंध-4.15)** और एन.बी.सी.सी. ने बी.एस.एफ. के नौ कार्यों **(अनुबंध -4.1.6)** में इस निर्देश का पालन नहीं किया क्योंकि उन्होंने कार्य के आरम्भ को केवल 51 दिनों से 567 दिनों के बाद संबंधित ठेकेदारों के साथ अनुबंध किए। इसके अलावा 11 कार्यों **(अनुबंध-4.1.5)** में ₹8.89 करोड़ का भुगतान औपचारिक अनुबंध करने से पूर्व किया गया था।

पी.डब्ल्यू.ओ. ने अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी थीं तथापि असम रायफल्स ने यह कहते हुए अभ्युक्ति स्वीकार कर ली कि वे पी.डब्ल्यू.ओ. के साथ अपने भावी एम.ओ.यू. में उचित प्रावधान शामिल करने के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4.6.2 ₹39.04 लाख के अप्राधिकृत अस्थाई कार्य का निष्पादन

एन.बी.सी.सी. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मथुरा में बी.एस.एफ. के निर्माण कार्याकलापों में एक अस्थाई बैरक के निर्माण पर ₹19.60 लाख का और एक अस्थाई शौचालय ब्लॉक पर किया गया ₹19.44 लाख का व्यय शामिल किया गया। ये कार्य मूल कार्य के भाग नहीं थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, ₹39.04 लाख का व्यय अनियमित था।

बी.एस.एफ. ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जून 2015) और बताया कि बी.एस.एफ. कैम्पस मथुरा में अस्थाई अवसंरचना बी.एस.एफ. के कार्यालय तथा भण्डारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता के अनुसार एन.बी.सी.सी. द्वारा निर्मित की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कार्य न तो मूल कार्य के भाग थे और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत थे।

4.6.3 कार्य के लिए प्राप्त न किया गया स्थल

बी.एस.एफ. के लिए जम्मू में बैरक के निर्माण हेतु कार्य के लिए, प्रशासनिक अनुमोदन ₹4.62 करोड़ थी व्यय संस्वीकृति फरवरी 2014 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को ग्राहक विभाग द्वारा सूचित की गई थी। तदनुसार सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने निर्माण हेतु स्थल प्रदान करने के लिए बी.एस.एफ. अधिकारियों के साथ मामला उठाया। ग्राहक विभाग ने सूचित किया कि कार्य के लिए स्थल उपलब्ध नहीं था और स्थल की पहचान करने में विभाग को दो वर्ष से अधिक का समय लगा।

इस प्रकार, बी.एस.एफ. अधिकारियों ने यह दर्शाते हुए कि भूमि उपलब्ध थी, व्यय संस्वीकृति हेतु एम.एच.ए. को स्थल पहचान बिना प्रस्ताव भेज दिया, परिणामस्वरूप बैरकों का निर्माण नहीं हुआ।

बी.एस.एफ. ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (जून 2015) और बताया कि संस्वीकृति इस परिकल्पना से जारी की गई थी कि कार्य सौंपने के समय तक भूमि का निर्णय हो जाएगा। परंतु भूमि का निर्णय नहीं हुआ था और साम्बा में भूमि का वैकल्पिक खण्ड बैरक के निमार्ण हेतु दिया जा रहा था जहॉ कार्य अब आरम्भ हुआ था।

4.6.4 दस्तावेज का अनुरक्षण न करना

कार्य के निष्पादन के दौरान सभी बाधाओं का अभिलेख रखने के लिए बाधा रजिस्टर बनाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निष्पादित कार्यों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ए.आर. 56 पूर्ण पैकेजों में से ₹36.13 करोड़ की निविदागत राशि वाले पांच कार्यों में पी.डब्ल्यू.ओ. (एन.पी.सी.सी.एल., ई.पी.आई.एल., यू.पी.जे.एन. तथा एच.पी.एल.) ने बाधा रजिस्टर नहीं बनाए थे। 9 परियोजनाओं में ठेकेदार के अभिलेख में श्रम लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। अनेक मामलों में अभिलेखों में पाक्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। सी.वी.सी. मार्ग निर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किए जाने हैं। तथापि, लेखापरीक्षा को भेजे गए अभिलेखों से, यह देखा गया था कि अधिकांश परियोजनाओं में मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसी प्रकार अनेक मामलों में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अन्य दस्तावेज जैसे माप पुस्तकें, निरीक्षण रजिस्टर, कांट्रेक्टर लेजर आदि उचित रूप से नहीं बनाए गए थे।

पी.डब्ल्यू.ओ. ने अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी थीं, तथापि असम रायफल्स ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार कर लिए कि उन्होंने कार्यस्थल पर बाधा रजिस्टर बनाने के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. को निर्देश दिए थे।

4.7 निष्कर्ष

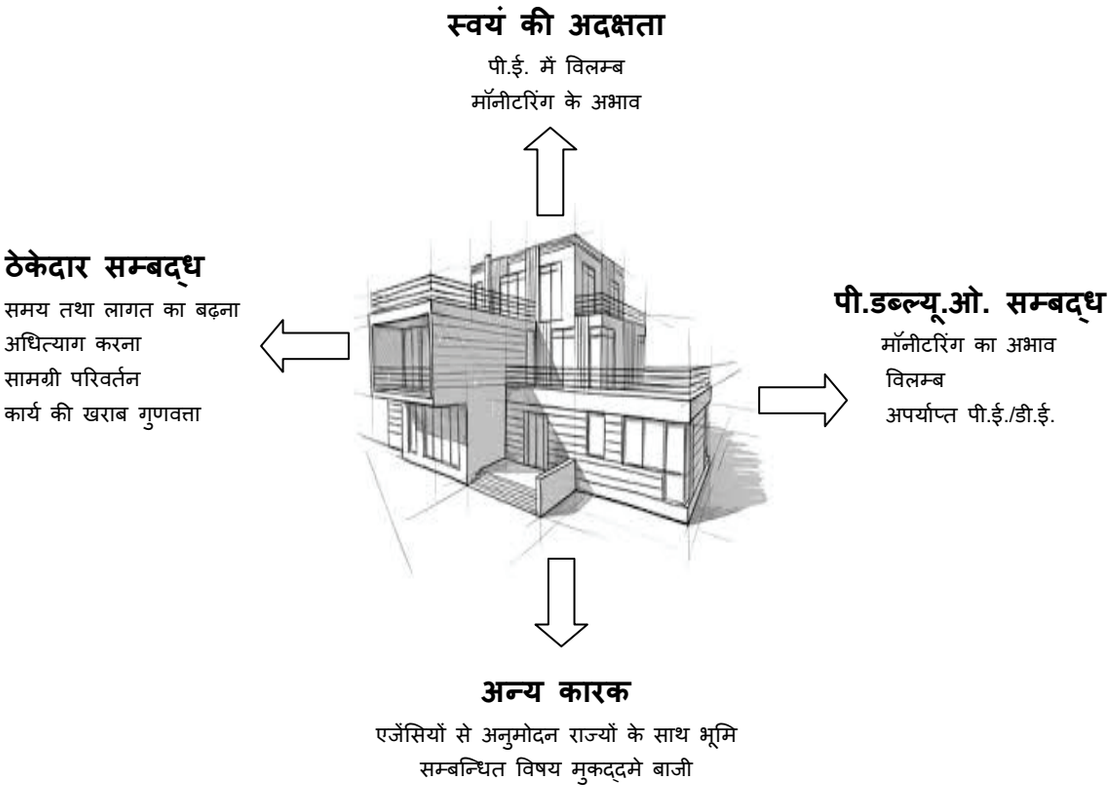
निर्माण कार्यों की प्रक्रिया निर्माण के बाद स्थल सौंपने/अधिकार में लेने के आवश्यक अनुमोदनों के बाद कार्यकारी एजेंसी के चयन से व्यवस्थित होता है। लेखापरीक्षा में प्रत्येक कदम पर कमियां और विलम्ब पाए गए। निर्माण कार्यों के लिए कार्यकारी एजेंसियों का चयन किसी मानदण्ड पर आधारित नहीं था और कार्यकारी एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा गायब थी। ग्राहक तथा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा आवश्यकता के लिए उचित निर्धारण तथा योजना नहीं बनाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय/अधिक/परिहार्य भुगतान हुए जैसा पूर्ववर्ती पैराग्राफों से स्पष्ट है। उचित विस्तृत अनुमानों को तैयार किए बिना सौंपे जा रहे कार्यों, जी.एफ.आर. तथा एम.एच.ए. आदेशों के उल्लंघन के उदाहरण देखे गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विन्यास योजनाओं और ड्राइंग के लिए स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन अनेक मामलों में कार्यों के समापन के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया था अनेक दृष्टांतों में यह देखा गया था कि

उच्च अधिकारियों से ए.ए.और ई.एस. का परिहार करने के लिए परियोजना के लिए एक अनुमान तैयार करने के स्थान पर कार्य के विभाजन का सहारा लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ए.पी.एफ/पी.डब्ल्यू.ओ. उचित समय में पूर्ण क्षेत्र तथा विनिर्देशन के साथ प्राथमिक ड्राइंग का निर्णय करने में असफल हो गए जिससे कार्यों की अनुमानित लागत बढ़ गई और निष्पादन में विलम्ब हुआ। पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा तैयार अनुमान उच्च थे, जिसके कारण अधिक भुगतान हुए। पी.डब्ल्यू.ओ. ने विस्तृत योजनाओं, ड्राइंग तथा विनिर्देशनों द्वारा समर्थित वास्तविक तथा निश्चित विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए थे जिसके कारण निष्पादन के समय विशाल विचलन हुए। परिमाण पत्र(बी.ओ.क्यू) में बड़े पैमाने पर स्वीकार्य सीमा से अधिक विचलन देखे गए थे जो (-) 100 प्रतिशत से (+) 10469 प्रतिशत के बीच थे जो दर्शाता है कि विस्तृत अनुमानों में उल्लिखित कार्य भी मदों की मात्राएं वास्तविक नहीं थीं।

मुख्य कारक, जिन्होंने निर्माण कार्य में कमियों में योगदान किया, को चार क्लस्टरों में समूहित किया जा सकता है जैसा नीचे दर्शाया गया है।

कार्य के बाधा बल



लेखापरीक्षा में ग्राहक विभाग के अपेक्षित अनुमोदन लिए बिना निर्माण के दौरान अधिसंख्य अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन भी पाया गया। सस्ती मदों के साथ महंगी मदों के प्रतिस्थापन अथवा स्थल अथवा संरचनात्मक आवश्यकताओं का हवाला देकर अतिरिक्त मदों के निष्पादन के द्वारा ठेकेदारों को अदेय लाभों से इन्कार नहीं किया जा सकता। मॉनीटरिंग करते समय अन्तर्ग्रस्त एजेंसियों द्वारा प्रत्येक मील पत्थर का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया गया था। विलम्ब विश्लेषण के लिए अपेक्षित डाटा का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने में पी.डब्ल्यू.ओ. बारम्बार विफल हो गए जिससे ठेकेदार को लाभ मिल सका। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मूल सुविधाओं यथा विद्युतीकरण, सीवेज कार्य आदि के बिना अपूर्ण कार्य सी.ए.पी.एफ. द्वारा ले लिए गए थे जिसके कारण निर्मित परिसम्पत्तियां लम्बे समय तक अप्रयुक्त रहीं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उच्च मूल्य पूंजीगत परिसम्पत्तियां स्थापित करते समय एम.एच.ए./सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच संवेदनशीलता गायब थी। प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए एम.एच.ए./सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यकारी एजेंसियां उपचारी उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य समय पर आरम्भ और पूर्ण किए जाते हैं तथा अभिप्रेत लाभ समय पर अन्तिम प्रयोक्ताओं को पहुँच जाते हैं।

अध्याय – V

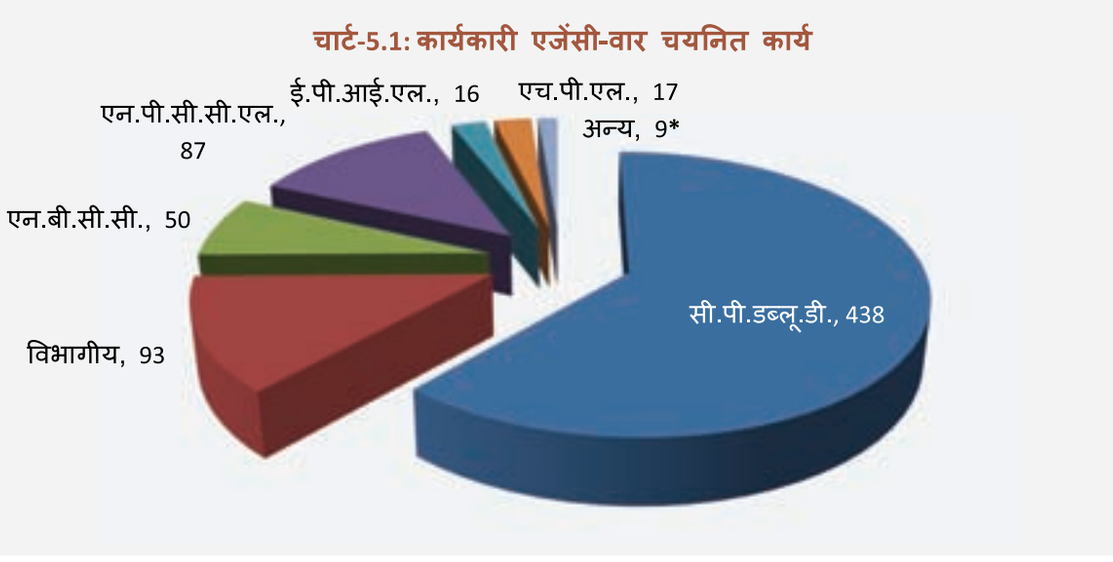
कार्यकारी एजेंसियां-एक तुलनात्मक अध्ययन

कार्यकारी एजेंसियों अर्थात् सी.पी.डब्लू.डी. लोक निर्माण संगठन तथा अपने स्वयं की इंजीनियरी शाखा वाली सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यों की योजना तथा निष्पादन में शामिल विषयों का विश्लेषण निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया गया था:

- प्राथमिक अनुमानों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण
- स्थानीय प्रधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न करना
- निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में अनियमितताएं/विलम्ब
- मदों/अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों में विचलन
- कार्य के समापन में विलम्ब
- विलम्बित निष्पादन के कारण पूर्ण कार्यों में लागत में बढ़ोतरी
- अनुमानों को अधिक बताए जाने के कारण पूर्ण कार्यों में बचतें

कार्यकारी एजेंसियों में कार्यकलापों की तुलना हेतु लेखापरीक्षा ने सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.ओ. तथा इंजीनियरी शाखा वाले सी.ए.पी.एफ. द्वारा 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान निष्पादित ₹10 लाख से अधिक राशि वाले 710 कार्यों का चयन किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट-5.1: कार्यकारी एजेंसी-वार चयनित कार्य



अन्य, 9*: डी.एम.आर.सी.-1, जे.के.पी.सी.सी.-1, ई.सी.बी.-1, यू.पी.जे.एन.-6

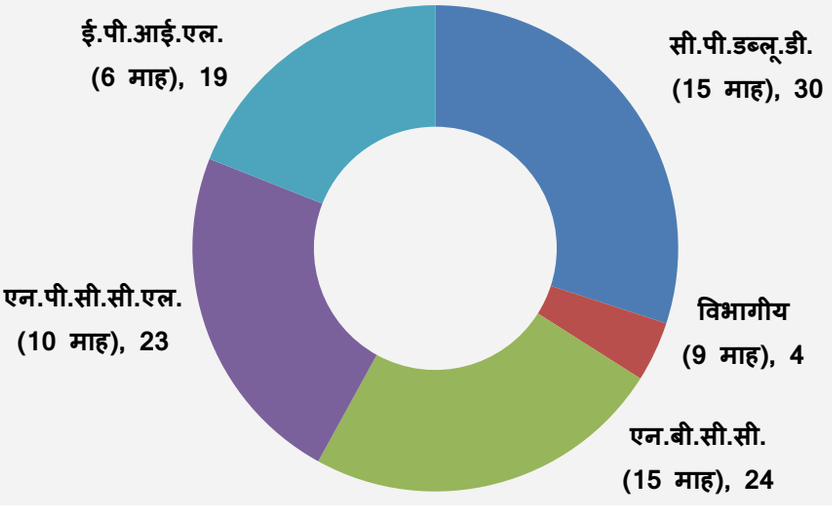
लेखापरीक्षा में उपर्युक्त पैरामीटरों के लिए लेखापरीक्षा जांच के दौरान डाटा एकत्र किया गया और डाटा का निर्णायक रूप से विश्लेषण किया गया जो अनुवर्ती पैराओं में स्पष्ट किए गए हैः

5.1 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्राथमिक अनुमानों (पी.ई.) का तैयार किया जाना और सी.ए.पी.एफ. को प्रस्तुतीकरण

यद्यपि सी.ए.पी.एफ. को कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पी.ई. तैयार करने और प्रस्तुतीकरण हेतु कोई मानक समय ढांचा विद्यमान नहीं है परन्तु लेखापरिक्षित सभी कार्यों से पी.ई. के प्रस्तुतीकरण में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा लिए गए औसत समय के रूप में लेखापरीक्षा में 5 माह निकाला गया। इस प्रकार जिन कार्यों में पी.ई. तैयार करने में पॉच माह से अधिक समय लिया नीचे चित्रित हैः

चार्ट 5.2: पी.ई. 5 माह के औसत समय से अधिक विलम्बित कार्यों की प्रतिशतता

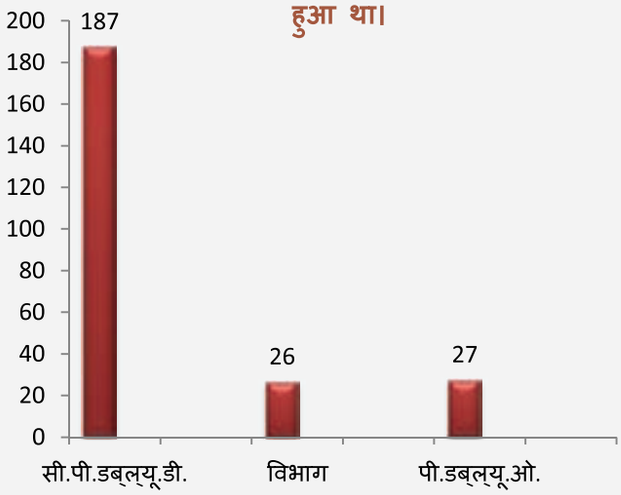
शीर्षकः कार्यकारी एजेंसी (महीनों में औसत विलम्ब), मामलों का प्रतिशत



सी.ए.पी.एफ. को पी.ई. प्रस्तुत करने में सी.पी.डब्लू.डी. तथा एन.बी.सी.सी. ने अपने 30 तथा 24 प्रतिशत कार्यों में औसतन 15 माह का समय लिया जबकि एन.पी.सी.सी.एल. तथा ई.पी.आई.एल. ने अपने 23 तथा 19 प्रतिशत कार्यों में क्रमशः 10 तथा 6 माह लिए। यद्यपि सी.ए.पी.एफ. की अपनी स्वयं की इंजीनियरी शाखा है, स्वयं पी.ई. तैयार करने चाहिए परन्तु कुल विभागीय कार्यों के चार प्रतिशत में भी औसतन 9 माह के पी.ई. विलम्ब से प्रस्तुत किए। पी.ई. तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में विलम्ब ने परियोजना के आरंभ से ही अन्तिम तिथि को आगे धकेल दिया।

5.2 निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब

चार्ट 5.3: कार्यों की संख्या जहाँ निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में 6 माह से अधिक विलम्ब हुआ था।



लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.पी.डब्लू.डी. विभागीय कार्यों और पी.डब्लू.ओ. में कार्य सौंपने में अधिक विलम्ब हुए थे। जहाँ तक कार्यकुशलता का संबंध है कार्यकारी एजेंसियों द्वारा स्वयं के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया था। कार्य सौंपने के लिए छः माह का तर्कसंगत समय ढांचा (उच्च सीमा) अनुमत करने के बाद विलम्ब की ए.ए. एवं ई.एस. के अनुमोदन की तारीख से कार्य सौंपने तक गणना की गई थी। जांचित 710 कार्यों में से 681 कार्य ठेकेदारों को सौंपे गए थे जबकि शेष 29 कार्यों[1] के लिए ए.ए. एवं ई.एस. की संस्वीकृति के बाद दिसम्बर 2014 तक निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं। 681 कार्यों की लेखापरीक्षा जांच में आगे पता चला कि ₹1161.10 करोड़ वाले 240 कार्यों (33.8 प्रतिशत) में ठेकों के सौंपने में 6 माह से अधिक विलम्ब हुए थे जो ए.ए./ई.एस. की संस्वीकृति की तारीख से 7 से 90 माह के बीच थे जैसा साथ के चार्ट में चित्रित है।

कार्यों को सौंपने में विलम्ब को कार्यकारी एजेंसियों द्वारा परिवर्तनों के लिए निर्णय/अनुमोदन की विलम्बित प्राप्ति, ड्राइंग तथा डिजाइनों, विस्तृत अनुमानों की विलम्बित तैयारी, निधियों की अनुपलब्धता और पुन:निविदा आमंत्रण आदि को आरोपित किया गया था।

यह स्पष्ट है कि पी.डब्लू.ओ. जिसमें एन.बी.सी.सी. (8 कार्य), एन.पी.सी.सी.एल. (7 कार्य), ई.पी.आई.एल. (5 कार्य), यू.पी.जे.एन. (5 कार्य), एच.पी.एल. तथा डी.एम.आर.सी. प्रत्येक एक कार्य और विभागीय कार्य शामिल हैं, की तुलना में सी.पी.डब्लू.डी. ने अधिक समय लिया। कार्यों के सौंपने में विलम्ब के कारण उनके समापन में विलम्ब हुआ जिसका अन्ततः परिणाम लागत अधिमानों में हुआ।

[1] 29 कार्य अनुबंध 1.3 में मोटे अक्षरों में दिखाया गया है

5.3 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन नहीं लेना।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि सभी कार्यकारी एजेंसियों अर्थात सी.पी.डब्लू.डी., पी.डब्लू.ओ. और सी.ए.पी.एफ. ने लगभग सभी कार्यों में एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व जहां अनुमोदन आवश्यक था, स्थानीय प्रधिकरणों से अनुमोदन नहीं लिए गए थे, जैसा तालिका 5.1 से स्पष्ट है।

तालिका 5.1: कार्यकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से लिए गये अनुमोदनों के ब्यौरे

कार्यकारी एजेंसी	चयनित कुल कार्य	कुल कार्य जिनके लिए एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित थे	एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जाना
सी.पी.डब्लू.डी.	438	170	168 (99%)
विभागीय	93	31	26 (84%)
एन.बी.सी.सी.	50	31	19 (61%)
एन.पी.सी.सी.एल.	87	87	87 (100%)
ई.पी.आई.एल.	16	16	16 (100%)
एच.पी.एल.	17	17	17 (100%)
अन्य*	9	8	8 (100%)
जोड़	**710**	**360**	**341**

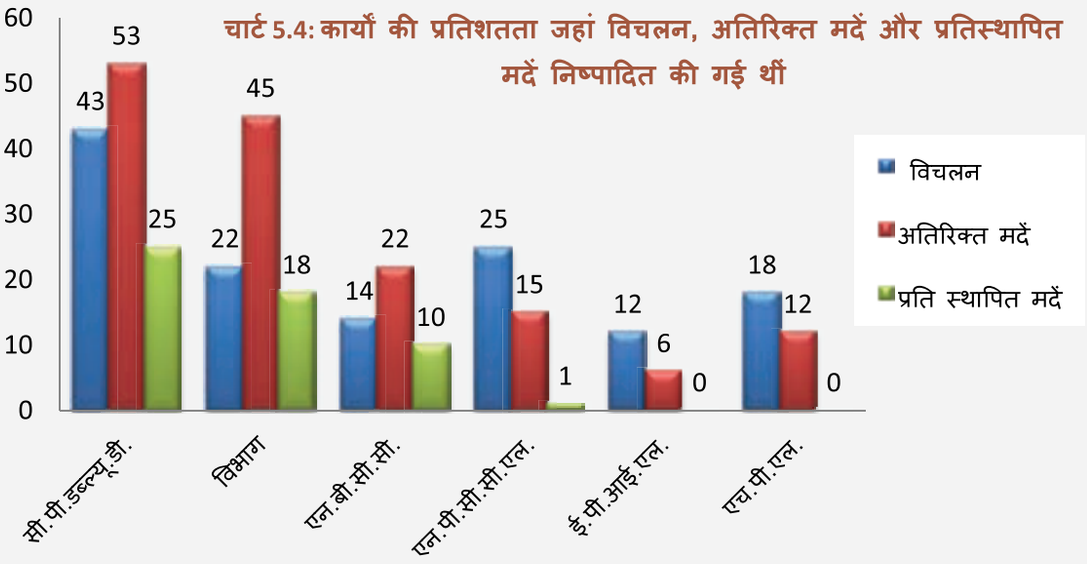
***डी.एम.आर.सी.-1, जे.के.पी.सी.सी.-1, ई.सी.बी.-1, यू.पी.जे.एन.-6**

कार्यों की एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकरणों से केवल 39 प्रतिशत में एन.बी.सी.सी. और 16 प्रतिशत विभागीय कार्यों में सी.ए.पी.एफ. ने अनुमोदन लिए थे। यह स्पष्टतया दर्शाता है कि कार्यकारी एजेंसियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और आरम्भिक योजना के लिए पर्याप्त समय के बावजूद अपेक्षित अनुमोदन नहीं लिए थे।

5.4 मदों/अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों में विचलन

लेखापरीक्षा ने कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्यों में निष्पादित मदों की मात्राओं में बड़े पैमाने पर विचलन पाया जैसा नीचे चित्रित है:

चार्ट 5.4: कार्यों की प्रतिशतता जहां विचलन, अतिरिक्त मदें और प्रतिस्थापित मदें निष्पादित की गई थीं



यद्यपि कार्य में स्वीकार्य विचलन नींव कार्यों में 100 प्रतिशत और भवन कार्यों में 30 प्रतिशत है परन्तु कोई भी कार्यकारी एजेंसी प्रतिबन्ध शर्त पर रुक नहीं सकी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.पी.डब्लू.डी. के कार्यों में अधिक विचलन थे उसके बाद विभागीय कार्यों और एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा निष्पादित कार्यों में थे। कार्यकारी एजेंन्सियों ने बताया कि कार्यों में विचलन स्थल स्थिति, ड्राइंग के अनुसार संरचनात्मक आवश्यकता और ग्राहक द्वारा क्षेत्र में परिवर्तन के कारण थे। सबसे बड़ी और पुरानी कार्यकारी एजेंसी होने पर सी.पी.डब्लू.डी. ने अब तक मूल योजनाओं में अनेक परिवर्तनों का सहारा लिया। सभी मामलों में कुल विचलनों के परिणामस्वरूप ₹83.88 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। यह इस तथ्य का संकेतक है कि विस्तृत अनुलग्नक में उल्लेखित मदों को मंगाएं विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित और स्थल स्थितियों के अनुसार वास्तविक नहीं थीं।

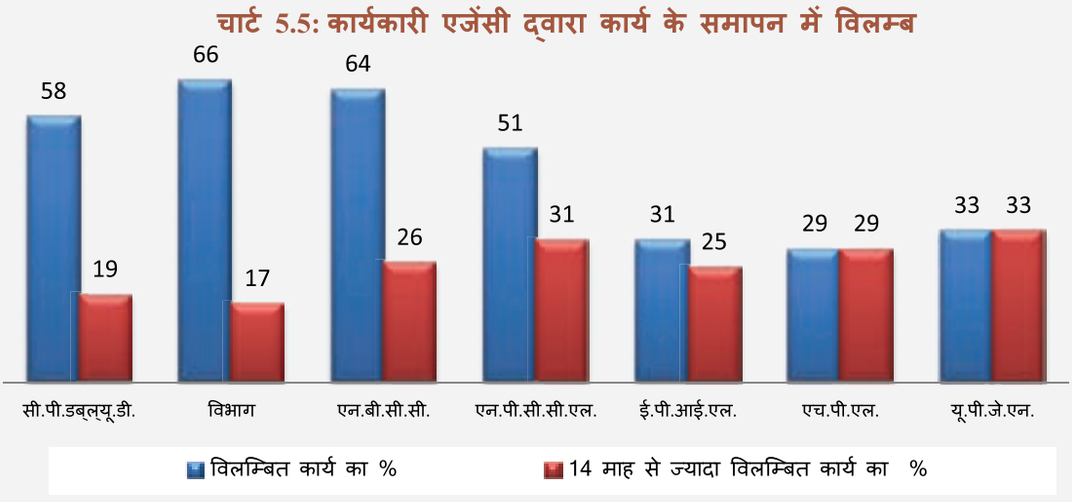
एजेंसियों ने कार्यों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों का भी निष्पादन किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा निष्पादित 53 प्रतिशत कार्यों और 45 प्रतिशत विभागीय कार्यों में क्रमशः ₹23.62 करोड़ तथा ₹0.97 करोड़ कीमत की अतिरिक्त मदों का उपयोग कया गया था। 6 से 22 प्रतिशत के बीच पी.डब्लू.ओ. कार्यों के मामले में ₹5.35 करोड़ कीमत की अतिरिक्त मदों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार सी.पी.डब्लू.डी. तथा अपनी स्वयं की इंजीनियरी शाखा रखने वाले सी.ए.पी.एफ.

द्वारा निष्पादित कार्यों में अतिरिक्त मदें अधिक उपयोग की गई थीं। कार्यकारी एजेंसियों ने बताया कि अतिरिक्त मदों का निष्पादन स्थल की आवश्यकता, अनुबन्ध में शामिल न की गई मद, ड्राइंग के अनुसार संरचनात्मक आवश्यकता और भवन को कार्यात्मक बनाने के लिए निष्पादित मदों को आरोपणीय था। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि डी.ई. तैयार करते समय इन पर विचार नहीं किया गया था। इसी प्रकार लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.पी.डब्लू.डी. (25 प्रतिशत) और विभागीय कार्यों में सी.ए.पी.एफ. (18 प्रतिशत) ने क्रमशः ₹10.19 करोड़ तथा ₹0.34 करोड़ कीमत की प्रतिस्थापित मदों का उपयोग किया। पी.डब्लू.ओ. के मामले में केवल एन.बी.सी.सी. ने 10 प्रतिशत कार्यों में ₹0.24 करोड़ लागत की प्रतिस्थापित मदों का उपयोग किया। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन का परिणाम न केवल योजनाओं से विचलनों बल्कि कार्यों की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार में भी हुआ।

5.5 कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्य के समापन में समग्र विलम्बः

लेखापरीक्षा ने देखा कि जांचित 710 कार्यों में से 405 कार्य व्यक्तिगत निविदा में मानक सेट तक विलम्बित थे। यह एक माह (एक माह से कम को हिसाब में नहीं लिया गया) से 66 माह तक के बीच था। लेखापरीक्षा में विलम्बों को अन्तिम तिथि अप्राप्त सभी मामलों और 14 माह से अधिक के चिरकालिक विलम्बों (405 कार्यों में औसत 14 माह विलम्ब होने पर) में विभक्त किया गया। यह संगणना केवल प्रदर्शन प्रयोजन हेतु की गई थी जैसा नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.5: कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य के समापन में विलम्ब



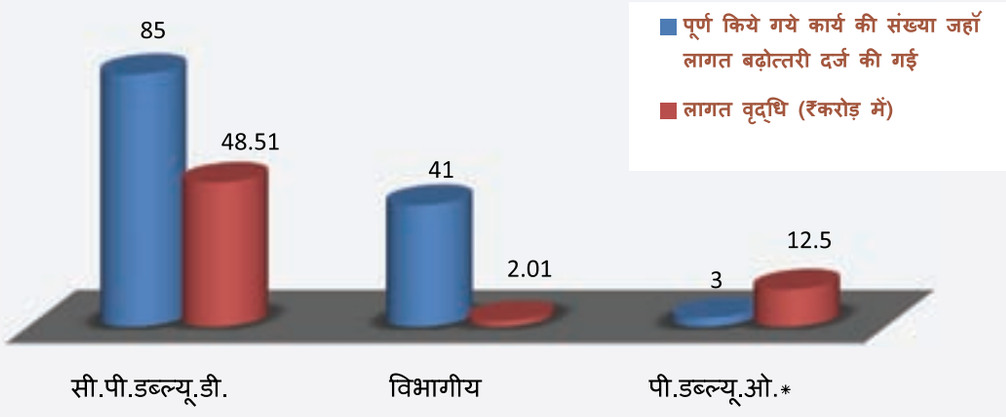
यह देखा गया था कि सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा निष्पादित 58 प्रतिशत कार्यों में 1 से 66 माह तक के बीच कार्य के समापन में विलम्ब हुए थे। विभागीय रूप से किए गए कार्यों,

जहाँ सी.ए.पी.एफ. ने सीधे ठेकादार से लेन देन किया, ने भी विलम्ब दर्शाए। इससे यही समझ में आता है कि सभी एजेंसियां लगभग बराबर बैठती हैं जब कार्य समापन में विलम्ब की बात आती है। कार्यकारी एजेंसियों ने बताया कि विलम्ब मुख्यतया स्थल सौंपने में विलम्ब/निर्णय न करने, ड्राइंग तथा भवन योजनाओं में परिवर्तन/तैयार न करने आदि के कारण थे। कार्य के समापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत सूचकांक बढ़ने के कारण लागत बढ़ोतरी हुई जिसके कारण राजकोष पर परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

5.6 विलम्बित निष्पादन के कारण लागत में बढ़ोतरी

लेखापरीक्षा में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कार्यों के समापन में विलम्बों के कारण लागत वृद्धियां देखी जैसा नीचे चित्रित हैः

चार्ट 5.6: पी.डब्लू.ओ. के पूर्ण किए गए कार्यों में लागत में बढ़ोतरी



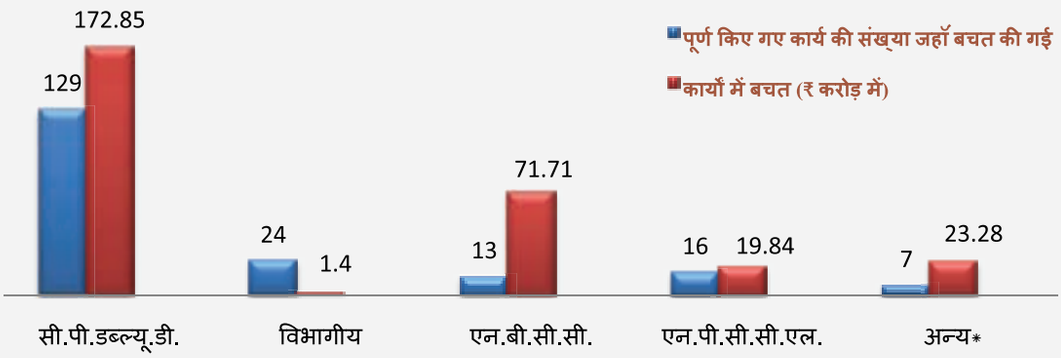
पी.डब्लू.ओ.* में एन.बी.सी.सी. (2 कार्य, ₹12.0 करोड़) तथा डी.एम.आर.सी.(1 कार्य, ₹0.49 करोड़)

यह देखा गया था कि 129 पूर्ण कार्यों में ₹63.02 करोड़ की लागत बढ़ोतरी हुई थी। लागत में बढ़ोतरी सी.पी.डब्लू.डी. और विभागीय कार्यों में अधिक पाई गई थी जिसे विलम्बों, विचलन और अतिरिक्त मदों से जोड़ा जा सकता है। लेखापरीक्षा में सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा निष्पादित कार्यों और विभागीय कार्यों में बड़े पैमाने पर विचलन और अतिरिक्त मदों का निष्पादन देखा गया। विलम्ब मुख्यतया स्थल के सौंपने/निर्णय करने में विलम्ब, ड्राइंग तथा भवन योजना में परिवर्तन/तैयार न करना, विन्यास योजना में परिवर्तन, भारी वर्षा, स्थल की दूरस्थता (पूर्वोत्तर राज्यों में), लगातार बन्द, श्रम संकट, अन्य राज्यों (पूर्वी राज्यों) से स्थानान्तरित श्रम पर प्रतिबन्ध आदि के कारण थे।

5.7 कार्यों के समापन बाद बचतें

लेखापरीक्षा में अनेक कार्यों में समापन बाद कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बचतें देखी गईं जैसा कि नीचे चित्रित है:

चार्ट 5.7: बचत वाले पूर्ण कार्य



***अन्य में ई.पी.आई.एल. (5 कार्य, ₹6.02 करोड़), एच.पी.एल. (1 कार्य, ₹5.58 करोड़) तथा जे.के.पी.सी.सी. (1 कार्य, ₹11.68 करोड़) शामिल हैं।**

सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित 189 पूर्ण कार्यों में ₹289.08 करोड़ की बड़ी बचतें हुई थीं। सी.पी.डब्लू.डी. में 129 कार्यों में ₹172.85 एन.बी.सी.सी. में 13 कार्यों में ₹71.71 करोड़ तथा एन.पी.सी.सी.एल. में 16 कार्यों में ₹19.84 करोड़ की विशाल बचतें देखी गई थीं।

लागत वृद्धि तथा बचतों की तुलना करते समय यह देखा गया था कि ये दोनों कारक परस्पर विशिष्ट अर्थात भिन्न कार्यों में होने वाले थे। यह बताया गया कि बचतें विभाग द्वारा प्लिंथ क्षेत्र की गलत गणना, ड्राइंग का संशोधन, प्लिंथ क्षेत्र में वृद्धि, अनुमानों का संशोधन, स्थल स्थितियों आदि के कारण थीं। यह स्पष्टतया दर्शाता है कि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत अनुमान या तो अधिक थे अथवा कुछ मदें यथा योजित कार्यों में निष्पादित नहीं की गई थीं। एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. ने भी उचित विश्लेषण तथा सत्यापनों बिना बढ़ा चढ़ा कर बताए गए अनुमानों को अनुमोदित किया जिसने बजट बनाने तथा व्यय संस्वीकृतियों में खराब वित्तीय नियंत्रण को दर्शाया।

5.8 मामला अध्ययन

एक व्याख्यात्मक उदाहरण जिसमें कार्यकारी एजेंसी ने अनेक चरणों पर भूल की, नीचे दिया गया हैः

ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में सी.आर.पी.एफ. के 4 नग 240 आदमी बैरकों के निर्माण का कार्य मई 2006 में एन.बी.सी.सी. को दिया गया था। एन.बी.सी.सी. ने मई 2006 में बैरकों के लिए ₹14.48 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया। ए.ए. एवं ई.एस. की तारीख से 18 माह तक समापन की निर्धारित अवधि के साथ एम.एच.ए. द्वारा जनवरी 2007 में ए.ए. एवं ई.एस. को मंजूरी दी थी। कार्य वास्तव में जनवरी 2010 में पूर्ण हुआ था और विद्युत, सीवेज तथा विकास कार्यों बिना सी.आर.पी.एफ. द्वारा एन.बी.सी.सी. से ले लिया गया था। स्थानीय प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन जून 2015 तक भी प्राप्त नहीं किए गए थे और सम्बद्ध विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा में देखा कि एन.बी.सी.सी. ने अनेक चरणों पर कार्य निष्पादन के दौरान चूक की जैसाकि रेखाचित्र में नीचे स्पष्ट किया गया है।



सी.आर.पी.एफ. ने अपने उत्तर (जून 2015) में अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया कि कार्य अपरिहार्य स्थितियों यथा एम.एच.ए. से संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब/बाजार में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, स्थानीय प्राधिकरणों से विन्यास योजना (एल.ओ.पी.) तथा भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण विलम्बित था। ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के लिए ₹1.27 करोड़ की शास्ति/एलड़ी एन.बी.सी.सी. से पहले ही वसूल की जा चुकी थी। उन्होंने आगे बताया कि एन.बी.सी.सी. को स्थानीय प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कई बार निर्देश

दिया गया था परन्तु प्रत्येक चरण पर प्रशासनिक समस्याओं के कारण स्थानीय प्रधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने में उचित विलम्ब हुआ था। वर्तमान में स्थानीय प्राधिकरणों से एल.ओ.पी./पर्यावरण निर्बाधन का अनुमोदन प्राप्त किया गया है और भवन योजना का अनुमोदन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रगति पर है। चूंकि बैरकों का निर्माण जनवरी 2010 में पूर्ण हो गया था और विकास एवं अधिकांश सेवाओं (सिविल) की संस्वीकृतियां 03/12/2009 को प्राप्त हो गई थीं परन्तु एम.ओ.यू. के अनुसार विकास एवं अधिकांश सेवाओं (सिविल) के कार्य के समापन हेतु समापन अवधि 24 महीने थी। जवानों के लिए इन निर्मित बैरकों की उचित उपयोगिता को ध्यान में रखकर निर्मित ढांचें को हानि से बचाने एवं बेहतर जीवन के लिए विकास एवं अनिकाश सेवाओं (सिविल) के प्रति ₹4.22 लाख का व्यय किया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि ₹14.48 करोड़ की लागत से जनवरी 2007 में संस्वीकृत कार्य जो जून 2008 तक पूर्ण किए जाने को नियत था, ₹17.49 करोड़ के अन्तिम व्यय से अन्ततः जनवरी 2010 में पूर्ण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप न केवल 18 महीनों का अधिक समय लगा बल्कि ₹3.01 करोड़ का लागत बढ़ोतरी भी हुई। इसके अलावा एन.बी.सी.सी. द्वारा सी.आर.पी.एफ. को सौंपी गई बैरकें मूल सुविधाओं जैसे विद्युत तथा सीवेज प्रणाली आदि के बिना थीं जिसके कारण जवानों को अस्थाई प्रबन्ध करने पड़े थे।

5.9 उपसंहार

निर्माण कार्यकलापों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदण्डों के आधार पर कार्यकारी एजेंसियों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह देखा गया कि एजेंसियां एक समान थीं जब दक्षताओं के भिन्न मानदण्डों पर तुलना की गई। प्राथमिक अनुमान तैयार करने और निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में विलम्ब सभी पी.डब्लू.डी. में देखे गए थे जबकि सी.पी.डब्लू.डी. ने अधिकतम विपथगमन दर्शाए क्योंकि यह सबसे बड़ा पी.डब्लू.ओ. था और कार्यों की अधिकतम संख्या निष्पादित कर रहा था। सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों की अधिकतम संख्या निष्पादित कर रहा था। सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों ने लागत वृद्धि और उच्चतम बचतों के भी अधिकतम मामले दर्शाए जो कार्यों की सन्तोषजनक से कम वित्तीय योजना दर्शाता है। सी.पी.डब्लू.डी. में अधिक विचलन, अतिरिक्त मदें और प्रतिस्थापित मदें देखी गई थीं जिसका अनुशंसा विभागीय कार्यों में देखा गया। एक क्षेत्र जहाँ सी.ए.पी.एफ. बाहरी हस्तक्षेप बिना सुधार कर सकता है, वह विभागीय रूप से किए गए कार्य हैं।

अनुशंसा:

सी.ए.पी.एफ. विभागीय रूप से किए गए निर्माण कार्यों के लिए मानक निर्धारण करे क्योंकि यह कार्यों की योजना तथा निष्पादन के अनुसार अन्य पी.डब्लू.ओ. की तुलना में बेहतर नहीं था।





अध्याय – VI

परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता आश्वासन, मॉनीटरिंग, उपयोगिता एवं अनुरक्षण

6.1 कार्यकारी एजेंसियो द्वारा किए जाने वाले गुणवत्ता आश्वासन उपाय

निर्माणकार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माणकार्य मैनुअल में विभिन्न उपाय जैसे (**i**) सामग्री की जांच, (**ii**) ब्रांड तथा गुणवत्ता की मॉनीटरिंग, (**iii**) उच्च प्राधिकारियों तथा गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा आवधिक निरीक्षण तथा (**iv**) तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण करना निर्धारित किया गया है। पी.डब्ल्यू.ओ को उपर्युक्त गुणवत्ता आश्वासन उपायों का पालन करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा जांच से गुणवत्ता आश्वासन उपायों मे चूकें प्रकट हुई जिनके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

6.1.1 गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा निरीक्षण करने की कोई प्रथा नहीं थी क्योकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित किए गए किसी निर्माणकार्य की गुणवत्ता आश्वासन दल द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरित लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.डब्ल्यू.ओ. अर्थात् एन.बी.सी.सी., ई.पी.आई.एल. आदि मे भी कोई गुणवत्ता आश्वासन विंग नहीं था। इसके अभाव में पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा दिया गया भवन का आश्वासन संदेहास्पद था। गुणवत्ता आश्वासन के प्रति इस महत्वपूर्ण संघटक का छोड़ देना संदेहास्पद था।

6.1.2 गुणवत्ता जांच में चूकें

सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित किए गए 18 निर्माणकार्यों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में, गुणवत्ता जांच चूके अर्थात् सामग्री तथा पानी की जांच न करना, वास्तव में प्रयुक्त ब्रांड को छोड़कर अन्य ब्रांड की जांच करना, अननुमोदित ब्रांड आदि का उपयोग करना पाई गई थी जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:-

तालिका - 6.1 : गुणवत्ता जांच में चूकें

(₹ करोड़ में)

निर्माण कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	निविदागत लागत	लेखापरीक्षा अभियुक्तियां
एस.एस.बी. के 38 बटालियन, तवांग (अरूणाचल प्रदेश) में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.53	इस निर्माणकार्यों मे प्रयोग किया गये स्टील की जांच नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रयोग किया गया सीमेंट (विनय सीमेंट) निर्माणकार्यों हेतु अनुमोदित ब्रांड का सीमेंट नहीं था।
एस.एस.बी. के लिए डिरांग अरूणाचल प्रदेश में 34 बटालियन हेतु आवासीय क्वार्टरों तथा आई.टी.बी.पी. के लिए ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में जी.ओ. मैस तथा सूट्स का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2.49	जांच किए गए सीमेंट का ब्रांड (विनय सीमेंट) निर्माणकार्यों में प्रयुक्त ब्रांडो (स्टार सीमेंट तथा बिरला गोल्ड) से भिन्न था।
आई.टी.बी.पी. के लिए तेजु, अरूणाचल प्रदेश मे जी.ओ. मेस तथा एकल अधिकारी आवासों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.51	पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेट जो निर्माणकार्य के लिए निर्धारित नहीं था, का प्रयोग किया गया था। इस निर्माणकार्य में प्रयुक्त ऐसे 4 ब्रांडो के सीमेट मे से केवल एक ब्रांड की ही जांच की गई थी।
हैफलांग असम मे टाइप-V क्वार्टरों, सम्बध्द सेवाओं तथा विकास निर्माणकार्यों तथा 4 एस एम बैरक का एक ब्लॉक, 1 जे सी ओ मेस, तथा ए.आर. का एक 20 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	6.46	निर्माण कार्यों में प्रयोग किए गए सीमेंट तथा रेत की जांच नही की गई थी।

निर्माण कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	निविदागत लागत	लेखापरीक्षा अभियुक्तियां
खोंसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. की 8 एस एम बैरकों का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	6.92	स्टील का अननुमोदित ब्रांड जैसे ग्रेस्टोन इस्पात तथा टाइगर ब्रांड का उपयोग किया गया था। तथापि वो नमूना जिसकी ई.पी.आई.एल. द्वारा वास्तव मे जांच की गई थी, निर्माणकार्य में प्रयुक्त ब्रांड (विस्कॉन) से भिन्न पाया गया था।
जयरामपुर, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. की जलापूर्ति योजना का संवर्धन	यू पी जे एन	3.52	कोई जांच किए बिना स्थानीय ब्रांड के स्टील तथा सीमेंट का उपयोग किया गया था।
लोकरा, असम में सम्बध्द सेवाओं सहित रेजीमेंटल विद्यालय तथा विकासात्मक निर्माणकार्य	एन.पी.सी.सी.एल.	0.82	निर्माण कार्य आरम्भ होने के काफी समय के पश्चात सामग्रियों की जांच की गई थी।

कार्यकारी एजेंसियो द्वारा निष्पादित घटिया स्तर के निर्माणकार्यों के कुछ उदाहरणों को नीचे दर्शाया गया है:

संयुक्त निरीक्षण दल, जिसमे लेखापरीक्षा दल के सदस्य तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. के कर्मिक थे, द्वारा देहरादून में आई.टी.बी.पी. हेतु पारिवारिक आवासों का निरीक्षण करने से प्रकट हुआ कि टाइप-1 क्वार्टरों मे भू-तल पर कई स्थानों पर प्लास्टर टूटा हुआ था और दीवारों पर दरारें आई हुई थी जैसाकि फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है।



लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्वोक्त निर्माणकार्य अप्रैल 2009 में पूर्ण हुआ था तथा इन त्रुटियों को मई 2010 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. के संज्ञान में लाया गया था। परन्तु सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इन त्रुटियों को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

स्थल निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने सी.आर.पी.एफ., जी.सी. कादरपुर, गुड़गांव में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क के निर्माण कार्य के दौरान फरवरी 2010 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्मित सड़क में दरारें देखी जो कार्य की घटिया गुणवत्ता को दर्शाता है।



जी.सी., सी.आर.पी.एफ. हैदराबाद में आवासीय क्वार्टरों में लीकेज देखी गई। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने उत्तर दिया कि ठेकेदार को दीवारों से लीकेज समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। तथापि तथ्य यह रहता है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को उचित ढंग से मॉनीटर नहीं किया गया था।



लेखापरीक्षा ने, एस एस जी, ग्रेटर नोएडा मे सी.आई.एस.एफ. जवानों के लिए बैरको के निर्माण कार्य में एन.बी.सी.सी. द्वारा निष्पादित निर्माणकार्य की घटिया गुणवत्ता पायी जैसाकि यहाँ दर्शाया गया है।



6.1.3 निर्माण कार्यों में जांच किए बिना पानी का उपयोग

अगस्त 2008 के सी वी सी दिशानिर्देशों के अनुसार कंक्रीट कार्य की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर पानी की जांच की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.आर. के 40 निर्माण कार्यों जिनमे ₹202.38 करोड़ की निविदागत राशि शामिल है (**अनुबंध-6.1**) में से किसी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए पानी की जांच नहीं की गई थी।

6.1.4 गुणवत्ता आश्वासन अभिलेखे का अनुरक्षण न किया जाना

अगस्त 2008 के सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार विर्निमाता का स्टील तथा सीमेंट का खेप वार जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिकोर्ड में रखना अपेक्षित था। यह पाया गया था कि ए.आर., सी.आर.पी.एफ. तथा आई.टी.बी.पी. के ₹373.90 करोड़ (**अनुबंध 6.1**) की संस्वीकृत लागत निविदागत राशि को सम्मिलित करते हुए 59 निर्माण कार्यों के संबंध में विनिर्माताओं के जांच प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

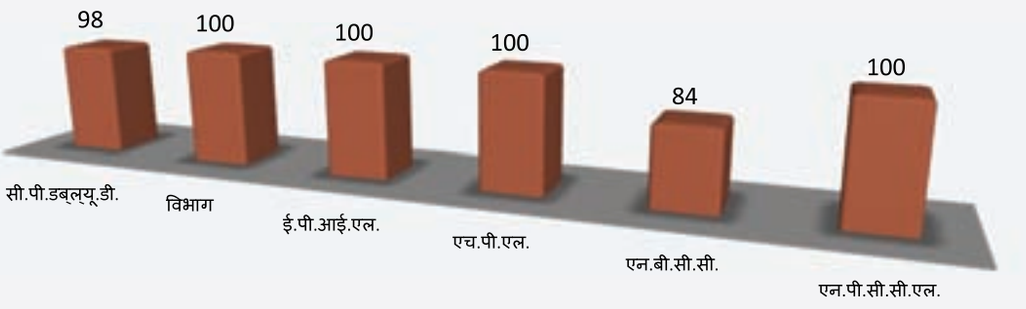
इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ₹222.66 करोड़ (**अनुबंध-6.1**) को सम्मिलित करते हुए ए.आर. के 44 निर्माणकार्यों में उपयोग का कोई सैद्धान्तिक विवरण परिकलित करके उन निर्माणकार्यों में वास्तव में उपयोग किए गए स्टील, सीमेंट तथा पेंट की मात्रा से मिलान नहीं किया गया था।

ए.आर. ने अभ्युक्ति को मानते हुए यह बताया कि उसने सभी पी.डब्ल्यू.ओ. को निर्माणकार्य में किए जाने वाले गुणवत्ता नियंत्रण जांच की सूची बनाने के अतिरिक्त उनको स्वयं के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन विंग स्थापित करने तथा कार्यस्थल के समीप नमूनों की जांच करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी/संस्था बनाने के निर्देश दे दिए थे।

6.1.5 तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण

जैसाकि नीचे **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के 98 प्रतिशत निर्माणकार्यों तथा पी.डब्ल्यू.ओ. के 100 प्रतिशत निर्माण कार्यों (एन.बी.सी.सी. के 84 प्रतिशत निर्माणकार्यों के अतिरिक्त) तथा सी.ए.पी.एफ. के विभागीय निर्माणकार्यों में, सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. तथा ग्राहक सी.ए.पी.एफ. के बीच एम.ओ.यू. अनुबंध में तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण तथा गुणवत्ता आश्वासन का कोई प्रावधान नहीं था। यह स्पष्ट था कि सी.ए.पी.एफ. के अधिकतर निर्माणकार्यों में तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण की तंत्र विधि का पूर्णतया अभाव था।

चार्ट 6.1: उन निर्माणकार्यों की प्रतिशतता जिनमे तृतीय पक्ष निरीक्षण करने का प्रवाधान नही किया गया था



तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.आर. निर्माणकार्यों के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा तैयार किए गए 44 पी.ई. में तृतीय पक्ष निरीक्षण हेतु निर्माणकार्य की लागत का 1 प्रतिशत का प्रावधान निहित था। लेकिन लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यकारी के दौरान इस तरह का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था जो यह दर्शाता है कि 44 पी.ई. ₹.99.95 लाख तक बढ़ाए गए थे।

यहाँ तक कि सी.ए.पी.एफ. ने स्वयं भी अपने विभागीय निर्माण कार्यों के अनुबंधों में किसी तृतीय पक्ष निरीक्षण करने का प्रावधान नहीं किया था। स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण के अभाव में, सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित निर्माणकार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन नहीं किया जा सका। सी.ए.पी.एफ. ने अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2015) कि तृतीय पक्ष निरीक्षण को भविष्य में अपनाया जाएगा। एम.एच.ए. ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि लेखापरीक्षा की इस अनुशंसा को कार्यान्वित करने के लिए जांच की जा रही है।

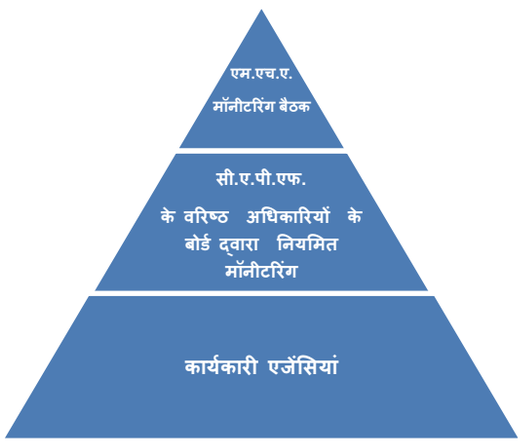
अनुशंसा:

सी.ए.पी.एफ. को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माणकार्यों की पी.डब्ल्यू.ओ. के गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। तृतीय पक्ष निरीक्षण की शर्त को गुणवत्ता आश्वासन के स्तरों को बढ़ाने के लिए एम.ओ.यू. में शामिल किया जाना चाहिए।



6.2 मॉनीटरिंग

लेखापरीक्षा जांच से कार्यकारी एजेंसियों द्वारा मॉनीटरिंग में चूकें प्रकट हुई। निर्माण गतिविधियों के लिए बहु-स्तरीय मॉनीटरिंग का ढांचा पहले से ही विद्यमान है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के अध्याय 10 के उपबंधों के अनुसार किसी निर्माणकार्य के लिए अनुमान की तैयारी से पूर्व स्थल का एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्यों के स्थान/स्थल को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाना था। सी.ए.पी.एफ. द्वारा अधिकारियों के बोर्ड को, भवन का निरीक्षण करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसको अनुमोदित नक्शो, विस्तृत अनुमानों के अनुसार बनाया गया है तथा अनिवार्य बिजली तथा अधिकांश सेवाएं जैसे सड़क, सीवर तथा पानी कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा क्वार्टर रहने के लिए तैयार होने की स्थिति में है, को बनाना अपेक्षित होता है।



वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्माणकार्य के अधिप्रापण हेतु नीति प्रक्रिया मैनुअल के पैरा 5.2 में किसी निर्माण कार्य के आरंभ होने से पहले स्थान पर परियोजना को मॉनीटर करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। उच्च स्तर पर, एम.एच.ए. सी.ए.पी.एफ. के निर्माणकार्यों की प्रगति, सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यकारी एजेंसियों के साथ त्रैमासिक बैठकें करके मॉनीटर करता है। इससे तीन स्तरों पर बहुस्तरीय मॉनीटर स्तर बनता है जैसाकि यहाँ दर्शाया गया है।

6.2.1 मॉनीटरिंग में कमियाँ

लेखापरीक्षा जांच से सी.ए.पी.एफ. द्वारा मॉनीटरिंग करने में चूकें प्रकट हुई जिसका नीचे विस्तृत वर्णन किया गया है:-

6.2.1.1 मॉनीटरिंग न करने के उदाहरण

सी.ए.पी.एफ. के पास निर्माण गतिविधियों के निरीक्षण/मॉनीटरिंग करने के लिए कोई सुपरिभाषित निरीक्षण नीति नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2010 में एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा ₹1.09 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को दिया गया ए.आर. जोरहाट असम में 12 टाइप-।। क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रारंभ से ही घटिया था। ठेकेदार ने निर्माण कार्य में घटिया शटर सामग्री, घटिया ईटों तथा कम मोटाई वाले स्लैबो का

उपयोग किया था। एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यद्यपि ठेकेदार ने छत उपचार निर्माण कार्य, आंतरिक एवं बाहरी जलापूर्ति कार्य कोटा स्टोन की पॉलिश का कार्य नहीं किया था तथापि एन.पी.सी.सी.एल. ने निर्माणकार्य को पूर्ण हुआ मान लिया था (अप्रैल 2014)। यह एन.पी.सी.सी.एल. तथा ए.आर. द्वारा निर्माणकार्य की घटिया मॉनीटरिंग को दर्शाता है। इस प्रकार ठेका सौपने के 48 महीनों के बाद तक 12 क्वार्टरों को न तो अपने अधिकार में लिया जा सका और न ही उनको उपयोग में लाया जा सका हालांकि इन पर ₹1.09 करोड़ का व्यय किया गया था।

इसी प्रकार लोकरा असम में एक ठेकेदार द्वारा ₹2.65 करोड़ की लागत पर 18 टाइप-।। क्वार्टरों[1] का निर्माण किया गया था (अप्रैल 2012)। ए.आर. द्वारा निरीक्षण करने से निर्माणकार्य में कई गंभीर कमियां जैसे घटिया गारा मिश्रण, घटिया कारीगरी, क्रशड स्टोन की बजाय पी ग्रेवल्स (रिवर बैड स्टोन) का उपयोग करना, प्रकट हुई जिसके कारण भवन की क्षमता बुरी तरह से गिर गई। इसने निर्माणकार्य के कार्यकारी के दौरान ए.आर. की ओर से मॉनीटरिंग करने में निस्तेज दृष्टिकोण को दर्शाया जिसमे गुणवत्ता को गंभीर संकट में डाल दिया।

6.2.1.2 सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यकारी एजेंसियों के बीच समन्वयन की कमी

यह पाया गया था कि बल तथा राज्य सरकार तथा या सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बीच मामलों को सुलझाने के लिए नियमित बैठके आयोजित नहीं की गई थी। कार्यकारी एजेंसी द्वारा ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध की प्रति न तो कार्यकारी एजेंसी द्वारा ग्राहक सी.ए.पी.एफ. को दी गई और न ही सी.ए.पी.एफ. द्वारा इसको मांगा गया। सी.ए.पी.एफ. द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसी से निर्माण गतिविधियों के संम्बन्ध में कोई आवधिक रिटर्न/रिपोर्ट नियमित आधार पर प्राप्त नहीं की गई थी।

6.2.1.3 उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा कार्यान्वित किए गए 17 निर्माणकार्यों में सी.ए.पी.एफ. के उच्च प्राधिकारियों (आई जी एवं इससे उच्च) द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि जहां सी.ए.पी.एफ. के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया बताया गया था उनमें से किसी मामले में निरीक्षण नोट जारी नही किया गया था। निरीक्षण नोट के अभाव में, लेखापरीक्षा में सी.ए.पी.एफ. के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की सत्वादिता या प्रभाविक्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सी.ए.पी.एफ. कर्मचारियों ने कार्यकारी एजेंसियों के कार्यालयों का यह सुनिश्चित करने के लिए कि निविदा

[1] 12 टाईप-III और 54 टाईप-II के निर्माण के पैकेज में से एक ई.पी.आई.एल. द्वारा निष्पादित किया गया

सूचना/पंचाट पत्र/ अनुबंध सी.ए.पी.एफ. की अपेक्षा के अनुसार थे, निरीक्षण नहीं किया था।

सी.ए.पी.एफ. अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होने कार्य स्थल का निरीक्षण करने के दौरान उच्च अधिकारियों (डी आई जी एवं इससे उपर) की अभियुक्ति तथा फीडबैक निरीक्षण रजिस्टर में नोट करने के निर्देश दे दिए थे।

6.2.1.4 पूर्ण निर्माणकार्य की जांच करने के लिए अधिकारी बोर्ड का गठन न किया जाना

सी.ए.पी.एफ. द्वारा भवन के निर्माण का निरीक्षण करने तथा यह प्रमाणित करने कि भवन अनुमोदित नक्शों, विस्तृत अनुमानों के अनुसार बनाया गया है तथा अनिवार्य बिजली तथा अधिकांश सेवाएं जैसे सड़क, सीवर तथा पानी-कनेक्शन का कार्यपूर्ण कर लिया गया है और क्वार्टर रहने के लिए तैयार होने की स्थिति में हैं, के लिए एक अधिकारी बोर्ड का बनाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 6 निर्माणकार्यों में निर्माणकार्यों की जांच करने के अधिकारी बोर्ड (बी.ओ.ओ.) ने उपबंधों का पालन नहीं किया और सुपुर्दगी/प्राप्ति की रिपोर्ट अभिलेख में नहीं थी जिसके कारण लेखापरीक्षा यह सत्यापन नहीं कर सकी कि ऐसे निर्माणकार्यों को पी.ई./डी.ई. के विनिर्देशन के अनुसार सौंपा/पूर्ण किया गया था।

सी.आई.एस.एफ. ने अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अधिकारी बोर्ड का गठन नही किया गया था क्योकि उक्त अवसंरचनाओं की तत्काल आवश्यकता के कारण समापन के तुरन्त पश्चात् निर्माण कार्यों को अधिकार में ले लिया गया था। विभाग का उत्तर उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप नहीं था।

6.2.1.5 परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली का अभाव

वित्त मंत्रालय, जी.ओ.आई. द्वारा जारी निर्माणकार्यों के अधिप्रापण हेतु नीति प्रक्रिया मैनुअल के अनुपालन हेतु एन.पी.सी.सी.एल. तथा ए.आर. के बीच एम.ओ.यू. किया गया। इस मैनुअल के पैरा 5.2 में किसी निर्माणकार्य के आरंभ होने से पहले परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है। पैरा 5.2.2 में महत्वपूर्ण सूचना जैसे निर्माण सूची, प्रगति चार्ट, वित्तीय विवरण, अतिरिक्त/प्रतिस्थापित/विपथित मदों का विवरण, प्रगति फोटोग्राफ, गुणवत्ता जांच, परिणाम, विवादों, अड़चनों आदि की उपलब्धता हेतु व्यवस्था है।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रकार की प्रणाली को स्थापित नहीं की गई थी जिससे ए.आर. द्वारा निर्माण के बेहतर मूल्यांकन तथा प्रभावकारी मॉनीटरिंग को सरल

बनाया जा सकता था। यह सुनिश्चित करने कि क्या ए.आर. ने परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली तैयार करने के लिए एन.पी.सी.सी.एल. के साथ मामला उठाया था, इसके कोई अभिलेख नहीं थे।

6.2.1.6 वेब आधारित परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली का अभाव

सी.पी.डब्ल्यू.डी के पास वेब आधारित मॉनीटरिंग की सुविधा है लेकिन सी.ए.पी.एफ. ने निर्माण गतिविधियां पर तत्काल अद्यतन स्थिति पता लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया था। वेब आधारित परियोजना मॉनीटरिंग डाटा न तो कार्यकारी एजेंसी द्वारा उपभोक्ता विभाग को दिया जा रहा था और न ही उपभोक्ता विभाग ने उक्त डाटा भेजने के लिए कहा जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता स्तर पर मॉनीटरिंग प्रणाली कमजोर हुई। अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. के पास वेब आधारित परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार, सी.ए.पी.एफ. के पास निर्माण गतिविधियों के बारे में तत्काल अद्यतन स्थिति तक पहुँच नहीं थी।

सी.ए.पी.एफ. ने अभ्युक्ति को भावी अनुपालन हेतु स्वीकार कर लिया तथा उस पर एम.एच.ए. से प्राप्त दिशानिर्देशों के पश्चात उसको कार्यान्वित किया जाएगा। एस.एस.बी. ने उत्तर में बताया कि वे लेखापरीक्षा अभियुक्ति को अपने मुख्यालय में मामले पर नीति बनाने के लिए भेजेंगे।

अनुशंसा:

सी.ए.पी.एफ. अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले से विद्यमान मॉनीटरिंग तंत्र का व्यवहारिक उपयोग करे।



6.3 संसाधनों का उपयोग

6.3.1 संसाधनों का उपयोग न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि कई आवासीय तथा कार्यालय भवनों को कुछ कमियों जैसे जलापूर्ति का प्रावधान न होना, ऊर्जाकरण में विलम्ब, अपूर्ण विकास निर्माण कार्य जैसे सीवेज, पानी क्नेक्शन, सड़के आदि के कारण सौंपा और उपयोग में नहीं लाया जा सका। ऐसे कुछ उदाहरणों, जहाँ परिसम्पत्तियां उपयोग हेतु तैयार थी लेकिन उपयोग में नहीं लायी जा सकी, का नीचे वर्णन किया गया है:-

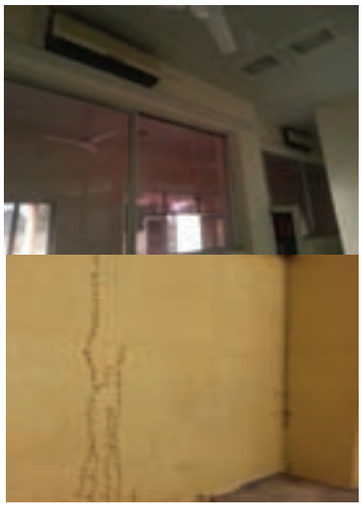
- **उपकेन्द्र को ऊर्जाकरण न करने के कारण पूर्ण अवसंरचना का उपयोग न होना**

लातूर में सी.आर.पी.एफ. के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र (डी एम टी सी) में ₹2.50 करोड़ की लागत पर 33/11 कि.वा. उपकेन्द्र, 33 कि.वा लाइन तथा मीटरिंग कक्ष प्रतिष्ठापित किया गया था (अगस्त 2011)। सी.आर.पी.एफ. प्राधिकारियों के मार्ग को अंतिम रूप देने तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आई.डी.सी.) का अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने तथा एम.आई.डी.सी. को ₹5.60 लाख का अपेक्षित शुल्क जमा न कराने के कारण इसे ऊर्जाकृत नहीं किया गया था। परिणामत: इस परियोजना पर ₹72.58 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी पूर्ण की गई अवसंरचना जैसे सीवेज निपटान संयंत्र, 33/11 कि वा केन्द्र (ट्रांसफार्मर), कॉम्पैक्ट सब स्टेशन, गली की लाइटें, अस्पताल, प्रशासनिक भवन आदि को उपयोग में नहीं लाया गया/कार्यात्मक नहीं बनाया गया था।

एन.बी.सी.सी. ने तथ्यों की पुष्टि की (अगस्त 2014)। सी.आर.पी.एफ. ने अभियुक्ति को स्वीकार करके अपने उत्तर (जून 2015) में बताया कि एम आई डी सी तथा सी.आर.पी.एफ. के फार्मेट के बीच शब्दों में अंतर होने से पट्टा विलेख को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण एम आई डी सी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका।

- **एन.एस.जी., मानेसर में इन्डोर शूटिंग रेंज को क्रियात्मक न करना**

लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.एस.जी., मानेसर में इन्डोर शूटिंग रेंज का निर्माणकार्य अगस्त 2008 में पूर्ण हो गया था। तथापि भवन को सुपुर्दगी/प्राप्ति में लेना चार वर्षों के अधिक समय के पश्चात् सितम्बर 2012 में की गई थी तथा उपकरण के अधिप्रापण को दिसम्बर 2014 तक भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि दिसम्बर 2014 तक भवन को क्रियात्मक न बनाए जाने के कारण विद्युतीय प्रतिष्ठापन जैसे ए.सी., लाइटें आदि बेकार पड़ी थी तथा भवन मे दीमक फैली हुई थी।



एन.एस.जी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (जून 2015) अपने उत्तर में बताया कि संयुक्त इन्डोर शूटिग रेंज का अनुमोदन आधुनिकीकरण योजना-। के अंतर्गत किया गया था इसका प्राधिकार विद्यमान नहीं था और यह मामला एम.एच.ए. को प्रस्तुत किया जा रहा था। विलम्ब प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं तथा उपकरणों के संबंध में तकनीक में परिवर्तन होने के कारण था तथा विलम्ब किसी विशिष्ट इकाई को आरोपित नही किया गया था।

6.3.2 अन्य उद्देश्य हेतु संसाधनों का उपयोग

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों हेतु निर्मित किए गए भवनों का विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया था। इस संबंध में कुछ दृष्टांतों का नीचे वर्णन किया गया है:

- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में एस.एस.बी. हेतु भूमिगत फायरिग रेंज का ₹2.18 करोड़ का सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा लिया गया था। भूमिगत फायरिंग रेंज के निर्माण हेतु स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अक्टूबर 2009 में एन.ओ.सी. जारी की गई थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने भूमिगत फायरिंग रेंज की बजाय इन्डोर शूटिग रेंज का निर्माण किया। इन्डोर शूटिंग रेंज को अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लाया गया था। एस.एस.बी. इसको अन्य उद्देश्यों जैसे ऑडिटोरियम, इन्डोर कक्षाओं आदि के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा था।

  एस.एस.बी. ने अपने उत्तर में बताया (जून 2015) कि क्लोज कम्पेट आर्म्स शूटिंग रेंज के लिए भूमिगत प्रभाव की आवश्यकता को पूरा करने के विनिर्देशन वाले इंडोर शूटिंग रेंज प्रस्तावित है जिसकी सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा इंडोर क्लोज कम्बेट आर्म्स रेंज का आरेखण करते समय ध्यान रखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए एस.एस.बी. ने भूमिगत फायरिंग रेंज के लिए यह बताते हुए आवेदन किया कि यह बहुत अधिक सुरक्षित तथा सुदृढ़ होगा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के बाद भूमिगत फायरिंग रेंज के लिए एन.ओ.सी. जारी कर दिया गया था।

- एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा नवम्बर 2009 में ए.आर. के काकचिंग, मणिपुर में सम्बध्द सेवाओं तथा विकास निर्माणकार्यों सहित मैगजीन बिल्डिंग (गोला-बारूद के भण्डारण हेतु) सौंपा गया था तथा निर्माणकार्य ₹1.08 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2012 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैगजीन बिल्डिंग को पुनर्वास केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा रहा था। बिल्डिंग को अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग करने के लिए कोई संस्वीकृति उपलब्ध नहीं थी।

  असम राइफल ने आपत्ति को यह बताते हुए स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि वे सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित बिल्डिंग को अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाए।

- जी.सी., सी.आर.पी.एफ., पुणे हेतु रसोईघर, खाना खाने का हॉल, मनोरंजन हॉल सहित 120 पुरूष बैरकों का निर्माणकार्य ₹5.89 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् पूरा हुआ था और अक्टूबर 2009 में सी.आर.पी.एफ. को सौंपा गया था। तथापि स्थल का निरीक्षण करने के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एक बैरक का केन्द्रीय विद्यालय

(के.वि.) दूसरी का आई ई डी प्रबंधन संस्थान हेतु उपयोग किया जा रहा था तथा तीसरी बैरक को नवीकरण उद्देश्य हेतु खाली रखा गया है।

सी.आर.पी.एफ. ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2014) कि के.वि. तथा आई.ई.डी. संस्थान को सुगमता से चलाना जारी रखने के लिए उनके कार्यालयों को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसरण में बैरकों में ही रखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसने यह दर्शाया कि सी.आर.पी.एफ. ने किसी वास्तविक आवश्यता के बिना निर्माणकार्यों का अनुमोदन किया और आवश्यकता की जांच किए बिना पुरूष बैरकों का निर्माण किया जिसके परिणामस्वरूप अभिष्ट उद्देश्य के अलावा बैरकों का उपयोग किया गया था।

- एन.पी.सी.सी.एल. ने जून 2013 में मणिपुर में, ज्वालामुखी तथा मारन में ₹6.27 करोड़ की कुल लागत पर निर्मित 04 एस.एम. बैरक को ए.आर. को सौंपा। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्मित किए गए एस.एम. बैरकें अपने अधिकार में लेने के तत्काल बाद अप्रयुक्त हो गई तथा उनका गोदाम रूप में उपयोग किया गया था। ए.आर. ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

- ए.आर. ने, एन.पी.सी.सी.एल. के द्वारा काकचिंग, मणिपुर में ₹1.32 करोड़ की लागत पर 6 एन.सी.ओ. के लिए 3 एस.एम. बैरकों तथा 60 क्वार्टरों (जी+।।) तथा एक प्रशासनिक खंड का निर्माणकार्य कराया। लेकिन लेखापरीक्षा ने पाया कि 3 एस एम बैरकों का विद्यालय के रूप में उपयोग किया गया था।

- एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा ₹7.34 करोड़ की लागत पर राधानगर, त्रिपुरा में 90 टाइप-।। क्वार्टरों के 15 ब्लॉकों का निर्माण कार्य पूरा करके ए.आर. को मार्च 2011 में सौपा गया था। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.आर. टाइप-।। क्वार्टरों का एक ब्लॉक को अप्रैल 2011 से अस्पताल के रूप उपयोग कर रहा था क्योकि अस्पताल भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। पिछले तीन वर्षों से लिए क्वार्टरों का अन्य उद्देशयों हेतु उपयोग किया जाना यह दर्शाता है कि क्वार्टरों का अभीष्ट उद्देश्य हेतु तत्काल उपोयग नहीं किया गया था।

  असम राइफल्स ने उपरोक्त अभियुक्ति को मानते हुए (अप्रैल 2015) बताया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित भवनों का अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाए।

- बंगलुरू में 208 क्वार्टरों में बिजली का क्नेक्शन देने के लिए वी सी बी पैनलों/ब्रेकर, यू.जी.एच.टी. केबलों को उपलब्ध करने/खड़ा करने/बिछाने तथा 250 के.वी. के 3 ट्रांसफार्मरों हेतु ₹98.38 लाख का व्यय किया गया। चूँकि भूमिगत केवल क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए बी.ई.एस.सी.ओ.एम.- उपकेन्द्र से क्वार्टरों में विद्युत आपूर्ति नहीं

की जा सकी तथा उपकरण/प्रतिष्ठापन, उनके प्रतिष्पादन की तिथि अर्थात् अप्रैल 2012 से बेकार पड़े थे। आगे यह भी पाया गया था कि 208 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरों की खरीद तथा बी.ई.एस.सी.ओ.एम. विद्युत आपूर्ति हेतु सेवा प्रभारों के प्रति किया गया ₹21.20 लाख व्यय भी मार्च 2012 से व्यर्थ पड़ा था क्योंकि आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है।

सी.आर.पी.एफ. ने अपने उत्तर में अभियुक्ति को स्वीकार करके बताया कि बी.ई.एस.सी.ओ.एम. के साथ पारस्परिक परामर्श में सी.पी.डब्ल्यू.डी. विद्युत कनेक्शन देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि मीटर कक्षों का टूटी हुई सामग्रियों तथा अन्य पुरानी मदो को रखने के लिए उपयोग किया जा रहा था।



इस संबंध में एक रूचिकर मामले को एक मामला अध्ययन के रूप में नीचे वर्णित किया गया है:

मामला अध्ययन 6.1:

एन.पी.सी.सी.एल. ने मई 2009 में ₹2.18 करोड़ की लागत पर हॉफलांग, असम में ए.आर. हेतु सम्बध्द सेवाओं सहित 20 बिस्तर वाले अस्पताल तथा विकासात्मक कार्यों का निर्माणकार्य सौंपा। अन्य ढांचों के अतिरिक्त महिला रोगियों के लिए महिला वार्ड, लेबर वार्ड तथा डिलीवरी रूम का भी निर्माण किया गया था।

अस्पताल भवन का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् उसमें अप्रैल 2013 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी महिला वार्ड को अक्टूबर 2014 तक उपयोग में नहीं लाया गया था हालांकि इन सेवाओं के निर्माण पर ₹29.34 लाख का व्यय किया गया था। वास्तव मे, महिला वार्ड तथा लेबर वार्ड का उपयोग दवाइयों के लिए क्रमश: भण्डार कक्ष तथा रहने के उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा था।



उपर्युक्त सभी मामलों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि निर्माण हेतु किया गया व्यय का अभिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

असम राइफल्स ने अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2015) बताया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित भवन को अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाए।

अनुशंसा:

सी.ए.पी.एफ. को अपनी प्राधमिकता का मूल्यांकन करने के बाद ही निर्माण गतिविधियों को आरम्भ करना चाहिए जिससे अभीष्ट उद्देश्य हेतु भवनों को तत्काल उपयोग में लाया जा सके।



6.4 संसाधनों का अनुरक्षण

सी.ए.पी.एफ. में निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में पूंजीगत परिसम्पत्तियों अर्थात कार्यालय तथा आवासीय भवन बी.ओ.पी. तथा बैरकों का सृजन हुआ था। भवनों को सुपुर्दगी/प्राप्ति पश्चात उनके उचित रख-रखाव तथा उनका जीवन-काल बढ़ाने के लिए उनका अनुरक्षण करना अनिवार्य है। भवन का अपर्याप्त अनुरक्षण करने से भवन की समय से पूर्व स्थिति बिगड़ने तथा यहाँ तक कि सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। नियमित अनुरक्षण बिगड़ी अवस्था के भवन का समय पर पहचान करने तथा सुधार करने के योग्य बनाता है तथा जो बहुत आवश्यक है।

पूर्व में, सी.ए.पी.एफ. के समस्त निर्माण कार्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित किए गए थे। सभी कार्यालय/आवासीय भवन का अनुरक्षण करना सी.पी.डब्ल्यू.डी. का उत्तरदायित्व था। सी.ए.पी.एफ. हेतु पी.डब्ल्यू.ओ. अर्थात एन.बी.सी.सी., ई.पी.आई.एल., एन.पी.सी.सी.एल., एच.पी.एल. आदि द्वारा निष्पादित किए गए निर्माणकार्यों का पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनके एम.ओ.यू. में भवन के अनुरक्षण हेतु कोई उपबंध समाविष्ट नहीं किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. इस तर्क पर कि इन भवनों का निर्माण इनके द्वारा नहीं किया गया था, इन भवनों का अनुरक्षण करने के लिए तैयार नहीं था। यदि इसका उसी पी.डब्ल्यू.ओ. जिसने इसका निर्माण किया है, द्वारा अनुरक्षण किया जाना था, तो यह पाया गया था कि वे अनुरक्षण हेतु अत्याधिक प्रभारों अर्थात् अनुरक्षण हेतु एजेंसी प्रभारों के रूप में निर्माण की अनुमानित लागत का 20 प्रतिशत तक की मांग कर रहे थे। सी.ए.पी.एफ. निधियों की कमी के कारण इन पी.डब्ल्यू.ओ. को अनुरक्षण ठेका देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप इन पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा सृजित सी.ए.पी.एफ. की परिसम्पत्तियों को अननुरक्षण/घटिया अनुरक्षण हुआ। लेखापरीक्षा ने संयुक्त निरीक्षण के दौरान कई उदाहरण जैसे दीवारों पर रिसाव, लोहे को जंग लगना, टूटी हुई पानी की पाइपें, क्षतिग्रस्त रेलिंग, जल निकासी चैनलों का अवरूध्द होना पाए गए।

एम.एच.ए. ने अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2015) बताया कि जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया है, मंत्रालय संबंधित पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निर्मित किए गए भवन के अनुरक्षण हेतु एम.एच.ए. द्वारा निर्धारित निर्माण कार्य के कार्यकारी हेतु सी.ए.पी.एफ. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले एम.ओ.यू. में संशोधन करने की संभावना पर विचार करेगा। लघु निर्माणकार्य उप शीर्ष के अंतर्गत भवनों के अनुरक्षण हेतु राशि सी.ए.पी.एफ. दी जा रही है।

अनुशंसा:

सी.ए.पी.एफ. स्वयं एम.ओ.यू. में उनके अनुरक्षण का ध्यान रखने के लिए भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान समाविष्ट करे। इंजीनियरिंग विंग सहित सी.ए.पी.एफ. यह प्रक्रिया आंतरिक रूप से कर सकते हैं।



6.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा जांच से गुणवत्ता आश्वासन में त्रुटियां प्रकट हुई क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के गुणवत्ता आश्वासन विंग द्वारा निरीक्षण करने की कोई प्रणाली नहीं थी तथा पी.डब्ल्यू.ओ. के पास गुणवत्ता आश्वासन विंग नहीं था तृतीय पक्ष निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा ने भवनों, बैरको तथा जवानों के आवासों का घटिया अनुरक्षण पाया। सी.ए.पी.एफ. के पास निर्माण गति विधियो के निरीक्षण/मॉनीटरिंग के लिए सुपरिभाषित निरीक्षण नीति नहीं थी। उच्च प्राधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था तथा जहाँ सी.ए.पी.एफ. के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था, वहाँ किसी मामले में कोई निरीक्षण नोट जारी नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू.ओ. में कोई वेब-आधारित परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

दक्षता तथा प्रभाविकता का मुख्य आधार निर्माण कार्य में शामिल एजेंसियों के बीच समन्वयन है। यह प्रतीत हुआ कि एजेंसियों द्वारा लिए गए क्रियाकलापों तथा उनके बीच समन्वयन का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं हुआ था। यह सृजित परिसम्पत्तियों तथा उनके अनुरक्षण की संदेहास्पद गुणवत्ता में प्रदर्शित होती थी। कई मामलों में इन बहु-करोड़ों की परिसम्पत्तियों का उचित अनुरक्षण भी संतोषजनक नहीं पाया गया था।

अध्याय – VII

वित्तीय अनियमितताएं

निर्माण गतिविधियों में, वित्तीय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। परियोजना हेतु वित्तीय योजना का इरादा परियोजना के शुरू होने से पूर्व पर्याप्त सुरक्षा उपायों एवं आकस्मिकता योजनाओं के साथ स्थिर योजना तथा परियोजना की समय सीमा तक योजना को उचित रूप से निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, सा.वि.नि के अनुसार, परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के दौरान वित्तीय विवेक के लिए प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदार है। तथापि, यह पाया गया था कि परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान वित्तीय अनियमितताएं मौजूद थीं जैसा कि आगे के पैराग्राफों में बताया गया है। इस अध्याय में लागत में वृद्धि के मामले शामिल नहीं थे इन्हें अध्याय IV एवं V में समझाया गया है। इस अध्याय में केवल वित्तीय नियमों तथा विनियमों से विपथन तथा उसके मौद्रिक प्रभाव के मामले शामिल है।

7.1 संघटन अग्रिम

संघटन अग्रिम ऐसा अग्रिम है जिसका भुगतान ठेकेदार को कार्य की शुरूआत करने के लिए अपने संसाधनों को जुटाने के लिए किया जाता है। के.सा.नि.का.वि. निर्माण कार्य नियम पुस्तिका का पैराग्राफ 32.5 निर्धारित करता है कि ₹2.00 करोड़ और अधिक की निविदा की अनुमानित लागत के साथ कुछ विशेष तथा पूंजीगत प्रवृत्ति वाले निर्माण कार्यो के संदर्भ में, संघटन अग्रिम के प्रावधान को निविदा दस्तावेजों में रखा जा सकता है। स.ज्ञा/करार के प्रावधानों के अनुसार, पी.डब्ल्यू.ओ. को प्रत्येक कार्य के लिए अलग परियोजना लेखा अनुरक्षित करना चाहिए। सी.पी.डब्लयू.डी. नियम पुस्तिका के प्रावधानो तथा सी.वी.सी. के निर्देशों के अनुसार, समायोजित न की गई अवधि के लिए संघटन अग्रिम पर ब्याज प्रभारित किया जाना था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमपुस्तिका में परिकल्पित किया गया है कि 80 प्रतिशत निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक 100 प्रतिशत संघटन अग्रिमों की वसूली की जानी चाहिए। प्रचलित प्रथा के अनुसार, सी.ए.पी.एफ. संघटन अग्रिम पी.डब्ल्यू.ओ. को देता है, जो बाद में इसे ठेकेदारों को देता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि संघटन अग्रिम हेतु अलग परियोजना लेखा का गैर-अनुरक्षण, ब्याज का लेखा-जोखा न करना, अनियमित भुगतान, अतिरिक्त भुगतान, गैर वसूली/समायोजन, संघटन अग्रिम के अनुचित उपयोग के मामले थे जो कि निम्नलिखित है:

- 20 निर्माण कार्यों में, ₹87.64 करोड़ की राशि के संघटन अग्रिम सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को दिए गए थे, परंतु कार्यकारी एजेंसियों द्वारा संघटन अग्रिम के लिए अलग परियोजना लेखा नहीं अनुरक्षित किया गया जिसके कारण ब्याज के लेखा/संघटन अग्रिम के समायोजना का पता नहीं लगाया जा सका था **(अनुबंध 7.1)**/एन.बी.सी.सी. ने अपनी टिप्पणियां नहीं दी थीं।

- सितम्बर 2012 के दौरान सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र, बहलगढ़, सीनीपत (हरियाणा) के लिए ₹4.81 करोड़ का संघटन अग्रिम का भुगतान किया गया था। इसे मई 2014 के प्रावधानों के अनुसार एन.बी.सी.सी द्वारा प्रस्तुत बिलों में से समायोजित करना अपेक्षित था, यद्यपि 80% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, फिर भी यह दिसम्बर 2014 तक शेष था।

- एन.बी.सी.सी. ने जी.सी, सी.आर.पी.एफ. बहलगढ़, सोनीपत (हरियाणा) में सात निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यरत ठेकेदारों को आगे के अग्रिमों के लिए ₹33.78 करोड़ का संघटन अग्रिम प्राप्त किया था। परंतु ठेकेदारों को केवल ₹6.59 करोड़ दिया गया था। इस प्रकार, उपभोक्ता विभाग से ₹27.19 करोड़ की राशि के लिए गए अग्रिम को पूर्ण रूप से उपयुक्त/वांछित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया गया था।

  इसके अतिरिक्त, मई 2011 में गृ.मं. द्वारा जारी एम.ओ.यू. के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, संघटन अग्रिम को साधारण ब्याज की 10 प्रतिशत की दर पर दिया जाना था। तथापि, सितम्बर 2012 में ब्याज की दर का मात्रात्मक निर्धारण किए बिना सी.आर.पी.एफ. ने एन.बी.सी.सी. के साथ स.ज्ञा किया था तथा सात निर्माण कार्यो से अधिक के कार्यकारी के लिए ₹33.78 करोड़ का अग्रिम दिया था, जिसमें से एन.बी.सी.सी ने ठेकेदारों को निर्धारित 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की बजाय 13 प्रतिशत के ब्याज की दर पर केवल ₹6.59 करोड़ का संघटन अग्रिम दिया था तथा ठेकेदारों से ₹55.39 लाख संग्रहित किया गया था जिसे निर्माण कार्य लेखे में समायोजित नहीं किया गया था। उन्होने संघटन अग्रिम पर ब्याज को समायोजित किए बिना बैंक गारंटी जारी कर दी थी।

  अपने उत्तर में, सी.आर.पी.एफ. ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि महानिदेशक सी.आर.पी.एफ. से निर्देशों के अनुसार बैंक गारंटी जारी की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. की शर्तों/कोडॅल प्रावधानों का अक्षरश: अनुसरण किया जाना अपेक्षित था।

7.2 परिसमापन क्षतियों का अनुद्ग्रहण

करार की सामान्य शर्तों के खंड-2 के अनुसार, क्षतिपूर्ति या परिसमापन क्षतियों (प.क्ष) को प्रति दिवस आधार पर गणना करके कार्य की समाप्ति में विलम्ब के लिए 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जो कार्य के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो वसूल किया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि 58 निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में 56 महीनों तक के विलंब थे, ठेकेदारों पर ₹19.86 करोड़ तक राशि की क्षतिपूर्ति/प.क्ष प्रभार नहीं लगाए गए थे **(अनुबंध 7.2)**। प्रत्येक मामले में, सी.ए.पी.एफ. प्राधिकारियों ने करार के खंड के अनुसार समय विस्तारण (स.वि.) दिया था। यह दर्शाता है कि या तो कार्यकारी एजेंसी/सी.ए.पी.एफ. निर्माण कार्यों में विलंबों के लिए जिम्मेदार थे या फिर विलंबों के लिए प.क्ष. प्रभारों को न लगाकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिए गए थे।

सी.आर.पी.एफ. एवं एस.एस.बी. ने अपने उत्तर (जून 2015) में अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया कि एम.ओ.यू. में निहित प्रावधानों के अनुसार एन.बी.सी.सी. के रनिंग बिलों से प.क्ष. प्रभारों की वसूली की जाएगी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. प्राधिकरण अपने स्तर पर बिल तैयार कर रही है, इसलिए प्रावधानों के अनुसार प.क्ष. की वसूली तद्नुसार पी.ए.ओ. से की जा रही थी।

प.क्ष. को लगाए जाने का उल्लेखनीय उदाहरण ए.आर. में देखा गया था। इ.पी.आई.एल. ने जोरहट, असम के टाइप-II प्रकार के 48 क्वार्टरो के निर्माण को 3 निर्माण कार्यों (प्रत्येक में 16 क्वार्टर) में विभाजित किया था तथा उसी समय (मई 2006) में निर्माण कार्य तीन अलग-अलग ठेकेदारों को प्रदान किया था। दो ठेकेदारों ने अप्रैल मई 2008 में कार्य पूर्ण किया था परन्तु तीसरे ठेकेदार ने निर्माण कार्य को मई 2011 में पूर्ण किया था। ए.आर. ने भारी वर्षा, जातीय हिंसा, सड़क ब्लॉक, निर्माण सामग्री में भारी बढ़ोतरी आदि के कारण बिना परिसमापन क्षतियों के समय सीमा में वृद्धि प्रदान की थी। चूंकि अन्य दो ठेकेदारों ने अप्रैल-मई 2008 में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, ए.आर. द्वारा तीसरे ठेकेदार पर प.क्ष. न लगाए जाने का औचित्य अनुचित था, विशेषरूप से जबकि अन्य तीनों ठेकेदारों द्वारा निर्माण हेतु साइट एक ही थी।

7.3 अतिरिक्त भुगतान

7.3.1 ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान

सी.पी.डब्ल्यू.डी नियम पुस्तिका के साथ करार की सामान्य शर्तों में कुछ शर्तों के अंतर्गत इस्पात तथा सीमेंट जैसे मदों के मूल्य में वृद्धि के प्रावधान है। तथापि, यह पाया गया था कि 49 निर्माण कार्यों में **(अनुबंध-7.3)**, ठेकेदारों/पी.डब्ल्यू.ओ. को संविदात्मक शर्त में निर्धारित राशि से ₹6.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। किए गए अतिरिक्त भुगतान मुख्यत: मूल्य सूचकांक श्रम दरों में वृद्धि, सीमेंट तथा इस्पात दरों आदि की गलत गणना, के कारण हुआ था।

एन.पी.सी.सी.एल. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि चूक वश, मद को शामिल किया गया था इस प्रकार की चूकों से बचने के लिए भविष्य में उचित ध्यान रखा जाएगा। सी.आर.पी.एफ. ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा किया गया था क्योंकि वह सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. को परियोजना-वार भुगतान करते थे। असम राइफल्स ने यह बताते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि संबंधित एजेंसी से अतिरिक्त भुगतान वाली राशि की वसूली कर ली जाएगी तथा वह पी.डब्ल्यू.ओ. से करार में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए कहेंगे। एस.एस.बी. ने अपने उत्तर में अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया कि कार्यकारी एजेंसी से बार-बार कहा गया था तथा आने वाले निर्माण कार्यों में ऐसा निरंतर होता रहेगा।

7.3.2 सामग्री के प्रापण के बिना सुरक्षित अग्रिम का भुगतान

करार की सामान्य परिस्थितियों के खण्ड 10 ख (i) के अनुसार, ठेकेदार निर्माण कार्य के निष्पादन की प्रगति के दौरान साइट पर लाई गई किसी भी सामग्री के आकलित मूल्य के 90 प्रतिशत तक के सुरक्षित अग्रिम के लिए हकदार होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.आर.पी.एफ. के लिए खुती, झारखण्ड में प्रशासनिक ब्लॉक/क्वार्टर गार्ड/स्टोर ब्लॉक तथा ट्रैड मैन शॉप के निर्माण हेतु ₹1.17 करोड़ का भुगतान ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री के प्रापण के बिना सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सुरक्षित अग्रिम के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2014) से पता चला कि निर्माण कार्य स्थल पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिसके लिए सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया था। साइट लेखा/स्टॉक लेखा की कोई सामग्री लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने उत्तर में बताया कि साइट पर लाई गई सामग्री के लिए एजेंसी को सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया था। निर्माण कार्य को ग्रामवासियों द्वारा रोक दिया गया था। उसने आगे बताया कि राज्य को भूमि के अधिग्रहण के लिए राशि का भुगतान किया था परन्तु दर्भाग्यवश आज तक, राज्य सरकार ने ग्रामवासियों को भुगतान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। विभाग का उत्तर स्वत: स्पष्ट था जोकि दर्शाता है कि भूमि का आज तक अधिग्रहण नहीं किया गया था तथा ₹1.17 करोड़ की राशि को ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया जोकि अनियमित था तथा ठेकेदार को अनुचित लाभांश प्रदान करता था।

7.3.3 प्रतिपूर्ति की वसूली न किया जाना

- दो मामलों में, ठेकेदार को दिए गए निर्माण कार्य की कमी के कारण क्षतिपूर्ति की राशि को कार्यकारी एजेंसी द्वारा वसूल नहीं किया गया था। एक निर्माण कार्य में, कादरपुर, गुडगांव में सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र के लिए आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता अधिष्ठापन तथा विद्युतीकरण आदि समेत 386 टाइप-II क्वार्टरों के निर्माण कार्य के लिए सितम्बर 2004 तक समापन की निर्धारित तिथि के साथ सितम्बर 2002 में ₹11.66 करोड़ की निविदात्मक लागत पर ठेकेदार को दिया गया था। निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया था तथा निर्माण कार्य को जून 2006 में रद्द कर दिया गया था। करार को रद्द किए जाने तक ठेकेदार को ₹6.16 करोड़ का कुल भुगतान किया गया था। करार के खंड-2 के अनुसार, सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति लगाई जानी थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने जुलाई 2006 में ₹1.14 करोड़ के लिए निर्माण कार्य की निविदात्मक मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर विलंब हेतु क्षतिपूर्ति लगाने के लिए नोटिस जारी किया था तथा ₹1.03 करोड़ की राशि को रोक लेने एवं उपरोक्त राशि की वसूली के बिना ठेकेदार को कोई राशि जारी न करने के निर्देश जारी किए थे। अभिलेखों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा इस बात का पता नहीं लगा पाई कि क्या सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ठेकेदार से राशि की वसूली कर ली गई है।

- सी.आई.एस.एफ. के लिए बहरोड़, राजस्थान में 180 पुरूष बैरकों के निर्माणक निर्माण कार्य को जून 2006 की समापन की निर्धारित तिथि के साथ दिसम्बर 2004 में ₹529.10 लाख की निविदात्मक लागत पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा अगस्त 2007 तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था। विभाग ने करार की वैधता की अवधि के दौरान ठेकेदार के प्रति कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी। उसने ठेकेदार की सहमति के बिना जून 2008 तक करार को एकतरफा रूप से बढ़ा दिया था। उसने फरवरी 2008 में

कारण बताओ नोटिस जारी किया था तथा अगस्त 2008 में ₹52.51 लाख की क्षतिपूर्ति लगाकर कार्य को रद्द कर दिया था। चूंकि अगस्त 2007 के बाद कोई वैध करार नहीं किया गया था, विभाग का कारण बताओ नोटिस तथा कार्य रद्द करने की कार्रवाई में कानूनी वैधता की कमी थी। निर्माण कार्य को रद्द करने पर, ठेकेदार मध्यस्थ को बीच में लाया जिसने मामले का निर्णय यह कहते हुए उसके पक्ष में दिया कि जनवरी 2009 से भुगतान की तिथि अर्थात् अगस्त 2013 तक 9 प्रतिशत के ₹21.65 लाख के साथ ब्याज को मिलाकर ₹52.91 लाख दिए जाने की विभाग की कार्रवाई गैर कानूनी तथा असंविदात्मक थी। इस प्रकार, कार्य को गलत रूप से रद्द करने के कारण, विभाग को ब्याज के रूप में ₹21.65 का भुगतान करना पड़ा, जिससे बचा जा सकता था।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने दोनों मामलों में अपनी टिप्पणियॉ नहीं दी थी।

7.3.4 ₹81.45 लाख का परिहार्य व्यय

सी.आर.पी.एफ. ने मार्च 2005 में कादरपुर तक पहुंचने की सड़क बनाने का निर्णय लिया और सी.पी.डब्ल्यू.डी. से अनुमान प्रस्तुत करने का निवेदन किया। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने जुलाई 2005 में ₹65.01 लाख के तथा कार्यक्षेत्र में दबाव के कारण जनवरी 2006 में ₹84.40 लाख के अनुमान प्रस्तुत किए। सी.आर.पी.एफ. मुख्यालय ने प्रस्ताव को फरवरी 2006 में अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि प्रस्तावित साइट राज्य सरकार की थी और न की सी.आर.पी.एफ. की। मामले को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था जिसने सी.आर.पी.एफ. से परियोजना के लिए निधियां जमा करने को कहा क्योंकि उनके पास पर्याप्त निधियां नहीं थीं। मामले को उच्च स्तर पर प्रेषित करने की बजाय, सी.आर.पी.एफ. ने 3 एकड़ की अतिरिक्त राज्य सरकार की भूमि का अधिग्रहण कर लिया तथा ₹81.45 लाख का व्यय करके सड़क का निर्माण कर लिया था। सी.आर.पी.एफ. ने इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की गई अतिरिक्त भूमि की लागत के साथ सड़क के निर्माण पर ₹81.45 लाख का परिहार्य व्यय किया था।

सी.आर.पी.एफ. ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया की परिहार्य व्यय अच्छे सड़क संयोजकता की गैर-उपलब्धता के कारण हुआ था।

7.4 बैंक गारंटी

केन्द्रीय निगरानी आयोग (सी.वी.सी.) दिशानिर्देशों के अनुसार, ठेकेदारों को बैंक गारंटियों (बैं.गा.) को प्रस्तुत करने तथा पंजीकृत डाक (ए.डी.) के अंतर्गत जारी करने बैंक द्वारा सीधे संगठन को प्रेषित करने पर जोर देना चाहिए। सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदारों से बैंक गारंटियां प्राप्त की गई, ताकि निष्पादन के दौरान उनको बाद में कुछ खामी आने पर उसे ठेकेदार की लागत पर ठीक किया जा सके। एम.ओ.यू. की शर्तों को पूरा करने से पूर्व बैंक गारंटी जारी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन, निम्नलिखित उदाहरणों में बैंक गारंटियों को संभालने में अनियमितताएं दिखाई देती हैं:

- **बैंक गारंटी का नवीकरण/नकदीकरण न किया जाना**

श्रीनगर में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित दो निर्माण कार्यों (सी.आर.पी.एफ. एवं आई.टी.बी.पी.) में, यह पाया गया था कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने बैंक गारंटी के तत्काल नवीकरण नहीं किया था जिसके कारण जब कार्य प्रगति पर है/था, वह कालातीत हो गई थी। विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका - 7.1

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	बल	अवधि जिसके लिए बैंक गारंटी नवीकृत नहीं की गई थी	राशि
1	एस.एच.क्यू, आई.टी.बी.पी., लेह हेतु एस.ओ.ए. भोजनालय एवं विश्रामकक्ष का निर्माण कार्य	आई.टी.बी.पी.	12.8.13 से 31.12.13	20.54
2	सी.आर.पी.एफ. श्रीनगर में 117 क्वार्टरों का निर्माण कार्य	सी.आर.पी.एफ.	31.12.10 से	7.03
कुल				**27.57**

कार्यकारी एजेंसियों ने अपने उत्तर में बताया कि संबंधित बैंक से बैंक गारंटियों के नवीकरण हेतु निवेदन किया गया था। एजेंसी के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि संबंधित ठेकेदार को बै.गा. को नवीकृत करना था और न कि बैंक को।

- **नकली बैंक गारंटी (बैं.गा.) का प्रस्तुतीकरण**

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंगवई, मणिपुर में ए.आर. के 24 टाइप-II के क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹4.81 करोड़ की अनुमानित लागत मार्च 2010 में प्रदान किया गया तथा 25 मार्च 2011 को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत ₹20.34 लाख की राशि की दो बैंक गारंटियों की सत्यता को सत्यापित किए बिना 23.3.2011 से 13.5.2011 तक की अवधि के दौरान एन.पी.सी.सी.एल. ने ठेकेदार को ₹65.56 लाख का भुगतान किया था। एक वर्ष गुजरने के पश्चात्, एन.पी.सी.सी.एल. ने सत्यापन हेतु बैं.गा. को जारी करने वाले बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया; जारी करने वाले बैंक ने इस बात की पुष्टि की कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बै.गा. नकली थी। ठेकेदार द्वारा नकली बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के मामले पर मुकदमे के कारण पिछले 3 वर्षों से यह निर्माण कार्य निलम्बित था। इस प्रकार, एन.पी.सी.सी.एल. द्वारा सी.वी.सी. दिशानिर्देश के गैर-अनुपालन के कारण निर्माण कार्य के समापन में विलंब हुआ था।

- **निष्पादन गारंटी (नि.गा.) के प्रस्तुतीकरण में विलंब**

ए.आर. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच हुए एम.ओ.यू. में निर्धारित हुआ था कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा करारों में निर्दिष्ट करार की सामान्य शर्तों का अनुसरण किया जाएगा। सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्यों के करार आशय के पत्र (एल.ओ.आई.) को जारी करने के 15 दिनों के भीतर कार्यकारी गारंटी (पी.जी.) प्रस्तुत करने में ठेकेदार की विफलता में बयाना राशि (इ.एम.डी.) की जब्ती निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि पी.जी. को प्रस्तुत करने में 5.8 महीनों के औसतन विलंब के बावजूद 26 मामलों में, पी.डब्ल्यू.ओ. ने ₹2.15 करोड़ की ब्याना राशि को जब्त नहीं किया था (**अनुबंध-7.4**)। ए.आर. ने करार में निहित रक्षा खंडों के साथ कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता को पी.डब्ल्यू.ओ. पर किसी कार्रवाई की शुरूआत करने पर जोर नहीं दिया था।

7.5 वैधानिक वसूलियां

ठेकेदार को निर्माण कार्य के भुगतान जारी करते समय, सी.ए.पी.एफ./कार्यकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार उनके चालू बिल/अंतिम बिलों से वैधानिक वसूलियां अर्थात् निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यू.सी.टी.), श्रमिक कल्याण उपकर, रॉयल्टी, टी.डी.एस., वैट/बिक्री कर, आदि की कटौती करना अपेक्षित है। हालांकि, वैधानिक राशि की वसूली में अनियमितताओं के निम्नलिखित मामले पाए गए थे :

- निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यू.सी.टी.) को किए गए कार्य की कुल कीमत के 4 प्रतिशत की दर से वसूली की जानी थी। हालांकि, यह पाया गया कि 5 निर्माण कार्यों में **(अनुबंध-7.5)** ठेकेदारों से डब्ल्यू.सी.टी. के कम/अधिक गैर-वसूली तथा राज्य सरकार से डब्ल्यू.सी.टी. की अधिक जमा जमा करने के कारण ₹14.33 लाख तक की राशि की अनियमितताएं पाई गई थी।

  उत्तर में, असम राइफल्स ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया कि डब्ल्यू.सी.टी. की कटौती में विभिन्नता संबंधित राज्य सरकारों से डब्ल्यू.सी.टी. अधिसूचना की देर प्राप्ति के कारण हुई थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2008 तथा अक्टूबर 2010 के बीच असम में निष्पादित ए.आर. से संबंधित छः निर्माण कार्यों (अनुबंध 7.6) में, एन.पी.सी.सी.एल./ई.पी.आई.एल. ने 4 प्रतिशत की उपलब्ध दर की बजाय असम सरकार को निर्माण कार्य की कुल कीमत के 9.375 प्रतिशत की दर पर डब्ल्यू.सी.टी. का भुगतान किया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को ₹82.00 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। न तो ए.आर. और न ही एन.पी.सी.सी.एल/ई.पी.आई.एल. ने ऐसे अतिरिक्त भुगतान का कोई कारण प्रस्तुत किया था।

  अपने उत्तर (अप्रैल 2015), में ई.पी.आई.एल. ने बताया कि 4 प्रतिशत को इसलिए लागू नहीं किया गया था क्योंकि किसी भी ठेकेदार ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, ऐसे प्रावधान की अनुपस्थिति उनके करार में थी। ई.पी.आई.एल. का तर्क तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा बताई गई दरें डब्ल्यू.सी.टी. को छोड़कर बताई गई है तथा ए.आर. जो कि सीधे रूप से राज्य सरकार को डब्ल्यू.सी.टी. जमा कर रहे थे, वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना पर तुरंत 4 प्रतिशत पर भुगतान को नियमित कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, 9.375 प्रतिशत की उच्च दर पर डब्ल्यू.सी.टी. को भुगतान करने से पूर्व ए.आर. ने यह जांच नहीं की थी कि यदि ठेकेदार राज्य सरकार के साथ पंजीकृत थे तथा राज्य सरकार से डब्ल्यू.सी.टी. के 5.375 प्रतिशत (9.375-4) की वापसी के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे थे।

- 'इमारत एवं अन्य निर्माण कार्य' उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार, निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार के भुगतान से 1 प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर घटाया तथा इस राशि को बोर्ड के पास जमा करवाना था। तथापि, 112 निर्माण कार्यों में (**अनुबंध-1.3**) यह पाया गया था कि ₹2.17 करोड़ की राशि का श्रम उपकर की कटौती एवं निक्षेपण नहीं किया गया था।

सी.आर.पी.एफ. तथा एस.एस.बी. ने अपने उत्तर में (जून 2015) अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार किया कि 1 प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर जोकि एन.बी.सी.सी. को भुगतान किया गया था, उसे पहले ही पी.ए.ओ. द्वारा वसूल कर लिया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के मामले में, श्रम उपकर वसूल किया जा रहा था। बी.एस.एफ. ने अपने उत्तर में (जून 2015) बताया कि विभागीय निर्माण कार्य जिसमें श्रम उपकर की कटौती नहीं हुई थी, ऐसे निर्माण कार्य थे जिन्हें की श्रम उपकर की कटौती के आदेश से पूर्व प्रदान कर दिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य करार कर सितम्बर 1996 से लागू था। इसके अतिरिक्त, डी.जी.बी.एस.एफ. ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए बताया कि राज्य में लागू दर पर डब्ल्यू.सी.टी. तथा श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती के लिए संबंधित फ्रंटीयर मुख्यालय को उचित निर्देश जारी किए गए थे।

- करार की सामान्य शर्त के खंड 37 (II) के अनुसार "ठेकेदार को रॉयल्टी जमा करनी होगी तथा स्थानीय प्राधिकारियों से लाल बजरी, पत्थर, कंकड़ आदि की आपूर्ति के लिए उपयुक्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा। राजस्थान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2008 से बिल की कीमत के 1 प्रतिशत तथा 15 नवम्बर 2011 से बिल की कीमत के 2 प्रतिशत को ठेकेदार के बिल से कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन 24 निर्माण कार्यों (**अनुबंध-7.7**), में ₹67.48 लाख की राशि की रॉयल्टी की वसूली नहीं की गई थी तथा राज्य सरकार के पास जमा नहीं की गई थी।

- आयकर अधिनियम 1961 के खंड 194 (जे), के अनुसार, सलाहकारों एवं व्यवसायिकों से स्रोत पर निर्माण कार्य की कुल कीमत के 10 प्रतिशत की दर पर आयकर की कटौती अपेक्षित हैं तथा अधिनियम के खंड 194(सी) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी आवासी ठेकेदार/उप-ठेकेदारों को कोई भी राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी है को किसी भी संविदा के अनुसरण में क्रेडिट या अदा की गई राशि से, स्रोत पर, क्रमश: दो प्रतिशत/एक प्रतिशत की दर पर आयकर की कटौती करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सी.आर.पी.एफ. के 2 निर्माण कार्यों (**अनुबंध-7.8**) में, ₹44.26 लाख की राशि के टी.डी.एस. की सी.पी.डब्ल्यू.डी. और एन.बी.सी.सी. द्वारा कटौती नहीं की गई थी तथा इसे संबधित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया था। सी.पी.डब्ल्यू.डी./एन.बी.सी.सी. ने अपनी टिप्पणियां नहीं दी थी।

- राजस्थान मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार, भुगतान करते समय बिल की कीमत का 3 प्रतिशत तथा छुट के मामले में बिल की कीमत के 1.50

प्रतिशत ठेकेदारों से कटौती की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि बी.एस.एफ. तथा सी.आई.एस.एफ. के 3 निर्माण कार्यों में, सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा ₹0.78 लाख के वैट की कटौती नहीं की गई थी (**अनुबंध-7.8**)। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अपनी टिप्पणियां नहीं दी थीं।

अनुशंसा :

सी.ए.पी.एफ. को अग्रिम के उपयोग में चूकों के मामले में जुर्माना लगाना चाहिए। सी.ए.पी.एफ. को आवश्यक जांच करनी चाहिए ताकि वर्तमान दरों पर निर्माण कार्य संविदा कर जैसे वैधानिक प्रावधान की कटौती सुनिश्चित की जा सके।



7.6 प्रतिभूति जमाओं की कम कटौती

सी.पी.डब्ल्यू.डी., नियम पुस्तिका, के खंड 21.2 के अनुसार, ठेकेदारों के चालू बिल से कटौती द्वारा प्रतिभूति जमा संग्रहित की जानी चाहिए। बिल की कुल राशि में से 5 प्रतिशत की राशि को ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल से कटौती की जाएगी जब तक पूर्व में जमा के रूप में जमा राशि संचित राशि प्रतिभूति जमा के रूप में निर्माण कार्य की निविदात्मक राशि का 5 प्रतिशत न हो जाए। ऐसी कटौती तब की जाएगी यदि ठेकेदार ने उल्लेखित दर पर नकद अथवा सरकारी प्रतिभूतियों अथवा संविदा प्राप्तियों के रूप में प्रतिभूति की राशि जमा नहीं कराता। यह इस निष्पादन गारंटी के अलावा है जिसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तिका के पैरा 21.1 (3) के अनुसार जमा करना ठेकेदार से अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 38 निर्माण कार्यों (**अनुबंध-7.9**) में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा ठेकेदारों के बिलों से ₹1.60 करोड़ की प्रतिभूति जमा की कटौती नहीं की गई थी। प्रतिभूति जमा की कम कटौती करार की कीमत से अधिक निष्पादित कार्य की सुरक्षा प्रदान नहीं करता।

एस.एस.बी. को छोड़कर सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ तथा सी.ए.पी.एफ. अपनी टिप्पणियां नहीं दी थी। एस.एस.बी. (जून 2015) ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया कि अब से उचित ध्यान रखा जाएगा।

7.7 निधियों का विपथन

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियमपुस्तिका के खंड 51.2(3) एवं 51.2(5) के प्रावधान के अनुसार बजट के दत्तमत एवं प्रभारित भागों के साथ अनुदान/विनियोग के राजस्व एवं पूर्जीगत प्रभार अलग है तथा उसके संबंध में पुर्नविनियोग अनुमेय नही है तथा किसी एक भाग के अनुभाग में आधिक्य को आधिक्य के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार बचतों तथा अभ्यर्पण से बचना चाहिए, बड़ी बचतें उपयोगिता पूर्वक ढीले बजटीकरण को दर्शाती है क्योंकि यह अपेक्षित सीमा तक निधियों के व्यय करने में विभाग की असमर्थता को साबित करती हैं।

छ: निर्माण कार्यों **(अनुबंध-7.10)** में, यह पाया गया था कि 1.92 करोड़ की राशि को उन कार्यों हेतु विपथित किया गया था जो मुख्य निर्माण कार्यों का हिस्सा नहीं थे।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने निधियों के विपथन को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रत्येक तथा सभी ए.ए./ई.एस. में आकस्मिकताओं का प्रावधान या जिसके अंतर्गत विविध संबंधित निर्माण कार्य किए जाते थे तथा मुख्य निर्माण कार्य के संपूरक विकास निर्माण कार्य के प्रति व्यय किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य की आकस्मिकता से व्यय को सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमपुस्तिका में अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया था जोकि इस प्रकार के व्यय पर रोक लगाता है तथा एक निर्माण कार्य को ऐसी बचत अन्य कार्य के लिए उपयोग में नही लाई जा सकती थीं।

7.8 अन्य अनियमितताएं

• भू-भराव नहीं किया जाना

भूमि को भरने के कार्य तथा स्टोन मैटल को स्टैकिंग के लिए भुगतान करते समय तीन मामलों में खोखलेपन के प्रति क्रमश: अतिवार्य 10 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत कटौती नहीं की गई थी इसलिए ठेकेदार को 5.37 लाख तक का अनुचित लाभ हुआ था **(अनुबंध-7.8)**।

• मृदा जांच न किया जाना

सी.पी.डब्ल्यू.डी. निर्माण कार्य नियम पुस्तिका के खंड 2.7 के अनुसार स्थल/मृदा डाटा की तैयारी निर्माण कार्य के कार्यकारी के पूर्व-निर्माण स्तर पर किया जाना अपेक्षित था।

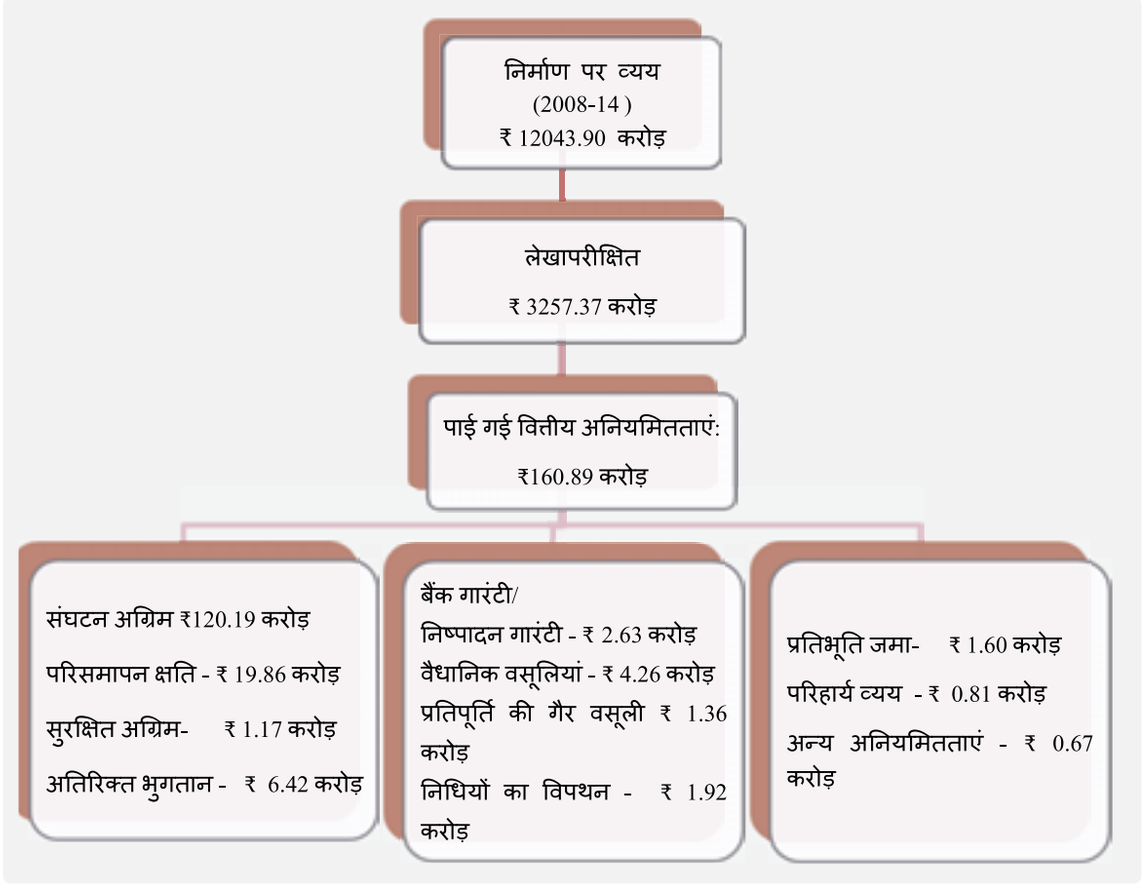
परन्तु, 3 मामलों में, एन.पी.सी.सी.एल. ने उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया तथा बिना मृदा जांच किए ही निर्माण कार्य प्रदान कर दिया था। मृदा की जांच करने के

पश्चात, नींव के डिजाइन को स्थल की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाना था जिसके कारण 2 निर्माण कार्यों में 40.13 लाख का परिहार्य व्यय हुआ और एक निर्माण कार्य में 21.28 लाख की न्यूनतम देयता अपेक्षित थी **(अनुबंध-7.11)**।

एन.पी.सी.सी.एल ने अपने उत्तर में बताया कि करार के अनुसार किसी अतिरिक्त मद जिसके लिए करार में कोई दर निर्दिष्ट नहीं है, उसे डी.एस.आर. के आधार पर निकाला जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यदि अनुमान की तैयारी से पूर्व मृदा जांच कर ली गई होती तो अनुमान में "स्ट्रीप फूटींग" मद को शामिल कर लिया जाता, जिसकी दर "स्ट्रीप फूटिंग" की विश्लेषित दर से कम था। असम राइफल्स ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (अप्रैल 2015) और आगे बताया कि एजेंसी द्वारा पूर्व-निर्माण स्तर में मृदा जांच सुनिश्चित की जाएगी।

7.9 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताएं नीचे दर्शाई गई है :



यह पाया गया था कि लामबंदी अग्रिम प्रदान करने, उचित लेखे के गैर-अनुरक्षण, लामबंदी अग्रिमों के गैर-समायोजन, नकली बैंक गारंटियों के प्रस्तुतीकरण तथा बैंक गारंटियों के पूर्व निर्गम में अनियमितताएं थी। इसके अतिरिक्त, निधियों के विपथन तथा अतिरिक्त भुगतानों के मामले भी पाए गए थे जो कि सी.ए.पी.एफ. के भाग पर अनुचित मॉनीटरिंग दर्शाता है। कार्यकारी एजेंसियां भी वैधानिक वसूलियों की कटौती नहीं करती थी। इस प्रकार, सी.ए.पी.एफ. को वित्तीय मॉनीटरिंग के तंत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय – VIII

निर्माण गतिविधियां-बल वार

पूर्व अध्यायों में, निष्पादन कार्यों के दौरान देखी गई अनियमितताओं पर विस्तार में चर्चा की गई है। तथापि, अन्तिम उपभोक्ता होने पर सी.ए.पी.एफ. निष्पादन कार्यों की सम्पूर्ण मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा बल वार निर्माण गतिविधियों की एक विहंगम दृष्टि प्रस्तुत करता है जिनकी निम्नलिखित प्राचलों पर तुलना की गई थी:

1. कार्यकारी एजेंसियों का चयन
2. कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक अनुमानों की संवीक्षा
3. प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय संस्वीकृति दिया जाना
4. ठेका दिए जाने से कार्यकारी एजेंसी द्वारा समापन तक कार्यों की मॉनीटरिंग
5. वित्तीय अनियमितताएं
6. स्थापित परिसम्पतियों का अधिकार लेना
7. परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण तथा उपयोग

विश्लेषण निम्न डाटा के आधार पर किया गया था।

तालिका 8.1 : निर्माण कार्यों के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

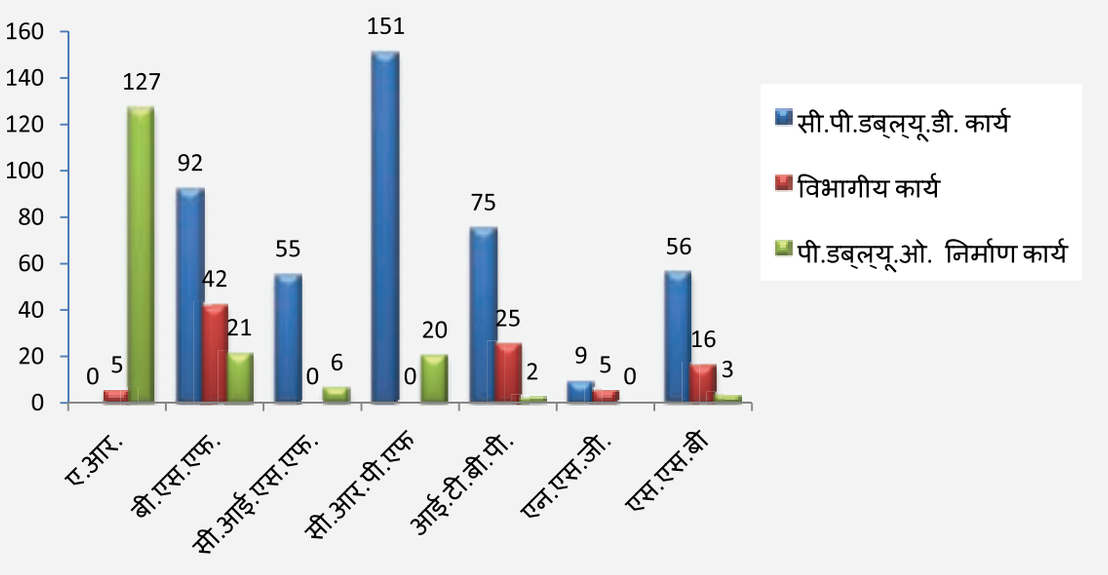
बल का नाम	चयनित कार्यों की कुल संख्या	कार्यकारी एजेंसी	राज्यों की संख्या जिनमें कार्य निष्पादित किए गए	संस्वीकृत राशि
ए.आर.	132	विभागीय. 5 पी.डब्ल्यू.ओ. 127	8	631.09
बी.एस.एफ.	155	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 92 विभागीय. 42 पी.डब्ल्यू.ओ.. 21	22	407.27
सी.आई.एस.एफ.	61	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 55 पी.डब्ल्यू.ओ. 6	11	245.02
सी आर पी एफ	171	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 151 पी.डब्ल्यू.ओ. 20	21	1257.31

आई टी बी पी	102	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 75 विभागीय. 25 पी.डब्ल्यू.ओ. 2	17	279.19
एन.एस.जी.	14	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 9 विभागीय. 5	2	68.47
एस.एस.बी.	75	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 56 विभागीय. 16 पी.डब्ल्यू.ओ. 3	9	369.01
कुल	**710**	सी.पी.डब्ल्यू.डी. **438** विभागीय. **93** पी.डब्ल्यू.ओ. **179**		**3257.36**

8.1. कार्यकारी एजेंसी का चयन

सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसी के चयन के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं था। जैसाकि अध्याय ।। में चर्चा की गई है, कार्य के निष्पादन हेतु सी.ए.पी.एफ. ने या तो पी.डब्ल्यू.ओ. की ओर से कार्य की संस्वीकृत राशि रखने अथवा नामांकन आधार पर अन्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. के चयन से सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कार्य निष्पादित कराया गया था। सी.ए.पी.एफ. द्वारा पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच कार्य का वितरण निम्न प्रकार था:

चार्ट 8.1: सी ए पी एफ द्वारा कार्यकारी एजेंसियों का चयन



ए.आर. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को कोई कार्य नहीं सौपा था और इस तर्क पर कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. परियोजनाओं में विलम्ब करता है जिसका परिणाम समय तथा लागत के बढ़ने में होता हैं, पर अपने कार्यों के निष्पादन के लिए नामांकन आधार पर अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. का चयन किया। तथापि, यह दोनों समस्याएं अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. में भी विद्यमान थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. सहित कार्यकारी एजेंसियों के चयन के लिए प्रतियोगी बोली आमंत्रण हेतु सी.ए.पी.एफ. में एक समान पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए।

8.2. कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक अनुमानों की संवीक्षा

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यकारी एजेंसियों ने सी.ए.पी.एफ. से अनुरोध की प्राप्ति के बाद पी.ई. प्रस्तुत करने में 56 महीने तक लिए। यह पाया गया था कि इस अनुचित विलम्ब की सी.ए.पी.एफ. द्वारा कभी भी मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। यद्यपि कार्यकारी एजेंसियों ने दिल्ली प्लिंथ क्षेत्र दर (डी.पी.ए.आर.) के आधार पर प्राथमिक अनुमान तैयार किए परन्तु यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सी.ए.पी.एफ. का था कि तैयार अनुमान उनकी आवश्यकता के अनुसार है और निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सभी मदों को शामिल करते हैं। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामलों में पी.ई. की उचित प्रकार से संवीक्षा करने में सी.ए.पी.एफ. विफल हो गए जिसके परिणामस्वरूप बाद में स्थिति में परिवर्तन, लागत वृध्दि और समय बढ़ोत्तरी हुई (जैसा अध्याय ।v मे विस्तृत है):

तालिका 8.2 प्राथमिक अनुमानों में बल वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

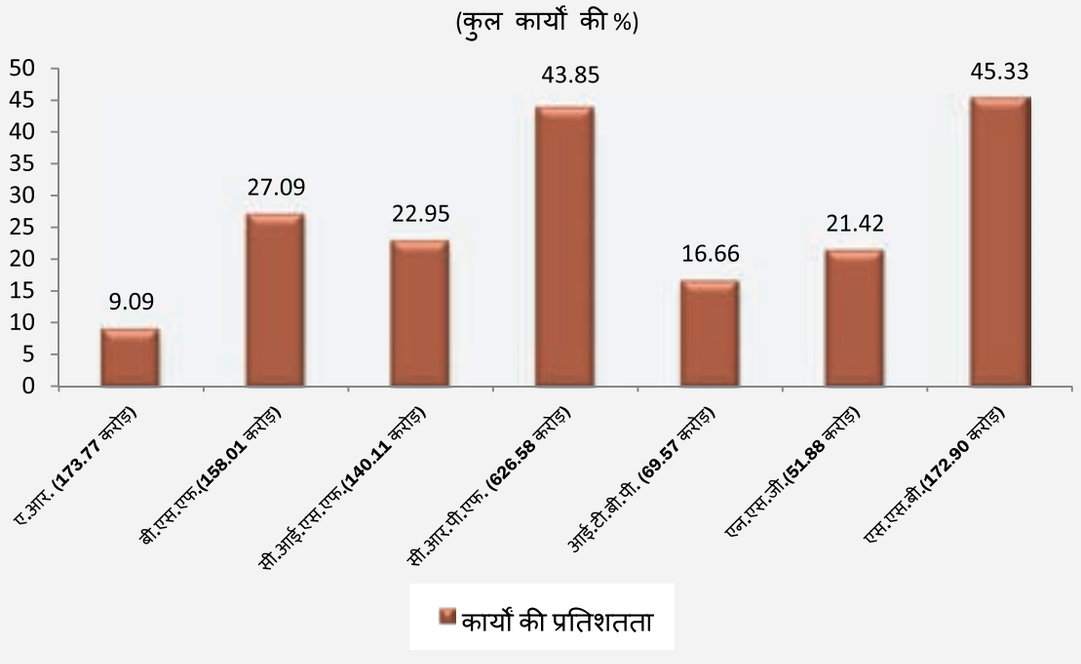
(₹ करोड़ में)

बल का नाम	आवश्यकता का अनुचित निर्धारण	पूर्वचरण निर्माण में विफलता	गलत पी.ई. तैयार करना	पी.ई. में मदें शामिल न करना	जोड़
ए.आर.	39.36	-	1.40	15.26	56.02
बी.एस.एफ.	-	-	0.09	-	0.09
सी.आई.एस.एफ.	0.69	-	-	-	0.69
सी आर पी एफ	-	2.21	12.73	-	14.94
आई टी बी पी	0.77	-	-	-	0.77
कुल	**40.82**	**2.21**	**14.22**	**15.26**	**72.51**

8.3. प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति दिया जाना

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में एम एच ए द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन और एम एच ए/सी.ए.पी.एफ. द्वारा व्यय संस्वीकृति देने के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा पी.ई. की संवीक्षा की जाती है। यद्यपि ए.ए. एवं ई.एस. देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु लेखापरीक्षा ने पांच महीने का उचित समय संगणित किया। यह देखा गया था कि एम एच ए/सी.ए.पी.एफ. द्वारा ए.ए. एवं ई.एस. देने में लिया गया समय 76 महीने तक था। इस विलम्ब के कारण अभिलेखों पर नहीं पाए गए थे। निर्माण कार्य, जिनमे लिया गया समय पांच महीने के औसत से अधिक था, की प्रतिशतता और इनकी अनुकूल संस्वीकृत राशि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट 8.2: ए.ए. एवं ई.एस. देने में बल वार विलम्ब



यह स्पष्टतया दर्शाता है कि एस.एस.बी. तथा सी आर पी एफ के क्रमश: 45 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत से अधिक चयनित कार्य एए.ए.वं ई.एस. देने में विलम्बित थे। एए.ए.वं ई.एस. देने में अनुचित विलम्ब सम्पूर्ण परियोजना पर प्रपाती प्रभाव डालता था जिससे अनेक मामलों में ए.ए. एवं ई.एस. असंगत हो गए। तथापि एए/ईएस का अनुमोदन करने में ऐसा समय लेने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

8.4. कार्य का विभाजन

ए.ए. एवं ई.एस. में विलम्ब के अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि उच्च प्राधिकारियों की संस्वीकृति लेने से बचने के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्य विभाजित किए गए थे और ऐसे मामले भी देखे गए थे जहाँ व्यय ए.ए. एवं ई.एस. के 10 प्रतिशत से अधिक था परन्तु सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियम पुस्तक द्वारा यथा अपेक्षित संशोधित संस्वीकृति सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्राप्त/ली नहीं गई थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया:

तालिका 8.3: कार्यों के विभाजन के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	विभाजित कार्यों में अन्तर्ग्रस्त राशि	कार्य की राशि जहाँ संशोधित संस्वीकृति नहीं ली गई
		ए.ए. एवं ई.एस. की राशि
बी.एस.एफ.	38.21	4.08
सी.आई.एस.एफ.	-	4.79
सी आर पी एफ	166.00	18.44
आई टी बी पी	-	17.28
एन.एस.जी.	2.41	0.15
एस.एस.बी.	-	5.61
कुल	**206.62**	**50.35**

सी.ए.पी.एफ. को उच्च प्राधिकरण अर्थात एम एच ए की संस्वीकृति का परिहार करने को उद्देश्य से कार्यों का विभाजन बन्द करना चाहिए। सभी सी.ए.पी.एफ. से वित्तीय मामलों में विशेष रूप से अधिक सतर्क होने की अपेक्षा की जाती है और संशोधित संस्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी क्योंकि व्यय संस्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत से अधिक था।

8.5 कार्य देने से समापन तक सी.ए.पी.एफ. द्वारा मॉनीटरिंग की कमी

कार्यकारी एजेंसियों को निविदा आमंत्रण प्रक्रिया का अनुपालन करना है और पात्र तथा निम्नतम निविदादाता को कार्य सौंपने और यह सुनिश्चित करने कि कार्य समय पर पूर्ण हो की अपेक्षा की जाती है। तथापि अन्तिम उपभोक्ता होने पर सी.ए.पी.एफ. से कार्य सौंपने की प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करने और कार्य का समय से समापन सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रगति की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग करने की भी अपेक्षा की जाती है। उनसे कार्य के समय से समापन के संबंध में समय-समय पर चेतावनी देने की भी अपेक्षा की जाती है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 240 कार्यों, जहाँ कार्यों को सौपने में विलम्ब छः महीने से अधिक था, में से 34 कार्य (14 प्रतिशत) स्वयं सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित किए गए थे।

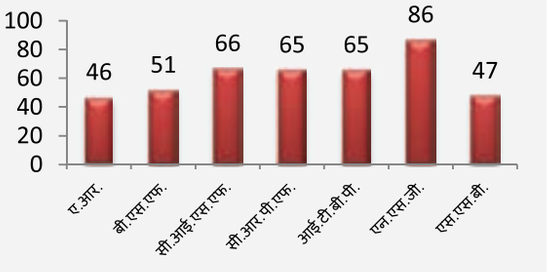
जबकि कार्यकारी एजेंसियां कार्य सौपने तथा समापन मे विलम्ब के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी थी वहीं इन विलम्बों के लिए सी.ए.पी.एफ. की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है।

चार्ट-8.3: छः महीनों के बाद पूर्ण हुए कार्यों की प्रतिशतता



लेखापरीक्षा में दो चरणों पर, पहला यह देखने के लिए कि पी.डब्ल्यू.ओ. के साथ सम्पर्क, ठेके समय पर दिए गए हैं और निर्माण के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई की कमी देखी गई, यहाँ फिर अनुपालन करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं थे। लिए गए औसत समय के आधार पर उचित समय ढ़ाचा (छः माह) इस विश्लेषण का आधार था। लगभग 50 प्रतिशत कार्य सभी सी.ए.पी.एफ. में समय पर पूर्ण नहीं किए जा सके थे। यह सी.ए.पी.एफ. द्वारा परियोजनाओं की खराब मॉनीटरिंग और कार्यकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से सामयिकता पर जोर न देने का संकेत था। कार्यों को सौपने और समापन में विलम्ब अधिकांशतः समन्वय और अनुमानों मे समायोजनों में समस्याओं के कारण थे। लेखापरीक्षित कार्यों में से कोई भी समय पर पूर्ण नहीं हुआ था और यह सभी संगठनों में देखा गया था। यह एक माह से आरम्भ कर लघु विलम्बों से 7 वर्षों तक प्रमुख विलम्बों को शामिल करता है। 63 कार्यों (16 प्रतिशत) जहाँ कार्य नियत तारीख के बाद पूर्ण हुए थे, सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित किए गए थे। यह दर्शाता है कि सी.ए.पी.एफ. में प्रभावी मॉनीटरिंग तन्त्र विद्यमान नहीं था जिसके कारण अपने द्वारा निष्पादित कार्यों की उन्होने मॉनीटरिंग नहीं की थी।

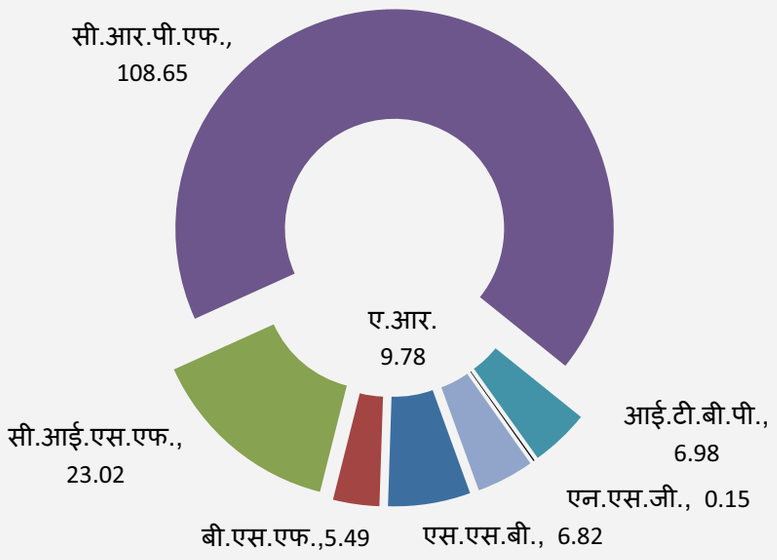
चार्ट-8.4: निर्धारित तिथि के पश्चात् पूर्ण हुए कार्य की प्रतिशतता



8.6 वित्तीय अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में 390 कार्यों में ₹160.89 करोड़ की राशि की अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं में जुटाव अग्रिम का लेखा न बनाना, जुटाव अग्रिम उस पर ब्याज का समायोजन न करना, निधि का विपथन, परिनिर्धारित हर्जानों की वसूली न करना और सांविधिक प्राप्यों की वसूली न करना/कम वसूली करना शामिल हैं। बल वार स्थिति निम्नवत है:

चार्ट 8.5 कार्य निष्पादन के दौरान वित्तीय अनियमितताएं
(₹ करोड़ में)



वित्तीय अनियमितताएं मुख्यतया सी आर पी एफ (67 प्रतिशत) और सी.आई.एस.एफ. (14 प्रतिशत) के कार्यों में देखी गई थीं। वित्तीय अनियमितताओं के व्यौरे अध्याय-v।। में स्पष्ट किए गए हैं। सी आर पी एफ में लेखापरीक्षा में जुटाव अग्रिमों, परिनिर्धारित हर्जानों की वसूली न करना, जुटाव अग्रिमों के समायोजन से पूर्व बैंक गारंटी जारी करना, अधिक भुगतान आदि में देखी गई। यह वित्तीय मॉनीटरिंग तन्त्र को सुदृढ करने के लिए सी.ए.पी.एफ. की आवश्यकता को दर्शाता है।

8.7 अपूर्ण कार्यों का अधिकार लेना

कार्य समापन बाद सी.ए.पी.एफ. से पूर्ण कार्यों की उचित प्रकार जांच करने और यह सुनिश्चित करने कि ये विनिर्देशनों और अवश्यकताओं के अनुसार किए गए है और प्रयोजन, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया को पूरा करते हैं, की अपेक्षा की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा में सी.ए.पी.एफ. को कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पूर्ण कार्य न सौपने अथवा अपूर्ण कार्य सौपने के दृष्टान्त देखे गए जैसा अध्याय-IV के पैरा 4.5.7 में स्पष्ट किया गया ऐसे कार्यों की बल वार स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 8.4 अपूर्ण कार्यों का अधिकार लेने के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	कार्यों की संख्या	संस्वीकृत राशि
ए.आर.	6	34.88
बी.एस.एफ.	1	0.20
सी आर पी एफ	4	43.73

द्वारका में असम रायफल्स के लिए क्वार्टरों तथा हॉस्टल के निर्माण में प्रत्येक चरण पर हुई अनियमितताओं वाले कार्य का एक सुस्पष्ट उदाहरण था। वर्णनात्मक दूसरी ओर से अनियमितताएं इस अध्याय के सुसंगत भागों में स्पष्ट की गई है जबकि चित्र नीचे चित्रित है:

मामला अध्ययन 8.1:

द्वारका नई दिल्ली में कुल 88 टाइप-II,III तथा IV क्वाटरों के लिए मई 2003 में एम एच ए ने ₹4.50 करोड़ संस्वीकृत किए। ए.आर. ने कार्य को दो भागों में विभाजित किया और एक भाग यथा 32 टाइप II, 16 टाइप III क्वार्टरों, लडकों के लिए 30 कमरे और लडकियों के लिए 20 कमरे हास्टलों का निर्माण जनवरी 2004 में ₹4.81 करोड़ जो ₹16.85 करोड़ तक संशोधित किया गया, से इ.पी.आई.एल. को दिया गया। बाद में 2009 में ए.आर. ने 32 टाइप II तथा 8 टाइप IV क्वार्टरों का बकाया कार्य ₹16.45 करोड़ से ई पी आई एल को दिया। दोनों कार्य जून 2015 तक अब भी अपूर्ण हैं। निर्माण गतिविधियों के दौरान क्रमिक घटनाओं के ब्यौरे नीचे चित्रित हैं:

चार्ट - 8.6


एम.एच.ए द्वारा संस्वीकृत 88 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव
May 03
एम एच ए ने अतिरिक्तांमाँग के लिए पूछा
Sept. 03
July 03
डी.जी.ए.आर. ने निर्माण के लिए अनुमान मांगा
संस्वीकृति आदेश डी जी ए आर द्वारा जारी किया गया तथा ई.पी.आई.एम को 33 माह में कार्य पूरा करने के ले दिया गया।
Jan. 04
Dec. 03
एम.एच.ए. की संस्वीकृति ₹ 4.81 करोड़
July 04
ई.पी.आई.एम ने भूमि परिक्षण कराया तथा सूचित किया कि भूमी की सुरक्षा खराब थी।
ई.पी.आई.एम ने संशोधित अनुमान ₹ 7.38 करोड़ को प्रस्तुत किया
Dec. 04
Dec. 05
एम.एच.ए. की संस्वीकृति ₹ 7.38 करोड़
दूसरा एम ओ यू, ई पी आई एम एवं डी.जी.ए.आर के बीच हस्ताक्षरित हुआ 36 माह की समयावधि साथ
Sep. 06
2006
ठेकेदार को दिया गया कार्य, पारडीवाली लिमिटेड एवं ₹ 7.63 लाख के अनुमान की प्राप्ति
स्थानीय प्राधिकरणों से संस्वीकृति प्राप्त, ठेकेदार ने वृद्धि के बाद कार्य कराने से मना किया
July 07
March 08
ई.पी.आई.एम ने ₹ 13.36 करोड़ के संशोधित अनुमान को सौंपा (तीसरी बार)
ई.पी.आई.एम ने दर में बदलाव के कारण पुन: संशोधित अनुमान ₹ 16.97 करोड़ प्रस्तुत किया।
June 08
Feb. 09
एम.एच.ए की संस्वीकृति ₹ 16.85 करोड़
तीसरा एम ओ यू ई पी एम एवं डी जी ए आर के बीच हस्ताक्षरित हुआ 18 माह की समयावधि के साथ
Feb 2009
March 09
दूसरे ठेकेदार को कार्य दिया गया
शेष कार्य के लिए संस्वीकृत ₹ 16.45 करोड़
Mar 2010
कुल ₹ 4.50 करोड़ का कार्य जिसे 36 महीनों में पूर्ण किया जाना था, उसे ₹ 33.42 करोड़ का व्यय कराने तथा 12 वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी पूर्ण नहीं किया जा सका था।
June 2015
Dec 2016
कार्य पूर्ण नहीं था और ए.आर. को समय पर नहीं सौंपा गया।

ए.आर. ने यह कहते हुए अपने उत्तर (जून 2015) में आपत्ति स्वीकार कर ली कि ए.आर. का दिल्ली में एक सम्पर्क कार्यालय है और इसके कार्मिक देश के विभिन्न भागों से हैं इसलिए ए.आर. कार्मिक के लिए दिल्ली में पूर्वोत्तर से कुछ आवास अनुमोदन प्रतिसंतुलन करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार एम.एच.ए. से संस्वीकृति प्राप्त की गई थी। उन्होने बताया कि कार्य विभिन्न कारणों जैसे भवन की ड्राइंग में परिवर्तन, एम.एच.ए. से संशोधित सस्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, लागत सूचकांक में वृध्दि के कारण अनुमानों की वृध्दि के कारण विलम्बित थे। उन्होने आगे बताया कि स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण था और कार्य के भाग के निष्पादन में विलम्ब के लिए ई.पी.आई.एल. उत्तरदायी था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिल्ली में 88 क्वार्टरों का निर्माण उचित नहीं था क्योंकि ए.आर. के प्रचालन क्षेत्र का अधिदेश पूर्वोत्तर भारत में था न कि दिल्ली में। कार्य न केवल कार्यकारी एजेंसी (ई.पी.आई.एल.) के कारण विलम्बित था बल्कि ए.आर. द्वारा कार्य की खराब मॉनीटरिंग के कारण भी था।

इस प्रकार, मूल कार्य जो 36 महीनों की समापन की निर्धारित तारीख के साथ मई 2003 में ₹4.50 करोड़ पर अनुमानित था अब भी अर्थात ₹33.42 करोड़ का व्यय करने के बाद और 643 प्रतिशत की लागत वृद्धि के साथ 12 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद निर्माणाधीन (जून 2015) है।

8.8 निर्मित भवनों का उपयोग

चूंकि किसी भवन के निर्माण का मूल प्रयोजन उसका अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग करना है इसलिए यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि भवन पूर्व परिभाषित उपयोग में लाया गया था। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टान्त देखे गए जहाँ निर्मित भवन पूर्णतया उपयोग नहीं किए गए थे जैसा अध्याय-VI के पैरा 6.3.2. में स्पष्ट किया गया है। बलों द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग न किए गए निर्माण की कुल संस्वीकृत राशि नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार थी

तालिका 8.5 निर्मित भवनों के उपयोग के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	संस्वीकृत राशि
ए.आर.	18.19
सी आर पी एफ	7.08
एस.एस.बी.	2.18
कुल	**27.45**

अधिकतम ऐसे मामले ए.आर. में पाए गए थे और बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., और सी.आई.एस.एफ. तथा एन.एस.जी. में ऐसे मामले नहीं पाए गए थे।

8.9 संसाधनों का अनुरक्षण

पूर्व में सी.ए.पी.एफ. के सभी निर्माण कार्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित किए गए थे इसलिए सभी कार्यालय/आवासीय भवनों का अनुरक्षण सी.पी.डब्ल्यू.डी. का उत्तरदायित्व था परन्तु पी.डब्ल्यू.ओ. यथा एन बी सी सी, ई पी आई एल, एन पी सी सी एल, ए पी एल आदि द्वारा सी.ए.पी.एफ. के लिए निष्पादित कार्य उनके द्वारा अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे क्योंकि भवनों के अनुरक्षण के लिए प्रावधान उनके एम ओ यू में समाविष्ट नहीं किए गए थे। सी.पी.डब्ल्यू.डी. इस तर्क पर कि ये भवन उनके द्वारा निर्मित नहीं थे, के आधार पर इन भवनों का अनुरक्षण करने को तैयार नहीं था और पी.डब्ल्यू.ओ. अनुरक्षण हेतु अत्यधिक प्रभारों अर्थात अनुरक्षण की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत तक एजेंसी प्रभारों के रूप में मांग कर रहे थे। चूंकि पी.डब्ल्यू.ओ. के अनुरक्षण प्रभार अधिक थे इसलिए सी.ए.पी.एफ. निधियों के अभाव के कारण इन पी.डब्ल्यू.ओ. को अनुरक्षण ठेका देने को तैयार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप इन पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा स्थापित सी.ए.पी.एफ. की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण न करना/खराब अनुरक्षण हुआ।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में एस एस जी ग्रेटर नोएडा में सी.आई.एस.एफ. कैम्पस के लिए 240 आदमी 3 बैरकों के निर्माण एवं एस.एस.सी. ग्रेटर नोएडा मे सी.आई.एस.एफ. कैम्पस के लिए 108 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में अनेक कमियां देखी गई जो कार्यालय/आवासीय भवनों का खराब अनुरक्षण दर्शाता है। एन बी सी सी ने सूचित किया कि संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान देखी गई समस्याएं मुख्यतया भवनों का अनुरक्षण न करने के कारण थीं। ये बैरकें दो वर्ष पूर्व निर्मित की गई थी और सी.आई.एस.एफ. द्वारा इनका उचित अनुरक्षण नहीं किया गया था।

8.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट था कि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पाई के प्रस्तुतीकरण मे अनुचित विलम्ब, जिनकी सी.ए.पी.एफ. द्वारा मॉनीटरिंग नहीं की गई थी, और परिणामस्वरूप बाद के चरणों पर कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। एम एच ए/सी.ए.पी.एफ. द्वारा ए.ए. एवं ई.एस. देने में विलम्ब का सम्पूर्ण परियोजना पर प्रपाती प्रभाव पडा था जिससे अनेक मामलों में एए.ए.वं ईएस असंगत हो गए। उच्च प्राधिकारियों की संस्वीकृति लेने से बचने के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्य विभाजित किए गए थे।

सी.ए.पी.एफ. में लगभग 50 प्रतिशत कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए जा सके। इसने सी.ए.पी.एफ. द्वारा परियोजनाओं की खराब मॉनीटरिंग और कार्यकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से सामयिकता को प्रेरित न करने को दर्शाया। इसके अलावा, लगभग 16 प्रतिशत कार्य, जो नियत तारीख के बाद पूर्ण हुए थे, स्वयं सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित किए गए थे। सभी सी.ए.पी.एफ. में विशेष कर सी.आर.पी.एफ. और सी.आई.एस.एफ. में वित्तीय अनियमितताएं भी देखी गई थीं जिसने वित्तीय मॉनीटरिंग के तन्त्र को सुदृढ़ करने की सी.ए.पी.एफ. की आवश्यकता को दर्शाया। सी.ए.पी.एफ. ने अपूर्ण कार्यों को अधिकार में ले लिया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय देयता तथा जवानों को असुविधा हुई। ऐसे दृष्टान्त देखे गए थे जहाँ नवीन निर्मित भवन अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए गए थे।

अध्याय – IX

निष्कर्ष

सी.ए.पी.एफ. सीमाओं की सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित कार्यालय भवन और कार्यात्मक परिवेश प्रदान करने में कमियां इन बलों के कार्यचालन में बाधा डालती हैं। सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों को आवास सुविधाओं का प्रावधान बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है क्योंकि वे सुदूर क्षेत्रों में और विषम मौसम स्थितियों के अन्तर्गत लम्बे समय तक कार्य करते हैं।

यह देखा गया था कि बलों की कार्यालय तथा आवासीय आवास दोनों आवश्यकताओं का उचित प्रकार समाधान नहीं किया गया था। 2008-09 से 2013-14 तक की अवधि में सी.ए.पी.एफ. की कार्यालय भवनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता में बड़ा अन्तर था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.ए.पी.एफ. में अन्य श्रेणियों के लिए आवासीय आवास प्रदान करनें हेतु सन्तुष्टि स्तर निम्न था जो 25 प्रतिशत के सन्तुष्टि स्तर के प्रति मार्च 2014 को 3 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच था। भूमि अधिग्रहण से आरम्भ कर निर्माण कार्यकलाप अनेक समस्याओं द्वारा क्षतिग्रस्त थे । भूमि अधिग्रहणों में सी.ए.पी.एफ. मुख्यतया भूमि की पहचान करने, ए.ए./ई.एस. प्राप्त करने में अपनी विफलता, राज्य सरकारों के पास भूमि की कीमत जमा करने में विलम्ब आदि के कारण एम.एच.ए. द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल थे। सी.ए.पी.एफ. ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के शीघ्रता से समापन के लिए राज्य सरकारों के साथ मामले पर कार्रवाई नहीं की थी परिणामस्वरूप विलम्ब हुए। इसके अलावा भूमि के अधिग्रहण में असाधारण विलम्ब करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. तथा राज्य राजस्व विभागों के उच्च अधिकारियों के बीच किसी योजित अन्योन्य क्रिया की कमी थी।

निर्माण कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसी का चयन किसी मानदण्ड पर आधारित नहीं था, इस प्रकार निष्पादन एजेंसियों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ छूट गया जो सी.ए.पी.एफ. को प्राप्त हो सकता था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि असम रायफल्स ने कोई विस्तृत अनुमान तैयार किए बिना एकमुश्त आधार पर कार्य सौंपे थे जिससे जी.एफ.आर. तथा एम.एच.ए. आदेशों का उल्लंघन हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. एक उचित समय सीमा में पूर्ण क्षेत्र और विनिर्देशन के साथ प्राथमिक नक्शों को अन्तिम रूप देने में विफल हुए। इससे कार्यों की अनुमानित लागत बढ़ गई और निष्पादन में विलम्ब हुआ। पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा तैयार किए गए अनेक अनुमान उच्च थे जिसके कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान और अदेय लाभ मिले। पी.डब्ल्यू.ओ. ने विस्तृत योजनाओं, नक्शों तथा विनिर्देशनों के साथ वास्तविक और निश्चित अनुमान तैयार नहीं किए थे जिसके कारण कार्य निष्पादन के समय पर विशाल विचलन हुए। बाधा मुक्त स्थल सौंपने में सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. की विफलता, विन्यास योजना नक्शों तथा खाका तैयार करने में लगातार परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिकांश मामलों में कार्य के समापन में विलम्ब हुआ। पी.डब्ल्यू.ओ. उचित विलम्ब विश्लेषण हेतु अपेक्षित डाटा का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा और संविदा खण्डों के अनुसार परिनिर्धारित हर्जाने न लगाकर ठेकेदारों को लाभान्वित किया। ठेकागत प्रावधानों के अनुपालन के लिए सी.ए.पी.एफ./पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा उचित निगरानी तन्त्र स्थापित नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप अस्वीकार्य/अधिक भुगतान हुए।

लेखापरीक्षा जांच में गुणवत्ता आश्वासन उपायों में चूकों का पता चला क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के गुणवत्ता आश्वासन शाखा द्वारा निरीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी और यह देखा गया था कि पी.डब्ल्यू.ओ. की गुणवत्ता आश्वासन शाखा नहीं थी। लेखापरीक्षा के दौरान कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा सामग्री तथा जल का परीक्षण न करने के दृष्टान्त भी देखे गए थे। सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. तथा ग्राहक सी.ए.पी.एफ. के बीच एम.ओ.यू./अनुबन्ध में तीसरी पार्टी निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन का कोई प्रावधान नहीं था जिसके कारण सी.ए.पी.एफ. के सभी कार्यों में तीसरी पार्टी निगरानी का पूर्णतया अभाव था। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले भी पाए गए जहॉ सी.ए.पी.एफ. अभिप्रेत

प्रयोजन हेतु सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहे। भवनों का अधिकार लेने के बाद उनकी उचित देखभाल और स्थायित्व के लिए अनुरक्षण अनिवार्य है। नियमित तथा व्यवस्थित अनुरक्षण अनुसूची (नेमी, वार्षिक, विशेष, आवधिक आदि) परिसम्पत्तियों का स्थायित्व और कार्यचालन परिवेश की गुणवत्ता बढ़ाती है। स्थल दौरों के दौरान लेखापरीक्षा में सरकारी भवनों, बैरकों और जवानों के आवासीय आवासों का खराब अनुरक्षण देखा गया चूंकि अनुरक्षण प्रक्रियाएं नदारद थीं अथवा व्यापक रूप से संकट में थी।

एजेंसी प्रभारों के भुगतान पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.ओ. को कार्यों को सौंपने में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दर्शाता क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित कार्यों में भी विलम्ब और अतिरिक्त लागत विद्यमान थीं। लेखापरीक्षा ने कार्यान्वयक एजेंसियों के कार्यचालन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जिसने दर्शाया कि एजेंसियां समतुल्य थीं जब विभिन्न प्राचलों पर तुलना की गई। सभी एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों में विलम्ब, विचलन और अतिरिक्त लागत के मामले देखे गए थे जब कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने विपथन के उच्चतम मामले दर्शाए। यह सम्भवत: इस तथ्य के कारण था कि सी.ए.पी.एफ. के पास निर्माण कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई सुपरिभाषित निरीक्षण नीति नहीं थी। उच्च अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था और जहॉ सी.ए.पी.एफ. के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था वहॉ उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नोट जारी नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू.ओ. में वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिसके कारण सी.ए.पी.एफ. की निर्माण कार्यकलापों पर तात्कालिक अद्यतन स्थिति तक पहुँच नहीं थी। सी.ए.पी.एफ. ने चालू कार्यों की निगरानी नहीं की थी परिणामस्वरूप अनेक मामलों में निम्न कोटि कार्यों का निष्पादन हुआ। यद्यपि एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. के निर्माण कार्यों की निगरानी सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यान्वयक एजेंसियों के अधिकारियों की तिमाही बैठक द्वारा करता है परन्तु लाभदायक परिणाम

नहीं देखे गए थे क्योंकि परियोजनाएं अब भी विलम्बित थीं और परियोजनाओं में अतिरिक्त लागत अनियंत्रित थीं। सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यों के पर्यवेक्षण का लगभग अभाव मामलों की प्रेरक स्थिति नहीं दर्शाता था और इंजीनियरी शाखा का न होना कोई तर्क संगत बहाना नहीं था। कुल मिलाकर एम.एच.ए., सी.ए.पी.एफ. और कार्यान्वयक एजेंसियों के बीच अपेक्षित समन्वय और पारस्परिक वचनबद्धता की अनुभूति नदारद थी।

नई दिल्ली
दिनांक : 17 नवम्बर 2015

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 23 नवम्बर 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध



अनुबन्ध-1.1

2008-09 से 2013-14 के दौरान बल आधारित मुख्य कार्यों के अंतर्गत बल-वार बजट और व्यय

(सन्दर्भ पैरा 1.3 एवं 2.3)

(₹ करोड़ में)

मुख्य कार्यों (पूँजी अनुभाग) के लिए बजट और खर्च का ब्यौरा														
	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय	सं.अनु.	व्यय
ए आर	287.5	285.13	335.1	137.98	345.94	344.4	387.23	387.08	464.94	459.2	400	399.98	2220.71	2013.77
बी एस एफ	298.85	298.49	280.35	297.73	425.93	403.71	550.35	553.06	585	615.33	440.37	429.36	2580.85	2597.68
सी आई एस एफ	34.55	40.93	47.78	41.78	192	129.24	122	155.84	182.2	170.04	100.08	100.01	678.61	637.84
सी आर पी एफ	205.1	231.29	297	261.21	454.07	453.33	754.82	750.49	1038.65	1057.11	792.29	729.50	3541.93	3482.93
आई टी बी पी	160.13	135.93	167.76	135.53	168	164.12	196.09	185.76	401	411.65	305.72	293.13	1398.70	1326.12
उ.न.स जी	8.9	9.28	115.6	100.79	112.6	114.14	80.9	76.84	48.7	43.39	41.24	41.92	407.94	386.36
एस एस बी	150.41	141.57	167.37	114.75	187	200.34	324.09	323.15	552.44	586.56	273.65	232.83	1654.96	1599.20
कुल	**1145.44**	**1142.62**	**1410.96**	**1089.77**	**1885.54**	**1809.28**	**2415.48**	**2432.22**	**3272.93**	**3343.28**	**2353.35**	**2226.73**	**12483.7**	**12043.9**

अनुबन्ध-1.2

132 भूमि अधिग्रहण मामले और भूमि अधिग्रहण मे देरी के मामलों की सूची

(सन्दर्भ पैरा 1.8 एवं 3.1)

*** पैरा 1.8: 132 भूमि अधिग्रहण मामले**

**** पैरा 3.1: क्रम सं. 1 से 87 भूमि अधिग्रहण मे देरी के मामलों को प्रदर्शित करता है।**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य	बल	भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य	क्षेत्र	भूमि का मूल्य	के एल पी के अनुमोदन की तिथि	धन जमा करने की तिथि	भूमि प्राप्ति की तिथि	के एल पी से धन जमा के महीने	धन जमा से कब्जा के महीने	प्रारंभ से कुल महीने
1.	मेघालय	बी एस एफ	बी ओ पी (सोनताला) की स्थापना	7.04	24.89	4-दिसम्बर	13- जनवरी	13-मई	96	3	99
2.	मेघालय	बी एस एफ	बी ओ पी (नांगजुरी) की स्थापना	1.99	36.62	4-दिसम्बर	11-सित	13-मार्च	80	17	97
3.	असम	बी एस एफ	प्लाटून स्तर बी ओ पी की स्थापना के किए	2.83	4.69	10-अप्रैल	14-मार्च	14-अगस्त	46	4	50
4.	त्रिपुरा	बी एस एफ	बी एस एफ बटा. मु. कुमारघाट की स्थापना	58.77	61.49	4- दिसम्बर	11-अग	12-अगस्त	79	11	90
5.	असम	ए आर	असम राइफल बटालियन के एल पी की स्थापना के लिए	149	708.76	6-मार्च	11-सित	13- दिसम्बर	65	24	89
6.	त्रिपुरा	बी एस एफ	बार्डर क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी को कम करने के लिए बी ओ पी भैखनगर दास पारा की स्थापना	4	13.97	4- दिसम्बर	9-जून	11-जुलाई	53	24	77
7.	सिक्किम	एस एस बी	लिंगम मे बी ओ पी की स्थापना	2.47	14.03	7- जनवरी	13-फर	13-मई	72	2	74
8.	त्रिपुरा	बी एस एफ	बार्डर क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने के लिए बी ओ पी बोस्सानगर की स्थापना	3	32.52	4- दिसम्बर	9-जून	11-जनवरी	53	18	71
9.	सिक्किम	एस एस बी	पदमचेन में कम्पनी स्तर बी ओ पी की स्थापना	2.47	18.19	7- जनवरी	12-जुलाई	12-दिसम्बर	65	1	66

10.	यू पी	एस एस बी	लखनऊ में रिजर्व वा.मु. और सी.मु. और शेष घटको की स्थापना	43.29	5284.04	5-जुलाई	9-जून	14-मार्च	46	63	109
11.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छेशासन और बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने हेतु बी ओ पी चित्ताबरी का निर्माण	4	13.86	4-दिसम्बर	9-सितम्बर	10-अप्रैल	56	6	62
12.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी की दूरी कम करने हेतु बी ओ पी सबरूम का निर्माण	1.54	7.39	4- दिसम्बर	9-अगस्त	9- दिसम्बर	55	3	58
13.	असम	आई टी बी पी	एस एच क्यू के लिए	74.12	117.63	7-फरवरी	9- दिसम्बर	11-अक्टू	33	21	54
14.	मिजोरम	बी एस एफ	बटा. मु. सीलिंग ऐजवाल-I (एम एवं सी फ्रंटि.) की स्थापना	88	1956.26	4- दिसम्बर	9-अगस्त	9-सितम्बर	55	0	55
15.	असम	आई टी बी पी	एस एच क्यू तेजपुर असम के लिए	15	35.46	7-फरवरी	9- दिसम्बर	11-अक्टूबर	33	21	54
16.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन एवं बी ओ पी के दूरी को कम करने हेतु बी ओ पी डाइक-vIII की स्थापना	2.4	7.43	4- दिसम्बर	8-नव	9-मार्च	46	3	49
17.	असम	एस एस बी	37वें बटा. एस एस बी मंगलडोई के अन्तर्गत प्लाटून स्तर बी ओ पी नोनाइकुटी की स्थापना	2.87	8.68	9-नव	12-जून	12- दिसम्बर	30	5	35
18.	यू पी	बी एस एफ	बटा. मु. की लखनऊ मे स्थापना	65.34	298.58	4- दिसम्बर	8-फरवरी	11- जनवरी	37	43	80
19.	बिहार	एस एस बी	फ्रंटि.मु. पटना के बटा.मु. सीतामदी के अन्तर्गत बी ओ पी मु. मुसाचक की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त संस्वीकृति	3	58.03	7- जनवरी	9-फरवरी	12-अगस्त	24	43	67
20.	त्रिपुरा	बी एस एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी ओ पी के बीच की दूरी को कम करने हेतु बी ओ पी अचारजीपारा की स्थापना	1.18	4.16	4- दिसम्बर	8-अगस्त		43		43
21.	असम	बी एस एफ	एस एच क्यू बी एस एफ धुबरी (गुवाहटी फ्रंटि.) के अन्तर्गत 162 बटा. बी एस एफ का कम्पनी स्तर बी ओ पी की स्थापना के लिए	6.48	21.54	10-अप्रैल	13-दिसम्बर		43		43

22.	असम	बी एस एफ	162 बटा. बी एस एफ के कम्पनी स्तर बी ओ पी की स्थापना	2.6	12.21	10-अप्रैल	13-दिसम्बर		43		43
23.	असम	सी आई एस एफ	गुवाहटी मे सी आई एस एफ 9 रिजर्व बटा. की स्थापना	99.17	90.47	9-मार्च	12-मई		37		37
24.	पश्चिम बगाल	बी एस एफ	एस एच क्यू रायगंज (एन बी फ्रंटि.) के अन्तर्गत बी ओ पी रायडीघी की स्थापना	3.08	17.2		10-जुलाई	13-सितम्बर		37	37
25.	असम	बी एस एफ	डी एम बटा. (128 बटा. बी एस एफ) के लिए बटा. मु. की स्थापना हेतु	33.06	375	4-नव	7-अगस्त		32		32
26.	पश्चिम बगाल	एस एस बी	मालबाजार में बटा. मु. के लिए	65.31	244.78		8- दिसम्बर	11-अप्रैल		27	27
27.	बिहार	एस एस बी	बटा.मु. नरकटियागंज (बिहार) के अन्तर्गत बी ओ पी मु. तीनलालतेन के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	27.33	7- जनवरी	10-नव	12-नव	45	23	68
28.	यू पी	एस एस बी	लखीमपुर खीरी में सेक्टर मु. और बय. मु. की स्थापना	80.88	1566.74	5-जून	8-सितम्बर	10-जून	37	21	58
29.	बिहार	एस एस बी	27वँ बटा. नरकटियागंज के अन्तर्गत कम्पनी सह-बी ओ पी मु. सिक्टा हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	5	34.77	7- जनवरी	10-अप्रैल	12-फरवरी	38	21	59
30.	यू के	एस एस बी	बी ओ पी मु. झूलाघाट की स्थापना	1.5	41.87	5-अगस्त	11-अगस्त	13-मई	71	20	91
31.	यू पी	आई टी बी पी	कानपुर में बटालियन मु. की स्थापना हेतु	69.5	1091.34	8-अगस्त	9-मार्च	10- दिसम्बर	6	19	25
32.	असम	एस एस बी	37 वीं बटा. एस एस बी मंगलडोई के अन्तर्गत कम्पनी मु. नालापारा और कम्पनी बी ओ पी टंकीबस्ती की स्थापना	7.27	22		9-मार्च	10-अक्टूबर		18	18
33.	बिहार	एस एस बी	9 वीं बटा. मु. (अब 20 वीं बटा सीतामडी) के अन्तर्गत कम्पनी मु. सोनबा के स्थापना हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए 1 लाख की पुन:वैधीकरण संस्वीकृति	5	36.84	7-जनवरी	11-अप्रैल	12-अगस्त	50	15	65

34.	बिहार	एस एस बी	बटा. मु. ठाकुरगंज के अंतर्गत बी ओ पी मु. यादवटोला की स्थापना के लिए 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3	14.12	7- जनवरी	12-नवम्बर	14- जनवरी	69	13	82
35.	यू पी	एस एस बी	बी ओ पी नाजुलिआ की स्थापना	1.26	7.37	3- दिसम्बर	9-फरवरी	10-मार्च	61	12	73
36.	यू पी	सी आर पी एफ	बटा.इलाहाबाद के कैम्प स्थल की स्थापना	1.37	137.21	9- दिसम्बर	11-दिसम्बर	12- जनवरी	23	10	33
37.	बिहार	एस.एस.बी.	27 बटा. मु. नरकटियागंज के लिए 75 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त धन से संबंधित संस्वीकृति	74.34	1237.94	5-फरवरी	6-सितम्बर	7-जनवरी	18	8	26
38.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मु. खालड़ुंगा-I की स्थापना	1.25	5.17		5-सितम्बर	6-मई		7	7
39.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	29 बटा.मु. एस.एस.बी. काहपरैल के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. लक्याधुरा और फूलखोला की स्थापना ।	3.75	18.52		10-अप्रैल	10-अक्तूबर		5	5
40.	असम	एस.एस.बी.	प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	3.31	3.95		10-सितम्बर	11-मार्च		5	5
41.	यू.पी.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिसुंडी अमेठी में ग्रुप केन्द्र और राज मु. की स्थापना	264.73	3110.22	6-अक्तूबर	9-नवम्बर	10-मार्च	36	4	40
42.	यू.के.	एस.एस. बी.	बी.ओ.पी. धोला की स्थापना	0.86	उ.न.	5-जुलाई	11-अप्रैल	11-सितम्बर	68	4	72
43.	यू.के.	बी.एस.एफ.	ए.आई. रोल बटा. देहरादून की स्थापना	20.09	236	4-दिसम्बर	11-मई	11-मई	77	0	77
44.	यू.के.	एस.एस.बी.	कम्पनी सह बी.ओ.पी. बसई की स्थापना	2.47	अंतिम रूप नहीं दिया गया	2-सितम्बर	12-मई	12-जुलाई	115	1	116
45.	यू.पी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. ग्रुप मु. इलाहाबाद की स्थापना	4	1450.1	8-फरवरी	10-अगस्त	11-मार्च	29	6	35
46.	यू.के.	एस.एस.बी.	बटा. मु. देहरादून की स्थापना	26.2	413.66	10-अगस्त	13-जुलाई	13-अगस्त	34	0	34
47.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. सिम्बलघाट की स्थापना	2.35	अंतिम रूप नहीं दिया गया	10-जून	12-मई	12-जून	22	0	22
48.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी के अंतर्गत कंपनी सह बी.ओ.पी. मु. लालबंडी की स्थापना के लिए 3.96 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3.96	57.99	7-जनवरी	11-अक्तूबर	12-सितम्बर	56	10	66

49.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी ।। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. सीमा की स्थापना हेतु आरंभ में संस्वीकृति1.75 एकड़ के प्रति 1.61 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	2.86	23.4	7-जनवरी	9-अगस्त	12-सितम्बर	30	0	30
50.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. नरकटियागंज के अन्तर्गत बी.ओ.पी. मु. बसंतपुर के स्थापना हेतु 3एकड़ माप की भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3	32.49	7-जनवरी	9-जुलाई	10-सितम्बर	29	13	42
51.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ.	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी.ओ.पी. के बीच की दूरी को कम करने के लिए बी.आर.पी. कोनाबन की स्थापना	3	10.38	4-दिसम्बर	9-अप्रैल	10-फरवरी	51	9	60
52.	सिक्किम	एस.एस.बी	बटा. मु. यांगट, गेगिंग की स्थापना	64	1467.33	फरवरी 12 (संशोधित)	11-फरवरी	12-अप्रैल		13	13
53.	अरूणाचल प्रदेश	एस.एस.बी.	61वीं बटा.मु. तवांग-।। की स्थापना के लिए	31.79	383.31		13-जून				0
54.	राजस्थान	बी.एस.एफ.	बटा. मु. बारामसर (रायगढ़) (राजस्थान फ्रंटि.) के लिए 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	70	29.67						
55.	राजस्थान	एस.एस.बी.	जिला-अलवर (राजस्थान) में दो रिजर्व बटा.मु. एक एस.एच.क्यू. और एस.एस.बी. श्वान प्रशिक्षण सह-प्रजनन के स्थापना के लिए 229.04 एकड़ माप की भूमि (110.85 एकड़ गॉव मौजूर तहसील लक्ष्मगढ़ और 118.19 एकड़ तहसील राजगढ़ के डेरा गॉव में) का अधिग्रहण	229.04	827						
56.	राजस्थान	सी.आर.पी.एफ.	आई.एस.ए. माउण्ट आबू के लिए राजपूतना होटल इस्टेट (आर एच ई) भवन/भूमि की खरीद	5.18	1850						
57.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. चन्द्रपारा की स्थापना	2.96	6.02	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया					

58.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	रिजर्व बटा.मु. सम्बलपुर की स्थापना	60.79	1,297.52	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
59.	मिजोरम	ए.आर.	लुंगतलाई (मिजोरम) में 1 एक्स बटालियन के एल.पी. के लिए 115.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	115.52	163.63	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
60.	गुजरात	बी.एस.एफ.	सेदाता भुज (गुजरात फ्रंटि.) में मैरिन बटा. मुख्यालय के लिए 77.19 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	77.19	624.77	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
61.	बिहार	एस.एस.बी.	28 बटा.अरारिया के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. माजरस की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	29.52	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
62.	बिहार	एस.एस.बी.	14वीं बटा. जयनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्यालय कमका के स्थापना के लिए 1.75 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	1.75	19.45	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
63.	बिहार	एस.एस.बी.	14वीं बटा. जयनगर के अंतर्गत कम्पनी सह- बी.ओ.पी. मुख्यालय कमला के स्थापना के लिए 2 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	2	26.89	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
64.	बिहार	एस.एस.बी.	36वीं बटा. ठाकुरगंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. ताराबारी के स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	8.61	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
65.	बिहार	एस.एस.बी.	28वीं बटा. अरारिया के अन्तर्गत बी.ओ.पी. मु. केलाबारी के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	72.29	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
66.	बिहार	एस.एस.बी.	रिर्जव बटा. और फ्रंटि मु. पटना दीदारगंज रेल ओवर ब्रिज की स्थापना के लिए 73 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	73	3,728.41	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
67.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मु. लमारी की स्थापना	0.32	0.06	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
68.	यू.के	एस.एस.बी.	बर.ओ.पी. मु. क्वितार की स्थापना	3.169	15.15	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
69.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. बथन्हा, बिहार के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. आमगाछी के लिए 1.25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	3	2.64	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया

70.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. सीतामढ़ी-I के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. खालवा की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	68.53	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
71.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. पिपराकोठी (रातगढवा) के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. बेरिहारी के स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	82.81	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
72.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी-II के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. दिनमाटोला की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिकग्रहण	3	70.2	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
73.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी-II के अंतर्गत अी.ओ.पी. मु. नवाही की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	159.55	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
74.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. सीतामढ़ी-II के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. धलकावा के स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	57.44	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
75.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मु. मोतिहारी के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. कौरैया (नया) का स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण	3	116.76	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
76.	यू.पी.	एस.एस.बी.	बटा मु. सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. कपिश्वा की स्थापना	3	112.46	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
77.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा.मु. किशनगंज के अतिरिक्त संस्वीकृति के लिए 85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	75	1,850.98	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
78.	बिहार	एस.एस.बी.	रिर्जव बटा.मु. एस.एस.बी. पटना की स्थापना के लिए 40.77 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण (परिवर्तित प्रस्ताव)	40.77	2,739.82	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
79.	यू.पी.	एस.एस.बी.	बटा मु. सिद्धार्थनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. चिरिगांव की स्थापना	3	112.48	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया

80.	यू.पी.	एस.एस.बी.	बटा. मु. एस.एस.बी. महराजगंज के अंतर्गत कम्पनी मु. बी.ओ.पी. सोनौली की स्थापना	2.21	51.14	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
81.	बिहार	एस.एस.बी.	27 बटा. नरकटियागंज बिहार के अंतर्गत बी.ओ.पी. कांटा के लिए भूमि का अधिग्रहण	3	22.95	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
82.	बिहार	एस.एस.बी.	24 बटा.मु. एस.एस.बी. बथन्हा के अंतर्गत बी.ओ.पी. मु. डुंमरबाना के संबंध में भूमि हेतु अतिरिक्त धन की संस्वीकृति	1.75	7.29	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
83.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	बटा.मु. खपरैल की स्थापना	74.49	804.28	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
84.	गोवा	सी.आई.एस.एफ.	6 वीं रिर्जव बटा. सी.आई.एस.एफ. गॉव प्रनेम, उत्तरी गोवा के लिए 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	100	555.47	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
85.	महाराष्ट्र	बी.एस.एफ.	रिजर्व बटा. तकाली जिला जिला शोलापुर के लिए 32.29 हेक्ट. (77.79 एकड़) क्षेत्रफल की भूमि का अधिग्रहण	79.79	1,000.50	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
86.	तेलांगना	बी.एस.एफ.	रिजर्व बटा. की स्थापना	84.33	847.98	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
87.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ.	बटा.मु. रोशनबाग की स्थापना	43.53	128.91	भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया
88.	मणिपुर	ए.आर.	बटा. के लिए मोदी, मणिपुर में 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		92.5	
89.	नागालैण्ड	ए.आर	आई.जी.ए.आर. के लिए चकबामा, नागालैण्ड में 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		264.15	
90.	मणिपुर	ए.आर	बटा. के लिए शांगशक (ऑनकोर्ट) में 13.051 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		30.54	
91.	राजस्थान	बी.एस.एफ	किशनगढ़, रामगढ़ (राजस्थान फ्रंटि.) में फायरिंग रेंज के लिए 9500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		195.29	

92.	राजस्थान	बी.एस.एफ	बी.ओ.पी. दीपावाला (राजस्थान फ्रंटि.) के लिए 6.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		अंतिम रूप नहीं दिया गया							
93.	गुजरात	बी.एस.एफ	मैरिन बी.ओ. अकरी (गुजरात फ्रंटि) के लिए 5.0 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		42.73							
94.	गुजरात	बी.एस.एफ	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. भुज (गुज. फ्रंटि) के अंतर्गत बी.ओ.पी. आसिराबांद के लिए 3 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		28.81							
95.	महाराष्ट्र	बी.एस.एफ	बटा. मु. वर्सागॉव, जिला पुणे महाराष्ट्र के स्थापना के लिए 80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		5.31							
96.	ओडिशा	बी.एस.एफ	बटा. मु. बी.एस.एफ. उड़ीसा									
97.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ	बी.एस;एफ. हेलीकाप्टर के लिए अगरतल्ला हवाई अड्डे पर हैंगर को किराए पर लेना		भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था परंतु किराए पर ली गई							
98.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ	सीमा क्षेत्र के अच्छे शासन और बी.ओ.पी के बीच की दूरी को कम करने हेतु बी.ओ.पी. याकूब नगर की स्थापना		40.1							
99.	पंजाब	बी.एस.एफ	बटा. मु. के लिए गाँव सोहना लखनौर चण्डीगढ़ पंजाब में 49 एकड़ 4 कनाल 18 मारला भूमि से सम्बन्धित कोर्ट के आदेश का कार्यान्वयन									
100.	जम्मू कश्मीर.	बी.एस.एफ	एस एच क्यू ।/नगर (जम्मू फ्रंटि.) के अन्तर्गत बी ओ पी बोबिया के लिए 44 कनाल और 17 मारला भूमि का अधिग्रहण									

101.	जम्मू कश्मीर	बी.एस.एफ	एस एच क्यू ।/नगर जम्मू के अन्तर्गत बी ओ पी 6 आर के लिए 46 कनाल 14 मारला भूमि का अधिग्रहण								
102.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.	सी आई एस एफ एम पी आर टी सी बेहरोर, जिला अलवर के फायरिंग रेंज के लिए 35.60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण		188.04						
103.	तमिलनाडु	सी आई एस एफ	4वीं आर बी अमरावती, पुदुर, कराइकुरी, शिवागंगई के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए		1003						
104.	कर्नाटक	सी आई एस एफ	10वीं रिजर्व बटा. की स्थापना		1834.25						
105.	गुजरात	सी आर पी एफ	कच्छ की खाड़ी, गजरात में शहीद स्मारक के लिए 0.5 एकड भूमि का अधिग्रहण		0.08						
106.	झारखण्ड	सी आर पी एफ	जी.सी झारखण्ड की स्थापना		86.29						
107.	झारखण्ड	सी आर पी एफ	बटा. झारखण्ड की स्थापना		0						
108.	मध्य प्रदेश	सी आर पी एफ	208 कोबरा बटा. बालाघाट मध्यप्रदेश के लिए 81.06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		1						
109.	कर्नाटक	सी आर पी एफ	आधुनिक क्षेत्रीय फायरिंग रेंज की स्थापना		81.4						
110.	पश्चिम बंगाल	सी आर पी एफ	207 कोबरा बटा. सालबोनी की स्थापना		0						
111.	नागालैंड़	सी आर पी एफ	मोकोकचुंग, नागालैण्ड में बटा. क्षेत्र के लिए 25.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		4.34						
112.	पश्चिम बंगाल	सी आर पी एफ	बटालियन कैम्प मे दिनीपुर की स्थापना		188						
113.	जम्मू एवं कश्मीर	सी आर पी एफ	एगलिंग टैंग स्पीटुंक, लेह, जम्मू एवं कश्मीर में बटा. क्षेत्र के लिए 4.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण								
114.	जम्मू कश्मीर	सी आर पी एफ	साम्बा रेलवे स्टेशन जम्मू के नजदीक ट्रांजिट कैम्प रामनगर के लिए 3.9 एकड़ भूमि का अधिग्रहण		18.19						

115.	तमिलनाडु	आई टी बी पी	बटा. मु. मदुरई के लिए		80						
116.	तमिलनाडु	आई टी बी पी	आर टी सी शिवगंगई के लिए		अंतिम रूप नहीं दिया गया						
117.	ओडिशा	आई टी बी पी	बटा. और सेक्टर मु.								
118.	कर्नाटक	आई टी बी पी	बटा. और विकास केन्द्र की स्थापना		0						
119.	जम्मू कश्मीर	आई टी बी पी	बटा. मु. सम्बा, ज. एवं क. के लिए 48.25 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण		386						
120.	दिल्ली	उ.न.स जी	क्षेत्रीय, उ.न.स जी केन्द्र, दिल्ली		29.45						
121.	महाराष्ट्र	उ.न.स जी	क्षेत्रीय केन्द्र मारोल तुंगवे मुम्बई की स्थापना के लिए 23 एकड़ (वास्तव मे उ.न.स जी के कब्जे में 20.28 एकड़)		0						
122.	पश्चिम बंगाल	उ.न.स जी	क्षेत्रीय केन्द्र राजरहट कोलकाता पट्टे पर		3547.5						
123.	दिल्ली	एस एस बी	बल मु. एस एस बी दिल्ली		57.59						
124.	उत्तराखंड	एस एस बी	एस एस बी अकादमी श्रीनगर (गढवाल) की स्थापना		33.34						
125.	बिहार	एस एस बी	28$^{वीं}$ बटा. अरारिया के अन्तर्गत बी ओ पी मु. मजरख की स्थापना		अंतिम रूप नहीं दिया गया						
126.	बिहार	एस एस बी	9$^{वीं}$ बटालियन सीतामढ़ी (बिहार) के अन्तर्गत 7(i) कं. खानवा 8(ii) कं. मजोरगंज 9(iii) बी ओ पी घरखा 10(iv) बी ओ पी श्रीखण्डभिट्टा (भिट्टामोर) 11(v) बी ओ पी बसबिट्टा (बेलवापारी) के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त धन की संस्वीकृति		156.03						

127.	बिहार	एस एस बी	बटा. मु. महराजगंज के अन्तर्गत बी ओ पी सोनियाताल के स्थापना के लिए 1.729 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण								
128.	बिहार	एस एस बी	बटा. मु. महराजगंज के अन्तर्गत बी ओ पी मु. करमिसवा की स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण								
129.	बिहार	एस एस बी	बटा.मु. महराजगंज के अन्तर्गत बी ओ पी लक्ष्मीपुर के स्थापना के लिए 3 एकड़ माप की भूमि का अधिग्रहण								
130.	पश्चिम बंगाल	एस एस बी	ग्रुप केन्द्र मु. करनाजोरा के लिए		144.72						
131.	असम	एस एस बी	आई बी बी पर एस एस बी बी ओ पी 33$^{वीं}$ बटा. की स्थापना		8.41						
132.	असम	एस एस बी	37$^{वीं}$ बटा. एस एस बी मंगलडोई के अन्तर्गत प्लाटून स्तर बी ओ पी नोनाईकुटी की स्थापना के लिए		8.68						

अनुबन्ध-1.3

710 निर्माण कार्यो के मामलो की सूची जिनमे पी. ई. ए. ए. एवं ई. एस. की प्रस्तुति और कार्यो के सौपने मे विलम्ब शामिल है

(सन्दर्भ पैरा 1.8, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.2, 4.3.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 और 7.5)

- **रंग कोडिंग**
  - बैगनी- 341 मामलों के अनुमोदन मे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विलम्ब (पैरा 4.1.3)
  - नीला- पी.डब्ल्यू. ओ द्वारा के पी ई के प्रस्तुतीकरण में लिए गये महीनो मे देरी के 173 मामलो (पैरा 4.1.6)
  - लाल- प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्ति मे विलम्ब (पैरा 4.2.2) के 197 मामलो
  - पीला-पी डब्ल्यूओ द्वारा निविदा सौंपने मे विलम्ब (पैरा 4.3.1) के 240 मामलो
  - हरा- 111 मामलो का जल सचयन के लिए प्रावधान पी ई मे नही बनना (पैरा 4.15)
  - बादामी- 305 अतिरिक्त मदो के मामले (पैरा4.5.3)
  - काला और सफेद- एवजी मदो के 132 मामले (पैरा 4.5.4)
  - आसमानी- विचलित मदो के 241 मामले (पैराः 4.5.2)
  - नारंगी-श्रमिक उपकर के 112 मामलें (पैराः7.5)
  - निर्माण कार्यों के 710 मामलों की सूची (पैराः 1.8)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का ब्यौरा	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	एजेंसी अभिकरण द्वारा बल को पी.ई.के के प्रस्तुतिकरण में लिए गए महिने	** बल द्वारा ए.ए. एवं ई. एस. देने मे लिए गये महीने	अभिकरण द्वारा ए ए एवं ई एस के पश्चात निविदा सौपने मे लिये गये महीने	ए.ए. एवं ई. एस. की राशि	अतिरिक्त मदो की संख्या	अतिरिक्त मदो की कुल राशि	कार्य मे प्रयोग की गयी एवजी मदों की संख्या	एवजी मदों की कुल संख्या	मदो की संख्यां जिनमें बी ओ क्यू (दोनो अधिक या कम) के प्रति 30% से अधिक विचलन या	विचलन की प्रतिशतता सीमा	विचलन की कुल राशि	श्रम उपक्रम की कटौती नही करना
1	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	दमतला के पिछले हिस्से मे चाहरदीवारी से सलग्न विकास एम टी निर्माण कार्य सहित नाले और जल निकासी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	15	0	98.42	2	8.38		0	4	(-)100 से 47	18.1	0

2	बी एस एफ	असम	बी एस एफ केम्पस धोलचेरा सिलचर असम के लिए चाहरदीवारी के शेष भाग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	13	3	178.69	1	1.09		0	7	(-) 100 से 95	23.6	0
3	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	राधाबाड़ी में एन बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत एस.एच.क्यू. सिलीगुड़ी के लिए एम टी वर्कशाप और एम टी पार्क का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	19	1	5	491.36	26	2.48		0	22	31 से 870	68.2	0
4	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ कैम्पस रानीनगर जलपाईगुड़ी की 02 यूनिट के किए संयुक्त ड्रील शेड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	24	2	5	222.58	23	8.47	3	0.46	35	33 से 1883	17.3	0
5	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बी.पी.ओ. श्रीरामपुर मे "ए" प्रकार की जवान बैरक (02) मैगजीन/कोटे का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	6	74.55		0		0			0	0
6	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. के लिए संयुक्त ड्रील शेड और खुला हवादार थियेटर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	42	2	14	492.39	17	7.96		0	18	35 से 418	49.5	0
7	बी एस एफ	मिजोरम	एस.एच.क्यू, बी.एस.एफ, ऐजवाल, मिजोरम के अन्तर्गत लुंगलेई के नजदीक बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. कैम्पस जोटलांग मे एस.ओ. मेस आई/सी विकास स्थल और थोक सेवाओं का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	1	9	200.26	3	1.06		0			0	0
8	बी एस एफ	त्रिपुरा	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ के अन्तर्गत बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ कैम्पस महारानीचेरा के लिए एम आई कक्ष का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	28	4	149.54	33	16.57		0	65	(-) 100 से 4757	46.7	0
9	बी एस एफ	त्रिपुरा	बी.एस.एफ. बटा. त्रिपुरा के लिए एस ओ मेस के साथ 4 स्वीट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	3	6	145.09	39	18.11		0	67	(-) 100 से 2107	45.7	0

10	बी एस एफ	मिजोरम	एस एच क्यू बी एस एफ ऐजवाल, फ्रंटि.मु. एम एवं सी के अन्तर्गत बी एस एफ कैम्पस लुंगलेई (मिजोरम) में एक टाइप-v क्वार्टर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	1	24	76.56	1	0.28		0			0	0
11	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी एस एफ कृष्णानगर एस.बी. फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 42 बटा. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी ओ पी खाजीपारा में प्रशा. जवान बैरक और मैगजीन कोट प्रभारित आंतरिक जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	6	77.25	9	2.46	2	0.14	40	(-) 100 से 670	7.67	0
12	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु.मालदा फ्रंटि बी एस एफ के अन्तर्गत 28 वीं बटा. बी एस एफ के बी ओ पी दुर्गापुर मे कार्यालय ब्लाक, मैगजीन कोट, बैतार ब्लाक और जवान बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	2	2	103.15	6	1.28		0	30	(-) 100 से 233	17.6	0
13	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बी ओ पी मे रसोई, डाइनिंग ब्लाक, जवान बैरक और शौचालय ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	#	शून्य	4	61.26	13	0.64		0	12	37 से 835	8.77	0
14	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ कोलकाता दक्षिण बंगाल फ्रंटि बी एस एफ के अन्तर्गत 126 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले मे प्रशा. ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोई घर, डाइनिंग हाल का निर्माण प्रभारित बी ओ पी डी एम सी की सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति प्रतिस्थापन	सी पी डब्ल्यू डी	1	2	3	59.59	21	5.68	2	0.05	27	(-) 100 से 920	18.2	0
15	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू, बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 92 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	4	77.24	3	0.03	2	0.11	81	(-) 100 से 334	22	0

			बंगाल के नादिया जिले मे प्रशा., ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोईघर, डाइनिंगहाल का निर्माण प्रभा. बी ओ पी भाटूपारा की सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति का प्रतिस्थापन													
16	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ कृष्णानगर एस बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 92 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में प्रशा. ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोई घर और डाइनिंग हाल का निर्माण प्रभा. बी ओ पी नटना की सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति का प्रतिस्थापन	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	4	77.25	7	8.1	4	0.21	27	39 से 2239	1.92	0
17	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी एस एफ कृष्णानगर एस बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 42 बटा. बी एस एफ के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले मे प्रशा. ब्लाक, मैगजीन कोट, रसोईघर और डाइनिंग हाल का निर्माण प्रभा. बी ओ पी मलुआपारा के सफाई व्यवस्था और आंतरिक जल आपूर्ति का प्रतिस्थापन	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	4	77.25	14	2.73	1	0.01	39	(-) 100 से 1688	5.81	0
18	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी एस एफ बेरहामपुर, एस बी फ्रंटि बी एस एफ के अन्तर्गत 151 बटा. बी एस एफ के बी ओ पी चांदी चक में जवान बैरक और मैगजीन कोट का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	6	95.93		0		0			0	0
19	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 57 बटा. बी एस एफ के बी ओ पी देवीपुर में कार्यालय ब्लाक, मैगजीन कोट, बेतार ब्लाक और जवान बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	4	105.13		0		0			0	0

20	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 57 बटा. बी एस एफ के बी पी चकबंशी के कार्यालय ब्लाक, मैगजीन कोट, बेतार ब्लाक, रसोईघर, डाइनिंग ब्लाक और शोचालय ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	2	4	90.07	11	0.15		0	45	(-) 100 से 260	6.98	0
21	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 123 बटा. बी एस एफ के बी पी केस्टोपुर, में मैगजीन कोट, बेतार ब्लॉक एवं रसोईघर, डाइनिंग ब्लॉक एवं जवान बैरक और शोचालय ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	4	8	92.72	9	0.75		0	51	(-)100 से 338	9.8	0
22	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू मालदा, मु. मालदा फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत 69 बटा. बी एस एफ के बी.ओ.पी दोमुथा में मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक और जवान बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	3	5	72.38	4	0.75		0	26	38 से 388	9.17	0
23	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस टी सी बी एस एफ उत्तरी बंगाल में 6 दो मंजिला पूर्वनिर्मित संरचाना का निर्माण	एन बी सी सी	#!	मूल्य	4	289.13	3	2.8		0			0	0
24	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी पी सं.215/4-एस से 218/1- एस के नजदीक के नजदीक 'शमशेर' में प्लाटून स्तरीय बी ओ पी का निर्माण प्रभा. आंतरिक विद्युत व्यवस्था	सी पी डब्ल्यू डी	19	7	8	495.2	4	2.64		0	3	42 से 136	1.19	0
25	बी एस एफ	असम	बी एस एफ कैम्प पटगांव, गुवाहटी (असम) में ओ एच टी से विद्यमान लाइन तक जल आपूर्ति लाइन को बिछाना, 1.5 लाख लीटर क्षमता का आर सी सी ओवर हेड टैंक, 3 लाख लीटर क्षमता का यू.जी टंकी, गहरे	सी पी डब्ल्यू डी	7	1	0	182.66		0		0			0	0

			ट्यूब वेल की बोरिंग, लौह निष्कासन फिल्टरेशन प्लांट का निर्माण													
26	बी एस एफ	असम	पटगांव (गुवाहटी) में फ्रंटि. मु. बी एस एफ गुवाहटी में 12 टाइप-।। आवासीय क्वार्टस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	5	4	218.03	2	4.05		0			0	0
27	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ किशनगंज, मु. एन बी फ्रंटि. बी एस एफ के अन्तर्गत बटा. मु. बी एस एफ खागड़ा-।।। के लिए आवासीय क्वार्टरस (एस एच: टाईप-V/02, टाईप-IV/08 एवं टाईप-III/12 का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	7	17	488.38		0		0			0	0
28	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बटा. मु. बी एस एफ कैम्पस असम मे 120 आदमी हेतु बैरक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	14	11	429.67		0		0			0	0
29	बी एस एफ	मेघालय	बटा. मु. तुरा (नया स्थान) बेवीगरी के लिए जी ओ मेस के साथ 7 सूट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	2	12	334.04		0		0			0	0
30	बी एस एफ	मेघालय	बटा. मु. तुरा (नया स्थान) बेवीगरी के लिए क्वार्टर गार्ड/कोट/आरमर वर्कशाप का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	2	6	296.47		0		0			0	0
31	बी एस एफ	असम	मु. गुवाहटी फ्रंटि. बी एस एफ कैम्पस पटगांव, गुवाहटी असम के लिए अधिकारी मेस के निर्माण हेतु संस्वीकृति	सी पी डब्ल्यू डी	0	6	0	455.7		0		0			0	0
32	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू बी एस एफ रायगंज के अन्तर्गत बी ओ पी शब्रा में बी सी एल मैगजीन एवं कोट, रसोईघर, डाइनिंग हाल और प्रशा, ब्लाक साथ जवान बैरक, का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	25	4	6	121.59		0		0			0	0
33	बी एस एफ	असम	बी एस एफ कैम्पस पटगांव के गुवाहटी (असम) के फ्रंटि. मु. गुवाहटी मे व्यायमशाला का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	5	0	315.84		0		0			0	0

34	बी एस एफ	त्रिपुरा	फ्रंटि. मु. त्रिपुरा के अन्तर्गत बी.एस.एफ.मु. बी एस एफ कैम्पस सेफेंजुरी धर्महागर के लिए 7 सूट्स के साथ जी ओ मेस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	#VA	23	0	215		0		0			0	0
35	बी एस एफ	त्रिपुरा	त्रिपुरा फ्रंटि. के अन्तर्गत एस एच क्यू बी एस एफ कैम्पस गोकुलनगर मे 6 सूट्स के साथ जी ओ मेस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	#E	19	0	369.55		0		0			0	0
36	बी एस एफ	मेघालय	उमपलिंग, शिलांग (मेघालय) में फ्रंटि.मु. बी एस एफ के लिए आवासीय परिसर (एस एच: 4 टाइप-।। (दो मंजिला)क्वार्टरस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	0	197.6		0		0			0	0
37	बी एस एफ	मेघालय	उपपलिंग, शिलांग में बटा. मु. बी एस एफ के लिए आवासीरय परिसर (एस एच: 24 टाइप-।। (चार मंजिला) क्वार्टरो का फेज-। मे निर्माण) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	3	0	346.79		0		0			0	0
38	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	एस बी फ्रंटि. के अन्तर्गत बी स एफ कैम्पस महपूर में बटा. मु. के लिए सैंडमॉडल के साथ प्रशा. ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	18	0	254.34		0		0			0	0
39	बी एस एफ	मेघालय	24 टाइप-।। आवासीय परिसर का निर्माण एस एच क्यू बी एस एफ तुरा दोबासीपूर	सी पी डब्ल्यू डी	0	4	0	374.87		0		0			0	0
40	बी एस एफ	मणिपुर	बटा. मु. बी एस एफ कैम्पस कोईरगंई (मणिपुर) मे 5 आवीसीय मकानों (एस एच: टाइप-।v/4 और टाइप-v/1)का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	24	0	177.64		0		0			0	0
41	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	तीसरे सिग्नल, साल्ट लेक, कोलकाता के लिए प्रशा. ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	13	19	10	487.82	2	1.01		0	2	146 से 238	2.6	0

42	आई टी बी पी	सिक्किम	टैडोंग गंगटोक में एस एच क्यू (एन ई-2) आई टी बी पी के लिए गैरेज स्टोर और सैनिटरी बाक्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	1	20	78.89	32	5.09		0	80	(-) 100 से 7835	42.5	0
43	आई टी बी पी	सिक्किम	13वें बटा. लिंग़डुम मे जल आपूर्ति योजना	सी पी डब्ल्यू डी	5	1	26	178.1	10	2.65		0			0	0
44	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	लोहितपुर मे प्रशिक्षण शेड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	1	8	115.35	35	5.08		0	28	(-)100 से 1666	26.3	0
45	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	एस एच क्यू (ईटानगर) मे एम टी गैरॉज और वर्कशाप का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	!	शून्य	40	298.51	20	43.67		0	47	(-) 100 से 531	27	0
46	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	25वें बटा. तेजू मे जी.ओ. मेस और एकल अधिकारी आवास का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	7	4	267.46		0		0			0	0
47	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	9वें बटा. लोहितपुर मे डब्ल्यू बी एस सड़क का निर्माण और सड़क का पुन: कार्पेटिंग (संशोधित)	सी पी डब्ल्यू डी	27	3	0	193.16	3	5.57		0	6	38 से 143	6.08	0
48	आई टी बी पी	सिक्किम	लिंगडुम मे एस ओ मेस और सूट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	2	8	260.21	4	2.55		0	3	50 से 66	17.4	0
49	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	मोहनबाड़ी में उच्चस्तरीय बुर्ज, गार्ड रूम और गेट सहित संतरी पोस्ट के साथ चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	6	2	175.23	54	10.68	4	0.31	26	(-)10 से 466	39.4	0
50	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	आई टी बी पी ईटानगर (अ.प्र) के लिए जी ओ मेस और सूट्स का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	20	3	6	215.26	13	5.85	7	1.28	53	(-) 100 से 1766	33.4	0
51	आई टी बी पी	असम	आइ टी बी पी झलूकबाड़ी गुवाहटी के लिए ट्रांजिट कैम्प में खुले क्षेत्र को ढ़कना, अतिरिक्त बागवानी कार्य और फिल्ट्रेशन प्लांट (एफ आर पी) को लगाना	सी पी डब्ल्यू डी	1	9	4	76.52		0		0			0	0
52	उ.न.स जी	पश्चिम बंगाल	आर सी कोलकाता मे चाहरदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	E	3	7	471.78	2	10.59		0	1	30	1.06	0

53	एस एस बी	असम	33$^{वाँ}$ बटा. रंगिया मे टाईप-।।।/8 (तीन मंजिला) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	2	2	179.08	3	2.33		0	9	204	9.38	0
54	एस एस बी	असम	33$^{वाँ}$ बटा. रंगिया (पी-।।) मे टाईप-।।।/18 (तीन मंजिला) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	2	1	322.34		0	0	0	7	285	130	0
55	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	34$^{वाँ}$ बटा दिरांग में टाईप-।v/2 और टाईपv/1 का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	4	14	140.84	5	1.6		0	124	(-) से 463	30.2	0
56	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	34$^{वाँ}$ बटा दिरांग मे टाईप-।।।/8 क्वार्टरस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	25	3	6	155.79	2	0.29	1	0.24	51	(-)100 से 218	8.27	0
57	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	38$^{वाँ}$ बटा तवांग मे टाईप-v-02 आवासीय क्वाटरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	2	0	140.62	15	35.47		0	48	(-)100 से 187	6.82	0
58	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	38$^{वाँ}$ बटा. तवांग में टाईप-।v-6 क्वार्टरस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	2	0	218.01		0		0			0	0
59	एस एस बी	असम	बटा. मु. सरबाहुरे (भैरबकुंड) में 7 निगरानी टावर सहित चाहरदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	5	3	348.61	4	3.68	2	1.08	51	626	93.6	0
60	एस एस बी	असम	एस ओ एस मेस का 23$^{वाँ}$ बटा. गांव सरबाहुर (उदालगुरी) मे निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	8	2	133.86	31	7.06		0	108	4780	41.4	0
61	एस एस बी	असम	23$^{वाँ}$ बटा. गांव-सरबाहुर (उदालगुरी) मे क्वा. गार्ड भवन का निर्माम	सी पी डब्ल्यू डी	1	8	2	246.05	3	0.78		0			0	0
62	एस एस बी	असम	गाँव सरबाहुर (उदालगुरी) मे व्यापारी दुकान का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	8	2	74.34	4	0.63		0	54	1445	12	0
63	एस एस बी	असम	एस एस बी कैम्पस बोगईगांव के उत्तरी तरफ चाहरदीवारी, प्रतिधारक दीवार, नदी प्रशिक्षण कार्य का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	16	23	118.13	5	1.69	3	2.56			0	0
64	एस एस बी	यू के	बी ओ पी कं. मु. सुन्दर नगर मे स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	6	11	339.00	1	0.01		0	1	100	0.15	0
65	एस एस बी	असम	बटा. मु. एस एस बी कोकराझार क्षेत्र हेतु स्थल विकास सहित क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	7	0	187.14		0		0			0	0

66	एस एस बी	असम	काजलगांव में बटा.मुख्या. हेतु स्थल विकास सहित 10 शैय्या वाले अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	6	0	373.43		0		0			0	0
67	एस एस बी	असम	बटा. मु. एस एस बी काजलगाँव के लिए 6 सूट्स के साथ जी ओ मेस का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	6	0	187.29		0		0			0	0
68	एस एस बी	असम	सी टी सी एस एस बी सलोनीबारी मे नये 250 के वी ए सब-स्टेशन भवन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	8	8	71.18		0		0			0	0
69	ए आर	मणिपुर	काकचिंग में 21वें बटालियन असम राईफल्स हेतु 06 एन.सी.ओ. एवं 60 ओ.आर. (जी.+II) हेतु 03 एकल आदमी बैरक के ब्लॉक तथा 01 प्रशासनिक ब्लॉक (जी.+I) का निर्माण	एन पी सी सी एल	30	5	1	412.91		0		0			0	0
70	ए आर	मेघालय	असम राइफल लैतकौर, शिलांग (मेघालय) के लिए मुख्य नाला, ब्लैक टाप बिटुमिनस सड़क, 3 सिंगल मेन बेरक (जी+।।) के एक ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	0	1	297.48		0	0	0	5	- 100 से 491	17.62	0
71	ए आर	त्रिपुरा	असम राइफल अगरतल्ला (त्रिपुरा) के लिए 16 टाइप-।। (जी+।।।) एस एफ क्वार्टरस का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	0	0	236.91	7	1.53		0	2	(-)100	0.9	0
72	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. काकचिंग के लिए मैगजीन भवन का निर्माण	एन पी सी सी एल	5	0	2	203.99		0	0	0	5	100 से 537	30.9	0
73	ए आर	नागालैंड	ए.आर. तुईगंसंग (नागालैण्ड) के लिए 2 ब्लाकों मे 12 टाइप-।। (जी+।।) क्वार्टरस का निर्माण	एन पी सी सी एल	8	0	1	347		0	0	0	2	-32 से - 100	3.08	0
74	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए 1.35 किमी नई सड़क और आर सी सी पोस्ट के साथ चाहरदीवारी का निर्माण	HPL	3	0	5	492.23		0		0			0	0

75	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुन्देरी के लिए रसोई कक्ष सह डाइनिंग हाल के 1 ब्लाक और 03 सिंगल मेन बैरक (जी+।।) के एक ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	446.02		0	0	0	3	-85 से -100	13.53	0
76	ए आर	असम	असम राइफल्स बटा. श्रीकोना सिल्चर असम के लिए बिटुमिनस रोड़ और 4 सिंगल मेन बैरक (जी+।।) के 1 ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	#	Nil	2	474.72	4	21.55		0	3	- 59 से 90	74.69	0
77	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा खुगा (मणिपुर) में असम राईफल्स के लिए 1 रसोई घर सह डाइनिंग हॉल और 4 सिंगल मेन बैरक (जी+।।।) के एक ब्लाक का निर्माण	एच पी एल	2	0	6	465.81	1	27.97		0	3	(-)49 से -100	17.1	0
78	ए आर	मणिपुर	मंत्रीपुखरी सैन्य दुर्ग, मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के चारो तरफ चाहरदीवारी, आवासीय भवन का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	3	498		0	0	0	1	-51	210	0
79	ए आर	मणिपुर	असम राइफल कांगवई (मणिपुर) के लिए पहुँच मार्ग के साथ 3 सिंगल मेन बैरक (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	488.98		0		0			0	0
80	ए आर	मणिपुर	के एल पी लोकेशन असम राइफल मोदी (मणिपुर) के लिए आंतरिक सड़क और आवीसीय भवन सहायता सुविधा जैसे सी एच/डी एच का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	0	1	485.21		0		0			0	0
81	ए आर	असम	जोरहट (असम) में संख्या 2 ट्रांजिट कैम्प के लिए 3 सिंगल मेन बैरक (जी+।।) के एक ब्लाक और 6 टाइप-।। (जी+।।) के 1 ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	2	3	474.4	1	6.18		0	11	(-)100 से 130	77.1	0
82	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए 24 टाइप-।। (जी+।।) के 4 ब्लाक का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	2	2	481.16		0		0			0	0

83	ए आर	त्रिपुरा	असम राइफल बटा. उदयपुर (त्रिपुरा) के लिए 2 टाइप-v क्वार्टर, 4 सिंगल जे सी ओ आवास स्थान और 16 टाईप-।। क्वार्टर का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	447.32	26	3.73		0	18	(-)100 से 1047	23.5	0
84	ए आर	असम	असम राइफल बटा. जोरहट (असम) के लिए 32 टाइप-।। क्वार्टरस एस.एफ. का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	425.67	3	4.89		0	10	(-)100 से 70	93.4	0
85	ए आर	त्रिपुरा	असम राइफल बटा. राधानगर (त्रिपुरा) के लिए विकास कार्यों के साथ 6 सिंगल मेन बैरक का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	364.52		0		0			0	0
86	ए आर	असम	असम राइफल हैफलांग (असम) के लिए विकास निर्माण कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 2 टाइप-v (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	0	10	195.03		0		0			0	0
87	ए आर	मणिपुर	असम राइफल मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए ब्लाक 2 में 12 टाइप-।। (जी+।) और 5 ब्लाको में 10 टाइप-।V (जी+।) सहायक सेवाओं और विकास कार्यों के साथ निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	0	493.67		0		0			0	0
88	ए आर	नागालैंड	अ.रा. बटा. वोखा (नागालैण्ड) के लिए 6 टाइप-।।। क्वार्टर (जी+।।) 1 ब्लाक में, 2 टाइप-।V (जी+।) 1 ब्लाक में और 2 टाइप-V क्वार्टरस का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	496		0		0			0	0
89	ए आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. खुगा (मणिपुर) की के. एल.पी. लोकेशन के लिए 3 सिंगल मेन बैरक (जी+।।) के साथ पहुँच मार्ग का निर्माण	एच पी एल	0	0	2	252.42		0		0			0	0
90	ए आर	मणिपुर	असम राइफल फुन्देरडी (मणिपुर) के नए स्थान के लिए पहुँच मार्ग के साथ एक ब्लाक मे 3 सिंगल मेन बैरक (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	4	427.25		0	0	0	4	-100 से 246	98.92	0

91	ए आर	अरूणाचल प्रदेश	आवासीय परिसर जयरामपुर (ए.पी.) के लिए जल आपूर्ति योजना की वृध्दि और 1 लाख क्षमता की पी एस ओवर हेड टैंक के साथ सहायक सेवाएं और स्टेगिंग	यू पी जे एन	2	4	11	409.43		0		0			0	0
92	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए आवासीय परिसर के लिए मेन गेट सहित, संतरी पोस्ट और सुरक्षा लाइट सुरक्षा दीवार सहित का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	2	5	450.06		0		0			0	0
93	ए आर	मणिपुर	असम राइफल नया के.एल.पी फुन्देरई (मणिपुर) के लिए विकास निर्माण कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ प्रशासनिक ब्लाक (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	3	3	461.51		0		0			0	0
94	ए आर	मणिपुर	असम राइफल्स बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों एवं आंतरिक सड़क, सहित क्वार्टर गार्ड, कोट, आर्मरी और आर्मर शॉप का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	0	2	245.42		0		0			0	0
95	ए आर	नागालैंड	ए.आर.डब्ल्यू.के.एस. जून्हेबोटो (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लाक मे 8 टाइप-।। (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	3	3	215		0		0			0	0
96	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों सहित 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	एच पी एल	2	1	3	359.59		0	0	0	2	-100 से 47	34.91	0
97	ए आर	मणिपुर	आई जी ए आर (एस) मंथरीपुखरी मणिपुर के लिए सहायक सेवाओं और विकास निर्माण कार्यों सहित 24 टाइप-।। एस.एफ. क्वार्टरो जी+।। का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	0	2	482.83	2	30.32		0	2	(-)100	7.68	0
98	ए आर	मेघालय	मु. डी जी ए.आर. लैतकोर, शिलांग (मेघालय) के डी जी एस ई के आवासीय स्थान की केन्द्रीय मल व्यवस्था प्रणाली का निर्माण	यू पी जे एन	1	3	3	492.69		0		0			0	0

99	ए आर	असम	नया ए.आर. के एल पी गुवाहटी मे 2 मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे सम्बन्धित विकास कार्यों के साथ 1.7 किमी लम्बी सुरक्षा दीवार का निर्माण	यू पी जे एन	1	1	20	435.44		0		0			0	0
100	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. कैथलमंबी (मणिपुर) के आवासीय परिसर के लिए मुख्य द्वार सहित सुरक्षा दीवार, सेक्युरिटी लाइट, फूटपाथ, साथ मे प्लान सम्प आइ आर पी और 100 के वी. ए ट्रांसफार्मर एच टी/एल टी के साथ और सब स्टेशन का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	3	6	475.52		0		0			0	0
										0		0			0	0
101	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. वोखा नागालैण्ड के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओ के साथ 2 टाइप-IV (जी+।) क्वार्टरों का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	0	3	130		0		0			0	0
102	ए आर	मिजोरम	ए.आर. बटा. लुंगलेई (मिजोरम) के आवासीय परिसर के लिए 01×250 के वी ए ट्रासफार्मर की, स्ट्रीट लाइट, सेक्युरिटी लाइट की आपूर्ति तथा स्थापना और सहायक सेवाएं	एच पी एल	3	1	3	89.43		0		0			0	0
103	ए आर	असम	मु. आई जी ए आर (पूर्व) श्रीकोना (असम) के लिए विकास निर्माण कार्यो और सहायक सेवाओं सहित एक ब्लाक मे एक टाइप-V। (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	80.32		0		0			0	0
104	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लाक मे 4 एकल अधिकारी आवास (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	2	85.29		0		0			0	0
105	ए आर	असम	मु. 25 सेक्ट ए.आर. जोरहाट (असम) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लाक में 2 टाइप V क्वार्टर (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	14	0	2	98.38		0		0			0	0

106	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. चिसवामा के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लाक में 8 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	0	6	106.35		0		0			0	0
107	ए आर	नागालैंड	सेक्ट. मु. अ.रा. तुएनसांग (नागालैण्ड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित एक ब्लाक मे 8 सिंगल जे सी ओ (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	13	0	2	112.3		0		0			0	0
108	ए आर	मणिपुर	मु. 10 सेक्टर ए.आर. सोमसाई (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लाक मे 1 एस.एम.बैरक का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	119.34		0		0			0	0
109	ए आर	मणिपुर	कैथलमान्बी (मणिपुर) में ए.आर. 4 वर्कशॉप के लिए सहायक सेवाएँ और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक में 2 टाईप-V क्वार्टरो(जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	2	128.22		0		0			0	0
110	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. कोहिमा (नागालैण्ड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित एक ब्लाक मे 6 टाईप-।।। (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	137.35		0		0			0	0
111	ए आर	नागालैंड	ए.आर. बटा. नागिनीमोरा (नागालैण्ड) के लिए भूमि विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लाकों मे 16 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	178.71		0		0			0	0
112	ए आर	असम	जोरहट (असम) मे विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ ए आर डी बी और टी सी के लिए एक ब्लाक मे 1 एस.एम.बैरक (जी) और नं. 3 वर्कशाप ए.आर. के लिए एक ब्लाक मे 11 सिंगल जे सी ओ (जी+।।), 6 यूनिट और 5 यूनिट के एक ब्लाक (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	5	2	3	185.83		0		0			0	0

113	ए आर	नागालैंड	ए.आर.बटा. जून्हेबोटो (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्यों और सहाय सेवाओं के साथ एक ब्लाक मे 14 सिगंल जे सी ओ (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	12	0	1	188.79		0		0			0	0
114	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुंदेरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना- एक ब्लाक में 2 टाइप-IV क्वार्टर (जी+।) और 1 ब्लाक में 2 टाइप-V क्वार्टर (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	239.27		0		0			0	0
115	ए आर	असम	ए.आर.बटा. श्रीकोना (असम) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित एक ब्लाक मै 8 सिंगल ऑफिसर (जी+।।।) और एक ब्लाक मे 7 सिंगल सिविलियन आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	6	8	6	261		0		0			0	0
116	ए आर	असम	आई जी ए आर (पर्व) श्रीकोना (असम) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लाक में 6 टाइप-v क्वार्ट. (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	325.51		0		0			0	0
117	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 3 बाल्क मे 24 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	1	2	340.2		0		0			0	0
118	ए आर	नागालैंड	अ.रा.बटा. नागिनीमोरा (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 03 बाल्क मे 24 टाईप ।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	2	2	362.7		0		0			0	0
119	ए आर	मेघालय	ए आर सी और एम सी लैतकोर (शिलांग) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लाक में 4 एस.एम.बैरक (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	1	0	2	364.53		0	0	0	7	- 100 से 785	64.65	0

120	ए आर	नागालैंड	ए.आर.बटा. तेनसांग (नागालैण्ड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्य सहित 1 ब्लाक में 4 सि.मे.बै. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	2	1	2	430.33		0		0			0	0
121	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. पलेल (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना 03 ब्लाकों मे 24 टाइप-।। क्र्वा. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	14	457.25		0		0			0	0
122	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना- 3 ब्लाको में 24 टाईप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	452.99		0		0			0	0
123	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना-3 ब्लाकों में 24 टाईप-।। क्र्वा. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	1	2	452.99		0		0			0	0
124	ए आर	मणिपुर	ए.आर. बटा. मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लाक में 12 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।) और 2 ब्लाकों 16 टाइप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	1	3	457.48		0		0			0	0
125	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुंदेरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना-3 ब्लाको में 24 टाईप-।। क्वार्ट. (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	462.04		0		0			0	0

126	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. फुंदेरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ आवासीय परियोजना-3 ब्लॉको मे 24 टाईप-।। क्वार्टर (जी+।।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	2	462.04		0	0	0	1	128	3.99	0
127	ए आर	मजोरम	ए.आर.बटा. लुंगलेई (मिजोरम) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यो के साथ एक ब्लाक मे 8 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।।) का निर्माण	ई पी आई एल	0	3	2	113.17		0		0			0	0
128	ए आर	मणिपुर	खुगा मणिपुर के एक ब्लाक मे आवासीय परियोजना 2 रिहायशी इकाई टाईप-v क्वार्ट. (जी) समाकृति का निर्माण	एच पी एल	1	0	14	155.3		0		0			0	0
129	ए आर	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) में 128 रिहायशी इकाईयों की प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए 1.25 कि.मी आंतरिक सड़क का निर्माण	एच पी एल	1	0	2	202.16		0		0			0	0
130	ए आर	मणिपुर	खांगवी (मणिपुर) में 150 रिहायशी इकाईयों की प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए 1.5 कि मी आतरिक सड़क का निर्माण	एच पी एल	0	0	2	242.59		0		0			0	0
131	ए आर	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) की आवासीय परि.- (जी+।।।) समाकृति में 16 रिहायशी इकाई टाइप-।। क्वा. का निर्माण	एच पी एल		4	4	310.29		0		0			0	0
132	ए आर	मणिपुर	खांगवी (मणिपुर) की आवासीय परियोजना में (जी+।) समाकृति में 2 ब्लॉको में 5 रिहायशी इकाई टाईप-v क्वार्टर का निर्माण	एच पी एल	0	0	2	340.1		0		0			0	0
133	ए आर	मणिपुर	ए.आर.बटा. खुगा (मणिपुर) की लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं सहित 4 एस.एम. बैरक (जी+।।।) का निर्माण	एच पी एल		0	3	441.65		0		0			0	0

134	ए आर	मणिपुर	कैथलमंबी (मणिपुर) की 4 वर्कशाप ए.आर. हेतु सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक में 1 भण्डारण स्थान (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	1	0	67.53		0		0			0	0
135	ए आर	असम	3 वर्कशाप ए.आर. जोरहट (आसम) के लिए सहायक सेवों और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक मे भण्डारण स्थान (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	2	72.95		0		0			0	0
136	ए आर	मणिपुर	4 वर्कशाप ए.आर. कैथलमंबी (मणिपुर) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यों सहित 1 ब्लाक में 1 प्रशा. ब्लाक (जी) का निर्माण	एन पी सी सी एल	7	0	7	78.37		0		0			0	0
137	ए आर	असम	ए.आर. बटा. लोखरा (असम) के लिए विकास कार्यों और सहाय सेवाओं के साथ 1 ब्लाक में रेजिमेंटल स्कूल (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	0	0	3	94.52		0		0			0	0
138	ए.आर.	असम	अ.रा. बटा. हाफलांग (असम) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में रेजीमेंट स्कूल (जी+1) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	95		0		0			0	0
139	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. मोरेह (मणिपुर) के किए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में मनोरंजन कक्ष (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल	3	1	4	96.57		0		0			0	0
140	ए.आर.	नागालैण्ड	अ.रा.बटा. घासपानी (नागालैण्ड) के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यो सहित 1 ब्लॉक में 1 जेसीओ क्लब (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	1	3	121.25		0		0			0	0
141	ए.आर.	असम	अ.रा.बटा. हाफ्लांग (असम) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में क्यू जी, कोते, शस्त्रागार शाप (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	1	2	221.4		0		0			0	0

142	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में क्यू जी, कोते, शस्त्रागार शाप (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	1	2	232.03		0		0			0	0
143	ए.आर.	नागालैण्ड	अ.रा.बटा. घासपानी (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में 1 भण्डार गृह (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	1	2	257.8		0		0			0	0
144	ए.आर.	मणिपुर	मु.आई.जी.ए.आर. (एस) अ.रा. मंत्रीपुखरी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में एक कार्यालय भवन (जी+1) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	2	3	260.04		0		0			0	0
145	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. ज्वालामुखी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ मैगजीन बिल्डिंग का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	12	0	2	260.07		0		0			0	0
146	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा. फुन्देरई (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ मैगजीन बिल्डिंग का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	9	4	2	264.21		0		0			0	0
147	ए.आर.	मणिपुर	अ.रा.बटा.मोदी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में 1 अधिकारी क्लब (जी+1) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	326.4		0		0			0	0
148	ए.आर	असम	अ.रा.बटा. हाफ्लांग (असम) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं सहित 3 ब्लॉकों में परिवहन सुविधागृह का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	214.53		0		0			0	0
149	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवी (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 1 ब्लॉक में मनोरंजन कक्ष (जी) का निर्माण और विकास कार्यो तथा	एन.पी.सी.सी.एल	1	3	3	302.22		0		0			0	0

			सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लॉको में 2 कुक हाऊस कम डाईनिंग हाल (जी) का निर्माण													
150	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. पलेल (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओ के साथ 1 ब्लॉक में 1 भण्डार गृह (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	7	0	2	259.53		0		0			0	0
151	ए.आर	त्रिपूरा	अ.रा.बटा. तेलियामुरा (त्रिपुरा) के लिए चारदीवारी का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	0	3	428.9		0		0			0	0
152	ए.आर	अरूणाचल प्रदेश	अ.रा.बटा. जयरामपुर (अरूणाचल प्रदेश) के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यो सहित (जी+1) के दो ब्लॉको में 10 सिंगल जे.सी.ओ आवास का निर्माण	ई.पी.आई.एल	#VA!	1	3	123.43		0		0			0	0
153	ए.आर	मिजोरम	अ.रा.बटा. सेरचिप (मिजोरम) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	ई.पी.आई.एल	0	0	7	125.96		0		0			0	0
154	ए.आर	अरूणाचल प्रदेश	अ.रा.बटा. खोंसा (अरूणाचल प्रदेश) के लिए टेक.स्टोर (जी+1) के साथ एम.टी सुविधा का निर्माण	ई.पी.आई.एल	#V	0	13	195.76		0		0			0	0
155	ए.आर	मिजोरम	अ.रा.बटा. सेरचिप (मिजोरम) के लिए संराचनात्मक विकास कार्यो सहित भण्डार गृह (जी+1) का निर्माण	ई.पी.आई.एल	0	0	5	238.48		0		0			0	0
156	ए.आर	मिजोरम	अ.रा.बटा. लुंगलेई (मिजोरम) के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यो सहित क्यू जी/कोते/शस्त्रागार का निर्माण	ई.पी.आई.एल	0	0	3	244.64		0		0			0	0
157	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा.खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	एच.पी.एल.	2	1	4	118.93		0		0			0	0

158	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ अधिकारी क्लब का निर्माण	एच.पी.एल.	2	0	3	301.73		0		0			0	0
159	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा खुगा (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं सहित 1 प्रशासकीय ब्लॉक (जी+1) का निर्माण	एच.पी.एल.		0	3	414.27		0		0			0	0
160	ए.आर	नागालैण्ड	आर.टी.सी. और विघालय सुखोवी (नागालैण्ड) के लिए विकास कार्य और सहायक सेवाओं के साथ स्विमिंग पूल का निर्माण	एच.पी.एल.	0	0	5	497.35		0		0			0	0
161	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवई (मणिपुर) के लिए केन्द्रीय मल निकास प्रणाली का निर्माण	यू.पी.जे.एन.	4	0	10	169.54		0		0			0	0
162	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. कांगवई (मणिपुर) के लिए जल आपूर्ति योजना को प्रदान करना	यू.पी.जे.एन.	4	0	11	193.1		0		0			0	0
163	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. खुगा (मणिपुर) के लिए जल आपूर्ति योजना को प्रदान करना	यू.पी.जे.एन.	4	0	10	193.46		0		0			0	0
164	ए.आर	मणिपुर	फुन्देरई (मणिपुर) के लिए वी सी बी इनकमिंग/आउटगोइंग पैनल 33/11 के वी सब स्टेशन, आपूर्ति, निर्माण परीक्षण और आरम्भ के लिए एक 11 के.वी. और 33/11 के वी सब स्टेशन से एक अलग 11 के वी डेडीकेटेड लाइन की श्रंखला और निर्माण प्रदान करना	ई.सी.बी.	7	4	0	71.97		0		0			0	0
165	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. मोरेह (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 3 ब्लॉको में 24 टाइप-II कर्वाटर (जी+111) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल	9	1	4	493.66		0		0			0	0

166	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.बटा. मोरेह (मणिपुर) के लिए विकास कार्यो और सहायक सेवाओं के साथ 2 ब्लाकों में 8 सिंगल अधिकारी आवास (जी+1)	एन.पी.सी.सी.एल	8	1	4	179.77		0		0			0	0
167	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी.बी.एस.एफ पश्चिम बंगाल के चहारदीवारी के साथ सीमा दीवार (लम्बाई 7300 मीटर) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	24	18	521.15	4	11.01		0	4	90 से 664	51.8	0
168	बी.एस.एफ.	असम	फ्रंटि.मु. बी एस एफ कैम्पस के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	12	2	6	1,503.61	1	0.94		0			0	0
169	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ. सिलीगुड़ी के अन्तर्गत बटा.मु. राधाबारी के किए 48 टाइप-II आवासीय क्वार्टस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	1	0	615.36		0		0			0	0
170	बी.एस.एफ.	मेघालय	बटा.मु. बी.एस.एफ. कैम्पस तुरा (न्यू लोकेशन) बेवीगरी के लिए 67 टाइप-II क्वार्टरस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	4	0	1,038.54		0		0			0	0
171	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा फ्रंटि. के अन्तर्गत बटालियन मु.बी.एस.एफ. कैम्पस सेफजनजूरी धर्मनगर में एक 120 मेन बैरक के निर्माण के लिए स्वीकृति।	त्रिपुरा फ्रन्टीयर के अंर्तगत सेक्टर मुख्यालय बी.एस.एफ गोकुलनगर के किए प्रशा. ब्लॉक के निर्माण के लिए स्वीकृति।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	#VA	48	0	615.3		0		0			0	0
172	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	त्रिपुरा फ्रंटि. के अन्तर्गत बटालियन मु.बी.एस.एफ कैम्पस सेफजनजूरी धर्मनगर में एक 120 मेन बैरक के निर्माण के लिए स्वीकृति।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	#VA!	16	0	636.45		0		0			0	0

173	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. कैम्पस कुमारघाट (त्रिपुरा) के लिए 120 मेन बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	#VA	4	0	527.92		0		0			0	0
174	सी.आई.एस.एफ.	असम	सी.आई.एस.एफ ग्रु.मु. गुवाहाटी के लिए गैर आवासीय सुविधा का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी	21	18	8	1,095.17	34	111.8		0	119	38 से 2650	270	0
175	सी.आर.पी.एफ.	असम	जी.सी खटखटी में 3 नं. 180 मेन बैरक (863.45 लाख दिनांक 27/11/2009 के स्थान पर संशोधित स्वीकृति) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	11	12	2,298.31	11	7.19		0	140	682 से 789	640	0
176	सी.आर.पी.एफ	असम	जी.सी. सिलचर में सीमादीवार, मुख्यद्वार, गार्ड रूम, संतरी पोस्ट और वॉच टावर का निर्माण।	**सी.पी.डब्ल्यू.डी**	16	5	3	299	13	11.87	1	3.45	9	(-) 45 से 10469	299	0
177	सी.आर.पी.एफ.	त्रिपूरा	जी सी अगरतला में सीमादीवार साथ में दो मुख्य द्वार, वाच टावर, 6 नं., संतरी पोस्ट 18 नं., और गार्डरूम का निर्माण	**सी.पी.डब्ल्यू.डी**	1	7	2	325.37	1	2.66		0	83	(-)100 से 761	141	0
178	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी. सिलीगुड़ी में विकास और थोक सेवाएँ	**सी.पी.डब्ल्यू.डी**	5	7	44	2,865.59	121	248.3	3	35.57	41	88 से 10297	250	0
179	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 3 नं. 240 मेन बैरक का निर्माण	**सी.पी.डब्ल्यू.डी**	7	2	5	2,548.83	16	18.12	21	119.2	37	32 से 8425	76.2	0
180	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी मे 222 फैमिली क्वार्टर (टी/II-180, टी/II-27, टी/IV-14 & टी/V-1) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	10	6	2	3,246.83	30	18.53	11	23.62	20	31 से 1235	68.2	0
181	सी.आर.पी.एफ	असम	जी.सी. सिलचर में जी ओ मेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	26	20	7	582.29		0		0			0	0
182	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 20 बेड वाले चिकित्सालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	19	2	7	540.56	44	24.65		0	23	34 से 706	22.9	0
183	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	जी सी सिलीगुड़ी में जी ओ मेस/ सूट्स का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	44	3	8	729.69	6	0.62		0	4	182 से 714	10.3	0

184	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	207 कोबरा बटा. सालबोनी में 47 टाइप-II फैमिली क्वार्टर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	2	7	578.32		0	1	0.21	4	35 से 145	86.3	0
185	सी.आर.पी.एफ.	असम	210 कोबरा बटा. डालगाँव, दरांग में 3 न. 240 मेन बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	6	6	2,437.29		0		0			0	0
186	सी.आर.पी.एफ.	असम	210 कोबरा बटा. डालगाँव के लिए एस ओस मेस डारमिटरी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	6	5	659.78		0		0			0	0
187	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी सी, सी आर पी एफ, सिलीगुड़ी में 224 टाइप II क्वार्टर (112 क्वो.-स्प्लिट-I का निर्माण) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	7	6	2,292.69	77	173.7	8	96.71	64	31 से 1470	379	0
188	एस.एस.बी.	असम	बटा.मु.एस एस बी गोसाई गाँव में स्थायी अवसरंचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	15	4	1,348.38		0		0			0	0
189	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रांगिया में प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	15	#	0	1,100.00		0		0			0	0
190	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रांगिया में आवासीय क्वार्टरस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	18	12	0	566.64		0		0			0	0
191	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	फ्रंटि. गुवाहटी के अन्तर्गत 38 वे बटा. एस एस बी तवांग में अवसरंचना (45 टाइप-II क्वार्टरस) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	9	0	770		0		0			0	1.13
192	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रांगिया में प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	19	12	0	533.53		0		0			0	0
193	एस.एस.बी.	असम	47 वें बटा. एस एस बी बिजनी में अवसंरचना का निर्माण।	एन.बी.बी.सी.	E	3	0	3,366.20		0		0			0	0
194	ए.आर	नागालैण्ड	असमराइफल बटा. चिसवेमा (नागालैण्ड) के लिए 5 सेक्टर मु. के लिए 12 टाइप II क्वार्टर (जी+II) और (जी+III) 78 टाइप-II क्वा. (जी+II) में 12 टाइप-III का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	4	6	10	1,028.02		0		0			0	0
195	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. कैथलमंबी (मणिपुर) के लिए 6 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+1), 1 ब्लॉक के 3 सिंगल	एन.पी.सी.सी.एल	1	3	6	1,336.39		0		0			0	0

			मेन बैरक (जी+II), 1 प्रशासकीय ब्लॉक (जी+1) और 1 अधिकारी मेस सेक्टर मु. के लिए और 1 ब्लॉक के 3 सिंगल मेन बैरक (जी+1) का निर्माण													
196	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल बटा. मारम (मणिपुर) के लिए एक ब्लॉक के 4 सिंगल मेन बैरक (जी+III) और असम राइफल बटा. ज्वालामुखी के लिए एक ब्लॉक में 4 सिंगल मेन बैरक (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	4	1	645.77		0		0			0	0
197	ए.आर	मिजोरम	असम राइफल जोखावसांग के लिए आवास का निर्माण	ई.पी.आई.एल	#VE	22	27	8,660.00	1	2.5		0	18	(-)100 से 829	682	0
198	ए.आर	नागालैण्ड	अ.रा.बटा. काशीराम बस्ती (नागालैण्ड) के लिए 9 ब्लॉको के 72 टाइप-II क्वार्ट.(जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	4	1	1,126.50		0		0			0	0
199	ए.आर	असम	असम राइफल बटा. हाफ्लांग (असम) के लिए 1 ब्लॉक के 4 एस एम बैरक, 1 जेसीओ मेस और 1 नं. 20 बिस्तर वाले चिकित्सालय का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	3	3	3	597.28	1	4.67		0			0	0
200	ए.आर	नागालैण्ड	असम राइफल बटा. मोकोकचुंग (नागालैण्ड) के लिए 8 ब्लॉको के 64 टाइप-II क्वार्ट. (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	2	4	1	1,182.05	2	2.74		0	16	(-)100 से 100	18	2.05
201	ए.आर	असम	जोरहट (असम) में 12 टाइप-111 क्वार्ट. (जी+11) और 66 टाइप-11 क्वार्ट. (जी+11) एस एफ आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	16	6	0	861.24	5	6.6		0	13	(-) 100 से 70	30.3	3.98
202	ए.आर	अरूणाचल प्रदेश	असम राइफल बटा. खोंसा (अरूणाचल प्रदेश) के लिए 1 जेसीओ मेस, 1 अधिकारी मेस, 1 प्रशासकीय ब्लॉक (जी+I) 12 सिंगल जे सी ओ आवास, 4 सिंगल अधिकारी आवास, 8 सिंगल मेन बैरक (जी+III) का निर्माण	ई.पी.आई.एल	6	5	2	1,685.83		0		0			0	3.97

203	ए.आर	असम	असम राइफल बटा. चारदौड़ (असम) के लिए 64 टाइप-11 (जी+111) क्वार्ट. का निर्माण	ई.पी.आई.एल	4	4	3	970.51		0		0			0	3.83
204	ए.आर	अरूणाचल प्रदेश	असम राइफल बटा. खोंसा (अरूणाचल प्रदेश) के किए 48 टाइप-II (जी+III) क्वार्ट. का निर्माण	ई.पी.आई.एल	6	10	3	938.07		0		0			0	3.57
205	ए.आर	मेघालय	असम राइफल लैतकोर (शिलांग) के लिए 72 टाइप-II (जी+III) एस एफ आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	5	5	3	1,355.14	4	91.7		0	5	(-)100 से 3900	27	2.38
206	ए.आर	मणिपुर	अ.रा.सेक्ट.मु. कैथलमंबी के लिए 1 टाइप-VI (जी एफ) 04 टाइप-V (जी+I), 13 टाइप-III, 18 टाइप-II (जी+2) और 2 एस/अधि. आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	11	1	1,008.46		0		0			0	1.71
207	ए.आर	नागालैण्ड	असम राइफल प्रशि. केन्द्र और विघालय सुखोवी (नागालैण्ड) के लिए 7 किमी आंतरिक मार्ग का निर्माण	एच.पी.एल	3	0	3	1,387.02	1	0.02		0	6	392 से 976	0.58	3.07
208	ए.आर	मणिपुर	अ.रा. सेक्ट मु./बटा.मु. कैथलमंबी मणिपुर के लिए सहायक सेवाओं और विकास कार्यो के साथ 72 टाइप-II आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	3	4	1,480.42	2	39.45		0			0	5
209	ए.आर	मणिपुर	असम राइफल ज्वालामुखी (मणिपुर) के लिए 7 सिंगल जेसीओ आवास के साथ विकास कार्य, जल आपूर्ति और बाह्य विघुतीकरण और 8 ब्लॉको में 48 टाइप-11 (जी+11) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	1	2	2	1,207.16		0	0	0	1	48	14.8	9.33
210	सी.आर.पी.एफ	महाराष्ट्र	206 बटा. कोबरा भण्डारा के लिए थोक सेवाओं और सिविल तथा विघुत कार्यो को बढ़ाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	16	1402		0		0			0	0
211	एस.एस.बी	महाराष्ट्र	रिजर्व बटा.मु. एस एस बी येल्की (महाराष्ट्र) में अवसंरचना का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	उ.न.	उन.	0	5369		0		0			0	0

212	बी.एस.एफ	दिल्ली	20 नं. 320 के वी ए डी जी सेट, सी जी ओ प्रदान करना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	3	9	86.1	2	0.51		0	10	(-)73 से 180	2.05	0
213	बी.एस.एफ	दिल्ली	एस.टी.एस बी एस एफ टिगरी, नई दिल्ली में 120 मेन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	3	8	484.29		0		0			0	0
214	बी.एस.एफ	दिल्ली	एस टी एस टिगरी में टाइप-III (14) और टाइप-IV (05) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल	0	4	7	415.73		0		0			0	0
215	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	शास्त्री पार्क में लड़कियों के होटलो का निर्माण	डी.एम.आर.सी.	1	7	8	306	22	21.52		0			0	0
216	एन.एस.जी	दिल्ली	आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली के नजदीक 5 एकड़ भूमि के स्तर को ऊपर उठाने का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	4	100	77	68		0			0	0
217	एन.एस.जी	दिल्ली	आई जी आई एयरपोर्ट नई दिल्ली के अर्द्ध स्थायी संरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	1	3	704		0		0			0	0
218	एन.एस.जी	दिल्ली	मानेसर में विघुत व्यवस्था का उन्नयन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	9	99.75	10	1.42		0	7	(-)100 से 82	74	0
219	एन.एस.जी	दिल्ली	उ.न.स जी मुख्यालय पालम, नई दिल्ली मे सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	7	5	226	16	8.66		0	6	(-)40 से 98	0.43	0
220	एन.एस.जी	दिल्ली	मानेसर में विशेष संचालन प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	17	0.97		0		0			0	0
221	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	एस एस जी ग्रेटर नोएडा में 4 मेन बैरक, जी ओस मेस का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	1	1	2218	2	2.37		0	6	228 से 2140	18.5	0
222	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	108 आवासीय क्वार्. एस एस जी ग्रेटर. नोएडा	एन.बी.सी.सी	0	5	4	1534.96	18	14.16		0	22	290 से 1678	188	0
223	सी.आई.एस.एफ	दिल्ली	गैर आवासीय भवन, जी बी एस महिपालपुर का निर्माण	एन.बी.सी.सी	4	34	6	9972	6	1.56		0			0	0
224	एन.एस.जी	दिल्ली	माण्टेसरी विघालय मानेसर, हरियाणा के लिए 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	0	6	97.73	12	2.1	6	0.02	62	30 से 3570	10.9	0
225	एन.एस.जी	दिल्ली	52 एस ए जी इकाई समालखा के लिए मिश्र संरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	29	89	4742	18	28	8	9	8	126 से 647	3.98	0

226	बी.एस.एफ	एम पी	सी एस डब्ल्यू टी बी एस एफ इंदौर में 44 नं. एस ओ के लिए छात्रावास और एस ओ मेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	6	43	497.46	24	8.14	1	0.47			0	0
227	बी.एस.एफ	एम पी	सी एस डब्ल्यू डी बी एस एफ इंदौर में गार्ड रूम, चारदीवारी, मुख्य द्वार की मजबूती और पुन: निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	11	43	96.19	28	11.23	2	13			0	0
228	बी.एस.एफ	एम पी	सी.एस.डब्ल्यू.टी बी.एस.एफ इंदौर में प्रशिक्षण क्षमता की वृद्धि के लिए अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	कार्य निष्पादित नहीं किया गया		0		0			0	0
229	बी.एस.एफ	एम पी	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस इंदौर (म.प्र.) के लिए प्रशा./संचार ब्लॉक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	1	7	272.96		0		0			0	0
230	बी.एस.एफ	एम पी	बी.एस.एफ बटा.मु. इंदौर कैम्पस (म.प्र.) के किए 7 सूटो के साथ जी.ओ के मेस का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	2	5	216.35		0		0			0	0
231	बी.एस.एफ	एम पी	बी.एस.एफ बटा.मु. इंदौर कैम्पस (म.प्र.) के लिए 26 टाइप-III (जी+2) आवासो का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	2	5	475.81		0		0			0	0
232	बी.एस.एफ	एम पी	बी.एस.एफ बटा.मु. इंदौर कैम्पस (म.प्र.) के लिए टाइप-IV और टाइप-V के 10 आवासों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	2	5	287.64		0		0			0	0
233	बी.एस.एफ	एम पी	सी.एस.डब्ल्यू.टी बी.एस.एफ इंदौर के लिए 34 टाइप-II (34 सं.) क्वार्ट. का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	3	4	6	461.01		0		0			0	0
234	बी.एस.एफ	यू.पी.	बटा.मु. बी.एस.एफ कैम्पस बाड़ मथुरा (उ.प्र.) के लिए एम.टी परिसर, स्टोर ब्लाक और व्यवसायिक दुकान का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	4	4	492		0		0			0	0
235	बी.एस.एफ	एम.पी	नव उन्नत एस.टी.सी. बी.एस.एफ इंदौर के विभिन्न अवसंरचना का	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न..	0	ए.ए. एवं ई.एस.		0		0			0	0

			निर्माण, एस एच एम टी गैराज और वर्कशॉप का निर्माण					निरस्त								
236	बी.एस.एफ	एम.पी	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ भोपाल के लिए 120 मेन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2	4	7	470.19		0		0			0	0
237	सी.आई.एस.एफ	छत्तीसगढ़	3rd आर बी भिलाई के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	2	19	102	21	1.4	2	1.44	60	(-)100 से 245	10.6	0.5
238	सी.आई.एस.एफ	एम.पी	बरवाह में आर टी सी के दरया महल का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	46	290	38	19.78	5	4.54			0	0
239	सी.आई.एस.एफ	एम पी	आर.टी.सी. के लिए निरीक्षण गैलरी तथा विद्यमान सूक्ष्म फायरिंग में स्टेज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	1	5	60.37	7	6.14	1	0.81	28	40	26.4	0
240	सी.आई.एस.एफ	एम.पी	आर.टी.सी के लिए 06 नंबर क्वाटर्रो टाइप V 2 तथा टाइप-IV (04) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	16	44	168.57	17	6.25	1	2.25			0	0
241	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	टेलीकॉम बटा, शिवपुरी में एम.टी परिसर तथा वर्कशॉप का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	3	22	125.38	18	4.1		0	64	45	45.2	0
242	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	करेरा में आयुध शेड फेस-I (6 संख्या) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	4	25	487.63	23	15.53	7	12.24			0	0.59
243	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	करेरा में आयुध शेड़ फेस-II (4 संख्या) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	5	26	349.03	13	3.58	1	2.85			0	0
244	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	करेरा में आंतरिक सड़को की रि-कॉर्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	1	4	78.25	2	0.7		0			0	0
245	आई.टी.बी.पी.	छत्तीसगढ़	रायपुर 38 वी. बटा. में क्वार्टर गार्ड भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	4	10	271.88		0		0			0	0.05
246	आई.टी.बी.पी.	छत्तीसगढ़	38 वीं बटा. रायपुर में एस ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	उ.न.	12	233.23		0		0			0	0
247	आई.टी.बी.पी.	एम.पी	आर.टी.सी. करेरा में बिजली एवं सिविल निर्माण कार्यों का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	11	18	489.58		0		0			0	0
248	बी.एस.एफ	एम.पी	नव उन्नत टेकनपुर में विभिन्न अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	not pertaning		0		0			0	0

249	बी.एस.एफ	एम.पी	सी.एस एम.टी. टेकनपुर कैम्पस (म.प्र.) में बी.एस.एफ के लिए एक संख्या 180 पुरूष बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	4	10	599.32		0		0			0	0
250	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जी.सी बिलासपुर में संयुक्त प्रशासन/क्यू जी/ स्टोर ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	15	985.62	18	21.43	3	3.13	44	(-)94 से 819	11	0
251	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जी.सी बिलासपुर में 50 बिस्तर वाले संयुक्त अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	6	15	1219.87	31	12.55	6	1.5	79	(-)100 से 1545	32	0
252	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जी सी बिलासपुर में एस ओ मैस। डोरमिट्री का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	11	635.02	19	9.39		0	92	(-)100 से 1902	20.2	0
253	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	जी.सी, सी.आर.पी.एफ बंगरासिया भोपाल में 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	8	1281.41	22	16.11	3	9.18	198	31	250	0
254	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	201 तथा 204 कोबरा बटा. जगदालपुर में प्रशासनिक ब्लॉक भवन का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	6	3	5	735.13	6	37.17		0	181	(-)100 से 8299	38.6	0
255	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	सी.आई.ए.टी. शिवपुरी में प्रशासन/प्रशिक्षण ब्लॉक/क्लास रूम/सैंड मॉडल रूम एवं लेक्चर हाल तथा 2 नंबर के 270 पुरूष बैरक के सयुंक्त भवन।	एन.बी.सी.सी.	0	0	2	4202.75		0		0			0	0
256	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	सी.टी.सी शिवपुरी, म.प्र. में जी.ओ. मैस एवं स्वीट, एस ओ एस मैस एवं बैडमिन्टन कोर्ट और व्यायामशाला का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2	4	2	4170.84	12	95.03		0			0	0
257	सी.आर.पी.एफ	छत्तीसगढ़	जगदालपुर में सी.आर.पी.एफ की 201 एवं 204 कोबरा बटा. के लिए सिविल तथा विघुत विकास तथा थोक सेवाओं को कार्यान्वित करना।	एन.बी.सी.सी.	2	4	6	1721.28		0		0			0	0

258	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	208 कोबरा बटा. बालाघाट हेतु 480 तथा 240 मैन बैरको में प्रत्येक में 1 सं. का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	6	2	3	2823.85	20	0.25		0			0	0
259	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	बालाघाट, म.प्र. में 208 बटा. कोबरा के लिए जी ओ एस मैस/स्वीट्स एस ओ एस मैस/डोरमिट्री, स्वीमिंग कम ड्राइविंग पूल एवं 3 सं. कुत्ताघरो का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	7	1	3	1387.6		0		0			0	0
260	सी.आर.पी.एफ	एम.पी	208 बटा. बालाघाट, म.प्र. के लिए विकास निर्माणकार्य तथा थोक सेवाओं (सिविल एवं विघुत कार्य) को कार्यान्वित करना।	एन.बी.सी.सी.	7	2	4	950.9		0	3	22.67			0	0
261	बी.एस.एफ	गुजरात	11 बटा. बी.एस.एफ कैम्पस गांधीधाम के लिए आंतरिक ज./आ.एस/आई जलनिकासी सहित प्रसूति वार्ड सहित 10 बिस्तर वाले अस्पताल तथा विकास कार्यों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	3	4	98.85		0		0			0	0
262	बी.एस.एफ	राज.	सुमरोड़ जैसलमेर में स्थित 84 वीं बटा. बी.एस.एफ. परिसर-I में 1 संख्या के 120 मैन बैरक/ तथा विकास कार्यों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	16	7	165.78	18	3.48	1	0.03	10	(-) 100 से 700	57.4	0
263	बी.एस.एफ	राज.	बी.एस.एफ. परिसर, उदयपुर में क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	11	6	108.5	35	13.47	3	0.89	32	(-)100 से 705	26.8	0
264	बी.एस.एफ	राज.	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ के अंतर्गत बटा. मुख्या. हेतु बी.एस.एफ. कैम्पस भरामसेर रामकुंड गैराज सहित एम टी परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	9	257	10	18.42	1	6.2	4	(-)100 से 1916	19.9	0
265	बी.एस.एफ	राज.	एस.एच.क्यू बी.एस.एफ. कैम्पस सेम रोड़ के लिए प्रोविजनिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	9	195	6	7.45	1	0.72	7	(-)100 से 1073	9.36	0

266	बी.एस.एफ	गुजरात	गांधीनगर में फ्रंटि.मुख्या. बी.एस.एफ. में लघु शस्त्र वर्कशाप का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	3	54	162.84	21	6.35		0	19	31 से 306	7.91	0
267	बी.एस.एफ	राज.	बी.एस.एफ कैम्पस 192 बटा. में हनुमान की खेजारी फायरिंग रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	5	2	152.14	2	15.41		0	6	(-)100 से 56	61.3	0
268	बी.एस.एफ	गुजरात	एस.एच.मुख्या बी.एस.एफ. गांधी नगर (गुजरात) के लिए रसद परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	19	3	371.64		0		0			0	0
269	सी.आई.एस.एफ	राज.	सी.आई.एस.एफ आर.टी.सी बहरोर हेतु अर्द्धस्थायी ढ़ाचों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	0	3	299.5	4	4.33		0	44	(-)100 से 1200	61.4	0
270	सी.आई.एस.एफ	राज.	एम.पी.आर.टी.सी बहरोर हेतु एम.टी गैराज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	5	7	79.6	1	0.33	4	13.1	53	(-)100 से 1078	22.5	0
271	सी.आई.एस.एफ	राज.	आर.टी.सी. ड्योली में आर.टी.सी हेतु 05 संख्या के आवासीय क्वाटर्रो (टी-V-I, टी-IV 4) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12	17	19	48.54	29	3.44		0	23	(-)100 से 3164	13.1	0
272	सी.आई.एस.एफ	राज.	आर.टी.सी बहरोर के लिए मलजल निपटान संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	19	1	19	120.75	9	1.94		0	22	(-)100 से 700	8.32	0
273	आई.टी.बी.पी.	राज.	42 वीं बटा. जोधपुर में जल आपूर्ति लाइन उपलब्ध कराना एवं बिछाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	1	4	64.72		0		0			0	0
274	बी.एस.एफ	राज.	अलवर (राजस्थान) में बटा. मुख्या. बी.एस.एफ कैम्पस के लिए आवासीय क्वाटर्रो (एस.एच 32 सं. टाइप-II, 16 की सं. टाइप-III, 07 संख्या टाइप-IV एवं 02 संख्या टाइप-V) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	15	5	736.3		0		0			0	0
275	सी.आई.एस.एफ	राज.	सी.आई.एस.एफ, आर.टी.सी बहरोर के लिए एस.ओ. के मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	28	8	30	539.63		0		0			0	0
276	सी.आई.एस.एफ	गुजरात	सी.आई.एस.एफ. जी.पी. मुख्य अहमदाबाद हेतु आवासीय और गैर आवासीय भवनों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	23	1	10	1576.6		0		0			0	0

277	सी.आर.पी.एफ	राज.	जी.सी- II अजमेर, राजस्थान में चारदीवारी, मुख्याद्वार, गार्डरूम, निगरानी मीनार तथा सुरक्षा लाइटो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	3	0	919.1	10	11.3		0	50	(-)100 से 50	68.1	0
278	एस.एस.बी	राज.	रिजर्व बटा. मुख्या. मौजपुर (अलवर) में आवासीय भवन और गैर आवासीय भवन का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	9	10	0	3940.31		0		0			0	0
279	सी.आई.एस.एफ	कर्नाटक	अहाते की दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	5	3	248		0		0			0	0
280	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	चाहरदीवारी	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	3	389	5	26.33		0	9	140 से 6013	63.4	0
281	बी.एस.एफ	कर्नाटक	काराहल्ली, बैंगलुरू ग्रामीण जिले में 82 वीं बटालियन हेतु आंतरिक सड़के, पुलिया आदि मुहैया कराने का निर्माण कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	22	20	492	10	34.02	3	8.31	2	122 से 123	1.85	0
282	बी.एस.एफ	कर्नाटक	60 की संख्या के क्वाटर्रो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	8	10	827		0		0			0	0
283	सी.आर.पी.एफ	कर्नाटक	208 पारिवारिक क्वा. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	12	3	1229	8	15.62	4	92.42	13	106 से 770	49.8	12.34
284	बी.एस.एफ	पंजाब	माधोपुर में चाहरदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	5	2	100		0		0			0	0
285	बी.एस.एफ	पंजाब	बी.एस.एफ कमसवाला में बी.एफ कैम्पस 143 बटा. में चाहरदीवारी ।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	7	11	309		0		0			0	0
286	बी.एस.एफ	पंजाब	बी.एस.एफ कैम्पस बीखी ए.आर में मलजल निपटान संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	18	15	214		0		0			0	0
287	बी.एस.एफ	पंजाब	बी.एस.एफ खेमकरण, बी.एस.एफ कैम्पस, 80 बटा. में द्वारो सहित चाहरदीवारी तथा संतरी पोस्ट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	4	4	161		0		0			0	0
288	बी.एस.एफ	हरियाणा	बी.एस.एफ कैम्पस, भोंडसी में एस ओ के मैस भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	4	12	499		0		0			0	0
289	बी.एस.एफ	ज वं कं	8 सं. वाले दुगुने	एन.बी.सी.सी.	0	0	5	386		0		0			0	0

290	बी.एस.एफ	हरियाणा	बटा. मुख्या, भोडसी के लिए प्रसूति वार्ड सहित 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	अस्वीकृत		0		0			0	0
291	बी.एस.एफ	पंजाब	डेरा बाबा नानक में बैरको का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	17	0	388		0		0			0	0
292	बी.एस.एफ	हि.प्र	जी.ओ. मैस कांगड़ा का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	4	189		0		0			0	0
293	बी.एस.एफ	हरियाणा	भोड़ंसी, गुड़गांव (हरियाणा) में रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस हेतु मुख्य द्वार गेटवे एवं डोरमिट्री ब्लॉक/पार्श्व द्वार गेटवे एवं डोरमिट्री ब्लॉक का निर्माण एवं चारदीवारी को पुन: चमकाना।	एन.बी.सी.सी.	1	5	0	201		0		0			0	0
294	बी.एस.एफ	ज व कं.	आई/नगर में 120 मैन बैरेक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	13	0	462		0		0			0	0
295	बी.एस.एफ	पंजाब	क्षे.मु.बी.एस.एफ फिरोजपुर के अंतर्गत बी.एस.एफ. कैम्पस के एम एस वाला, के लिए 0.2 एम.एल.डी. क्षमता के एस टी.पी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	19	0	83		0		0			0	0
296	बी.एस.एफ	ही.प्र.	कांगड़ा में टाइप-III, IV क्वाटर्रो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	4	0	433		0		0			0	0
297	आई.टी.बी.पी	ज वं क.	लेह में एम.टी. वर्कशाप	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	24	194		0	0	0	14	30 से 349	48	2.58
298	आई.टी.बी.पी.	पंजाब	पटियाला में टाइप-I से टाइप-IV के क्वाटर्रो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	6	182		0		0			0	1.28
299	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में मलजल निपटान संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	17	71.82		0		0			0	0
300	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में भण्डार डिपो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	2	62		0		0			0	0
301	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु पंचकुला में ए.टी. स्कूल, पशु चिकित्सालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	20	10	88.47		0		0			0	0.75
302	आई.टी.बी.पी.	ज व कं	जी ओ मैस 15 वीं बटा. उधमपुर में	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	425	26	3.73		0	45	30 से 2330	13	0

303	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	28 वीं बटा. जातुसाना, रेवाड़ी में एस ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	6	291		0		0			0	0
304	आई.टी.बी.पी.	हि.प्र	सरहान में क्वा. का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	2	118		0		0			0	0
305	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	रामगढ़ में आवासीय कैम्पस में सबस्टेशन का संवर्धन (एस.एच: ट्रांसफार्मरों के लिए दो कक्षो का निर्माण)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	5	8	99		0		0			0	0.17
306	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केन्द्र (कुत्ताघर, बावर्ची खाना, बनाव-श्रंगार शैड़, अस्पताल एवं विकास कार्य) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	14	6	236		0		0			0	0
307	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में फायरिंग रैंज तक सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	6	0	73		0		0			0	0.87
308	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में बटा. मुख्या में जी.ओ. मैस का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	0	0	69		0		0			0	1.19
309	आई.टी.बी.पी.	पंजाब	टी पी टी बटा. चंडीगढ़ में प्रशासन ब्लॉक (दो मंजिला) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	3	11	1.87		0		0			0	0
310	आई.टी.बी.पी.	ज व क	एस ओ मैस तथा ड़ॉरमिट्री	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	0	13	496	3	9.06		0	8	30 से 560	52	0
311	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	प्रशिक्षण ब्लॉक (मिलेनियन भवन) बी टी सी में वायु वातानुकुलर का प्रावधान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	21	0	102		0		0			0	0
312	एस.एस.बी.	हि.प्र.	सापरी की चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	2	87		0		0			0	0
313	एस.एस.बी.	हि.प्र.	टी.सी. एस.एस.बी. शामशी कुल्लु में आन्तरिक शुटींग रैंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	3	0	273		0		0			0	0
314	एस.एस.बी.	हि.प्र	एस.एस.बी टी.सी सराहन हेतु, सेडीमेन्टेशन फिल्ट्रेशन एवं भंडारण टैंक निर्माण तथा स्थल विकास सहित बाह्य जल आपूर्ति योजना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	8	2	119		0		0			0	0

315	बी.एस.एफ	ज एवं क.	केबिन/हैंगर सहित एयरबेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	4	13	486		0	0	0	19	34 से 524	347	0
316	बी.एस.एफ	ज एवं क	एफ टी आर मुख्यालय श्रीनगर में प्रशासन ब्लॉक एवं सामान्य ब्लॉक का निर्माण	जे.के.पी.सी.सी.	4	35	0	1293		0		0			0	0
317	बी.एस.एफ	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस भोंडसी हेतु सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र सहित एक 120 पुरुष बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	6	0	500		0		0			0	0
318	बी.एस.एफ	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ कैम्पस भोंडसी हेतु सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र सहित एक 120 मैन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1	6	0	500		0		0			0	0
319	बी.एस.एफ	पंजाब	पुरूष एवं महिला शौचालयो के शौचालय ब्लॉक सहित छात्रावास रसोई सहित सम्मेलन सह डाइनिंग हॉल का निर्माण (अट्टारी, अमृतसर)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	56	9	0	2398		0		0			0	0
320	सी.आर.पी.एफ	दिल्ली	जी.सी कादरपुर में प्रशासन एवं प्रशिक्षण ब्लॉक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	17	13	1,100	71	80.61	1	7.54	112	30 से 2139	11.8	0
321	सी.आर.पी.एफ	पंजाब	जालंधर में टाइप-II/126 संख्या (टी/एस) फैमिली क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	6	5	1157		0		0			0	0
322	सी.आर.पी.एफ	ज एवं क	60 फै/क्वा. (टी-III-22, टीIV-24, टी/V-12)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	5	13	1633		0		0			0	0
323	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी सोनीपत में टाइप-II के 160-फैमिली क्वाटर्रो का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	6	2	2571		0		0			0	0
324	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	विभिन्न टाइप के 236 (टाइप/II-160, टाइप/III-38, टाइप-IV- 24, टाइप/V-14) क्वार्टरों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	8	3	4502		0		0			0	0
325	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी. बहालगढ़, सोनीपत में जी ओ मैस/कमरे तथा एस ओ मैस/ छात्रावास का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	8	2	871		0		0			0	0

326	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी, सी.आर.पी.एफ, बहालगढ़, सोनीपत हरियाणा में चारदीवारी, संकेत-चिन्हो एवं स्वचालित गूँज बैरियर सहित मुख्य द्वार तथा निगरानी टावर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	8	2	642		0		0			0	0
327	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी.सी सोनीपत में 240 विभिन्न टाइप-II क्वार्टरों का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	10	2	3858		0		0			0	0
328	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी सी सोनीपत में मैन क्लब, कैन्टीन एवं बैडमिन्टन कोर्ट, एम टी गैराज, वर्कशॉप, परेड़ ग्राऊंड़, किले की दीवार, 10 बिस्तर वाला अस्पताल, धोबी घाट, एफ डब्ल्यू सी तथा स्कूल का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	0	10	2	1589		0		0			0	0
329	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	जी सी सोनीपत, हरियाणा में विकास तथा थोक सेवाओं (सिविल एवं विद्युतीय) का कार्यान्वयन	एन.बी.सी.सी.	0	11	7	2509		0		0			0	0
330	आई.टी.बी.पी	ज व क	12 के लिए प्रत्येक में 3 प्रशासनिक ब्लॉक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	3	8	524		0		0			0	0
331	आई.टी.बी.पी	ज व क	प्रशिक्षण शैड में सुधार करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	31	851	5	12.34	3	183.7	31	30 से 1861	150	0
332	आई.टी.बी.पी	ज. एवं क.	बटा. मुख्या. में 36 टी-II क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	12	13	4.83	3	6.13		0	12	30 से 662	7	0
333	बी.एस.एफ	केरल	न्यू स्टेशन कालीकट में 22 अस्थायी शैड तथा 3 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	4	5	494.67		0		0			0	0
334	बी.एस.एफ	केरल	कैनूर, थ्रिस्सूर में बी.एस.एफ कैम्पस, प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	1	8	340.89	19	4.42		0			0	0
335	बी.एस.एफ	केरल	त्रिवेन्द्रम में बी.एस.एफ के लिए क्षे.मु. तथा एस.ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	348.13	1	14.32		0			0	0
336	बी.एस.एफ	केरल	त्रिवेन्द्रम में बी.एस.एफ के लिए क्षे.मु. प्रशासन ब्लॉक-जी ओ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	496.4		0		0			0	0

337	बी.एस.एफ	केरल	त्रिवेन्द्रम में बी.एस.एफ के लिए क्षे.मु.- प्रशासन ब्लॉक की स्थापना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	17	161.61	1	1.25		0			0	0
338	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	अर्द्ध स्थायी ढ़ाचे 2 डाइनिंग एवं रसोई ब्लॉक, 1 व्यावसायिक दुकान, 1 कार्यालय तथा थोक सेवाएं।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	238.67		0		0			0	0
339	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	चौथी आर बी सिवागंगाई में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	0	0	3	218.84		0		0			0	0
340	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	आर टी सी अराक्कोनम में 100 एम टी बेफल रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	2	5	217.68		0		0			0	0
341	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	आर टी सी अराक्कोनम में पुरूष क्लब का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	15	3	37.58		0		0			0	0
342	सी.आई.एस.एफ	तमिलनाडु	सी आई एस एफ, आर.टी.सी (ए) के लिए आवासीय क्वार्टरों (टाइप-I के 53 एंव टाइप-II के 160) हेतु फ्लाई प्रूफ शट्टर प्रदान करना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	6	1	379		0		0			0	0
343	आई.टी.बी.पी	तमिलनाडु	इइयापत्ती, मदुरई, तमिलनाडु में विविध सेवाओं के लिए आवास- 3.79 करोड़	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	3	1358.46		0		0			0	0
344	सी.आर.पी.एफ	तमिलनाडु	जी.सी अवाड़ी में 149 टी/II फै/क्वार्टर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	6	279		0		0			0	0
345	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	क्षे.मुख्य (बी.बी.एस.आर) में क्यू जी एवं क्यू एम स्टोर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	213		0		0			0	0
346	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	क्षे.मुख्या (बी.बी.एस.आर) में कैम्पस में मुख्य सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	139.88		0		0			0	0
347	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	41 वीं बटा. में, एस डब्ल्यू स्थल का विकास बाह्य जल आपूर्ति (फेज-1) ओ.एच.टी. तथा प्रत्येक की 02 लाख लीटर की क्षमता के यू/जी हौदी, गहरे नलकूप।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	492		0		0			0	0
348	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	41 वीं बटा. भुवनेश्वर में आंतरिक सड़क तथा स्ट्रोम जल निकासी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	708		0		0			0	0

349	बी.एस.एफ	तेलंगाना	2 संख्या में 120 मैन बैरकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	5	0	980.73		0		0			0	0
350	आई.टी.बी.पी	ओडिशा	सी.आई.एस.एफ. के आर.टी.सी मंडाली के लिए 77 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	523		0		0			0	0
351	सी.आर.पी.एफ	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ के 2 संख्या में 180 मैन बैरकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	2	3121.28	14	4.03	8	6.66			0	0
352	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	202 कोबरा बटा. कोरापुट के लिए 269 फै/ (क्वार्टरों (टी/II-227, III-27, IV-14 एवं V-1) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	500		0		0			0	0
353	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	202 कोबरा बटा. कोरापुट के लिए 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	762		0		0			0	0
354	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	जी.सी भुवनेश्वर में 40 से 50 बिस्तर वाले अस्पताल का उन्नयन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	992		0		0			0	0
355	सी.आर.पी.एफ	ओडिशा	202 कोबरा बटा. कोरापुट के लिए प्रशासन ब्लॉक/क्वार्टर गार्ड/ स्टोर ब्लॉक/ व्यावसायिक दुकान का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उन.	0	150		0		0			0	0
356	बी.एस.एफ	बिहार	बी.एस.एफ कैम्पस में संयुक्त अधिकारियों के मैस के लिए 10 अतिरिक्त कमरो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	4	3	249	35	0.21	6	0.02	2	66 से 400	0.32	0
357	बी.एस.एफ	बिहार	क्षे.मुख्या. बी.एस.एफ. खगरा के लिए पैवेलियन एवं चेंज रूम सहित 400 मीटर ट्रैक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	33	8	9	155	28	0.51	4	0.1	61	33 से 825	0.39	0
358	बी.एस.एफ	बिहार	बी.एस.एफ कैम्पस में 142 बटा. मुख्या के लिए संयुक्त ड्रिल शैड सहित दरबार शेड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	9	6	498.58	29	0.13	4	0.01	64	30 से 1700	0.38	0
359	आई.टी.बीपी	झारखण्ड	एस.टी.सी, बी.एस.एफ हजारीबाग के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	3	8	447		0		0			0	0
360	बी.एस.एफ	यू.पी	मथुरा (उ.प्र.) में बटा. मुख्या बी.एस.एफ. कैम्पस बेड के लिए 07 कमरों सहित जी.ओ. मैस तथा 04 कमरों सहित एस.ओ मैस का निर्माण	एन.बी.सी.सी	0	2	2	457		0	0	0	36	247	0.62	0

361	बी.एस.एफ	यू.पी	बी.एस.एफ कैम्पस मथुरा के लिए बाह्य विकास कार्य एवं थोक सेवाएं (सड़क निर्माण कार्य/चारदीवारी/प्रवेश द्वार एवं छात्रावास ब्लॉक)	एन.बी.सी.सी	2	1	2	475		0	0	0	5	82	0.66	0
362	बी.एस.एफ	यू.पी	क्षे. मुख्या., बी.एस.एफ ग्रेटर नोएड़ा में 90 मैन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी	4	2	2	243		0	0	0	2	32	0.02	0
363	सी.आर.पी.एफ	बिहार	आर.टी.सी- वी. राजगीर में 8 एस.पी बैरको का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	2	5	448.44	42	0.3	11	0.23	19	37 से 1148	0.61	0
364	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	209, कोबरा बटा.फुदी, खुंती के लिए एम.टी. वर्कशॉप/गैराज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	9	3	149		0		0			0	0
365	आई.टी.बी.पी	यू.के	माना में आवासीय एवं कार्यालय परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	14	1	12	439	27	0.07	8	0.27	99	620	0.3	0.85
366	आई.टी.बी.पी	यू.के	एम.एवं.एस.आई ऑली में प्रशासनिक ब्लॉक तथा प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	9	2	16	149	48	0.21	4	0.07	89	538	1.58	4.11
367	आई.टी.बी.पी	यू.के	12 वीं. बटा. मतली में स्ट्रोम वाटर सिस्टम एवं नालियों का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	8	9	293	7	0.09		0	40	1180	0.96	0
368	आई.टी.बी.पी	यू.के	पहली बटा. के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	8	5	15	278	29	0.24		0	101	1650	0.96	2.73
369	आई.टी.बी.पी	यू.के	एस्टेल एस्टेट, आई.टी.बी.पी. अकादमी, मसूरी देहरादून में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	4	2	89	22	0.1	3	0.07	56	1199	0.51	2.44
370	आई.टी.बी.पी	यू.के	गोथी में 8 टाइप-II (डी/एस) क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2	3	11	63	13	0.01		0			0	0.83
371	आई.टी.बी.पी	यू.के	सीमा द्वार देरहादून (संशोधित) में जल आपूर्ति लाइन का संवर्धन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	142	12	0.03		0	11	100	0.3	0.68
372	आई.टी.बी.पी	यू.के	30 वीं बटा. मुख्या के शेष क्षेत्र में चेन युक्त बाड़ो का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	1	3	85	28	0.29	4	0.01	2	97	0.07	1.81
373	आई.टी.बी.पी	यू.के	गौचर में जल आपूर्ति तथा जल निकासी प्रक्रिया जलागम परिसर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	1	3	77		0		0			0	0.89

374	आई.टी.बी.पी	यू.के	मनस्यारी में जी.ओ मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	3	13	136	18	0.03		0			0	0
375	आई.टी.बी.पी	यू.के	एम एवं एस.आई ऑली में अधिकारी मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	1	13	273	85	0.09	4	0.06	113	1200	0.89	1.8
376	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	40 वीं बटा. रांची के लिए सब स्टेशन उपकरण, 125 के.वी. ए.डी.जी. सैट प्रदान करना एवं प्रतिष्ठापन तथा 11 के वी हॉटलाइन बिछाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	401		0		0			0	0
										0		0			0	0
377	आई.टी.बी.पी	यू.के	36 वीं. बटा. लोहाघाट में क्वार्टर मास्टर स्टोर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	4	2	7	223.43	2	0.04		0			0	0
378	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	रांची, झारखंड़, 40 वीं बटा. में एस.ओ.एस मैस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	6	2493.59	22	6.32	2	0.63	94	30 से 100	44.6	0
379	आई.टी.बी.पी	झारखण्ड	40 वीं बटा. रांची में आई.टी.बी.पी के लिए गैर आवासीय हेतु बिटुमिनस सड़क तथा नाली का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	4	4	456.35		0		0			0	0
380	एस.एस.बी	बिहार	बाथनाहा, अरेरिया (बिहार) में चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5	3	4	444.76	5	0.3	5	0.01			0	0
381	एस.एस.बी	बिहार	बटा. मुख्या. एस.एस.बी नरकटियागंज के अंतर्गत सिक्ता में कम्पनी मुख्या. व बी.ओ.पी में बी.ओ.पी भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	0	0	8	444.14		0		0			0	0
382	एस.एस.बी	बिहार	बटा. मुख्या. एस.एस.बी पिपराकोठी, जिला पूर्वी चम्पारन के अंतर्गत पेंटोका में कम्पनी मुख्या. व बी.ओ.पी में बी.ओ.पी भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3	6	9	476.93	49	0.14		0			0	0
383	एस.एस.बी	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्यालय, बाथनाहा, जिला अरेरिया (बिहार) में 128 मैन बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1	11	5	374	3	0.01		0			0	0
384	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी खुनवा बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसरंचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	4	6	434		0	0	0	7	563	0.11	0

385	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी चांदीथान बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	3	7	378	4	0.01		0			0	0
386	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. झिंगती बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसरंचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	6	9	422	2	0.1		0	23	1083	0.18	0
387	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. डांडाहेड बटा. मुख्या. महाराजगंज में स्थायी अवसरंचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	5	31	317		0		0			0	0
388	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी डरानॉरा बटा. मुख्या. सिध्दार्थनगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	3	9	287	1	0.01		0	8	300	0.07	0
389	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. पाखरीहावा बटा. मुख्या. सिध्दार्थनगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	2	29	382		0	0	0	3	378	0.07	0
390	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी अलीगारबा बटा. मुख्या सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	17	3	23	322		0		0			0	0
391	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. लोहती बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसरंचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	3	18	375		0	0	0	11	325	0.08	0
392	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी हरबंसपुर बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	2	25	453		0	0	0	3	556	0.02	0
393	एस.एस.बी	यू.पी	बी.ओ.पी. बारहानी बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर में स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	3	25	212		0		0			0	0
394	एस.एस.बी	यू.पी	गोमती नगर, लखनऊ में एफ.टी.आर. मुख्या. एस.एस.बी के लिए विकास एवं थोक सेवाएं	सी.पी.डब्ल्यू.डी	15	2	3	425	12	0.1	2	0.01	37	34	0.24	0

395	एस एस बी	यू पी	पलिया में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	11	4	222	29	0.07		0	47	100 से 250	0.79	0
396	एस एस बी	यू के	बी.ओ.पी.-बगरीहट में स्थायी अवसंरचना अर्थात् वर्षाजल का संग्रहण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	9	11	120		0		0			0	0
397	एस एस बी	बिहार	एस एस बी परिसर नरकटियागंज (बिहार) में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	2	0	427		0		0			0	0
398	एस एस बी	यू पी	बट. मुख्यालय, एस.एस बी. बलरामपुर में 128 पुरूष बैरेक के निर्माण से संबंधित	सी पी डब्ल्यू डी	40	21	8	139		0		0			0	0
399	एस एस बी	यू के	एफ एच क्यू रानीखेत में मौजूदा आंतरिक सड़क की मरम्मत एवं सुधार	सी पी डब्ल्यू डी	5	5	4	951	8	0.05		0	1	4678	0.44	0
400	बी एस एफ	यू पी	मथुरा में बट. मुख्यालय बी.एस परिसर हेतु एक संख्या के 240 पुरूष बैरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	3	4	1207		0	0	0	8	352	0.62	0
401	आई टी बी पी	झारखण्ड	सी.आई.एस.एफ दूसरी आर बी रांची हेतु कुत्ता प्रशिक्षण स्कूल के निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	1252		0		0			0	0
402	सी आर पी एफ	यू पी	जी.सी., इलाहबाद में 50 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	5	9	2403	22	0.12		0	43	41	0.07	0
403	सी आर पी एफ	यू के	प्रशासन इमारत आदि का निर्माण	एन बी सी सी	10	1	2	2002	52	0.88	9	0.49			0	0
404	सी आर पी एफ	झारखण्ड	203, कोबरा बट., बरही, हजारीबाग हेतु तीन संख्या के 240 पुरूष बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	2	8	2101		0		0			0	0
405	सी आर पी एफ	यू के	3 संख्या के 240 सदस्यों के बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	10	5	2	3128	26	0.01	2	0.11			0	0
406	सी आर पी एफ	यू के	विकास एवं थोक सेवाओं का निर्माण	एन बी सी सी	19	22	3	1638	28	0.03	3	0.05			0	0
407	सी आर पी एफ	यू के	144 संख्या के टाईप-।। क्वार्टरों का निर्माण	एन बी सी सी	41	1	2	1002.91	2	0.04	6	0.21			0	0

408	आई टी बी पी	झारखण्ड	209 कोबरा बट., फुडी, खुंती के लिए संयुक्त इमारत/प्रशासन/क्यू.जी/भंडारण ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	6	1311.11		0		0			0	0
409	आई टी बी पी	झारखण्ड	209 कोबरा बट. फुडी, खुंती के लिए सतह नाली पुलिया दीवार बनाए रखते कनेक्ट प्लॉटों ए बी सी एवं डी को अन्य सड़क एवं आंतरिक परिधीय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	6	5	3703	1	24.96		0			0	0
410	आई टी बी पी	यू के	आई टी बी पी सीमाद्वार देहरादून में अलग परिवार आवास का निर्माण, 200 संख्या के टाइप-। क्वॉटरों का एस एच निर्माण, 144 संख्या में टाइप-।। क्वॉटरों का निर्माण, 24 संख्या में टाइप-।।। क्वॉटरों का निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, का निर्माण, विकास के संबंध में निर्माण, स्टेशन इमारत का निर्माण, ओवरहेड टैंक का निर्माण तथा नलकूप की ड्रिलिंग का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	1	5	56	582	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	186	0.82	16	0.19	320	0.8	16.61
411	आई टी बी पी	यू पी	ग्रेटर नोएडा मे चारदीवारी, सड़क, संतरी पोस्ट अथवा सामने का गेट एवं सामने की दीवार तथा शौचालय सहित छात्रावास ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	8	10	511.82	26	0.4		0	3	21600	0.9	0
412	एस एस बी	बिहार	नरकटियागंज मे एस एस बी के लिए टाइप-।।। 24 संख्या में, टाइप-।v 6 संख्या में एवं टाइप-v 2 संख्या में का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	1	12	540.38	30	0.58		0			0	0
413	एस एस बी	बिहार	12वीं बटालियन मुख्यालय, बाधा, वाल्मीकिनगर, बिहार में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	11	10	14	671.68	3	0.14		0			0	0
414	एस एस बी	बिहार	एस एस बी, मुजफ्फरपुर (बिहार) के लिए सेक्टर मुख्यालय में टाइप-।। संख्या में 53 क्वार्टर्स का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	8	6	17	1585.9	5	0.2		0			0	0

415	एस एस बी	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी की साइट एवं थोक सेवाओं का विकास	सी पी डब्ल्यू डी	3	7	17	1585.9	9	0.05		0			0	0
416	एस एस बी	बिहार	सेक्टर मुख्यालय, एस.एस.बी., मुजफ्फरपुर के लिए चारदीवारी का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	8	2	5	238.33	16	0.11		0	4	43 से 86	0.09	0
417	एस एस बी	यू पी	एफ टी आर, लखनऊ में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	18	9	2	2277	3	0.04		0			0	0
418	ए आर	असम	सी ओ ई डिफु (असम) के लिए संबध्द सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्य के साथ 03 एस एम बी का निर्माण	एच पी एल	3	1	3	429.06		0		0			0	0
419	ए आर	त्रिपुरा	राधानगर में 08 एकल जे.सी.ओ. आवास (जी+1), 6 एकल पुरूष बैरेक (जी+।।) के 02 ब्लॉक, एक प्रशासनिक ब्लॉक, 01 अधिकारी मैस, एक जे.सी.ओ क्लब तथा 36 ए आर. हेतु आतंरिक सड़क का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	12	2	755.85		0	1	2.7			0	0
420	ए आर	मणिपुर	शंगशेक में 19 ए आर के लिए 06 टाइप।।। (जी+।।) तथा 48 टाइप ।। क्वॉर्टर (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	3	4	4	528.13	4	1.07		0			0	0
421	ए आर	त्रिपुरा	राधानगर मे 36 ए आर के लिए 02 टी-v (जी+।) 02 टी ।v (जी+।) 12 टी-।।। 90 टी-।। (जी+।।) तथा 06 सिगंल ऑफिसर आवास का निर्माण	एन पी सी सी एल	4	12	2	1,196.11		0	0	0	6	100 से 44	51.9	0
422	ए आर	त्रिपुरा	तेलियामूड़ा में 15 ए आर के लिए 06 टी-।।। (जी+।।) एवं 78 टी-।। (जी+।।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	5	11	7	854.31	12	32.27		0	10	100 से 421	24.6	0
423	ए आर	असम	लोकरा (असम) में 43 ए आर के लिए 54 टी-।। (जी+।।) और 12 टी ।।। (जी+।), क्वॉर्टर का निर्माण	ई पी आई एल	4	6	4	587.46		0		0			0	0

424	ए आर	असम	लोकडा (असम) में 43 ए आर के लिए 01 ऑफिसर भोजनालय तथा 01 प्रशासनिक ब्लॉक 09 एस एम बी (जी+।), का निर्माण	ई पी आई एल		20	3	552.16		0		0			0	0
425	ए आर	नागालैंड	01 टाइप ।v क्वॉटर (भूतल), 06 टाइप ।।। क्वॉटर (जी+।।) एवं 6 सिंगल अधिकारियों के लिए आवास (जी+।) का निर्माण	एन पी सी सी एल	6	0	14	658.65		0		0			0	0
426	ए आर	असम	जोरहट में असम राइफल्स के लिए 48 टी-।। क्वॉटर तथा 12 टी-।।। एस एफ आवास का निर्माण	ई पी आई एल	1	5	5	611.34		0		0			0	0
427	ए आर	अरूणाचल प्रदेश	जयरामपुर (अरूणाचल) में 29 असम राइफल्स के लिए 02 टाइप-v (जी+।), 72 टाइप-।। क्वॉटर (जी-।।) एवं 04 सिंगल अधिकारियों का रिहायशी आवास (जी+।) का निर्माण	ई पी आई एल	6	1	9	773.69		0		0			0	0
428	ए आर	नागालेण्ड	09 सिंगल पुरूष बैरेक के 03 ब्लॉक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक, 01 अधिकारियों (जी-।।।) (180 एन सी ओ एवं 180 अधिकारियों के लिए) का भोजनालय, 01 जे.सी.ओ का निर्माण	एन पी सी सी एल	6	2	12	704.48	5	4.36		0			0	0
429	ए आर	मिजोरम	लुंगली में असम राइफल्स के लिए 48 टाइप-।। तथा 06 टाइप-।।। क्वॉटरों का निर्माण	ई पी आई एल	5	11	0	674.07		0	0	0	4	100 से 832	44.3	0
430	सी आर पी एफ	असम	रिहायशी एवं गैर-रिहायशी इमारत 344 संख्या टी/। क्वॉटर, 16 टी/।। क्वॉटर एवं 7 बैरेकों में वायर गॉज शटर्स प्रदान करना एवं ठीक करना	सी पी डब्ल्यू डी	13	13	8	94.8	5	20.21		0			0	0
431	सी आर पी एफ	असम	प्रशिक्षण क्षेत्र एवं गेट सं.3 ₹72,73,486 में 33 कि.वा. उप-स्टेशन एवं विद्युत उप-स्टेशन कक्षों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	3	8	164.87	18	16.25	1	0.23	143	100	75.7	0

432	सी आर पी एफ	त्रिपुरा	दो मुख्य गेटों की चारदीवारी, 6 नजर रखने वाले टॉवर, 18 संतरी पोस्ट एवं गार्ड कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	19	8	328.65	20	23.58		0	51	(-)100 से 1111	107	0
433	सी आर पी एफ	त्रिपुरा	26 एफ/क्वॉटरों (टी/।।-18, टी/।।।-6 एवं टी/।v-2) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	17	4	6	411.55	27	10.51	1	0.31	83	(-)100 से 318	113	0
434	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	सीमानगर एस एच: 91 टाइप ।। क्वॉटर में रिहायशी क्वॉटरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी		#मूल्य	14	1117.05	65	40.34	24	7.52	163	31 से 458	131..5	0
435	बी एस एफ	मेघालय	एस एच क्यू बी एस एफ, उम्पलिंग, शिलाँग के लिए संयुक्त सुविधा/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	6	5	234.9	9	0.94		0	8	(-)100 से 115	10	0
436	आई टी बी पी	अरुणाचल प्रदेश	गहरे बोरवेल (i) वे बटालियन लोहितपुर के लिए 02 (ii) 25 बैटिलयन आई टी बी पी., तेजू (आ.प्र.)के लिए 01, का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	2	5	59.06	3	1.21		0	1	-98	0.71	0
437	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	38 परिवार क्वॉटरों (टी/।-4,।।-12, ।।।-।v-12 एवं v-2) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	7	4	335		0		0			0	0
438	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	399 टाइप । संख्या में 60	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	18	1838.34	64	13.11	19	4.5	188	(-)100 से 100	109	14.56
439	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	02 फिल्टर बेड तथा 2.50 लाख लीटर क्षमता का साफ पानी का आर.सी.सी भंडारण टैंक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	11	10	98.89	5	2.47		0			0	0.64
440	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	359 (टी/।-93, ।।-255, ।।।-7 एवं ।v-4) परिवार के लिए क्वॉटर (18 टाइप-। क्वॉटर का निर्माण)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	1764.32		0		0			0	18.47
441	सी आर पी एफ	महाराष्ट्र	संख्या में 3, 120 पुरूष बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	6	15	599.47		0		0			0	5.88

442	ए आर	दिल्ली	द्वारका, नई दिल्ली में असम राइफल्स के लिए 32 टाइप-।।, 16 टाइप-।।। एस एफ क्वर्टाटरों तथा 30 लड़कों एवं 20 लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	ई पी आई एल	0	5	33	481		0		0			0	0
443	सी आर पी एफ	दिल्ली	03 विद्यत उप-स्टेशनों का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	14	7	187		0		0			0	0
444	सी आर पी एफ	दिल्ली	सी आई पाइपलाइन नजफगढ़ को बिछाया जाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	15	32	833	9	1.6		0	24	31 से 8701	0.49	4.88
445	सी आर पी एफ	दिल्ली	बजीराबाद चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	24	0	9	217	40	10.48		0	13	(-)43 से 66	83.2	0.09
446	सी आर पी एफ	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा में टाइप-।।, 288 परिवार के लिए क्वर्टाटरों का निर्माण	एन बी सी सी	16	9	2	1411		0		0			0	0
447	सी आर पी एफ	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा में 240 पुरूष बैरेकों, का निर्माण	एन बी सी सी	25	2	10	1448		0		0			0	0
448	उ.न.स जी	दिल्ली	इनडोर शूटिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	20	19	220	34	12.6		0	12	36 से 240	45.7	1.77
449	सी आई एस एफ	मध्य प्रदेश	आर टी सी बरवाहा के लिए 4 ड्रिल शेड	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	1	11	142	10	2.29	3	0.15			0	0
450	सी आर पी एफ	छत्तीसगढ़	ए.सी.शीट (छतबंदी) वाली 6 अर्ध स्थायी इमारतों (22*8.5 मीटर) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	4	4	98.42	5	1.95		0	51	(-)100 से 531	3.17	0
451	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	सी आर पी एफ बंगरासिया, भोपाल में प्रशासनिक ब्लॉक, का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	1	5	161.92	15	3.85	1	0.17			0	0
452	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	जी ओ के भोजनालय (ऑक्टॉरलोनी मकान) की मरम्मत एवं नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	4	8	82.95	62	16.02	17	1.26			0	0
453	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	जी.सी, सी आर पी. एफ, नीमसूह में चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	27	15	496.78	35	19.72	8	40.95				
454	सी आर पी एफ	मध्य प्रदेश	जी.सी.नीमसूह में 501 टी/।। एफ/क्वर्टाटरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	8	57	4657.93	133	63.35	4	4.58			0	0

455	बी एस एफ	मध्य प्रदेश	सी.एस.डब्ल्यू.टी.बी.एस.एफ. इदौर के अंतर्गत 120 एस एफ ए क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	8	11	482.33	32	17.91	11	7.32			0	0
456	सी आई एस एफ	राजस्थान	संख्या में 02, 180 पुरूष बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	6	8	499.49	37	12.16	6	69.49	41	(-)100 से 983	77.9	0
457	सी आई एस एफ	राजस्थान	आर.टी.सी के लिए 107 क्वार्टर (टी।।84, टी ।।। 20, टी ।v 02 एवं टी v 01)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	7	8	857.02	33	43.04	16	10.14	20	(-)100 से 200	147	0
458	सी आई एस एफ	राजस्थान	गैर-आवासीय इमारतों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	4	7	1078.4	87	1.39	5	84.4			0	0
459	सी आई एस एफ	राजस्थान	परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	1	10	180.52	4	2.26	6	20.69	24	(-)100 से 600	15.4	0
460	सी आर पी एफ	गुजरात	60 महिला बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	36	76	4	94.65	28	3.68		0	1	1300	1.29	0
461	सी आर पी एफ	गुजरात	नर्मदा जल के संग्रहण एवं संवितरण हेतु जल आपूर्ति लाइन एवं भूमिगत नाबदान का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	9	4	98.6	5	0.61		0	1	50	0.09	0
462	सी आर पी एफ	गुजरात	सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र प्रदान करना एवं संस्थापित करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	13	19	84.31		0		0			0	0
463	सी आर पी एफ	राजस्थान	386 विभिन्न प्रकारों के पुराने परिवार क्वार्टरों (टी/।-84, टी/।।-290 एवं टी/।।।-12) में तार की जाली के दरवाजों एवं खिड़कियों को प्रदान करना एवं लगाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	14	5	98.97	10	11.3		0	50	(-)100 से 50	68.1	0
464	सी आर पी एफ	दिल्ली	विकास एवं थोक सेवाएं कादरपुर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	14	2502	9	83.57		0	11	47 से 339	52.8	5.06
465	सी आर पी एफ	दिल्ली	मुख्य गांव सड़क कादरपुर मे जी.सी. को जोड़ने के लिए पहुँच सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	25	24	3	65.29	3	10.74	1	0.01	6	52 से 117	3.93	0.78
466	सी आर पी एफ	दिल्ली	कादरपुर हरियाणा में 699 क्वार्टरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	6	14	3106	16	3.89		0	148	(-) 100	275	0

467	सी आर पी एफ	हरियाणा	पश्चिमी ओर पर परिसर की दीवार का निर्माण तथा मौजूदा चारदीवारी की ऊँचाई लगभग 2100 मीटर की लम्बाई को बढ़ाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	10	117.09		0		0			0	0
468	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	संख्या में 117 परिवार के क्वार्टर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	2	62	396	12	6.02		0	52	30 से 547	28.5	0
469	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	संख्या में 03, 180 पुरूष बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	6	7	873	4	11.58		0	55	30 से 1075	34.4	8.02
470	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	04 नल्लाह आर.सी.सी नाबदान सेवाएं प्रशासनिक एवं क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	25	15	28	918.47	44	19.77	5	9.78	40	30 से 1100	37.2	6.5
471	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	भूमिगत नाबदान, लाइनों एवं सी.जी.आई. शीट छतबंदी प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	3	7	74.35		0		0			0	0
472	सी आर पी एफ	पजांब	हीरा नगर में परिसर की दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	63.98		0		0			0	0.56
473	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	चारदीवारी नगरोटा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	6	23	185.9	1	12.64		0	2	102 से 3522	0.68	0.75
474	सी आर पी एफ/	पजांब	पहुँच सड़क, 180 पुरूष बैरेक हल्लोमाजरा के लिए जल आपूर्ति एवं मलजल निपटान का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	6	177		0		0			0	0.65
475	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	एफ.टी.आर. मुख्यालय, बी.एस.एफ बारामूला में कांटेदार तार की बाड के साथ चारदीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	0	5	129.3		0		0			0	0
476	आई टी बी पी	हरियाणा	बी टी सी में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	187		0		0			0	0.04
477	आई टी बी पी	जम्मू एवं कश्मीर	21 वें बटालियन में 120 पुरूष बैरेक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	0	21	73.2	21	8.16	8	4.51	11	30 से 423	1.47	2.78
478	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	आर टी सी के लिए इनडोर खेल परिसर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	329.15		0		0			0	0
479	सी आर पी एफ	केरल	आर टी सी III पेरिनगोम, कन्नूर का विकास एवं थोक सेवा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	10	1543.58		0		0			0	0

480	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	180 पुरूष बैरेक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	14	964.75		0		0			0	0
481	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	थोक सेवाओं को प्रदान करना एवं निर्माण कार्य विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	8	0	475.41		0		0			0	0
482	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	पुर्नसर्वेक्षण के पश्चात् अतिरिक्त क्षेत्र हेतु कंटीले तार के बाड़ के साथ चारदीवारी के निर्माण हेतु जारी संशोधित संस्वीकृति	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	4	218.84		0		0			0	0
483	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	फायरिंग रेंज का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	9	3	160.23		0		0			0	0
484	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	50 महिला एस ओ. एस के लिए प्रशिक्षु छात्रावास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	4	8	325.9		0		0			0	0
485	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	मनोरंजन हॉल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	2	7	95.42		0		0			0	0
486	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	संख्या में 4, पुरूषों के 60 बैरेकों, एस.ओ. एस छात्रावास एवं 60 महिला बैरेक में मच्छर रहित दरवाजे का शट्टर प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	7	7	96.78		0		0			0	0
487	सी आर पी एफ	केरल	जी.सी., सी. आर.पी.एफ., पल्लीपुरम, त्रिवेंद्रम में यू.जी केबलों के साथ ओ.एच विद्युत लाइनों का बदलना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	38	15	69.54	2	9.21	2	3.21			0	0
488	सी आई एस एफ	ओडिशा	आर.टी.सी हेतु दस बैड वाला अस्पताल	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	120		0		0			0	0
489	सी आई एस एफ	ओडिशा	आ.टी.सी. हेतु 05 मकानों (टाईप v-01 तथा टाइप Iv-04) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	70.73		0		0			0	0
490	सी आई एस एफ	ओडिशा	आर टी सी हेतु फाईरिंग रेंज का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	71.19		0		0			0	0
491	सी आई एस एफ	ओडिशा	आर टी सी हेतु फोर्टवाल	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	87.87		0		0			0	0
492	सी आई एस एफ	झारखण्ड	एफ एस टी आई, सी आई एस एफ, हाकिमपेट, हैदराबाद हेतु प्रदर्शन दीवार सहित फायर अभ्यास मैदान तथा कमरों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	29	0	12	159	15	4.08	8	6.66			0	0

493	सी आर पी एफ	तेलंगाना	312 परिवार मकानों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	21	29	1947		0		0			0	0
494	सी आर पी एफ	तेलंगाना	180 टाईप-।। मकानों (पार्ट-। एवं पार्ट-।।) का निर्माण, ग्रुप केन्द्र, सी आर पी एफ हैदराबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	8	989.93	23	10.91	4	0.96	18	30	35	0
495	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जल निकासी उपचार संयंत्र का निर्माण - बागवानी उद्देश्य हेतु सी आई पाईप लाईन ग्रिड डालना/ए.जी. एम टी टी सं.:55/ईई/एच सी डी-।/2007-08	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	26	44.33		0		0			0	0
496	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जी.सी. जवाहरनगर, हैदराबाद हेतु 248 परिवार मकानों (टाईप-।। 240 तथा टाईप-।।।-8) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	0	4	1445	46	21.26	14	0.56			0	0
497	सी आर पी एफ	ओडिशा	115 परिवार मकानों, टाईप/।।-97 टाईप/।।।-14 टाईप/।v-4 का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	0	588.53		0		0			0	0
498	सी आर पी एफ	बिहार	प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण, जी.सी मुजफ्फरपुर, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	10	10	17	161.08		0	2	0.14			0	0
499	सी आर पी एफ	बिहार	चार 180 पुरूष बैरेक का निर्माण, जी सी, मुजफ्फरपुर, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	4	10	90	1346.66		0	2	13.19			0	0
500	सी आर पी एफ	बिहार	23 परिवार मकानों (टाईप/1-2, टाईप/।।-12, ।।।-7,।v-2), ब्लॉक सेवाएं, मुख्य द्वार, गार्ड रूम, विकास निर्माण कार्य, तथा परिसर दीवार का निर्माण सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	361.36	10	0.04		0	140	31 से 1739	0.07	0
501	सी आर पी एफ	बिहार	आई जी पी/डी जी पी, सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार हेतु प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	6	17	275.87	22	0.51	2	0.06	101	309 से 594	0.38	0
502	सी आर पी एफ	बिहार	दीघा सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार में आई.जी./डी.आई.जी.पी हेतु एस.ओ.एस मैस एवं ओ.आर. मैस (4 मंजिल की) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	16	30	314	23	0.11	5	0.01	130	31 से 1600	0.95	0

503	सी आर पी एफ	बिहार	15 टाईप/I-2. II-7,III-5 एवं Iv-1 का निर्माण, सेक्टर मुख्यालय, पटना, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	4	13	7	104		0		0			0	0
504	आई टी बी पी	झारखण्ड	97 परिवार मकानों (टाईप/II-96, टाईप/v-01) का निर्माण (सब स्टेशन से परिवार मकानों तक बाहरी विद्युतीकरण कार्य तथा टयूबवैल की संस्थापना 20.2.2009)	एन.बी.सी.सी.	0	8	3	683.7		0		0			0	0
505	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	104 वीं बटालियन आर ए एफ अलीगढ़ हेतु 60 महिलाओं की बेरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	18	3	88	33	0.03	6	0.01	75	44	0.18	0
506	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	250 परिवार मकानों (टाईप/II-240, Iv-8, v-2) का निर्माण जी.सी इलाहाबाद	सी पी डब्ल्यू डी	0	7	8	1809	13	0.55	1	0.04	25	44	0.92	1.19
507	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	20 बैड वाले अस्पताल का निर्माण उ.प्र.	सी पी डब्ल्यू डी	49	9	1	368	34	0.01		0	30	45	0.97	0.08
508	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	एम टी गैरेज तथा वर्कशॉप लखनऊ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	13	306	3	0.05	4	0.29	50	55	35	0
509	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	278 (टाईप/I-12 एवं टाईप/II-266) परिवार मकानों का निर्माण लखनऊ	सी पी डब्ल्यू डी	3	24	3	1110	44	0.38	6	0.09	84	904	0.95	0
510	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	डी.आई.जी.पी कार्यालय जी सी लखनऊ का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	4	6	145	26	0.02		0	35	45	0.19	0.07
511	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	विकास एवं थोक सेवाएं (केवल सिविल निर्माण कार्य) मेरठ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	569		0		0			0	0
512	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	15 वॉच लोवर एवं गार्ड कक्ष का निर्माण रामपुर	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	3	50	16	0.05		0	43	(-)100 से 90	0.14	0
513	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	सीमा दीवार एवं गार्ड कक्ष सहित निगरानी टावर का निर्माण तथा कन्सर्टीना तार प्रदान करना रामपूर	सी पी डब्ल्यू डी	1	1	3	69	9	0.07		0	8	46	0.09	0
514	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	104वीं बटालियन आर ए एफ अलीगढ़ में स्थल विकास तथा थोक सेवाओं का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	14	73	834		0	0	0	7	33 से 124	63	0.08

515	सी आर पी एफ	उत्तर प्रदेश	एक 60 महिलाओं की बैरेक का निर्माण, 101 आर ए एफ इलाहाबाद	सी पी डब्ल्यू डी	1	12	2	139	45	0.03		0			0	0.11
516	आई टी बी पी	उत्तराखंड	मिर्थी में 10 बैड वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	5	12	179	36	0.06		0			0	1.34
517	आई टी बी पी	उत्तराखंड	एम एवं एस आई औली में क्यू जी., क्यू.एम. भण्डार तथा एम आई कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	2	10	401	10	0.02		0	33	312	0.19	3.36
518	एस एस बी	बिहार	9वीं बटालियन, सीतामढ़ी के अंतर्गत मज़रगंज मे बी ओ पी बिल्डिंग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	489		0		0			0	0
519	एस एस बी	बिहार	9वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत मधुबनी में मुख्यालय कामला में बी.ओ.पी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	0	456	5	0.02		0			0	0
520	एस एस बी	उत्तराखंड	बटालियन मुख्यालय अलमोड़ा मे आवासीय मकानों (टाईप/।v-2,टाईप/।-12) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	7	8	131		0		0			0	0
521	ए आर	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर में 18 असम राइफल्स हेतु 18 एम एम मोटर सिमुलेटर का प्रावधान	विभागीय		2	6	55.93	4	1.07		0			0	0
522	ए आर	मणिपुर	टी/कैम्प मीनूथोंग हेतु आर.सी.सी प्लेटफार्म के उपर भोजन कक्ष तथा मनोरंजन केन्द्र का विस्तार	विभागीय	9	1	2	उ.न.		0		0			0	0
523	ए आर	मिजोरम	खातला, एजवाल में मुख्यालय 23 सेक्टर ए आर हेतु मनोरंजन कक्ष का निर्माण	विभागीय		#मूल्य	5	54		0		0			0	0
524	ए आर	नागालैंड	कोहिमा में 26 ए आर हेतु परिवार क्ल्याण केन्द्र के लिए डब्ल्यू के. प्रदान करना	विभागीय		#मूल्य	2	36.3		0		0			0	0
525	ए आर	त्रिपुरा	अगरतला में 35 ए.आर. की सिगनल एक्सचेंज तथा मैगज़ीन इमारत हेतु सर्ज संरक्षण का प्रावधान	विभागीय		#मूल्य	2	23.02		0	1	1.99			0	0

526	बी एस एफ	दिल्ली	मोड्युलर वर्क स्टेशन का निर्माण	विभागीय	0	2	2	59.01		0		0			0	0.63
527	बी एस एफ	दिल्ली	एयर विंग स्टाफ हेतु कार्यालय स्थान का निर्माण	विभागीय	0	1	1	58.91		0		0			0	0.64
528	बी एस एफ	दिल्ली	कोरिडोर में फलोरिंग टाईलों को लगाना	विभागीय	0	2	4	50.73		0		0			0	0.55
529	बी एस एफ	दिल्ली	टाईप-I मकानों का नवीकरण छावला	विभागीय	0	5	2	59.68		0	9	2.43	59	(-) 100 से 1465	19.2	0.65
530	बी एस एफ	दिल्ली	टाईप-II मकानों का नवीकरण छावला	विभागीय	0	6	4	59.56	15	5.16		0	30	(-) 100 से 744	24.4	0.64
531	बी एस एफ	असम	एफ आर मुख्यालय, बी एस एफ गुवाहटी के अंतर्गत बी एस एफ परिसर पटगांव में एक 120 पुरूष बैरेक (एफ.टी.आर. मुख्यालय द्वारा उपयोग की जा रही) का नवीकरण/सुधार	विभागीय	9	4	1	21.08	1	0.19		0			0	0.11
532	बी एस एफ	गुजरात	गांधीधाम में बी.एस.एफ परिसर हेतु 209 आवासीय मकानों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	9	47	40.1	4	4.28		0	2	38.47	0.11	0
533	बी एस एफ	गुजरात	जवान बैरेक सी एच डी एच, के एस एम. हेतु 04 प्री फैब संरचनाओं तथा एस एच क्यू, बी एस एफ, भुज के अंतर्गत 157 बटालियन बी एस एफ (मरीन बटालियन) के बी ओ पी सं.5 (ग्राम कोसा के निकट) में पी.सी/सी.सी कक्ष का निर्माण	विभागीय	0	0	3	30.57		0		0			0	0
534	बी एस एफ	गुजरात	04 अपूर्ण जी ओ एस का निर्माण	विभागीय	0	0	12	32.76	13	4.7	7	2.11	35	31 से 400	4.88	0
535	बी एस एफ	गुजरात	जवान बैरेक हेतु 04 प्री. फैब सरंचनाओ, एस एच क्यू, बी एस एफ भुज के अंतर्गत 157 बटालियन बी एस एफ (मरीन बटालियन) के बी ओ पी सं.1 (मीठा पोर्ट जखाऊ) में पी सी /सी सी कक्ष का निर्माण	विभागीय	0	0	3	30.57		0		0			0	0

536	बी एस एफ	गुजरात	एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ, गांधीनगर, गुजरात के अंतर्गत 133 बटालियन (अब 107) हेतु 03 मेगज़िन बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	0	0	19	23.78	5	0.88		0	13	31 से 255	3.27	0
537	बी एस एफ	हरियाणा	बी.एस.एफ. परिसर, हिसार में टाईप। मकान सं.1 से 100 तक तार की जाली वाले दरवाजे तथा खिड़की के शटर प्रदान करने का निर्माण ₹21.72 लाख	विभागीय	0	18	2	48		0		0			0	0.45
538	बी एस एफ	हरियाणा	बटालियन मुख्यालय 33 बटालियन बी.एस.एफ. हिसार मे ड्रिल शैड का निर्माण ₹59.93 लाख	विभागीय	0	15	11	60		0		0			0	0.59
539	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मिर	बी एस एफ परिसर जम्मू को प्रति मीटर सुरक्षा प्रकाश प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	0	0	10	27		0		0			0	0.25
540	बी एस एफ	कर्नाटका	एस टी सी, बी एस एफ कोलूरू में मौजूदा टाईप ।। मकानों (71), टाईप ।।। (10) टाईप।।। कोटेज (03) तथा टाईप ।v (07) के दरवाजों तथा खिड़कियों को तार गेज शटर प्रदान करने तथा लगाना	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	26.82	4	1.47		0			0	0.29
541	बी एस एफ	कर्नाटका	82 वी बटालियन, बी.एस.एफ. काराहल्ली हेतु आवासीय तथा गैर-आवासीय स्थान हेतु 10 अर्ध स्थायी सरंचनाओं का निर्माण	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	59.99	6	1.36	2	1.33			0	0.58
542	बी एस एफ	कर्नाटका	काराहल्ली में 82वी बटालियन बी एस एफ हेतु हल्के/मध्यम तथा भारी वाहन गरेज का निर्माण	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	59.96	4	1.79		0			0	0.66
543	बी एस एफ	कर्नाटका	एस टी सी, बैगंलूरू में मौजूदा टाईप । स्टाफ मकानों (120) का सुधार	विभागीय	उ.न.	उ.न.	0	58.36	1	0.06	3	0.22			0	0.33

544	बी एस एफ	केरल	के.एल.पी. 163वीं बटालियन, त्रिशूर हेतु 2 मैगजिन का निर्माण	विभागीय	0	0	8	45.8	5	10.29		0			0	0
545	बी एस एफ	केरल	एस.एच.क्यू, मुट्टाथारा, त्रिवेंद्रम मे टाईप v मकानों का निर्माण	विभागीय	0	0	9	49.11	19	3.37	12	2.11			0	0
546	बी एस एफ	मणिपुर	एस.एच.क्यू, बी एस एफ सी आई (ओ पी एस) मणिपुर के अतर्गत बी एस एफ सी सी पुर की 140वीं बटालियन की स्थापना हेतु संचार ढांचा तथा एम टी फ्लीट हेतु 5 अस्थायी सरंचनाओं का निर्माण	विभागीय		#मूल्य	0	36.36		0		0			0	0
547	बी एस एफ	मेघालय	ए एवं एम के अतंर्गत बी एस एफ परिसर अपंलिंग में टाईप ।। (04) मकानों (डबल स्टोरी) का निर्माण	विभागीय		2	20	48.02	13	6.45		0	64	(-)100 से 344	8.31	6.02
548	बी एस एफ	पजांब	4 ट्रंसिट स्वीट का निर्माण जालंधर	विभागीय	0	0	0	37		0		0			0	0.36
549	बी एस एफ	पजांब	वर्टीकल विस्तार का निर्माण, जालधंर	विभागीय	0	0	0	25		0		0			0	0
550	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	बी ओ पी विजेता बिजनौर, मजनू एवं खेरूवाला-64 वी बटालियन बी एस एफ मे जवान बैरेक का निर्माण	विभागीय	0	14	3	57.83	15	9.41		0	10	(-)100 से 854	10.3	0
551	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	66वीं बटालियन बी एस एफ के बी ओ पी जगदेव में जवान बैरेक, रसोई घर सह भोजन कक्ष, प्रशा. ब्लॉक तथा कोटे भण्डार एवं मैगजिन ब्लाक का निर्माण	विभागीय	0	2	9	39.38	6	0.15		0			0	0
552	बी एस एफ	जम्मू एवं कश्मीर	एस क्यू एच बी एस. एफ जैसलमेर (एस.) के अंतर्गत 194 वी बटालियन बी एस एफ के बी ओ पी नालका में प्रशासनिक ब्लाक तथा के एस एम का निर्माण	विभागीय	0	1	30	39.67		0		0			0	0
553	बी एस एफ	राजस्थान	एफ टी आर मुख्यालय बी एस एफ राजस्थान में टाईप। (44) मकानों के सुधार का निर्माण कार्य	विभागीय	0	5	5	38.96	10	1.17	2	0.16	2	(-) 100 से 260	10.8	0

554	बी एस एफ	राजस्थान	एस टी सी, बी एस एफ, जोधपुर की रि-कार्पेटिंग ड्रिल स्केबर पेरेड ग्राउडं	विभागीय	0	2	4	47.24		0	0	0	3	-100	2.9	0
555	बी एस एफ	त्रिपुरा	19 वीं बटालियन बी एस एफ परिसर, सलबागन, एस एच क्यू, बी एस एफ, गोकुलनगर में प्रशासनिक ब्लॉक का नवीकरण/सुधार	विभागीय			3	32.82	19	3.25		0	18	(-) 100 से 98	4.01	0.21
556	बी एस एफ	यू के	एस ओ आवास (जी.I) बी. एस एफ परिसर मरखाम ग्रांट-II देहरादून का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	1	29		0	0	0	21	458	0.07	0
557	बी एस एफ	यू के	प्रि-फेब्रिकेटड माड्यूलर बटालियन मुख्यालय देहरादून सहित एकल एस ओ आवास का निर्माण	एन बी सी सी	0	0	0	25		0		0			0	0.21
558	बी एस एफ	यू पी	बटालियन मुख्यालय बी एस एफ मथुरा हेतु मैगजिन बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	0	1	5	60	1	0.01		0			0	0
559	बी एस एफ	यू पी	बी एस एफ परिसर बाद, मथुरा के परिधि बाडे का निर्माण	विभागीय	0	2	4	33		0		0			0	0
560	बी एस एफ	यू पी	97 वीं बटालियन बी एस एफ लखनऊ में 2 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	विभागीय	1	0	6	11	1	0.1		0			0	0
561	बी एस एफ	पश्चिम बंगाल	बाढ़ क्षति मरम्मत (बी पी -358 एम पी से बी पी 357 एम पी)	सी पी डब्ल्यू डी	2	0	1	23.57	1	0.05		0	1	245	0.18	0
562	बी एस एफ	महाराष्ट्रा	एस टी सी चाकुर में अतिरिक्त आर टी सी हेतु मूल अवसरंचना (जैसे शौचालय ब्लॉक, बाथिगं पोइंट, आर ओ प्लांट सी एल पी एवं गहरा ट्यूबवैल) का निर्माण	विभागीय	0	0	3	55.61	10	0.34	16	1.56			0	0.5
563	बी एस एफ	महाराष्ट्रा	एस टी सी, बी एस एफ, चाकुर में अतिरिक्त एस टी सी हेतु 08 अर्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण	विभागीय	0	0	5	54.99		0		0			0	0.52

564	बी एस एफ	महाराष्ट्रा	मुख्यालय क्वाट, एस टी सी, बी एस एफ, चाकुर में प्रत्येक क्वाय ए, बी, सी, डी, ई हेतु 10 सीट वाले डब्ल्यू सी ब्लॉक का निर्माण	विभागीय	0	0	1	28.19		0		0			0	0.23
565	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी में प्रवेश द्वार का निर्माण, बी एस एफ टेकनपुर	विभागीय	0	2	3	59.94	12	1.31	2	3.22			0	0.65
566	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी में खुले सभागार में स्टील ट्रसस तथा छत को प्रदान करने एवं खड़े करने का निर्माण	विभागीय	0	1	3	59.89	1	3.25	2	9.09			0	0.65
567	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी में बोना द्वार से विधवा के मकानों तक सुरक्षा बाढ़ 5.35 कि.मी. का निर्माण	विभागीय	0	17	4	59.93	3	1		0			0	0.36
568	बी एस एफ	म.प्र	अकादमी हाउस के सामने तथा अधिकारी कालोनी से उ.न.च-75 की ओर सुरक्षा सह सीमा दीवार का निर्माण	विभागीय	0	30	7	59.83	7	2.71		0			0	0.62
569	बी एस एफ	म.प्र	टी.एस.यू., बी एस एफ अकादमी में 39 टाईप II मकानों के सुधार का निर्माण	विभागीय	0	2	16	59.99	3	0.48	2	1			0	0.29
570	बी एस एफ	तमिलनाडु	गार्ड कक्ष का निर्माण	विभागीय	0	0	5	15.39		0		0			0	0
571	सी आई एस एफ	दिल्ली	साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, नर्सिंग स्टेशन, एक्स-रे कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	6	3.41		0		0			0	0
572	सी आई एस एफ	दिल्ली	महिपालपुर नई दिल्ली में मैस (भोजन कक्ष) हेतु 2 पोर्टेबल हटों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	7	0	42	16	2.06	2	4.01	12	41 से 214	8.8	0
573	सी आई एस एफ	दिल्ली	सी आई एस एफ परिसर साकेत में कोटा पत्थर के फर्श का प्लेटफार्म तथा कैन्टीन के पास एस एस रोलिंग प्रदान करके अस्पताल की बिल्डिंग एवं फिजियोथेरेपी कक्ष के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	8	13	24.59	35	9.86	1	0.32	61	(-) 50 से 1624	6.64	0

574	सी आई एस एफ	दिल्ली	महिपालपुर में 13 पोर्टेबल हटों का विद्युतीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	5	10.07	13	1.6	1	3.15	7	(-60) से 154	3.09	0
575	सी आई एस एफ	दिल्ली	महिपालपुर में मैस हेतु रसोई घर तथा राशन भण्डार के लिए पोर्टेबल हटों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	7	3	21.07		0		0			0	0
576	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	आर टी सी, सी आई एस एफ, भिलाई हेतु 2 ड्रिल शैडों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	7	3	5	55.11	5	0.75	3	6.08	8	(-) 100 से 498	12	0.57
577	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	भिलाई में बेस वर्कशाप आर टी सी सी आई एस एफ मे शस्त्रागार तथा मैगजिन बिल्डिगं हेतु विभिन्न कार्यों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	4	9	58.01		0	0	0	5	45 से 183	15.2	0.3
578	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	एस ओ, ए टी एम द्वार से कोने तक परिधि दीवार का निर्माण सी आई, एस एफ, आर टी सी, भिलाई	सी पी डब्ल्यू डी	2	3	2	46.22	1	0.11		0	6	(-) 74 से 1176	2.53	0.1
579	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	सी आई एस एफ, आर टी सी, भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	9	310	19	1.21	2	0.35	111	(-)100 से 600	6.61	0.5
580	सी आई एस एफ	छत्तीसगढ़	डी टी एस, बिल्डिंग का निर्माण, आर टी सी, सी आई एस एफ, भिलाई	सी पी डब्ल्यू डी	12	6	5	20.32	11	0.65		0	18	(-)100 से 546	1.56	0
581	सी आई एस एफ	म.प्र	गैर-आवासीय क्षेत्र बरवाहा में सड़कों की रि-कार्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	1	7	27.42		0		0			0	0
582	सी आई एस एफ	म.प्र	आवासीय क्षेत्र, बरवाहा में सड़कों की री-कार्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	7	27.02		0		0			0	0
583	सी आई एस एफ	म.प्र	पुराने परिसर, बरवाहा की चोराल नदी के किनारे के साथ चैन लिंक एवं कंटीले तार की बाड़ प्रदान करना तथा लगाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	3	28.7	1	2.74		0			0	0
584	सी आई एस एफ	म.प्र	सी आ एस एफ, आर टी सी बरवाहा हेतु डब्ल्यू टी ग्राउंड के पास गिरी हुई परिसर की दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	1	2	21.25	2	1.16		0			0	0
585	सी आई एस एफ	म.प्र	सी आई एस एफ, बरवाहा की गैर-आवासीय बिल्डिगों की आवश्यक मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12	1	5	15.69		0		0			0	0

586	सी आई एस एफ	राजस्थान	क्वार्टर गार्ड, दियोली के आस पास चैन लिंक बाड़ प्रदान करने तथा डालने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	1	4	28.9	3	0.47		0	3	(-) 100 से 168	1.6	0
587	सी आई एस एफ	राजस्थान	सी आई एस एफ, परिसर आर टी सी-। दियोली में वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	3	4	23.02	1	0.19		0	2	(-) 100 से 50	3.78	0
588	सी आई एस एफ	राजस्थान	सेरेमोनियल परेड ग्राउंड दियोली में शेष कार्य का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	2	3	42.05	8	2.34		0	2	(-) 100 से 115	4.87	0
589	सी आई एस एफ	राजस्थान	समेंटरी ग्राउंड दियोली के चारों और सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	21	18.67	4	0.53		0	5	(-)90 से 196	1.76	0
590	सी आई एस एफ	राजस्थान	सी, कॉय से नेक चाल मंदिर, सी पी डब्ल्यू डी कार्यालय से अजमेरी गेट तथा अजमेरी गेट से युद्ध स्मारक दियोली तक स्ट्रीट लाईट	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	2	5	38.26		0	0	0	4	-73 से 107	2.02	0
591	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	आर बी क्षेत्र में आंतरिक सड़कों पर पुन सतह चढ़ाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	0	57.38		0		0			0	0
592	सी आई एस एफ	तेलंगाना	एन आई एस ए, सी आई एस एफ, हकीमपेट, हैदराबाद के द्वार सं.2 से एम टी अनुभाग तक सीमा दीवार की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाना, कंटीले तार लगाना आदि	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	2	3	46.24		0		0			0	0
593	सी आई एस एफ	तेलंगाना	हकीमपेट में एन आई एस ए, सी आई एस एफ के सेरीमोनियल परेड ग्राउंड में दर्शक दीर्घा (दूसरी ओर) का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	1	37.17	12	6.13	1	0.88			0	0
594	सी आई एस एफ	तेलंगाना	हकीमपेट, हैदराबाद में एन आई एस ए, सी आई एस एफ की गैर-आवासीय बिल्डिंगों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	1	29.83	14	4.17		0			0	0
595	सी आई एस एफ	तेलंगाना	एन आई एस ए में प्रशिक्षणार्थीयों हेतु 200 बिस्तर वाली अर्ध-स्थायी बैरेकों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न	उ.न	29.63		0	1	3.19			0	0

596	सी आई एस एफ	यू पी	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में तार के बाड़ वाली सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	1	45		0	0	0	8	164	11	0
597	सी आई एस एफ	यू पी	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में मुख्य द्वार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	18	15	1	0.01		0	22	317	0.07	0
598	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	चार बोरवेलों का निर्माण-2011-2012 -रु18.92 लाख	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	2	18.92		0		0			0	0
599	सी आई एस एफ	तमिलनाडु	जी.ओ में फाल्स सीलिंग वर्टीफाइड़ टाइलें प्रदान करने तथा विविध कार्य संबंधी निर्माण कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	0	14.08		0		0			0	0
600	सी आर पी एफ	दिल्ली	मौजूदा सीमा दीवार के एस टी आर का निर्माण, महावीर नगर नई दिल्ली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	5	4	46.08	38	10.48		0	17	(-)45 से 1038	7.01	0
601	सी आर पी एफ	दिल्ली	वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का निर्माण झड़ौदा कला, नई दिल्ली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	16	28.05	13	4.52		0	3	(-) 100 से 1414	9	0
602	सी आर पी एफ	दिल्ली	परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	0	59.76	7	31.5	1	0.02	11	(-) 100 से 116	6.25	0
603	सी आर पी एफ	दिल्ली	10 स्कवाड़ पोस्टों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	5	2	53.33	8	10.56		0	8	44 से 110	4.48	0
604	सी आर पी एफ	दिल्ली	परिधि दीवार के साथ सुरक्षा रोशनी प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	3	7	44.52	10	88.6		0	13	(-)90 से 825	63.1	0
605	सी आर पी एफ	असम	जी सी, सी आर पी एफ, गुवाहटी-23 की सड़कों/गलियों का रि-कार्पेटिंग करके विकास मरम्मत का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	9	2	35.26	2	1.83	1	0.09	4	(-)100 से 30	0.56	0.21
606	सी आर पी एफ	छत्तीसगढ़	बिलासपुर में बीन प्रकार की मैगजिन का निर्माण जी सी सी आर पी एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	8	29.79		0	0	0	15	- 100 से 351	2.25	0
607	सी आर पी एफ	गुजरात	गांधीनगर में मौजूदा परिसर दीवार के सुदृढ़ीकरण का निर्माण तथा जी सी, सी आर पी एफ के परिसर के चारो ओर परिसर दीवार के टूटे हुए भाग के स्थान पर नई परिसर दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	9	8	58.21		0		0			0	0

608	सी आर पी एफ	गुजरात	जी.सी, सी आर पी एफ गांधीनगर में आंतरिक सड़कों की रि-कार्पेटिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	1	44.98	1	0.31		0			0	0
609	सी आर पी एफ	गुजरात	जी सी, सी आर पी एफ परिसर गांधीनगर में परिसर दीवार के चारों ओर पैट्रोलिंग हेतु 3 मीटर चौड़ी कच्ची परिधीय सड़क का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	22	5	53.08	4	6.2	1	8.44	1	216	0.09	0
610	सी आर पी एफ	गुजरात	100 वीं बटालियन, आर ए एफ., बस्त्राल, अहमदाबाद हेतु बिन प्रकार की मैगजिन बिल्डिंग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	30	11	4	30.32	2	0.21	1	3.4	2	31 से 75	0.1	0
611	सी आर पी एफ	गुजरात	100वीं बटालियन, आर ए एफ, बस्त्राल, अहमदाबाद हेतु अनाज गोदाम सह शापिंग सेटंर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	30	6	36.48		0		0			0	0
612	सी आर पी एफ	हरयाणा	जी सी, सी आर पी एफ पिंजौर मे हर्नाल के वार्म आउट भागों एवं मुख्य सड़क की मरम्मत एवं रि-कार्पेटिंग	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	18	0	0	33.8		0		0			0	0
613	सी आर पी ई	जम्मू एवं कश्मीर	विशेष डी जी जम्मू हेतु कार्यालय कैविन बनाने हेतु एल्यूमिनियम विभाजन प्रदान करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	1	8		0		0			0	0
614	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	सी आर पी एफ परिसर नगरोटा हेतु सीमा दीवार के साथ खुली सतह निकासी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	1	22		0		0			0	0
615	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	जी सी, सी आर पी एफ लथपोरा में धोबी घाट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	0	4	57		0		0			0	0
616	सी आर पी एफ	जम्मू एवं कश्मीर	सी आर पी एफ परिसर बंतालाब को ए आर तथा एम ओ	सी.पी.डब्ल्यू.डी. सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न. 0	0	0	11		0		0			0	0
617	सी आर पी एफ	झारखंड	209, कोबरा बटालियन कुंती हेतु विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण			उ.न	2	90.68		0		0			0	0

618	सी आर पी एफ	झारखंड	जी सी, सी आर पी एफ, संबो रांची हेतु बिन प्रकार की मैगजिन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	12	3	33.53		0		0			0	0
619	सी आर पी एफ	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बरही, हजारीबाग हेतु बीन प्रकार की मैगजिन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	10	4	27.61		0		0			0	0
620	सी आर पी एफ	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बारही हजारीबाग हेतु विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	9	5	36.58		0		0			0	0
621	सी आर पी एफ	कर्नाटका	तारलू, बैंगलूरू में 135 आदमियों की बैरेक का निर्माण (अस्थायी सरंचना)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	5	0	59.26		0		0			0	0
622	सी आर पी एफ	केरल	विद्युत नवीकरण (क) 192 टाईप। मकान एवं (ख) 138 टाईप । विशेष मकान सी आर पी एफ पालीपूरम, त्रिवेंद्रम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी. सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0 9	19	17	57.87	2	4.48	1	1.08			0	0
623	सी आर पी एफ	केरल	सी आर पी एफ पेरिगोम, कन्नूर में इंटराक्टिव हथियार प्रशिक्षण हेतु कमरे का निर्माण		9	8	7	0	9	0.41		0			0	0
624	सी आर पी एफ	केरल	नए खुले कुएं एवं निगरानी मिनारों हेतु परिधीय लाईट्स, स्ट्रीट लाईट्स विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का निर्माण-आर टी सी पेरिंगोम	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	11	5	0	18	5.84		0			0	0
625	सी आर पी एफ	महाराष्ट्रा	102वीं बटालियन, आर ए एफ., तलौजा, नवी मुंबई में ड्रेसिग शॉल्जर सहित आंतरिक सड़क की मरम्मत तथा कार्पेटिंग तथा जहां कहीं आवश्यकता है मेसनरी स्ट्रोम जल निकासी प्रदान करने का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	23	22	59.74		0		0			0	0
626	सी आर पी एफ	महाराष्ट्रा	जी सी, सी आर पी एफ, तालेगांव, पुणे हेतु पहाड़ी क्षेत्र तथा जैक वेल के पास में 150 तथा 200 एम एम, सी आई पाईपलाईन का विपथन	सी पी डब्ल्यू डी	2	0	3	48.03		0		0			0	0

627	सी आर पी एफ	महाराष्ट्रा	चितपुर, भान्द्रा मे कोबरा बटालियन हेतु गार्ड कक्ष सहित 7 सतंरी मोर्चों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	0	4	91.72		0		0			0	0
628	सी आर पी एफ	राजस्थान	मासुदा हाउस के अनुरक्षण तथा सौन्दर्य सुधार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	2	2	27.04	29	3.61		0	9	(-)100 से 286	6.69	0
629	सी आर पी एफ	राजस्थान	जी.सी-1, अजमेर में टाईप-।। मकान सं.01 से 48 तक नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	2	5	58.44	37	12.35	1	0.24	7	(-) 100 से 130	8.17	0
630	सी आर पी एफ	राजस्थान	सी आ पी एफ में आवासीय क्षेत्र मे दो बाल उघान के विकास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	29	3	54.36	4	1.3		0	13	(-)100 से 1185	4.35	0
631	सी आर पी एफ	राजस्थान	मौजूदा तलाब के विकास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	3	6	44.08	8	4.16	1	0.09	27	(-)100 से 312	7.67	0
632	सी आर पी एफ	राजस्थान	बैरेक सं 1 से 5 के शौचालयों के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	12	5	46.61	16	9.34		0	56	(-)100 से 656	13.6	0
633	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	जी ओ, ए मैस के पास गार्ड कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	2	2	27.9		0		0			0	0
634	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	6 बौरवेलों की खुदाई तथा सेवा कनेक्शन सहित पम्प सेट प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	0	23.92		0		0			0	0
635	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	आर टी सी अवदी में सभी 4 नव निर्मित अक्टेड ड्रिल शेड तक पहुंच सड़क प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	0	24.11		0		0			0	0
636	सी आर पी एफ	तेलंगाना	16 नए टाईप ।v आवासीय मकानों सी आर पी एफ, हैदराबाद के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	11	12	29.75	28	5.12	12	4.3			0	0
637	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जी सी, सी आर पी एफ, हैदराबाद मे डी आई जी पी रेंज कार्यालय इमारत सहित मुख्य कार्यालय इमारत के सुधार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	11	12	42.69	51	3.72	4	3.6			0	0

638	सी आर पी एफ	तेलंगाना	सी आर पी एफ के गैर-आवासीय क्षेत्र तथा आवासी क्षेत्र मे कुछ स्थानों पर मुख्य सीवर लाईन की मरम्मत/प्रतिस्थापना का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	7	2	**44.33**	5	1.79	9	3.18			0	0
639	सी आर पी एफ	तेलंगाना	972 परिवार मकानों में रसोईघर मे एग्जोस्ट फैन प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	उ.न.	1	44.82	9	1.5		0			0	0
640	सी आर पी एफ	तेलंगाना	जी सी, सी आर पी एफ, जवाहरनगर में बिटुमिनस सड़क की रि-कार्पेटिंग तथा परेड ग्राउंड की सड़क के साथ कर्ब पत्थर प्रदान करने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	15	1	33.96	6	0.83		0			0	0
641	सी आर पी एफ	यू पी	इलाहाबाद में 121 बी ओ ए सी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	39	1	4	29	2	0.03	1	0.01			0	0
642	सी आर पी एफ	यू पी	40 शौचालयों के नवीकरण का निर्माण, इलाहाबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	3	46		0		0			0	0
643	सी आर पी एफ	यू पी	स्ट्रीटं लाईट, पार्क लाईट के नवीकरण का निर्माण, फाफामऊ, इलाहाबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	10	30	6	0.02	2	0.02	7	3536	0.03	0
644	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	जी सी, डी जी पी में क्वार्टर गार्ड हेतु परिधि/सुरक्षा दीवार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	0	12	28.23	2	0.07	1	0.13			0	0
645	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	जी डी, सी आर पी एफ, सिलीगुड़ी हेतु बिन प्रकार की मैगजिन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	26	7	9	29.79	4	0.22	1	1.31	11	34 से 272	18.8	0
646	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	जी सी, सी आर पी एफ, सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	4	5	16		0	0	0	37	- 100 से 766	5.46	0
647	सी आर पी एफ	पश्चिम बंगाल	ग्रुप केन्द्र, सी आर पी एफ., सिलीगुड़ी में प्रशासनिक ब्लॉक के पास साइकल तथा मोटर साइकल शैड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	2	1	19.69	16	4.97		0			0	0
648	सी आर पी एफ	म.प्र	जी सी, सी आर पी एफ हेतु सभी मुख्य द्वारा/कार्यालय/महत्वपूर्ण स्थान के पास स्थायी मोर्चे का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	4	2	44.98	42	4.98		0			0	0
649	सी आर पी एफ	म.प्र	आर टी सी, नीमच हेतु 3 खुले कुंओ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	1	44.97	6	0.81		0			0	0

650	सी आर पी एफ	म.प्र	4 सिग्नल बटालियन के मुख्य कार्यालय तथा सिगनल केन्द्र की फाल्स सीलिंग बदलने का कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	2	4	44.61	24	2.08		0			0	0
651	सी आर पी एफ	म.प्र	कनेतकर बैरेक स.1 एवं 2 सी टी सी, सी आर पी एफ नीमच के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	3	5	44.76	17	2.31	4	0.91	46	36	15	0
652	सी आर पी एफ	म.प्र	जी सी, सी आर पी एफ नया गांव ग्वालियर मे 5 कोटे कक्ष का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	3	27	45.31	11	8.27	3	1.13	35	33	13.6	0
653	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	12 महिला श्यनागार तथा 60 महिला बैरेक के चारो ओर द्वार सहित परिसर दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	3	1	11.49		0		0			0	0
654	सी आर पी एफ	तमिलनाडु	टाईप v। परिवार मकानों हेतु परिसर दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	3	1	20.43		0		0			0	0
655	आई टी बी पी	दिल्ली	सैनिकों हेतु बैठने की गैलरी का निर्माण	विभागीय	0	0	1	36.14		0		0			0	0.26
656	आई टी बी पी	दिल्ली	वी आई पी व्यक्ति हेतु बैठने की गैलरी का निर्माण	विभागीय	0	0	1	36.17		0		0			0	0.26
657	आई टी बी पी	दिल्ली	सीमा दीवार का निर्माण	विभागीय	0 0	0	5	38.66		0		0			0	0.39
658	आई टी बी पी	दिल्ली	परिवार मकानों का निर्माण	विभागीय		0	6	59.97	7	0.3		0			0	0.6
659	आई टी बी पी	दिल्ली	शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण	विभागीय	0	0	3	12.61		0		0			0	0.12
660	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	लूगेर सब-सेक्टर के पैट्रोल मार्ग मे 4 सी जी आई शीट शैड का निर्माण	विभागीय		3	8	36.4		0		0			0	0
661	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	ए टी सी लोहितपुर हेतु 4 भोजन कक्षों का निर्माण	विभागीय		6	4	24.48		0		0			0	0
662	आई टी बी पी	अरूणाचल प्रदेश	सी एल जी तत्पर मोर्चे मे एस ओ निर्वाह आवास स्थान का निर्माण	विभागीय		0	22	13.66		0		0			0	0

663	आई टी बी पी	असम	तेजपुर में 04 प्लास्टिक हटों अथवा भण्डार तथा जवान आवास स्थान प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	#VA!	#VALUE	5	28.02	2	0.15	1	0.64	2	100 से 145	0.11	0
664	आई टी बी पी	हरियाणा	रामगढ़ में 64 टाईप।।। मकानों के नवीकरण का निर्माण-रु39.28 लाख	विभागीय	3	3	3	39		0		0			0	0.3
665	आई टी बी पी	हरियाणा	रामगढ़ में 2 पुरानी 120 पुरुष जवानो की बेरेक के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	1	0	3	33		0		0			0	0.32
666	आई टी बी पी	जम्मू एवं कश्मीर	टाईप 1 /24 तथा टाईप-।।/26 मकानों की छत के नवीकरण का निर्माण, लेह	विभागीय	0	1	4	27		0		0			0	0.27
667	आई टी बी पी	जम्मू एवं कश्मिर	15वीं बटालियन आई टी बी पी लेह मे परिवार मकानों के पास बाल उघान के सुधार का निर्माण	विभागीय	0	1	8	18		0		0			0	0.17
668	आई टी बी पी	झारखंड	आई टी बी पी, रांची हेतु प्रत्येक हट के लिए 1.525 मीटर बरामदा एवं जुड़े हुए 5 डब्ल्यू सी ओर 4 स्नानघर सहित 19.52 मीटर ×6.1 मीटर के आकार के 04 प्री-फेबरिकेटिड हट प्रदान करने का निर्माण एस एच: प्री-फेबरिकेटिड हटो हेतु तल तथा फर्श तैयार करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	8	52.32		0		0			0	0
669	आई टी बी पी	झारखंड	आई टी बी पी, रांची हेतु प्रत्येक हट हेतु 1.525 मीटर बरामदा एवं 5 डब्ल्यू सी और 04 स्नानघर सहित 19.52 मीटर*6.1 मीटर के आकार की 04 प्री-फेबरिकेटिड हट प्रदान करने का निर्माण एस एच: प्री-फेबरिकंटिड हटो की आपूर्ति तथा खड़ा करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	1	12	27.12		0		0			0	0
670	आई टी बी पी	झारखंड	40वीं. बटालियन आ टी बी पी, रांची हेतु गैर आवासीय बिल्डिंग का निर्माण एस एच स्थल एवं ब्लॉक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) का विकास एस एच 50 चक्कर प्रति घण्टे की	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	13	26.92		0		0			0	0

			क्षमता वाले 2 दाब फिल्टर सह आईरन रिमोवल फिल्ट्रेशन संयंत्र प्रदान करना, सस्थांपना, जांच तथा चालू करना													
671	आई टी बी पी	झारखंड	40वीं बटालियन आई टी बी पी, रांची हेतु गैर-आवासीय बिल्डिंग का निर्माण एस एच: स्थल एवं ब्लॉक सेवा (सिविल एव इलेक्ट्रिकल) का विकास, एस डब्ल्यू जल एव भूमिगत हौदी हेतु 100000 लीटर की क्षमता वाले आर सी सी उन्नत सेवा टंकी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	11	58.42		0		0			0	0
672	आई टी बी पी	झारखंड	40वीं बटालियन आई.टी.बी.पी., रांची हेतु गैर-आवासीय बिल्डिंग का निर्माण एस एच: स्थल एवं ब्लक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) का विकास एस डब्ल्यू: 50 कम प्रति घण्टे की क्षमता वाले फ्लोराईड फिल्ट्रैशन उपचार संयंत्र प्रदान करना, सस्थांपना, जांच एवं चालू करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	1	13	31.14		0		0			0	0
673	आई टी बी पी	कर्नाटका	44वीं बटालियन, आई टी बी पी, बेलगांव में अर्ध स्थायी एस ओ मैस का निर्माण	विभागीय	उ.न.	4	0	39.45	8	1.84		0	25	30	0.4	0
674	आई टी बी पी	कर्नाटका	44वीं बटालियन आई टी बी पी, बेलगांव में ओ आर हेतु 02 अर्ध-स्थायी रसोईघर तथा भोजन कक्ष का निर्माण	विभागीय	उ.न.	4	0	30.67	10	3.01		0			0	0
675	आई टी बी पी	म.प्र	वर्षा जल संचयन के माध्यम से आर टी सी परिसर की जल आपूर्ति प्रणाली का सवंर्धन, आर टी सी, आई टी बी पी, करेरा	विभागीय	0	3	3	59.5	7	9.13		0			0	0
676	आई टी बी पी	म.प्र	आर टी सी, आई टी बी पी, केरल में प्रशासन स्टाफ हेतु 01 (एक) डबल स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	1	1	3	55.53		0		0			0	0.57

677	आई टी बी पी	पजांब	0.2 एम एल डी, पटियाला के जल निकासी उपचार संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	0	7	40		0		0			0	0
678	आई टी बी पी	सिक्किम	11वीं बटालियन आई टी बी पी के केरांग पोस्ट में शौचालय सहित जवान रेखा का निर्माण	विभागीय	0	13	17	25.22		0		0			0	0
679	आई टी बी पी	तमिलनाडु	45वीं बटालियन आई टी बी पी में अर्ध स्थायी भण्डार बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	1	1	10	19.02		0		0			0	0
680	आई टी बी पी	तमिलनाडु	बैठक, भोजन कक्ष, रसोईघर पैंट्री तथा भण्डार के प्रावधान के साथ अर्थ-स्थायी प्रकार की जी ओ मैस का निर्माण	विभागीय	1	3	7	42.81		0		0			0	0
681	आई टी बी पी	यू के	ऊपरी रिमखिम तथा निचला लिमखिम लाथल तथा संचुतल्ला पोस्ट मे परिसर के चारो ओर परिधाय बाड़ प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	0	7	3	54		0		0			0	0.52
682	आई टी बी पी	यू के	चैन लिंक 11 मलारी पोस्ट प्रदान करने का निर्माण	विभागीय	0	4	3	51		0		0			0	0.55
683	आई टी बी पी	यू के	8वीं बटालियन गोचर गोचर मे जगराओ पोस्ट मे जवान बेरेक का निर्माण	विभागीय	0	2	19	30		0	2	0.04	13	534	0.02	0.29
684	आई टी बी पी	यू के	8वीं बटालियन गोचर में गस्तोली पोस्ट में जी ओ आवास का निर्माण	विभागीय	0	1	6	25		0		0			0	0.21
685	आई टी बी पी	यू के	23वीं बटालियन देहरादून में बाहरी दीवारों पर मौसमी सतह लगा कर वाटर प्रूफिंग उपचार प्रदान करने का निर्माण तथा 23वीं बटालियन देहरादून में निर्माण	विभागीय	6	3	3	40		0	0	0	1	35	0.04	0.42
686	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर मे शौचालय निवास इकाई का निर्माण	विभागीय	1	1	12	59.98	25	4.77		0			0	0
687	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में पानी की टंकी का निर्माण	विभागीय	1	1	3	39.98	29	4.05		0			0	0

688	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में लॉन टेनिस का निर्माण	विभागीय	4	4	17	35.85		0		0			0	0
689	उ.न.स जी	दिल्ली	मानेसर में रसोईया के घर का निर्माण	विभागीय	0	1	6	14.98	15	3.69		0			0	0
690	उ.न.स जी	दिल्ली	महरम नगर में प्रचालन कक्ष का निर्माण	विभागीय	14	4	9	34.43		0		0			0	0
691	एस एस बी	दिल्ली	स्तर -।। संचार केन्द्र, आर के पुरम नई दिल्ली के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	5	2	4	31.12		0	0	0	22	-100 से 1717	2.65	1.31
692	एस एस बी	दिल्ली	एम टी गार्ड घिटोरनी का निर्माण	विभागीय	0	11	6	15.63	4	3.34		0	37	(-)100 से 2346	6.91	0.16
693	एस एस बी	दिल्ली	कम्प्यूटर शाखा आर के पुरम नई दिल्ली के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	0	0	2	3.67		0	0	0	24	-100 से 216	10.44	0.42
694	एस एस बी	दिल्ली	एस पी कैन्टीन घिटो रनी का निर्माण	विभागीय	0	13	4	26.3	2	0.93	1	4	63	(-)100 से 2650	20.8	0.26
695	एस एस बी	दिल्ली	क्वार्टर गार्ड घिटोरनी के नवीकरण का निर्माण	विभागीय	0	6	9	59.51		0		0			0	0.6
696	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	38वीं बटालियन के अंतर्गत कम्पनी मुख्यालय में 2 एस पी टी 20 पुरूष बैरेक का निर्माण	विभागीय	0	12	7	44.62	12	2.49	6	1.3			0	0
697	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	34वीं बटालियन दिरांग में आंतरिक बिटुमिनस सड़क तथा जल परिबंध पक्की सड़क की मरम्मत तथा रि-कार्पेटिंग का निर्माण	विभागीय			9	14.13	1	0.1		0			0	0
698	एस एस बी	अरूणाचल प्रदेश	38वीं बटालियन तवांग में मध्यम तथा भारी वाहनों हेतु गैरेज का निर्माण	विभागीय	0	10	14	22.75	2	1.19		0			0	0
699	एस एस बी	असम	23वीं बटालियन के अंतर्गत बी ओ पी कालाझार में जवानों हेतु 2 एस पी टी बैरेक का निर्माण (एस एच.-ट्रांसिट कार्मिक हेतु बैरेक)	विभागीय	0	7	4	28.53		0		0			0	9.82

700	एस एस बी	असम	33वीं बटालियन रंगिया में कमांडेन्ट+एक अधिकारी हेतु 01 एस पी टी आवास का निर्माण	विभागीय	0 0	4	4	16.3	5	0.46	6	1.26			0	7.59
701	एस एस बी	हि.प्र	सापरी में कक्षा का निर्माण	विभागीय		0	0	48		0		0			0	0
702 703	एस एस बी	ही.प्र	टेलीकॉम प्रशिक्षण केन्द्र एस एस बी डाउन कोठी, कसूम्पती शिमला (एच पी) में मौजूदा सीवर लाईन को दोबारा डालने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी. सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0 0	0	0	34		0		0			0	0
703	एस एस बी	हि.प्र	डब्ल्यू टी टी सी एस एस बी कसूमपत्ती, शिमला मे मौजूदा बिटुमिनस आंतरिक सड़क के नवीकरण का निर्माण			0	0	16		0		0			0	0
704	एस एस बी	हि.प्र	एस एस बी, कसूमपत्ती, शिमला में 50000 लीटर की क्षमता वाली ऊपरी आर सी सी टंकी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	4	35	14		0		0			0	0
705	एस एस बी	यू के	बटालियन मुख्यालय चम्पावट में कांटे की तार की बाड़ का निर्माण	विभागीय	0	3	3	40	12	0.09		0			0	0.44
706	एस एस बी	यू के	फ्रंटियर मुख्यालय रानीखेत में व्यापारी की दुकान तथा गोदाम का निर्माण	विभागीय	0	20	2	19	30	0.03		0			0	0.2
707	एस एस बी	यू पी	एल/खेरी में प्रीफेब संरचनाओ का निर्माण	विभागीय	0	8	3	60		0	0	0	7	570	0.03	0.63
708	एस एस बी	यू पी	39वीं बटालियन के अंतर्गत बी ओ पी बकांती में स्थाई बिल्डिंग का निर्माण	विभागीय	0	0	15	58	23	0.03		0	53	540	0.03	0.56
709	एस एस बी	यू पी	26वीं बटालियन मुख्यालय पीलीभीत मे प्रारम्भिक अवसंरचना का निर्माण (i) 2 एस पी प्रकार की जवान बैरेक का निर्माण (ii) एस पी प्रकार के शौचालय ब्लॉक-10 का निर्माण	विभागीय	0	3	0	60		0		0			0	0
710	बी एस एफ	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी एस एफ, चाकुर मे 11 अर्ध स्थायी सरंचना का निर्माण	विभागीय	0	0	4	35.86	2	1.58	2	1.73			0	0.34
										3016		**1080**			**8288**	

अनुबंध-1.4

सी.ए.पी.एफ./कार्यकारी एजेंसियों द्वारा अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

(संदर्भ पैरा 1.10)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बल का नाम	कार्य का नाम	प्रदान न किए गए अभिलेख
1.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप हेतु थोक तथा विकास सेवाएं;	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
2.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में ग्रुप केन्द्र तथा अकादमी हेतु प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
3.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य ग्राम सड़क से कादरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
4.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर कंला में परेड ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रो तक जल आपूर्ति लाईने	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
5.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प झाड़ोदा कंला में 3 विधुत उप-स्टेशनों का संवर्धन तथा एच.टी. यू.जी. केबल का बदलना	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
6.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र सी.आर.पी.एफ. परिसर, झाड़ोदा कंला में सुरक्षा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु परिसर की दीवार के साथ सुरक्षा लाईट प्रदान करना	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
7.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र हेतु 699 परिवार मकानों का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
8.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. मुख्यालय, पालम, नई दिल्ली में चारदीवारी का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
9.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विघालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
10.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
11.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. मानेसर में इंडौर शूटिंग रेंज का निर्माण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
12.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	आई.जी.आई. हवाई अड्डे के पास 5 एकड़ भूमि का विकास	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध

13.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विघुतीकरण	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
14.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड में नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
15.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में अस्पताल की इमारत तथा फिजियोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/मरम्मत	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
16.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी सेट प्रदान करना	पी.ई. के प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राहक का अनुरोध
17.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य ग्राम सड़क से कदरपूर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
18.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड़ ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रो तक जल आपूर्ति लाईने	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
19.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
20.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. मानेसर में विघुत प्रणाली का सुधार तथा आधुनिकीकरण	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
21.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपूर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विघुतीकरण	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
22.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड में नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
23.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में अस्पताल की इमारत तथा फिजियोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/मरम्मत	पी.ई. अभिलेखो में नहीं थे
24.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड़ ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रो तक जल आपूर्ति लाईने	ए.ए. एवं ई.एस. अभिलेखों में नही पाए गए थे।
25.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विघुतीकरण	ए.ए. एवं ई.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए गए थे।
26.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड़ ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रो तक जल आपूर्ति लाईने	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
27.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प कादरपुर में 3 विधुत उप-स्टेशनों का संवर्धन तथा एच.टी. यू.जी. केबल का बदलना	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

28.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., इकाई महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विघुतीकरण	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
29.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर, साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	टी.एस. अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।
30.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प कादरपुर में 3 विधुत उप-स्टेशनों का संवर्धन तथा एच.टी. यू.जी. केबल का बदलना	एन.आई.टी. अभिलेखों में नही पाई गई।
31.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य ग्राम सड़क से कदरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
32.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लॉक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.वी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी सेट प्रदान करना	संस्थापना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।
33.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. ग्रुप केन्द्र कादरपुर में परेड़ ग्राउंड तक पहुँच सड़क का निर्माण, आसपास के क्षेत्र का समतलन, बाहरी निकासी कार्य तथा हरित क्षेत्रो तक जल आपूर्ति लाईने	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
34.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प, कादरपुर में टाईप-II तथा टाईप-III मकानों में टायलेट तथा रसोइघर का नवीकरण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
35.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र, कादरपुर में 10 स्कैड पोस्टो का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
36.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ., झड़ौदा कला में टाईप-II,III एवं IV मकानों में सुदृढ़ीकरण तथा रिसाव से बचने हेतु छतो पर वाटर प्रूफिंग उपचार	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
37.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विघालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
38.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर में रसोईघर हेतु पोर्टेबल कुटीर तथा मैस हेतु राशन भण्डार का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
39.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	जी.बी.एस. में सी.आई.एस.एफ. परिसर में मैस हेतु 2 पोर्टेबल कुटीर का निर्माण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
40.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., जी.बी.एस., महिपालपुर, नई दिल्ली में 13 कुटीर का विघुतीकरण	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
41.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर साकेत में सामने की गैलरी में स्वागत सह पंजीकरण काउंटर, अस्पताल के वार्ड नर्सिंग स्टेशन, प्रयोगशाला में रैंक तथा एक्स-रे कक्ष	समापन प्रमाणपत्र अभिलेखो में नहीं पाया गया था।
42.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	103 बटालियन, आर.ए.एफ., सी.आर.पी.एफ. हेतु परिसर की परिधि के साथ चारदीवारी, निगरानी स्तंभ तथा निकासी का निर्माण।	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
43.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	पोर्टेबल जल की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. परिसर तक जी.आई. पाईपलाईन डालना तथा आंतरिक जल आपूर्ति ग्रिड हेतु सी.आई. पाईप लाईन डालना	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।

44.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में सी.आर.पी.एफ. ग्रुप हेतु थोक तथा विकास सेवाएं;	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
45.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में ग्रुप केन्द्र तथा अकादमी हेतु प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
46.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र, कादरपुर में 10 स्कैड पोस्टो का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
47.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	समालंखा, नई दिल्ली में 52, एस.ए.जी. हेतु समेकित सरंचना का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
48.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विघालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
49.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
50.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. मानेसर में इंडौर शूटिंग रेज का निर्माण	श्रम लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।
51.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	पोर्टेबल जल की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. परिसर तक जी.आई. पाईपलाईन डालना तथा आंतरिक जल आपूर्ति ग्रिड हेतु सी.आई. पाईप लाईन डालना	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
52.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प, झाड़ौदा कलां में टाईप-II तथा टाईप-III मकानों में टायलेट तथा रसोइघर का नवीकरण	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
53.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी	एन.एस.जी. मानेसर में इंडौर शूटिंग रेज का निर्माण	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
54.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. में 13 कुटीर का विघुतीकरण	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
55.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर में अस्पताल की इमारत तथा फिजयोथेरेपी कक्ष का नवीकरण/ मरमम्त	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
56.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी सेट प्रदान करना	पाक्षिक श्रम रिपोर्ट
57.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	पोर्टेबल जल की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. परिसर तक जी.आई. पाईपलाईन डालना तथा आंतरिक जल आपूर्ति ग्रिड हेतु सी.आई. पाईप लाईन डालना	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
58.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर को मुख्य विलटाकेन सड़क से कादरपुर तक जोड़ने हेतु पहुँच सड़क का निर्माण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
59.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. कैम्प, झाड़ौदा कलां में टाईप-II तथा टाईप-III मकानों में टायलेट तथा रसोइघर का नवीकरण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख

60.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र सी.आर.पी.एफ. परिसर, झाड़ोदा कंला में सुरक्षा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु परिसर की दीवार के साथ सुरक्षा लाईट प्रदान करना	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
61.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रुप केन्द्र, कादरपुर में 10 स्कैड पोस्टो का निर्माण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
62.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	सी.आर.पी.एफ. परिसर, महावीर नगर, नई दिल्ली में लोहे की ग्रिल तथा	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
63.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विघालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
64.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. में 13 कुटीर का विघुतीकरण	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
65.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. परिसर में अस्पताल की इमारत तथा फिजयोथैरेपी कक्ष का नवीकरण/मरमम्त	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
66.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाइप डी.जी सेट प्रदान करना	कार्य के निष्पादन के दौरान तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख
67.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	कादरपुर में ग्रुप केन्द्र तथा अकादमी हेतु प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण ब्लाक का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
68.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. मुख्यालय, पालम नई दिल्ली में चारदीवारी का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
69.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ भूमि का अर्ध-स्थायी सरंचना का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
70.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	एन.एस.जी.	एन.एस.जी. कैम्प, मानेसर में मॉनटेसरी विघालय हेतु 8 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
71.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	बी.एस.एफ.	बी.एस.एफ. (मुख्या.) ब्लाक नं. 10, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स में दो 320 के.बी.ए. साइलेंट टाईप डी.जी सेट प्रदान करना	बीमा कवर उपलब्ध नहीं था।
72.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण (2004-05)	पी.ई. तथा निर्माण कार्यों के सभी संयोजित अभिलेख (एम.बी. के सिवाए)
73.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	तीसरी आर.बी., सी.आई.एस.एफ., भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	पत्राचार फाईल, डी.ई., विचलन विवरणी की स्वीकृत प्रति, अतिरिक्त मदें विवरणी, एवजी मदें विवरणी, लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी.

74.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., भिलाई में ड्राविंग प्रशिक्षण के संस्थापन हेतु कमरे का निर्माण	पत्राचार फाईले, डी.ई., कार्य आदेश की प्रति, अनुबंध की प्रति, विचलन विवरणी की स्वीकृत प्रति, अतिरिक्त मदें विवरणी, एवजी मदें विवरणी, अंतिम व्यय/एम.बी., लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी, समापन प्रमाणपत्र
75.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., भिलाई हेतु प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	पी.ई., विचलन विवरणी की प्रति, अतिरिक्त मदें विवरणी, ई.ओ.टी.
76.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	ए.सी. शीट छत वाले 6 अर्ध-स्थायी इमारत (22×8.5 मीटर) का निर्माण, जी.सी., सी.आर.पी.एफ., बिलासपुर	पत्राचार फाईल, डी.ई., कार्य आदेश की प्रति, अनुबंध की प्रति, विचलन विवरण की प्रति, अतिरिक्त मदें विवरणी, एवजी मदें विवरणी, अंतिम व्यय/एम.बी., लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी., समापन प्रमाणपत्र
77.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	सी.आर.पी.एफ.	बीन टाईप मैगजिन का निर्माण, जी.सी., सी.आर.पी.एफ. बिलासपुर	पत्राचार फाईल, डी.ई., कार्य आदेश की प्रति, अनुबंध की प्रति, विचलन विवरण की प्रति, अतिरिक्त मदें विवरणी, एवजी मदें विवरणी, अंतिम व्यय/एम.बी., लामबंदी अग्रिम, ई.ओ.टी., समापन प्रमाणपत्र
78.	एन.बी.सी.सी.	सी.आर.पी.एफ.	ग्रेटर नोएड़ा में 240 आदमियों की बैरेक का निर्माण	ठेकेदार पर लगाए गए तथा वसूले गए दण्ड के सबंध में सूचना
79.	ई.पी.आई.एल.	ए.आर.	द्वारका नई दिल्ली में मकान निर्माण कार्य	i. मांग पत्र ii. 2003, 2005 तथा 2008 में ई.पी.आई.एल द्वारा ए.आर. को प्रस्तुत प्रारम्भिक अनुमान iii. ई.पी.आई.एल. द्वारा ए.आर. के साथ किया गया स.ज्ञा./अनुबंध iv. ₹4.81 करोड़ की संस्वीकृति ई.पी.आई.एल. को जनवरी 2004 में डी.जी.ए.सी.आर. द्वारा सूचित की गई थी तथा ई.पी.आई.एल. द्वारा दिसंबर 2005 में संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। उपरिलिखित कार्य के सबंध में 2004 तथा 2005 के दौरान ई.पी.आई.एल. द्वारा कार्रवाई की गई थी।

				v. 2006 तथा 2008 में ई.पी.आई.एल. द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया में संबंधित फाईले तथा अभिलेख vi. मैसर्स मेघालय कंसट्रक्टर द्वारा आर.ए. बिल के प्रस्तुतीकरण तथा इस सबंध में ई.पी.आई.एल. द्वारा किए गए भुगतान संबंधित फाईले तथा अभिलेख vii. डी.जी.ए.आर. के साथ पत्राचार से संबंधित फाईले तथा अभिलेख

अनुबंध- 3.1

राज्य सरकार द्वारा भूमि की लागत में वृद्धि के मामलें

(पैरा 3.1.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.स.	बल	अधिगृहीत भूमि का उद्देश्य	प्रथम प्रस्ताव में अधिग्रहण की मूल लागत	भूमि की अंतिम लागत	मूल तथा अंतिम लागत में अंतर	उन अवसरों की संख्या जब भूमि लागत संशोधित की गई थी	प्रतिशतता अंतर
1.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी को कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी. कोनाबन की स्थापना	8.56	10.38	1.82	1	21.26
2.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू., रायगंज (एन.बी. फ्रंटियर) के अधीन बी.ओ.पी., रायडिगही की स्थापना	10.19	17.20	7.01	1	68.79
3.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., भैराबनगर दास पारा की स्थापना	11.54	13.97	2.43	1	21.06
4.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., बोक्सानगर की स्थापना	15.37	32.52	17.15	2	111.58
5.	बी.एस.एफ.	सेलिंग, आइजोल-I में बटा. मुख्या. (एम एवं सी. फ्रंटियर) की स्थापना	1,459.42	1,956.26	496.84	1	34.04
6.	एस.एस.बी.	कार्नाजोरा में समूह केन्द्र मुख्या.	134.40	144.72	10.32	1	7.68
7.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., याकूबनगर की स्थापना	8.95	40.10	31.15	1	348.04
8.	एस.एस.बी.	यांगते, गेजिंग में बटा. मुख्या. की स्थापना	1,293.97	1,467.33	173.36	1	13.40
9.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (नानगुजरी) की स्थापना	33.37	36.62	3.25	1	9.74
10.	बी.एस.एफ.	कुमारघाट में बी.एस.एफ. बटा. मुख्या. की स्थापना	61.45	61.49	0.04	1	0.07

11.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (सोनाताला) की स्थापना	24.39	24.89	0.50	1	2.05
12.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमाक्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., चित्ताबरी की स्थापना	11.43	13.86	2.43	1	21.26
13.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी., अचारजीपारा की स्थापना	3.44	4.16	0.72	1	20.93
14.	सी.आर.पी.एफ.	बटालियन कैम्प मेदिनीपुर की स्थापना हेतु	184.31	188.00	3.69	1	2.00
15.	बी.एस.एफ.	वरसागांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बटा. मुख्या. की स्थापना हेतु 80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	5.28	5.31	0.03	0	0.57
16.	बी.एस.एफ.	बारामसर (रामगढ़) राज में बटा. मुख्या. हेतु 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	26.97	29.67	2.70	1	10.01
17.	एस.एस.बी.	जिला अलवर (राजस्थान) में दो रिजर्व बटा. मुख्या. एक एस.एच.क्यू. तथा एस.एस.बी. डॉग ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हेतु 229.04 माप वाली भूमि का अधिग्रहण	752	827	75.00	1	9.97
18.	सी.आर.पी.एफ.	आई.एस.ए. माउंट आबू के लिए राजपूताना होटल सम्पदा (आर.एच.ई.) भवन भूमि की खरीद	500	1850	1,350.00	0	270.00
19.	आई.टी.बी.पी.	बटा. मुख्या. मदुरई हेतु	77	80	3.28	1	4.26
20.	सी.आई.एस.एफ.	अमरावती, पुदुर, कराईकुरी, सिवागंगाई जिले में चौथे आर.बी. के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवन के लिए	60	1003	943.03	1	1572.50
21.	एस.एस.बी.	श्रीनगर (गढ़वाल) में एस.एस.बी. अकादमी की स्थापना	13.31	33.34	20.03	3	150.49
22.	एस.एस.बी.	नरकटियागंज में 27वीं बटा. के लिए 75 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति के संबंध में	302	1237.94	935.94	3	309.91
23.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिसुंडी अमेठी में समूह केन्द्र एवं रंज मुख्या. की स्थापना	1669.32	3110.22	1,440.90	1	86.32
24.	आई.टी.बी.पी.	कानपुर में बटालियन मुख्या. की स्थापना	1065.31	1091.34	26.03	1	2.44
25.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. नाजुलिया की स्थापना	4.66	7.37	2.71	1	58.15
26.	एस.एस.बी.	27वीं बटा. नरकटियागंज में कंपनी-कम-बी.ओ.पी. मुख्या. सिक्ता के संबंध में 2.50 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	18.18	34.77	16.59	1	91.25
27.	एस.एस.बी.	लखीमपुर खीरी में सेक्टर मुख्या. तथा बटा. मुख्या. की स्थापना	923.27	1566.74	643.47	1	69.69
28.	सी.आई.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ. ग्रुप मुख्या. इलाहाबाद की स्थापना हेतु	1196.32	1450.1	253.78	1	21.21

29.	एस.एस.बी.	9वीं बटा. मुख्या. के अंतर्गत कंपनी मुख्या. सोनबा की स्थापना हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए 1 लाख की संस्वीकृति का पुनर्वैधीकरण	35.45	36.84	1.39	1	3.92
30.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी.।। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या. सीया की स्थापना हेतु प्रारंभ में संस्वीकृत 1.75 एकड़ भूमि के प्रति 1.61 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	22.33	23.4	1.07	2	4.79
31.	एस.एस.बी.	फ्रंटियर मुख्या. पटना के बटा. मुख्या सीतामढ़ी के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या मुसाचक की स्थापना हेतु 3 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	53.18	58.03	4.85	1	9.12
32.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या नरकटियागंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या बसंतपुर की स्थापना के लिए 03 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु 27 अतिरिक्त संस्वीकृति	20.14	32.49	12.35	1	61.32
33.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या ठाकुरगंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या यादव टोला की स्थापना हेतु 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	8.1	14.12	6.02	1	74.32
34.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. देहरादून की स्थापना	307.66	413.66	106.00	1	34.45
35.	एस.एस.बी.	फ्रंटि. मुख्या. लखनऊ में रिजर्व बटा. मुख्या एवं शेष अवयवों की स्थापना	117.43	5284.04	5,166.61	4	4399.74
36.	एस.एस.बी.	9वीं बटालियन सीतामढ़ी (बिहार) के अंतर्गत 7 कंपनी के संबंध में भूमियों के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति	71.23	156.03	84.80	2	119.05

अनुबंध- 3.2

भूमि अधिग्रहण के प्रलेखन में अनियमितताएं

(पैरा 3.2.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बल का नाम	उद्देश्य जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई	टिप्पणी
1.	यू.के.	एस.एस.बी.	खालडूंगा.। में बी.ओ.पी. मुख्या. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
2.	यू.के.	एस.एस.बी.	झूलाघाट में बी.ओ.पी. मुख्या. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
3.	यू.के.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. देहरादून की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
4.	यू.के.	एस.एस.बी.	बसाई में कंपनी-कम-बी.ओ.पी. स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
5.	यू.के.	एस.एस.बी.	घोला में बी.ओ.पी. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
6.	यू.के.	एस.एस.बी.	सिम्बलघाट में बी.ओ.पी. की स्थापना	कोई पट्टा/बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया
7.	बिहार	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. खानियाबाद तथा बी.ओ.पी. माफियाटोला के संबंध में भूमि की स्थापना	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
8.	बिहार	एस.एस.बी.	कंपनी कॉनवा के संबंध में भूमि की स्थापना	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
9.	बिहार	एस.एस.बी.	नरकटियागंज में 27वीं बटा. के लिए 75 एकड़ मापवाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति से संबंधित	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
10.	बिहार	एस.एस.बी.	27वीं बटा. नरकटियागंज के अंतर्गत कंपनी-कम-बी.ओ.पी. मुख्या के संबंध में 2.50 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
11.	बिहार	एस.एस.बी.	9वीं बटा. मुख्या. (अब 20वीं बटा. सीतामढ़ी) के अंतर्गत मुख्या सोनबा की स्थापना हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु 1 लाख की संस्वीकृति का पुनर्वैधिकरण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
12.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. नरकटियागंज (बिहार) के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या तीनलालटेन हेतु भूमि का अधिग्रहण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
13.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी के अंतर्गत कंपनी-कम बी.ओ.पी. मुख्या लालबंदी की स्थापना हेतु 3.96 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए

14.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी.।। के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या सीया की स्थापना हेतु प्रारंभ में संस्वीकृति 1.75 एकड़ के प्रति 1.61 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
15.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. नरकटियागंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या बसंतपुर की स्थापना हेतु 03 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
16.	बिहार	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या ठाकुरगंज के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या यादवटोला की स्थापना हेतु 3.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
17.	बिहार	एस.एस.बी.	फ्रंटि. मुख्या पटना के बटा. मुख्या सीतामढ़ी के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या मुसाचाक की स्थापना हेतु 3 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए
18.	राजस्थान	एस.एस.बी.	229.04 एकड़ माप वाली भूमि अलवर (राजस्थान) जिले में दो रिजर्व बटा. मुख्या. एक एस.एच.क्यू. तथा एस.एस.बी. डॉग प्रशिक्षण एवं ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हेतु मौजुर गांव तहसील लक्षमणगढ़ में 110.85 एकड़ तथा गांव डेरा तहसील राजगढ़ में 118.19 एकड़) का अधिग्रहण	बिक्री विलेख/नामांतरण निष्पादित नहीं किए गए

अनुबंध - 3.3
उपयोग में न लाई गई भूमि
(पैरा सं. 3.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बल का नाम	अधिग्रहित भूमि का उद्देश्य	भूमि खरीद की तिथि	भुगतान की गई राशि	भूमि उपयोग न किए जाने का कारण
1.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.	एम.पी.आर.टी.सी., बेहरोर, अलवर जिले में सी.आई.एस.एफ. की फायरिंग रेंज के लिए 35.60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण	21-12-2010	188.04	राज्य सरकार द्वारा फायरिंग के लिए अनुमति न दिया जाना
2.	गुजरात	सी.आर.पी.एफ.	कच्छ का रण गुजरात, में शहीद स्मारक हेतु 0.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	03-11-2008	0.08	सी.आर.पी.एफ. द्वारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. से प्रारंभिक अनुमान प्राप्त न किया जाना
3.	गुजरात	बी.एस.एफ.	सिडाटा भुज (गुजरात फ्रंटि) में नौसैनिक बटा. मुख्या. हेतु 77.19 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	26-06-2008	624.78	भूमि का बी.एस.एफ. के नाम पर हस्तांतरण न होने के कारण
4.	यू.पी.	सी.आई.एस.एफ.	इलाहाबाद में सी.आई.एस.एफ. समूह मुख्या. की स्थापना	10.08.2010	1450.09	अप्रयुक्त
5.	यू.पी.	सी.आर.पी.एफ.	बटा. इलाहाबाद के कैंम्पिंग स्थल की स्थापना	08.06.2012	137.21	अप्रयुक्त
6.	यू.पी.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सिद्दार्थनगर के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्यालय कपिशवा की स्थापना	_	112.46	अप्रयुक्त
7.	यू.के.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. देहरादून की स्थापना	17.08.2013	803.91	संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
8.	यू.के.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. घोला की स्थापना	7.09.2011	2.58	उपयोग के अधीन (न्यायिक मामला)
9.	नागालैण्ड	ए.आर.	चाकबामा, नागालैंड में आई.जी.ए.आर. हेतु 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	03-08-2011	264.15	आई.जी. कार्यालय का स्थानांतरण न होना
10.	पश्चिम बंगाल	एस.एस.बी.	करनजोरा में समूह केन्द्र मुख्यालय हेतु	16-02-1998	144.72	बी.एस.एफ. को 05.07.05 को स्थानांतरित किया गया
11.	असम	ए.आर.	असम राइफल्स बटालियन के.एल.पी. की स्थापना हेतु	16-12-2013	708.76	के.एल.पी. विकासधीन है
12.	असम	सी.आई.एस.एफ.	गुवाहाटी में सी.आई.एस.एफ. 9वीं रिजर्व बटा. की स्थापना	06-09-2012	90.47	क्षेत्र खाली पड़ा है तथा अवसंरचना उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
13.	अरुणाचल प्रदेश	एस.एस.बी.	तवांग.।। में 61वीं बटा. मुख्या की स्थापना हेतु	14-06-2013	383.31	61वीं बटालियन अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दी गई है।
					4910.56	

अनुबंध 3.4

विचलन वाले भूमि अधिग्रहण के मामले

(पैरा 3.1 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बल का नाम	भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य	प्रस्तावित भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	वास्तव में अधिप्राप्त/आवंटित भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	एम.एच.ए. मानदण्डों के अनुसार प्राधिकार (एकड़ में)	कुल अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)	अधिग्रहीत भूमि में अधिक्य/ कमी (एकड़ में)
1.	ए.आर.	मोदी, मणिपुर में 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	150	150.00	80.00	150.000	70.00
2.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. डाइक-VIII की स्थापना	2.4	2.400	3.00	2.400	-0.60
3.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू. रायगंज (एन.बी. फ्रंटि.) के अंतर्गत बी.ओ.पी. रायडिघी की स्थापना	3.08	3.080	3.00	3.080	0.08
4.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमाक्षेत्र में बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. सेबरूम की स्थापना	1.54	1.540	3.00	1.540	-1.46
5.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य की दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. भैरवनगर दास पारा की स्थापना	4	4.000	3.00	4.000	1.00
6.	आई.टी.बी.पी.	तेजपुर, एसम में बटा. मुख्या हेतु भूमि का अधिग्रहण	74.12	74.120	77.19	74.120	-3.07
7.	एस.एस.बी.	37वीं बटा. एस.एस.बी. मंगलडोई के अंतर्गत कंपनी मुख्या. नालपाड़ा तथा कंपनी बी.ओ.पी. टंकीबस्ती की स्थापना	9.94	7.270	10.00	7.280	-2.72
8.	एस.एस.बी.	मालबजार में बटा. मुख्या. हेतु	65.31	65.310	75.00	65.310	-9.69
9.	ए.आर.	आई.जी. ए.आर. हेतु चाकबामा, नागालैंड में 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	75	75.000	33.00	75.000	42.00
10.	बी.एस.एफ.	सैलिंग, आइजोल-I (एम. एवं सी. फ्रंटि) में बटा. मुख्या की स्थापना	88	88.000	77.19	88.000	10.81
11.	सी.आर.पी.एफ.	सालबोनी में 207 कोबरा बटा. की स्थापना	141.24	141.240	50.00	141.240	91.24
12.	एस.एस.बी.	29वीं बटा. मुख्या. एस.एस.बी. कहप्रैल के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या. लम्याधुरा तथा फूल खोला की स्थापना	3.75	3.750	6.00	3.750	-2.25

13.	एस.एस.बी.	37वीं बटा. एस.एस.बी. मंगलडोई के अंतर्गत समारंग में प्लाटून कंपनी मुख्या. की स्थापना	4.97	4.970	5.00	4.970	-0.03
14.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य दूरी को कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण हेतु बी.ओ.पी. याकूब नगर की स्थापना	6	6.000	3.00	6.000	3.00
15.	सी.आर.पी.एफ.	मोकोकचुंग, नागालैंड में बटा. स्थल हेतु 25.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	25.45	25.450	77.19	25.45	-51.74
16.	एस.एस.बी.	यांगटे, ग्रेजिंग में बटा. मुख्या. की स्थापना	64.00	64.000	75.00	64.00	-11.00
17.	ए.आर.	असम राईफल्स बटालियन के.एल.पी. की स्थापना	149	149.000	80.00	149.00	69.00
18.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (नौंगजुरी) की स्थापना	1.99	1.990	5.00	1.99	-3.01
19.	बी.एस.एफ.	कुमारघाट में बी.एस.एफ. बटा. मुख्या. की स्थापना	58.77	58.770	77.19	58.77	-18.42
20.	सी.आई.एस.एफ.	गुवाहटी में सी.आई.एस.एफ. 9वीं रिजर्व बटा. की स्थापना	100	99.173	77.19	99.17	21.98
21.	आई.टी.बी.पी.	तेजपुर असम एस.एच.क्यू. हेतु	15	15.000	28.00	15.00	-13.00
22.	एन.एस.जी.	राजरहाट, कोलकाता में पट्टे पर क्षेत्रीय केन्द्र	34.315	34.315	1200	34.32	1165.9
23.	एस.एस.बी.	आई.बी.बी. पर एस.एस.बी., बी.ओ.पी. 33वीं बटा. की स्थापना	2.48	2.480	3.00	2.48	-0.52
24.	ए.आर.	बटा. हेतु शांगशाक (न्यायालय पर) 13.051 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	13.051	13.051	180.00	13.05	-166.95
25.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. (सोनाताला) की स्थापना	7.04	7.040	5.00	7.04	2.04
26.	एस.एस.बी.	37वीं बटा. एस.एस.बी. मंगलडोई के अंतर्गत नोनाईकुटी में प्लाटून लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.87	2.870	5.00	4.85	-0.15
27.	एस.एस.बी.	लिंगटेम में बी.ओ.पी. की स्थापना	2.47	2.470	3.00	2.47	-0.53
28.	एस.एस.बी.	पदमचेन में कंपनी लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.47	2.470	5.00	2.47	-2.53
29.	एस.एस.बी.	त्वांग-।। में 61वीं बटा. मुख्या की स्थापना	31.79	31.790	85.00	31.790	-53.21
30.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी. चित्ताबारी की स्थापना	4	4.000	5.00	4.00	-1.00
31.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी. के मध्य दूरी कम करने तथा सीमा क्षेत्र के बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.पी. आचारजीपारा की स्थापना	1.18	1.180	3.00	1.18	-1.82
32.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. ढुबरी (गुवाहाटी फ्रंटि) के अंतर्गत 162 बटा. बी.एस.एफ. की कंपनी लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	6.48	6.480	5.00	6.48	1.48

33.	बी.एस.एफ.	162 बटा. बी.एस.एफ. की कंपनी लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.604	2.604	5.00	3.25	-1.75
34.	बी.एस.एफ.	प्लाटून लेवल बी.ओ.पी. की स्थापना	2.83	2.830	3.00	2.83	-0.17
35.	सी.आर.पी.एफ.	बटालियन कैम्प मेदिनीपुर की स्थापना	43.64	43.640	77.19	43.64	-33.55
36.	बी.एस.एफ.	वर्सागांव, जिला पुणे-महाराष्ट्र में बटा. मुख्या. की स्थापना हेतु 80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	80	80	77.19	80	2.81
37.	सी.आर.पी.एफ.	बालाघाट, मध्यप्रदेश में 208 कोबरा बटा. हेतु 81.06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	81.06	81.06	77.19	81.06	3.87
38.	बी.एस.एफ.	बारमसर (रामगढ़) (राजस्थान फ्रंटि.) में बटा. मुख्या. हेतु 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	70	70	77.19	70	-7.19
39.	बी.एस.एफ.	बी.ओ.पी.-दीपावला (राजस्थान फ्रंटि.) हेतु 6.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण	12.9375	6.5	5	6.5	1.50
40.	एस.एस.बी.	जिला अलवर (राजस्थान) में दो रिजर्व बटा. मुख्या एक एस.एच.क्यू. तथा एस.एस.बी. डॉग ट्रेनिंग-कम-ब्रीडिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 229.04 एकड़ माप वाली भूमि का अधिग्रहण	229.04	229.04	182.38	229.04	46.66
41.	बी.एस.एफ.	एस.एच.क्यू.-I/नागर (जम्मू फ्रंटि) के अंतर्गत बी.ओ.पी. बोबिया के लिए 44 कनाल एवं 17 मरला भूमि का अधिग्रहण			5	5.61	0.61
42.	बी.एस.एफ.	एस.ए.क्यू.-I/नागर जम्मू के अंतर्गत बी.ओ.पी. 6 आर हेतु 46 कनाल, 14 मरला भूमि का अधिग्रहण			5	5.84	0.84
43.	आई.टी.बी.पी.	बटा. मुख्या, साम्बा, ज. एवं क. में 48.25 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण	48.25	48.25	105	48.25	-56.75
44.	सी.आई.एस.एफ.	अमरावती, पुदुर, कराईकुरी, सिवागंगाई जिले में चौथी आर.बी. हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय भवन	100	100	77.19	100	22.81
45.	बी.एस.एफ.	बटा. मुख्या.			77.19	43.57	-33.62
46.	आई.टी.बी.पी.	बटा. एवं सेक्टर मुख्या.			109.03	109.54	0.51
47.	बी.एस.एफ.	लखनऊ में बटा. मुख्या. की स्थापना	65.343	65.343	77.19	65.343	-11.85
48.	सी.आर.पी.एफ.	जी.सी. की स्थापना	106.86	91.7	165	91.7	-73.30
49.	एस.एस.बी.	नरकटियागंज में 27वीं बटा. मुख्या. हेतु 75 एकड़ माप वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति के संबंध में	75	74.34	75	74.34	-0.66
50.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिसुंडी अमेठी में ग्रुप सेंटर एवं रेंज मुख्या. की स्थापना	264.73	264.73	165	264.73	99.73
51.	आई.टी.बी.पी.	कानपुर में बटालियन मुख्या. की स्थापना	75.063	69.504	77.19	75.06	-2.13
52.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी.- नाजुलिया की स्थापना	1.265	1.265	75	107.98	32.98

53.	बी.एस.एफ.	देहरादून में ए.आई. रोल बटा. की स्थापना	20.09	20.09	77.19	20.09	-57.10
54.	सी.आर.पी.एफ.	बटा. इलाहाबाद के कैंप स्थल की स्थापना	1.5	1.37	10	1.37	-8.63
55.	एस.एस.बी.	कंपनी-कम-बी.ओ.पी. बसाई की स्थापना	2.47	2.47	2.5	2.47	-0.03
56.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी.-घोला की स्थापना	0.86	0.86	3	0.86	-2.14
57.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मुख्या.-खालढूंगा-I की स्थापना	1.25	1.25	3	1.25	-1.75
58.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या. सीतामढ़ी-II के अंतर्गत बी.ओ.पी. मुख्या. सिया की स्थापना प्रारंभ में संस्वीकृत 1.75 एकड़ भूमि के प्रति 1.61 एकड़ माप वाली अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त संस्वीकृति	3	2.86	3	2.86	-0.14
59.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी.- सिम्बलघाट की स्थापना	2.347	2.347	3	2.35	-0.65
60.	एस.एस.बी.	बी.ओ.पी. मुख्या. झूलाघाट की स्थापना	1.5	1.5	3	1.5	-1.50
61.	एस.एस.बी.	बटा. मुख्या-देहरादून की स्थापना	26.2	26.2	77.19	50.9	-26.29
62.	एस.एस.बी.	लखनऊ में रिजर्व बटा मुख्या एवं फ्रंटि मुख्या के शेष अवयवों की स्थापना	107.98	43.29	75	83.5	8.50
63.	एस.एस.बी.	28वीं बटालियन अररिया के अंतर्गत 1 (i) कंपनी-कम-बी.ओ.पी. फतेहपुर, 2 (ii) बी.ओ.पी. खानीदाबाद, 3 (iii) कंपनी-कम-बी.ओ.पी. पेगटोला 4 (iv) बी.ओ.पी. माफियाटोला 5 (v) बी.ओ.पी. बैरिया के संबंध में भूमि अधिग्रहण	17	6	17	6	-11.00
64.	एस.एस.बी.	9वीं बटालियन सीतामढ़ी (बिहार) के अंतर्गत 7(1) कंपनी कानवा 8 (ii) कंपनी मेजरगंज (iii) बी.ओ.पी. धारारवा 10 (iv) बी.ओ.पी. श्रीखंडभिट्टा (भिट्टामोर) 11 (iv) बी.ओ.पी. बासबित्ता (बेलवापारी) के संबंध में भूमि अधिग्रहण हेतु अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति	17.75	17.21	17.75	12.21	-5.54
65.	सी.आई.एस.एफ.	10वीं रिजर्व बटा. की स्थापना	100	55.36	77.19	55.36	-21.83
66.	आई.टी.बी.पी.	बटा. तथा विकास केन्द्रीय की स्थापना	349	250	77	250	173.00
67.	बी.एस.एफ.	डी.एम. बटा. (128 बटा. बी.एस.एफ.) हेतु बटा. मुख्या. की स्थापना हेतु।	85	33.060	125.00	33.06	-91.94

अनुबंध - 4.1

पी.ई. में गलत दर को अपनाना

(सन्दर्भ पैरा 4.1.4)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्थिति	बल का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण	पी.ई. की संख्या	बढ़ी हुई अनुमानित राशि
1.	4 एस.एस.बी. के 1 ब्लॉक का निर्माण (जी+III)	श्रीकोना, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	6.1
2.	(जी+II) के पाँच ब्लॉकों तथा (जी) का 1 ब्लॉक सहित 32 टी-।। का निर्माण	जोरहट, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	20.13
3.	सम्बद्ध सेवाँए और विकास कार्यो सहित एक ब्लॉक में 6 टी-II (जी+II) का निर्माण	जोरहट, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	3.45
4.	4 एस.एम.बी. के (जी+III) के एक ब्लाक का निर्माण	हाफलांग, असम	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	7.93
5.	9 ब्लॉको एस एफ में 72 टाइप-II (जी+III) का निर्माण	शिलांग, मेघालय	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	34.36
6.	1 ब्लॉक में 4 एस एम बैरक (जी+।।) तथा सम्बध्द सेवाओं और विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में (जी) का निर्माण	लेतकोर, मेघालय	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	12.55
7.	3 एम एम बैरक (जी+।) के एक ब्लॉक का निर्माण	लेतकोर, मेघालय	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1	10.32
	कुल				**7**	**94.84**

अनुबंध-4.2
सेवा कर के लिए किया गया अतिरिक्त प्रावधान
(सन्दर्भ पैरा 4.1.4)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	बल	राज्य	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत आकलित मूल्य	सेवा कर हेतु किया गया अतिरिक्त प्रावधान
1.	जी ओ एस मैस/सूटस तथा एस ओ एस मैस का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	870.88	6.73
2.	मुख्य द्वार, चारदीवारी का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	641.87	4.96
3.	पुरूषो क्लब, कैंटिन और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	1589.04	11.28
4.	अधिकांश सेवाएँ और विकास को पूर्ण करना	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	2590.29	20.03
5.	160 पुरूष टाइप-II फैमिली क्वार्टर	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	2571.48	19.31
6.	विभिन्न प्रकार के 236 क्वार्टरों का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	4501.94	28.77
7.	विभिन्न प्रकार के 240 क्वार्टरों का निर्माण	सी.आर.पी.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	3858.09	29.84
8.	बटालियन हेतु 4.75 एकड़ भूमि का एलिंग स्पीटुक लेह में अधिग्रहण	सी.आर.पी.एफ	ज.एवं.क.		176	-
9.	120 पुरूष बैरक का निर्माण	बी.एस.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	499	3.11
10.	120 पुरूष बैरक का निर्माण	बी.एस.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	499	3.11
11.	मुख्य प्रवेश द्वार और डारमेट्री का निर्माण	बी.एस.एफ	हरियाणा	एन.बी.सी.सी	499	3.11
12.	प्रशा. ब्लॉक श्रीनगर का निर्माण	बी.एस.एफ	ज.एवं.क.	जे.के.पी.सी.सी	1293.21	-
13.	8 दो मंजिला भवन श्रीनगर का निर्माण	बी.एस.एफ	ज.एवं.क.	एन.बी.सी.सी	385.51	-
				कुल	**19975.31**	**130.25**

अनुबंध-4.3
प्रा.अ. में मदों को शामिल ना किया जाना
(सन्दर्भ पैरा 4.1.5)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	बल का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	कार्यकारी एजेंसी	राशि	एल ओ आई का दिनांक	समाप्ति के लिए दिया गया माह	अतिरिक्त समय	अतिरिक्त समय का प्रतिशत	कार्य ना शुरू होने का कारण
1.	श्रीकोना (असम)	1 टाइप-VI (जी+I) का सम्बद्ध सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में निर्माण और आई जी ए.आर. (पूर्व) श्रीकोना असम में विकास कार्य	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	80	12.12.2013	15	10	66.67	पहँच मार्ग की अनुपलब्धता
2.	जोरहट (असम)	02 टाइप-v क्वार्टर (जी) को 1 ब्लॉक में सम्बद्ध सेवाओं के साथ जोरहट, असम में विकास कार्य का निर्माण	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	98	25.01.2014	15	9	60	ए.आर. के द्वारा भवन की समाकृति में परिवर्तन
3.	जोरहट (असम)	11 एकल जे सी ओ (जी+II) 6 इकाई 1 ब्लॉक में, अ.रा. 3 नं. कार्यशाला के लिए 1 ब्लॉक (जी+II) में 5 इकाई का निर्माण तथा ए.आर.डी.बी और टी सी सम्बद्ध सेवाओं के साथ जोरहट (असम) में विकास कार्य	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	123	18.12.2013	15	10	66.67	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
4.	श्रीकोना/ असम	6 नं. टाइप-V क्वार्टर (जी+II) सम्बद्ध सेवाओं के साथ एक ब्लाक में निर्माण और आई.जी.ए.आर. (पूर्व) श्रीकोना (असम) के लिए विकास कार्य	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	326	12.12.2013	15	10	66.67	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
5.	जोरहट (असम)	अ.रा. हेतु जोरहट (असम) में 3 वर्कशाप हेतु सम्बद्ध सेवाओं और विकास कार्यो सहित 1 ब्लॉक में भण्डारण सुविधा (जी) का निर्माण	असम राइफल	2013-14	एन.पी.सी.सी.एल	73	25.01.2014	15	9	60	पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता
					कुल	**700**					

अनुबंध- 4.4
स्वीकृत संशोधित व्यय की अप्राप्ति
(सन्दर्भ पैरा- 4.2.3)

(₹ लाख में)

क्रम. सं.	बल	राज्य	कार्य का ब्यौरा	कार्यकारी एजेंसी	ए ए और इ.स. की राशि	अंतिम व्यय/ अद्यतन व्यय	अंतर	*प्रतिशत*
1.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	वर्तमान सीमा दीवार को मजबूत करना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	46.08	50.77	4.69	10.17
2.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	पेरिफर दीवार के चारो ओर सुरक्षा हेतु प्रकाश उपलब्ध कराना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	44.52	50.12	5.6	12.57
3.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	कदमतला के पिछले हिस्से से सलंग्न नाली के विकास सहित नाला और निष्कासन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	98.42	125.56	27.14	27.57
4.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर कुक हाऊस का निर्माण	विभागीय	14.98	17.19	2.21	14.75
5.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	पोटेबल हटस 13 महिपालपुर का विघुतीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10.07	16.53	6.46	64.15
6.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	12 महिला एस ओ डारमेट्री और 60 महिला बैरकों का गेट सहित कम्पाउण्ड वाल	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11.49	15.59	4.1	35.68
7.	आई.टी.बी.पी.	मध्य प्रदेश	टेलीकाम बाट. शिवपुरी में कार्यशाला व परिवहन परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	125.38	167.38	42	33.49
8.	सी.आर.पी.एफ.	असम	जी.सी, सी.आर.पी.डी. गुवाहटी-23 में सड़को और पटरियों में पुन: मरम्मत का कार्य निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	35.26	40.43	5.17	14.66
9.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी. सी.आर.पी.एफ सिलीगुड़ी के लिए विन टाइप मैगजीन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	40.45	55.69	15.24	37.67
10.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.डी., सी.आ.पी.एफ., सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16.00	27.10	11.1	69.37
11.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	ग्रुप केंद्र, सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में प्रशासनिक ब्लॉक के पास साईकिल तथा मोटर साईकिल शेड़ का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	19.69	42.15	22.46	114.06

12.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	सं. 3 विद्युत सब स्टेशन का विस्तार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	206	19	10.16
13.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	आर.टी.सी., बरवाहा के लिए सं. 4 ड्रिल शेड़	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	142	168.7	26.7	18.80
14.	सी.आर.पी.एफ.	छतीसगढ	बिलासपुर में बी.आई.एन. प्रकार मैगजीन जी.सी.सी.आर.पी.एफ. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	29.79	34.23	4.44	14.90
15.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	जी.सी., सी.आर.पी.एफ, नया गांव ग्वालियर में सं. 5 कोटे कमरा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	45.31	62.59	17.28	38.14
16.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.आर.टी.सी. बेहरोर के लिए अर्द्ध स्थायी संरचनाओं का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	299.5	381.79	82.29	27.47
17.	बी.एस.एफ.	पंजाब	बी.एस.एफ. कैंपस 143 बाट. बी.एस.एफ. कमस्वला में चारदीवार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	309	495	186	60.19
18.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोलि, हरियाणा में मल- व्यवस्था उपचार प्लांट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	71.82	81.82	10	13.92
19.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु, पंचकुला में ए.टी.विद्यालय, पशु चिकित्सालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	88.47	98.59	10.12	11.44
20.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में बी.एच.क्यू. में जी.ओ.मेस का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	69	118.68	49.68	72.00
21.	सी.आर.पी.एफ.	ज.एवं क.	सं. 4 नल्लाह आर.सी.सी. संपवेल सर्विसेज एडमिन क्वार्टर गार्ड	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	918.47	1017	98.53	10.72
22.	आई.टी.बी.पी.	ज.एवं क.	संशोधित प्रशिक्षण शेड़	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	524	629	105	20.03
23.	एस.एस.बी.	हि.प.	डब्ल्यू.टी.टी.सी., एस.एस.बी. कासुम्पटी, शिमला में वर्तमान बिटुमिनम आंतरिक मार्ग के नवीकरण का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	18	2	12.50
24.	एस.एस.बी.	हि.प.	एस.एस.बी. कासम्पटी, शिमला में 50000 लीटर क्षमता वाले अतिरिक्त आर.सी.सी. टैंक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	22	8	57.14
25.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	बी.टी.सी. में फायरिंग रेंज तक मार्ग का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73.2	87.27	14.07	19.22
26.	एस.एस.बी.	उत्तराखण्ड	फ्रंटियर मु. रानीखेत में व्यापारी दुकान तथा वेअर हाऊस का निर्माण	विभागीय	19.00	21	2	10.52

27.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	बागवानी उद्देश्य के लिए मल-व्यवस्था उपचार प्लांट-सी.आई.पाईप लाईन ग्रिड बिछाने का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	44.33	50.61	6.28	14.16
28.	सी.आर.पी.ए.एफ	बिहार	सं. 23 एफ./क्वाटर्स (टी./I-2, II-12, III-7, VI-2), थोक सेवाएं, मुख्य प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, विकास कार्य तथा सीमा दीवार का निर्माण । सेक्टर मु., पटना बिहार।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	361.36	407.48	46.12	12.76
29.	आई.टी.बी.पी.	झारखंड़	40 वाँ बटा. आई.टी.बी.पी., रांची एस.एच. के लिए गैर आवासीय भवनों का निर्माण:स्थल का विकास तथा थोक सेवाएँ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	58.42	68.95	10.53	18.02
30.	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी. के लिए टाईप-III- 24 सं., टी-IV-6 सं. तथा टी-V-2 सं. का निर्माण लेह में एम.टी.वर्कशाप	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	511.82	616	104.18	20.35
31.	आई.टी.बी.पी.	ज. एवं क.	लेह में एम.टी. वर्कशाप	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	718	919	201	27.99
32.	सी.आई.एस.एफ.	म.प्र.	गैर आवासीय क्षेत्र, बरवाहा में मार्ग को पुन: ढ़का जाना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	27.42	53.75	26.33	96.02
33.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ. कैंपस, हैदराबाद, के गैर आवासीय क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मुख्य मल-व्यवस्था लाईन की मरम्मत/बदलना/आवर्धन 33/ई ई/ एच.सी.डी. 1/2011-12, अभिकरण-श्री एम. दयानंद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	44.33	50.61	6.28	14.16
				कुल	**5034.58**	**6216.58**	**1182.00**	

अनुबंध- 4.5
कार्य का अनियमित रूप से सौंपा जाना
(पैरा 4.3.2 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	ए.ए. एवं ई.एस. राशि	निविदागत मूल्य	निविदा प्रक्रिया में अनियमितता
1.	खुंटी, झारखंड़ में कोबरा बटा.सी.आर.पी.एफ., फुदी हेतु संयुक्त भवन का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	696.00	696.00	कार्य का एन.आई.टी. मार्च 2013 में बिना भूमि के अधिग्रहण। सुनिश्चित स्थल की उपलब्धता के प्रारंभ किया गया। कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर समाप्त नहीं किया जा सका था तथा आज की तारीख तक शेष बाकी था।
2.	ग्रुप केंद्र, सी.आर.पी.एफ., झरोदा कलां, नई दिल्ली में टाईप II तथा टाईप IV क्वाटर्स के शौचालयों तथा रसोई का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	24.06	-	निविदाएँ 20 फरवरी 2012 से 28 फरवरी 2012 तक आमंत्रित की गई थीं। परंतु निविदा विक्रय पंजिका के अनुसार, निविदाएँ 1 मार्च 2012 को विक्रय की गयी थी। सफल बोलीकर्ता ने 1 मार्च को निविदा क्रय की जिससे एक बोलीकर्ता के संबंध में अनुचित पक्षपात का प्रश्न उठा।
3.	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास एन.एस.जी. को आबंटित 5 एकड़ की भूमि पर अर्ध-स्थायी संरचना का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	100.00	0.091	निविदाएँ, निविदाओं के खुलने के बाद लागू परिवर्तित शक्ति के प्रत्यायोजन के द्वारा स्वीकार की गयी थी।
4.	पीने योग्य पानी की आपूर्ति हेतु नजफगढ़ से सी.आर.पी.एफ. कैंपस तक जी.आई. पाईपलाईन बिछाना तथा आंतरिक जल आपूर्ति प्रणाली के लिए सी.आई. पाईपलाईन बिछाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	833	436.00	औचित्य गलत तैयार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कार्य को ₹43 लाख अधिक पर सौंपा गया।
5.	चित्तुर जिला, आंध्र प्रदेश में कालीकिरी में बी.एस.एफ. के लिए 120 व्यक्तियों वाली बैरक 2 सं. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	708.00	-	इस कार्य हेतु 77.19 एकड़ भूमि की उपलब्धता के बावजूद बिना संशोधित प्राथमिक आकलन के अनुमोदन तथा बिना निविदा प्रक्रिया शुरू (दिसम्बर, 2014) कि कार्य पर ₹85 लाख जारी किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹85 लाख की निधि अवरूद्ध रही।

6.	हमहम्मा, श्रीनगर (ज.एवं क.) में बी.एस.एफ. के लिए 08 दो मंजिल पूर्व गढ़ी हुई सरंचना	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	386.00	329	चार बोलीकर्ताओं में से केवल एक बोलीकर्ता के पास आवश्यक कार्य योग्यता थी, जिसने स्पष्ट रूप से अभिकरण द्वारा दोषपूर्ण निविदा प्रक्रिया को दर्शाया।
7.	जी.सी./रैंज मु., सी.आर.पी.एफ. बहलगढ़, सोनीपत (हरियाणा) में जल तथा मल-व्यवस्था पाईपलाईनों, अपवहन-तंत्र निर्माण कार्यों, एच.टी. एवं एल.टी. सब स्टेशन उपकरण इत्यादि सहित स्थल का विकास पूरा किया गया।	एन.बी.सी.सी.	2590.00	2590.00	कार्य को एन.बी.सी.सी. द्वारा दिव्तीय निविदा आमंत्रण में एक विशेष ठेकेदार/बोलीकर्ता के पक्ष में योग्यता मानदंड में छूट देकर सौंपा गया, जिसकी बोली को प्रथम निविदा आमंत्रण में अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वह योग्यता मानदंड़ को पूरा नहीं कर रहा था, जो सी.वी.सी. दिशानिर्देश के विपरीत था जिसमें यह निर्धारित है कि निविदा प्रक्रिया प्रतियोगितात्मक और पारदर्शी होना चाहिए।
8.	एन.एस.जी. मानेसर में लॉन टेनिस का निर्माण	विभागीय	35.85	35.5	कार्य को एकल निविदा प्रक्रिया तथा एन.आई.टी. की धारा के उल्लंघन में सौपा गया था, वह वर्तमान वर्ष के लिए निर्माणकर्ता का प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं था। कच्चे माल की आपूर्ति में विलंब हुआ था क्योंकि ठेकेदार प्राधिकृत अभिकर्ता नहीं था।
9.	क्वा.गार्ड एस.एस.बी. घीटोरनी नई दिल्ली का नवीकरण	विभागीय	59.51	52.39	एन.आई.टी. को 1.8.13 को अखबार में निकाला गया था तथा निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 9.8.13 थी ठेकेदारों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। विघुत कार्य मेसर्स विनय श्रीवास्तव को सौंपा गया था जो कम बोलीकर्ता में से एक नहीं था।
10.	चीजवेमा, नागालैंड में ए.आर. के लिए 102 क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	1128.00	1480.00	एन.पी.सी.सी.एल. ने गलत वेब पता के साथ अप्रैल 2008 में निविदा आमंत्रित की परंतु अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान प्रथम 4 निविदा प्रक्रिया में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई, एन.पी.सी.सी.एल. को अगस्त 2008 में 5 वीं बार निविदा आमंत्रित करनी थी। कार्य को पाँचवे निविदा आमंत्रण में ऊँची कीमत पर सौंपा गया क्योंकि उस समय तक जुलाई 2008 में लागत सूचकांक को संशोधित किया गया था तथा ठेकेदारों द्वारा लगायी गयी ऊँची कीमत को जुलाई 2008 को संशोधित लागत सूचकांक के आधार पर एन.पी.सी.सी.एल./ए.आर. द्वारा उचित पाया गया था।
		कुल	**6560.42**		

अनुबंध - 4.6
वि.अ. तथा तकनीकी संस्वीकृति की अनुपस्थिति
(पैरा 4.4.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	एकमुश्त ठेके/कार्यान्वित ठेके की राशि	वि.अ. की तैयारी हेतु भुगतान की गयी जि.क. की राशि	क्या पूर्ण या नहीं
1.	ए.आर	लेटकोर, शिलौंग (मेघालय) में असम राईफल्स के लिए 3 सं. सिंगलमेन बैरक (जी+II) का 01 ब्लॉक, काली सतह बिटुमिनस रोड़ तथा मुख्य मल निकास व्यवस्था का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	154.07	0.39	पूर्ण
2.	ए.आर	लेटकोर (शिलौंग) में असम राईफल्स के लिए 72 सं. टाईप-।। एस एफ आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	744.67	1.86	पूर्ण
3.	ए.आर	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल्स बटा. के लिए 04 सं.एस.एम.बैरक (जी+III) का 01 ब्लॉक तथा बिटुमिनस रोड़ का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	168.50	0.42	पूर्ण
4.	ए.आर	जोरहट (असम) में सं. 2 ट्रांजिट कैंप के लिए 03 सं.एस.एम.बैरक (जी+II) के 01 ब्लॉक तथा 06 सं. टाईप-II (जी+II) के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	188.09	0.47	पूर्ण
5.	ए.आर	जोरहट (असम) में असम राईफल्स बटा. के लिए 32 सं. टाईप-II क्वाटर्स (एस.एफ.) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	330.27	0.83	पूर्ण
6.	ए.आर	सी.ओ.ई. दीफु (असम) के लिए सहायक सेवाओं सहित 03 एस.एम.बी. तथा विकास कार्यों का निर्माण	एच.पी.एल	188.01	0.47	पूर्ण
7.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स बटालियन के लिए 04 सं.एस.एम. बैरक का एक ब्लॉक, 01 सं.जे.सी.ओ. मेस तथा 01 सं. 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	404.20	1.01	पूर्ण

8.	ए.आर	जोरहट (असम) में 12 सं. टाईप-III क्वार्टर्स (जी+II) तथा 66 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+II) एस.एफ. आवासीय सुविधाओं का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	653.18	1.63	पूर्ण
9.	ए.आर	खोनसा (अरूणाचल प्रदेश) में असम राईफल्स बटा. के लिए 08 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III), 04 सं. सिंगल ऑफिसर्स आवासीय सुविधा, 12 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा, 01 सं. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+I), 01 सं. ऑफिसर्स मेस, 01 सं.जे.सी.ओ. मेस का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	1545.33	3.86	पूर्ण
10.	ए.आर	चारद्वार (असम) में असम राईफल्स बटा. के लिए 64 सं. टाईप-II (जी+III) क्वार्टर्स का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	617.54	1.54	पूर्ण
11.	ए.आर	खोनसा (ए.पी.) में असम राईफल्स बटा. के लिए 48 सं. टाईप-II (जी+III) क्वार्टर्स का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	528.60	1.32	पूर्ण
12.	ए.आर	जयरामपुर (अरूणाचल में 29 असम राईफल्स के लिए 02 टाईप-V (जी+I) क्वार्टर्स, 72 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+II) तथा 04 सं. सिंगल ऑफिसर्स आवासीय सुविधा (जी+I) का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	610.59	1.53	पूर्ण
13.	ए.आर	जोरहट में असम राईफल्स के लिए 48 सं. टी-II क्वार्टर्स तथा 12 सं. टी-III एस.एफ. आवासीय सुविधाओं का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	322.34	0.81	पूर्ण
14.	ए.आर	लोकरा (असम) में 12 सं. टी-III (जी-II) तथा 54 सं. टी-II (जी+II) क्वाटर का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	459.01	1.15	पूर्ण
15.	ए.आर	लोकरा में 43 ए.आर. के लिए 09 सं.एस.एम.बी. (जी+II), 01 सं.प्रशा.ब्लॉक (जी+I) तथा 01 सं. ऑफिसर मेस का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	419.30	1.05	पूर्ण
16.	ए.आर	मोदी (मणिपुर) में असम राईफल्स के के.एल.पी. लोकेशन के लिए आवासीय भवन सहायक सुविधा जैसे सी.एच./डी.एच. तथा आंतरिक मार्ग।	एन.पी.सी.सी.एल.	120.04	0.30	पूर्ण
17.	ए.आर	त्वेनसांग (नागालैण्ड़) में ए.आर. के लिए 02 ब्लॉक में 12 सं. टी-II (जी+II) क्वाटर्स	एन.पी.सी.सी.एल.	83.57	0.21	पूर्ण
18.	ए.आर	मोकोकचुंग (नागालैंड़) में असम राईफल्स बटा. के लिए 64 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+III) के 08 ब्लॉक	एन.पी.सी.सी.एल.	890.05	2.23	पूर्ण

19.	ए.आर	चीजवेमा (नागालैंड) में असम राईफल्स के लिए 12 सं. टाईप-III (जी+II) तथा 5 सेक्टर मु. के लिए 12 सं. टाईप-II क्वार्टर्स (जी+।।) तथा 78 सं. टाईप-।। क्वार्टर्स (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	84.70	0.21	पूर्ण
20.	ए.आर	काशीरामबस्ती में ए.आर.बटा. के लिए 72 क्वार्टर्स टाईप-II (जी+III) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	868.99	2.17	पूर्ण
21.	ए.आर	21 असम राईफल्स के लिए 06 एन.सी.ओ. हेतु 03 सं. सिंगल मेन बैरक का 01 ब्लॉक तथा 60 अन्य (जी+II) तथा 01 सं. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	276.72	0.69	पूर्ण
22.	ए.आर	ए.आर. के लिए मैगजीन भवन का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	96.41	0.24	पूर्ण
23.	ए.आर	ए.आर. के लिए 03 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+II) का एक ब्लॉक तथा कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	295.73	0.74	पूर्ण
24.	ए.आर	असम राईफल्स के नए लोकेशन के लिए 03 सिंगल मेन बैरक (जी+II) के 01 ब्लॉक सहित पहुँच मार्ग का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	154.42	0.39	पूर्ण
25.	ए.आर	ए.आर.बटा. के लिए 06 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवा. सुवि. (जी+I), 03 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+II) का 01 ब्लॉक, 01 सं. प्रशा. ब्लॉक (जी+I) तथा सेक्टर मु. के लिए 01 सं. ऑफिसर्स मेस तथा 03 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+I) के एक ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	895.76	2.24	पूर्ण
26.	ए.आर	ज्वालामुखी में ए.आर.बटा. के लिए 04 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III) के एक ब्लॉक तथा मारम में ए.आर.बटा. के लिए 04 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III) का एक ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	429.00	1.07	पूर्ण
27.	ए.आर	1 सं. टाईप VI (जी.एफ.), 04 सं. टाईप V (जी+1), 13 सं. टाईप-III, 18 सं. टाईप-II (जी+2) तथा 2 सं. सिंगल/ ऑफिसर्स आवासीय सुविधा सहायक सेवाओं सहित का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	677.38	1.69	पूर्ण
28.	ए.आर	अगरतल्ला (त्रिपुरा) में असम राईफल्स के लिए 16 सं. टाईप-एस.एफ. क्वार्टर्स का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	201.43	0.50	पूर्ण
29.	ए.आर	उदयपुर (त्रिपुरा) में असम राईफल्स बटा. के लिए 02 सं. टाईप V क्वार्टर्स, 04 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा तथा 16 सं. टाईप-II क्वार्टर्स का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	299.62	0.75	पूर्ण

30.	ए.आर	राधानगर में 36 ए.आर. के लिए 08 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+I), 06 सं.सिंगल मेन बै.(जी+II) के 02 ब्लॉक, एक सं. प्रशा.ब्लॉक, 01 सं.ऑफिसर मेस तथा एक सं.जे.सी.ओ. क्लब तथा आंतरिक मार्ग का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	565.40	1.41	पूर्ण
31.	ए.आर	राधानगर में 36 ए.आर. के लिए 02 सं. टी-V (जी+I), 02 सं. टी IV (जी+I), 12 सं. टी-III, 90 सं. टी.II (जी+II) तथा 06 सं. सिंगल ऑफिसर आवासीय सुविधा का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	888.42	2.22	पूर्ण
32.	ए.आर	तेलियामुरा में 15 ए.आर. के लिए 06 सं. टी-III (जी+II) एवं 78 सं. टी-II (जी+II) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	769.54	1.92	पूर्ण
33.	ए.आर	लुंगली, मिजोरम में असम राईफल्स के लिए 48 सं. टाईप-II तथा 06 सं. टाईप-III क्वाटर्स का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	501.55	1.25	पूर्ण
34.	ए.आर	ए.आर.सी. एवं एस.सी. लेटकोर (शिलौंग) के लिए एक ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 04 सं.एस.एम. बैरक (जी+II) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	272.74	0.68	जारी
35.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स के लिए सहायक सेवाओं के साथ 02 सं. टाईप-V (जी+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	87.45	0.22	जारी
36.	ए.आर	श्रीकोना (असम) में मु.आई.जी.ए.आर (पूर्वी) के लिए एक ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 01 सं. टाईप-VI (जी+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	63.14	0.16	जारी
37.	ए.आर	जोरहट (असम) में मु.25 सेक्ट.ए.आर. के लिए 1 ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 02 सं. टाईप-V क्वाटर्स (जी) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	81.47	0.20	जारी
38.	ए.आर	जोरहट (असम) में सं. 3 निर्माण कार्य ए.आर. के लिए 01 ब्लॉक में 06 ईकाईयों तथा 1 ब्लॉक (जी+II) में 5 ईकाईयों के 11 सं. सिंगल जे.सी.ओ. (जी+II) तथा ए.आर.डी.बी. एवं टी.सी. के लिए 01 ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 01 सं. एस.एम.बैरक तथा विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	149.70	0.37	जारी
39.	ए.आर	श्रीकोना (असम) में ए.आर.बटा. के लिए एक ब्लॉक में 08 सं. सिंगल ऑफिसर (जी+III) तथा विकास कार्यों एवं सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 07 सं. सिंगल सिविलियन आवासीय सुविधा (जी+III) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	206.45	0.52	जारी

40.	ए.आर	श्रीकोना (असम) में आई.जी.ए.आर. (पूर्वी) के लिए एक ब्लॉक में सहायक सेवाओं के साथ 06 सं. टाईप-V क्वाटर्स (जी+।।) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	267.72	0.67	जारी
41.	ए.आर	जोरहट (असम) में 3 निर्माण कार्य ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में भंडार सुविधा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	41.86	0.10	जारी
42.	ए.आर	लोखरा (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंटल स्कूल (जी+।) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	72.37	0.18	जारी
43.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंटल स्कूल (जी.एच.+।) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	74.51	0.19	जारी
44.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में क्यू.जी, कोटे, आर्मरर शॉप तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	168.70	0.42	जारी
45.	ए.आर	हाफलौंग (असम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं सहित 03 ब्लॉकों में एम.टी. आवासीय सुविधा तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	165.53	0.41	जारी
46.	ए.आर	जयरामपुर (अरूणाचल प्रदेश) में ए.आर.बटा. के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यों सहित (जी+।) के 02 ब्लॉकों में 10 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	100.08	0.25	जारी
47.	ए.आर	खोनसा (अरूणाचल प्रदेश) में ए.आर.बटा. के लिए तक.भंड़ार (जी+।) के साथ एम.टी आवासीय सुविधा का निर्माण	ई.पी.आई.एल.	152.39	0.38	जारी
48.	ए.आर	जुनहेबोटो (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ एक ब्लॉक में 08 सं. टाईप-।। (जी+।।।) तथा विकास निर्माण कार्य।	एन.पी.सी.सी.एल.	117.17	0.29	जारी
49.	ए.आर	वोखा, नागालैंड में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 02 सं. टाईप-IV (जी+।) क्वाटर्स तथा विकास निर्माण कार्य	एन.पी.सी.सी.एल.	43.05	0.11	जारी
50.	ए.आर	कंगवई (मणिपुर) में ए.आर.बटा. के लिए 24 सं. टाईप-।। (जी+।।) के 04 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	342.31	0.86	जारी
51.	ए.आर	त्वेनसांग (नागालैंड) में सेक्ट.मु.ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 08 सं.सिंगल जे.सी.ओ. (जी+।।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	84.70	0.21	जारी

52.	ए.आर	कोहिमा (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 06 सं. टाईप-III (जी+II) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	109.70	0.27	जारी
53.	ए.आर	नागिनीमोरा (नागालैंड़) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं के साथ 02 ब्लॉको में 16 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+III) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	149.68	0.37	जारी
54.	ए.आर	नागिनीमोरा (नागालैंड) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यों और सहायक सेवाओं के साथ 03 ब्लॉक में 24 सं. टाईप-II क्वाटर्स (जी+III) विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	300.12	0.75	जारी
55.	ए.आर	घासवानी (नागालैंड़) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित एक ब्लॉक में 01 सं. जे.सी.ओ. क्लब (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	108.28	0.27	जारी
56.	ए.आर	कांगवई (मणिपुर) में ए.आर.बटा. के लिए 24 सं.टाईप-II (जी+II) के 04 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	336.60	0.84	जारी
57.	ए.आर	वोखा (नागालैंड) में ए.आर. के लिए 01 ब्लॉक में 06 सं. टाईप-तीसरा क्वाटर्स (जी+II), 01 ब्लॉक में 02 सं. टाईप-IV (जी+I) तथा 02 सं. टाईप V क्वाटर्स का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	44.46	0.11	जारी
58.	ए.आर	ए.आर. के लिए.आर..सी.सी. पोस्टस के साथ सीमा दीवार तथा 1.35 कि.मी. नई सड़क का निर्माण।	एच.पी.एल.	28.28	0.07	जारी
59.	ए.आर	ए.आर. के लिए 04 सं. सिंगल मेन बैरक (जी+III) का 01 ब्लॉक तथा 01 सं. कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल का निर्माण।	एच.पी.एल.	354.20	0.89	जारी
60.	ए.आर	ए.आर. के लिए 02 ब्लॉको में 12 सं. टी.-11 क्वाटर्स (जी+11) तथा सहायक सेवाओं के साथ 05 ब्लॉकों में 10 सं. टाईप-IV (जी+I) तथा विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	370.29	0.93	जारी
61.	ए.आर	ए.आर. के के.एल.पी. लोकेशन के लिए पहुँच मार्ग के साथ 03 सं.एस.एम. बैरक (जी+I) का निर्माण।	एच.पी.एल.	179.63	0.45	जारी
62.	ए.आर	ए.आर. नयी के.एल.पी. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास क्रार्यों सहित प्रशा. ब्लॉक (जी+I) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	305.12	0.76	जारी

63.	ए.आर	ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा आंतरिक मार्ग सहित क्यू.जी., कोटे शस्त्रागार तथा शस्त्र शॉप का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	133.51	0.33	जारी
64.	ए.आर	ए.आर. के लिए विकास कार्यों सहित 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण।	एच.पी.एल.	223.20	0.56	जारी
65.	ए.आर	आई.जी.ए.आर, (एस.) के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों सहित 24 सं. टी.-।। एस.एफ. क्वाटर्स का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	337.62	0.84	जारी
66.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में 04 सं. सिंगल ऑफिसर्स आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	72.90	0.18	जारी
67.	ए.आर	मु. 10 सेक्ट. ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में 01 सं.एस.एम. बैरक (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	98.20	0.25	जारी
68.	ए.आर	ए.आर. के 4 कार्यों के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में 02 सं.टी.-V क्वाटर्स (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	106.49	0.27	जारी
69.	ए.आर	ए.आर. के लिए 01 ब्लॉक में 02 सं. टी.-IV क्वाटर्स (जी+।) तथा सहायक सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में 02 सं.टी.-V क्वाटर्स (जी+।) - आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	162.22	0.41	जारी
70.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आकसीय (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	280.67	0.70	जारी
71.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी-।।-क्वाटर्स (जी+।।।) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	373.36	0.93	जारी
72.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी-।। क्वाटर्स (जी+।।।) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	376.24	0.94	जारी
73.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी-।। क्वाटर्स (जी+।।।) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	376.24	0.94	जारी
74.	ए.आर	ए.आर. के लिए 02 ब्लॉकों में 12 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवा. सुवि. (जी+।।) तथा सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉकों में 16 सं. टी-।। क्वाटर्स (जी+।।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	390.97	0.98	जारी
75.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी-।। क्वाटर्स (जी+।।।) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	397.03	0.99	जारी

76.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में 24 सं. टी-।। क्वार्टर्स (जी+।।।) आवासीय परियोजना का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	365.45	0.91	जारी
77.	ए.आर	01 ब्लॉक में (जी) विन्यास में 02 आवासीय ईकाईयों टी-V क्वार्टर्स-आवासीय परियोजना का निर्माण।	एच.पी.एल	114.34	0.29	जारी
78.	ए.आर	(जी+।।।) विन्यास में 16 आवासीय ईंकाईयों टी-।। क्वार्टर्स-आवासीय परियोजना का निर्माण।	एच.पी.एल	268.57	0.67	जारी
79.	ए.आर	ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों सहित 04 सं.एस.एम.बैरक (जी+।।।) का निर्माण।	एच.पी.एल	359.21	0.90	जारी
80.	ए.आर	4 वर्कस ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में 1 सं. भण्डारण सुविधा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	52.98	0.13	जारी
81.	ए.आर	4 वर्कशॉप ए.आर. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवाओं सहित 1 ब्लॉक में 1 सं. प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	58.67	0.15	जारी
82.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक मनोरंजन कमरा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	65.53	0.16	जारी
83.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में क्यू.जी., कोटे, शस्त्रागार शॉप (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	159.77	0.40	जारी
84.	ए.आर	मु., आई.जी.ए.आर. (एस.) ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 सं. कार्यालय भवन (जी+।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	210.43	0.53	जारी
85.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ मैगजीन भवन का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	146.95	0.37	जारी
86.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ मैगजीन भवन का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	148.45	0.37	जारी
87.	ए.आर	ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में 01 सं. अधिकारी क्लब का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	266.01	0.67	जारी
88.	ए.आर	सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 2 ब्लॉकों में 02 सं. कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल (जी) का निर्माण तथा सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में मनोरंजन कमरा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	212.28	0.53	जारी

89.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 सं. भण्डारण सुविधा (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	164.08	0.41	जारी
90.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ-साथ परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण।	एच.पी.एल	96.02	0.24	जारी
91.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ-साथ ऑफिसर क्लब का निर्माण।	एच.पी.एल	252.50	0.63	जारी
92.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यो सहित 01 सं. प्रशा.ब्लॉक (जी+।) का निर्माण।	एच.पी.एल	330.93	0.83	जारी
93.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉक में 24 सं. टी-।। क्वाटर्स (जी+।।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	403.58	1.01	जारी
94.	ए.आर	ए.आर. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉको में 08 सं. सिंगल ऑफि. आवा. सुवि. (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	148.00	0.37	जारी
95.	ए.आर	ए.आर. सेक्ट.मु./बटा.मु. के लिए विकास कार्यों तथा अनुषंगी सेवा के साथ 72 सं. टी.-।। आवा. सुवि. का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	935.91	2.34	जारी
96.	ए.आर	ए.आर. के लिए 08 ब्लॉक में 48 सं. टी-।। (जी+।।) तथा विकास कार्यों, जल आपूर्ति तथा बाह्य विघुतीकरण के साथ 07 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	707.07	1.77	जारी
97.	ए.आर	जोखावसांग, मिजोरम में असम राईफल्स के लिए आवासीय सुविधाओं का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	5438.65	13.60	जारी
98.	ए.आर	राधानगर (त्रिपुरा) में असम राईफल्स बटा. के लिए विकास कार्यों के साथ 06 सं. एस. एम. बैरकों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	285.15	0.71	जारी
99.	ए.आर	लुंगलेई (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए विकास कार्यो तथा सहायक सेवाओं के साथ-साथ 1 ब्लॉक में 08 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+।।।) का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	91.65	0.23	जारी
100.	ए.आर	सरचिप (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ-साथ परिवार कल्याण केंद्र का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	107.90	0.27	जारी

101.	ए.आर	सरचिप (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यों सहित भण्डारण सुविधा (जी+।) का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	192.00	0.48	जारी
102.	ए.आर	लुंगलेई (मिजोरम) में ए.आर.बटा. के लिए सरंचनात्मक विकास कार्यों सहित क्यू.जी./कोटे/शस्त्रागार का निर्माण।	ई.पी.आई.एल	194.18	0.49	जारी
103.	बी.एस.एफ	मथुरा में बटा.मु.बी.एस.एफ. कैंपस के लिए एक संख्या 240 व्यक्तियों के बैरक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	950.99	2.38	जारी
104.	बी.एस.एफ	बी.एस.एफ. कैंपस मथुरा के लिए बाह्य विकास कार्यों तथा थोक सेवाएं (सड़क कार्य/सीमा दीवार/प्रवेश द्वार तथा डोरमिटरी ब्लॉक)।	एन.बी.सी.सी	456.67	1.14	जारी
105.	बी.एस.एफ	बटा.मु.बी.एस.एफ. कैंपस बाद, मथुरा (उ.प्र.) के लिए 07 स्यूटस के साथ जी.ओ. मेस तथा 04 स्यूटस के साथ एस.ओ. का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	446.54	1.12	जारी
106.	बी.एस.एफ	बटा.मु.बी.एस.एफ. कैंपस बाद मथुरा (उ.प्र.) के लिए भंड़ार ब्लॉक, व्यवसायिक शॉप एवं एम.टी. कॉम्पलेक्स का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	492.23	1.23	जारी
107.	बी.एस.एफ	सेक्टर मु., बी.एस.एफ. ग्रेटर नोएड़ा में 90 व्यक्तियों के बैरक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी	475.9	1.19	जारी
		कुल		**38137.37**	**95.34**	

अनुबंध - 4.7

नक्शा तथा रूपरेखा की अनुपस्थिति

(पैरा 4.4.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	बाधा (दिनों में)
1.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ. राधाबारी में एम.टी. वर्कशॉप एवं एम.टी. पार्क का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	45
2.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	शमशेर में प्लाटून स्तर के बी.ओ.पी. का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	61
3.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	थोक सेवा एस.एच. का विकास नाला एवं विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	39
4.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	थोक सेवा एस.एच. का विकास: 870 कु.मी. की क्षमता का एस.टी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	114
5.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	कोबरा बटा. सालबोनी में 3 सं. 240 पुरूष वाले बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	49
6.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	222 परिवार क्वाटर (180 सं. टाईप-11) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	100
7.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	सालबोनी में कोबरा बटा. के लिए 20 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	203
8.	सी.आर.पी.एफ	पश्चिम बंगाल	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी के लिए बिन टाइप मैगजीन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	166
9.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	सीमानगर एस.एच. में आवासीय क्वाटर का निर्माण: 01 टी V क्वाटर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	63
10.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी. के परिसर के साथ चार दीवार (7300 मी.) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	222
				कुल	**1062**

अनुबंध- 4.8

तकनीकी संस्वीकृति के बिना अतिरिक्त मद का निष्पादन

(पैरा 4.4.2 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	कार्यकारी एजेंसी	कार्य का नाम	अतिरिक्त मद की राशि
1.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	बी.एस.एफ. कैंप रानीनगर, जलपाईगुड़ी में 02 ईकाईयों के लिए संयुक्त ड्रिल शेड का निर्माण।	8.47
2.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. के लिए संयुक्त ड्रिल शेड तथा मुक्त वायु थियेटर का निर्माण।	7.96
3.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	फ्रटी एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी के अंतर्गत 42 बटा. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी.ओ.पी. खांजीपाड़ा में आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना के संबंध में प्रशा. जवान बैरक तथा मैगजीन कोटे का निर्माण।	2.45
4.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा फ्रंटि, बी.एस.एफ. के अंतर्गत 28 बटा.बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. दुर्गापुर में कार्यालय ब्लॉक, मैगजीन, कोटे, बेतार ब्लॉक एवं जवान बैरक का निर्माण।	1.28
5.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कोलकाता के अंतर्गत 126 बटा.बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बी.ओ.पी. डी.एम.सी. के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना के संबंध में प्रशा.ब्लॉक मैगजीन, कोटे, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	5.68
6.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी.फ्रंटि.बी.एस.एफ. के अंतर्गत 42 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी.ओ.पी. मलुआपाड़ा हेतु आंतरिक जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था स्थापना के संबंध में प्रशा.ब्लॉक मैगजीन, कोटे, रसोईघर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	2.73
7.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू.मालदा.मु.मालढ़ा फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 57 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. चकाबंशी में कार्यालय ब्लॉक, मैगजीन, कोटे, बेतार ब्लॉक एवं रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	0.15
8.	बी.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	एस.एच.क्यू. मालदा, मु.मालदा फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 123 बटा.बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. केस्टोपुर में मैगजीन, कोटे, बेतार ब्लॉक एवं रसोईघर, डायनिंग ब्लॉक एवं जवान बैरक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	2.11
			कुल	**30.83**

9.	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	लिंगडुम 13 वीं बटा. लिंगडुम में जल आपूर्ति योजना।	2.65
			कुल	**2.65**
10.	सी.आर.पी.एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	तीसरा सिग्नल, साल्ट लेक, कोलकाता के लिए प्रशा. ब्लॉक (02 मई 2012 को ₹ 218 लाख के बजाय संशोधित संस्वीकृति जारी) का निर्माण।	1.01
11.	सी.आर.पी.एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	जी.सी. सिलीगुड़ी में 224 परिवार क्वार्टर्स (टी/।।-224) हेतु संशोधित संस्वीकृति (₹ 29,95,60,000/-)	173.65
12.	सी.आर.पी.एफ	सी.पी.डब्ल्यू.डी	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण।	4.97
			कुल	**179.63**
			कुल योग	**213.11**

अनुबंध-4.9

कोई संशोधित तकनीकी संस्वीकृति नहीं

(पैरा 4.4.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	तकनीकी संस्वीकृत राशि	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
1.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस.आई.अउली में प्रशा.ब्लॉक तथा प्रशि.ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	308.45	411.14	102.69	33.29
2.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	12 वीं बटा. मतली में तुफानी जल प्रणाली एवं निकासी का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	107.69	133.08	25.39	23.58
3.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	पहली बटा. के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	223.88	279.64	55.76	24.91
4.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम. एवं एस.आई. अउली में क्यू.जी, क्यू.एम. स्टोर तथा एम.आई. कमरा का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	196.67	243.53	46.86	23.83
5.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम. एवं एस. आई. अउली में अधिकारी मेस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	117.23	180.47	63.24	53.95
6.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. सीमाद्वार देहरादून एस.एच. में अलग परिवार आवासीय सुविधा का निर्माण, 200 टाईप-I क्वाटर्स का निर्माण तथा एस.एच 144 टाईप-II क्वाटर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1984.82	2335.63	350.81	17.67
7.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. अकादमी मसूरी देहरादून के एस्टेल इस्टेट में क्वाटर गार्ड का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	189.16	243.83	54.67	28.90
				कुल	**3127.90**	**3827.32**	**699.42**	

अनुबंध-4.10
कार्य में विलंब
(पैरा 4.5.1 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	बल	एजेंसी	ए.ए./ई.एस. की राशि (करोड़ में)	निविदा राशि	एल.ओ.आई. तिथि	समाप्ति की अनुबध्द तिथि	बीता हुआ समय
1.	हाफलौंग (असम) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में आवासीय विद्यालय (जी.एच.+1) का निर्माण	2013-14	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0.95	0.82	18.12.13	15	10
2.	हाफलौंग (असम) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में क्यू.जी., कोटे, शस्त्रागार शॉप (जी) का निर्माण	2013-14	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	2.21	1.93	05.10.13	15	12
3.	हाफलौंग (असम) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों सहित 03 ब्लॉकों में एम.टी. आवासीय सुविधा का निर्माण।	2013-14	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	2.15	1.87	01.10.13	15	12
				कुल	**5.31**	**4.62**			

अनुबंध-4.11

बाजार मूल्यों पर विचलित परिमाणों का भुगतान

(पैरा 4.5.2 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा राशि	ठेकेदार का नाम	अनुबंध सं.	प्रारंभ करने की अनुबध्द तिथि	समाप्ति की अनुबध्द तिथि	कार्य की स्थिति	बाजार दर पर भुगतान की गयी मदों की सं.	अनुबंध दर के अनुसार कुल राशि	बाजार दर के अनुसार कुल राशि	बाजार दर पर अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कार्यालय ग्रुप कमांडेंट, सी.आई.एस.एफ. ग्रुप मुख्यात्य, गुवाहाटी, असम के लिए गैर आवासीय सुविधा का निर्माण (ब्लॉक A एवं ब्लॉक B स्थल के विकास सहित)	675.72	708.86	मेसर्स ओ.पी. कोन्ड्ई एवं कं.प्रा.लि.	72/ सी.ई./ई.ई./जी.सी.डी./2009-10	18.07.2009	08.01.2011	पूर्ण	60	55.10	91.71	36.61
2.	सरबाहेरूआ, असम में 23 वीं बटा. उदलगिरी के लिए 2 स्वागत कक्ष पोस्ट 07 वाच टावर सहित चार दीवारी का निर्माण	224.88	308.37	मेसर्स गुनेश्वर शर्मा	08/ई.ई./.ए.ए.डब्ल्यू/डी./2011-12	05.05.2011	03.05.2012	पूर्ण	11	38.56	45.48	6.92
											कुल	43.53

अनुबंध- 4.12

अनुमोदन लिये बिना अतिरिक्त मदों का उपयोग

(पैरा 4.5.3 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ए.ए./ई.एस.	अनुमानित लागत	निविदा राशि	ठेकेदार को किए गए अंतिम/अघतन भुगतान	कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए किए गए भुगतान (लाख में)
1.	बंगरसिया, भोपाल में प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	221.45	138.50	155.44	152.79	4.95
2.	बंगरसिया, भोपाल में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	1281.41	653.19	822.41	948.69	12.41
3.	बी.एस.एफ. इंदौर में कि 120 टाईप-1 क्वाटर्स निर्माण।	482.33	355.94	380.99	391.78	6.40
4.	बी.एस.एफ. इंदौर में सामने की चार दीवारी का पुनर्निमाण एवं मजबूती का निर्माण।	96.19	88.50	92.80	100.38	11.18
5.	सी.आर.पी.एफ. नीमच में 501 टाईप-।। क्वाटर्स का निर्माण।	4657.93	3098.21	3885.65	4423.09	51.46
6.	सी.आर.पी.एफ. नीमच में चार दीवारी का निर्माण।	496.78	80.02	96.51	103.67	2.03
	अनु.सं. 34/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09		127.37	156.04	183.32	4.26
	अनु.सं. 30/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09					
	अनु.सं.36/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09		67.02	82.41	86.98	2.06
	अनु.सं.35/ई.ई./आई.सी.डी.-1/2008-09		78.72	97.29	113.27	11.20
7.	चौथी सि., बटा., सी.आर.पी.एफ., नीमच के लिए मुख्य कार्यालय तथा सिग्नल केंद्र के कृत्रिम छत के बदलाव का निर्माण	44.61 (सी.) 14.07 (ई) कुल 58.68	33.18	33.50	39.40	1.80
8.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच में सभी मुख्य द्वारो तथा कार्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण जगह के नजदीक स्थायी मोर्चा का निर्माण।	44.98	35.13	41.93	46.41	4.98
9.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में इस्पात कैची की उपलब्धता तथा स्थापना एवं मुक्त वायु सभाग्रह के ऊपर छत का निर्माण।	59.90	53.40	64.86	65.34	3.25

10.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में बोना गेट से विघवा क्वार्टर्स की ओर 5.35 कि.मी. सुरक्षा बाड़ का निर्माण।	59.94	49.53	65.91	36.00 (दूसरा आर.ए.बिल तक एव कार्य पुरगति में है)	1.85
11.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में अकादमी हाऊस के सामने सुरक्षा सह चार दीवार एवं एन. 75 की ओर अधिकारी कॉलोनी का निर्माण	59.83	32.34	42.99	61.92	2.71
12.	टी.एस.यू., बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में टाईप-11 क्वार्टर्स (39) का सुधार	60.00	46.04	60.72	29.98 (कार्य प्रगति में है)	0.48
13.	बी.एस.एफ. अकादमी टनकपुर में प्रवेश द्वार का निर्माण।	59.95	51.37	65.82	65.93	1.31
14.	सी.आर.पी.एफ., नीमच में जी.ओ. मेस का नवीकरण (एस.एच:एस./आर. से ई.आई. एवं पंखे आई/सी ए.सी. इकाई अहाता प्रकाश व्यवस्था एवं सेवा संबंध)	लागू नहीं	73.03	96.03	लागू नहीं	0.87
15.	दरिया महल का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	290	202.31	242.94	210.11	13.53
16.	निरीक्षण गैलरी का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	60	52.23	65.70	82.86	9.44
17.	06 सं. क्वार्टर्स का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	168.57	106.59	132.38	135.27	5.91
18.	4 ड्रिल शेड़ का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	169.70	62.70	87.81	109.62	2.29
19.	गिरी हुई चार दीवारी का निर्माण सी.आई.एस.एफ., बरवाहा	21.25	18.54	22.34	21.78	1.16
20.	एम.टी. परिसर आई.टी.बी.पी., शिवपुरी	125.38	91.61	96.46	125.23	3.8
					कुल	**159.33**

अनुबंध - 4.13

कार्य की समाप्ति में विलम्ब/पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में देर से कार्यान्वयन तथा बचतों के कारण लागत में बढ़ोतरी

(पैरा 4.5.5.1 एवं 4.5.6)

कार्य की समाप्ति में विलंब (1 से 129 + 1 से 189 + 1 से 87 = 405), पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में लागत की बढ़ोतरी (1 से 129) पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में बचतें (1 से189)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का नाम	कार्यकारी अभिकरण	विलंब माह में	लेखापरीक्षा की समाप्ति को वर्तमान स्थिति	ए.ए. एवं ई.एस. की राशि	अंतिम व्यय/अघतन व्यय	अंतर
1.	एस.एस.बी.	दिल्ली	लेवल-।। संचार केंद्र आर.के.पुरम नई दिल्ली का नवीकरण	विभाग	2	पूर्ण	31.12	34.04	2.92
2.	एस.एस.बी.	दिल्ली	एम.टी.गार्ड घीटोरनी का निर्माण	विभाग	11	पूर्ण	15.63	16.94	1.31
3.	एस.एस.बी.	दिल्ली	कम्प्यूटर शाखा आर.के.पुरम नई दिल्ली का नवीकरण	विभाग	10	पूर्ण	3.67	42.48	38.81
4.	एस.एस.बी.	दिल्ली	एस.पी. कैंटीन घीटोरनी का निर्माण	विभाग	12	पूर्ण	26.03	28.58	2.55
5.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	मॉड्यूलर कार्य स्टेशन	विभाग	2	पूर्ण	59.08	63.08	4
6.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	एयर विंग स्टाफ के लिए कार्यालय सुविधा	विभाग	4	पूर्ण	58.91	64.8	5.89
7.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	गलियारे में जमीनी टाइल्स	विभाग	1	पूर्ण	50.73	55.79	5.06
8.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	टाईप-। क्वाटर्स छावला का नवीकरण	विभाग	14	पूर्ण	59.68	59.95	0.27
9.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	टाईप-।। क्वाटर्स छावला का नवीकरण	विभाग	14	पूर्ण	59.56	64.66	5.1
10.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	विघमान सीमा दीवार महावीर नगर की मजबूती	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	46.08	50.77	4.69
11.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	वाटर प्रूफिंग उपचार, झरोदा कलां।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	28.05	29.75	1.7
12.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	पेरिफारि दीवार के साथ-साथ सुरक्षा प्रकाश उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	44.52	50.12	5.6

13.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	कदमतला के पिछले भाग में सीमा दीवार से सटे हुए विकास कार्य सहित नाला एवं निकास व्यवस्था का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	98.42	125.56	27.14
14.	बी.एस.एफ.	असम	ढ़ोलचेरा सिलचर असम में बी.एस.एफ. प्रांगण के लिए सीमा दीवार के शेष भाग का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	32	पूर्ण	178.69	181.89	3.2
15.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में वाटर टैंक का निर्माण।	विभाग	6	पूर्ण	39.98	42.33	2.35
16.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में कुक हाऊस का निर्माण	विभाग	4	पूर्ण	14.98	17.19	2.21
17.	बी.एस.एफ.	त्रिपूरा	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. के अंतर्गत बटा.मु. बी.एस.एफ. कैंपस महारानीचेरा के लिए एम.आई. कमरे का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	149.54	164.27	14.73
18.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	सी.आई.एस.एफ. कैंपस साकेत में कोटा स्टोन फ्लोरिंग तथा कैंटीन एरिया में लगे हुए एस.एस. रोलिंग के साथ मंच उपलब्ध कराकर अस्पताल भवन एवं फिजियोथेरेपी कमरे का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	24.59	35.69	11.1
19.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	महिपालपुर में 13 सं. सुवाहय हटों का विघुतीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	10.07	16.53	6.46
20.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	सीमा दीवार का निर्माण	विभाग	0	पूर्ण	38.66	39.49	0.83
21.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी.आई. फ्रंटि. बी.एस.एफ. के अंतर्गत 92 बटा.बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के जिले में प्रशा. ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	24	पूर्ण	77.24	77.36	0.12
22.	बी.एस.एफ.	राज.	बी.ओ.पी. विजेता, बिजनौर, मजनु एवं खेरूवाला 64 बटा.बी.एस.एफ. में जवान बैरक का निर्माण	विभाग	5	पूर्ण	57.83	63.59	5.76
23.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	क्वाटर गार्ड के चारो ओर चेन लिंक बाड़ा उपलब्ध कराना तथा बिछाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	28.9	31.63	2.73
24.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. कैंपस आर.टी.सी.-1 रेवली में वर्षा जल एकत्रीकरण प्रणाली का विकास।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	23.02	29.85	6.83
25.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सेरेमोनियल पैरेड़ ग्राऊँड में शेष बचे हुए कार्य का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	42.05	45.86	3.81

26.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सिमेंट्री ग्राऊंड के चारो ओर सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	18.67	20.07	1.4
27.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	मसुदा हाऊस का अनुरक्षण तथा सौंदर्यबोजी सुधार।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	27.04	27.62	0.58
28.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	गांधीनगर में जी.सी.सी.आर.पी.एफ. के कैंपस के चारो ओर अहाते की दीवार के क्षतिग्रस्त भाग के स्थान पर विघमान अहाते की दीवार तथा सी./ओ. नये अहाते की दीवार का मजबूतीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	58.21	60.31	2.1
29.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	जी.सी,सी.आर.पी.एफ. कैंपस, गांधीनगर मे अहाते की दीवार के साथ-साथ पेट्रोलिंग के लिए 3 मी. चौड़ी कच्चा पेरोफेरियल सड़क का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	53.08	54.79	1.71
30.	बी.एस.एफ.	गुजरात	04 सं. अपूर्ण जी.ओ. मेस का निर्माण।	विभाग	31	पूर्ण	32.76	46.67	13.91
31.	बी.एस.एफ.	गुजरात	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ., गांधीनगर, गुजरात के अंतर्गत 133 (अब 107) बटा.बी.एस.एफ. के लिए 03 सं. मैगजीन भवन का निर्माण।	विभाग	14	पूर्ण	23.78	31.85	8.07
32.	सी.आर.पी.एफ.	असम	प्रशि. क्षेत्र एवं प्रवेश द्वार सं. 3 में 33 के.वी. सब स्टेशन एवं विघुत सब स्टेशन कमरें का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	164.87	169.35	4.48
33.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिपुरा	दो प्रवेश द्वारों के साथ सीमा दीवार, 6 सं. प्रेक्षण टावरों तथा सन्तरी चौकी 18 सं. एवं गार्ड का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	328.65	405.66	77.01
34.	बी.एस.एफ.	तमिलनाडु	गाड़ कमरे का निर्माण।	विभाग	8	पूर्ण	15.39	16.11	0.72
35.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	जी.ओ. में कृत्रिम सिलिंग, काचित टाइलों तथा विविध कार्य उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	14.08	14.77	0.69
36.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	12 महिला एस.ओ.एस. ड़ोरमेटरी तथा 60 महिला बैरकों के चारो ओर प्रवेश द्वार के साथ अहाते की दीवार।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	11.49	15.59	4.1
37.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	9 वाँ बटा. लोहितपुर संशोधित में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क एवं सड़क के रिकार्पेटिंग का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15	पूर्ण	193.16	257.85	64.69

38.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	मोहनबारी में एलिवेटेड़ प्रेक्षण टावर के साथ सीमा दीवार, गाड़ कमरा तथा प्रवेश द्वार के साथ सन्तरी पोस्ट का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	175.23	181.18	5.95
39.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	38 वाँ बटा. त्वांग में V- 02 सं. आवासीय क्वाटर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	140.62	366.39	225.77
40.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	38 वाँ बटा. त्वांग में IV-06 सं. क्वाटर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	पूर्ण /	218.01	366.39	148.38
41.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	शास्त्री पार्क में 144 गर्लस होस्टल का निर्माण।	डी.एम.आर.सी.	29	पूर्ण	306	354.72	48.72
42.	बी.एस.एफ.	एम.पी.	सी.एस.डब्ल्यू.टी,बी.एस.एफ. इंदौर में फ्रंट सीमा दीवार की मजबूती, प्रवेश, द्वारों तथा गाड़ कमरों का पुननिर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	96.19	102.42	6.23
43.	सी.आर.पी.एफ.	असम	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., गुवाहाटी-23 के सड़कों। उपवीथिकाओं की रीकार्पेटिंग द्वारा विकास मरम्मत	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	35.26	40.43	5.17
44.	एस.एस.बी.	असम	33 वाँ बटा. रंगिया में कमांडेंट + एक अधिकारी के लिए 01 सं. एस.पी.टी. आवास का निर्माण।	विभाग	21	पूर्ण	16.30	16.45	0.15
45.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	34 वाँ बटा. दिरांग में आंतरिक बिटुमिनस मार्ग तथा वाटर बाउंड़ मैकेड़म की मरम्मत तथा रिकार्पेटिंग।	विभाग	0	पूर्ण	14.13	15.44	1.31
46.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	38 वाँ बटा. त्वांग में मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए गैरेज का निर्माण।	विभाग	1	पूर्ण	22.75	25.02	2.27
47.	ए.आर.	अरूणाचल प्रदेश	जयरामपुर में 18 असम राईफल्स के लिए 81 एम.एम. मोटर सिक्यूलेटर का प्रावधान।	विभाग	8	पूर्ण	55.93	58.12	2.19
48.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी के लिए बिन टाईप मैगजीन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	40.45	55.69	15.24
49.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	बाढ़ क्षति मरम्मत (बी.पी. 358 एम.पी. से बी.पी. 357 एम.पी.)।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	23.57	42.32	18.75
50.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.ड़ी, सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में धोबी घाट का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	16.00	27.10	11.1

51.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	ग्रुप केंद्र, सी.आर.पी.एफ., सिलीगुड़ी में प्रशासनिक ब्लॉक के नजदीक साईकिल तथा मोटर साईकिल शेड का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	19.69	42.15	22.46
52	बी.एस.एफ.	मणिपुर	एस.एच.क्यू.बी.एस.ए-फ. सी.आई. (ऑप.) मणिपुर के अंतर्गत बी.एस.एफ. सीसीपुर के 140 बटा. की स्थापना के लिए संचार व्यवस्था की स्थापना तथा एम.टी. फलीट के लिए 5 सं. अस्थायी संरचना।	विभाग	7	पूर्ण	36.36	63.78	27.42
53	ए.आर.	मिजोरम	खातला, ऐजवाल में मु. 23 सेक्टर ए.आर. के लिए मनोरंजन कमरे का निर्माण।	विभाग	2	पूर्ण	54.00	56.65	2.65
54	ए.आर.	त्रिपुरा	अगरतला में 35 ए.आर. के सिग्नल एक्सचेंज तथा मैगजीन भवन के लिए बहाव सुरक्षा का प्रावधान।	विभाग	15	पूर्ण	23.02	24.44	1.42
55	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	3 सं. 120 व्यक्तियों वाले बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	599.47	637.92	38.45
56	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	3 सं. विघुत सब स्टेशन की वृद्धि।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16	पूर्ण	187	206	19
57	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	वजीराबाद में सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	217	227	10
58	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	ग्रेटर नोएड़ा में टाईप-II, के 288 परिवार क्वाटरों का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	64	पूर्ण	1411	2358	947
59	सी.आई.एस.एफ.	एम.पी.	आर.टी.सी., बरवाहा के लिए 4 सं. ड्रिल शेडस।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	142	168.7	26.7
60	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.ओ. के लिए मेस के मरम्मत तथा नवीकरण का निर्माण कार्य।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	82.95	89.57	6.62
61	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच में सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	496.78	500.17	3.39
62	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी.,नीमच में 50/सं.टी/।। एफ क्वार्टर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	4657.93	4896.82	238.89
63	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर में बिन टाईप मैगजीन जी.सी. सी.आर.पी.एफ. का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	29.79	34.23	4.44

64	सी.आई.एस.एफ.	एम.पी.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी. बरवाहा के लिए डब्ल्यू.टी ग्राउंड के पास गिरे हुए अहाते की दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	21.25	22.93	1.68
65	बी.एस.एफ.	एम.पी.	टेकानपुर, बी.एस.एफ., अकादमी में प्रवेश द्वार	विभाग	11	पूर्ण	59.94	65.93	5.99
66	बी.एस.एफ.	एम.पी.	अकादमी में इस्पात ट्रसों तथा मुक्त वायु सभाभवन के ऊपर छत को उपलब्ध कराना एवं निर्माण।	विभाग	4	पूर्ण	59.89	65.75	5.86
67	बी.एस.एफ.	एम.पी.	एन.एच.-75 की ओर अकादमी हाऊस तथा ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने सुरक्षा एवं सीमा दीवार।	विभाग	8	पूर्ण	59.83	62.08	2.25
68	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., सी.र.पी.एफ., नीमच के लिए सभी मुख्य द्वार/कार्यालय/महत्वपूर्ण जगह के पास स्थायी मोर्चा का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	44.98	46.41	1.43
69	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	आर.टी.सी. नीमच के लिए 03 सं. खुले कुओं का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	44.97	45.53	0.56
70	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	4 सिग.बटा. के मुख्य कार्यालय तथा सिग्नल केंद्र के कृत्रिम छत को बदलना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	44.61	48.94	4.33
71	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	कानेटकर बैरक सं. 1 एवं 2 सी.टी.सी., सी.आर.पी.एफ., नीमच का नवीकरन।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	44.76	48.73	3.97
72	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	जी.सी., सी.आर.पी.एफ, नया गांव ग्वालियर में 5 सं. कोत कमरा।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	45.31	62.59	17.28
73	आई.टी.बी.पी.	एम.पी.	आर.टी.सी., आई.टी.बी.पी., करेरा में वर्षा जल एकत्रीकरण द्वारा आर.टी.सी. कैंपस के जल आपूर्ति प्रणाली की वृद्धि।	विभाग	0	पूर्ण	59.5	59.81	0.31
74	आई.टी.बी.पी.	एम.पी.	आर.टी.सी., आई.टी.बी.पी., करेरा में प्रशा. स्टाफ के लिए 01 (एक) दो मंजिला भवन का निर्माण।	विभाग	0	पूर्ण	55.53	59.02	3.49
75	बी.एस.एफ.	राज.	सुम रोड़ जैसलमेर में स्थित 84 बटा.बी.एस.एफ. कैंपस-1 में विकास कार्यों सहित 1 सं. 120 आदमियों वाले बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	165.78	207.74	41.96

76	बी.एस.एफ.	गुजरात	गांधीनगर में फ्रंटि.मु., बी.एस.एफ. में लघु शस्त्र वर्कशॉप का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	162.84	213.53	50.69
77	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., बेहरोर के लिए अर्द्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	299.5	381.79	82.29
78	एस.एस.बी.	राज.	आरक्षित बटा.मु. मौजपुर (अलवर) में आवासीय भवन तथा गैर-आवासीय भवन के निर्माण के संबंध में।	एन.बी.सी.सी.	0	पूर्ण	3940.31	4194.33	254.02
79	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	389	539	150
80	बी.एस.एफ.	कर्नाटक	आतंरिक मार्गों, पुलिया, बौछार पानी निकास व्यवस्था इत्यादि का निर्माण कार्य।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	492	573	81
81	सी.आई.एस.एफ.	राज.	180 आदमियों वाले बैरक का 2 सं.।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	22	पूर्ण	499.49	708.18	208.69
82	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.सी. के लिए 107 क्वाटर्स (टी-II 84, टी-III 20 , टी-IV 02 तथा टी V 01 का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	38	पूर्ण	857.02	877.03	20.01
83	सी.आई.एस.एफ.	राज.	गैर-आवासीय भवनें।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	1078.4	2268.55	1190.15
84	सी.आई.एस.एफ.	राज.	परिवार कल्याण केंद्र।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	180.52	181.17	0.65
85	सी.आर.पी.एफ.	राज.	386 सं. विविध प्रकार के पुराने फैमिली क्वाटर्स (टी/1-84, टी/II-290 एवं टी/III-12) में तार से बने जालीयुक्त दरवाजों एवं खिड़कियों को उपलब्ध कराना एवं लगाना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	98.97	100.13	1.16
86	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. चाकुर में प्रत्येक कं., ए,बी,सी.डी.ई मु.कम्पनी के लिए 10 सीटों वाले डब्ल्यू.सी. ब्लॉक का निर्माण।	विभाग 1	17	पूर्ण	28.19	36.47	8.28
87	सी.आर.पी.एफ.	कर्नाटक	208 सं. टाईप-II फैमिलि क्वाटर्स का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	1229	1430	201
88	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	कादरपुर में जी.सी. से गांव की मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए पहुँच मार्ग।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	65.29	78.34	13.05
89	सी.आर.पी.एफ.	ज.एवं क.	117 सं. फैमिली क्वाटर्स।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	396	577	181

90	एस.एस.बी.	हि.प्र.	सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन तथा स्टोरेज टैक का निर्माण तथा स्थल के विकास सहित एस.एस.बी., टी.सी., साराहन के लिए बाध्य जल आपूर्ति योजना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	119	125	6
91	आई.टी.बी.पी.	ज.एंव क.	12 के लिए एक प्रत्येक 3 सं. प्रशा. ब्लॉक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	998	1004	6
92	सी.आर.पी.एफ.	ज.एंव क.	3 सं. 180 आदमियों वाले बैरक	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	873.00	1372	499
93	सी.आर.पी.एफ.	ज.एंव क.	04 सं. नाला आर.सी.सी. संपवेल सेवाओं प्रशा. क्वाटर गार्ड।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	918.47	1017	98.53
94	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	आर.टी.सी. अरककोनम में 100 मी. बाधक रेंज का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	23	पूर्ण	218.84	295.28	76.44
95	बी.एस.एफ.	उ.प्र.	97 बटा.बी.एस.एफ. लखनऊ में 02 सं. शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	विभाग 1	3	पूर्ण	11	12	1
96	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	आर.टी.सी. के लिए इंडोर खेल परिसर।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	329.15	334.77	5.62
97	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	पुनसर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त अतिरिक्त क्षेत्र के लिए काँटेदार तार बाड़ा के साथ सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी संशोधित संस्वीकृति।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	218.84	295.25	76.41
98	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	मनोरंजन हॉल का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	95.42	129.35	33.93
99	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	4 सं. 60 आदमियों वाले बैरक, एस.ओ. डोरमिटरी एवं 60 महिला बैरक में मच्छर प्रुफ दरवाजे शटर उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	96.78	99.2	2.42
100	सी.आर.पी.एफ.	केरल	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम में यू.जी. केबल्स के साथ ओवर हेड़ विघुत लाईन का बदलाव।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	66	पूर्ण	69.54	94.49	24.95
101	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर.टी.सी. के लिए दस बिस्तरों वाला अस्पताल।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	42	पूर्ण	120	162.55	42.55
102	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	202 कोबरा बटा., कोरापुट के लिए 269 सं. एफ./क्वाटर्स (टी/II-227, III-27, IV-14 एवं V-I) का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	3121.28	3193.04	71.76
103	एस.एस.बी.	यू.पी.	लखीमपुर खेरी में पूर्वनिर्मित संरचना का निर्माण।	विभाग 1	2	पूर्ण	60	63	3

104	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम. एवं एस.आई. अउली में प्रशा. ब्लॉक तथा प्रशि. ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	439	453	14
105	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	12 वाँ बटा. मतली में बौछार जल प्रणाली एवं निकास व्यवस्था का विकास।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	14	पूर्ण	149	193	44
106	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सीमाद्वार, देहरादून में जल आपूर्ति लाईन की वृद्धि (संशोधित)।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	उ.न.	पूर्ण	63	68	5
107	आई.टी.बी.पी.	उ.ख.	चेन लिंक फेज ।। मलारी पोस्ट उपलब्ध कराना।	विभाग	0	पूर्ण	51	55	4
108	आई.टी.बी.पी.	उ.ख.	23 वाँ बटा. देहरादून में बाह्य दीवारों पर मौसम कोड लागू कर वाटर प्रूफिंग उपचार उपलब्ध कराना तथा निर्माण।	विभाग	0	पूर्ण	40	42	2
109	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर.टी.सी. के लिए किला दीवार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	31	पूर्ण	87.87	133.27	45.4
110	एस.एस.बी.	उ.ख.	बटा.मु. चम्पावत में काँटेदार तार के बाड़े का निर्माण।	विभाग	20	पूर्ण	40.00	44	4
111	एस.एस.बी.	उ.ख.	फ्रंटियर मु. रानीखेत में ट्रेडसमेन शॉप तथा वेअर हाऊस का निर्माण।	विभाग	14	पूर्ण	19.00	21	2
112	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	सेक्टर मु., पटना बिहार में 23 सं. एफ./क्वार्टर्स (टी/I-2, II-12, III-7, VI-2), थोक सेवाएँ, मुख्य द्वार, गार्ड कमरा, विकास कार्य तथा सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	361.36	407.48	46.12
113	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	आई.टी.बी.पी. रांची के लिए प्रत्येक हट के लिए 1.525 एम. बरामदा एवं संलग्न 5 सं. डब्ल्यू.सी. तथा 4 सं. बाथरूम सहित 19.52 एम.×6.1 एम. के आकार के 4 सं. पूर्व निर्मित हटों को उपलब्ध कराना एवं लगाना: पूर्वनिर्मित हटो की आपूर्ति तथा निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	27.12	28.18	1.06
114	आई.टी.बी.पी.	झारखंड़	40 वाँ बटा., आई.टी.बी.पी., रांची के लिए गैर आवासीय भवन का निर्माण एस.एच.: स्थल एवं थोक सेवा (सिविल एवं इलेक्ट्रीकल) का विकास एस.डब्ल्यू.: जल तथा भूमिगत सम्प के लिए 100000 लीटर क्षमता वाले आर.सी.सी. उन्नत सेवा हौज का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	58.42	68.95	10.53

115	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	दीघा सेक्टर मु. पटना, बिहार में बिहार सेक्टर, सी.आर.पी.एफ. के लिए एस.ओ.एस.मेस एवं ऑफिसर्स मेस (4 मंजिला) का निर्माण (₹313.69 के बदले संशोधित संस्वीकृति दिनांक 08/09/2010)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	39	पूर्ण	314	505	191
116	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	सेक्टर मु., पटना, बिहार में 15 सं. टी/I-2, II-7, III-5 एवं IV-1 का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	104	110	6
117	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	104 वॉ बटा.आर.ए.एफ. अलीगढ़ के लिए 60 महिला बैरक का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	88	94	6
118	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	जी.सी. ईलाहाबाद में 250 सं. एफ./क्वाटर्स (टी/II-240, IV-8, V-2) का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	1809	1888	79
119	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी. के लिए टाईप-III-24 सं., टी.- IV-6 सं. एवं टी- V-2 सं. का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	20	पूर्ण	511.82	616	104.18
120	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	रामपुर में 15 सं. प्रेक्षण टावर एवं गार्ड कमरों का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	50	53	3
121	बी.एस.एफ.	केरल	के.एल.पी. 163 बटा.बी.एस.एफ., त्रिशुर के लिए 2 सं. मैगजीन का निर्माण।	विभाग	8	पूर्ण	45.8	49.6	3.8
122	बी.एस.एफ.	केरल	एस.एच.क्यू. मुत्तटहारा, त्रिवेन्द्रम में टाईप-V क्वाटर्स का निर्माण।	विभाग	17	पूर्ण	49.11	53.83	4.72
123	सी.आर.पी.एफ.	उ.प्र.	रामपुर में सुरक्षा कारणों से सीमा दीवार एवं 2 सं. गार्ड कमरे के साथ प्रेक्षण टावर एवं सी.डब्ल्यू.एस. 6.5 एकड़ भूमि के सामने सतह पर कॉनसर्टिना तार के साथ उपलब्ध कराना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	69	72	3
124	बी.एस.एफ	कर्नाटक	एस.टी.सी., बी.एस.एफ., बैंगलुरू में विघमान टाईप-II क्वाटर्स (71 संख्या); टाईप-III (10 संख्या); टाईप-III काटेज (03 संख्या) तथा टाईप IV (07 संख्या) के दरवाजों एवं खिड़कियों में वायर गेज शटरों को उपलब्ध कराना तथा लगाना।	विभाग 1	0	पूर्ण	26.82	29.18	2.36

125	बी.एस.एफ.	कर्नाटक	काराहल्ली में 82 वाँ बटालियन बी.एस.एफ. के लिए हल्के/मध्यम एवं भारी वाहन गैरेज का निर्माण।	विभाग 1	19	पूर्ण	59.96	65.68	5.72
126	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	44 वाँ बटालियन, आई.टी.बी.पी. बेलगाम में अर्ध्द-स्थायी एस.ओ. मेस का निर्माण।	विभाग 1	0	पूर्ण	39.45	41.29	1.84
127	आई.टी.बी.पी.	कर्नाटक	44 वाँ बटालियन, आई.टी.बी.पी., बेलगाम में ओ.आर. के लिए 02 संख्या अर्ध्द स्थायी रसोईघर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	विभाग 1	0	पूर्ण	30.67	33.68	3.01
128	सी.आर.पी.एफ.	तेलगांना	जी.सी., सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद में 16 सं. नये टाईप-IV आवासीय क्वाटरों (क्वाटर सं. 13 से 28) का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12	पूर्ण	29.75	51.10	21.35
129	सी.आई.एस.एफ.	म.प्र.	गैर-आवासीय क्षेत्र, बरवाहा में सड़कों की रिकार्पेटिंग।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	27.42	53.75	26.33
					कुल		**33588.41**	**39890.84**	**6302.43**
1.	सी.आर. पी.एफ.	दिल्ली	परेड ग्राऊंड, कादरपुर गुड़गांव तक पहुँच मार्ग।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	59.76	40.28	-19.48
2.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	10 दस्ता पोस्ट का निर्माण, कादरपुर, गुड़गांव।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	53.33	51.41	-1.92
3.	ए.आर.	मणिपुर	शंगशक में 19 ए.आर. के लिए 06 टाईप III (जी+II) तथा 48 टाईप II क्वाटरों (जी+।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	45	पूर्ण	528.13	435.94	-92.19
4.	ए.आर.	असम	लोकरा (असम) में 43 ए.आर. के लिए 12 सं. टी-III (जी+II) तथा 54 सं. टी-II (जी+II) क्वाटरों का निर्माण।	ई.पी.आई. एल.	25	पूर्ण	587.46	498.17	-89.29
5.	ए.आर.	असम	लोकरा में 43 ए.आर. के लिए 09 एस. एम. बी. (जी+II), 01 प्रशा. ब्लॉक (जी+I) तथा 01 ऑफिसर मेस का निर्माण।	असम	उ.न.	पूर्ण	552.16	454.38	-97.78
6.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एन.बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत राधाबारी में एस.एच.क्यू. सिलीगुड़ी के लिए एम.टी. वर्कशॉप एवं एम.टी. पार्क का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	491.36	298.71	-192.65

7.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ. कैंपस रानीनगर जलपाईगुड़ी में 02 ईकाईयों के लिए संयुक्त ड्रिल शेड का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	14	पूर्ण	222.58	178.28	-44.3
8.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में शौच घर इकाई का निर्माण।	विभाग	3	पूर्ण	59.98	44.69	-15.29
9.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में लॉन टेनिस का निर्माण।	विभाग	7	पूर्ण	35.85	34.88	-0.97
10.	एन.एस.जी.	दिल्ली	संचालन कक्ष महराम नगर।	विभाग	24	पूर्ण	34.43	32.19	-2.24
11.	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	बी.एस.एफ. के लिए 4 सूट्स के साथ एस.ओ.एस. मेस का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	145.09	139.57	-5.52
12.	बी.एस.एफ.	मिजोरम	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ., ऐजवाल, एफ.टी.आर मु., एम. एवं सी. के अंतर्गत बी.एस.एफ. कैंपस, लुंगलेई (मिजोरम) में टाईप-V-1 सं. क्वार्टर का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	76.56	71.01	-5.55
13.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	बी.एस.एफ. से एस.एच.क्यू., बी.एस.एफ., कृष्णानगर, एस.बी. के अंतर्गत 42 बटा. के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बी.ओ.पी. खाजीपाड़ा में आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. जवान बैरक तथा मैगजीन कोट का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	77.25	75.87	-1.38
14.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	महिपालपुर में मेस के लिए रसोई घर तथा राशन स्टोर के लिए सुवाह्य हटों का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	3	पूर्ण	21.07	20.67	-0.4
15.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	बल के जवानों के लिए बैठने वाली गैलरी का निर्माण।	विभाग	3	पूर्ण	36.14	26.87	-9.27
16.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	वी.आई.पी. लोगों के लिए बैठने वाली गैलरी का निर्माण।	विभाग	3	पूर्ण	36.17	26.64	-9.53
17.	आई.टी.बी.पी.	दिल्ली	शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण।	विभाग	4	पूर्ण	12.61	12.03	-0.58
18.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा, एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 28 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. दुर्गापुर में कार्यालय ब्लॉक, मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक एवं जवान बैरक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	103.15	82.25	-20.9

19.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा, एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 123 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. कंचनतार में रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक, जवान बैरक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	61.26	57.24	-4.02
20.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कोलकाता दक्षिण बंगाल एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 126 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बी.ओ.पी. डी.एम.सी. के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. ब्लॉक, मैगजीन, कोट, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	59.59	55.67	-3.92
21.	ए.आर.	असम	जोरहाट में असम राईफल्स के लिए 48 सं. टी.-II क्वाटरों तथा 12 सं. टी.-III एस.एफ. आवासीय सुविधा का निर्माण।	ई.पी.आई. एल.	42	पूर्ण	611.34	375.89	-235.45
22.	ए.आर.	अरूणाचल प्रदेश	जयरामपुर (अरूणाचल) में 29 असम राईफल्स के लिए 02 टाईप-V (जी.+I) क्वार्टरों, 72 टाईप-II क्वार्टरों (जी.+II) तथा 04 सं. एकल अधिकारी आवासीय सुविधा (जी.+I) का निर्माण।	ई.पी.आई. एल.	28	पूर्ण	773.69	621.80	-151.89
23.	ए.आर.	नागालैंड	09 एकल पुरूष बैरक (18 एन.सी.ओ. तथा 180 अन्य के लिए) (जी.+III) के 03 ब्लॉक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक, 01 ऑफिसर्स मेस, 01 सं. जे.सी.ओ. का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	38	पूर्ण	704.48	577.31	-127.17
24.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस.बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 92 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बी.ओ.पी. नतना के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. ब्लॉक, मैगजीन, कोट, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	77.25	32.63	-44.62

25.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. कृष्णानगर एस. बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 42 बटा. बी.एस.एफ. के लिए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बी.ओ.पी. मलुआपाड़ा के आंतरिक जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था स्थापना सहित प्रशा. ब्लॉक, मैगजीन, कोट, रसोई घर तथा डायनिंग हॉल का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	77.25	74.53	-2.72
26.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. बेहरामपुर, एस.बी. एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 151 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. चंडीचक में जवान बैरक एवं मैगजीन कोट का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	95.93	9.13	-86.8
27.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 57 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. चकाबंशी में कार्य ब्लॉक एवं रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	90.07	71.13	-18.94
28.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. बी.एस.एफ. मालदा, मु. मालदा, एफ.टी.आर बी.एस.एफ. के अंतर्गत 123 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. केस्टोपुर में मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक एवं रसोई घर, डायनिंग ब्लॉक एवं जवान बैरक एवं शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	92.72	81.00	-11.72
29.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.एच.क्यू. मालदा, मु. मालदा, फ्रंटि. बी.एस.एफ के अंतर्गत 69 बटा. बी.एस.एफ के बी.ओ.पी. दोमुथा में मैगजीन, कोट, बेतार ब्लॉक एवं जवान बैरक का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	72.38	57.99	-14.39
30.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी. बी.एस.एफ. उत्तर बंगाल में 06 सं. दो मंजिला पूर्व निर्मित संरचना का निर्माण।	एन बी सी सी	9	पूर्ण	289.13	220.14	-68.99

31.	बी.एस.एफ.	असम	बी.एस.एफ. कैंपस पटगांव, गुवाहाटी (असम) में 1.5 लाख लीटर क्षमता वाले आर.सी.सी ओवर हेड टैंक, 3लाख लीटर क्षमता वाले यू.जी. सम्प, गहरे ट्यूब वेल की बोरिंग, आयरन रिमूवल फिल्ट्रेशन प्लांट तथा ओवर हेड से विद्यमान लाईन तक जल आपूर्ति लाईन बिछाने का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	182.66	1.99	-180.67
32.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	66 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. जगदेव में जवान बैरक, कुक हाऊस सह डायनिंग हॉल, प्रशा. ब्लॉक तथा कोट स्टोर एवं मैगजीन ब्लॉक का निर्माण।	विभाग	0	पूर्ण	39.38	38.59	-0.79
33.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	फ्रंटि. मु. बी.एस.एफ. राजस्थान में टाईप के (44सं.) क्वार्टरों का सुधार।	विभाग	28	पूर्ण	38.96	19.78	-19.18
34.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस.टी.सी.बी.एस.एफ जोधपुर में ड्रिल स्कवायर पैरेड ग्राउंड की रिकार्पेटिंग।	विभाग	0	पूर्ण	47.24	28.39	-18.85
35.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	सी. कंपनी से नेक चाल मंदिर तक,सी पी. डब्ल्यू. डी कार्यालय से अजमेरी गेट तथा अजमेरी गेट से युध्द स्मारक तक स्ट्रील लाईट।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	38.26	20.03	-18.23
36.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	जी.सी.-I, अजमेर में सं.01 से 48 तक टाइप II क्वार्टरों का नवीकरण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	58.44	57.11	-1.33
37.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	सी.आर.पी.एफ. में आवासीय क्षेत्र में 02 सं. चिल्ड्रेन पार्क का विकास।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	9	पूर्ण	54.36	43.97	-10.39
38.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	विद्यमान तलाब का विकास।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	44.08	38.35	-5.73
39.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	बैरक सं. 1 से 5 तक के शौचालयों का नवीकरण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	46.61	43.32	-3.29
40.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	जी.सी.सी.आर.पी.एफ, गाधीनगर में आंतरिक मार्गों की रिकार्पेटिंग।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	44.98	42.66	-2.32
41.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	100 बटा. आर.ए.एफ. वस्त्राल, अहमदाबाद के लिए बिन टाइप मैगजीन भवन का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	6	पूर्ण	30.32	25.2	-5.12

42.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	100 बटा., आर.ए.एफ., वस्त्राल, अहमदाबाद के लिए अनाज गोगउन सह शॉपिंग सेंटर का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	7	पूर्ण	36.48	33.98	-2.5
43.	बी.एस.एफ.	गुजरात	गांधीधाम में बी.एस.एफ. कैंपस के लिए 209 सं. आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	40.1	38.52	-1.58
44.	ए.आर.	मिजोरम	लुंगली में असम राईफल्स के लिए 48 से. टाइप-।। तथा 06 सं. टाईप-।।। क्वार्टरों का निर्माण।	ई पी आई एल	10	पूर्ण	674.07	647.08	-26.99
45.	सी.आर.पी.एफ.	असम	आवासीय तथा गैर-आवासीय 344 सं.टी/। क्वाटरों, 16 सं. टी/।। क्वार्टरों एवं 7सं. बैरक में वायर गेज शटर उपलब्ध कराना एवं लगाना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	94.80	84.56	-10.24
46.	सी.आर.पी.एफ.	त्रिपुरा	26 सं. एफ/क्वाटर्स (टी/।।-18,टी/।।।-6 एवं टी/।v-2) का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	411.55	396.00	-15.55
47.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	गहरे बोर वेल (।) 9वाँ बटा. लोहितपुर के लिए 02 सं. (।।) 25 वाँ बटा., आई.टी.बी.पी., तेजु (ए.पी) के लिए 01 सं. का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	1	पूर्ण	59.06	21.56	-37.5
48.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	आर.बी. क्षेत्र में आंतरिक मार्गों पर नयी परत चढ़ाना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	एन ए	पूर्ण	57.38	53.21	-4.17
49.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	जी ओ मेस के पास गाड़ कमरे का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	10	पूर्ण	27.9	20.45	-7.45
50.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	टाइप v। फैमिली क्वार्टरों के लिए अहाते की दीवार का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	4	पूर्ण	20.43	19.94	-0.49
51.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	आर टी सी अवाडी में अक्टेड़ ड्रिल शैड के सभी 4 सं. नये निर्माण तक पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	0	पूर्ण	24.11	19.52	-4.59
52.	आई.टी.बी.पी.	तमिलनाडु	45 बटा. आई.टी.बी.पी. में अर्ध्द स्थायी भण्डार भवन का निर्माण	विभागीय	2	पूर्ण	19.02	18.51	-0.51
53.	आई.टी.बी.पी.	तमिलनाडु	बैठक कमरा, डायनिंग हॉल, रसोई घर पैंट्री तथा भण्डार के टाई प्रावधान के साथ अर्ध्द-स्थायी प्रकार के जो.ओ मेस का निर्माण।	विभागीय	6	पूर्ण	42.81	37.73	-5.08

54.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	लोहितपुर में प्रशिक्षण शेड का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	एन ए	पूर्ण	115.35	105.61	-9.74
55.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	एस.एच.क्यूं (ईटानगर) में एम टी गैरेज एवं वर्कशॉप का निर्माणय़	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29	पूर्ण	298.51	278.09	-20.42
56.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	25 वाँ बटा., तेजु में जी. ओ मेस एवं सिंगल ऑफिसर आवासीय सुविधा का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	17	पूर्ण	267.46	1.35	-266.11
57.	आई.टी.बी.पी.	असम	आई.टी.बी.पी. झालकुबारी गुवाहाटी के लिए ट्रांजिट कैंप में फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना (एफ आर पी), खुले क्षेत्र को ढ़कना तथा अतिरिक्त बागवानी कार्य।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	13	पूर्ण	76.52	25.94	-50.58
58.	एन.एस.जी.	पश्चिम बंगाल	आर.सी.कोलकाता में सीमा दीवार का निर्माण	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	33	पूर्ण	471.78	195.63	-276.15
59.	एस.एस.बी.	असम	33वाँ बटा. रंगिया में टी-।।।/8 (तीन मंजिला का निर्माण)	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	2	पूर्ण	179.08	124.98	-54.1
60.	एस.एस.बी.	असम	बटा. मु. सर्बाहुरे (भैरबकुंड) में 07 सं. प्रेक्षण टावर के साथ सीमा दीवार का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	348.61	316.97	-31.64
61.	एस.एस.बी.	असम	गांव सर्बेहेरूआ (ऊदलगिरी) में 23वें बटा. के लिए एस ओ. एस मेंस का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29	पूर्ण	133.86	107.85	-26.01
62.	एस.एस.बी.	असम	गांव सर्बेहेरूआ (ऊदलगिरी) में 23वें बटा. के क्वार्टर गार्ड भवन का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	29	पूर्ण	246.05	92.77	-153.28
63.	एस.एस.बी.	असम	गांव सर्बेहेरूआ (ऊदलगिरी) में व्यवसायिक शॉप का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	12	पूर्ण	74.34	67.83	-6.51
64.	ए.आर.	मणिपुर	काकचिंग में ए.आर. बटा. के लिए मैग भवन का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	21	पूर्ण	203.99	190.63	-13.36
65.	ए.आर.	नागालैंड	त्वेनसांग (नागालैंड) में ए.आर. के लिए 02 ब्लॉकों में 12 सं. टी-।। (जी+।।) क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	0	पूर्ण	347.00	303.00	-44
66.	ए.आर.	मणिपुर	फुंड्रेई में ए.आर. बटा. के लिए 03 सं. एस एम बैरक (जी+।।) के 01 ब्लॉक तथा कुक हाउस सह डाइनिंग हॉल के 01 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	14	पूर्ण	446.02	423.74	-22.28

67.	ए.आर.	असम	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल्स बटा. के लिए 04 सं. एस एम. बैरक (जी+।।।) के 01 ब्लॉक तथा बिटुमिनस सड़क का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	1	पूर्ण	474.72	359.00	-115.72
68.	ए.आर.	मणिपुर	कांगवई (मणिपुर) के असम राईफल्स के लिए पहुँच मार्ग के साथ 03 सं. एस एम बैरकों (जी+।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	34	पूर्ण	488.98	379.00	-109.98
69.	ए.आर.	मणिपुर	कांगवई (मणिपुर) में ए.आर.. बटा के लिए 24 सं. टाइप-।। (जी+।।) के 04 ब्लॉक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	9	पूर्ण	481.16	65.55	-415.61
70.	ए.आर.	त्रिपुरा	राधानगर (त्रिपुरा) में असम राईफल्स बटा. के लिए विकास कार्यों के साथ 06 सं. एस.एम बैरकों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	10	पूर्ण	364.52	264.61	-99.91
71.	ए.आर.	असम	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 सं. टाईप-v (जी+।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	12	पूर्ण	195.03	55.97	-139.06
72.	ए.आर.	नागालैण्ड	वोखा (नागालैंड) में ए.आर. बटा. के लिए 01 ब्लॉक में 06 सं. टाईप-।।। क्वार्टरों (जी+।।), 01 ब्लॉक में 02 सं. टाईप-।v (जी+।) तथा 02 सं. टाईप V क्वार्टरों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	0	पूर्ण	496.00	355.00	-141
73.	ए.आर.	नागालैण्ड	नागिनीमोरा (नागालैड) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉकों में 16 सं. सिंगल जे.सी.ओ. आवासीय सुविधा (जी+।।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	उ.न.	पूर्ण	178.71	96.66	-82.05
74.	ए.आर.	नागालैण्ड	जुन्हेबोटो (नागालैंड) में ए.आर. बटा. के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 14 सं. सिंगल जे.सी.ओ (जी+।।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	9	पूर्ण	188.79	54.49	-134.3
75.	ए.आर.	मेघालय	ए.आर. सी एवं एम सी., लेटकोर (शिलांग) के लिए सहायक सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक में 04 सं. एस एम बैरक (जी+।।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	उ.न.	पूर्ण	364.53	152.89	-211.64
76.	सी.आर.पी.एफ.	असम	210 कोबरा बटा., डलगांव के लिए एस ओ एस मेस/डोरमिटरी का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	21	पूर्ण	659.78	103.13	-556.65

77.	एस.एस.बी.	असम	बटा. मु. एस.एस.बी. गोसाईगांव में स्थायी अवसंरचना का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	11	पूर्ण	1,348.38	13.61	-1334.8
78.	ए.आर.	असम	हाफलौंग (असम) में असम राईफल्स के लिए 04 सं. एस एम बैरक के 01 ब्लॉक, 01 सं. जे.सी.ओ.मेस तथा 01 सं. 20 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	10	पूर्ण	597.28	492.47	-104.81
79.	ए.आर.	नागालैण्ड	सुखोवी (नागालैंड) में असम राईफल्स प्रशि. केन्द्र तथा स्कूल के लिए 07 कि.मी. आंतरिक सड़क का निर्माण।	एच पी एल	26	पूर्ण	1,387.02	829.00	-558.02
80.	ए.आर.	मणिपुर	मणिपुर में कीथल मानबी में ए.आर. सेक्ट.मु./बटा. मु. के लिए विकास कार्यों तथा सहायक सेवा के साथ 72 सं.टी-।। आवासीय सुविधा का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	30	पूर्ण	1,480.42	1,349.06	-131.36
81.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	20 सं. 320 के.वी.ए डी.जी. सेट उपलब्ध कराना, सी.जी.ओ	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	26	पूर्ण	86.1	66.54	-19.56
82.	एन.एस.जी.	दिल्ली	आई जी आई एयरपोर्ट के पास जमीन को उठाकर 05 एकड़ भूमि का विकास, दिल्ली	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	33	पूर्ण	100	0.11	-99.89
83.	एन.एस.जी.	दिल्ली	एन.एस.जी.. समालखा में अस्थायी पूर्व निर्मित मेन बैरक (05 सं.)	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	27	पूर्ण	704	569	-135
84.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मानेसर में विद्युत प्रणाली को उन्नत करना।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	23	पूर्ण	99.75	55.35	-44.4
85.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मु. में आर सी सी सीमा दीवार।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	38	पूर्ण	226	126	-100
86.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मोंटेसरी स्कूल, मानेसर हरियाणा के लिए 8 अतिरिक्त क्लास रूप।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	5	पूर्ण	97.73	82.9	-14.83
87.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदोर (एम.पी) में आरक्षित बटा. बी.एस एफ कैंपस के लिए प्रशा./संचार ब्लॉक का निर्माण।	एन बी सी सी	4	पूर्ण	272.96	58.14	-214.82
88.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैंपस (एम.पी.) में बी.एस.एफ. बटा. मु. के लिए 07 स्यूट्स के सात जी.ओ.मेस का निर्माण।	एन बी सी सी	9	पूर्ण	216.35	77.94	-138.41
89.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैंपस (एम.पी.) में बी.एस एफ.बटा. मु. के लिए 26 सं. टाईफ-।।। (जी+2) आवासों का निर्माण।	एन बी सी सी	8	पूर्ण	475.81	95.58	-380.23

90.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बटा. मु. बी.एस एफ कैंपस बाद मथुरा (यू.पी.) के लिए भण्डार ब्लॉक, व्यवसायिक शॉप तथा एम टी परिसर का निर्माण।	एन बी सी सी	0	पूर्ण	492	46	-446
91.	आई.टी.बी.पी.	असम	तेजपुर में 04 सं. प्लास्टिक हटो या भण्डार तथा जवानों के आवासीय सुविधा का निर्माण उपलब्ध कराना।	विभागीय	2	पूर्ण	28.02	27.76	-0.26
92.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	38वें बटा. के अंतर्गत कंपनी मु. जंग में 02 सं. एस पी टी 20 आदमियों के बैरक का निर्माण।	विभागीय	8	पूर्ण	44.62	41.30	-3.32
93.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	ए टी सी लोहितपुर के लिए 04 सं. डायनिंग हॉल का निर्माण	विभागीय	0	पूर्ण	24.48	24.4	-0.08
94.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	सी एल जी एफ डब्ल्यू डी पोस्ट में एस ओ एस आवासीय सुविधा का निर्माण।	विभागीय	19	पूर्ण	13.66	9.94	-3.72
95.	सी.आर.पी.एफ.	पश्चिम बंगाल	जी.सी., दुर्गापुर में क्वार्टर गार्ड के लिए परिधि/सुरक्षा दीवार का निर्माण।	सी.पी. डब्ल्यू.डी.	8	पूर्ण	28.23	24.45	-3.78
96.	बी.एस.एफ.	त्रिपुरा	19 बटालियन बी.एस.एफ. परिसर, सलबगान, एस एच क्यू, बी.एस.एफ., गोकुलनगर का नवीकरण/उन्नयन	विभागीय	0	पूर्ण	32.82	21.04	-11.78
97.	आई.टी.बी.पी.	सिक्किम	11वीं बटालियन आई.टी.बी.पी. के केरांग पोस्ट पर शौचालय समेत जवान लाइन का निर्माण	विभागीय	30	पूर्ण	25.22	24.76	-0.46
98.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	359 (टी/।-93.।।-255, ।।।-7 एवं ।v-4) परिवारिक क्वार्टर (18 टाइप-। क्वार्टरों का निर्माण)	सी पी डब्ल्यू डी	28	पूर्ण	1764.32	1416.1	-348.22
99.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	नजफगढ़ में सी.आई. पाइपलाइन को बिछाना	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	833	588	-245
100.	एन.एस.जी.	दिल्ली	इनडौर शूटिंग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	11	पूर्ण	220	177	-43
101.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	ए सी (शीट रूफिंग) वाली 6 अर्द्ध स्थायी भवनों (22x8.5 मीटर) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	98.42	65.06	-33.36
102.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रेदश	प्रशासनिक ब्लॉक, सी.आर.पी.एफ. बंगरसिया, भोपाल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	25	पूर्ण	161.92	152.79	-9.13

103.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जी सी बिलासपुर में संयुक्त प्रशासन/क्वयू.जी/स्टोर ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	985.62	953.09	-32.53
104.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जी.सी. बिलासपुर में 50 बिस्तर के कम्पोजिट अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	पूर्ण	1219.87	751.05	-468.82
105.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जी सी बिलासपुर में एस ओ के लिए भोजनालय छात्रावास का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	635.02	380.25	-254.77
106.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रेदश	जी सी, सी.आर.पी.एफ. बंगरसिया, भोपाल में 50 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	1281.41	1062.47	-218.94
107.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रेदश	सी.आई.ए.टी., शिवपुरी में दो 270 पुरूष बैरेकों तथा प्रशासन/प्रशिक्षण ब्लॉक/कक्षा/सेंड मॉडल कक्ष सह लेक्चर हॉल	एन बी सी सी	27	पूर्ण	4202.75	3587	-615.75
108.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रेदश	सी.टी.सी. शिवपुरी, म.प्र. में जी. ओ. के लिए भोजनालय एवं कमरों, एस.ओ. भोजनालय एवं छात्रावास ब्लॉक, क्वार्टर गार्ड के लिए संयुक्त भवन, स्टोर ब्लॉक ट्रेड्समेन शॉप तथा मेन्स क्लब, कैन्टीन, एफ.डब्ल्यू.सी., खाद्यान्न गोदाम, बैडमिन्टन कोर्ट एवं जिम के लिए संयुक्त भवन	एन बी सी सी	25	पूर्ण	4170.84	2274	-1896.8
109.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	आर टी सी, सी.आई.एस.एफ., भिलाई के लिए 2 ड्रिल शेड	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	55.11	53.51	-1.6
110.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	भिलाई में बेस कार्यशाला आर टी सी, सी.आई.एस.एफ. में शस्त्र एवं मैगेजिन भवन के लिए विभिन्न कार्यों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	17	पूर्ण	58.01	57.31	-0.7
111.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	एस ओ एस ए टी एम दरवाजे से कॉर्नर सी.आई.एस.एफ., आर टी सी भिलाई तक परिधि दीवार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	46.22	38.50	-7.72
112.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	सी.आई.एस.एफ. आर टी सी भिलाई के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	310.00	248.08	-61.92

113.	सी.आई.एस.एफ.	छत्तीसगढ़	डी टी एस भवन आर टी सी, सी.आई.एस.एफ., भिलाई का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	20.32	16.56	-3.76
114.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रेदश	बरवाहा के पुराने परिसर के कोरल नदी तट पर चैन लिंक एवं कंटीली तार की फेंसिंग प्रदान करना एवं लगाना	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	28.7	26.2	-2.5
115.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रेदश	सी.आई.एस.एफ., बरवाहा में गैर-आवासीय इमारतों की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	15.69	14.92	-0.77
116.	बी.एस.एफ.	गुजरात	11 बटालियन बी.एस.एफ. परिसर गांधीधाम के लिए प्रसूति वार्ड के साथ 10 बिस्तर का अस्पताल	सी पी डब्ल्यू डी	23	पूर्ण	98.85	91.92	-6.93
117.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	बी.एस.एफ. परिसर, उदयपुर में क्वार्टर गार्ड इमारत का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	पूर्ण	108.5	93.74	-14.76
118.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. के अंतर्गत बटालियन मुख्यालय के लिए गैराज बी.एस.एफ. परिसर भ्रमसर रामकुंड के साथ एम टी परिसर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	257	237	-20
119.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. परिसर सैम सड़क के लिए प्रावधानीकरण परिसर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	पूर्ण	195	128	-67
120.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	आर टी सी बेहरोड़ के लिए जल निकासी उपचार संयंत्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	120.75	113.61	-7.14
121.	आई.टी.बी.पी.	राजस्थान	42 बटालियन, जोधपुर में जल आपूर्ति लाइन प्रदान करना एवं विछाना	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	64.72	52.89	-11.83
122.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	सी.आई.एस.एफ. आर टी सी बेहरोड़ के लिए एस ओ के भोजनालय का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	539.63	472.63	-67
123.	सी.आर.पी.एफ.	राजस्थान	जी.सी-।। अजमेर, राजस्थान में चारदीवारी, मुख्यद्वार, गार्ड कक्ष, वॉच टॉवरों एवं सुरक्षा लाइटों का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	919.1	870.25	-48.85
124.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	60 महिला बैरक का निर्माण।	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	94.65	92.96	-1.69

125.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	भूमिगत नाबदान का निर्माण एवं नर्मदा जल को जमा रखने एवं संवितरण हेतु जल आपूर्ति लाइन प्रदान करना एवं बिछाना।	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	98.6	72.05	-26.55
126.	सी.आर.पी.एफ.	गुजरात	सीवरेज उपचार संयंत्र को प्रदान करना एवं लगाना	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	84.31	82.14	-2.17
127.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	विकास एवं थोक सेवाएं, कादरपुर	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	2502	506	-1996
128.	बी.एस.एफ.	पंजाब	चारदीवीरी का निर्माण, माधोपुर	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	100	76	-24
129.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	कादरपुर हरियाणा में 699 क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	19	पूर्ण	3106	1134	-1972
130.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	एस ओ एस भोजनालय एवं छात्रावास	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	496	442	-54
131.	एस.एस.बी.	हिमाचल प्रदेश	चारदीवारी का निर्माण, सापरी	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	87	84	-3
132.	एस.एस.बी.	हिमाचल प्रदेश	टी.सी एस.एस.बी., शामशी, कुल्लू में इनडौर शूटिंग रेंज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	273	214	-59
133.	बी.एस.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	एफ.टी.आर, एच क्यू. श्रीनगर में प्रशासनिक ब्लॉक एवं कॉम्म ब्लॉक	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	1293	125	-1168
134.	सी.आर.पी.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	भूमिगत नाबदान, लाइनें एवं सी जी आई शीट रूफिंग प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	23	पूर्ण	74.35	72	-2.35
135.	बी.एस.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	एफ टी आर मुख्यालय, बी.एस.एफ. बारामूला में कंटीली तार फेंसिंग के साथ चारदीवारी	सी पी डब्ल्यू डी	20	पूर्ण	177	87	-90
136.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	लेह में टाइप-I/24 एवं टाइप-II/36 क्वार्टरों की छत का निर्माण	विभागीय	5	पूर्ण	27	24	-3
137.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	15वीं बटालियन आई.टी.बी.पी. लेह में परिवार क्वार्टरों के नजदीक बच्चों के पार्क की मरम्मत	विभागीय	7	पूर्ण	18	17	-1
138.	सी.आर.पी.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	सी.आर.पी.एफ. परिसर नगरोटा के लिए चारदीवारी के साथ खुली नाली का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	22	15	-7

139.	सी.आर.पी.एफ.	जम्मू एवं कश्मीर	60 एफ/क्वार्टरों (टी/।।।-22, टी/।v-24, टी/v-12)	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	1633	1123	-510
140.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी.सी सोनीपत, हरियाणा में निर्माण एवं थोक सेवाएं (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) निर्माण कार्य करना	एन बी सी सी	20	पूर्ण	2509	1635	-874
141.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	4थे आर बी सिवागंगाई में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	एन बी सी सी	12	पूर्ण	238.67	187.56	-51.11
142.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कालिंदीपुरम इलाहाबाद में कॉयल फेंसिंग से चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	45	34	-11
143.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	थोक सेवाएं एवं विकास कार्य प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	475.41	437.92	-37.49
144.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद में 121 बी ओ ए सी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	पूर्ण	29	24	-5
145.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	40 शौचालयों का नवीकरण, इलाहाबाद	सी पी डब्ल्यू डी	11	पूर्ण	46	44	-2
146.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	फायरिंग रेंज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	160.23	104.95	-55.28
147.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	स्ट्रीट लाइट, पार्क लाइट, फाफामऊ, इलाहाबाद का नवीकरण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	30	26	-4
148.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	दो 180 पुरूष बैरेक, सी.आर.पी.एफ. का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	523.00	442.00	-81
149.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	39वें बटालियन पलिया के अंतर्गत बी ओ पी बनकटी में स्थायी इमारत का निर्माण	विभागीय.	18	पूर्ण	58	56	-2
150.	बी.एस.एफ.	बिहार	बी.एस.एफ. परिसर में संयुक्त अधिकारियों के भोजनालय के लिए 10 अतिरिक्त कमरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	पूर्ण	150	136	-14
151.	बी.एस.एफ.	उत्तराखंड	ओ आर एस आवास (जी-।) बी.एस.एफ. परिसर मरखम अनुदान-।। का निर्माण, देहरादून	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	29	24	-5
152.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	प्रशासनिक ब्लॉक एस टी सी, बी.एस.एफ. हजारीबाग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	पूर्ण	498.58	315.24	-183.34
153.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	एस एच क्यू, बी.एस.एफ. ग्रेटर नोएडा में 90 पुरूष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	10	पूर्ण	475	126	-349

154.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	माना में आवासीय सह कार्यालय परिसर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	23	पूर्ण	149	85	-64
155.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	गोथी में 8 टी-।। (डी/एस) क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	89.00	83	-6
156.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	मुनस्यारी में जी ओ के भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	77.00	66	-11
157.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	उच्च रिमखिम तथा निम्न लिमखिम लथाल एवं संचुतल्ला पोस्ट में कैम्प की चारदीवारी की फेंसिंग	विभागीय	0	पूर्ण	54	52	-2
158.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	8वीं बटालियन गौचर में गसतोली पोस्ट पर जी ओ एस आवास का निर्माण	विभागीय	0	पूर्ण	25	22	-3
159.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	36वीं बटालियन लोहाघाट में क्वार्टर मास्टर स्टोर का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	40	पूर्ण	401.00	211	-190
160.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	रांची, झारखंड 40वीं बटालियन में एस ओ के भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	223.43	178.58	-44.85
161.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	आई.टी.बी.पी. के लिए 40वीं बटालियन, रांची में गैर-आवासीय इमारतों के लिए बिटुमिनस सड़क तथा नाली का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	2493.59	304.12	-2189.5
162.	एस.एस.बी.	बिहार	बथनाह, अररिया (बिहार), में चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	2	पूर्ण	456.35	393	-63.35
163.	एस.एस.बी.	बिहार	बटालियन मुख्यालय, एस.एस.बी. नरकटियागंज के अंतर्गत सिक्ता में कम्पनी मुख्यालय सह बी ओ पी में बी ओ पी भवन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	444.76	290	-154.76
164.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	जी सी जवाहरनगर, हैदराबाद के लिए 248 पारिवारिक क्वार्टरों (टाइप-।।-240 एवं टाइप।।।-08) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	1445.00	955.00	-490
165.	एस.एस.बी.	बिहार	सेक्टर मुख्यालय, एस.एस.बी., मुजफ्फरपुर, के लिए चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	238.33	191	-47.33
166.	एस.एस.बी.	बिहार	बटालियन मुख्यालय, एस.एस.बी., पिपराकोठी, जिला पूर्व चम्पारन के अंतर्गत पंटोका में कम्पनी मुख्यालय सह बी ओ पी में बी ओ पी इमारत का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	444.14	339	-105.14

167.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटालियन मुख्यालय, बथनाहा, जिला अररिया (बिहार) में 128 पुरूष बैरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	22	पूर्ण	476.93	426	-50.93
168.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	चार पुरूष बैरक जी सी. मुजफ्फरपुर, बिहार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	1346.66	426	-920.66
169.	सी.आर.पी.एफ.	झारखण्ड	209, कोबरा बटालियन कुंती के लिए विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	90.68	55.67	-35.01
170.	सी.आर.पी.एफ.	झारखण्ड	बिन टाइप मैगेजिन जी सी सी.आर.पी.एफ., सांबो, रांची का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	33.53	19.1	-14.43
171.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	पलिया में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	425	388	-37
172.	एस.एस.बी.	उत्तराखंड	बी ओ पी बगरीहट में साइट एवं वर्षाजल के विकास समेत स्थायी अवसंरचना का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	222.00	54	-168
173.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	आई.टी.बी.पी.., रांची एस एच के लिए प्रत्येक झोंपड़ी के लिए 1.525 मी. बरामदा एवं संयुक्त 5 डब्ल्यू सी एवं 4 बाथ समेत 19.52 मी. एवं 6.1 मी. के आकार की 4 प्री फेब्रिकेटिड झोंपड़ियों को प्रदान एवं प्रतिष्ठापन	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	52.32	48.74	-3.58
174.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखंड	प्रशासनिक इमारत आदि का निर्माण	एन बी सी सी	15	पूर्ण	2403.00	1827	-576
175.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखंड	विकास करना एवं थोक सेवाओं का निर्माण	एन बी सी सी	6	पूर्ण	3128.00	1570	-1558
176.	आई.टी.बी.पी.	झारखण्ड	97एफ एफ/क्वार्टरों (टी/।।-96,टी/v-01) एफ/क्वार्टरों से सब-स्टेशन तक बाहरी विद्युतीकरण कार्य एवं नलकूप का संस्थापन 20.2.2009	एन बी सी सी	10	पूर्ण	683.7	681.62	-2.08
177.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	20 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण (₹280.74 की बजाय 10/10/07 को जारी संशोधित संस्वीकृति)	सी पी डब्ल्यू डी	31	पूर्ण	368	275	-93
178.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	एम टी गैराज एवं कार्यशाला लखनऊ	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	306	212	-94
179.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	डी आई जी पी, जी सी, लखनऊ के कार्यालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	पूर्ण	145	128	-17
180.	आई.टी.बी.पी.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा में चारदीवारी, सड़क, मुख्य द्वार एवं मुख्य दीवार समेत संतरी पद तथा संलग्न शौचालय के साथ छात्रावास ब्लॉक	सी पी डब्ल्यू डी	7	पूर्ण	582	522	-60

181.	एस.एस.बी.	बिहार	12वीं बटालियन मुख्यालय, बाघा, वाल्मीकि नगर, बिहार में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	29	पूर्ण	540.38	251	-289.38
182.	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज में एस.एस.बी. के लिए साइट एवं थोक सेवाओं का विकास एस एच: सिविल निर्माण कार्य	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	1585.9	710	-875.9
183.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	मिर्थी में 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	179.00	134	-45
184.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	एम एवं एस आई ऑली में क्यू जी, क्यू एम भंडार एवं एम आई कक्ष का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	20	पूर्ण	401	340	-61
185.	बी.एस.एफ.	कर्नाटका	कराहल्ली में 82वीं बटालियन, बी.एस.एफ. के लिए आवासीय एवं गैर-आवासीय स्थान के लिए 10 अर्ध-स्थायी संरचनाओं का निर्माण	विभागीय	0	पूर्ण	59.99	58.06	-1.93
186.	बी.एस.एफ.	कर्नाटका	एस टी सी, बैंगलुरू में मौजूदा टाइप । स्टाफ क्वार्टरों (संख्या में 120) की मरम्मत	विभागीय	1	पूर्ण	58.36	32.94	-25.42
187.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ., जवाहर नगर, आर आर जिले में वायरिंग समेत 972 परिवारिक क्वार्टरों (285टाइप-।, 653 टाइप-।।, 34 टाइप-।।।) की रसोई में एग्जोस्ट फैन प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	44.82	24.52	-20.3
188.	सी.आई.एस.एफ.	तेलंगाना	एन आई एस ए में प्रशिक्षुओं के लिए 200 बिस्तर के अर्ध-स्थायी बैरेकों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	29.63	19.11	-10.50
189.	सी.आर.पी.एफ.	पंजाब	हीरा नगर में परिसर दीवार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	63.98	57	-6.98
जोड़							**76682.86**	**47775**	**28907.86**
1.	एस.एस.बी.	दिल्ली	क्वार्टर गार्ड घिटोरनी का नवीकरण	विभागीय	2	पूर्ण नहीं किया गया	59.51	उपलबध नहीं	उपलबध नहीं
2.	ए.आर.	त्रिपुरा	राधानगर में 08 एकल जे सी ओ आवास का निर्माण जिसमें 06 एकल पुरूष बैरक हेतु (जी+।) के 02 ब्लॉक, एक प्रशासनिक ब्लॉक, 01 आधिकारी मैस, एक जे सी ओ क्लब तथा 36 ए.आर. हेतु आतंरिक सड़क का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	43	पूर्ण	755.85	-वही-	-वही-

3.	ए.आर.	त्रिपुरा	राधानगर में 36 ए.आर. हेतु 02 टी V (जी+।), 02 टी Iv (जी+।), 12 टी-।।।, 90 टी-।। (जी+।।) तथा 6 एकल अधिकारी आवासों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	27	पूर्ण	1,196.11	-वही-	-वही-
4.	ए.आर.	त्रिपुरा	तेलियामुरा में 15 ए.आर. के लिए 06 टी-।।। (जी+।।) एवं 78 टी-।। (जी+।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	41	पूर्ण	854.31	-वही-	-वही-
5.	ए.आर.	नागालैण्ड	01 संख्या के टाइप-IV क्वार्टर (भू.त),06 संख्या के टाइप-।। क्वा. (जी+।।) तथा 06 संख्या के एकल अधिकारी आवास (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	16	चल रहे हैं	658.65	-वही-	-वही-
6.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	साकेत सामने की गैलरी, पर स्वागत सह पंजीकरण काउंटर नर्सिंग स्टेशन, एक्स-रे कक्ष	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	3.41	-वही-	-वही-
7.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस एच क्यू. मालदा, मुख्यालय मालदा एफ टी आर, बी.एस.एफ. के अंतर्गत 57वीं बटालियन बी.एस.एफ. के बी ओ पी देवीपुर में कार्यालय ब्लॉक, मैगजिन, कोट वायरलेस ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	105.13	-वही-	-वही-
8.	बी.एस.एफ.	गुजरात	जवान बैरेक, सी एच डी एच, के एस एम के लिए 04 प्री. फैब अवसंरचनाओं तथा एस एच क्यू, बी.एस.एफ. भुज के अंतर्गत 157 बटालियन बी.एस.एफ. (मरीन बटालियन) के बी ओ पी संख्या 5 (विलकोसा के नजदीक) में पी सी/सी सी कक्ष का निर्माण	विभागीय	15	पूर्ण नहीं किया गया	30.57	-वही-	-वही-
9.	एस.एस.बी.	असम	एस.एस.बी. परिसर बोगांयगांव के उत्तरी ओर में नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य दीवार बनाए रखना एवं चारदीवारी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	118.13	-वही-	-वही-
10.	एस.एस.बी.	असम	बटालियन मुख्यालय एस.एस.बी. कोकराझार की साइट के विकास समेत क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	187.14	-वही-	-वही-

11.	एस.एस.बी.	असम	काजलगांव में बटालियन मुख्यालय के लिए साइट के विकास समेत 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	चल रहें	373.43	-वही-	-वही-
12.	एस.एस.बी.	असम	बटालियन मुख्यालय एस.एस.बी. काजलगांव के लिए छः कमरों के साथ जी ओ के भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	1	चल रहें	187.29	-वही-	-वही-
13.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में मंत्रीपुखरी गैरिसन के आसपास रिहायशी इमारत की चारदीवारी का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	18	पूर्ण	498.00	-वही-	-वही-
14.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए संबंध्द सेवाओं तथा विकास कार्य के साथ 2 ब्लॉकों में 12 टाइप-।। (जी+।।) तथा 5 ब्लॉकों में 10 टाइप-।v (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	35	डब्ल्यू आई पी	493.67	-वही-	-वही-
15.	ए.आर.	मणिपुर	फुंडेरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के नए स्थान के लिए पहुँच सड़क के साथ 03 एकल पुरूष बैरेकों (जी+।।) के एक ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	35	पूर्ण	427.25	-वही-	-वही-
16.	ए.आर.	मणिपुर	मोदी (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए रिहायशी स्थान के लिए मुख्य द्वार संतरी पदों, सुरक्षा लाइटों आदि समेत सुरक्षा दीवार का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	33	चल रहें	450.06	-वही-	-वही-
17.	ए.आर.	मणिपुर	फुंडेरेयी (मणिपुर) में असम राइफल्स नए के एल पी के लिए संबध्द सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों समेत प्रशासनिक ब्लाक (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	35	चल रहें	461.51	-वही-	-वही-
18.	ए.आर.	मणिपुर	मोदी (मणिपुर) में असम राइफल्स बैटेंलियन के लिए विकास कार्यों तथा आंतरिक सड़क समेत क्यू. जी, कोटे, हथियार घर तथा हथियार दुकान का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	33	चल रहें	245.42	-वही-	-वही-
19.	ए.आर.	असम	श्रीकोना (असम) में मुख्यालय आई जी ए.आर. पूर्व) के लिए संबध्द सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 टाइप- VI (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	1	पूर्ण	80.32	-वही-	-वही-

20.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीफुकरी (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबध्द सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ एक ब्लाक में 04 एकल अधिकारी आवास (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	2	चल रहें	85.29	-वही-	-वही-
21.	ए.आर.	नागालैण्ड	चियसवामा में ए.आर. बटालियन के लिए संबध्द सेवाओं तथा निर्माण कार्यो के साथ एक ब्लाक में 08 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	18	चल रहें	106.35	-वही-	-वही-
22.	ए.आर.	नागालैण्ड	टयूनसेंग (नागालैण्ड) में सेक्टर मुख्यालय ए.आर. के लिए विकास कार्य एवं संबध्द सेवाओं समेत एक ब्लाक में 08 सिंगल जे.सी.ओ हेतु (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	12	पूर्ण	112.30	-वही-	-वही-
23.	ए.आर.	मणिपुर	सोमसाई (मणिपुर) में मुख्यालय 10 एस ई एस सी टी ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में 01 एकल पुरूष बैरेक (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	25	पूर्ण	119.34	-वही-	-वही-
24.	ए.आर.	मणिपुर	केथलमनबी (मणिपुर) में 4 कार्यशाला ए.आर. के लिए विकास कार्य एवं संबध्द सेवाओं समेत 1 ब्लॉक में 02 टाइप- V क्वार्टरों (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	34	पूर्ण	128.22	-वही-	-वही-
25.	ए.आर.	असम	श्रीकोना (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए विकास कार्य एवं संबंध्द सेवाओं समेत एक ब्लॉक में 08 सिंगल अधिकारी (जी+।।।) और एक ब्लाक में 07 सिंगल नागरिक आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	26	पूर्ण	261.00	-वही-	-वही-
26.	ए.आर.	मणिपुर	कंगवई (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 3 ब्लॉक में 24 सिंगल जे सी ओ आवास (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	17	पूर्ण	340.20	-वही-	-वही-
27.	ए.आर.	मणिपुर	फुंदरेई (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 03 ब्लॉकों में आवासीय परियोजना-24 टाइप-।। क्वार्टरों (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	15	चल रहें	462.04	-वही-	-वही-

28.	ए.आर.	मणिपुर	लेमॉरेह (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन के लिए संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में मनोरंजन कक्ष (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	10	पूर्ण	96.57	-वही-	-वही-
29.	ए.आर.	मणिपुर	ए.आर. बटालियन कंगवई (मणिपुर) के लिए संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यो के साथ 1 ब्लॉक में क्यू जी, कोटे, शस्त्रों की दुकान का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	12	चल रहें	232.03	-वही-	-वही-
30.	ए.आर.	मणिपुर	मंत्रीफुखरी में मुख्यालय आई जी ए.आर. (एस) ए.आर. के लिए संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 कार्यालय इमारत (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	12	चल रहें	260.04	-वही-	-वही-
31.	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू. रगिया में रिहायशी क्वाटरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	पूर्ण	566.64	-वही-	-वही-
32.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	एफ टी आर गुवाहटी के अंतर्गत 38 वीं बटालियन एस.एस.बी. टवांग में अवसंरचना (45 टाइप-।। क्वार्टरों) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	चल रहें	770.00	-वही-	-वही-
33.	एस.एस.बी.	असम	एस एच क्यू रंगिया में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	15	चल रहें	533.53	-वही-	-वही-
34.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	एस टी एस बी.एस.एफ. टिगड़ी, नई दिल्ली में 120 पुरूष बैरेक	एन बी सी सी	31	पूर्ण	484.29	-वही-	-वही-
35.	बी.एस.एफ.	दिल्ली	एस टी एस टिगिड़ी में टाइप-।।। (14) तथा टाइप-IV (05)	एन बी सी सी	32	पूर्ण	415.73	-वही-	-वही-
36.	एन.एस.जी.	दिल्ली	मनेसर में विशेष संचालन प्रशिक्षण केन्द्र इमारत	सी पी डब्ल्यू डी	15	चल रहें	0.97	-वही-	-वही-
37.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर में सी एस डब्ल्यू टी, बी.एस.एफ. के लिए 34 टाइप-।। (34) क्वार्टरों का निर्माण	एन बी सी सी	9	पूर्ण	461.01	-वही-	-वही-
38.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	एस एच क्यू बी.एस.एफ. भोपाल के लिए 120 पुरूष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	9	पूर्ण	470.19	-वही-	-वही-
39.	बी.एस.एफ.	मेघालय	ए एवं एम के अंतर्गत बी.एस.एफ. परिसर अमप्लिंग में टाइप-।। (04) क्वार्टरों (दो मंजिला) का निर्माण	विभागीय	15	पूर्ण	48.02	-वही-	-वही-

40.	आई.टी.बी.पी.	अरूणाचल प्रदेश	लुंगर उप क्षेत्र के पेट्रोल रूट में 04 सी जी आई शीट शेड का निर्माण	विभागीय	5	चल रहें	36.40	-वही-	-वही-
41.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	सी एस एम टी टेकनपुर परिसर (म.प्र.) में बी.एस.एफ. के लिए एक 180 पुरूष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	11	पूर्ण	599.32	-वही-	-वही-
42.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	201 और 204 कोबरा बटालियन, जगदलपुर में प्रशासनिक ब्लॉक इमारत का निर्माण	एन बी सी सी	50	पूर्ण	735.13	-वही-	-वही-
43.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	मैसर्ज बंसल निर्माण कार्य: सी एस डब्ल्यू टी बी.एस.एफ. इंदौर के अंतर्गत बिजासन में 120 एस एफ ए क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण नही किया गया	482.33	-वही-	-वही-
44.	सी.आर.पी.एफ.	छत्तीसगढ़	जगदलपुर में सी.आर.पी.एफ. के 201 और 204 कोबरा बी एन एस के लिए सिविल तथा विद्युत विकास तथा थोक सेवाएं करना	एन बी सी सी	12	पूर्ण नही किया गया	1721.28	-वही-	-वही-
45.	बी.एस.एफ.	राजस्थान.	अलवर (राजस्थान) बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. परिसर के लिए रिहायशी क्वार्टर (एस एच 32 टाइप-।।, 16 टाइप-।।।, 07 टाइप-।v एवं 02 टाइप-v) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	12	पूर्ण	736.3	-वही-	-वही-
46.	सी.आई.एस.एफ.	गुजरात	सी.आई.एस.एफ., जी पी मुख्यालय, अहमदाबाद के लिए रिहायशी एवं गैर रिहायशी इमारतों का निर्माण	एन बी सी सी	6	पूर्ण	1576.6	-वही-	-वही-
47.	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी.एस.एफ., चाकुर मे 11 अर्ध स्थायी अवसंरचना का निर्माण	विभागीय	14	चल रहें	35.86	-वही-	-वही-
48.	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस टी सी, चकुर में अतिरिक्त आर टी सी के लिए मूलभूत अवसंरचना जैसे (शौचालय ब्लाक, बाथिंग प्वाइंट, आर ओ संयंत्र, सी एल पी एवं गहरा नलकूप) का निर्माण	विभागीय	17	चल रहें	55.61	-वही-	-वही-
49.	बी.एस.एफ.	महाराष्ट्र	एस टी सी, बी.एस.एफ., चाकूर में अतिरिक्त के लिए 08 अर्ध स्थायी अवसंरचनाओं का निर्माण	विभागीय	20	चल रहें	54.99	-वही-	-वही-

50.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	102 बटालियन, आर ए एफ तलोजा, नवीं-मुम्बई में जहाँ आवश्यक हो मेसनरी स्टोर्म केन्द्र पानी का निकास प्रदान करना तथा ड्रेसिंग शोल्डर समेत आंतरिक सड़क तक मरम्मत एवं लेपन	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	59.74	-वही-	-वही-
51.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	बटालियन मुख्यालय, भौंडसी के लिए प्रसूति कक्ष के साथ 10 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	ए. एवं ई एवं रद्द		-वही-	-
52.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रेदश	बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ., मथुरा के लिए मैगेजिन भवन का निर्माण	विभागीय	5	पूर्ण	60	-वही-	-वही-
53.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रेदश	कालिंदीपुरम, इलाहाबाद में मुख्यद्वार का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	15	-वही-	-वही-
54.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	08वीं बटालियन गौचर में जगराव पोस्ट में जवान बैरेक का निर्माण	विभागीय	8	पूर्ण	30	-वही-	-वही-
55.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	प्रशासनिक ब्लॉक, जी सी, मुजफ्फरपुर, बिहार	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण नही किया गया	161.08	-वही-	-वही-
56.	सी.आर.पी.एफ.	केरल	सी.आर.पी.एफ. पैरिंगोम, कन्नूर में इंटरैक्टिव हथियार प्रशिक्षण के लिए कक्ष का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-वही-	-वही-
57.	सी.आर.पी.एफ.	केरल	नए खुले कुएं को परिधीय लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, विद्युत आपूर्ति प्रदान करना एवं सबमर्सिबल पंप सेट 4 वॉच टॉवरों का आंतरिक विद्युत संस्थापन-आर टी सी पेरिन्गोम	सी पी डब्ल्यू डी	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-वही-	-वही-
58.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	जी.सी, सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद में डी आई जी पी समेत मुख्य कार्यालय भवन की मरम्मत, अनुबंध संख्या14/ई.ई/एच सी डी.1/2012-13, अभिकरण: श्री डी लिंगम	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	42.69	-वही-	-वही-
59.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सी.आर.पी.एफ. परिसर, हैदराबाद के रिहायशी क्षेत्र की कुछ जगह तथा गैर आवासीय क्षेत्र में मुख्य जलनिकासी लाइन की मरम्मत/प्रतिस्थापन, अनुबंध संख्या 33/ई.ई./एच सी डी.1/2011-12 अभिकरण: श्री एम दयानन्द	सी पी डब्ल्यू डी	5	पूर्ण	44.33	-वही-	-वही-

60.	सी.आई.एस.एफ.	तेलंगाना	द्वार संख्या 2 से एम टी अनुभाग से एन आई एस ए, सी.आई.एस.एफ., हकीमपेट, हैदराबाद तक चारदीवारी की ऊँचाई को बढाना एवं मरम्मत करना	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	46.24	-वही-	-वही-
61.	सी.आई.एस.एफ.	तेलंगाना	एन आई एस ए, हकिमपेट में सी.आई.एस.एफ. के औपचारिक परेड मैदान में दर्शकों की गैलेरी (प्रत्येक साइट पर) का विस्तार	सी पी डब्ल्यू डी	1	पूर्ण	37.17	-वही-	-वही-
62.	ए.आर.	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) में असम राइफल्स बटालियन के लिए 1.35 कि.मी. नई सड़क एवं आर सी सी पोस्टों के साथ चारदीवारी का निर्माण	एच पी एल	52	पूर्ण	492.23	-वही-	-वही-
63.	एस.एस.बी.	महाराष्ट्र	रिजर्व बटालियन मुख्यालय एस.एस.बी. येलकी (महाराष्ट्र) की अवसंरचना का निर्माण	एन बी सी सी	22	पूर्ण	5369	-वही-	-वही-
64.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	38 पारिवारिक क्वार्टरों (टी/।-4,।।-12, ।।।-।v-12 एवं v-2) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	335	-वही-	-वही-
65.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	399 टाइप । संख्या में 60	सी पी डब्ल्यू डी	7	पूर्ण	1838.34	-वही-	-वही-
66.	सी.आर.पी.एफ.	महाराष्ट्र	2 फिल्टर बिस्तर एवं 2.50 लाख लीटर क्षमता के साफ पानी के आर सी सी भंडारण टैंक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	6	पूर्ण	98.89	-वही-	-वही-
67.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	रिहायशी क्षेत्र, बरवाहा में सड़कों का पुनर्निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	8	पूर्ण	27.02	-वही-	-वही-
68.	बी.एस.एफ.	पंजाब	डेरा बाबा नानक में बैरेकों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	388	-वही-	-वही-
69.	बी.एस.एफ.	हिमाचल प्रदेश	जी.ओ भोजनालय, कांगड़ा का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	9	पूर्ण	189	-वही-	-वही-
70.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	बटालियन मुख्यालय 33 बटालियन बी.एस.एफ., हिसार में ड्रिल शेड का निर्माण रु59.93 लाख	विभागीय	5	पूर्ण	60	-वही-	-वही-
71.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबिली, हरियाणा में स्टोर डिपो का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	30	पूर्ण	62	-वही-	-वही-
72.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	प्रशिक्षण ब्लॉक (मिलेनियम भवन) बी टी सी में एयर कंडीशनर प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	3	पूर्ण	102	-वही-	-वही-

73.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटालियन बी.एस.एफ. परिसर भोंडसी के लिए सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र समेत एक 120 पुरूष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	11	पूर्ण	500	-वही-	-वही-
74.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटालियन बी.एस.एफ. परिसर भोन्डसी के लिए सूचना एवं मनोरंजन केन्द्र समेत एक 120 पुरूष बैरेक का निर्माण	एन बी सी सी	7	पूर्ण	500	-वही-	-वही-
75.	सी.आर.पी.एफ.	तमिलनाडु	180 पुरूष बैरेक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	964.75	-वही-	-वही-
76.	आई.टी.बी.पी.	ओडिशा	41वीं बटालियन, भुवनेश्वर में तूफानी जल निकासी एवं आंतरिक सड़क का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	492	-वही-	-वही-
77.	बी.एस.एफ.	तेलंगाना	दो 120 पुरूष बैरेकों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	16	पूर्ण	708	-वही-	-वही-
78.	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	202 कोबरा बटालियन, कोरापुत के लिए 20 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	एन ए	पूर्ण	500	-वही-	-वही-
79.	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	जी सी भुवनेश्वर में 40 से 50 बिस्तर के अस्पताल की मरम्मत	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	762	-वही-	-वही-
80.	सी.आर.पी.एफ.	ओडिशा	202 कोबरा बटालियन, कोरापुत के लिए प्रशासनिक ब्लॉक/क्वार्टर गार्ड/स्टोर ब्लॉक/दस्तकारों की दुकान का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	0	पूर्ण	992	-वही-	-वही-
81.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बी.एस.एफ. परिसर मथुरा के लिए बाह्य विकास कार्य तथा थोक सेवाएं (सड़क कार्य/चारदीवारी/प्रवेश द्वार एवं छात्रावास ब्लॉक)	एन बी सी सी	16	पूर्ण	457	-वही-	-वही-
82.	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर टी सी हेतु 5 क्वार्टर (टाइप V 01 एवं टाइप IV 04)	सी पी डब्ल्यू डी	30	पूर्ण	70.73	-वही-	-वही-
83.	सी.आई.एस.एफ.	ओडिशा	आर टी सी की फायरिंग रेंज को बढ़ाना	सी पी डब्ल्यू डी	31	पूर्ण	71.19	-वही-	-वही-
84.	आई.टी.बी.पी.	झारखंड	उप-स्टेशन उपकरण, 125 के वी ए डी जी सेट का संस्थापन एवं प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	33	पूर्ण	273	-वही-	-वही-

85.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना तेलंगाना	312 परिवार क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	14	पूर्ण	1947	-वही-	-वही-
86.	सी.आर.पी.एफ.	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बरही, हजारीबाग के लिए संख्या में 3, 240 सदस्यों के बैरेके का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	10	पूर्ण	2002	-वही-	-वही-
87.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रेदश	विकास एवं थोक सेवाएं (केवल सिविल कार्य केवल) मेरठ	सी पी डब्ल्यू डी	4	पूर्ण	569	-वही-	-वही-

अनुबंध-4.14
जारी काम में अधिक लागत
(पैरा 4.5.5.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	निर्माण कार्य के विवरण	निष्पादन	वर्तमान की स्थिति	ए.ए एवं ई.एस की राशि	अंतिम व्यय/आज तक का व्यय	अंतर
1.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	एस एच क्वयू बी.एस.एफ. जैसलमैर (एस) के अंतर्गत 194 बटालियन बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. नलका का प्रशासनिक ब्लॉक एवं के.एस.एम का निर्माण	विभागीय	कार्याधीन	39.67	51.32	11.65
2.	बी.एस.एफ.	मेघालय	एस एच क्वयू बी.एस.एफ डम्पलिंग शिलांग के लिए संयुक्त सुविधा/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	234.90	262.00	27.1
3.	एस.एस.बी.	अरुणाचल प्रदेश	34वें बटालियन दिरंग में टी-।।।/8क्वार्टरों का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	155.79	187.78	31.99
4.	ए.आर.	असम	गुवाहटी में नए ए.आर.के.एल.पी. में 02 मुख्य प्रवेश द्वार तथा अन्य संबंधित निर्माण कार्य के साथ 1.7 कि.मी. लम्बाई में सुरक्षा दीवार का निर्माण	यू पी जे एन	कार्याधीन	435.44	435.61	0.17
5.	बी.एस.एफ.	पश्चिम बंगाल	एस.टी.सी., बी.एस.एफ. ए.टी परिधि के साथ चारदीवारी (लम्बाई-7300 मीटर) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	521.15	690.82	169.67
6.	सी.आई.एस.एफ.	असम	सी.आई.एस.एफ. ग्रुप मुख्यालय गुवाहटी के लिए गैर आवासीय स्थान का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	1,095.17	1,208.00	112.83
7.	सी.आर.पी.एफ.	असम	चारदीवारी, मुख्यद्वार, गार्ड कक्ष, संतरी पद एवं वॉच टॉवर का निर्माण (जी.सी. सिलचर में ₹299.00 की बजाय 12/05/2009 को जारी संशोधित संस्वीकृति)	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	299.00	902.30	603.3

8.	ए.आर.	नागालैण्ड	चियसवेमा (नागालैण्ड) में असम राइफल्स बटालियन के लिए (जी+।।) में 12 टाइप-।।। लिए 12 टाइफ-।। क्वार्टर (जी+।।) और 78 टाइप-।। क्वार्टर (जी+।।)	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,028.02	1,188.74	160.72
9.	ए.आर.	मणिपुर	6 सिंगल जेकोस रिहायशी स्थान (जी+।), 03 सिंगल पुरूष बैरेक (जी+।।) का 01 ब्लॉक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक (जी+।) तथा सेक्टर मुख्यालय के लिए एक अधिकारियों का भोजनालय तथा केयथलमनबी (मणिपुर) में असम राइफल्स बटालियन के लिए 03 सिंगल पुरूष बैरेक (जी+।) का 01 ब्लॉक	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,336.39	1,377.37	40.98
10.	ए.आर.	मणिपुर	केयथलमनबी में ए.आर. सेक्टर मुख्यालय के लिए 01 टी-v। (जी.एफ) 04 टी-v(जी-।), 13टी-।।।, 18टी-।। (जी-2) तथा 02 एस/अधिकारी आवास	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,008.46	1,019.92	11.46
11.	ए.आर.	मणिपुर	ज्वालामुखी (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए ब्लॉक 08 में 48 टाइप-।। (जी+।।) और विकास निर्माण कार्य के साथ 07 सिंगल जेकोस आवास, जल आपूर्ति एंडीएक्सटर्नल विद्युतीकरण का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	कार्याधीन	1,207.16	6,511.32	5304.16
12.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	108 रिहायशी क्वार्टर एस.एस.जी. ग्रेटर नोएडा	एन बी सी सी	कार्याधीन	1534.96	1619.54	84.58
13.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	आर टी सी, वरवाह की मरम्मत	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	290	308.4	18.4
14.	सी.आई.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	आर टी सी के लिए मौजूदा लघु फायरिंग में स्तर तथा निरीक्षण गैलरी का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	60.37	63.11	2.74
15.	ए.आर.	दिल्ली	द्वारका, नई दिल्ली में असम राइफल्स के 30 लड़कों और 20 लड़कियों के लिए 32 टाइप-।।, 16टाइप-।।। एस.एफ. क्वार्टरों का निर्माण	ई पी आई एल	कार्याधीन	481	1360	879
16.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	बी.एस.एफ परिसर, 192 बटालियन में हनुमान की खेजरी फायरिंग रेंज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	152.14	161.75	9.61
17.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	एम.पी.आर.टी.सी बेहरॉर के लिए एम.टी गैराज का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	79.6	90.69	11.09
18.	सी.आई.एस.एफ.	राजस्थान	आर.टी.सी. देओली मे आर.टी.सी. (पूर्व संस्वीकृति ₹48.54) के लिए 05 एस. रिहायशी क्वार्टर (टी-VI, टी-IV) का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	48.54	71.63	23.09

19.	बी.एस.एफ.	पंजाब	बी.एस.एफ. परिसर 143 बटालियन बी.एस.एफ. कमसवाला में चारदीवारी	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	309	495	186
20.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मिर	लेह में एम.टी. कार्यशाला	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	194	290	96
21.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	सबोली, हरियाणा में सिवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	71.82	81.82	10
22.	आई.टी.बी.पी.	हरियाणा	भानु में बी.एच.क्यू में आर.ओ. जी.ओ.एस. भोजनालय	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	69	118.68	49.68
23.	सी.आर.पी एफ	दिल्ली	जी.सी. कदरपुर में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण ब्लॉक	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	1,100	1526	426
24.	बी.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	बी.एस.एफ. परिसर बाद मथुरा में परिधि फेसिंग	विभागीय	कार्याधीन	33	60	27
25.	सी.आई.एस.एफ.	तमिलनाडु	सी.आई.एस.एफ. आर.टी.सी. (ए). के लिए रिहायशी क्वार्टरों के लिए मक्खी से सुरक्षित करने वाले शटर्स (53 टाइप-I एवं 160 टाइप-II) प्रदान करना	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	37.58	80.78	43.2
26.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	पहले बटालियन के लिए प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	293	314	21
27.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	30वें बटालियन मुख्यालय के बचे हुए क्षेत्र में जैन लिंक फेंसिंग का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	142	182	40
28.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	गौचर में जलग्राम परिसर में जल आपूर्ति तथा जल निकासी प्रणाली	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	85	89	4
29.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखंड	एम एवं एस.आई.ऑली. में अधिकारी भोजनालय का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	136	206	70
30.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	सिवरेज आचार संयंत्र का निर्माण-बागवानी उद्देश्य/ऑगमट्ट सः55/ई.ई./एच सी डी-I/2007-08 के लिए सी आई पाईपलाईन ग्रिड को बिछाना	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	44.33	50.61	6.28
31.	सी.आर. पी.एफ.	झारखंड	203, कोबरा बटालियन, बरही, हजारीबाग के लिए विद्युत उपस्टेशन का निर्माण	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	36.58	37.29	0.71
32.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	सी.एस.डब्ल्यू.टी. बी.एस.एफ. इंदौर ठेकेदार के अंतर्गत बिजासन में 120 एस.एफ.ए. क्वार्टर का निर्माणः मैसर्ज बंसल निर्माण कार्य	सी पी डब्ल्यू डी	कार्याधीन	482.33	502.47	20.14
					कुल	**13041.40**	**21543.95**	**8502.55**

अनुबंध-4.15

अन्य अनियमिततांए- ए.आर. के लिए निर्माण कार्य आदेश/अनुबंध के बिना निर्माण कार्य को शुरू किया जाना

(पैरा 4.6.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अभिकरण का नाम	बल का नाम	निर्माण कार्य मिलने से पूर्व किया गया भुगतान
1.	जोरहट (असम) में असम राइफल्स के लिए 3 ब्लॉकों में 18 टाइप-।। क्वार्टरों (जी+।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	148.23
2.	2 ब्लॉकों में 12 टाइप-।। क्वार्टर (जी+।।) एवं जोरहट (असम) में असम राइफल्स के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉकों में 12 टाइप-।।। (जी+।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	20.11
3.	04 एस एम बैरेक के 01 ब्लॉक, 01 जे सी ओ भोजनालय एवं हफलाँग (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए 01, 20 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	124.26
4.	श्रीकोना सिल्चार में असम राइफल्स बटालियन के लिए बिटुमिनस सड़क तथा 04 एस.एम.बी. के (जी+।।।) के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	46.58
5.	जोरहट (असम) में संख्या 2 ट्रांजिट कैम्प के लिए 06 टाइप-।। (जी+।।) के 01 ब्लॉक तथा 03 एस एम बैरेक (जी+।।) के 01 ब्लॉक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
6.	जोरहट (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए विकास निर्माण कार्य तथा संबद्ध सेवाओं के साथ 62 ब्लॉकों में 12 टाइप-।। (जी+।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	1.67
7.	01 ब्लॉक में 06 टाइप-।। (जी+।।) एवं जोरहट (असम) में असम राइफल्स बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास निर्माण कार्य के साथ 01 ब्लॉक में 02 टाइप-।। (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
8.	हफलाँग (असम) में असम राइफल्स के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों के साथ 02 टाइप-v (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
9.	श्रीकोना (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए एक ब्लॉक में 08 सिंगल अधिकारी (जी+।।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
10.	एक ब्लॉक में एन.ओ.एस. सिंगल नागरिक आवास (जी+।।।) समेत निर्माण कार्य तथा संबद्ध सेवाएं	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0

11.	हफलाँग (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों समेत 03 ब्लॉकों में एम.टी. आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
12.	लोखड़ा (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्य के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंट स्कूल (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
13.	हफलाँग (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यो के साथ एक ब्लॉक में क्यू. जी, कोटे, अस्त्रकार दुकान (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
14.	श्रीकोना (असम) में आई.जी.ए.आर. (पूर्व) के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्य में एक ब्लॉक में 06 टाइप-v क्वार्टरों (जी+।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
15.	श्रीकोना (असम) में मुख्यालय आई.जी.ए.आर. (पूर्व) के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ एक ब्लॉक में 01 टाइप-v। (जी+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
16.	जोरहट (असम) में 3 एम.जी.ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 02 ब्लॉक में 11 एकल जे.सी.ओ. के आवास (जी+।।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
17.	जोरहट (असम) में संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ ए.आर.डी.बी. एवं टी.सी. के लिए 01 ब्लॉक में 01 एस.एम.बी.के (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
18.	हफलाँग (असम) में ए.आर. बटालियन के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 01 ब्लॉक में रेजिमेंट स्कूल (जी. एच+।) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
19.	जोरहट (असम) में 3 कार्यशाला ए.आर. के लिए विकास कार्य एवं संबद्ध सेवाए समेत 01 ब्लॉक में भंडारण आवास (जी) का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
20.	जोरहट (असम) में मुख्यालय 25 सेक्ट ए.आर. के लिए संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ 1 ब्लॉक 02 टाइप-v क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
21.	ए.आर, उदयपुर, त्रिपुरा के लिए 16 टाइप-।। क्वार्टरों तथा 02 टाइप-V क्वार्टरों, 4 सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	0
22.	ए.आर, राधानगर, त्रिपुरा के लिए 02 टाइप-V क्वार्टरों,02 टाइप-।V, 12 टाइप-।।।, 90 टाइप-।।, 06 सिंगल अधिकारी आवास का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	233.74
23.	अगरतला, त्रिपुरा में 16 टाइप-।। क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	108.77

24.	ए.आर., राधानगर, त्रिपुरा के लिए 08 सिंगल जे.सी.ओ. आवास, 06 एस.एम. बैरेक, 01 प्रशासनिक ब्लॉक, 01 अधिकारी भोजनालय, एवं 01 जे.सी.ओ क्लब	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	81.48
25.	तेलियामुरा, त्रिपुरा में ए.आर. के लिए चारदीवारी का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	73.64
26.	राधानगर, त्रिपुरा में 6 एस.एम. बैरेक का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	19.95
27.	तेलियामुरा, त्रिपुरा के लिए 78 टाइप-।।, 6 टाइप-।।। क्वार्टरों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राइफल्स	30.63
	कुल			**889.06**

अनुबंध 4.16

अन्य अनियमितताएं-बी.एस.एफ. के लिए निर्माण कार्य आदेश/अनुबंध के बिना निर्माण कार्य की शुरूआत

(पैरा 4.6.1 के संदर्भ में)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	ए.ए/ई.एस	ठेकेदार को जारी किए गए निर्माण कार्य के आदेश की तिथि	अनुबंध की तिथि	एन.बी.सी.सी. तथा ग्राहक के बीच स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि
1.	सी.एस.एम.टी. टेकनपुर परिसर (म.प्र.) में बी.एस.एफ. के लिए एक 180 पुरूष बैरेक का निर्माण	599.32	04.03.2014	23.04.2014	17.04.2014
2.	इंदौर में रिजर्व बटालियन बी.एस.एफ परिसर के लिए प्रशासनिक/संचार ब्लॉक का निर्माण	272.96	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
3.	इंदौर मे बी.एस.एफ बटालियन मुख्यालय के लिए 07 कमरो के साथ जी.ओ. भोजनालय का निर्माण	216.35	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
4.	इंदौर परिसर (म.प्र) में बी.एस.एफ. बटालियन मुख्यालय के लिए 26 टाइप III (जी+2) मकानों का निर्माण	475.81	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
5.	इंदौर परिसर (म.प्र) में बी.एस.एफ बटालियन मुख्यालय के लिए टाइप-IV एवं टाइप-V का निर्माण	287.64	15.06.2013	04.07.2013	04.07.2013
6.	सी.एस.डब्ल्य.टी.बी.एस.एफ. इंदौर में टाइप-II 34 क्वार्टर का निर्माण	461.01	20.12.2013	11.02.2014	17.04.2014
7.	एस एच क्वयू बी.एस.एफ. भोपाल के लिए 120 पुरूष बैरेक का निर्माण	470.19	17.07.2014	उ.न.	लेखापरीक्षा तक ग्राहक विभाग एवं एन.बी.सी.सी. के बीच स.ज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।
8.	दोईवाला, देहरादून, (उत्तराखंड) बटालियन मुख्यालय बी.एस.एफ. के लिए पूर्वनिर्मित (जी+I) मॉडयूलर संरचना के साथ एकल एस ओ आवास का निर्माण	25.00	12.06.2013	अनुबंध के बिना निष्पादित	
9.	एस टी एस टिगिरी नई दिल्ली में बी एस एफ के क्वार्टर टाइप-III (14) तथा टाइप-IV (05)	415.73	अगस्त-2014	नव. 2014	नव. 2014

अनुबंध-6.1

उपयोग किए गए पानी की जांच न करना/गुणवत्ता आश्वासन अभिलेखे का अनुरक्षण न करना

(पैरा 6.1.3 & 6.1.4 देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	बल का नाम	कार्यकारी एजेंसी	उन निर्माण कार्यों, जहाँ विनिर्माता का जांच प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था, की निविदा राशि	उन निर्माण कार्यों जहाँ पानी की जांच नहीं की गई, की निविदागत राशि	उन निर्माण कार्यों जहां उपभोग का सैद्धान्तिक विवरणी उपलब्ध नहीं थी, की निविदा राशि
1.	काकचिंग में 21 असम राइफल्स के लिए 06 न. एन.सी.ओ.एस. तथा 60 अन्य (जी+।।) के लिए 03 न. सिंगल मैन बैरक का 01 ब्लॉक तथा 01 न. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+1) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	319.96	319.96	319.96
2.	काकचिंग, मणिपुर में ए.आर. बटा. के लिए मैगजीन भवन का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	159.53	159.53	159.53
3.	फुंडेरी में ए.आर. बटा. के लिए रसोई घर एवं डाइनिंग हॉल के लिए 01 ब्लॉक तथा 03 एस एम बैरक (जी+।।) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	379.14	379.14	379.14
4.	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में मंत्रीपुखरी गैरिसन के आस पास चारदीवारी आवासीय भवन का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	429.41	429.41	429.41
5.	मंत्रीपुखरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के लिए सम्बद्ध सेवाओं सहित 2 ब्लॉकों में 12 टाइप-।। (जी+।।) तथा 5 ब्लॉकों में 10 टाइप-IV (जी+।) के आवासों तथा विकास निर्माण कार्यों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	424.64	424.64	424.64
6.	फुंडेरी (मणिपुर) में असम राइफल्स के नए स्थान हेतु पहुँच सड़क सहित 03 संख्या के सिंगल मैन बैरकों (जी+।।) के एक खंड का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	357.64	357.64	357.64
7.	मोदी (मणिपुर) में ए.आर. बटा. के निवासीय आवासो के लिए मुख्य द्वार, पहरेदार के स्थलों, सुरक्षा लाइटों आदि का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	381.53	381.53	381.53

8.	फुंडेरी (मणिपुर) में (जी+।) सम्बद्ध सेवाओं तथा असम राइफल्स के लिए नए के.एल.पी. हेतु विकास कार्य का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	393.87	393.87	393.87
9.	मोदी (मणिपुर) में असम राइफल्स हेतु आंतरिक सड़क तथा विकास कार्यों सहित क्यू.जी. कोटी, शस्त्रागार तथा शस्त्र-दुकान का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	207.44	207.44	207.44
10.	मंथ्रिपुकारी मणिपुर में आई.जी.ए.आर. (एस) के लिए सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास कार्यों सहित 24 टाइप-।। एस.एफ. क्वार्टस जी+।। का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	414.58	414.58	414.58
11.	ए.आर. बटा. कैथलमनबी (मणिपुर) के आवासीय परिसर के लिए सब-स्टेशन एवं एच.टी./एल.टी. के 100 के.बी.ए. ट्रांसफार्मर एवं प्लान सम्प आई.आर.पी. सहित मुख्य द्वार, सुरक्षा लाइट, फुटपाथ को मिलाकर सुरक्षा दीवार का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	408.74	408.74	408.74
12.	असम राइफल्स बटा. कैथलमनबी (मणिपुर) के लिए नं. 06 सिंगल जे.सी.ओ.एस. आवास (जी+।), 03 नं. सिंगल मैन बैरक (जी+।।) का 01 ब्लॉक, 01 नं. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+।) तथा क्षेत्र मुख्या. के लिए अधिकारी मैस नं. 01 तथा 03 नं. सिंगल मैन बैरक (जी+।) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1110.38	1110.38	1110.38
13.	असम राइफल्स बटा. ज्वालामुखी के लिए 04 नं. सिंगलमैन बैरक (जी+।।।) के एक ब्लॉक तथा असम राइफल्स बटा. मारम (मणिपुर) के लिए 04 नं. सिंगलमैन बैरक (जी+।।।) एक ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	524.15	524.15	524.15
14.	असम राइफल्स, कैथलमानबी के लिए सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माणकार्यों सहित 01 नं. टी-VI (जी+एफ.) 04 नं. टाइप-V (जी+।), 13 नं. टाइप-III, 18 नं. टी-।। (जी+।।) तथा 02 नं. सिंगल/अधिकारी आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	860.8	860.8	860.8
15.	ए.आर. सचि मुख्या/बटा. मुख्या. कैथलमनबी, मणिपुर के लिए विकास निर्माणकार्य तथा सहायक सेवा सहित 72 नं. टी-।। आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1265.95	1265.95	1265.95
16.	08 ब्लॉक में 48 टाईप ।। (जी+।।) तथा असम राइफल्स, ज्वालामुखी (मणिपुर) हेतु विकास निर्माण कार्यों, जल आपूर्ति तथा बाहरी विद्युतीकरण सहित 07 सिंगल जेसी ओ एस आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	1015.45	1015.45	1015.45
17.	खुगा (मणिपुर) में असम राईफल्स बटालियन हेतु आर.सी.सी. चौकी तथा 1.35 कि.मी. नई सड़क सहित सीमा दीवार का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	418.96	418.96	418.96

18.	खुगा (मणिपुर) में असम राईफल्स बटालियन हेतु 04 सिंगल मैन बैरक (जी-।।।) के 01 ब्लॉक तथा 01 रसोईघर सह डाइनिंग हॉल का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	402.45	402.45	402.45
19.	खुगा (मणिपुर) में असम राईफल्स बटालियन के के.एल.पी. स्थान हेतु पहुंच सड़क सहित 03 एस.एम. बैरक (जी+।) का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	181.24	181.24	181.24
20.	खुगा (मणिपुर) में ए.आर. बटालियन हेतु विकास निर्माण कार्यों सहित 20 बैड वाले अस्पताल का निर्माण	ए.आर.	एच.पी.एल.	308.21	308.21	308.21
21.	जी.सी. सोनीपत में 160 टाईप-।। फैमली क्वार्टर का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	2571	0	0
22.	236 विभिन्न टाईप (टाईप/।।-160, टाईप/।।।-38, टाईप/IV-24, टाईप/V-14) का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	4502	0	0
23.	जी.सी. भालगढ़ सोनीपत में जी.ओ. मैस/स्वीट तथा एस.ओ. मैस/ड्रामेटरी का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	871	0	0
24.	जी.सी. सी.आर.पी.एफ. भालगढ़, सोनीपत, हरियाणा मैं सीमा दीवार, साइनेज एवं स्वचलित बूम बेरियरों सहित मुख्य द्वार तथा निगरानी मीनार का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	642	0	0
25.	जी.सी. सोनीपत में 240 विभिन्न प्रकार के टाईप-।। मकानों का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	3858	0	0
26.	जी.सी. सोनीपत में मैन्स क्लब, कैन्टीन एवं बैडमिंटन कोर्ट, एम.टी. गैरेज, वर्कशाप, परेड ग्राउंड, फोर्ट वाल, 10 बैड वाला अस्पताल, धोबीघाट, एफ.डब्ल्यू.सी. तथा विद्यालय का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	1589	0	0
27.	जी.सी. सोनीपत में विकास तथा थोक सेवाएं (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) निर्माण कार्य करना	सी.आर.पी.एफ.	एन.बी.सी.सी.	2509	0	0
28.	पश्चिमी ओर घेरा दीवार का निर्माण एवं मौजूदा सीमा दीवार की लगभग 2100 मीटर लंबाई बढ़ाना	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	117.09	0	0
29.	"जी.सी. सी.आर.पी.एफ., पिंजौर में हनील वार्म आउट भाग एवं मुख्य सड़क की मरम्मत एवं पुनः कार्पोटिंग ₹33.80 लाख	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	33.80	0	0
30.	60 एफ./मकान (टाइप/।।।-22, टाईप/IV-24, टाईप/V12)	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1633	0	0
31.	117 फैमली क्वार्टर	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	396	0	0
32.	3 नं. 180 आदमियों की बैरक	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	873.00	0	0

33.	04 नल्लाह आर.सी.सी. समबपवैल सेवाएं प्रशासन मकान गार्ड	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	918.47	0	0
34.	भूतल जल सम्प, लाइनें तथा सी.जी.आई. शीट छत प्रदान करना	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	74.35	0	0
35.	सीमा दीवार नागरोटा	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	185.9	0	0
36.	टाईप-II/126 (टी./एस.) फैमली क्वार्टर का निर्माण, जालंधर	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1157	0	0
37.	180 आदमियों की बैरक हलोम्जारा हेतु पहुंच सड़क का निर्माण, जल आपूर्ति एवं मलजल निपटान का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	129.3	0	0
38.	हीरा नगर में घेरा दीवार का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	63.98	0	0
39.	सबोली हरियाणा में मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	81	0	0
40.	सबोली हरियाणा में भण्डार डिपो का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73	0	0
41.	भानु पंचकुला में ए.टी. विद्यालय, पशुचिकित्सा अस्पताल का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	88	0	0
42.	28 वीं बटालियन, जटुसना, रेवाड़ी में एस.ओ.एस. मैस का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	291	0	0
43.	रामगढ़ में आवासीय परिसर में सबस्टेशन का संवर्धन (एस.एच.: ट्रांसफार्मरों हेतु दो कमरों का निर्माण)	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	99	0	0
44.	भानु में राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केन्द्र (केनल, रसोईघर, ग्रुमिंग शैड, अस्पताल एवं विकास कार्य) का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	236	0	0
45.	भानु में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73	0	0
46.	भानु में बी.एच.क्यू में जी.ओ.एस मैस का मरम्मत कार्य	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	69	0	0
47.	प्रशिक्षण ब्लॉक (मिलेनियम बिल्डिंग) बी.टी.सी. में एयर कंडिशनर प्रदान करना	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	102	0	0
48.	बी.टी.सी. में फायरिंग रेंज तक सड़क का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	73.2	0	0
49.	रामगढ़ में 64 टाईप-III मकानों का नवीकरण- ₹39.28 लाख	आई.टी.बी.पी.	विभागीय	39.28	0	0
50.	रामगढ़ में 02 पुरानी 120 मैन जवान बैरक का नवीकरण- ₹33.25 लाख	आई.टी.बी.पी.	विभागीय	33.25	0	0
51.	लेह में एम.टी. वर्कशाप	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	194	0	0
52.	जी.ओ.एस. मैस 15वीं उप-बटालियन	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	425	0	0

53.	एस.ओ.एस. मैस तथा श्यनागार	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	496	0	0
54.	तीन प्रशासन ब्लॉक 12 हेतु प्रत्येक एक	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	998	0	0
55.	प्रशिक्षण शैड संशोधित	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	524	0	0
56.	बी.एच.क्यू. में 36 टाईप-।। मकानों का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	851	0	0
57.	21वीं बटालियन में 120 आदमियों की बैरक	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	0	0
58.	टी.पी.टी. बटालियन, चण्डीगढ़ में प्रशासन ब्लॉक (डबल स्टोरी) का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	187	0	0
59.	पटियाला में टाईप-। से IV मकानों का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	182	0	0
60.	जोरहाट (असम) में 2 ट्रांजिट कैम्प हेतु 03 एस.एम. बैरक (जी+।।) के 01 ब्लॉक तथा 06 टाईप-।। (जी+।।) के 01 ब्लाक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	369.16	0
61.	जोरहाट (असम) में असम राइफल्स बटालियन हेतु 32 टाईप-।। मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	355.45	0
62.	हेफलांग असम में असम राइफल्स हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 02 टाईप-V (जी+।) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	160.57	0
63.	सी.ओ.ई. दीफू (असम) हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 3 एस.एम.बी. का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	368.82	0
64.	गुजरात में नए ए.आर. के.एल.पी. में 2 मुख्य प्रवेश द्वार तथा विकास निर्माण कार्य सहित 1.7 कि.मी. लम्बाई में सुरक्षा दीवार का निर्माण	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	412.71	0
65.	हैफलांग असम में ए.आर. बटालियन हेतु 4 एस.एम. बैरक, 1 जे.सी.ओ. मैस तथा एक 20 बैड वाले अस्पताल के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	486.34	0
66.	जोरहाट, असम में 12 टाईप-।।। मकानों तथा 66 टाईप-।। मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	879.57	0
67.	चारदौर, असम में ए.आर हेतु 64 टाईप-।। (जी+।।।) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	744.79	0
68.	जयरामपुर, (अरुणाचल प्रदेश) में आवासीय परिसर हेतु मचान एवं सम्बद्ध सेवाओं सहित जल आपूर्ति योजना तथा 01 लाख क्षमता वाली पी.एस. ऊपरी टंकी का संवर्धन	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	351.98	0

69.	जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु अवसंरचनात्मक विकास निर्माण कार्यों सहित जी+। के 02 ब्लॉक में 10 सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	106.01	0
70.	खोंसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु तकनीकी भण्डार सहित एम.टी. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	173.05	0
71.	खोंसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु 08 एस.एम. बैरक (जी+।।।), 04 सिंगल अधिकारी आवास, 12 जे.सी.ओ. आवास, 01 प्रशासन ब्लॉक, 01 अधिकारी मैस, 01 जे.सी.ओ. मैस का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	1376.14	0
72.	खोंसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु 48 टाईप-।। (जी+।।।) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	754.33	0
73.	उदयपुर में ए.आर. हेतु 2 टाईप-V मकानों, 4 सिंगल जे.सी.ओ. आवास, तथा 16 टाईप-।। मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	386.68	386.68
74.	अगरतला में सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 16 टाईप-।। मकानों का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	206.64	206.64
75.	राधानगर में ए.आर. हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 6 एस.एम. बैरक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	316.53	316.53
76.	राधानगर, त्रपुरा में 2 टाईप-V मकानों, 2 टाईप-IV, 12 टाईप-।।।, 90 टाईप-।। 6 सिंगल अधिकारी आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	1038.42	1038.42
77.	8 सिंगल जे.सी.ओ. आवास, 6 एस.एम. बैरक, 1 प्रशासन ब्लॉक का निर्माण, ए.आर. राधानगर, त्रिपुरा	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	642.9	642.9
78.	तेलियामूरा में सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्य सहित 78 टाईप-।। (जी+।।) मकानों, 6 टाईप-।।। (जी+।।) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	769.54	769.54
79.	तेलयामूरा में असम राइफल्स हेतु सीमा दीवार का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	374.73	374.73
80.	श्रीकोना, सिल्चर, असम में ए.आर. बटालियन हेतु 04 एस.एम. बैरक (जी+।।।) के 01 ब्लॉक तथा बिटूमेनी सड़क का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	394.17
81.	जोरहाट (असम) में 2 ट्रांजिट कैम्प हेतु 03 एस.एम. बैरक (जी+।।) के 01 ब्लॉक तथा 06 टाईप-।। (जी+।।) के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	369.16

82.	जोरहाट (असम) में असम राइफल्स बटालियन हेतु 32 टाईप-।। मकानों (एस.एफ.) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	355.45
83.	हैफलांग असम में असम राइफल्स हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 2 टाईप-v (जी+।) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	160.57
84.	सी.ओ.ई. दीफू (असम) हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माण कार्यों सहित 3 एस.एम.बी. का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	368.82
85.	गुजरात में नए ए.आर., के.एल.पी. में 2 मुख्य प्रवेश द्वार तथा विकास निर्माण कार्य सहित 1.7 कि.मी. लम्बाई में सुरक्षा दीवार का निर्माण	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	0	412.71
86.	हैफलांग असम में ए.आर. बटालियन हेतु 4 एस.एम. बैरक, 01 जे.सी.ओ. मैस तथा एक 20 बैड वाले अस्पताल के 1 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	486.34
87.	जोरहाट असम में 12 टाईप-।।। मकानों तथा 66 टाईप-।। मकानों एस.एफ. आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	879.57
88.	चारूधार असम में ए.आर. हेतु 64 टाईप-।। (जी+।।।) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	744.79
89.	जयरामपुर (अरूणाचल प्रदेश) में आवासीय परिसर हेतु मचान एवं सम्बद्ध सेवाओं सहित जल आपूर्ति योजना तथा 01 लाख क्षमता वाली पी.एस. ऊपरी टंकी का संवर्धन	ए.आर.	यू.पी.जे.एन.	0	0	351.98
90.	जयरामपुर अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु अवसंरचनात्मक विकास निर्माण कार्यों सहित जी+। के 02 ब्लॉक में 10 सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	106.01
91.	खोंसा अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु तकनीकी भण्डार सहित एम.टी. आवास का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	173.05
92.	खोंसा, अरूणाचलप्रदेश में ए.आर. हेतु 08 एस.एम. बैरक (जी+।।।), 04 सिंगल अधिकारी आवास, 12 जे.सी.ओ. आवास, 01 प्रशासन ब्लॉक, 01 अधिकारी मैस, 01 जे.सी.ओ. मैस का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	1376.14
93.	खोसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. हेतु 48 टाईप-।। (जी+।।।) मकानों का निर्माण	ए.आर.	ई.पी.आई.एल.	0	0	754.33

94.	लायतकोर, शिलांग (मेघालय) में ए.आर. हेतु 03 एस.एम. ब्लैक टॉप बिटुमेनी सड़क तथा मुख्य निकास के 01 ब्लॉक का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	237
95.	ए.आर.सी. एवं एम.सी. लायतकोर, शिलांग हेतु सम्बद्ध सेवाओं तथा विकास निर्माणकार्यों सहित 01 ब्लॉक पर 04 एस.एम. बी.के. (जी+।।) का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	0	301
96.	लायतकोर, शिलांग में ए.आर. हेतु 72 टाईप-।। (जी+।।) एस.एफ. आवास का निर्माण	ए.आर.	एन.पी.सी.सी.एल.	0	**0**	1096
			Total	**37389.69**	**20238.43**	**22266.6**

अनुबंध - 7.1
अलग खाते अनुरक्षित नही किए गए
(संदर्भ पैरा - 7.1)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	दी गयी लामबंदी अग्रिम की राशि
1.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	ग्रे.नोएडा 240 मेन बैरेक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	386
2.	सी.आर.पी.एफ.	दिल्ली	ग्रे.नोएडा टाईप-।।, 288 फेमिली क्वार्टर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	605
3.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	4-मेन बैरेक जी एस मेस एस एस जी का निर्माण ग्रे. नोएडा	एन.बी.सी.सी.	27.37
4.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	108 आवासीय क्वा. एस एस जी ग्रे. नोएडा	एन.बी.सी.सी.	112.21
5.	सी.आई.एस.एफ.	दिल्ली	गैर-आवासीय भवन जी बी एस महिपालपुर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2039.73
6.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर (म.प्र.) में सी.सु.ब कैम्पस के लिए प्रशा./संचार ब्लॉक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	55.4
7.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैम्पस (म.प्र.) में सी सु.ब. बटा. मुख्या. के लिए जी.ओ.मेस के साथ 7 सूट्स का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	43.91
8.	बी.एस.एफ.	मध्य प्रदेश	इंदौर कैम्पस (म.प्र.) मे 26 नं. सी.सु.ब.बटा. मुख्या. के लिए टाईप-।।। (जी+2) का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	96.57
9.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	प्रशा./प्रशिक्षण ब्लॉक/कक्षा/सेण्ड मॉडल कमरा सह व्याख्यपान हॉल एवं सी आई ए टी शिवपुरी मे 2 नं. 270 मेन बैरक के संयुक्त भवन का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	853.77
10.	सी.आर.पी.एफ.	मध्य प्रदेश	जी ओ मेस एवं सूट्स एस ओ एस मेस एवं डॉरमिट्री ब्लॉक के संयुक्त भवन का निर्माण क्वार्टर गार्ड, स्टोर ब्लॉक, ट्रेड्स मेन शॉप के संयुक्त भवन का निर्माण तथा मेन्स क्लब के लिए संयुक्त भवन, कैण्टीन, एफ डब्लू सी, अनाज गोदाम, बैडमिण्टन कोर्ट एं जिमशाला का सी टी सी, शिवपुरी, म.प्र. मे निर्माण	एन.बी.सी.सी.	847.29
11.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटा. सी.सु.ब. कैम्पस भोंडसी गुडगाँव (हरियाणा) मे मुख्य प्रवेश द्वार एवं डॉयमिट्री ब्लाक/पार्श्व प्रवेश द्वार एवं डॉरमिट्री ब्लॉक एवं चारदीवारी के नवीकरण का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	106.08
12.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ. कैंपस भोंडसी के लिए सू एवं मनोरंजन केंद्र को शामिल करते हुए 01 नं. 120 मेन बैरेक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	106.19
13.	बी.एस.एफ.	हरियाणा	रिजर्व बटा. बी.एस.एफ. कैंपस भोंडसी के लिए सू एवं मनोरंजन केंद्र को शामिल करते हुए 01 नं. 120 मेन बैरेक का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	106.19
14.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी. सी सोनीपत मे 160 नं. टाईप-।। फेमिली क्वार्टर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	522.5
15.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	236 नं. के विभिन्न टाईप (टाईप/।।-160, टाईप/।।।-38, टाईप-।v-24, टाईप/v-14) का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	915.79
16.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी ओ मेस/सूट्स एवं एस ओ मेस/ डॉरमिट्री जी सी बहलगढ , सोनीपत मे निर्माण	एन.बी.सी.सी.	176.92

17.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सी.आर.पी.एफ. बहलगढ़ सोनीपत, हरियाणा मे चारदीवारी, से साइनेज एवं स्वचालित बूम बैरियर के साथ मुख्य गेट तथा वाच टावर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	130.39
18.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सोनीपत में 240 नं. विभिन्न प्रकार के टाईप-।। क्वार्टर का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	783.76
19.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सोनीपत मे मेन्स क्लब, कैन्टीन एवं बैडमिंटन कोर्ट, एम टी गैराज, कार्य शाला परेड ग्राउंड, किला दीवार, 10 बिस्तर वाले अस्पताल, धोबी घाट, एफ डब्लू सी एवं विद्यालय का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	322.81
20.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी सी सोनीपत, हरियाणा मे विकास तथा थोक सेवाएं (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) निर्माण को कार्यान्वित करना	एन.बी.सी.सी.	526.21
कुल					**8764.09**

अनुबंध -7.2

परिनिर्धारित क्षतियों (एल.डी) की वसूली न किया जाना

(संदर्भ पैरा. 7.2)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल	राज्य	कार्य का विवरण	कार्यकारी एजेंसी	निविदागत मूल्य	विलम्ब (माह मे)	आरोप्य परिनिर्धारित क्षति
1.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कालिंदीपुरम् इलाहाबाद मे कुंडलित घेराबंदी के साथ चार दीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	37.00	7	3.70
2.	सी.आई.एस.एफ.	उत्तर प्रदेश	कांलिदीपुरम् इलाहाबाद मे मुख्य गेट का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	12.00	5	0.82
3.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	104 बटा. आर ए एफ अलीगढ़ के लिए 60 महिला बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	88.45	14	8.85
4.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	104 बटा. आर ए एफ मे स्थल विकास एवं थोक सेवाएं	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	486.00	12	48.60
5.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	15 नं. वाच टावर एवं गार्ड रूम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	47.94	12	4.79
6.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	सुरक्षा कारणों से 6.5 एकड़ भूमि पर सी डब्लू एस के सामने चार दिवारी एवं 2 नं. वाच टावर के साथ गार्ड रूम एवं पी वी डी जी के साथ टाप पर कंसर्टिना वायर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	56.87	4	5.69
7.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	जी सी इलाहाबाद मे 50 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	628.44	15	62.84
8.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद में 121 नं. बी ओ ए सी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	22.87	15	2.29
9.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद में 40 नं. शौचालय का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	40.52	12	4.05
10.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	एक नं. 60 महिला बैरक का निर्माण,101 आर ए एफ इलाहाबाद	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	86.64	8	8.66
11.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	जी सी इलाहाबाद मे 250 नं. एफ/क्वा. (टी/।।-240,।v-8,v-2) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1699.30	9	169.93
12.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	एम टी गैराज एवं कार्यशाला	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	241.96	7	24.20
13.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	278 नं. (टी/12 एवं टी/।।-266 नं.) फेमली क्वार्टर, लखनऊ	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1082.30	30	108.23
14.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तर प्रदेश	स्ट्रीट लाईट, पार्क लाईट फाफामउ, इलाहाबाद का नवीकरण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21.00	4	1.48
15.	आई.टी.बी.पी.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा मे चारदीवारी, सड़क, सामने गेट के पास संतरी पोस्ट, सामने की दीवार एवं डॉरमिट्री ब्लॉक के साथ संलग्न शोचालय का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	329.22	24	32.92
16.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना का निर्णाण खुनवा बटा. हेड महाराजगंज	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	289.08	12	28.91
17.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना का निर्माण चण्डीथान बटा. हेड क्वा. महाराजगंज	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	348.13	12	34.81
18.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना झिंगटी बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	316.17	11	31.62
19.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंचना दनौरा बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	309.65	12	30.97

20.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	बी ओ पी स्थायी अवसंरचना लोहटी बटा. मुख्या. सिध्दार्थ नगर	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	324.16	7	32.42
21.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	एल/खेरी मे प्रीफेब संरचना का निर्माण	विभागीय	57.02	2	1.72
22.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	39 बटा. पलिया के अधीन बी ओ पी बनकटी मे स्थायी भवन का निर्माण	विभागीय	49.84	17	4.98
23.	एस.एस.बी.	उत्तर प्रदेश	एफ टी आर मुख्या., एस.एस.बी. गोमती नगर, लखनऊ के लिए विकास एवं थोक सेवाएं केवल निर्माण कार्य	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	180.95	4	10.78
24.	एस.एस.बी.	उत्तराखण्ड	बटा. मुख्या. अल्मोड़ा मे आवासीय क्वार्टर (टी/।v-02 टी/।-12 नं.) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	123.00	10	12.30
25.	एस.एस.बी.	उत्तराखण्ड	बटा. मुख्या. चम्पावती मे कटीले तारों की घेराबंदी करना	विभागीय	30.00	7	3.00
26.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखण्ड	प्रशा. भवन इत्यादि का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	2018.00	10	201.80
27.	सी.आर.पी.एफ.	उत्तराखण्ड	3 नं. 240 मैन बैरक का निर्माण	एन.बी.सी.सी.	1570.00	6	135.26
28.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	गोटही में 8 नं. टी-।। (डी/एस) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	82.00	1	8.20
29.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	मुन्सयारी मे जी ओ मेस का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	66.00	1	0.99
30.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	36 बटा. लोहाघाट मे क्वार्टर मास्टर भण्डार का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	263.00	1	2.63
31.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	मिरथी मे 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	136.00	14	13.60
32.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	मना मे आवासीय सह कार्यालय परिसर का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	77.00	56	7.70
33.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस आई आउली मे प्रशा. ब्लॉक एवं प्रशि. ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	295.00	15	29.50
34.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	12 बटा. मटली मे स्टार्म वाटर सिस्टम एवं नाली का विकास	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	96.00	20	9.60
35.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	पहली बटा. के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	199.00	26	19.90
36.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. बटा. मुख्या. महिदा मे बचे हुए क्षेत्रफल मे श्रृखंलाबध्द बाड़ेबंदी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	154.00	13	15.40
37.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	ग्वाचेर जलगम परिसर मे जलापूर्ति एवं नाली प्रणाली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	80.00	8	8.00
38.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एवं एस आई आउली मे ऑफीसर मेस का निर्माण (संशोधित)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	106.00	13	10.60
39.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	एम एव एस आई आउली मे क्यू जी, क्यू एम भण्डार एवं एम आई रुम का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	266.00	11	26.60
40.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. सीमाद्वार देहरादून मे पृथक फेमिली आवास का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2336.57	38	233.66
41.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	सीमाद्वार देहरादून मे जलापूर्ति लाईन का आवर्धन (संशोधित)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	77.00	1	0.77
42.	आई.टी.बी.पी.	उत्तराखण्ड	आई.टी.बी.पी. अकादमी मसूरी देहरादून के अस्टेल इस्टेट मे क्वार्टर गार्ड का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	185.00	14	18.50
43.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	जी सी प्रशा. ब्लॉक का निर्माण, मुजफ्फरपुर, बिहार	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	115.96	34	11.59

44.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	आर टी सी-v, राजगीर मे 8 नं. एस पी बैरक (₹243.55 लाख के स्थान पर संशोधित स्वीकृति 07/09/2012 को जारी की गई।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	178.11	5	17.81
45.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	आई जी पी/डी आई जी पी कार्यालय के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	170.45	26	17.04
46.	सी.आर.पी.एफ.	बिहार	आई जी/डी आई जी पी बिहार सेक्टर, सी.आर.पी.एफ. दिगहा मे एस ओ मेस एवं ओ.आर मेस का निर्माण (4 मंजिल ₹313.69 दिनांक 08/09/2010 के स्थान पर संशोधित स्वीकृति)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	572.25	17	57.22
47.	एस.एस.बी.	बिहार	बथनाहा, अरहिया (बिहार) मे चारदीवारी का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	419.61	38	41.96
48.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. सेक्टर मुख्या, मुजफ्फरपुर के लिए चार दीवारी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	204.02	20	20.40
49.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्या, 10 नरकटियागंज के अधीन सिकटा मे कंपनी मुख्या सह बी ओ पी मे बी ओ पी भवन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	332.69	28	33.27
50.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्या. पिपराकोढी, जिला पूर्वी चंपारण के अधीन पनटोका मे कंपनी मुख्या. सह बी ओ पी मे बी ओ पी भवन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	332.09	21	33.20
51.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. बटा. मुख्यालय बथनहा, जिला अररिया (बिहार) मे 128 मेन बैरक का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	370.27	20	37.03
52.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. के लिए नरकटियागंज मे टाईट-।।।-24 नं., टी ।v-6 नं. एवं टी-v-2 नं. का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	445.30	29	44.53
53.	एस.एस.बी.	बिहार	12 वीं बटालियन मुख्या., बगहा, बाल्मीकि नगर, बिहार मे 10 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	408.97	23	40.89
54.	एस.एस.बी.	बिहार	एस.एस.बी. सेक्टर मुख्यालय मुजफ्फरपुर (बिहार) के लिए 53 नं. टाईप-।। क्वार्टर का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	602.57	21	60.23
55.	एस.एस.बी.	बिहार	नरकटियागंज मे एस.एस.बी. के लिए स्थल एवं थोक सेवाओं का विकास। एस एच: सिविल वर्क	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	978.73	12	97.87
56.	एस.एस.बी.	बिहार	9 वीं बटा. सितामढ़ी के अधीन मेजरगंज मे बी ओ पी भवन का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	245.31	37	24.53
57.	एस.एस.बी.	बिहार	9 वीं बटा, जय नगर के अधीन मधुबनी मे कमला मुख्यालय मे बी ओ पी का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	242.54	36	24.25
58.	आई.टी.बी.पी.	जम्मू एवं कश्मीर	टाईप-।।/24 एवं टाईप-।।/36 नं. क्वार्टर लेह के छत का नवीकरण	विभागीय	24.18	5	2.42
				कुल	**20558.13**		**1985.51**

अनुबंध – 7.3
ठेकेदार को किया गया अधिक भुगतान
(संदर्भ पैरा 7.3.1)

(₹ लाख में)

क्र सं.	कार्य का नाम	बल	पी.डब्ल्यू .ओ.	राशि	विवरण
1.	लोंखरा असम में 43 ए आर के लिए जी+।।। में 12 न. टी-।।। क्वा एवं जी+।।। में 54 टी-।। क्वा: का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	1.70	विचाराधीन अवधि के लिए इस्पात के लिए वृद्धि न्यूनतम सूचकांक पर अनुमत था या माह के थोक मूल्य बिक्री सूचांकक जिसमें निर्धारित संपर्क अवधि का आधा समाप्त हो गया था इस्पात सुदृढ़ीकरण की अंतिम खेप खरीदी गई हों। ये शर्तें अनुसरण में नहीं थी।
2.	जोरहट असम में ए.आर. के लिए जी.+।।। 12 टी-।।। क्वा. एवं जी+।। में 66 टी.-।। क्वा. का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	3.37	
3.	ए.आर., हाफलांग असम के लिए एस.एम. बैरक (जी+।।) के 4न., 01 नं. जे.सी.ओ. मेस एवं 01 न. 20 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	1.07	
4.	ज्वालामुखी में ए.आर. बटा के लिए 4 न. सींगल मेन बैरक (जी +।।।) के एक ब्लॉक एवं मारम मणिपुर में ए.आर. बटा.के लिए 4न. सिंगल मेन बैरक (जी +।।।) के लिए ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	0.96	
5.	लैतकोर, शिलॉग में ए.आर. के लिए 72 न. टाईप -।। (जी +।।।) एस.एफ. आवास का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल	3.14	
6.	खोनसा अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. के लिए 24 टाईप ।। क्वार्टर, विकास कार्य को शामिल करते हुए का निर्माण	असम राईफल		16.61	खोनास, अरूणाचल प्रदेश में 24 टाईप ।। क्वार्टर, विकास कार्यों को शामिल करते हुए, के निर्माण कार्य में, टेंडर प्राप्ति की अंतिम तिथि पर लागू श्रम लागत सूचकांक के स्थान, पर श्रम में वृद्धि को अनुमत किया गया था।
7.	सी.आई.एस.एफ, ग्रुप हेड क्वा., गुवाहाटी, असम (ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी) विकास स्थल को शामिल करते हुए,ग्रुप कमांडेंट कार्यालय के लिए गैर आवासीय आवास का निर्माण	सी.आई.एस.एफ,	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	13.57	धारा 10 सी के अंतर्गत वृद्धि क्षतिपूर्ण राशि थी जो ठेकेदार को श्रम में वृद्धि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दी गई थी। फिर भी, वृद्धि को कार्य के कुल मूल्य पर अनुमत किया गया जिसमें ठेकेदार का 15 प्रतिशत लाभ शामिल था।
8.	रांगिया असम (फेज -।।) में एस.एस.बी. 33वीं बटा. के लिए 18 न. टाईप-।। आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।	एस.एस.बी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1.35	

9.	एस.एस.बी. 38 बटा,तवांग में 2 न. टाईप- V एवं 6 नंबर टाईप-IV आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	एस.एस.बी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	2.99	
10.	खटखटी, असम में ग्रु. केन्द्र सी.आर.पी.एफ. के लिए 3 न. 180 मेन बैरक (3 मंजिला) का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	3.63	
11.	8 न. सिंगल मेन बैरक, 04 न. सिंगल अफिसर आवास 12 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास का निर्माण	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	3.34	अन्य पदार्थों के सूचकांक के स्थान पर सभी वस्तुओं का सूचकांक लिया गया जिसका परिणाम अधिक भुगतान में हुआ।
12.	अवसंरचनात्मक विकास कार्य की शामिल करते हुए 1 न. अधिकारी मेस,1न. प्रशासनिक ब्लॉक,1न. जे.सी.ओ. मेस का निर्माण	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	2.01	
13.	कैथलमानबी में, ए.आर. के लिए 1 न. -टी IV (जी +एफ) , 4 न. टाईप-V (जी.+1) ,13 न. टाईप-।।।,18 न. टी-।। (जी.+।।) एवं 2न. सिंगल/ अधिकारी आवास अन्य संबध्द सेवाओं के साथ एवं विकास कार्य का निर्माण। कार्य को पैकेज आर्थात् 285,286,287 के अधीन क्रियान्वित किया गया था।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	5.78	
14.	कैथलमानबी, मणिपुर में ए.आर. के लिए 6 न. जे.सी.ओ. निवासीय आवास जी+। सिंगल मेन बैरक (जी.+।।) का एक ब्लॉक, 01 न. प्रशा. ब्लॉक (जी+।) एवं सेक्टर मुख्या के लिए 01 न. अधिकारी मेस का निर्माण एवं 3 न. सिंगल मेन बैरक के 01 ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	2.28	
15.	खोंसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आए. के लिए 48 टाईप ।। क्वार्टर का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई.एल.	54.58	एक कार्य में[1] इस्पात (छड़) के स्थान पर इस्पात (लंबा) के थोक मू.सू. में इस्पात वृध्दि अनुमत थी एवं अन्य कार्यों[2] में अनुमान डी.पी.ए.आर. 2007 के आधार पर तैयार किया गया था लेकिन इस्पात में वृद्धि 2004-05 के स्थान पर 1993-94 के आधार वर्ष पर आधरित थी। परिणाम अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

[1] खोसा, अरूणाचल प्रदेश में ए.आर. के 4-8 टाईप-।। क्वार्टर का निर्माण जो इ.पी.आई.एल. द्वारा क्रियान्वित किया गया था।

[2] ए.आर; के लिए कैथलमानबी, मणिपुर में 6 सिंगल जे.सी.ओ. निवासीय आवास (जी.+।), 1 ब्लॉक 3 सिंगल मेन बैरक (जी.+2) के 1 ब्लॉक 1 प्रशासनिक ब्लॉक (जी.+।) का निर्माण

16.	कैथलमानबी में ए.आर. के लिए 1न. टी. -IV (जी.+एफ), 4न. टाईप V (जी.+।), 13 न. टाईप-।।।, 18 न. टी-।। (जी.+।।) एवं 2 न. सिंगल/संबंद्ध सेवाओं के साथ अधिकारी आवास तथा विकास कार्य का निर्माण। कार्य का क्रियान्वयन पैकेज अर्थात् 285,286, 287 के अंतर्गत किया गया था।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	6.80	राशि की वसूली सीमेंट की गैर वृष्दि के आधार पर होनी चाहिए थीं।
17.	कैथलमानबी, मणिपुर में ए.आर. के लिए 6 न. सिंगल जे.सी.ओ. निवासीय आवास जी+1, सिंगल मेन बैरक (जी.+।।) के 01 ब्लॉक, 01 न. प्रशा. ब्लॉक (जी.+।) तथा सेक्टर हेड क्वा. के लिए 01 न. अधिकारी मेस तथा 3 न. सिंगल मेन बैरक (जी+1) के 01 ब्लॉक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	7.27	
18.	जोखसवंग, मिजोरम में निवासीय आवास का निर्माण।	असम राईफल		335.00	एक मुश्त संविदा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए सिवाय निरपेक्ष रूप से आवश्यक हो। लेखापरीक्षा ने पाया कि जोखसंवांग, मिजोरम में निवासीय आवास के निर्माण के लिए ई.पी.आई.एल. को एकमुश्त ₹54.39 करोड़ दिया गया एवं ठेकेदार के साथ वेतन वृद्धि के प्रावधान के साथ समझौता किया गया तथा कार्य के क्रियान्वयन में विलंब के लिए ₹3.35 करोड़ के भुगतान की वृद्धि की गई। लेकिन ए.आर. ने व्यय की अदायगी के दौरान, ऐसे गलत भुगतान को प्रतिबंधित करने में सफल नहीं हुआ।
19.	प्रशक्षिण ब्लाक का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.17	धारा 10 सी के अधीन श्रम मूल्य वृध्दि के भुगतान के दौरान धारा 10 सी सी में दिए गए सूत्र के अनुसार कार्य का मूल्य निर्धारित किया गया था। डब्ल्यू=एन-(के+एल), जहाँ एन=.85मी एवं एम=सी+एफ+आई-जे लेकिन कीमत वृध्दि एन=एम मूल्य पर दी गई थी एन=.85मी के स्थान पर। हमने पाया कि सी पी डब्ल्यू डी में धारा 10सी के अधीन कीमत वृध्दि के कारण 5 मामलों में ठेकेदार को ₹15.86 लाख का अधिक भुगतान किया।
20.	परिवार कल्याण केन्द्र, राजस्थान	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.83	
21.	सी.आई.एस.एफ. आर.टी.सी. बेहरोर राजस्थान के लिए अर्द्ध-स्थायी संरचना का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.2	
22.	आर.टी.सी. देवली राजस्थान में आर.टी.सी. (पूर्व स्वीकृति `48.54) के लिए 05 न. आवासीय क्वार्टर (टी-V I, टी - IV 4) का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.24	
23.	जी.सी.-।।, अजमेर राजस्थान में चारदीवारी, मेन गेट, गार्ड रूम,वाच टावर एवं सुरक्षा रोशनी का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.42	

24.	श्रीकोना सिलचर में असम राइफल बटा. के लिए 4न. एस.एम. बैरक (जी+।।।) के 1 ब्लाक एवं बिटुमिनस रोड़ का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	.97	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के निश्चित राशि वापसी से संबंधित प्रावधान, जब ठेकेदार प्राथमिक उत्पादक के स्थापन पर द्वितीय उत्पादक द्वारा दिए गए थर्मो मेकेनिकल ट्रीटेड (टी.एम.टी.) रिइनफोर्समेंट बार प्रयोग करता है, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ठेकेदारों के साथ 16 ठेकों में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वसूली नहीं हुई।
25.	जारेहाट असम में न. 2 ट्रांजिट कैंप के लिए 03 न. एस.एम. बैरक (जी+।।) के 01 ब्लॉक एवं 06 न. टाईप-।। (जी+।।) के 01 ब्लॉक का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	1.28	
26.	जोरहट (असम) में ए.आर. डी.वी. के लिए 01 ब्लाक में 01 न. एस.एम. बैरक एवं टी.सी. के साथ संबध्द सेवायें एवं विकास कार्यों का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	.21	
27.	जोरहट (असम) में असम राईफल बटा के लिए 32 न. टाईप-।। क्वार्टस (एस.एफ.) का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	2.11	
28.	हाफलांग असम में 04 न. एस.एम. बैरक, (जी+।।।), 01 न. जे.सी.ओ. मेस एवं 01 न. 20 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	3.06	
29.	जोरहट (असम) में 12 न. टाईप-।।। क्वा. (जी+।।) एवं 66 न. टाईप-।। क्वा. (जी+।।) एस.एफ. आवास का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	5.96	
30.	हाफलांग (असम) में असम राईफल के लिए 2न. टाईप-V (जी+।) के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्य का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	.77	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के निश्चित राशि वापसी से संबंधित प्रावधान, जब ठेकेदार प्राथमिक उत्पादक के स्थापन पर द्वितीय उत्पादक द्वारा दिए गए थर्मोस मेकेनिकल ट्रीटेड (टी.एम.टी.) रिइनफोर्समेंट बार प्रयोग करता है, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ठेकेदारों के साथ 16 ठेकों में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वसूली नहीं हुई।
31.	लोकरा में ए.आर. के लिए 01 न. 0 रेजीमेंटल स्कूल का संबंद्ध सेवाओं के साथ निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	.43	
32.	न्यू. ए.आर. के.एल.पी. गुवाहाटी में 2 न. मुख्य प्रवेश द्वारा के साथ 107 कि.मी. लंबी सुरक्षा दीवार एवं संबंधित विकास कार्य का निर्माण।	असम राईफल	यू.पी.जे.एन.	1.23	
33.	सी.ओ.ई. डिफू (असम) के लिए 03 एस.एम.बी. के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्य का निर्माण	असम राईफल	एच.पी.एल.	8.23	

34.	जयरामपुर (आं.प्र) में आवासीय परिसर के लिए जलापूर्ति योजना एवं 1 लाख क्षमता वाले शीर्ष टैंक स्टेजिंग के साथ एवं संबंद्ध सेवाओं की वृद्धि।	असम राईफल	यू.पी.जे.एन.	8.23	
35.	श्रीकोना में अ.रा के लिए 08 न. सिंगल आफिसर एवं 07 न. सिविलयन आवास विकास कार्यों को शामिल करते हुए तथा संबद्ध सेवाओं का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	1.97	
36.	जयरामपुर (अरूणाचल प्रदेश) में ए.आर. बटा. के लिए 10 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास में 02 ब्लाक (जी+।) अवसंरचना विकास कार्यों को शामिल करते हुए का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	2.26	
37.	खोंसा (अरूणाचल प्रदेश) में ए.आर. बटा. के लिए 08. न. सिंगल मेन बैरक (जी+।।।), 04 न. सिंगल अधिकारी आवास,12 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास,01. न. प्रशासनिक ब्लॉक (जी+।), 01 न. अधिकारी मेस,01 न. जे.सी.ओ. मेस का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	22.75	
38.	खोंसा (अरूणाचल प्रदेश) में असम राईफल बटा. के लिए 48 न. सी. टाईप-।। (जी+।।।) क्वा. का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	17.77	लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के निश्चित राशि वापसी से संबंधित प्रावधान, जब ठेकेदार प्राथमिक उत्पादक के स्थापन पर द्वितीय उत्पादक द्वारा दिए गए थर्मो मेकेनिकल ट्रीटेड (टी.एम.टी.) रिइनफोर्समेंट बार प्रयोग करता है, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा ठेकेदारों के साथ 16 ठेकों में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वसूली नहीं हुई।
39.	श्रीकोना सिलचर में असम राईफल बटा. के लिए, 01 ब्लॉक का 04 न. एस एम बैरक (जी+।।।) बिटामिनस रोड़ का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	.98	
40.	ज्वालमुखी (मणिपुर) में असम राईफल के लिए 08 ब्लाक में 48 न. टाइप-।। (जी+।।) एवं विकास कार्यों के साथ 7 न. जे.सी.ओ. आवास, जलापूर्ति एवं बाह्य विद्युतीकरण का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	3.6	एन.पी.सी.सी.एल. ने ठेकेदार को अधिक भुगतान किया था तथा ए.आर. ने एक मद दाबित इस्पात टैंक के आपूर्ति एवं निर्माण के लिए मूल्य सूची के दोहरे जोड़े के कारण ₹9.17 लाख का अधिक व्यय किया।
41.	कैथलामानबी मणिपुर में ए.आर. सेक्टर हेड क्वा./ब्टा. हेड क्वा. के लिए विकास कार्यों के साथ 72 न. टी-।। आवास एवं सहायक सेवाओं का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	5.57	

42.	काकचिंग मणिपुर में 21 ए.आर. के लिए 06 एन.सी.ओ. के लिए 03 न. सिंगल मैन बैरक के 01 ब्लॉक एवं 60 अन्य (जी+।।) तथा 01 न. प्रशासनिक ब्लाक (जी+।) का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	10.71	एम मामलों में[3] निविदा के प्राप्ति की अंतिम तिथि 23 अक्तूबर 2008 था लेकिन ठेकेदार के निवेदन पर आधार वर्ष फरवरी 2009 बदल दिया गया था।इसके फलस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
43.	काकचिंग,मणिपुर में ए.आर. के लिए जी-। ब्लाक में प्रशा. ब्लाक का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	7.09	पी.ई. में आग बुझाने वाले उपकरण की स्थापना शामिल था। फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि आग बुझाने वाले उपकरण नहीं लगाए गए थे जो अधिक भुगतान के रूप में परिणत हुआ।
44.	278 न. (टी./12 एवं टी/।।-266 न.) फैमिली क्वार्टर्स	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9.23	लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.आई.टी. के कार्य को अंतिम रूप देते समय अनुसूची एफ. में वस्तु की कोई सूची संकेतित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, धारा 10 सी.ए. संविदा में वर्णित नहीं था एवं अनुसूची एफ में संलग्न थी। चूंकि अनुसूची एफ में वस्तुओं की सूची संकेतित नहीं थी, मूल्य विचलन अनुमत नहीं था।
45.	104 आर.ए.एफ बटा. अलीगढ़ के लिए 60 महिला बैरक का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5.02	
46.	आई.टी.बी.पी. सीमा द्वार देहरादून में पृथक परिवार आवास का निर्माण, 200 न. टाईप-। क्वार्टस का एस.एच. निर्माण एवं विकास कार्य का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15.11	
47.	एम. एवं एस.आई. आउली में प्रशा.ब्लाक एवं प्रशि. ब्लाक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	7.45	
48.	आई.टी.बी.पी. सीमा द्वार देहरादून में पृथक परिवार आवास का निर्माण 200 न. टाईप-। क्वार्टस का एस.एच. निर्माण एवं विकास कार्य का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	12.86	यद्यपि, दो मामलों को हस्ताक्षरित संविदा में कोई प्रतिशत वर्णित नहीं था एवं अनुसूची एफ में संलग्न था, उपरकथित प्रावधानों के उल्घंन में भुगतान किया था।
49.	एम. एवं एस. आई; आउली में प्रशा. ब्लाक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी	5.97	
			कुल	**642.13**	

[3] काकचिंग, मणिपुर में 21 ए आर के लिए 03 न. सिंगल मेन बैरकके01 ब्लॉक,06 एन.सी.ओ. के लिए एवं 60 अन्य (जी+।।) एवं 01 न. प्रशासनिक ब्लाक (जी+।) का निर्माण

अनुबंध - 7.4
निष्पादन गारंटी की प्रस्तुती में विलंब
(संदर्भ पैरा 7.4)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	बल का नाम	माह में विलंब	ई.एम.डी. की राशि
1.	काकचिंग में 21 असम राईफल के लिए 06 एन.सी.ओ. के लिए 03 न. सिंगल मेन बैरक के 01 ब्लाक एवं 60 अन्य (जी+।।) तथा 01 न. प्रशा. ब्लाक (जी+।) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	3	5.25
2.	काकचिंग में ए.आर. बटा.के लिए मैग भवन का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	9	3.5
3.	फुनडेरी में ए.आर. बटा. के लिए 03 न. सिंगल मेन बैरक (जी+।।) के एक ब्लाक एवं रसोई घर सह डाइनिंग हाल का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	7	7.5
4.	असम राईफल के लिए 02 ब्लॉक में 12 न. टाईप-।। क्वा. तथा 5 ब्लॉक में 10 न. टा.-IV (जी+।) के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	3	2.6
5.	आई.जी.ए.आर (एस) के लिए 24 न. टा-।। एस.एफ; क्वा. (जी+।।) के साथ संबंध सेवाओं एवं विकास कार्यों के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	5.5
6.	ए.आर. बटा. के लिए 1 ब्लाक में 04 न. सिंगल अधिकारी आवास के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	1.45
7.	ए.आर. बटा.के लिए 2 ब्लाक में 12 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी+।।) तथा 2 ब्लाक में 16 न. (टा.-।।) (जी+।।।) के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	6	7.75
8.	आई.जी.ए.आर. (एस) ए.आर. मुख्या. के लिए 01 ब्लाक में 01 न. कार्यालय भवन (जी+।) के साथ संबध्द सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	6	4.45
9.	ए.आर. बटा.के लिए सुरक्षा दीवार, मुख्य प्रवेश द्वार को शामिल करते हुए, संतरी पोस्ट, सुरक्षा प्रकाश आदि रिहायशी आवास का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	6	7.7
10.	ए.आर. बटा. के लिए क्यू.जी., कोट, शस्त्रागार एवं शस्त्र दुकान के साथ डीव. कार्य एवं आतंरिक सड़क का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	17	4.2
11.	4 वर्क शॉप ए.आर. के लिए विकास कार्यों एवं संबध्द सेवाओं के साथ 1 ब्लाक में 02 न. टा.-V क्वा. (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	7.9
12.	4 वर्क शॉप ए.आर. के लिए डीव.वर्क एवं संबध्द सेवाओं को शामिल करते हुए 1 न. भण्डार गृह (जी) का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	1.5
13.	असम राईफल के लिए 06 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी+।) 01 ब्लाक के 03 न. सिंगल मेन बैरक (जी+।।।),01 न. प्रशा. ब्लाक (जी+।) एवं सेक्टर मुख्या. के लिए 01 अधिकारी मेस तथा 03 न. सिंगल मेन बैरक (जी+।) के 01 ब्लाक का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	2	23.1
14.	ए.आर. सेक्ट. मुख्या. के लिए 01 न. टा.- IV (जी.एफ.), 04 न. टा.-V, 30 न. टा.-।।।, 80 न. टा.- ।। तथा 02 न. अधिकारी आवास का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	8	17.3
15.	ए.आर. सेक्टर मुख्या./ब्टा. मुख्या के लिए 72 न. टा-।। आवास के साथ विकास कार्य तथा सहायक सेवा का निर्माण।	एन पी सी सी एल	असम राईफल	8	25.65

16.	असम राईफल मुख्या. के लिए 01 न. एस.एम. बैरक (जी) में 01 ब्लाक के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	8	2.05
17.	असम राईफल के लिए 3 ब्लाक में 24 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी+।।।) के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	5.85
18.	असम राईफल के लिए 01 ब्लाक में क्यू.जी., कोटे, शस्त्रागार (जी) के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	4
19.	02 ब्लाक में 02 न. रसोई घर के साथ डाईनिंग हाल (जी) के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों तथा 01 ब्लाक में मनोरंजन कक्ष (जी) के साथ संबद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्मण	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	5.2
20.	असम राईफल के लिए 03 ब्लाक में आवासीय परियोजना-24 न. टा.-क्वा. (जी-।।।) के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	7.9
21.	उदयपुर में असम राईफल बटालियन के लिए 2 न. टाईप-V क्वा.,04 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवस तथा 16 न. टाईप-।। क्वार्टर्स का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	4	10.80
22.	राधनगर में 36 असम राईफल के लिए 2 न. टाईप-V, 2 न. टाईप-।v, 12 न. टाईप-।।।,90 न. टाईप-।।, 6 न. सिंगल अधिकारी आवास के साथ आंतरिक एवं बाह्य सेवाओं का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	20.55
23.	अगरतला में असम राईफल के लिए 16 न. टाईप-।। (जी-।।) क्वा. के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	3.90
24.	राधानगर (त्रिपुरा) में असम राईफल के लिए 8 न. सिंगल जे.सी.ओ. अकाउंटेंट, 6 न. एस.एम. बैरक 1 न. प्रशा. ब्लाक,1 न. अधिकारी मेस तथा अ.रा. अगरतला में 1 न. जे.सी.ओ. क्लब के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	8	12.80
25.	तेलिया मूरा में असम राईफल के लिए चार दीवारी का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	5	7.44
26.	तेलियामूरा में 78 न. टाईप-।। (जी-।।) क्वा.,6न. टाईप-।।। (जी-।।) के साथ संबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों का निर्माण।	एन.पी.सी.सी.एल.	असम राईफल	7	9.10
			कुल	**151**	**214.94**

अनुबंध – 7.5
कार्य अनुबंध कर की कटौती नहीं किया जाना
(संदर्भ पैरा 7.5)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	क्रियान्वयन अभिकरण	डब्ल्यू. सी. टी. की कम कटौती	डब्ल्यू. सी. टी. की कटौती नहीं
1.	आई.टी.बी.पी.	असम	तेजपुर में 04 न. प्लास्टिक हट या भण्डार तथा जवान आवास का निर्माण	विभागीय	-	4.76
2.	एस.एस.बी.	अरूणाचल प्रदेश	38 ब्टा. के अंतर्गत कम्पनी मुख्या. में 02 न. अर्द्ध-स्थायी 20 मेन बैरक का निमार्ण।	विभागीय	-	0.11
3.	बी.एस.एफ.	मणिपुर	140 बटा., चूरचांदपुर,मणिपुर के संचार स्थापना के लिए अस्थायी संरचना (फेज-।।) तथा एम.टी बेड़े का निर्माण।	विभागीय	-	3.57
4.	ए.आर.	मिजोरम	लुंगलेई (मिजोरम) ई.पी.आई.एल में ए.आर. ब्टा. के लिए एक ब्लाक में 8 न. सिंगल जे.सी.ओ. आवास (जी-।।।) के साथ विकास कार्य एवं संबंद्ध सेवाओं का निर्माण।	ई.पी.आई.एल.	1.13	-
5.	ए.आर.	मिजोरम	लुंगलेई, मिजोरम (एच.पी.एल.) में असम राईफल के लिए आवासीय परिसर के लिए आपूर्ति एवं 01X250 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर लगाना, स्ट्रीट-लाईट सेक्यूरिटी लाईट एवं संबंद्ध सेवाएं।	एच.पी.एल.	4.76	-
				कुल	**5.86**	**8.44**
				कुल योग		**14.33**

अनुबंध - 7.6

मामलों का विवरण जहाँ डब्ल्यू.सी.टी. पर अधिक भुगतान किया गया

(संदर्भ पैरा 7.5)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल का नाम	अभिकरण का नाम	डब्ल्यू.सी.टी. वास्तव में भुगतान	डब्ल्यू.सी.टी. भुगतान किया जाना है	अधिक डब्ल्यू. सी.टी. का भुगतान
1.	श्रीकोना सिलचर में असम राइफल बटा. के लिए 01 ब्लॉक के 04 न. एस एम बैरक (जी+।।।) एवं बिटुमिनस रोड़ का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	8.13	3.47	4.66
2.	हॉफ्लांग (असम) में असम राईफल बटालियन के लिए 01 ब्लाक के 04 न. एस.एम. बैरक,01 न. जे.सी.ओ. मेस एवं 01 न. 20 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	18.12	7.73	10.39
3.	जोरहाट (असम) में 12 न. टाईप-।।। क्वा. (जी-।।) एस.एफ. आवास का निर्माण।	असम राईफल	एन.पी.सी.सी.एल.	39.19	16.72	22.47
4.	लोकरा में 43 ए.आर. के लिए 09 न. एस.एम.बी. (जी-।।), 01 न. प्रशा. ब्लाक (जी-।) एवं 01 न. अधिकारी मेस का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई एल.	30.40	12.97	17.43
5.	लोकरा (असम) में 43 ए.आर. के लिए 12 न. टी-।।। (जी-।।) एवं 54 न. टी.-।। जी.-।। क्वा. का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई एल.	45.10	19.24	25.86
6.	चारद्वार (असम) में असम राईफल बटा. के लिए 64 न. टाईप-।। (जी-।।।) का निर्माण।	असम राईफल	ई.पी.आई एल.	2.08	0.89	1.19
				143.02	**61.02**	**82.00**

अनुबंध – 7.7
रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना
(संदर्भ पैरा 7.5)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल का नाम	अभिकरण का नाम	वास्तव में अदा किया गया डब्ल्यू.सी.टी.	अदा किए जाने वाला डब्ल्यू.सी.टी.
1.	बी.एस.एफ.	राज.	बी.ओ.पी. विजेता, बिजनौर, मजनू एवं खेरूवाला -64 बटा. बी.एस.एफ. में जवान बैरक का निर्माण।	विभागीय	1.27
2.	बी.एस.एफ	राज.	66 बटा. बी.एस.एफ. के बी.ओ.पी. जगदेव में जवान बैरक, रसोई घर सह डाइनिंग हॉल, प्रशा. ब्लॉक तथा कोट स्टोर एवं मैंगजीन ब्लॉक का निर्माण।	विभागीय	0.38
3.	बी.एस.एफ	राज.	फ्रंटीयर मुख्या. बी.एस.एफ. राजस्थान में टाईप- । (44 न.) क्वार्टर में सुधार	विभागीय	0.4
4.	बी.एस.एफ	राज.	एस.टी.सी. बी.एस.एफ. जोधपुर में ड्रील स्कावयर परेड ग्राउंड की पुन: मरम्मत	विभागीय	0.28
5.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	क्वार्टर गार्ड के चारों ओर श्रृंखला कड़ी बाड़ लागने का कार्य।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.31
6.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. कैम्पस आर.टी.सी-। देवली में वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास करना।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.3
7.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	समारोहिक परेड ग्राउंड में अवशिष्ट कार्य का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.46
8.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	कब्रिस्तान भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.2
9.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	मसूद हाउस का सौंदर्य सुधार एवं अनुरक्षण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.27
10.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	जी.सी.-। अजमेर में टाईप-।। क्वा. के न. 1 से 48 का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.14
11.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	सी.आर.पी.एफ. में निवासीय क्षेत्र में दो न. बच्चों के पार्क का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.62
12.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	पहले से मौजूद तालाब का विकास।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.38
13.	सी.आर.पी.एफ.	राज.	बैरक न.1 से 5 के शौचालय का नवीकरण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.71
14.	बी.एस.एफ	राज.	बी.एस.एफ. कैम्पस, उदयपुर में क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.78
15.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. आर.टी.सी. बेहरूर के लिए अर्द्ध-स्थायी संरचना का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.2
16.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	एम.पी.आर.टी.सी. बेहरूर के लिए एम.टी. गैराज (मूल संस्वीकृति ₹79.60 लाख संशोधित) का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.84
17.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.सी. देवली में आर.टी.सी. के लिए 05 न. आवासीय क्वार्टस (टी -V-I -टी IV 4) का निर्माण। (पूर्व संस्वीकृति ₹48.54)	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.24
18.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.एस.एफ. आर.टी.सी. बेहरूर के लिए मल उपचार संयंत्र का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.23

19.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.आई.एस.एफ. आ.टी.सी. बेहरूर के लिए एस.ओ. मेस का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9.01
20.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	जी.सी.-।। अजमेर, राजस्थान में चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार गार्ड रूम, वाच टावर एवं सेक्यूरिटी लाईट का निर्माण।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	3.42
21.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	02 न. के 180 मेन बैरक का।	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	6.34
22.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	आर.टी.सी. के लिए 107 क्वा. (टी II 84, टी III 20, टी IV 02 टीV 01) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.99
23.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	गैर-आवासीय भवन	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	25.11
24.	सी.आई.एस.एफ.	राज.	परिवार कल्याण केन्द्र	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.6
				कुल	**67.48**

अनुबंध –7.8

व्यर्थ कटौती के कारण टी.डी.एस., वैट की कटौती नहीं किया जाना तथा अधिक भुगतान

(संदर्भ पैरा 7.5 एवं 7.8)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	बल का नाम	राज्य का नाम	कार्य का विवरण	क्रियान्वयन अभिकरण	टी.डी.एस. की कटौती नहीं (लाख में)	वैट की कटौती नहीं (लाख में)	कटौती से बचने के कारण अधिक राशि का भुगतान
1.	सी.आर.पी.एफ.	हरियाणा	जी.सी. बहलगढ, सोनीपथ में जी.ओ. मेस/सूट्स एवं एस.ओ. मेस/डारमिट्री का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	37		-
2.	सी.आर.पी.एफ.	तेलंगाना	मलशोधन संयंत्र-बागवानी के लिए सी.आई. पाईप लाईन ग्रिड बिछाने का निर्माण अनुबंध सं. 55/55/एच सी डी-I/2007-08	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.26		-
				कुल	**44.26**	-	-
3.	बी.एस.एफ.	राजस्थान	सम रोड़ जसलमेर में स्थित 84 बटा.बी.एस.एफ. कैम्पस-I में स्थित 1 न. 120 मेन बैरक के साथ विकास कार्यों का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	-	0.42	-
4.	सी.आ.एस.एफ.	राजस्थान	एम.पी.आर.टी. बेहरूर के लिए एम.टी. गैराज (मूल संस्वीकृति ₹79.60 लाख संशोधित) का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	-	0.14	-
5.	सी.आ.एस.एफ.	राजस्थान	आर.टी.सी. बेहरूर के लिए मल शोधन संयंत्र का निर्माण	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	-	0.22	-
					कुल	**0.78**	-
6.	ए.आर.	मणिपुर	काकचिंग, मणिपुर में मैगजीन बिल्डिंग के साथ सबंद्ध सेवाओं एवं विकास कार्य का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	-	-	3.11
7.	ए.आर.	मणिपुर	मोदी (मणिपुर) में ए.आर. बटा.के लिए रिहायशी आवास के लिए सुरक्षा दीवार को शामिल करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार, संतरी पोस्ट, सेक्यूरिटी लाईट आदि का निर्माण।	एन.बी.सी.सी.	-	-	0.21
8.	ए.आर.	मणिपुर	खुगा (मणिपुर) में असम राईफल बटा. के लिए चार दीवारी के साथ आर.सी.सी. पोस्ट तथा 1.35 कि.मी. नई सड़क का निर्माण।	एच.पी.एल.	-	-	2.05
					कुल		**5.37**

अनुबंध - 7.9
प्रतिभूति जमा राशि की कम वसूली
(संदर्भ पैरा 7.6)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल	राज्य	क्रयान्वयन अभिकरण	प्रतिभूति जमा राशि की कम वसूली
1.	जी.सी. जालंधर में 126 न. फेमिली क्वार्टर का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	पंजाब	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2.71
2.	180 मेन बैरक, हालभाजरा, चंडीगढ़ के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	पंजाब	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.26
3.	सराह ,हि.प्र. में टाईप 1 से टाईप- V क्वार्टर का नवीकरण/उन्नयन।	आई.टी.बी.पी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.78
4.	टेलीकाम प्रशि. केन्द्र, एस.एस. बी. डाउनकोठी, कसूमपटी, शिमला (हि..प्र.) में विद्यमान सीवर लाईन के प्रसार का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.4
5.	डब्ल्यू. टी.टी.सी.एस.एस.बी., कसूमपटी, शिमला में विद्यमान बिटुमिनस आंतरिक सड़क के नवीकरण का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.3
6.	एस.एस.बी. कसूमपटी, शिमला में 50000 लीटर क्षमता के ओवर हेड आर.सी.सी. टैंक का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.18
7.	एस.एस.बी. संप्री (हि.प्र.) में कांगड़ा स्टेडियम के सामने किला दीवार का निर्माण	एस.एस.बी.	एच.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.35
8.	कालिंदीपुरम् इलाहाबाद में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण।	सी.आई.एस.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.26
9.	104वीं बटा. आर.ए.एफ. अलीगढ़ में 60 महिला बैरक का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.63
10.	104वीं बटा. आर.ए.एफ. अलीगढ़ में स्थल विकास एवं थोक सेवाओं का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.60
11.	15 न. वाच टावर एवं गार्ड रूम का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.47
12.	सुरक्षा कारणों से चारदीवारी एवं 2 न. वाच टावर के साथ गार्ड रूम का निर्माण तथा सी.डब्ल्यू. एस. 6.5 एकड़ भूमि के सामने शीर्ष पर कंसर्टिना वायर प्रदान करना।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.49
13.	डी.जी. इलाहाबाद में 50 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	16.55
14.	इलाहाबाद में 121 न. बी.ओ.ए.सी. का निर्माण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.11
15.	इलाहाबाद में 40 न. शौचालय का नवीकरण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.36

16.	101 आर.ए.एफ इलाहाबाद में एक न. 60 महिला बैरक का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.16
17.	जी.सी. लखनऊ में डी.आई.जी.पी. कार्यालय का निर्माण।	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.39
18.	फाफामऊ, इलाहाबाद में स्ट्रीटलाईट, पार्क लाईट का नवीकरण	सी.आ.पी.एफ.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.57
19.	पलिया में 10 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण।	एस.एस.बी.	यू.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.12
20.	एल/खेरी में पूर्व निर्मित संरचना का निर्माण।	एस.एस.बी.	यू.पी.	विभागीय	0.63
21.	39 वी. बटा. पलिया के अंतर्गत बी.ओ.पी. बनकटी में स्थायी भवन का निर्माण।	एस.एस.बी.	यू.पी.	विभागीय	0.64
22.	माना में आवासीय सह कार्यालय परिसर का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.88
23.	एम एवं एस.आई., आंउली में प्रशा. ब्लॉक एवं प्रशि. ब्लॉक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	15.79
24.	12 वीं बटा.मतली में स्टार्म वाटर सिस्टम एवं नाली का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	9.74
25.	पहली बटा. के लिए प्रशा. ब्लॉक का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	11.46
26.	महादांडा में आई.टी.बी.पी. बटा.मुख्या के बचे हुए क्षेत्र में श्रृंखला कड़ी बाडा का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	2.73
27.	एम. एस.आई. आउंली में क्यू.जी, क्यू.एम. भडार एवं एम.आई. रूम का निर्माण।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	7.39
28.	गौचर जलगम परिसर में जलापूर्ति एवं जल निकासी व्यवस्था।	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.43
29.	एम. एवं एस.आई. आउंली में अधिकारी मेस का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	10.00
30.	आई.टी.बी.पी. सीमाद्वार देहरादून में पृथक फेमिली आवास का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	46.72
31.	आई.टी.बी.पी. अकादमी मसूरी देहरादून के अस्तेल इस्टेट में क्वार्टर गार्ड का निर्माण	आई.टी.बी.पी.	यू.के	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	5.91
32.	आर.टी.सी. बेहरूर सी.आई.एस.एफ. के लिए अर्द्ध स्थायी संरचना का निर्माण	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	8.84
33.	एम.पी.आर.सी. बेहरूर के लिए एम.टी. गैराज (मूल संस्वीकृति ₹79.60 लाख संशोधित) का निर्माण।	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.92
34.	आर.टी.सी. बेहरूर के लिए मल उपचार संयंत्र का निर्माण।	सी.आई.एस.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1.47
35.	जी.सी.-।। अजमेर, राजस्थान में चार दीवारी, मुख्य गार्ड रूम, वाच रूम,वाच टावर एवं सेक्यूरिटी लाईट का निर्माण।	सी.आर.पी.एफ.	राज.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	0.75

36.	दूरसंचार प्रशि. केन्द्र एस.एस.बी. डाउन कोठी, कसुमपटी, शिमला में विद्यमान सीवर लाईन के पुन: बिछाने का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	विभागीय	0.4
37.	डब्ल्यू. टी.टी.सी. एस.एस.बी. कसुमपटी, शिमला में विद्यमान बिटुमिनस आंतरिक सड़क का नवीकरण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	विभागीय	0.3
38.	एस.एस.बी., कसुमपटी शिमला में 5000 लीटर क्षमता के ओवर हेड आर.सी.सी. टैंक का निर्माण।	एस.एस.बी.	एच.पी.	विभागीय	0.18
				कुल	**159.87**

अनुबंध 7.10
निधि का विपथन
(संदर्भ पैरा 7.7)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल	राज्य	क्रियान्वयन अभिकरण	संस्वीकृति राशि	विपथित राशि
1.	हमहामा में 3 न. 180 मेन बैरक का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	जे. एंड के.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	1326.88	61.64
2.	4 न. नल्ला एवं आर.सी.सी. सम्पवेल का निर्माण	सी.आर.पी.एफ.	जे. एंड के.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	958.71	48.69
3.	श्वान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आई.टी.बी.पी. भानु	आई.टी.वी.पी.	हरियाणा	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	236	24.22
4.	जी.सी,सी.आर.पी.एफ. नीमच (म.प्र.) में 501 टाईप-।। क्वा. का निर्माण।	सी.आर.पी.एफ.	एम.पी.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	4568	35.1
5.	डी.जी. बी.एस.एफ. मुख्या. सी.जी.ओ. परिसर में माड्डलर वर्क स्टेशन प्रदान करना।	बी.एस.एफ.	दिल्ली	विभागीय	59.09	8.86
6.	आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर भूमि विकास कार्य	एन.एस.जी.	दिल्ली	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	99.76	13.09
				कुल	**7248.44**	**191.6**

अनुबंध –7.11

पूर्व-निर्माण अवस्था के दौरान वे मामले जहाँ भूमि परीक्षण नहीं किए गए

(संदर्भ पैरा 7.8)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	बल का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण	राशि
1.	पलेल (मणिपुर) में ए.आर. बटा.के लिए 03 ब्लाक में आवासीय परियोजना के 24 न. टाईप-।। क्वा. (जी+।।।) का निर्माण।	ए.आर.	एन.पी.सी.सी. एल.	21.28
2.	मन्थ्रीपुखरी मणिपुर में आई.जी.ए.आर. (एस) के लिए विकास कार्यों को शामिल करते हुए 24 न. टाईप-।। एस.एफ. क्वा. जी+।। तथा संबद्ध सेवाओं का निर्माण।	ए.आर.	एन.पी.सी.सी. एल.	15.11
3.	कैथलमान्बी मणिपुर में ए.आर. सेक्टर मुख्या./बटा.हेड क्वा. के लिए विकास कार्यों के साथ 72 न. टी-।। आवास तथा अनुषंगी सेवा का निर्माण।	ए.आर.	एन.पी.सी.सी. एल.	25.02
	कुल			**61.41**

शब्दावली

क्र.स.	शब्द संक्षेप	पूर्ण रूप
	ए	
1.	ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2.	ए.ए. एवं ई.एस.	प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति
3.	ए.आर.	असम राइफल्स
4.	ए.ई.	सहायक इंजीनियर
5.	ए.जी.एम.	सहायक महा-प्रबंधक
	बी	
6.	बी.एच.यू.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
7.	बी.ओ.पी.	सीमा चौकी
8.	बी.ओ.क्यू.	परिमाण पत्र
9.	बी.ओ.ओ.	अधिकारी बोर्ड
10.	बी.जी.	बैंक गारंटी
11.	बी.एस.एफ.	सीमा सुरक्षा बल
	सी	
12.	सी.वी.सी.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
13.	सी.जेड.	केंद्रीय जोन
14.	सी.आई.एस.एफ.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
15.	सी.आर.पी.एफ.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
16.	सी.ओ.बी.आर.ए.	कमान्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन
17.	सी.पी.डब्लू.डी.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
18.	सी.ए.पी.एफ.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
	डी	
19.	डी.सी.	जिला कलक्टर
20.	डी.पी.ए.आर.	दिल्ली प्लिन्थ क्षेत्र दर

21.	डी.एम.टी.सी.	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र
22.	डी.जी.ए.सी.ई.	महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
23.	डी.ई.	विस्तृत अनुमान
24.	डी.एम.आर.सी.	दिल्ली मैट्रो रेल निगम
	ई	
25.	ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
26.	ई.ई.	कार्यपालक इंजीनियर
27.	ई.पी.सी.	इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण
28.	ई.ओ.टी.	समय विस्तार
29.	ई.पी.आई.एल.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड
	एफ.	
30.	एफ.टी.आर.एच.क्यू.	सीमातं मुख्यालय
	जी	
31.	जी.ए.टी.टी.ए.	विशेष संख्या से भूमि स्थल की पहचान
32.	जी.ओ.टी.एन.	तमिलनाडु सरकार
33.	जी.बी.एस.	सरकारी भवन सुरक्षा
34.	जी.सी.	ग्रुप केन्द्र
35.	जी.ओ.एम.	महाराष्ट्र सरकार
	एच	
36.	एच.पी.एल.	हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड
37.	एच.टी.	उच्च प्रतिबल
	आई	
38.	आई.आई.एम.	भारतीय प्रबंधन संस्थान
39.	आई.टी.बी.पी.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
40.	आई.ई.डी.	तात्कालिक विस्फोट उपाय
	जे	
41.	जे.के.पी.सी.सी.	जम्मू व कश्मीर परियोजना निर्माण निगम
	के	
42.	के.एल.पी.	मूल स्थान योजना
43.	के.वी.	केन्द्रीय विद्यालय

	एल	
44.	एल.ओ.पी.	अभिन्यास योजना
45.	एल.डी.	परिनिर्धारित क्षति
46.	एल.ओ.आई.	आशय पत्र
	एम	
47.	एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
48.	एम.आई.डी.सी.	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम
49.	एम.एस.आर.डी.सी.	महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम
50.	एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
51.	एम.आई.डी.सी.	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम
52.	एम.एस.ई.डी.सी.एल.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत विकास निगम लि.
	एन	
53.	एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण सूचना
54.	एन.एस.जी.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
55.	एन.एम.सी.डी	नवी मुम्बई केन्द्रीय प्रभाग
56.	एन.सी.डी.	नागपुर केन्द्रीय प्रभाग
57.	एन.सी.ई.डी.	नागपुर केन्द्रीय विद्युत प्रभाग
58.	एन.बी.सी.सी.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
59.	एन.पी.सी.सी.एल.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
	ओ	
60.	ओ.पी.डब्लू.ओ.एस.	अन्य लोक निर्माण कार्य संगठन
61.	ओ.बी.	कार्यालय भवन
	पी	
62.	पी.जी.	निष्पादन गारंटी
63.	पी.एम.जी.	परियोजना प्रबंधन प्रभार
64.	पी.ई.	प्रारंभिक अनुमान
65.	पी.डी.ए.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
66.	पी.पी.पी.	लोक निजी साझेदारी
67.	पी.सी.डी.	पुणे केन्द्रीय प्रभाग
68.	पी.सी.ई.डी.	पुणे केन्द्रीय विद्युत प्रभाग
	क्यू	
69.	क्यू.ए.डब्लू.	गुणवत्ता आश्वासन विंग

	आर	
70.	आर.बी.	आवासीय भवन
71.	आर.ए.एफ.	द्रुतगामी कार्य बल
72.	आर.एच.	क्षेत्रीय समूह
73.	आर.सी.	क्षेत्रीय केन्द्र
	एस	
74.	एस.डी.	प्रतिभूति जमा
75.	एस.एस.बी.	सशस्त्र सीमा बल
76.	एस.टी.सी.	सहायक प्रशिक्षण केन्द्र
77.	एस.ओ.पी.	मानक परिचालन प्रणाली
78.	एस.एल.ए.ओ.	राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी
79.	एस.एस.सी.	स्थल चयन समिति
80.	एस.ओ.पी.	मानक परिचालन प्रक्रिया
81.	एस.एस.जी.	विशेष सुरक्षा ग्रुप
82.	एस.एच.क्यू.	क्षेत्र मुख्यालय
83.	एस.ई.	अधीक्षक अभियंता
	टी	
84.	टी.एस.	तकनीकी संस्वीकृति
85.	टी.एम.टी. बार	थर्मो मकेनिकली ट्रीटेड बार
	यू	
86.	यू.पी.जे.एन.	उत्तर प्रदेश जल निगम
	डब्लू	
87.	डब्लू.सी.टी.	निर्माण कार्य संविदा कर
88.	डब्लू.डब्लू.सी.	श्रमिक कल्याण उपकर



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in